राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] ग्यारहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का उन्नीसवां दिवस [संख्या : 11

सोमवार,
10 अप्रेल, 2000

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्रीमती सुचित्रा आर्य ।

विधान सभा क्षेत्र नोहर के ग्रामों में "आपणी" योजना से पेयजल आपूर्ति

283. **श्रीमती सुचित्रा आर्य** (नोहर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र नोहर में कुल कितने हैण्ड पम्प स्वीकृत हैं और उनमें से कितने लगा दिये गये हैं तथा कितने लगाये जाने शेष हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में और हैण्ड पम्प लगाने और खराब हैण्ड पम्पों को ठीक कर चालू कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के ग्रामों में पेयजल हेतु कोई अतिरिक्त व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस योजना द्वारा ?

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र के प्रस्तावित ग्रामों में "आपणी योजना" के तहत पेयजल कब तक उपलब्ध करवा दिया जाएगा ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री रामसिंह विश्नोई) : (1) विधान सभा क्षेत्र नोहर में कुल 104 हैण्ड पम्प स्वीकृत हैं एवं समस्त हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं। विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) उक्त क्षेत्र में और हैण्ड पम्प लगाना प्रस्तावित नहीं हैं क्योंकि भू-जल खारा एवं विभागीय मापदण्डों के अनुरूप नहीं है। वर्तमान में हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान मार्च के प्रथम सप्ताह से चालू है। इसके अन्तर्गत मरम्मत योग्य पाये गये 25 हैण्ड पम्पों में से 19 को ठीक कर दिया गया है तथा शेष छह 15 अप्रेल तक ठीक कर दिये जाएंगे।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

(3) जी हां। उक्त ग्रामों में से 18 ग्रामों को "आपणी योजना" से लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र के 103 गांव "आपणी योजना" के तहत लाभान्वित होंगे। इन गांवो में से आठ गांवो को "आपणी योजना" के तहत पेयजल उपलब्ध करवा दिया गया है। 11 गांवों को जुलाई, 2000 तक लाभान्वित करना प्रस्तावित है। शेष 84 गांवो को आपणी योजना के तहत पेयजल वर्ष 2001 के अंत तक उपलब्ध कराना संभव होगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्रीमती सुचित्रा आर्य : अध्यक्ष महोदय, 104 हैण्ड पम्पों के बारे में आपने बताया है कि लगाये हुए हैं लेकिन जो इन्होंने ब्यौरा दिया है वहां कई गांव ऐसे है जहां हैण्ड पम्प का नामोनिशान ही नहीं है। जैसे बिसरासर है, बिसरासर के अन्दर इन्होंने आंकड़े दे रखे हैं कि वहां हमने हैण्ड पम्प लगा रखे हैं, जबकि वहां सरकार की तरफ से एक कुआ लगा हुआ है और वही खराब पड़ा है। वहां दूसरा कोई जल स्रोत हैं नहीं, खारा पानी लोग पीते हैं। जितने भी इन्होंने नाम दे रखे हैं, उन ग्रामों के अन्दर केवल 19 हैण्ड पम्प ठीक हैं, बाकी सारे के सारे हैण्ड पम्प खराब हैं। हमारी सरकार का यंह कहना है कि हम प्राकृतिक जल स्रोत पैदा करेंगे, लेकिन प्राकृतिक स्रोत ही खराब पड़े हैं। जैसे मालासर का कुआ, बिसरासर का कुआ है, पाण्डुसर के अन्दर डेढ़ साल से मोटर खराब पड़ी है और पीने का पानी वहां बहुत मीठा है। इतना भयंकर अकाल है, वहां पशु तो क्या बचेंगे, लोग ही मर रहे हैं। मैंने बार–बार विभाग को कहा है कि इसको आप ठीक कराइये लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दूसरा, बडबिराना के अन्दर मोटर लगी हुई है, एक साइड से कुआ गिरा हुआ है। मीठा पानी है, गांव काफी बड़ी आबादी का है, उसके बावजूद भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यही हालत बिंजासर और मालासर की है। बाकी गांवो के अन्दर तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। भावलदेसर के अन्दर पानी मीठा है लेकिन इस कुएं को विभाग चालू नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, यह मैं आपको बता देती हूं, आप अधिकारियों से पूछिये। बालासर, रानीसर, रातूसर, टिडियासर, सोनड़ी, उदासर, पिचकरांई, किकराली, धानसिया, जबरासर, कानसर और भंगूली में तो बहुत ही भयंकर पेयजल की समस्या है और उदासर, तीरासर, लाडम, बिंजासर, देवासर, बन्नासर, कुलचासर, मोटेर में पानी टैंकरों द्वारा भेजा जा रहा है। लेकिन अब तक वे टेंकर भी नहीं लगाये गये हैं, वहां हालत बहुत ही खराब है। मैंने मंत्रीजी को भी निवेदन किया था कि आप एक दफा पल्लू जाकर दौरा करें और देखें तो आपको पता चलेगा कि दो–दो मार आदमी कैसे सहन

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

करेंगे। एक तो अकाल में पशुओं को बचाने की दिक्कत, दूसरी आदमियों को बचाने की दिक्कत। वहां लोग पलायन कर रहे हैं, पशु मर रहे हैं। टाइम रहते हुए अभी आप थोड़ा ध्यान दें, नहीं तो हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं।

जर्मन स्कीम के लिए आपने यह कहा है कि 103 गांव हैं, जबकि वहां 113 गांव हैं। पल्लू के अन्दर इन्होंने पानी अभी चालू किया है जिसके अन्दर केवल 2–3 गांवों को पानी मिल पा रहा है, बाकी कई गांवों को पानी नहीं मिल पा रहा है। अगर इस स्कीम "आपणी योजना" के तहत बिसरासर के अन्दर पानी जा सकता है, केलनिया को भी मिल सकता है, उसके आसपास 10–15 किलोमीटर की दूरी तक गांवों को हम पानी उपलब्ध करा सकते हैं क्योंकि वहां स्कीम पूरी तैयार है, फिर भी हम पानी नहीं दे रहे हैं इस अकाल के हालात के अन्दर तो हम कब देंगे ? 2001 तक बहुत मुश्किल है आना, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, मंत्रीजी, आप थोड़ा–सा ध्यान से सीरियसली और चिंता से इस मामले को लें जिससे कि वहां पर पशुधन बच सके और आदमी बच सके, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया था, 104 गांव हैण्ड पम्प से लाभान्वित हैं। इसके अलावा दूसरी योजनाओं से भी जुड़े हुए हैं, केवल हैण्ड पम्प से ही नहीं हैं। केवल 4–5 गांव हैं, वे केवल हैण्ड पम्प पर निर्भर हैं, बाकी अन्य योजनाओं से लाभान्वित किये हुए हैं। अब पानी खारा है, पानी नीचे चला गया है, यह प्रोब्लम पूरे राजस्थान में है इसलिए कोई इसका इलाज तो है नहीं हमने कोशिश की है, अधिकारियों से बात की है, करीब–करीब 4–5 हैण्ड पम्प खराब होना बताया है जो ठीक हो जाएंगे 15 अप्रैल तक। इसके अलावा आप समझती हैं कि इन गांवों के अन्दर हैण्ड पम्प वाकई में नाकारा हैं या इन्होंने गलत सूचना दी है तो आप मुझे सूची दे सकती हैं। आपणी योजना के अन्तर्गत करीब 400 करोड़ की योजना जर्मन सरकार से स्वीकृत है। करीब 15–20 गांव लाभान्वित कर दिये गये हैं जहां 24 घंटे पानी मिल रहा है। पल्लू गांव के अन्दर करीब 40 गांवों को लाभान्वित किया जा रहा है। नहर से भी लाभान्वित किया जा रहा है। यह पूरा भू–भाग है, रेगिस्तानी इलाका है, पानी वहां पर है नहीं या खारा पानी है या नहरों से पानी मिले। तरीका वही है जो जर्मन सरकार की स्कीम बनी हुई है। पूरे 103 गांवों में पाइप लाइन बिछा दी गई है और 24 करोड़ रुपये बिजली विभाग को जमा करा दिये गये हैं। बहुत बड़े–बड़े करीब 8–5 करोड़ के जलाशय बना दिये गये हैं, इसमें टाइम तो लगेगा। मैं आपको विश्वास देता हूं कि 2001 तक इनके जितने गांव हैं, यों तो 211 गांव हैं लेकिन 103 गांव जो इस

(श्री रामसिंह विशनोई)

स्कीम में हैं, वे किसी न किसी तरह से करीव छह महीने, 12 महीने के अन्दर–अन्दर पूरे कर दिये जाएंगे। इसमें भी आप समझती हैं कि यहां पर हमारी कमी है या हैण्ड पम्प की गलत रिपोर्ट दी है, आप उसका नाम वगैरह लिखकर मुझे दें, मैं इसकी जांच कर लूंगा और आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दे दूंगा।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : और इन कुओं के बारे में, मशीन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री रामसिंह विश्नोई : यह अलग से प्रश्न पूछा है। ये कुएं तो पूरें राजस्थान में, क्या ये पी.एच.ई.डी. के पास रहेंगे या सरपंच ठीक करेंगे या गावं के लोग ठीक करेंगे, यह विधान सभा में तय कर लेते हैं तो हम सारे कुएं ठीक करा देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तालाब भी करा देंगे, कुएं भी ठीक करा देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएंगे। यह अलग से प्रश्न है, यह एक नोहर में ही नहीं है।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : मंत्रीजी, वे कुएं तो चल ही रहे हैं, वहां तो केवल मशीन ही भेजनी है।

श्री रामसिंह विश्नोई : वह मैंने आपको बताया ना, जैसे आपके 104 हैण्ड पम्प हैं, 39 गांवों के अन्दर और अलग–अलग योजनाओं से भी जुड़े हुए हैं, तो वहां जो कुएं हैं वे हमारे पास हैं। वे तो काम दे रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वे कुएं खराब हैं, वहां मशीन खराब है या कहीं बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है या बंद है तो आप मुझे बताइये, उसको ठीक करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न। श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

जन सम्पर्क अधिकारी, करौली को देय मूलभूत सुविधाएं

284. **श्री जनार्दन गहलोत (करौली)** : क्या जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला करौली में जन सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है ?

(2) क्या उक्त अधिकारी को वाहन उपलब्ध कराया गया है ?

(3) क्या जन सम्पर्क अधिकारी के कार्यालय में फैक्स सुविध उपलब्ध है ?

(4) क्या यह सही है कि फैक्स व वाहन की उपलब्धता के अभाव में सरकारी नीतियों का प्रचार/प्रसार नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो कब तक उक्त सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी ?

राज्य मंत्री, सूचना एवं जन सम्पर्क (डा. जितेन्द्र सिंह) : (1) जी हां।

(2) जी हां। सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, करौली के लिए वित्तीय वर्ष 1999–2000 के लिए अनुबंध पर वाहन लेने का प्रावधान किया गया था लेकिन प्रक्रिया पूरी

(डा. जितेन्द्र सिंह)

नहीं हो सकने के कारण वाहन उपलब्ध नहीं हो सका।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। जन सम्पर्क कार्यालय, करौली में आवश्यकता होने पर फैक्स व वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था की जाती रही है।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार का प्रचार–प्रसार और योजनाओं की क्रियान्विति की पब्लिसिटी जिला जन सम्पर्क अधिकारी का मुख्य कार्य है। करौली जिला व जिला है जहां कैला देवी जैसा महत्वपूर्ण स्थान है, जहां बड़ी संख्या में यात्री आते हैं, महावीरजी का बहुत बड़ा स्थान है। नया जिला बनने के बाद जन सम्पर्क अधिकारी वहां सिर्फ बैठा रहता है, वह अपने समाचारों को फैक्स द्वारा भेज नहीं सकता, फैक्स उसके पास उपलब्ध नहीं है। जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उसको वाहन उपलब्ध नहीं होने के कारण वह न्यूज कवर करने जा नहीं सकता। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि कब तक आप व्यवस्था कर देंगे ? पिछले साल बजट में नहीं था, लेकिन इस साल के बजट में कोई प्रावधान है तो उसको करें क्योंकि यह तो राजस्थान सरकार के प्रचार–प्रसार की दृष्टि से आपके विभाग की जिम्मेदारी बनती है। प्रचार–प्रसार नहीं होगा तो सरकार की बात जनता तक नहीं पहुंचेगी। यही हमारी इसके अंदर भावना है। मैं पूछता हूं, कब तक आप पहुंचा देंगे ?

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1999 में करौली जिला बना था और जो डवलपमैंट के कार्य होते हैं वे स्टेजेज में होते हैं। निस्सन्देह सूचना और जन सम्पर्क का कार्य अति महत्वपूर्ण है, इसलिए ए.पी.आर.ओ. का पहले वहां कार्यालय था, उसको अपग्रेड करके पी.आर.ओ. का पद वहां स्वीकृत कर दिया गया। मैं करौली से आने वाले माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि जो नया बजट है उसके अन्दर फैक्स के लिए सुविधा उपलब्ध करा दी गई हैं। उसके लिए हमने फाइनेंस को भेज दिया है। वाहन के लिए उनका जो जिला पूल है उसमें अगर उपलब्धता नहीं है तो वाहन कांट्रैक्ट के ऊपर लेने की व्यवस्था कर दी गई थी लेकिन कांट्रैक्ट की शर्तें पूरी नहीं होने के कारण उस समय कांट्रैक्ट फोर्म नहीं हो सका और उनको वाहन उपलब्ध नहीं हो सका। अब नये बजट में कांट्रैक्ट के ऊपर वाहन लेने की व्यवस्था पूरी कर दी गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि एडवर्स सरकमस्टांसेज में अगर जरूरत हो व्हीकल की तो वे हायर कर के ले सकते हैं, विभाग इसके लिए निश्चित रूप से उनको कर देगा। कलैक्ट्रेट कार्यालय में फैक्स है उसका उपयोग वे कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि

(डा. जितेन्द्र सिंह)

ये दोनों ही चीजें फुलफिल कर दी गई हैं और सूचना और जन सम्पर्क का जो फंक्शन है वह एस्टैब्लिश रहेगा।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक क्वेश्चन और करना चाह रहा हूं, इसके अलावा मैं और समय नहीं लूंगा। आपने कहा है कि जिला पूल से व्यवस्था की जा सकती है, डिस्ट्रिक्ट पूल से हो सकती है। मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट पूल के पास ही कुछ उपलब्ध नहीं है, वहां कलैक्ट्रेट का ड्राइवर तक भी उन्होंने मेडिकल डिमार्टमैंट से ले रखा है। केवल 16 कर्मचारी करौली की जिला कलैक्ट्री में हैं, जो भी सवाई माधोपुर जिले से बिलकुल नकारा, घटिया दर्जे के छांट–छांट कर वहां भेज दिये गये। ऐसी स्थिति में जिला कलैक्ट्रेट की हालत खराब है तो आप पूल से वाहन की या फैक्स की सुविधा क्या ले लेंगे ? इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप कृपया अपने विभाग से ही करें क्योंकि वहां की जो हालत है वह मुझे मालूम है। सब जगह जो होता है उस बात के आधार पर आपने ठीक कहा है, लेकिन स्थिति जो है वह यह है।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, जिला करौली का मामला है।

श्री अध्यक्ष : बाद में। हां, मंत्रीजी।

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, जिला पूल में सात गाड़ियां उपलब्ध थीं, ड्राइवर आफ कोर्स दो ही थे वहां पर अगर वहां उपलब्धता नहीं है तो जब तक नये बजट के अन्दर हम उसका एनुअल कांट्रैक्ट नहीं साइन करते हैं तब तक अगर उनको व्यवस्था की जरूरत है तो वे हायर करके जो भी वाहन आवश्यकता के अनुसार लेंगे तो विभाग उसका भुगतान कर देगा।

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूपजी।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जिला कार्यालय के लिए तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर दी, जिला कार्यालय तो बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी उठाया, उसके पास कार्यालय भी नहीं है सरकारी। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, माननीय मंत्रीजी यह फर्माएं कि हमारे यहां इसका कार्यालय कब तक खोल दिया जाएगा, भवन कब तक बना दिया जाएगा और उसमें कब तक सारी सुविधाएं आप उपलब्ध करा देंगे। पहला नम्बर। दूसरा नम्बर मेरा यह है कि हमारे यहां की सारी न्यूज जिला हैडक्वार्टर पर नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि वहां फैक्स की व्यवस्था नहीं है। कितने दिनों में फैक्स की व्यवस्था कर दी जाएगी ? ये दो मेरे निवेदन हैं, मान्यवर।

डा. जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, चूंकि करौली नया जिला बना था और पूरी

(डा. जितेन्द्र सिंह)

बिल्डिंग्स की व्यवस्था नहीं थी तो वहां 2500 रुपये प्रति माह पर हमारा सूचना केन्द्र है। उसके पास अपना पूरा स्पेस है, कमरे हैं और एकमोडेशन पूरी है जो भी नये जिले का कार्य कर सकती है। नये भवन का प्रावधान आफ कोर्स फाइनेंस उपलब्धि के आधार पर ही हो पाएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि 2500 रुपये का जो भवन है करौली में वह पर्याप्त है, इस समय अपना कार्य कर रहा है।

नम्बर दो, टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा फैक्स के लिए, फैक्स के लिए मैं माननीय सदस्य को कहूंगा कि बजट में प्रावधान किया गया है। मैं इससे भी आगे बढ़ कर कहूंगा कि माननीय सदस्य अगर वित्तीय अव्यवस्थाओं को देखते हुए विधायक कोटे से भी बीस–बीस हज़ार की राशि दे दें तो राज्य हित में ठीक रहेगा। धन्यवाद।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, कितनी कीमत है उसकी, बताएं माननीय मंत्रीजी।

डा. जितेन्द्र सिंह : फैक्स बीस हजार का आता है।

श्री रामस्वरूप : तो दस हजार माननीय सदस्य दे देंगे करौली वाले और दस हजार की मैं घोषणा करता हूं, मैं दे दूंगा मेरे विधायक कोटे से।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप, नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री हीरासिंह चौहान।

जैतारण (पाली) में उचित मूल्य की दूकान से कैरोसिन आपूर्ति

285. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) एवं **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील जैतारण (पाली) में उचित मूल्य के दूकानदारों को कैरोसिन आपूर्ति किस एजेन्सी द्वारा की जाती है ? एजेन्सी का नाम तथा लाइसेंस क्रमांक की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त एजेन्सी को गत पांच वर्षों में कितना–कितना कैरोसिन का आवंटन किस–किस दुकान को आपूर्ति करने हेतु दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त एजेन्सी द्वारा समय पर दुकानदारों को कैरोसिन आपूर्ति नहीं करने तथा कालाबाजारी किये जाने की शिकायतें प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी, जैतारण द्वारा उक्त एजेन्सी का रिकार्ड ज़ब्त कर जांच की गई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त एजेन्सी को जांच में दोषी पाये जाने पर उसका अनुज्ञा–पत्र वर्ष 1999 में तीन माह के लिए निरस्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो अनुज्ञा–पत्र किस अधिकारी द्वारा किस वजह से बहाल किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या पूर्व में भी उक्त एजेन्सी का

(श्री हीरासिंह चौहान)

अनुज्ञा–पत्र निरस्त किया गया था ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

(6) क्या उक्त एजेन्सी की बार–बार अनियमितता एवं कालाबाजारी की शिकायतें प्राप्त होने एवं जांच में दोषी पाये जाने के बाद अनुज्ञा–पत्र निरस्त करने का सरकार विचार रखती है ?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रामकिशन वर्मा) : (1) तहसील जैतारण (पाली) के उचित मूल्य दुकानदारों को कैरोसिन तेल की आपूर्ति मैसर्स विक्रम आयल स्टोर, जैतारण, कैप्टन के, गुमान सिंह एण्ड संस, पाली; जयनारायण मोदी एण्ड संस, सोजत सिटी; मारवाड़ आयल एजेन्सी, मारवाड़ जंक्शन; जे.एन.मोदी, फालना व एस, रामरतन, रोहट द्वारा की गई हे जिनके लाइसेंस क्रमांक क्रमशः 92/89, 29/80, 24/80, 2/94, 967/98 एवं 141/82 हैं।

(2) उक्त एजेन्सियों को तहसील जैतारण (पाली) के लिए गत पांच वर्षो में वर्षवार आवंटित कैरोसिन की मात्रा का विवरण एवं तहसील जैतारण के समस्त कैरोसिन वितरक दुकानदारों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। मै. विक्रम आयल स्टोर, जैतारण की जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) मै. विक्रम आयल स्टोर, जैतारण की जांच के बाद उसका अनुज्ञा–पत्र तीन माह के लिए निलम्बित किया गया था एवं प्रवर्तन अधिकारी, जैतारण से मौके व रिकार्ड की पुनः जांच करवाई गई। पक्षकार को सुनवाई का अवसर देकर दिनांक 6.12.99 को उपखण्ड अधिकारी, जैतारण द्वारा अपने निर्णय में यह पाया गया कि डीलर द्वारा कोई गंभीर अनियमितता नहीं की गई है। प्रकरण में तकनीकी त्रुटियों को मद्देनजर रखते हुए डीलर की जमाशुदा प्रतिभूति राशि में से 500/– रुपये जब्त सरकार किये जाकर भविष्य में चेतावनी के साथ एजेन्सी का अनुज्ञा–पत्र बहाल किया गया।

(5) इससे पूर्व मै. विक्रम आयल स्टोर, जैतारण का लाइसेंस वर्ष 1994 में निलम्बित किया गया था, निरस्त नहीं किया गया था। लाइसेंस निलम्बन का कारण लाइसेंस की शर्त संख्या–8 व 10 का उल्लंघन करना था।

(6) भाग तीन में अंकित शिकायत के अलावा अतिरिक्त जिला जज, जैतारण के न्यायालय में एजेन्सी के विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है। न्यायालय द्वारा दोषी पाये जाने पर एजेन्सी के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने प्रश्न संख्या–3 के उत्तर में बताया है, मैसर्स

(श्री हीरासिंह चौहान)

विक्रम आयल स्टोर, जैतारण की जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से इस रिपोर्ट को थोड़ा–सा आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कि मैसर्स विक्रम द्वारा क्या–क्या गम्भीर धांधलियां की गई। आज दिनांक 26.10.99 को वक्त निरीक्षण विक्रम आयल स्टोर, जैतारण के कैरोसिन स्टाक एवं रिकार्ड की अचानक जांच करने पर पाया गया कि स्टाक रजिस्टर में अन्तिम प्रविष्टि, ये 26.10 को जांच कर रहे हैं मौके पर और 7.10.99, 19 दिन पहले तक की एण्ट्री स्टाक में पाई गई। स्टाक में एन्ट्री कम से कम 19 दिन पहले की मिली जिसमें अन्तिम स्टाक में 14555 किलोलीटर दर्ज है। आगे का विवरण रिक्त पड़ा है, पूरा खाली पड़ा है। इसी प्रकार दूसरा रजिस्टर है। दूसरे रजिस्टर में भी 7.10.99 तक की प्रविष्टियां पाई गई हैं और जिसमें तीन खुदरा विक्रेताओं का विवरण दर्शाया गया है और 4180 किलोलीटर आयल दर्शाया गया है। आगे की प्रविष्टियां पूर्णतः खाली पड़ी हैं। रसीद बुकों की जांच करने पर पाया गया कि 7.10.99 को अन्तिम रसीद कटी हुई है और 26.10 तक आगे इस रसीद बुक की शेष कुछ रसीदें 3193 से 3200 क्रमांक तक की पूर्णतः खाली छोड़ी गई हैं और नयी रसीद बुक 8.10.99 से 3201 क्रमांक इसमें अन्तिम रसीद है। स्टोर की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 7.10.99 को अन्तिम स्टाक 1099 लीटर कैरोसिन अंकित किया गया। लाइसेंसधारी को पूछने पर अवगत कराया गया कि 7520 लीटर केरोसिन आज 26.10.99 को बताया जाता है। माननीय मंत्री महोदय, यह जांच रिपोर्ट जो आपने सदन में रखी है उस जांच रिपोर्ट से स्वतः ही स्पष्ट है कि यह सबसे बड़ा डीलर है, आपने जिन चार–पांच पार्टियों का यहां पर नाम लिया उनमें अपने पिछले तीन–चार साल, में 1995–96, 1996–97, 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 में सबसे ज्यादा किलोलीटर कैरोसिन इसको दिया है। मतलब बाकी को तो किसी को 59 है, किसी को 12 है, किसी को 13 है। इसको वर्ष 1996–97 में 1473, 1997–98 में 1479, 1998–99 में 1914, 1999–2000 में 1759 किलोलीटर केरोसिन दिया गया है और इसका रिकार्ड फर्जी पाया गया। जब यह पाया गया और इसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया तो ऐसे क्या कारण हैं कि एस.डी.एम. ने तीन महीने बाद में केवल पांच सौ रुपये जुर्माना करके छोड़ दिया ? पहले जब पकड़ा गया 1994 में तब निलम्बित किया था, उसके तीन महीने बाद में इसको फिर आपने लाइसेंस दे दिया, इसका कारण बताइये आपने प्रश्न के उत्तर में आपने बताया है ये 8–10 शर्तें कौन–सी हैं ?

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, रिपोर्ट में तो यह सच्चाई है लेकिन फिर भी उपखण्ड अधिकारी द्वारा और प्रवर्तन अधिकारी द्वारा

(श्री रामकिशन वर्मा)

जांच की गई। उसमें उन्होंने जो छोटी–मोटी कमियां पाई उसके लिये पांच सौ रुपये का दंड लगाया गया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह छोटी–मोटी क्या होती है ?

श्री रामकिशन वर्मा : आप आगे तो सुनें। और उसका लाइसेंस निलम्बित कर दिया गया। लेकिन दुबारा जांच के ऊपर उन्होंने आस–पास के लोगों और सरपंच को भी और इलाके के लोगों को भी बुलाया तो उन्होनें भी उसकी सिफारिश की। लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य की भावनाओं को समझते हुए इसकी अलग से जांच करवाऊंगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करवाऊंगा।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय मंत्रीजी, एक किलोलीटर में कितने लीटर कैरोसिन होता है ?

श्री रामकिशन वर्मा : इसकी आप अलग से बात करें, मैं बता दूंगा।

श्री हीरासिंह चौहान : आप रसद मंत्री हैं, एक किलोलीटर में कितने लीटर कैरोसिन होता है ?

श्री रामकिशन वर्मा : एक हजार।

श्री हीरासिंह चौहान : एक हजार होते हैं तो क्या आप इसको साधारण मानते हैं ? इसको आप साधारण ले रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : दो होता है दो। धारीवालजी को पता है, इन्होंने बताया है।

श्री रामकिशन वर्मा : एक हजार होता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं–नहीं, दो होता है।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : 30 होता है 30।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, कैरोसिन, पैट्रोल और डीजल एन्फोर्समैंट आफीसर सारे इन्हीं के चैक करते हैं। रायपुर और जैतारण क्षेत्र में जितने भी डीजल आयल पाइंट दिये गये है उनमें सब में कैरोसिन डाला जाता है। मैं एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करना चाहता हूं। 15 नवम्बर, 1999 को टैंकर संख्या आर.जे. 19जी 4853 यह पेट्रोल का टैंकर है इसमें कुशालपुरा में पैट्रोल के चार ड्रम निकाले गये और उसकी जगह चार ड्रम कैरोसिन के डाले गये उसको मौके पर एस.डी.एम., डीवाई.एस.पी. और सबने पकड़ लिया, लेकिन पकड़ने के बावजूद भी आज दिन तक उस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस प्रकार की हेराफेरी जितने भी हैं, सभी जगह हो रही है।

श्री रामकिशन वर्मा : इस प्रकार की जो भी शिकायतें मुझे मिलेंगी मैं उनकी जांच करवाऊंगा अलग से और जो भी मिलावट वाला आएगा उसके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे। एजेन्सी के खिलाफ

(श्री रामकिशन वर्मा)

कार्यवाही भी करेंगे और दोषी पाये जाने के बाद उसको निलम्बित भी करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि जांच रिपोर्ट और उसके तथ्य आपके सामने मौजूद हैं। आपने निर्णय किया कि उस पर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया जाए तो यह तो प्रूव हो गया कि निश्चित रूप से आपने उसको दोषी माना। जितना उसका गुनाह था और जितनी उसने हेराफेरी की थी और पूर्व में भी की थी, उसके अनुपात में यह पांच सौ रुपये जुर्माना क्या इस विभाग को व्यवस्थित करने में और इस कालाबाजारी को रोकने में समर्थ हो पाएगा ?

श्री रामकिशन वर्मा : यह बात तो सही है कि यह सजा कम मिली। अगर पूरी जानकारी मेरे पास आएगी यह जितना भी तेल का मामला पहले के लोगों ने दिया हुआ था मेरे सामने वह तेल नहीं बढ़ाया गया लेकिन 3/7 की कार्यवाही उसके खिलाफ कोर्ट में चल रही है, ज्यों ही न्यायालय का फैसला आएगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय, कृपया यह बताएं कि यह कालाबाजारी कब से हो रही थी ? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : माननीय मंत्री महोदय, आप...

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : यह छोटे–से मामले में हथियार बहुत बड़ा उठा लिया आपने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, हथियार नहीं उठा रहा हूं। मुझे जरा यह लग रहा है कि ये शांति धारीवालजी के कहने से जवाब दे रहे हैं और यह सब दुनिया को मालूम है कि इनके सम्बन्ध कैसे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : मेरे और उसके सम्बन्ध वो ही हैं जैसे आपके और रामदासजी के हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है। कृपया आप सावधान रहना बस। आपने प्रश्न संख्या–6 के उत्तर में कहा है कि भाग–3 में अंकित शिकायत के अलावा अतिरिक्त जिला जज, जैतारण के न्यायालय में एजेन्सी के विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है, मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह कार्यवाही तो आपने ही की है न ?

श्री रामकिशन वर्मा : यह कार्यवाही चल रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आपने ही की है न ?

श्री रामकिशन वर्मा : हमने नहीं की यह कार्यवाही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो ?

श्री रामकिशन वर्मा : जब उसकी जांच हुई और उसको दोषी पाया गया तो यह कार्यवाही की गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह किसने की है, मैं तो यह पूछ रहा हूं।

श्री रामकिशन वर्मा : हमारे अधिकारियों ने की ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके अधिकारियों ने की ?

श्री रामकिशन वर्मा : हां।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो जब धारा 3/7 में आप एक्शन ले सकते हैं तो उसका लाइसेंस क्यों नहीं निरस्त किया ?

श्री रामकिशन वर्मा : वह कोर्ट में केस गया हुआ है, कोर्ट का जो भी फैसला होगा...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोर्ट के फेसले की जरूरत ही नहीं है, आपने जब चालान किया तो आप सस्पैंड कर सकते हैं।

श्री रामकिशन वर्मा : लेकिन कोर्ट के बावजूद...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चाहे कोर्ट में केस चल रहा हो...

श्री रामकिशन वर्मा : कोर्ट में केस चलने के लिए यह मौजूद है तो उसके बीच में दखल नहीं कर सकते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिये, श्रीमान् प्राइमाफेसी केस साबित हो गया तब जाकर आपने 3/7 में चालान किया है। चालान किया है तो आप उसका लाइसेंस निरस्त कर देते। अब यह धारीवालजी कह देंगे तो कर देंगे।

श्री रामस्वरूप : यह तो आपके टाईम का ही मामला है।

श्री रामनारायण चौधरी : निरस्त तो कर नहीं सकते, सस्पैंड कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, सस्पैंड, वही कह रहा हूं। सस्पैंड कर देते।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, सस्पैंड कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सस्पैंड कर सकते हैं तो सस्पैंड कर दें। झंझट मिटा।

श्री अध्यक्ष : केस सब जुडिस है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : लॉ की राय के बाद आवश्यक कार्यवाही हो जाएगी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : लॉ की राय के बाद।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता अब कालाबाजारियों का लाईसेंस कैन्सिल कराने का सुझाव दें तो मैं समझ सकता हूं।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : बदनाम बचने नहीं चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कि क्या कानून में लाइसेंस निलम्बित करने का आपके पास अधिकार है ? अधिकार हैं तो क्या इस केस को आप इस लायक नहीं समझते कि इसमें लाइसेंस को रद्द किया जाए ? आप क्यों बचाना चाहते हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : 3/7 का चालन हो गया पहले, निरस्त कैसे कर देंगे ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह अलग बात है।

श्री हीरासिंह चौहान : चालान बिलकुल अलग है, लाइसेंस अभी तक कंटीन्यू है, उसका कारण बताओ। आप इसका लाइसेंस कब रद्द करेंगे ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि यह जो दोषी आयल कम्पनी है...

श्री अध्यक्ष : केस सब जुडिस है, केस कोर्ट में है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या इस मामले को आप इतना गंभीर नहीं समझते ? वह दो बार ब्लैक मेलिंग करते पकड़ा जाए तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाए, इसको आप इतना गंभीर नहीं समझते ? नहीं समझते तो जवाब दे दीजिए आप। (व्यवधान)

श्री रामकिशन वर्मा : अधिकार है लेकिन, मामला कोर्ट में जाने के बाद जब तक उसका निर्णय नहीं हो जाता हम निलम्बित नहीं कर सकते।

श्री हीरासिंह चौहान : विभागीय कार्यवाही होती है, कोर्ट में चालान करना एक अलग चीज है। विभागीय कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : कोर्ट में चले गये कोई बात नहीं, विभागीय कार्यवाही तो करों उसके खिलाफ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं यह पूछना चाहता हूं कि 3/7 में चालन होने के पश्चात् क्या आप उसका लाइसेंस रद्द कर सकते हैं या नहीं कर सकते ? आपको जानकारी नहीं है तो पूछ लीजिए। लाइसेंस रद्द कर सकते हैं। चालान कर दिया उसके बाद भी आप लाइसेंस रद्द कर सकते हैं असेंशल कमोडिटी, एक्ट की धारा तो पढ़ो आप।

श्री रामनारायण चौधरी : 3/7 में रद्द करना और निलम्बन करना, दोनों अलग–अलग हैं।

श्री अध्यक्ष : केस कोर्ट में है और सब जुडिस है, उसका फैसला होने दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह सब जुडिस नहीं माना जाता।(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह मामला 3/7 में डिस्ट्रिक्ट जज के पास सब जुडिस है। सब जुडिस में किसी भी मैटर में कोर्ट आफ लॉ में कोई एक्शन लेना कोर्ट आफ लॉ का अपमान है। (व्यवधान) यदि कोर्ट आफ लॉ यह कहे तो वह सस्पैंड हो सकता है (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उसका जो लाइसेंस है उस पर कोई सब–जुडिस नहीं

(श्री अमराराम)

है। इसलिए जब काला बाजारी में कोर्ट में चालान हो गया तो उस व्यक्ति का लाइसेंस निरस्त और निलम्बन होना अति आवश्यक है वरना उसको बढ़ावा देना होगा।

श्री अध्यक्ष : बैठिए आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, 3/7 ई.सी.एक्ट में चालान होने के पश्चात् भी एक–दो नहीं कई बार लाइसेंस रद्द हुए हैं जहां गंभीर रूप से अनियमितता पाई गई है।

श्री अध्यक्ष : केस कोर्ट में है।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बिलकुल गलत पोजिशन ले रहे हैं, क्योंकि जो चालान हुआ है मान लीजिए, अंततोगत्वा चालान में उसका एक्वीटल हो जाता है, तो क्या आप लाइसेंस रद्द कर सकते हैं या नहीं कर सकते है ? डिपार्टमैंटल प्रोसिडिंग अलग चीज है। यह एलिबी बिलकुल गलत है। उनके पास और कोई दूसरे रीजन्स हों, वह बात अलग है लेकिन यह कहना कि मैटर सब जुडिस है, यह बिल्कुल गलत है Contrary to the law of the land.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस संबंध में विधि मंत्रीजी से राय ले लीजिए आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया है कि आप यह केस मेरे पास भेज दो, मैं आपको लीगल ओपीनियन दे दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसका मतलब आप उनको सक्षम नहीं समझते ?

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम सवाल पूछना चाहता हूं, इस आयल कम्पनी का लाइसेंस कब तक रद्द कर दोगे ? इसका तो कम से कम उत्तर आ जाए।

श्री रामस्वरूप : जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो कैसे रद्द कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री राम प्रसाद।

राज्य में हिरण व मोरों के शिकार के दर्ज मुकदमे

286. **श्री रामप्रताप** (हनुमानगढ़) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

जनवरी, 1999 से फरवरी, 2000 तक हिरणों और मोरों के शिकार के कितने मुकदमे दर्ज हुए ? उक्त में से कितनों का चालान हुआ और कितने मुकदमों में अंतिम रिपोर्ट दी गई ? माहवार एवं जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष : राज्य सरकार सूचना संकलन नहीं कर सकी है, यह लंबा क्वेश्चन है इसलिए 15 दिन के लिये इसको स्थगित किया जाता है। (व्यवधान) नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री संयम लोढ़ा।

सिरोही आगार में वाहन चालकों/ परिचालकों के रिक्त पद

287. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सिरोही आगार में वाहन चालक/परिचालक के कितने पद रिक्त हैं ? उक्त कारण से निगम की कितनी व कौन–कौन से मार्ग की बस सेवाएं प्रभावित हुई हैं ? उक्त रिक्त पदों को भरने की क्या व्यवस्था की गई है ?

(2) उक्त आगार का वर्ष 1998–99 एवं 1999–2000 का घाटा कितना है और इसके क्या कारण हैं ?

(3) आबू रोड़ आगार का वर्ष 1998–99 एवं 1999–2000 में घाटा कितना है और इसके क्या कारण हैं ?

यातायात मंत्री (श्री छोगाराम बाकोलिया) : (1) परिवहन निगम के सिरोही आगार में 3 चालकों के पद रिक्त हैं, परिचालकों के कोई पद रिक्त नहीं हैं। चालकों के रिक्त पदों से कोई बस सेवा प्रभावित नहीं है।

(2) सिरोही आगार में वर्ष 1998–99 में रुपये 2.34 लाख का लाभ रहा है। 1999–2000 (माह फरवरी) तक रुपये 89.17 लाख की हानि रही है। घाटे के मुख्य कारणों का विवरण निम्नानुसार है :

1. संचालित बसों की संख्या में कमी होने के कारण संचालित किलोमीटर एवं संचालित आय में कमी होना।

2. डीजल एवं टायर–ट्यूब, बैटरी आदि की लागत में वृद्धि होना।

3. यात्री कर की प्रति किलोमीटर लागत में वृद्धि होना।

4. संस्थापन लागत में वृद्धि होना।

5. निःशुल्क एवं रियायती यात्रा सुविधा।

6. पहाड़ी क्षेत्र होने से डीजल की खपत अधिक होना।

7. अनधिकृत वाहनों का संचालन एवं

8. घाटे का एक कारण आगार स्तर पर प्रशासनिक शिथिलता भी रहा है। शिथिलता के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु प्रबन्ध निदेशक को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं।

(3) आबू रोड़ आगार में वर्ष 1998–99 में रुपये 7.36 लाख की हानि रही है। 1999–2000 (माह फरवरी) तक रुपये 85.69 लाख की हानि रही है। घाटे के मुख्य कारणों का विवरण प्रश्न के भाग–2 के उत्तर में दिया गया है।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया हे उसमें भाग संख्या एक का अधूरा उत्तर दिया है। आपने यह नहीं बताया है कि रिक्त पदों को भरने की क्या व्यवस्था की गई है। भाग संख्या दो के उत्तर में आपने बताया कि संचालित बसों की संख्या में कमी हुई है, वह कमी किस कारण से हुई है ? तीसरा, रोडवेज में सिरोही जिले में

(श्री संयम लोढ़ा)

तीस डिपो रेवदर में खोला है जो आबू रोड डिपो से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या आपने अपने क्षेत्र में इस डिपो को खोलने में मानदण्ड का उल्लंघन नहीं किया है ? सिरोही और आबू रोड डिपो से कितनी बसें रेवदर डिपो को स्थानान्तरित की गई ? क्या इस वजह से सिरोही डिपो का घाटा नहीं बढ़ा है ?

चौथा, 1998–99 में सिरोही आगार लाभ में रहा और 1999–2000 में 89.17 लाख रुपये की हानि हुई। आपने जो घाटे के कारण बताये हैं, 1998–99 में जब सिरोही डिपो लाभ में रहा तब भी वे सारे कारण मौजूद थे। क्या उस वक्त निःशुल्क एवं रियायती यात्रा सुविधा नहीं थी ? क्या उस वक्त सिरोही जिला पहाड़ी क्षेत्र में नहीं था ? क्या उस वक्त अनधिकृत वाहनों का संचालन नहीं था ? ये सब कारण तब भी मौजूद थे इसके बावजूद लाभ इस साल 89 लाख रुपये की हानि में आया। आपने उत्तर दिया है कि प्रशासनिक शिथिलता भी घाटे का एक कारण रहा है। क्या आप यह नहीं मानते कि आपके गृह जिले में प्रशासनिक शिथिलता की वजह से रोडवेज घाटे में जाती है ? यह आपकी अक्षमता का उदाहरण नहीं है ?

श्री छोगाराम बाकोलिया : सिरोही से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने अपनी बात कही कि रिक्त पदों को भरने की क्या व्यवस्था की जा रही है। मैंने प्रश्न के उत्तर में ही कहा है कि इन रिक्त पदों को नहीं भरना कोई घाटे का कारण नहीं है और संचालन पूरी तरीके से ठीक से चल रहा है, इसलिए 3 चालकों के पद भरने की कोई विशेष बात नहीं आती और आवश्यकता भी नहीं है। दूसरी बात कि संचालन में कमी के क्या कारण रहे। माननीय विधायक महोदय रूरल एरिया में कम जाते हैं, रूरल सर्विसेज की जितनी भी बसें हैं वो वायबल नहीं होने के कारण संचालन को कर्टेल किया जाता है। कर्टेल करने के कारण से उनका संचालन कम हुआ है, बाकी और किसी मेजर कारण से संचालन को किसी भी तरीके से कर्टेल नहीं किया गया। जहां वायबिलिटी कम है या और कई कारण हैं, जैसा मैंने बताया प्रशासनिक शिथिलता का कारण, आम विधायकगण जानते हैं कि लीकेज आफ रेवेन्यू एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। परिचालक और सब मिलकर जो घाटा देते हैं वह एक मेन कारण है। उसके ऊपर हम गहराई से चिंतन कर रहे हैं और उस पर कार्यवाही भी कर रहे हैं। भ्रष्ट और निकृष्ट कर्मचारियों को निकालने की पहल की है जिससे एक बहुत बड़ा कारण घाटे से पाटने का बना है। इसके साथ–साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा, हम आर.एस.आर.टी.सी. के बस संचालन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं। आज 3093 बसें कान्ट्रैक्ट कैरिज चलती है, उस कान्ट्रैक्ट कैरिज को हम रोकना चाहेंगे तभी उसके ऊपर तीन हजार

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

बसों की खरीद करके चलाया जाएगा तो उसमें पर बस 5.2...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रतिशत।

श्री छोगाराम बाकोलिया : नहीं, नहीं पांच से छह कर्मचारी काम करते हैं उसमें कमी आएगी क्योंकि 4700 पहले चल रही हैं, तीन हजार और जुड़ जाएंगी तो फर्क... (व्यवधान) सेवा करने वाला संस्थापन खर्च कम आएगा। संस्थापन खर्च कम आएगा तो लाभ की तरफ हम बढ़ सकते हैं।

तीसरा, इस आधार पर कलैण्डेस्टाइन बस संचालन पर अंकुश लगाने के लिये सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। हर स्तर पर हो रही आय में लीकेज को रोकने का कारगार उपाय होगा तभी इस तरह के घाटे के कारण को कम कर सकते हैं इस तरह आयं उपार्जित करने वाले परिचालकों को प्रोत्साहित करने के लिए राशि देने की कार्यवाही की जाएगी, तब भी घाटा कम हो सकता है। टिकट पर लक्की पारितोषिक योजना जैसे मुख्य मंत्रीजी ने चाहा है, उसी के अनुरूप हम कार्यवाही करेंगे, जब जाकर रोडवेज की तरफ यात्रा करने की बढ़ोतरी हो सकेगी और घाटे को हम पाट सकते हैं। इसी तरह आगार स्तर पर जैसे कि मैंने पूर्व में कहा निष्कृष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों पर पूर्ण ध्यान रखा जाए और आय में बाधक के खिलाफ कार्यवाही होने के कार्य होने चाहिये, तभी हम निर्वहन लाभ ले सकते हैं।

इसी प्रकार निःशुल्क और रियायती यात्रा सुविधा का भरण–पोषण, हम चाहते हैं कि राज्य सरकार करे। अलग से रोडवेज का यह काम हमने परस्यू किया है। राज्य सरकार की सहमति आने के बाद में इस घाटे को पाटने के लिये 130 करोड़ की मांग की है, उसमें घाटा कम किया जा सकता है। अभी घाटा कम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, अधिक बस संचालन से प्रति वर्ष, जो अभी मैंने कहा, छह कर्मचारी में कमी आएगी और घाटे में कमी आएगी। तभी जाकर ठीक रहेगा।(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मेरा मूल प्रश्न है उसके मुतल्लिक जवाब नहीं है।(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्य।(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मैंने जो प्रश्न रखा है उसके मुतल्लिक जो जवाब नहीं है। पहले तो जवाब दीजिये।(व्यवधान) पूरक प्रश्न है उसका जवाब दीजिये।(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : मेरा पूरा जवाब सुन लीजिए।(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मैंने प्रश्न यह उठाया है कि सिरोही और आबूरोड डिपो को पिछले एक वर्ष में दो करोड़ का घाटा हुआ है। (व्यवधान) आपका जवाब मेरे प्रश्न से ताल्लुक नही रखता है। मैंने, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : श्रीमान् जी मेरा एक निवेदन है, आप सिरोही जिले के रहने वाले हैं और रेवदर 25 किलोमीटर बता रहे हैं। 35 किलोमीटर को अगर 25 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कम बता दें तो यह तो बहुत गंभीर बात है। हमने डिपो खोला है वह 50 लाख से ज्यादा सालाना आय देगा। हम क्या 50 लाख की आय को कम करना चाहते हैं ? हम चाहते हैं कि रूरल एरिया के अंदर हर जगह डिपो खोलें। जिला स्तर पर जहां डिपो नहीं हैं। जैसलमेर में नहीं है और दूसरी जगह पर नहीं है, वहां पर डिपो खोलें ताकि...(व्यवधान) हम बसों का संचालन पूरे रूरल एरिया में पूरा करें जनता की मांग है और इच्छा है कि हर जगह पर बसों का संचालन हो। प्रति दिन हमारे पास मांग आती रहती है उसी के अनुरूप करने की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रतनाराम : हमारे रानीवाड़ा में भी है, वहां पर भी डिपो खोला जाए।(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मेरा मूल प्रश्न यह है कि रोडवेज के डिपो खोलने के जो निर्धारित मापदण्ड हैं, रेवदर में डिपो खोलने में उनका उल्लघंन नहीं किया गया है। (व्यवधान) मेरा पूरा क्वेश्चन सुन लीजिये। आप फरमा रहे हैं हम ग्रामीण सेवा देना चाहते हैं, सच्चाई यह है कि आबू रोड़ से सिरोही तक बसें जो पिण्डवाड़ा स्वरूपगंज होकर आती थी, उन सब बसों को डाइवर्ट करके रेवदर से चलाया जा रहा है। वे सारे पैसेंजर जो सिरोही डिपो को मिल रहे थे, अनधिकृत वालों को मिल रहे हैं। यह सबसे बड़ा कारण है कि सिरोही डिपो लाभ से 89 लाख रुपये के घाटे में चला गया।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। मंत्रीजी।

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात समझ नहीं पाया हूं कि रेवदर में डिपो खोलने से उनको क्या तकलीफ हो रही है। लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मुझे तकलीफ इसलिये हो रही है कि आपने दो करोड़ रुपये का +++ गरीब जनता को, सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए।

श्री छोगाराम बाकोलिया : घाटे का कोई रेवदर के कारण से...(व्यवधान) रेवदर का डिपो तो अभी खुला है, दो महीने हुए हैं। वहां घाटे का यह कारण बताने का कोई कारण नहीं है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी, आपने रोडवेज को एक करोड़ का+++...(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : यह तो ऊपर से थोपना चाहते हैं कि यह एक कारण है घाटे का। रेवदर के कारण से कोई घाटा नहीं हुआ है, घाटा पूरे राजस्थान में हो रहा है। आप पिटारे में जाइये, आपको कोई कारण बताये, उसके कारण से घाटा जा

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

रहा है। केवल रेवदर के डिपो खोलने से कोई घाटा नहीं है।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री यादव।

श्री छोगाराम बाकोलिया : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि रेवदर का जो डिपो खुला है वह पूर्णतः एग्जामिन होकर, वायबल और जस्टिफाइड होने के बाद में डिपो खोला है। आपको जो इनफारमेशन मिली है वह निराधार है। आप उसके कारण मिसगाइड मत होइये।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री जगमाल सिंह यादव।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने जो घाटे के कारण गिनाये, बात सही है कि ये हो सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि मुख्य मंत्रीजी आर.एस.आर.टी.सी. में इस घाटे के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। इसलिये जिम्मेदार हैं कि रोडवेज को धर्मशाला समझ रखा है। लंगड़े–लूले रोडवेज में सफर करें, समाज कल्याण विभाग के लोग रोडवेज में सफर करें, जो पत्रकार साथी बैठे हुए हैं ये डी.पी.आर. के लोग रोडवेज में सफर करें, हर स्कूल में बैठा हुआ हैडमास्टर फ्री पास दे रहा है ओर गुलाब सिंह शक्तावत साहब के जितने वर्दी धारी हैं ये रोडवेज में सफर करते हैं। भैरोंसिंहजी, आपको याद होगा, आपने 91 में 34 करोड़ रुपये के लगभग इन विभागों से आर.एस.आर.टी.सी. को दिया था और रोडवेज का घाटा कम हो गया। रोडवेज तो कमा रही है. लेकिन होम डिपार्टमैंट, शिक्षा विभाग, डी.पी.आर. और समाज कल्याण विभाग के जो लोग फ्री यात्रा करते हैं, मुख्य मंत्रीजी आप इनकी भरपाई कीजिये ना। रोडवेज तो कमा रही है, बैलेन्स शीट में घाटा आ रहा है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब, रोडवेज का जो भैरांसिंहजी ने भरपाई किया था उसके बाद इन चारों विभागों पर 110 करोड़ रुपये बकाया है। अगर वे 110 करोड़ रुपये को दे दिये जाए तो रोडवेज आज की तारीख में घाटे में नहीं है बल्कि मुनाफे में चल रही है। इसको धर्मशाला समझ रखा है। चाहे जो चीफ मिनिस्टर आदेश कर देते हैं, होम मिनिस्टर आदेश कर देते हैं, जोशीजी आदेश कर देते हैं कि फ्री पास दो। कोई धर्मशाल है ? कारपोरेशन है, आटोनामस बॉडी है। इसको कारपोरेशन केवल इसलिए बनाया गया था, मुख्य मंत्रीजी कि इसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं रहे। आप 110 करोड़ रुपये चीफ मिनिस्टिर साहब से मांगिये, फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मांगिये। रोडवेज घाटे में नहीं, मुनाफे में है। तीस करोड़ रुपये के मुनाफे में आज आ जाएगी, इसकी बैलेंस शीट बदल जाएगी। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, भैरोंसिंहजी के मंत्रिमण्डल में रहने वाले ट्रांसपोर्ट मंत्री यादव साहब ने जो बात रखी सामने, मैं उसमें एक ही बात कहना चाहता हूं। राजस्थान की जब से नई सरकार बनी

(श्री जनार्दन गहलोत)

हैं, कल्याणकारी सरकार है, विकलांगों को अगर हम फायदा दे रहे हैं और उनको फ्री टिकट सरकार दे रही है तो जगमाल सिंहजी को इस बात के लिये एतराज नहीं होना चाहिये। यह पहली सरकार है जिसने विकलांगों के लिये यह निर्णय किया। (व्यवधान) भैरोंसिंहजी की सरकार ने क्यों नहीं दी ?

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं यह नहीं कहता हूं कि यह सुविधा बंद कर दी जाए। (व्यवधान) आप मेरी बात समझे नहीं। (व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि चाहे जितनी छूट दें, लेकिन समाज कल्याण विभाग... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : जब विधायक बैठ सकते हैं तो विकलांग क्यों नहीं बैठ सकते, पत्रकार क्यों नहीं बैठ सकते इसके अंदर ? आप विकलांगों का पत्रकारों का, सब का विरोध कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : +++ बोल रहे हैं और मेरे को अकल दे रहे हैं। मैं यह कहता हूं कि चाहे जितने फ्री पास दें डी.पी.आर. को दें, पुलिस को दें, शिक्षा विभाग को दें, समाज कल्याण विभाग को दें बल्कि और बढ़ा दें लेकिन इन विभागों से पुनर्भरण रोडवेज़ को कराया जाए। रोडवेज धर्मशाला नहीं हैं। आप दुगने पास दें, मेरे को कोई एतराज नहीं है। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : मेरी बात सुन लीजिए आप। भाषण तो पूरा कर लेने दीजिये।(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : जो इंसान रोडवेज में सफर करे, जो विभाग रोडवेज में सफर करे उसको रोडवेज की देनदारियों को चुकता करना चाहिये। जैसे एम.एल.ए. को फ्री पास है, एम.एल.ए. फ्री सफर करता है।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अनुपूरक प्रश्न पूछिये। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : एम.एल.ए. को पास दिया हुआ है लेकिन एम.एल.ए. का पैसा विधान सभा पुनर्भरण करती है, वह रोडवेज़ को पैसे का चुकारा करती है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : एम.एल.ए. को सफर करने को विधान सभा पैसा देती है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : एम.एल.ए. को कोई फ्री पास नहीं हैं यह जनता में गलत न्यूज जाएगी कि हमें फ्री पास है। हमारा कोई फ्री पास नहीं है। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, आप उचित समझें तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बारह बीघा जमीन मंत्री महोदय के रिश्तेदार के द्वारा खरीदी गई है। धर्मशाला बना दी गई है।(व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री मोहन लाल मोदी : मैं भी मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं।(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री महोदय ने गलत नियमों के विरुद्ध खोला है।(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय जगमाल सिंहजी ने जो पीड़ा बताई है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार की इसमें कोई कोताही नहीं है। राजस्थान स्टेट रोडवेज ने अपनी मांग बहुत देर से दी है, अभी जब घाटे की स्थिति आयी है तब जाकर के उनकी नींद जगी और अपनी तरफ से मेरे को मांग की है 110–20–30 करोड़ की पिछले टाइम में कहां–कहां, कितनी मात्रा की उसके बारे में विशेष विवरण देकर के उनको आथेंटिसिटी नहीं दी थी, इसलिए मैंने उसको वापस एक्जामिन कराया। फिर वापस आया और अभी मैंने राज्य सरकार के सामने भेजा है। उस पर निर्णय होगा, उसके अनुरूप कार्यवाही कर देंगे। घाटे से निकालने के लिये कोशिश कर रहे हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : विलम्ब नहीं हुआ है, भैरोंसिंहजी ने 34 करोड़ रुपये का पुनर्भरण का दिया था।(व्यवधान) घाटे में चल रही है।(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : मंत्री महोदय, क्या आपको यह जानकारी है कि पिछली सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने नीमकाथाना का बस स्टैण्ड अपने एक +++ उसमें लगाकर के करोड़ों रुपये का घाटा पहुंचाया है ? +++ जो उसके चुनाव में रुपया खर्च करता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। श्री लक्ष्मण सिंह रावत।

श्री मोहन लाल मोदी : इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि इसकी जानकारी कीजिए कि कितने रुपये का नुकसान हो रहा है आपके वहां

श्री छोगाराम बाकोलिया : अवश्य जांच करवा देंगे।

श्री मोहन लाल मोदी : पैसेंजर्स को कितनी तकलीफ हो रही है, बारिश में बैठने की जगह नहीं है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप मुझे लिखकर भेजिये, उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री मोहन लाल मोदी : मैंने लिखा है, साहब। मैंने आपके विभाग को लिखा है, इसलिये निवेदन कर रहा हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि रेवदर का जो डिपो खोला गया है वह नियम विरुद्ध है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में स्वयं स्वीकार किया है कि उनके विभाग की प्रशासनिक विफलता भी इस घाटे का एक कारण रही है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री लक्षमण सिंह रावत)

उनके स्वयं के होम डिस्ट्रिक्ट में पिछले वर्ष में आबू आगार में 90–80 लाख का और सिरोही में करीब 90 लाख का घाटा, 2 लाख से बढ़कर 90 लाख का घाटा हो जाए तो आपके विभाग की इस प्रशासनिक विफलता के लिये आपने कभी कोई जांच करवायी है ? कभी आपने किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही की ? कभी आपने उसको मॉनिटर किया ? क्या यह आपकी स्वयं की विफलता को जाहिर नहीं करता है ? कृपया इसको स्पष्ट कीजिए।

श्री छोगाराम बाकोलिया : हमारे स्वयं की विफलता का कोई कारण नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस प्रकार के कारपोरेशंस में गवर्नमैंट जो रियायतें देती है, उन रियायतों के अगेंस्ट में आप उसको रिएम्बर्स करने की व्यवस्था के पक्ष में हैं या नहीं हैं ?

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि जितने भी कारपोरेशंस ऐसे हैं सिद्धान्त रूप से उनको पुनर्भरण करना चाहिए। अब वह बात अलग है कि जो हालत है, राज्य सरकार की हो, चाहे भारत सरकार की हो, उसमें कई बार इस प्रकार की व्यवस्था हो नहीं पाती है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि आने वाले वक्त में इस प्रकार की व्यवस्था हो जिससे कारपोरेशन इन कारणों से घाटे में नहीं रहे।

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं, तो रोडवेज में घाटा क्यों बता रहे हैं, मुख्य मंत्रीजी ? रोडवेज जब कमा रहा है तो रोडवेज की बैलेंस–शीट बदल जाएगी। उसमें आप यह घाटा क्यों बता रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री खेमराज कटारा नहीं हैं, अनुपस्थित।

प्रश्न संख्या-288

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रतन लाल जाट।

जिला भीलवाड़ा में राहत कार्य

289. **डा. रतन लाल जाट** (सहाड़ा) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) इस वर्ष वर्षा की कमी के कारण कितने ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है ? संख्या सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला भीलवाड़ा में रोजगार देने, पशुओं के लिए चारे व पशु आहार की व्यवस्था हेतु एवं पेयजल हेतु अब तक क्या प्रबन्ध किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सहायता एवं पुनर्वास (श्री परसादी लाल) : (1) इस वर्ष (संवत् 2056) वर्षा की कमी के कारण 26 जिलों के 23406 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

(श्री परसादी लाल)

जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिला भीलवाड़ा में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 1138 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। पशुओं के चारे हेतु अब तक 150 चारा डिपो स्वीकृत किये गये हैं, उनमें से 57 चारा डिपो चालू हो चुके हैं। पशुओं हेतु 10 गौ–शालाओं के 2045 बड़े एवं 167 छोटे पशुओं के लिये माह मार्च, 2000 के लिये 1,97,850.50 रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

पेयजल हेतु 324 सार्वजनिक कुओं को गहरा कराने के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। जलदाय विभाग द्वारा 15 नलकूपों के बैधन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा एक स्रोत सुधार का कार्य पूर्ण हो गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

डा. रतन लाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अकाल की भंयकर विभीषिका है। सरकार ने अपने बजट भाषण में अकाल के कारण किसी भी तरह की जन हानि एवं पशु हानि नहीं होने दी जाएगी, यह बात कही है। साथ ही यह भी कहा है कि हमारी वित्तीय स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सरकार अकाल राहत कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी और उसके लिये धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अकाल की स्थिति के बारे में कहा गया है कि सरकार ने अभावग्रस्त जिलों में राहत कार्य आरम्भ कर दिये हैं, पशुधन की रक्षा के लिये आवश्यकतानुसार चारा डिपो और पशु शिविर खोल दिये हैं, और समस्याग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल टैंकरों को उपलब्ध कराना भी आरम्भ कर दिया है और विषम परिस्थितियों के बावजूद भी अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य, पशुओं के लिये चारे का प्रबन्ध, पेयजल व्यवस्था युद्ध स्तर पर करने का निर्णय लिया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान में अकाल की भीषण विभीषिका है, पशुधन नष्ट हो रहा है, मर रहा है, चारे की कमी है, पानी की कमी है, पशु शिविर खोलने की जो बात कही गयीं है, वे खोले नहीं गये हैं। सैकड़ों गायें और पशु मर रहे हैं, उनको ट्रैक्टरों से खींच–खींच कर लाकर डाला जा रहा है। कई जगह तो लोग गायों के तिलक लगाकर, कपड़ा बांध--बांध कर उनको छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनका पालन–पोषण वे नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति राजस्थान में हो रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल राहत के बारे में सरकार कितनी संवेदनशील है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो रविवार को ही देखने को मिला जब राजस्थान में अकाल संघर्ष समिति जिसमें लगभग 60 संगठन थे, सब मुख्य मंत्रीजी से मिलकर आये थे। जब उनसे मिलकर आए थे, राजस्थान की अकाल की स्थिति के बारे

(डा. रतन लाल जाट)

में उनसे निवेदन किया था कि चारे की कमी है, पानी की कमी है, पशु मर रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं। इन संगठनों का बयान यह था कि मुख्य मंत्रीजी इसके बारे में संवेदनशील नहीं है।

अकाल राहत मंत्रीजी, आज राजस्थान में यह हालत हो गयी है कि लोग आटा व अनाज लूटने लगे हैं, लोग पलायान कर रहे हैं। पेट भरने के लिये इनके पास रोजी–रोटी का साधन नहीं है। मेरा पहला पांइट यह है कि राजस्थान में इस तरह की अकाल की विभीषिका की वजह से लोग जो पलायन कर रहे हैं अन्य राज्यों में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में, कितने लोग अभी तक राजस्थान से पलायन कर चुके हैं इसके साथ ही दूसरा मेरा सवाल है, सरकार का यह मानना है कि अगले नवम्बर महीने तक लगभग 5236000 लोगों को रोजगार देना चाहिए था, लेकिन अभी तक राजस्थान में कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है, इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, आपने सवाल भीलवाड़ा का किया है और प्रदेश की स्थिति पर अकाल की चर्चा के लिये माननीय अध्यक्ष महोदय ने 26 अप्रैल निर्धारित की है, उस दिन आप प्रदेश की पेयजल चारे और रोजगार की स्थिति पर चर्चा करेंगे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मर जाएंगे तब तक, मंत्री महोदय।

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा जिले का आपने सवाल किया था, भीलवाड़ा जिले में लेबर सीलिंग 20 हजार और 1183 स्वीकृत किये गये हैं। उनमें अभी 15 हजार करीब लेबर है। आप लेबर सीलिंग को पूरा करें, काम चालू कराएं माननीय सदस्य जाकर कराएं, यदि 26 अप्रैल तक आपको और लेबर की आवश्यकता होगी, सरकार उदारतापूर्वक किसी को भी पलायन प्रदेश से नहीं करने देगी। चारे की, पानी की पूरी व्यवस्था करेगी।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल के उत्तर में माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि 150 चारा डिपो स्वीकृत किये गये हैं और उसमें से मात्र 57 चालू किये हैं, तो क्या पशु पलायन नहीं करेंगे ? एक बात उन्होंने और लिखी है, पेयजल हेतु 324 सार्वजनिक कुओं को गहरा करने की स्वीकृति मात्र कागजों के ऊपर दी है और अभी तक कोई कार्य चालू नहीं हुआ है।

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा सवाल किया 57 चारा डिपो अब तक खोले गये हैं सरकार की ओर से और 150 चारा डिपो स्वीकृत किये गये हैं। कलेक्टर को निर्देश दिये गये हैं, जब चाहे तब माननीय सदस्यों से सलाह लेकर, जन–प्रतिनिधियों से सलाह लेकर

(श्री परसादी लाल)

150 चारा डिपो तक खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। चारे की आवश्यकता नहीं है, चारे की आवश्यकता होगी तो 150 तक तो खोलने का कलेक्टर को अधिकार है।

(12.00 बजे)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि भीलवाड़ा जिले में जितने भी मजदूर आपने लगाये हैं उनको आज तक एक पैसे का भी पेमेंट नहीं हुआ है ?

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, भुगतान के बारे में निवेदन है कि हर माह भुगतान करते हैं। जिनको एक माह से ज्यादा काम पर हो गया उनको कलेक्टर्स या हमारे अधिकारी जो भी विभागों के काम हैं, जो भी निर्धारित प्रक्रिया है...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो पूछ रहा हूं कि भुगतान हुआ या नहीं हुआ ?

श्री परसादी लाल : जब काम ही अभी हुआ है, एक महीने का काम हुआ है तो एक महीना पूरा होगा तो काम का भुगतान अप्रैल में कर देंगे। मार्च में ही तो काम खोले गये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : काम का भुगतान नहीं हुआ न ?

श्री परसादी लाल : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मार्च माह में ही काम खोले गये हैं अप्रेल में उनका भुगतान कर देंगे। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अकाल राहत कार्यों पर हर सप्ताह भुगतान होता है और ये एक माह में भुगतान कर रहे हैं। क्या मजदूर भूखा नहीं मरेगा ? ये कितने संवेदनशून्य मंत्री हैं कि अकाल की विभीषिका पर इस प्रकार से वक्तव्य दे रहे हैं।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। प्रश्न काल समाप्त।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर अकाल में...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अपने ही मवेशियों को खा गये। लोग अपने ही पशुओं को मार–मार कर खा गये। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अपने पशुओं को मार–मार कर खा गये और सरकार मूक बैठी है।(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : प्रश्न काल समाप्त नहीं करें पूरा जवाब तो आए। पूरा जवाब नहीं आया है। मंत्री महोदय, लोग जानवरों का मांस खा रहे हैं। लोगों का रहना दूभर हो गया है। वहां पेमेन्ट नहीं हो रहा है। (व्यवधान) भुगतान समय पर दिलाएं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : +++ (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : संवेदनहीन सरकार है यह। कहने को तो संवेदनशील कहते हैं लेकिन संवेदनहीन सरकार है यह। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले दो दिन से मैं उदयपुर डिवीजन में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इन सारे क्षेत्रों में घूमा हूं। वहां पर इतनी विस्फोटक स्थिति हो गयी है कि अगर ईमानदारी से आप स्वयं अपनी आंखों से देखो तो आप इतना पश्चाताप करेंगे वहां के हालात को देखकर कि आपका मन भर आएगा। जिस प्रकार की उस आदिवासी क्षेत्र में स्थिति हो रही है, यह कोई बनावटी नहीं है। वह आदिवासी जो चोरी कर रहा है, उस घर में से वह केवल आटा चोर कर ले जा रहा है, वह केवल गेहूं चोर कर ले जा रहा है बाकी सारा का सारा सामान घर में यूं–का–यूं पड़ा हुआ है, उसको छू नहीं रहा है। इस प्रकार की भुखमरी की स्थिति होने के बाद भी अगर सरकार यह कहे कि हम 26 तारीख के दिन चर्चा कर लेंगे, तब क्या चाटेंगे चर्चा को ? आप क्या चाहते हैं ? आप अगर यह स्थिति चाहते हैं कि लोग कानून तोड़कर मैदान में कूद कर मर जाए, अगर वह स्थिति लाना चाहते हैं तो उस आदिवासी क्षेत्र में तो 26 के पहले–पहले आ जाएगी, मैं आपको आज सचेत कर रहा हूं। जिस प्रकार की विस्फोटक स्थिति बन गयी है हम केवल आंकड़े देकर अपने मन की पूर्ति कर रहे हैं कि लेबर लग गया और यह हो गया परन्तु उसका पेमेंट नहीं, खाने को रोटी नहीं है आज की तारीख में। न उसको काम है। वह गुजरात गया और रोकर वापस आया क्योंकि वहां भी अकाल की स्थिति है। उसको काम नहीं मिल रहा है तो अब भूखा आदमी तो मरेगा या मारेगा, इसके अलावा उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। अगर आप किसी दूसरे क्षेत्र के लिए कहें कि क्या स्थिति है तो मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन उस क्षेत्र की स्थिति इतनी विस्फोटक बन गयी है। अगर आप चाहो तो इस सदन के माननीय सदस्यों की टीम बनाकर आप एक–एक तहसील और एक–एक गांव को अपनी आंखों से देख आओ। उसके बाद अगर आपका मन कहता है कि हमें निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान करना है, तब तो उस समस्या का समाधान होगा। अन्यथा मैं आपको कह रहा हूं कि यह नक्सलाइट स्थिति है न, वह राजस्थान के इस आदिवासी क्षेत्र में पैदा हो जाएगी और आप और हम दोनों रोएंगे। ऐसी स्थिति आएगी। जो अपने काबू से बाहर हो जाएगी। भड़काने वाली एजेंसियां वहां लग चुकी हैं और अगर समय रहते हम नहीं चेते तो वे हथियार उठा लेंगे फिर मरने–मारने से कभी नहीं डरेंगे। उसकी मनोवृत्ति इस प्रकार की है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस विषय पर गम्भीरता से विचार करके कोई रास्ता निकालिये, 26 तारीख का इन्तजार मत कीजिए। तुरन्त रास्ता निकालने का मन बनाकर, नहीं आपको

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

विश्वास, तो आप जाइये, कमेटी बनाकर जाइये। या जिसे चाहें उसको भेज दीजिए, वह जाकर आपको वस्तुस्थिति बताए कि उस आदिवासी क्षेत्र की हालत कहां तक पहुंच गयी है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सहायता एवं पुनर्वास मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, स्वयंसेवी संस्थाओं का एक डैलीगेशन कल मुख्य मंत्री महोदय से मिला था और आज उन्होंने समाचार–पत्रों में कुछ समाचार छपवाये हैं। मैंने आज सुबह ही कलेक्टर बांसवाड़ा, कलेक्टर डूंगरपुर, कलेक्टर उदयपुर, जिनके बारे में विशेषकर ये संगठन के लोग जुडे हुए थे उनसे इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की। एक वेग एलीगेशन लगाना बहुत आसान है। वेग एलीगेशन लगाना बहुत आसान है। मैं सदन के विपक्ष के उप नेता महोदय से भी कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके मुझे वे फैक्ट्स दीजिए कि किस गांव में किस गाय को मारकर किसने खाया है। यह वेग एलीगेशन कोई मायने नहीं रखता है। मेरी आज भी कलेक्टर, उदयपुर से बात हुई है। मैं 12 तारीख को स्वयं डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कोटड़ा जाकर सारी स्थिति का अध्ययन कर रहा हूं आपको दावत देता हूं कि आइये देखें क्या स्थिति है कि नहीं है। केवल वेग एलीगेशन लगाकर...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अकाल राहत मंत्रीजी, कोटड़ा में...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : पहले मेरी बात सुनिये। बात पूरी सुनिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी बात रखते हुए कहा कि सदन की कमेटी बना दीजिए और भेज दीजिए, वह गांव में जाकर स्वयं देखकर आपको रिपोर्ट करे। उस रिपोर्ट को आप मानें। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि कोटड़ा क्षेत्र की स्थिति विकट है। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सुनिये। मैंने आज ही डिवीजनल कमिश्नर को आदेश दिया है। (व्यवधान) मेरी बात सुनने की कोशिश करेंगे तो ठीक होगा। (व्यवधान) आइये, मैं आपको न्यौता देता हूं। मैं गुलाब चन्दजी कटारिया जो विपक्ष के उप नेता हैं, उनको दावत देता हूं कि वे 12 तारीख को मेरे साथ आएं और मेरे साथ कोटड़ा चलें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : पशुओं को मार–मार कर खा रहे हैं।(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : पहले सुन तो लो।(व्यवधान)

श्री मदन दिलावार : लोग अपने ही पालतू पशुओं को मार–मार कर खा रहे हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप मेरे साथ चलें।(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : कोटड़ा क्षेत्र की हालत गम्भीर है।

श्री रूपलाल (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा कि कोटड़ा क्षेत्र में जो हालात की जानकारी लाये हैं। ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, उनकी हालत गम्भीर है।(व्यवधान)

श्री रूपलाल : मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं। मैं कोटड़ा क्षेत्र का वहां के विधान सभा क्षेत्र का विधायक होने के नाते थोड़ा निवेदन करूंगा।

श्री सांवर लाल : पूरे राजस्थान की हालत बहुत गम्भीर है, यह कोई अकेले कोटड़ा...(व्यवधान)

श्री रूपलाल : मैंने निवेदन किया कि कोटड़ा मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है इसलिए मैं थोड़ा निवेदन करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां की स्थिति का मैं... (व्यवधान) कोटड़ा, जैसे क्यारी, नुहासा, देवा का अंचल में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोटड़ा से आने वाले विधायक।

श्री रूपलाल : मैं खुद जाकर आया हूं। उस अचंल में यह बात सही है कि पानी की समस्या है, चारे की समस्या है और रोजगार की समस्या है परन्तु जो गुमराह करने वाली बात आ रही है वह है गाय को मारने वाली बात। अवैधानिक प्राथमिकता वाली बात आ रही है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आदिवादी ऐसे बेइमान नहीं हैं। ऐसी जो गलत हरकतें आ रही हैं. ये सरे आम गलत हैं।(व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि परसों तक 75 प्रतिशत काम चल रहा है, पंचायतों में कुछ बातें अमूमन सही हैं, पानी की समस्या है, मैं इस बात को वाजिब मानता हूं परन्तु ऐसी बात कतई नहीं है। धन्यवाद, श्रीमान्।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, इतने संवेदनशील विषय पर उप नेता महोदय अगर यहां पर राजनीति करना चाहे, राजनीति की रोटियां सेंकना चाहें तो वह प्रतिफल नहीं हैं।(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने जो बात कही, एक–एक शब्द निकाल कर देखो।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आप राजनीति मत कीजिए।(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की बात आते ही...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप एक–एक शब्द निकाल कर देख लीजिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इस तरह की बात करके ये लोग साम्प्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : यह राजनीति से प्रेरित आरोप है। इस प्रकार का आरोप लगाकर यहां राजनीति करना तो उचित नहीं है। जो हालात बताये जा रहे हैं, क्षेत्रों

(श्री रतन लाल ताम्बी)

में ऐसी–ऐसी बात कह रहे हैं, यह हालत नहीं है, यह मन से बताये जा रहे हैं। आदिवासियों की इस प्रकार की बात करके ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर मेरी कोई गलत बात निकली तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मेरे एक–एक शब्द रिकार्ड किये गये हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : +++ (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री रामस्वरूप : साम्प्रदायिकता फैला रहे हैं। साम्प्रदायिकता फैलाने वालों का ...(व्यवधान) आप क्या राजस्थान में साम्प्रदायिकता फैलाना चाहते हैं ? लोगों को मरवाना चाहते हैं ? (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

(भारी व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, यह जो जानवर खाने की बात कही गयी है, आम तौर पर भेड़ खाते हैं, मुर्गी खाते हैं... (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर से मैं आज ही आया हूं। वहां डिपो खोल दिये गये हैं। हम निपट लेंगे। इस तरह से आदिवासियों की झूठी बातें कि गाय मारकर खा गये, कहना बहुत ही गलत है। आदिवासियों को बदनाम करने का तरीका है +++ यह बिलकुल गलत बात है। (व्यवधान) आपको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिये।(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : गाय को किसी ने नहीं खाया अभी तक।(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, गुमराह करने की बात है।(व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : मैं कल ही अपने एरिये में घूमकर आज ही आया हूं। मैंने एरिये का जायजा लिया है, ऐसी कोई बात नहीं है वहां पर।

श्री रामस्वरूप : ये साम्प्रदायिकता फैलाने की बात करते हैं। किसी ने भी गाय को नहीं मारा। कौन कहता है गाय को मारा ? गाय हमारी माता है, किसी ने भी गाय को नहीं मारा है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एरिये में शर्म के मारे जायजा...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : गाय को मारकर कहीं नहीं खाया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह बिलकुल गलत बात है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : गाय हमारी माता है। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : आप लोग +++ (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कांग्रेसी एम.एल.ए. जा नहीं रहे हैं।(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सदन को मिस गाइड करने के लिये माननीय कटारियाजी माफी मांगें।(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : सदन को गुमराह करने के लिये माननीय कटारिया साहब माफी मांगें।(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माफी मांगो, ऐसी गलत बातें कहते हो।(व्यवधान) आप गुमराह करना चाहते हों बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : +++ अनेक माननीय सदस्य +++

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

एक माननीय सदस्य : आदिवासियों में आपका+++साफ क्यों हो गया ?(व्यवधान) आदिवासियों में कोई नहीं जीतता है। (व्यवधान) कांग्रेस के आदिवासी सदस्य वहां से जीतते हैं। आदिवासी के लिये कहकर सदन को गुमराह कर रहे हो। आपको माफी मांगनी चाहिये, ऐसी गलत बात बोलने के लिये।(व्यवधान)

डा. के.सी. चौधरी : डूंगरपुर के माननीय सदस्य आज ही आये हैं।(व्यवधान) यह आरोप राजनीति से प्रेरित है।(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आदिवासियों से, डूंगरपुर से आये हैं, उनकी बात सुनो। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : किसी ने भी कहा है कि मांस को नहीं खाया है। ये साम्प्रदायिकता फैलाना चाहते हैं गाय के मांस की बात करके। किसी ने भी गाय के मांस को नहीं खाया है। हम गाय को अपने देवता के रूप में पूजते हैं, किसी भी गाय को नहीं मारने दिया जाएगा।

श्री जगत सिंह दायमा : अकाल और भूख के कारण ही जानवर नहीं खाये जाते।

श्री अध्यक्ष : दायमा जी, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : जिनको भूख नहीं है, वे भेड़ खाते हैं, बकरी खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, सूअर खाते हैं। तो जानवर सिर्फ भूख के कारण नहीं खाये जाते। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : गाय को किसी ने नहीं खाया अभी तक। कोई भी गाय को नहीं खाता। ये गाय के नाम पर साम्प्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। किसी ने भी नहीं खाया गाय को। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : गाय के नाम पर राजनीति को साम्प्रदायिक करने का नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री रूपलाल : माननीय अध्यक्षजी, बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य, हमेशा राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। मैं अभी–अभी

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रूपलाल)

क्षेत्र से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सहायता मंत्रीजी। (भारी व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य कटारियाजी ने केवल अखबार में समाचार पढ़कर इस मामले को यहां उठाया।(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप पहले ही... (व्यवधान) आप कहते कुछ हो, करते कुछ हो।(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप सुनने की क्षमता रखिये। आप सुनना ही नहीं चाहते हो। (व्यवधान) केवल आरोप लगाना जानते हो, जवाब सुनने की तैयारी रखिये। जवाब भी सुनिये। केवल थोथे आरोप से काम नहीं चलेगा। जवाब सुनिये, जवाब। (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर) : कथनी और करनी में तो आप लोगों के फर्क था।

श्री अध्यक्ष : सहायता मंत्रीजी।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : आप लोग सुनना ही नहीं चाहते। कथनी और करनी में तो आप लोगों के फर्क था, इसीलिए तो यह हालत हुई आप लोगों की।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : बड़ी सादड़ी से और चूरू से आने वाले माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोटड़ा के बारे में आपकी जितनी सहानुभूति है उससे ज्यादा हमारी और हमारी सरकार की है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कोई सहानुभूति नहीं है।

अनेक माननीय सदस्य : कोई नहीं है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री महोदय, सहानुभूति से पेट नहीं भरता।

श्री अध्यक्ष : आपकी रणनीति क्या है आज ? आपने पर्चियां नहीं दीं कोटड़ा के बारे में।(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हाउस चलने से कोटड़ा की स्थिति...(व्यवधान)कोई आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। जवाब भी सुन लो।

श्रीमती बीना काक (राज्य मंत्री, पर्यटन) : आप लोग हाउस को गुमराह करने की माफी मांगो। (व्यवधान) पूरे राजस्थान को गुमराह कर रहे हैं। (भारी व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कोटड़ा की स्थिति का भला होगा फील्ड में काम करने से। यह तो गलत तरीके का प्रत्यारोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : समिति बन गयी क्या ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : गाय की बात करके आप राजस्थान में साम्प्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। आप लोगों को पता ही नहीं है गाय क्या है। आपको अकाल से लेना–देना नहीं है, आप तो साम्प्रदायिकता फैलाना चाहते हैं राजस्थान के अंदर। गाय के मांस की बात करने लग गये आप लोग। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : आप तो गाय को जोड़कर साम्प्रदायिकता फैलाना चाहते हो, यह नहीं चलेगा। (व्यवधान) आदिवासियों में आपका कोई जनाधार नहीं है, आपको कोई नहीं पूछता।(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सदन के सदस्यों को भेज दें और एक–एक गांव का सर्वे करवा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : चूरू से आने वाले और बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्यों को मैं यह निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : (व्यवधान) अभी 15 दिन हो गये, गरीब अकाल से त्रस्त हैं। उनके लिये रोटी, चारा और पानी की व्यवस्था करनी होगी।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री अमरारामजी, आप बैठिये।(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय को सुनिये तो सही।

श्री रामस्वरूप : राजस्थान में गाय को मारकर किसी ने भी नहीं खाया। ये तो इस तरह की बातें कहकर साम्प्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं और इनको अकाल से कोई लेना–देना नहीं है। ये तो इस तरह सरकार को झूठा बदनाम करना चाहते हैं। किसी गाय को मारकर नहीं खाया।(भारी व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : डूंगरपुर में एक महिला ने आत्महत्या कर ली है, अध्यक्ष महोदय।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री महोदय को नहीं सुनना चाहते, मुख्य मंत्रीजी बोलें। कांग्रेसी आज उस एरिये में जाएं तो पिटाई हो जाए। आदिवासी इनको सुनना नहीं चाहते। मारवाड़ में उनको सुनना नहीं चाहते। अकाल के ऐसे एरिये में इनको सुनना नहीं चाहते। चारे–पानी की व्यवस्था करें।(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : +++

अनेक माननीय सदस्य : +++

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

(12.20 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : XXX

डा. के. सी. चौधरी : XXX

(भाजपा के माननीय सदस्यों द्वारा वैल में नारे)

श्री नाथूराम अहारी : XXX

श्री बाबूलाल नागर : XXX

श्री रतन लाल ताम्बी : XXX

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : XXX

श्री भगवान सहाय सैनी : XXX

श्री रूपाराम : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये आप।

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री भगवान सहाय सैनी : XXX

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : XXX

श्री रूपाराम : XXX

श्री आर.पी. शर्मा : XXX

श्री हेमन्त कुमार : XXX

श्री धनश्याम जैन : XXX

श्री रमेश चन्द्र पण्डया : XXX

श्री बाबूलाल नागर : XXX

श्री देवीलाल बैरवा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही एक बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 12.25 बजे 13.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(13.00 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अकाल राहत मंत्रीजी।

जिला भीलवाड़ा में राहत कार्य

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (अकाल राहत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में अकाल राहत कार्यों, चारा डिपो, पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में क्वेश्चन ऑवर के बाद कुछ चर्चाएं हुई हैं। मैं सदन को आपके माध्यम से यह आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार की स्पष्ट नीति है कि अभावग्रस्त क्षेत्र में जो शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, छोटे काश्तकार हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, उन लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए। हमारे नवम्बर महीने में ही पशुधन को बचाने के लिये, चारा डिपो खोलने के लिये जिलाधीश को अधिकृत कर दिया था। कुछ चारा डिपो हमारे स्वीकृत किये और कुछ चारा डिपो स्वयंसेवी संस्थाओं ने शुरू किये, कुछ नहीं किये। हो सकता है, स्वयंसेवी संस्थाओं के कारण जो पर्याप्त संख्या में चारा डिपो खुलने चाहिये, वे नहीं

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

खुल पाये होंगे ऐसा मैं मानकर चलता हूं।

दूसरा भुगतान के बारे में सवाल उठाया गया। अब तक की परम्परा यह रही है कि 15 दिन का मस्टररोल इश्यू किया जाता है, पखवाड़े से पखवाड़े तक का पहले पखवाड़े का भुगतान दूसरे पखवाड़े में होना चाहिये। इसमें किसी प्रकार का व्यवधान है तो मैं आज ही चर्चा करके एक पखवाड़े का भुगतान दूसरी पखवाड़े के समाप्त होने के पहले–पहले, विदिन वीक टाइम कर दिया जाना चाहिये, ऐसी सरकार की मंशा है। इसमें कहीं भी कोताही की गयी तो मैं निश्चित रूप से जिलाधीश को निर्देश दे दूंगा ताकि इसकी व्यवस्था ठीक करें।

माननीय सदस्यों को मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी मंशा और आपकी मंशा में कोई अंतर नहीं है। आप भी चाहते हैं कि लोगों को राहत मिले, पीने का पानी पहुंचे, पशुधन को बचाने के लिये चारा उपलब्ध किया जाए। उसके लिये अर्नेस्टली सरकार जो कुछ भी कर सकेगी, वह करेगी। मैं तो आपको निमंत्रण देता हूं कि जहां कहीं पर भी ऐसी स्थिति महसूस होती है, आप आइये। आप और हम मिलकर इस अकाल की स्थिति में उसका मिल–बैठकर मुकाबला करें। इसमें मैं कोई राजनीति आड़े नहीं आने दूंगा। वैसे तो जिला स्तर पर जिला अकाल राहत समितियां हमने बना रखी हैं जिसमें सभी माननीय सदस्य बैठे हैं, आप चाहें तो मैं जिलाधीश को यह भी निर्देश दे दूंगा कि जो भी माननीय सदस्य उस जिले में घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, स्थिति का जायजा लेना चाहते हैं, तो वे उनके साथ जा सकते हैं ताकि उनको सही स्थिति का आकलन हो सके। हमारी मंशा बिलकुल साफ है पशुधन को बचाने के लिये, रोजगार की जिनको आवश्यकता है उनको रोजगार देने के लिये। पीने के पानी की जहां कमी है वहां टैंकर्स जो लगाये गये हैं वे यदि कम हैं तो वहां तत्काल टैंकर चालू कर दिये जाएंगे। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। भुगतान भी पखवाड़े का अगले सप्ताह के पहले–पहले कर दिया जाएगा। ताकि किसी तरह की लोगों को पैसे की कठिनाई महसूस न हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने मानवीयता के आधार पर कुछ विचार किया है। लेकिन कुछ कमी है। आपने एक पखवाड़े का पैसा दूसरे पखवाड़े का अंत होने के पहले भुगतान करने की बात कही है...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : पहले सप्ताह में। दूसरे पखवाड़े के पहले सप्ताह तक।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दूसरा, मैं आपको कहना चाहता हूं यह आपके लिये भी लाभदायक है भुगतान करने वाली एजेंसी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और काम कराने वाली एजेंसी, ये दो अलग–अलग होती हैं...

श्री उपाध्यक्ष : अलग–अलग ही हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके पद चिन्हों पर ही हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अभी तहसीलदार द्वारा भुगतान कराया जाता है, वर्किंग एजेंसी दूसरी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी ऐसा है तो ठीक है। हां, वह चले तो बहुत अच्छा है। हां, तो चलो आप, यही काम है। मैं तो यही कहता हूं कि मेरे पदचिन्हों पर चलो, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। (व्यवधान) आप ठहर जाओ। विराजों तो सही।

तीसरी बात, मंत्री महोदय, विचार करें कि चारा डिपो खोलना और चारे को उपलब्ध कराना ये दोनों चीजें इस पर निर्भर करती हैं कि पशुपालक की परचेजिंग कैपेसिटी कितनी है। परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है। चारा तो दुनिया भर का आ सकता है, लेकिन मवेशी का मालिक जब तक उस चारे को खरीदकर मवेशी को नहीं देगा उस समय तक समस्या का समाधान नहीं होना है। आप इस प्रश्न के ऊपर भी विचार करें। मैं नहीं कहता कि अभी उत्तर दें। इन लोगों को किस प्रकार से सहायता दे सकते हैं, उनके दो तरीके हैं जिन पर आप विचार करें। एक तो ज्यादा से ज्यादा पशुधन के कैम्प्स खुलें जिनके अन्दर जो आपने रियायतें घोषित कर रखी हैं उस आधार पर उनको चारा मिल सके। जिनके पास दूध वाले पशु हैं जो घर में रख रहे हैं, उनको भी किसी न किसी प्रकार से आप सहायता चाहे कैटल फीड के रूप में दें, चाहे गौशाला में जिस प्रकार से सहायता देते है उस सहायता के आधार पर सहायता दें। एक कोशिश यह करें, आज विचार कर लें। आपको अल्टीमेटली करना पड़ेगा कि जो भी अकाल पीडित क्षेत्र हैं वहां एक परिवार में एक आदमी को निश्चित रूप से रोजगार मिले इसकी व्यवस्था करेंगे तब जाकर यह संकट मिटेगा। यह संकट है। यह संकट कोई आपका लाया हुआ या मेरा लाया हुआ नहीं है, यह प्राकृतिक संकट है और इस संकट का समाधान करना सरकार का काम है। यह विरोधी दल का भी काम है। आप जो चाहें, निश्चित रूप से सहयोग करने को तैयार हैं लेकिन एक परिवार के एक आदमी को रोजगार मिल जाए इसकी व्यवस्था निश्चित रूप से करा दी जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट...

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या रहा ? अब क्या रहा, माननीय सदस्य। बिराजिये। प्लीज, बैठिये अब आप। समाप्त हो गयी बात। बैठो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : लीडर आफ अपोजिशन बोल गये, अब आप बैठिये।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

वास्तविक रूप से निकाले गये पत्थरों पर रायल्टी

288. श्री खेमराज कटारा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) खान आवंटन के क्या नियम/मानदण्ड हैं ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) खान आवंटन में रायल्टी वसूल करने के क्या मानदंण्ड हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पट्टाधारी से रायल्टी आवंटन अवधि के आधार पर वसूल की जाती है या वास्तविक भूमि से निकाले गये पत्थरों के आधार पर वसूली जाती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा पट्टाधारी खान में से जितना पत्थर निकलता है उतनी ही रायल्टी उसी पर वसूल की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार वास्तविक रूप से निकाले गये पत्थरों पर ही रायल्टी वसूल करने का विचार रखती है, जिससे प्राप्त राजस्व में वृद्धि हो सके ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) खान आवंटन खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 एवं इसके तहत निर्मित खनिज रियायत नियम, 1960 तथा राजस्थानं अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के तहत किया जाता है। विभिन्न खनिजों के मानदण्ड तत्सम्बन्धी नियमों के अधीन है। अधिनियम व नियमों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) रायल्टी राशि खनिजों के निर्गमन अथवा उपयोग में लेने पर वसूल की जाती है। विवरण भाग–1 के उत्तर के साथ सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) आवंटन अवधि के आधार पर स्थिर भाटक (डेडरेन्ट) तथा खनिज के निर्गमन एवं उपयोग के आधार पर रायल्टी वसूल की जाती है। डेडरेन्ट की राशि तक निर्गमन अथवा उपयोग लिये हुए खनिज की रायल्टी (डेडरेन्ट) में समायोजित हो जाती है उससे अधिक उस वर्ष में निर्गमन/उपयोग पर निर्धारित दर पर रायल्टी देय होती है। विवरण प्रश्न के भाग–1 के उत्तर में वर्णित नियमों में निहित है।

(4) इसका उत्तर प्रश्न के भाग संख्या–3 में दिया जा चुका है।

(5) जो भी खनिज निकाला जाता है उस पर देय रायल्टी भाग–3 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार वसूल की जाती है। उक्त प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा बनाए गए खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 व इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन वसूल की जाती है।

(राज्य मंत्री, खनिज)

यह प्रक्रियां देश के सभी प्रदेशों में लागू है। अतः राजस्व हानि का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(प्रतियां, विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जन शक्ति निदेशालय में पंजीकृत बेरोजगार

358. **श्री परसंराम मोरदिया** (लक्ष्मणगढ़) एवं **श्री मोहन लाल बारूपाल** (जायल) : क्या आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि डिप्लोमा/डिग्रीधारी इंजिनियर्स की नियुक्ति समस्त विभागों में जन शक्ति निदेशालय में पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों के प्राप्त नाम की सूची में से ही की जाती है ? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में नियुक्ति समस्त विभागों के डिप्लोमा/डिग्रीधारी इंजिनियर्स की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जन शक्ति निदेशालय में पंजीकृत बेरोजगार डिप्लोमा/डिग्रीधारी इंजिनियरों की बिना सूची के सीधे आवेदनों द्वारा भी कतिपय विभागों में नियुक्तियां दी गई हैं ? यदि हां, तो गत पांच वर्ष में किस–किस को कब–कब व कहां–कहां नियुक्ति दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त निदेशालय में पंजीकृत इंजिनियर्स की अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग की 35 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/जनजाति की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है ? यदि हां, तो अन्य पिछड़ा वर्ग को आयु सीमा में छूट क्यों नहीं दी गई ?

(4) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति/जनजाति की भांति अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आयु सीमा में छूट देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो, क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य/अधीनस्थ सेवा के वह पद जिनके लिए तकनीकी योग्यता अभियांत्रिकी डिग्री/डिप्लोमा है पर तदर्थ/आवश्यक/अस्थाई नियुक्तियां केवल आयोजना (जन शक्ति एवं गजेटियर्स) विभाग द्वारा तैयार की गई मैरिट सूची में से ही किये जाने का प्रावधान है। नियमित नियुक्तियां करने हेतु संबंधित विभाग/बोर्ड/निगम आदि द्वारा नोटिस बोर्डो, दुरदर्शन, आकाशवाणी, समाचार–पत्रों आदि में विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन–पत्र आमंत्रित करने के साथ–साथ आयोजना (जन शक्ति एवं गजेटियर्स) विभाग से 1 : 5 के अनुपात में मैरिट सूची के नाम अनिवार्य रूप से मंगवाये जाने का प्रावधान है।

(राज्य मंत्री, आयोजना)

विभिन्न विभागों द्वारा गत पांच वर्षो की अवधि में जन शक्ति एवं गजेटियर्स विभाग की मैरिट सूची में से नियुक्त डिप्लोमा/डिग्रीधारी इंजीनियर्स की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "क")

(2) जी, हां। कई विभागों/निगमों द्वारा जन शक्ति निदेशालय से पंजीकृत इंजीनियरों की सूची मंगवाये बिना ही सीधे आवेदनों के आधार पर नियुक्तियां दी गई है।

विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर तैयार सूची मय विभाग नाम वर्षवार संलग्न है। (परिशिष्ट "ख")

(3) जी, हां। कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7(2)कार्मिक/क–2/84 दिनांक 13.11.96 के द्वारा केवल उन सेवाओं में, जिनमें अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष है, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों को 2 वर्ष की छूट दी गई है। चूंकि अभियांत्रिकी विभागों में अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है अतएव कार्मिक विभाग की उक्त अधिसूचना के तहत इनमें अन्य पिछड़ा वर्ग को आयु सीमा में छूट का प्रावधान नहीं है।

(4) जी, हां। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। जिस पर शीघ्र निर्णय करने के पश्चात् कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

रामदेव कालोनी (जालौर) में नाली निर्माण

359. **श्री गणेशीराम मेघवाल** (जालौर) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि रामदेव कालोनी जालोर शहर में कुछ स्थानों पर पानी भरा रहता है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर समुचित नाली बनाकर उक्त पानी को सड़क के किनारे निकालने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। नगर पालिका द्वारा उक्त स्थान पर नालियां बनाकर, पानी को सड़क के किनारे निकालने का कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में करवाये जाने का प्रयास किया जायेगा।

नगर परिषद ब्यावर के सेवानिवृत कर्मचारियों को पेंशन

360. **डा. के.सी. चौधरी** (ब्यावर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सरकार द्वारा नगर पालिकाओं के सेवानिवृत कर्मचारियों को पेन्शन का भुगतान किया जाता है ?

(डा. के.सी. चौधरी)

(2) यदि हां, तो नगर परिषद ब्यावर के कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान नहीं देने के क्या कारण हैं ? अब सरकार उक्त व्यवस्था कब तक कर देगी ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। राज्य में नगर पालिकाओं के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा पेंशन का भुगतान नहीं किया जाता है। नगर परिषद/पालिकाओं के कर्मचारियों की पेंशन निधि से एक निजी निक्षेप खाता खोला गया है। इस खाते में नगर निगम/परिषद/पालिकाओं द्वारा पेन्शन अंशदान जमा कराया जाता है एवं इसी पेन्शन फण्ड से पेन्शन का भुगतान किया जाता है।

(2) भाग संख्या एक के उत्तर के पश्चात भाग संख्या–2 के उत्तर की आवश्यकता नहीं रहती है।

नगर निगम जयपुर में कनिष्ठ लिपिकों की अनियमित नियुक्ति

361. **श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नगर निगम जयपुर में चुंगी चौकी समाप्ति के कारण किस–किस संवर्ग के कितने–कितने कर्मी अधिशेष किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मियों को भी अधिशेष किया गया है ? यदि हां, तो, कितने को दिनांक 31 दिसम्बर, 1999 तक समायोजित किया है व अब कितने शेष हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या नगर निगम जयपुर में वर्तमान में कोई कनिष्ठ लिपिक के पद रिक्त नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? स्वीकृति संख्या–1091 दिनांक 9.4.97 द्वारा नगर निगम जयपुर में 15 कनिष्ठ लिपिक व 6 स्टेनो टाइपिस्ट के पद स्वीकृत हुये थे ? यदि हां, तो इस स्वीकृति का क्या हुआ ? उक्त स्वीकृत पदों पर किनको नियुक्तियां दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या नगर निगम जयपुर में महापौर द्वारा कनिष्ठ लिपिक की अनियमित नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां, तो कितनी और क्यों ?

(5) क्या सरकार ने नगर निगम जयपुर में की गई 12 अनियमित नियुक्तियों की स्क्रीनिंग कर नियुक्तियों को नियमित करने के कोई आदेश दिनांक 28.4.98 को जारी किये थे ? यदि हां तो क्या, इनकी नियमित सेवायें मान ली गई ?

(6) क्या नगर निगम जयपुर में जो अनियमित नियुक्तियां की गई है तथा जो व्यक्ति आज तक नगर निगम सेवा में निरन्तर कार्यरत है ? क्या इनके वेतन का भुगतान भी निरन्तर किया जा रहा है ? यदि हां तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या सरकार द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में विचारार्थ रिट–याचिका

(श्री संयम लोढ़ा)

संख्या–1043/93 में सम्मिलित 6 व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों को आपसी समझौता कर दिसम्बर, 1996 से नगर निगम जयपुर में कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति दे रखी है ? यदि हां, तो रिट संख्या–5633/96 के व्यक्तियों को भी आपसी समझौता कर कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति देने में क्या आपत्ति है ? रिट संख्या–1043/93 में 6 व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों को किस कारण नियुक्ति दी गई ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर निगम में चुंगी समाप्ति के कारण किस–किस संवर्ग के कितने–कितने कर्मी अधिशेष हुए है, उनका विवरण संलग्न है।

(2) मंत्रालयिक संवर्ग के 10 कर्मचारी अधिशेष हुए है, जिनका समायोजन नहीं किया गया है।

(3) नगर निगम जयपुर में वर्तमान में 5 कनिष्ठ लिपिक के पद रिक्त हैं। स्वीकृति संख्या–1091 दिनांक 9.4.97 के द्वारा नगर निगम में 15 कनिष्ठ लिपिक व 6 स्टेनों टाईपिस्ट के रिक्त पदों को भरने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया गया था क्योंकि इन पदों का प्रावधान बजट में स्वीकृत था। इन पदों पर उक्त स्वीकृति अनुसार जिला सेवा चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती हेतु प्रक्रिया अपनाकर नियुक्तियां की जानी थी जो नगर निगम द्वारा नहीं की गई। किन्तु इन रिक्त पदों के विरुद्ध निगम द्वारा 13 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नतियां देकर भरे गये तथा कनिष्ठ लिपिकों के शेष 2 पदों पर मृतक आश्रित नियमों के अन्तर्गत नियुक्तियां दी गई। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(4) जयपुर नगर निगम में महापौर द्वारा अनियमित रूप से की गई नियुक्तियों के मामले की जांच विचाराधीन है। जांच पूर्ण होने व निर्णित होने के पश्चात् ही इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाना सम्भव होगा।

(5) नगर निगम के प्रस्ताव पर निदेशालय द्वारा राज्य सरकार की अनुमति से 10 मंत्रालयिक/अधीनस्थ व 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की उपयुक्तता की जांच कराने की अभिशंसा की गई थी जिस पर 10 कर्मचारियों का प्रकरण जिला सेवा चयन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् आदेश क्रमांक 4694 दिनांक 1.9.98 के द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है, इसलिये अग्रिम आदेशों तक इन कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के आदेश जारी नही किये जावें। निगम द्वारा 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अपने स्तर पर ही नियमित नियुक्तियां दिये जाने की जानकारी विभाग को प्राप्त हुई है।

(6) उक्त दस कर्मचारी नगर निगम जयपुर में वर्तमान में कार्यरत हैं, लेकिन

(स्वायत्त शासन मंत्री)

निगम द्वारा इन्हे वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है।

(7) सरकार की जानकारी में प्रश्न के माध्यम से आपसी समझौते के तथ्य ध्यान में लाये गये है। इस समस्त बिन्दु की जांच करवाई जाकर समुचित कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अर्जुन नगर फाटक (जयपुर) में सड़क की चौड़ाई

362. **श्री उदय सिंह राठौड़** (बनीपार्क) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अर्जुन नगर (साउथ) में अर्जुन नगर (फाटक) जयपुर के सामने वाली गली नम्बर 1 व 2 में दोनों तरफ मकानों के गेट के रेम्पर काफी बड़े बनाये गये हैं जिससे सड़क की चौड़ाई काफी कम हो गई है ? क्या सरकार इन रैम्परों को तुड़वाकर सड़क की प्रस्तावित चौड़ाई करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार इन सड़कों को पक्का करने एवं उनके दोनों तरफ नालियां बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। रेम्पर्स के रूप में किये गये अतिक्रमों की समग्र स्थिति का परीक्षण करवाकर हटाने के बाबत उचित निर्णय लिया जावेगा। अर्जुन नगर साउथ में केम्प लगाने के पश्चात् प्राप्त विकास शुल्क की राशि से सड़कों को पक्का करने के समय विचार किया जा सकता है।

(2) सड़कों को पक्का व सड़कों के दोनों ओर नालियों के निर्माण का कार्य प्राधिकरण के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

जयपुर विकास प्राधिकरण सीमा में अस्पताल एवं स्कूल के लिए भूमि का आवंटन

363. **श्री सहदेव शर्मा** (आमेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि हाल ही में एक अस्पताल और स्कूल बनाने के लिए 213 बीघा भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में एक संस्था को आवंटित की गई है ?

(2) उक्त भूमि का आरक्षित मूल्य कितना है और यह कितनी राशि में किन–किन शर्तों के अधीन आवंटित की गई है ? आवंटन आदेश और शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूमि का आरक्षित मूल्य नब्बे करोड़ रुपये है ?

(4) क्या आवंटन आदेश में इस भूमि की लीजमनी एक निश्चित अवधि में जमा कराने का आदेश दिया गया था और वह अवधि समाप्त होने के बावजूद लीजमनी

(श्री सहदेव शर्मा)

जमा नहीं कराई गई ? यदि हां, तो आवंटन आदेश रद्द क्यों नहीं किया गया ?

(5) अब कब तक आवंटन आदेश रद्द कर दिया जावेगा व यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) भूमि का आरक्षित मूल्य 1650/– रुपये प्रति मीटर है। उक्त भूमि को टोकनमनी पर आवंटित करने की स्वीकृति दी गई है। उक्त आदेश दिनांक 15.8.99 तथा जयपुर विकास प्राधिकरण के आदेश दिनांक 22.1.2000 मय शर्तों की प्रति संलग्न है।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण कृषि भूमि पर बनी योजनाओं में आरक्षित दर 1650/– रुपये प्रतिवर्ग मीटर है। इस दर से गणना करने पर कुल राशि 89,18,31,208/– रुपये बनती है।

(4) जी, हां। उक्त संस्था को दिनांक 22.1.2000 को आवंटन पत्र जारी किया गया था जिसमें 22,30,227.00 रुपये शहरी जमाबन्दी की मांग की थी। उक्त आवंटन पत्र में शहरी जमाबन्दी जमा न कराने पर आवंटन निरस्त करने की शर्त नहीं थी। इस कारण आवंटन निरस्त नहीं किया गया।

(5) संस्थान द्वारा शहरी जमाबन्दी से मुक्त करने बाबत प्राधिकरण में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है जिस पर नियमों के अनुसार निर्णय लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

चित्रकूट आवासीय योजना जयपुर में मूलभूत सुविधाएं

364. **श्री अशोक तंवर** (फागी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जयपुर शहर की चित्रकूट योजन में विभिन्न मूलभूत सुविधाएं यथा मार्ग पट्टिका, मकान नम्बर पट्टिका, डिस्पेन्सरी, सीवरेज, स्टेडियम में खेलकूद सुविधाएं, शापिंग सेन्टर, रोड लाइट, सरकारी विद्यालय, नगरीय बस सेवा आदि मुहैया करवा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कौन–कौन सी सुविधाएं कब–कब मुहैया कराई गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना में मुख्य मार्गो पर वर्ष भर पहले ही नालियों का निर्माण कार्य हो चुका है एवं अब सड़क निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो अन्दरूनी मार्गो पर अभी तक नाली एवं सड़क निर्माण कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया ? अब अन्दरूनी मार्गो पर कब तक नाली एवं सड़क का कार्य प्रारम्भ करवा दिया जायेगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना में मात्र एक स्टेडियम के अलावा अन्य कोई पार्क विकसित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार की अब

(श्री अशोक तंवर)

कोई पार्क विकसित करने की योजना है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त योजना में सीवरेज कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो सीवरेज कनेक्शन कब तक जारी कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चित्रकूट योजना में डिस्पेन्सरी की सुविधा दिनांक 16.11.97 को शोपिंग सेन्टर का निर्माण वर्ष 1998 को तथा सीवरेज की सुविधा माह 2/2000 में उपलब्ध करवा दी गई हैं। योजना में सम्पूर्ण विद्युतीकरण मई, 98 में किया जा चुका है योजना की मुख्य सड़कों पर 130 ट्यूब लाइट विद्युत खम्भों पर तत्कालीन आवश्यकता अनुसार लगा दी गई हैं। योजना में मार्ग पट्टिकाऐं, मकान नम्बर पट्टिकाएं लगाये जाने का कार्य आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये करवाया जायेगा। प्रश्न का शेष भाग जयपुर विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित नहीं होकर शिक्षा विभाग तथा यातायात विभाग से सम्बन्धित है।

(2) जी, हां। योजना में मुख्य सडकों पर डब्लू.बी.एम. सड़क तथा नालियों का कार्य आवश्यकतानुसार करवाया जा चुका है। योजना की अन्दरूनी सड़कों पर निर्माण कार्य इस वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ कर दिया जावेगा एवं नाली निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार शीघ्र करवाई जावेगी।

(3) योजना में स्टेडियम के अलावा दो पार्क है, जिनको माह जुलाई, 2000 में विकसित किये जाने का प्रस्ताव है।

(4) जी, हां। सीवरेज कार्य पूर्ण हो चुका है। कनेक्शन जारी करने का कार्य आवेदक द्वारा आवेदन करने पर जयपुर नगर निगम, जयपुर से सम्बन्धित है।

जिला बाड़मेर व जैसलमेर की स्वीकृत योजनाएं

365. **श्री अमीन खान** (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में गत एक वर्ष में कुल कितनी योजनाएं कितनी–कितनी धन राशि की ए.आर.जी. के तहत स्वीकृत की गई है ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई है ? मय राशि के संख्या सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में कितने गांवों/ढाणियों की योजनाएं स्वीकृत की गई है ? डिवीजन वार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में गत एक वर्ष में ए.आर.पी. के तहत 5833 योजनाएं 34817.70 लाख

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

रुपये की स्वीकृत की गई जिलावार विवरण प्रपत्र "अ" पर संलग्न है।

(2) राज्य में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 4411 योजनाएं 153921.73 लाख रुपये की स्वीकृत की गई है जिलावार विवरण प्रपत्र 'अ' पर संलग्न है।

(3) जिला बाड़मेर के 2 गांव व 104 ढाणियां तथा जिला जैसलमेर के 80 गांव व 231 ढाणियों की योजनाएं स्वीकृत की गई है। डीविजन वार विवरण प्रपत्र 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

पंचायत समिति बामनवास तथा बौंली (सवाईमाधोपुर) के ग्रामों की पम्प एवं टेंक योजना

366. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री ने यह घोषणा की थी 1991 की 4000 से अधिक आबादी वाले गांवों को पाइप्ड प्रकार की योजना के तहत स्वीकृत कर पानी उपलब्ध कराया जायेगा ? यदि हां, तो पंचायत समिति बामनवास एवं बौंली के ऐसे कौन–कौन से गांव हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी गांवों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली गई है ? यदि हां, तो किस–किस की तथा उसमें से किस–किस गांव को कमीशण्ड कर दिया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार 1500 से 4000 की आबादी वाले गांवों को पी.एण्ड. टी. प्रकार की योजना से लाभान्वित किया जायेगा ? यदि हां, तो ऐसे कौन–कौन से गांव पंचायत समिति बामनवास तथा बौंली में है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त प्रकार के किस–किस गांव को पम्प एण्ड टेंक की योजना से लाभान्वित कर दिया है और कौन–कौन से शेष हैं तथा इन्हें कब तक उक्त योजना के तहत पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा।

उत्तर

(1) जी, हां। सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी, हां। उक्त में से 6 गांवों को कमीशण्ड कर दिया गया है। दो गांवों में कार्य प्रगति पर है। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) जी, हां। सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(4) उक्त प्रकार के गांवों में से पंचायत समिति बौंली के 4 ग्राम एवं पंचायत समिति बामनवास के 9 ग्रामों को जल योजनाओं से लाभान्वित किया जा चुका है तथा पंचायत समिति बौंली के 5 गांव एवं पंचायत समिति बामनवास के 4 ग्रामों में पी.एण्ड टी. जल योजनाओं का कार्य प्रगति पर है, तथा

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

पंचायत समिति बौंली के 8 एवं पंचायत समिति बामनवास के 6 ग्रामों की पी.एण्ड टी. प्रकार की योजना प्रस्तावित की जानी है। वर्तमान में ये सभी ग्राम हैण्ड पम्प योजना से लाभान्वित हैं तथा इन शेष ग्रामों को पी. एण्ड टी. प्रकार की योजनाओं के प्रस्ताव वित्तीय संसाधन उपलब्धता के अनुसार तैयार किये जा रहे हैं।

सूची क्रमश : परिशिष्ट 'स', 'द' एवं 'क' पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

अटरू एवं नैनवां के विधायकों द्वारा दिये गये पत्रों का जवाब

367. **श्री मदन दिलावर (अटरू)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता कोटा व झालावाड़, अधिशासी अभियन्ता बूंदी, बारां, कोटा व रामगंज मंडी, सहायक अभियन्ता छबड़ा व नैनवा को विधायक अटरू व नैनवा ने कब–कब पत्र लिखे गये पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अधिकारियों ने विधायकों के पत्रों का क्या–क्या जवाब दिया ? शेष पत्रों का जवाब क्यों नहीं दिया गया ? क्या माननीय विधायकों के पत्रों का जवाब विभाग को नहीं देना चाहिए ? जवाबी पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधायकों के पत्रों के आधार पर किस–किस पत्र पर क्या–क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) माननीय विधायक अटरू द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियंता क्षेत्र कोटा को 7 अधीक्षण अभियंता झालावाड़ को 2 अधिशासी अभियन्ता बारां को 7 एवं सहायक अभियंता छबड़ा को 3 पत्र लिखे गये। विधायक महोदय नैनवां द्वारा उक्त अधिकारियों को सीधे कोई भी पत्र नहीं दिया गया। कुल 19 पत्रों की प्रतियां सलंग्न है।

(2) माननीय विधायकों के पत्रों के उत्तर देने में विभाग द्वारा विलम्ब हुआ है। समस्त पत्रों का जवाब दे दिया गया है। सभी जवाब संलग्न हैं।

(3) पत्रों पर की कार्यवाही रिपोर्ट परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

पुरानी छावनी व मौरोमी (धौलपुर) की स्वीकृत पेयजल योजना

368. **श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र

(श्री शिवराम सिंह कुशवाह)

धौलपुर के ग्राम पुरानी छावनी व मौरोमी में पेयजल योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त योजना कब तक प्रारम्भ की जावेगी ? अब तक कार्य की प्रगति नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हां। विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के ग्राम पुरानी छावनी में वर्ष 1984–85 में पाइप्ड योजना स्वीकृत हुई थी तथा ग्राम मौरोमी में वर्ष 1980–81 में पाइप्ड जल योजना स्वीकृत हुई थी। जिसका क्रियान्वयन क्रमशः वर्ष 1985–86 एवं 1984–85 में कर वर्तमान में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वीकृत योजनाओं के सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

विधान सभा क्षेत्र घाटोल के स्वीकृत हैण्ड पम्प

369. **श्री नानालाल नीनामा** (घाटोल) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र घाटोल में सांसद/विधायक कोष से कितने हैण्ड पम्प कहां–कहां पर स्वीकृत है ?

(2) उक्त स्वीकृत हैण्ड पम्पों को अभी तक नहीं लगाने के क्या कारण है और कब तक लगाये जावेंगे ?

(3) उक्त में से कितने हैण्ड पम्प खुदने के बाद फिटिंग कार्य नहीं होने से चालू नहीं हुये ? अब उक्त कार्य कब तक होकर हैण्ड पम्प चालू हो जावेंगे।

(4) क्या उक्त क्षेत्र अभाव ग्रस्त घोषित है ? यदि हां, तो हैण्ड पम्प स्वीकृत होने पर भी खुदाई एवं फिटिंग में देरी होने के क्या कारण है।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र घाटोल में सासंद कोटा मद में कुल 86 हैण्ड पम्प स्वीकृत हैं, स्थान वार सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) इस कोटे के अन्तर्गत सभी हैण्ड पम्पों की स्वीकृति जिला परिषद द्वारा 9.11.99 को जारी की गई तथा 21.12.99 को इस कार्य हेतु राशि आंवटित की गई। माह जनवरी एवं फरवरी में राज्य कर्मचारियों की हड़ताल हो जाने के कारण इन हैण्ड पम्पों के कार्य में विलम्ब हुआ। 86 हैण्ड पम्पों में से 32 हैण्ड पम्प खोदे जा चुके हैं शेष का कार्य शीघ्र पूर्ण कर दिया जावेगा।

(3) 15 हैण्ड पम्पों के स्थापन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, शेष हैण्ड पम्पों के स्थापन का कार्य अप्रेल माह में पूर्ण कर लिया जावेगा।

(4) जी, हां। उक्त क्षेत्र अभावग्रस्त घोषित है। हैण्ड पम्प की खुदाई व फिटिंग में देरी के कारण बिन्दु संख्या–2 के उत्तर में वर्णित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

जैसलमेर हेतु इंदिरा गांधी नहर से पेयजल

370. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जिला जैसलमेर में सीमा क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत इंदिरा गांधी नहर से पेयजल लाने हेतु कोई योजना स्वीकृत हुई थी ?

(2) क्या यह सही है कि विभागीय उदासीनता से उक्त स्वीकृति वापस ले ली गई है ?

(3) क्या सरकार अब उक्त योजना स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं।

(3) ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं हैं।

ग्राम पंचायत इण्टाली (उदयपुर) के हैण्ड पम्पों की मरम्मत

371. **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पंचायत इण्टाली तहसील-मावली जिला उदयपुर को किस पेयजल योजना से कब जोड़ा गया है ? क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में पीने के पानी की आपूर्ति की गंभीर समस्या है एवं ऊंचाई पर स्थित मकानों में पानी की बूंद भी नहीं पहुंच पाती उसके बावजूद वहां के लोग पानी के बिल की राशि समय पर जमा करवाते रहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में पेयजल की आपूर्ति में सुधार लाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में पेयजल आपूर्ति हेतु एक नलकूप भी खुदवाया गया था यदि हां, तो कब ? क्या उक्त नलकूप से पानी आपूर्ति किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त नलकूप को गहरा करवाकर उक्त ग्राम की पेयजल समस्या का निस्तारण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त पंचायत क्षेत्र के अधिकांश हैण्ड पम्प खराब हैं ? यदि हां, तो उन्हें कब तक ठीक करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत इण्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर की पेयजल योजना पाइप्ड शैली की है, जो वर्ष 1981 से चालू है। गत तीन चार वर्षों से अनावृष्टि के कारण ग्राम में पेयजल समस्या है व वर्तमान में सेवा स्तर 9 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

के लगभग है। कम आपूर्ति के कारण ऊंचाई पर स्थित कुछ मकानों में पानी नहीं पहुंचता है। बिल विभाग द्वारा नियमानुसार न्यूनतम चार्जेज के बनाये जा रहे हैं। ग्राम में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु 21 हैण्ड पम्प भी लगाये हुये हैं। स्रोत संवर्धन हेतु 2.00 लाख रुपये की एक योजना नलकूप बनाने के लिये माह मार्च, 2000 में स्वीकृत की गई, जिसे शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(2) जी, नहीं। वर्णित ग्राम में विभाग ने कोई नलकूप नहीं खुदवाया है।

(3) इस पंचायत क्षेत्र में 32 हैण्ड पम्प स्थापित हैं, जिनमें से 24 हैण्डपम्प चालू हैं 6 हैण्ड पम्प सीजनल है तथा 2 हैण्ड पम्प परित्यक्त हैं।

ग्राम चावन्डिया (अजमेर) की स्वीकृत पेयजल योजना

372. **श्री रमजान खान** (पुष्कर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम चावन्डिया की पेयजल योजना हेतु 5 लाख 80 हजार रुपये की स्वीकृति जारी की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि डी.आर.डी.ए. अजमेर ने उक्त राशि अधिशाषी अभियन्ता जलदाय विभाग जिला ग्रामीण खण्ड अजमेर को स्थानान्तरित कर दी ? यदि हां, तो जिला ग्रामीण खण्ड अजमेर इस योजना को कब तक पूर्ण करवा देगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। ग्राम चावन्डिया की हैण्डपम्प योजना को पम्प एवं टैंक योजना में परिवर्तित करने हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अजमेर ने 5.14 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की है।

(2) जी, नहीं। विभाग को राशि हस्तान्तरण के बाद ही कार्य करवाना संभव हो सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र दूदू के ग्रामों में पेयजल व्यवस्था

373. **श्री महेन्द्र कुमार मीणा** (सिकराय) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में वर्ष 1999–2000 में कन्टीजेन्सी या अन्य योजना के तहत पेयजल हेतु किस–किस ग्राम का चयन किया गया है ? उक्त क्षेत्र के ग्रामों में आने वाली गर्मी में पेयजल आपूर्ति हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या सरकार ने उक्त योजना में ग्राम फरियादपुरा–रेटा, डोगरा, मीरापुरा, धमाण रसीली, खटवाड, किशनपुरा आदि को भी पेयजल योजना हेतु चयन किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में वर्ष 1999–2000 में कन्टींजेन्सी या अन्य योजना के तहत पेयजल हेतु 14 योजनाओं का चयन किया गया है। योजना से लाभान्वित होने वाले गांवों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। आने वाली गर्मियों में उक्त योजनाओं के अलावा 50 गांवों में 88 हैण्ड पम्प लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसकी सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) ग्राम फरियादपुरा व धमाणा को अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिये योजना में शामिल कर लिया गया है। रसीली ग्राम की पेयजल योजना स्वीकृत है जिससे वित्तीय वर्ष 2000–2001 में ग्राम को पेयजल उपलब्ध करवाना लक्षित है। किशनपुरा ग्राम स्वीकृत क्षेत्र जल योजना झाग में सम्मिलित हैं जिसे भी वित्तीय वर्ष 2000--2001 में पेयजल उपलब्ध करवाना लक्षित है। शेष ग्राम हैण्ड पम्प योजना से लाभान्वित है। उन ग्रामों में वर्तमान पेयजल व्यवस्था का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

विधान सभा क्षेत्र दूदू की स्वीकृत अपूर्ण पेयजल योजनाएं

374. **श्री महेन्द्र कुमार मीणा** (सिकराय) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में गत पांच वर्षों में पेयजल की कौन–कौन सी योजना कितनी–कितनी राशि की स्वीकृत हुई ? उक्त योजनाओं से क्षेत्र के कौन–कौन से ग्रामों को पेयजल मिलेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजनाओं में से अधिकांश अपूर्ण है ? यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त योजनाओं को पूर्ण कर क्षेत्र की ग्रामीण जनता को पेयजल सुलभ करवा देगी ? अपूर्ण योजनाओं में किन अधिकारियों की लापरवाही रही ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में गत पांच वर्षो में 37 जल योजनाएं 293.38 लाख राशि की स्वीकृत हुई। जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' में संलग्न है।

(2) जी, नहीं। कुल 37 योजनाओं में 2 योजना डी.आर.डी.ए. द्वारा निरस्त कर दी गई शेष 35 योजनाओं में से 28 योजनाओं पर कार्य पूर्ण हो चुका है। 7 योजनाओं पर कार्य पूर्ण प्रगति में है जिन्हें वर्ष 2000–2001 में पूर्ण करना लक्षित है। योजनाओं का अपूर्ण रहने का मुख्य कारण उपयुक्त स्रोत का चयन, स्रोत के चयनित स्थान में विभाग एवं ग्रामीणों के बीच स्थानीय विवाद होने के कारण एवं बिजली के कनेक्शन आदि

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

रहे हैं। अतः योजना के क्रियान्वयन में किसी अधिकारी की कोई कमी नहीं रहने से किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान पाइप लाइनों की तोड़फोड़

375. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) :-क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है राज्य कर्मचारियों की वर्ष 1999–2000 की हड़ताल अवधि के दौरान कर्मचारियों द्वारा जल वितरण की व्यवस्था अस्त–व्यस्त करने के लिये व्यापक पैमाने पर लाइनों आदि से तोड़–फोड़ की गई थीं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस नुकसान की भरपाई व टूटफूट की मरम्मत आदि में कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) उक्त व्यवस्था बनाये रखने के लिये कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा पाइप लाइनों को क्षति पहुंचाई गई थी, जिन्हें तुरन्त दुरूस्त करवाकर जल वितरण सामान्य स्तर पर संधारित किया गया था। इस पर हुआ खर्च सामान्य संधारण मद में डाला गया था तथा अलग से मद न होने के कारण अलग से लेखा नहीं रखा गया था। अतः उपमद विशेष में कार्यानुसार सही राशि बता पाना सम्भव नहीं है।

(2) हड़ताल के समय व्यवस्था बनाए रखने हेतु मजदूरों की व्यवस्था, विशेष चौकसी, वाहन किराया, आवश्यकतानुसार जल परिवहन व सामान आदि पर अनुमानतः 6.19 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी की स्वीकृत पेयजल योजनाएं

376. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के कड़वा पाटन, कानेटी वाया पुराना गांव कानेटी, दयालपुरा आदि गांवों की पेयजल योजना कब स्वीकृत हुई थी तथा उक्त योजना को कितने–दिन में पूर्ण कराने का प्रावधान था ?

(2) क्या उक्त योजनाओं का कार्य प्रारम्भ कर दिया है ? यदि हां, तो कब से प्रारम्भ हुआ तथा कब तक पूरा कर दिया जावेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के वर्णित ग्रामों हेतु स्वीकृत पेयजल योजनाओं का

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

विवरण निम्न है :–

1. बड़वा : ग्राम बड़वा वर्तमान में पम्प एवं टैंक योजना से लाभान्वित है। संवर्धन योजना के अन्तर्गत दिनांक 15.11.97 को रुपये 4.85 लाख के कार्य स्वीकृत हुए। मई, 98 में कार्य चालू कर लगभग 2 वर्ष में पूर्ण करना लक्षित है।

2. पाटन : ग्राम पाटन पम्प एवं टैंक योजना से लाभान्वित है। 30 जिला 30 काम के अन्तर्गत दिनांक 15.11.97 को रुपये 4.53 लाख की संवर्धन योजना स्वीकृत हुई है। उक्त योजना का कार्य मार्च, 98 में चालू कर लगभग 2 वर्ष में पूर्ण करना लक्षित था। योजना अप्रेल माह के अन्त तक पूरी कर दी जायेगी। ग्राम में 14 हैण्डपम्प स्थापित है जिनमें 13 चालू व 1 नकारा है।

3. कानेटी वाया पुराना गांव कानेटी इस नाम से कोई योजना स्वीकृत नहीं है। कानेटी गांव क्षेत्रीय जल योजना से लाभान्वित है एवं इस गांव की संवर्धन योजना दिनांक 28.10.99 को रुपये 1.25 लाख की स्वीकृत की गई है जिसको इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण करना लक्षित है।

4. दयालपुरा : ग्राम दयालपुरा एवं मदनपुरा हेतु क्षेत्रीय जल योजना दिनांक 16.11.99 को रुपये 10.74 लाख की स्वीकृत की गई है। मार्च, 2000 से कार्य चालू कर लगभग 2 वर्ष में पूर्ण करना लक्षित है। वर्तमान में दयालपुरा में 6 हैण्ड पम्प स्थापित है जिनमें से 2 चालू व 4 नकारा है। मदनपुरा में 3 हैण्ड पम्प स्थापित है एवं तीनों चालू हैं।

(2) उपरोक्तानुसार।

राज्य में खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस का दोहन

377. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :** क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य में पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस आदि के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? यदि हां, तो राज्य में कहां–कहां पर उक्त पदार्थ पाये गये हैं ?

(2) क्या खनिज तेल व प्राकृतिक गैस के दोहन की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कहां–कहां पर क्या–क्या पदार्थों का दोहन कब–कब किया जायेगा ?

(3) उक्त खनिजों के संबंध में राज्य सरकार की भविष्य की क्या योजना है ? जिसको कब तक किस प्रकार से मूर्त रूप दिया जायेगा और उस पर किस प्रकार से कितनी राशि व्यय की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी, नहीं, सर्वेक्षण कार्य चल रहा है।

(राज्य मंत्री, खनिज)

(2) जी हां। तनोट, डाडेवाला, बागी टिब्बा व मनेहरा टिब्बा से व्यवसायीक रूप से प्राकृतिक गैस का दोहन किया जा रहा है। जैसलमेर जिले के बागेवाला क्षेत्र से भारी तेल व बाड़मेर जिले के गुढ़ामालानी क्षेत्र से उच्च गुणवत्ता वाले तेल के दोहन हेतु योजनायें है।

(3) (अ) जैसलमेर जिले के बागेवाला क्षेत्र में 1991 में ऑयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा भारी तेल की खोज की गई थी परन्तु उसके बाद ऑयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा दोहन नहीं किया गया है। राज्य सरकार को इस भंडार का उचित दोहन हेतु विदेशी एवं स्वदेशी कम्पनियों से प्रस्ताव मिल रहे हैं। जिन्हें भारत सरकार से विचार–विमर्श व अनुमोदन पश्चात् योजना को क्रियान्वन किया जायेगा।

(ब) बाड़मेर जिले के गुंढ़ामालानी क्षेत्र में पाये गये उच्च गुणवत्ता वाले तेल के दोहन हेतु वर्ष 2000–2001 में विस्तृत भू–कम्पनी सर्वेक्षण के उपरान्त प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर कुछ और तेल कूपों का निर्माण करके दोहन किया जायेगा तथा संभव हुआ तो पेट्रोलियम रिफाइनरी की स्थापना की जायेगी। वर्ष 2000–2001 में इस क्षेत्र में केर्न एनर्जी/शेल कम्पनी द्वारा लगभग 54 करोड़ रुपये खर्च किया जावेगा।

(स) गंगानगर जिले के रायसिंह नगर के निकट एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा पौलेण्ड की पोलीस ऑयल एवं गैस कम्पनी के सहयोग से भू–कम्पनीय सर्वेक्षण पश्चात् चिन्हित किये गये दो स्थानों पर तेल व गैस के अन्वेषण कूपों का छिद्रण वर्ष 2000 के अंत तक आरम्भ करने की संभावना है इस क्षेत्र में एस्सार ऑयल कम्पनी द्वारा लगभग 19 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके है।

(द) जैसलमेर जिले के शाहगढ़ क्षेत्र में प्राकृतिक गैस व तेल हेतु फीनिक्स ओवरसीज कम्पनी द्वारा रूस की ऑयल व गैस कम्पनी के सहयोग से सर्वे कार्य का विश्लेषण किया जा रहा है। इस क्षेत्र में 3 कुएं वर्ष 2002 तक खोदे जावेगा। इस क्षेत्र में प्रथम चरण के तीन वर्ष की अवधि हेतु किये जाने वाले खर्चे की बैंक गांरटी का प्रकरण भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

जिला कोटा, बून्दी, बारां, एवं झालावाड़ के मन्दिरों में चोरी

378. **श्री मदन दिलावर (अटरू)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) दिसम्बर, 1998 से मार्च, 2000 तक जिला कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़ के कितने मन्दिरों में चोरी हुई ? मन्दिरों के नाम पता, कब–कब चोरी हुई तथा चोरी में क्या–क्या सामान चोरी हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री मदन दिलावर)

(2) उक्त में से किस–किस मन्दिर की चोरी का माल बरामद हुआ और कितने मन्दिरों की चोरी का माल बरामद नहीं हुआ ? नाम व गांव का नाम की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) एक दिसम्बर, 98 से 15 मार्च, 2000 तक जिला कोटा, बून्दी, बारां व झालावाड़ के मन्दिरों में चोरी की 110 घटनायें दर्ज हुई है। मन्दिरों के नाम पता, चोरी की दिनांक व चोरी गये सामान का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर अंकित है।

(2) घटित घटनाओं में से 19 अभियोगों में चोरी गया माल बरामद किया गया है तथा शेष 91 में चोरी का माल बरामद नही हुआ। नामवार ग्रामवार अभियोग वार विवरण परिशिष्ट 'अ' में अंकित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

थाना गोविन्दगढ़ (जयपुर) में दर्ज हत्या प्रकरण

379. श्री प्रभूलाल करसोल्या (नैनवां) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर के गोविन्दगढ़ थानान्तर्गत दिनांक 5 या 6 अगस्त, 1999 को ग्राम उडगंवार गुडलिया में बुधवार की रात श्री जगदीश जाट की हत्या की गई थी ? यदि हां, तो हत्या क्यों और कैसे की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त हत्या के संबंध में कितने हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया तथा कितने गिरफ्तार करने शेष हैं और शेष को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि श्री जगदीश जाट की हत्या दिनांक 4.8.99 की रात्रि 9.10 बजे ग्राम उडंगवार गुडलिया में की गई। दिनांक 5.8.99 की कराई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 4.8.99 को भैरूजी मोड़ रींगस के श्री जगदीश जाट, गणपत लाल, बाबूलाल व गोपाल ने बैठकर शराब पी तथा भैरूजी मोड़ से चारों श्री गोपाल सलानिया के ट्रेक्टर में बैठकर गांव उडगंवार रवाना हुए, रास्ते में नागल नदी में और शराब पी वहां से रवाना होकर मीणों की ढाणी के पास रास्ते में पहुंचे तो जगदीश गीला व गणपत लाल तथा बाबूराम रास्ते में उतर गये और गोपाल सलानिया अपना ट्रेक्टर लेकर अपनी ढाणी में चला गया तथा जगदीश गीला व बाबूराम व गणपत लाल रामलाल कोरा की ढाणी में पहुंच गये। वहां पर जगदीश गीला व कुमावतों के आपस में कहासुनी हो गई ज्यादा बात बढती देखकर गणपत लाल व बाबूलाल तो अपनी ढाणी के लिए अकेले निकल गये जमीन की रंजिश की वजह से जगदीश गीला की व अभियुक्तगणों के आपस में कहा सुनी होने

(गृह मंत्री)

पर अभियुक्तगणों द्वारा जगदीश गीला को पेड़ के रस्सी से बांधकर लाठी व फर्सी से मारपीट कर हत्या कर दी।

(2) इस प्रकरण में अभियोग संख्या 130/99 धारा 147, 148, 149, 342, 302 भा.दं.सं. व 120 बी भा.दं.सं. थाना गोविन्दगढ़ में अनुसंधान कर 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान दिनांक 21.9.99 को पेश किया जा चुका है। इस प्रकरण में अब कोई गिरफ्तारी शेष नहीं है।

प्रश्न संख्या-380

(स्थगित)

थाना बौंली एवं बामनवास (सवाई माधोपुर) के नामजद अपराधी की गिरफ्तारी

381. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मुल्जिम श्री धूलसिंह निवासी शीलोला थाना बौंली, सवाई माधोपुर, के विरुद्ध थाना बौंली एवं बामनवास में गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति के अनेकों मुकदमें दर्ज हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति के विरुद्ध अनेकों मुकदमों में न्यायालय के गिरफ्तारी वारन्ट भी जारी हो चुके हैं ? यदि हां, तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं करती है ?

(3) क्या यह सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट नम्बर 45/90/173/96 व 66/98 थाना बौंली एवं 15/99 थाना बामनवास में अभी तक मुल्जिम का चालान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त व्यक्ति को गांव के लोगों को डराने मारपीट करने, दलितों को प्रताड़ित करने के संबंध में कई बार धारा 107,116 (3) सी.आर.पी.सी. में पाबंद भी किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अपराधी का आतंक खतम करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। अभियुक्त श्री धूलसिंह, निवासी शीशोला थाना बौंली जिला सवाई माधोपुर के विरुद्ध पुलिस थाना बौंली में कुल 4 अभियोग दर्ज हुए हैं। पुलिस थाना बामनवास में धूलसिंह के विरुद्ध कोई अभियोग दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस थाना बौंली में दर्ज अभियोगों की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट 'क' से 'क–3' पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। उक्त व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस थाना बौंली के अन्तर्गत किसी अभियोग में न्यायालय का गिरफ्तारी वारंट प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) जी, नहीं। प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 45/90, 173/96, 66/98 सभी थाना बौंली

(गृह मंत्री)

व 15/99 थाना बामनवास में मुलजिम धूलसिंह नामजद नहीं हुआ है, तथा न ही अनुसंधान से उसके विरुद्ध कोई अपराध इन अभियोगों में प्रमाणित पाया गया है।

(4) श्री धूलसिंह निवासी शीशोला थाना बौंली के विरुद्ध पुलिस थाना बौंली द्वारा न्यायालय में धारा 107, 116(3) जा.फो. के इस्तगासा पेश किये गये हैं। तदोपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध 41/110 जा.फो. में भी दिनांक 17.12.99 को न्यायालय में इस्तगासा पेश किया गया है। वर्तमान में इसकी हिस्ट्रीशीट खोलने की कार्यवाही जारी है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के थानों में दर्ज प्रकरणों का निस्तारण

382. श्री **गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में कुल कितने थाने कार्यरत हैं और उनमें जनवरी, 1999 से फरवरी, 2000 तक कुल कितने मुकदमें किस—किस अपराध के दर्ज हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दर्ज अपराधों में कितने मुल्जिमान के विरुद्ध चालान पेश किया गया एवं कितने मामलों में आज तक भी मुल्जिमों का पता ही नहीं लग सका ? थानानुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में पुलिस द्वारा किसी मामले में कोई विशेष सफलता अर्जित की गई ? यदि हां, तो किस थाना क्षेत्र में और किस प्रकार की ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में कुल 7 थाने क्रमशः बड़ी सादड़ी भादसोड़ा, डूंगला, निकुम्भ, धमोतर, जाखम, रठाजना कार्यरत है। इनमें जनवरी, 1999 से फरवरी, 2000 तक कुल 1901 अभियोग दर्ज हुए हैं। थानेदार व शिर्षकवार सूची परिशिष्ट- 'क' संलग्न है।

(2) उक्त दर्ज अपराधों में अब तक कुल 2625 अभियुक्तों के विरुद्ध चालान पेश कर दिये गये हैं। थानावार सूची परिशिष्ट 'ख' संलग्न है। तथा जिन अभियुक्तों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है उनकी संख्या—172 है। थानावार सूची परिशिष्ट 'ग' संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के क्षेत्र में कार्यरत थाना भादसोड़ा में अभियोग संख्या 372/99 धारा 394 भा.दं.सं. में हाइवे लूट के संबंध में दर्ज किया गया जिसमें मध्य प्रदेश के देवास क्षेत्र के बदमाशान मोहम्मद नासीर, असलम, व रउफ को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी गई 10 लाख रुपये मूल्य की कपड़े की गांठ बरामद की गई इसी थाने के अभियोग संख्या 287/99 धारा 302, 201 भा.दं.सं. में दर्ज

(गृह मंत्री)

हुआ जिसमें एक अज्ञात महिला व दो बच्चों की लाशें मिट्टी की खाई में बरामद हुई जिनकी पहचान कर अभियुक्तगण श्रीमती गंगाबाई, उदय लाल सुथार, दौलतराम कुम्हार निवासी मोरवन को गिरफ्तार किया गया व उनसे हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद किये गये तथा चालान न्यायालय में पेश किया गया।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

जिला धौलपुर के थानों में पुलिस कर्मियों हेतु उपलब्ध वाहन

383. श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला धौलपुर के सरमथुरा क्षेत्र में खान मालिकों एवं मजदूरों की सुरक्षा के लिए कहां–कहां पर आर.ए.सी. एवं पुलिस बल तैनात किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले के सभी पुलिस थानों पर पुलिस वाहन उपलब्ध नहीं है तथा जिन थानों पर उपलब्ध है उन वाहनों की स्थिति अच्छी नहीं है ? क्या सरकार ऐसे वाहनों को बदलकर नये वाहन उपलब्ध कराने पर विचार रखती है ?

(3) उक्त जिले में जनवरी, 99 से फरवरी, 2000 तक कितने मामले राहजनी, लूटपाट, चोरी अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार के दर्ज किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(4) क्या रीको औद्योगिक क्षेत्र ओडेला रोड़ पर पुलिस चौकी की स्थापना की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला धौलपुर से सरमथुरा क्षेत्र में लगाई गई आर.ए.सी. की सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) उक्त जिले में थाना निहालगंज पर वाहन स्वीकृत नहीं हुआ है। हालांकि थाना निहालगंज को ड्यूटी हेतु जीप दी गई है। अन्य समस्त पुलिस थानों पर वाहन उपलब्ध है। वर्तमान में सभी थानों के वाहनों की स्थिति ठीक है।

(3) वांछित सूची परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(4) इस संबंध में पुलिस मुख्यालय से राज्य सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है लेकिन वित्त विभाग ने स्वीकृति प्रदान नहीं की है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

वनपालकों का स्थायीकरण

384. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विभाग में वर्ष 1979 बैच के नियुक्त वनपालकों का स्थायीकरण कर दिया

(श्री केसाराम चौधरी)

गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या नियमानुसार निश्चित समयावधि में कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं दी जाय, तो उन्हें चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाता है ? यदि हां, तो वर्ष 1979 के बैच को पदोन्नति क्यों नहीं दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग में उपलब्ध वनपालों के स्थायी पदों पर 1979 तक के वनपालों का आंशिक रूप से स्थायीकरण किया जा चुका है। अबशेष वनपालों के स्थायीकरण किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) वनपाल की पदोन्नति क्षेत्रीय द्वितीय के पद पर होती है। विभाग में क्षेत्रीय द्वितीय के 161 ही पद स्वीकृत होने से तथा 1979 के वनपालों के बैच से पूर्व के ही वनपाल अधिक संख्या में उपलब्ध होने से 1979 के बैच के वनपालों को पदोन्नति नहीं मिल सकी है।

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.1.92 तथा 17.2.98 के द्वारा राज्य कर्मचारियों को 9, 18, 27 वर्ष में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पदोन्नति प्राप्त न होने की अवस्था में चयनित वेतनमान स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। वनपालों को भी इन आदेशों के अन्तर्गत चयनित वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है।

जिला भीलवाड़ा में वृक्षारोपण पर व्यय

385. **डा. रतन लाल** (सहाड़ा) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला भीलवाड़ा में विभाग द्वारा गत 10 वर्षों में कुल कितने पेड़ लगाये गये उनमें से कितने पेड़ नष्ट हो गये तथा कितने जीवित बचे हैं।

(2) वर्ष 1990 से 2000 तक वृक्षारोपण पर उक्त जिले में कुल कितनी राशि व्यय की गई ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला भीलवाडा में विभाग द्वारा गत 10 वर्षों में कुल 130.53 लाख पौधे लगाये गये हैं। गत 10 वर्षों में कराये गये वृक्षारोपण क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए औसतन 75.46 प्रतिशत जीवित पाये गये है।

(2) वर्ष 1990–91 से 1999–2000 की अवधि में उक्त जिले में वृक्षारोपण पर कुल 1375.92 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई है। किये गये व्यय का रेंजवार विवरण परिशिष्ट 'क' अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

शाहगढ़ क्षेत्र (जैसलमेर) में वानिकीकरण

386. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर का शाहगढ़ अधिक रेतीला क्षेत्र है एवं क्या उसकी उड़ती रेत जिले के अन्य भागों में आती है ?

(2) क्या उक्त क्षेत्र में वानिकीकरण हेतु कोई योजना बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) शाहगढ़ क्षेत्र के लिए पृथक से कोई योजना नहीं बनाई गयी है। जैसलमेर जिले के लिंये कम्बेटिंग डेजर्टीफिकेशन की योजना के अन्तर्गत 17 करोड़ रुपये की धनराशि भारत सरकार से स्वीकृत कराई गई है जो चार वर्ष में व्यय की जानी है.। इस स्वीकृत धनराशि से शाहगढ़ क्षेत्र में भी टिब्बास्थिरीकरण का अग्रिम कार्य वर्ष 2000–2001 एवं वृक्षारोपण का कार्य वर्ष 2001–2002 में कराया जाना प्रस्तावित है।

जिला धौलपुर में वन भूमि पर अतिक्रमण

387. **श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** (बाड़ी) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला धौलपुर में वन विभाग की भूमि पर किन–किन स्थानों पर कौन–कौन व्यक्तियों द्वारा कहां–कहां अवैध कब्जा किया हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में वन विभाग के लिए आरक्षित भूमि पर अवैध खनन कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

(3) उक्त जिले में वन विभाग द्वारा चालू वर्ष में वृक्षारोपण कार्यक्रम में कितनी राशि व्यय की गई तथा यह कार्य कहां–कहां किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) उपलब्ध सूचना के आधार पर जिला धौलपुर में वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जों का व्यक्तिवार, स्थलवार विवरण परिशिष्ट 'क' सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) धौलपुर जिले में वन विभाग की भूमि पर यदा–कदा चोरी छिपे अवैध खनन किया जाना पाया गया है। इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा समय–समय पर गश्त करवायी जाती है। खान विभाग के अधिकारियों के साथ सामुहिक गश्त भी की जाती है। वर्ष 1999–2000 में वन विभाग एवं खनन विभाग द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु माह नवम्बर व दिसम्बर, 1999 में संयुक्त गश्त कर अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही

(राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण)

की गई है। वर्ष 1999–2000 में अवैध खनन कर्ता से राशि रुपये 8,60,552.00 वसूल किये गये एवं 5 प्रकरणों में न्यायालय में इस्तगासा पेश किया गया है।

(3) जिला धौलपुर में वर्ष 1999–2000 के दौरान वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्यो पर व्यय की गई धनराशि का विवरण परिशिष्ट 'ख' सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य में कार्यरत कुकिंग गैस एजेन्सियां

388. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में अब तक कुकिंग गैस एजेन्सियां कहां–कहां पर कार्यरत हैं और उनका कार्यक्षेत्र कौन–कौनसा है ? जिलेवार नाम गैस एजेन्सी स्थान और उनके कार्य क्षेत्र की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) भविष्य में कौन–कौन से स्थान पर किस–किस वर्ष में गैस एजेन्सियां चालू करने की योजना है ?

(3) क्या ग्रामीण क्षेत्र में भी खाना पकाने की गैस आपूर्ति करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या और कहां–कहां के लिए ?

उत्तर

(1) राज्य में अब तक कुकिंग गैस एजेन्सियां जहां–जहां पर कार्यरत है एवं जो उनका कार्यक्षेत्र है, की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) तेल कम्पनियों से प्राप्त भविष्य में प्रस्तावित नई गैस एजेन्सियों के मार्केटिंग प्लान की प्रति संलग्न कर दी गई है।

(3) भाग दो के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित नई कुकिंग गैस एजेन्सियों का विवरण भी उत्तर में संलग्न सूची में शामिल है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य बीज निगम के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

389. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ की वार्षिक आम सभा में सहकारी समिति के पदाधिकारियों ने सीड कॉरपोरेशन द्वारा उपलब्ध कराये गये बीज खराब होने की शिकायत की है ? क्या उक्त शिकायत के आधार पर कोई जांच करवाई गई है ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे ?

(2) क्या यह सही है कि बीज खराब होने से कृषकों द्वारा इसकी खरीद ही नहीं की, जिससे क्रय–विक्रय संघों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ ? यदि हां, तो इसके लिए किसे जिम्मेदार माना है एवं क्या सरकार किसानों को हुई आर्थिक हानि

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

की पूर्ति करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः कोई जांच इस संबंध में नहीं कराई गई है।

(2) जी, नहीं।

केन्द्रीय सहकारी बैंक सीकर में लम्बित प्रार्थना पत्र

390. **डा. समरजीत सिंह** (भीनमाल) एवं **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जनवरी, 1998 से अप्रेल, 1999 तक सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक, सीकर के समक्ष कितने किसानों के मैसी फरगूसन ट्रैक्टर लेने हेतु ऋण प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुये ? उनमें से कितने किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई और कितनों को नहीं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बैंक क्षेत्राधिकार में यह भी आता है कि कृषक की मौखिक सहमति के आधार पर कृषि योजना अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कर सकता है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त बैंक ने उक्त अवधि में किस–किस किसान की मैसी ट्रैक्टर के लिये कितनी–कितनी भूमि रहन रखी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी, 1998 से अप्रेल, 1999 तक सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., सीकर के समक्ष 119 किसानों से मैसी फरगुसन ट्रैक्टर लेने हेतु ऋण प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुए। 117 आवेदकों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। 2 कृषकों द्वारा ऋण लेने से इन्कार किया गया। वांछित सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं।

(3) उक्त बैंक ने उक्त अवधि में मैसी फरगुसन ट्रैक्टर हेतु उपलब्ध कराये गये ऋण के प्रति रहन रखी गई भूमि का विवरण परिशिष्ट–1 के कालम संख्या–3 में उल्लेखित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तालय में रखी गयी)

सेन्ट्रल काआपरेटिव बैंक कोटा के सेवानिवृत्त व्यवस्थापकों को प्रावधायी निधि की राशि का भुगतान

391. **श्री प्रताप सिंह** (छबड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि कोटा सेन्ट्रल काआपरेटिव बैंक कोटा के सेवानिवृत्त व्यवस्थापकों की प्रावधायी निधि खाते की राशि का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक उक्त भुगतान करा दिये जाने का विचार है ?

उत्तर

जी, हां, राजस्थान सहकारी साख संस्थाओं के संवर्ग नियंत्रण के संबंध में विभिन्न न्यायालयों सहित उच्चतम न्यायालय द्वारा भी व्यवस्थापकों के नियोक्ता के बारे में दिये गये निर्णयों के परिपेक्ष्य में भी व्यवस्थापकों के नियोक्ता का पूर्णतया निर्धारण नहीं हो सका है। अतः इसी कारण संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा व्यवस्थापकों की सामान्य प्रावधायी निधि का भुगतान नहीं हो सका। अब इस संबंध में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, कोटा को पंजीयक, सहकारी समितियां द्वारा वांछित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जा रहा है।

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में अकाल राहत कार्य

392. **डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) :** क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में किन–किन ग्रामों को अकालग्रस्त घोषित किया गया है ?

(2) उक्त क्षेत्र में किन–किन स्थानों पर चारा डिपो खोले गये हैं ?

(3) उक्त क्षेत्र में राहत कार्यों में क्या–क्या कार्य करवाये जा रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के 137 गांवों को अभाव घोषित किया गया है। घोषित गांवों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट 'अ')

(2) उक्त क्षेत्र में चारा डिपो खोलने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण चारा डिपो नहीं खोले गये हैं।

(3) उक्त क्षेत्र में स्वीकृत कार्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट 'ब')

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला बाड़मेर व जैसलमेर में नाड़ियों पर राशि की स्वीकृति

393. **श्री अमीन खान (शिव) :** क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य में अकाल राहत कार्य खोलते समय तालाब/नाड़ियां पर स्वीकृतियां एक समान दी जाती हैं ?

(2) जिला बाड़मेर व जैसलमेर मे ऐसे कितने तालाब या नाड़ियां हैं जिनमें बरसाती पानी एक–एक साल तक रहता है ? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिन–जिन नाड़ियां में 10 दिन भी पानी नहीं ठहरता है उन पर भी उतनी ही राशि स्वीकृत की जाती है जितनी एक–एक साल तक पानी

(श्री अमीन खान)

ठहरने वाली नाड़ी पर स्वीकृति दी जाती है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। कार्य स्वीकृत करते समय जिलों को उपलब्ध श्रमिक सीमा, क्षेत्र में रोजगार की आवश्यकता व उस क्षेत्र में मजदूरी हेतु उपलब्ध लोगों की संख्या एवं तालाब, नाड़ी की स्थिति ध्यान में रखते हुये कार्य स्वीकृत किये जाते हैं।

(2) ज़िला बाड़मेर व जैसलमेर में 170 तालाब, नाड़ियां हैं जिनमें पानी एक साल तक रहता है। सूची तहसीलवाइज सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी, नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

जन सम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित प्रकाशन

394. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जन सम्पर्क विभाग द्वारा कुछ प्रकाशन प्रकाशित किये जाते हैं ? यदि हां, तो एक जनवरी, 1999 से 15 मार्च, 2000 तक कौन–कौन से प्रकाशन अब तक प्रकाशित किये हैं ? उक्त प्रकाशनों की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकाशनों पर कितनी–कितनी राशि व्यय की गई ?

(3) कौनसा प्रकाशन प्रकाशित किया जाना है, इसका निर्णय किस प्रकार से किस स्तर पर किया जाता है ? क्या इस संबंध में कोई प्रक्रिया निर्धारित है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। उल्लेखित अवधि में निम्न प्रकाशन प्रकाशित हुये :–

1. राजस्थान में सैनिक कल्याण
2. दो स्टीकर्स (1) 'आज का काम आज आज का काम अभी'
   (2) 'हर गलती कीमत मांगती है'
3. पारदर्शी संवेदनशील एवं जवाबदेह प्रशासन–छह माह का कार्यकाल 108 महत्वपूर्ण फैसले।
4. पारदर्शी, संवेदनशील एवं जवाबदेह प्रशासन। महत्वपूर्ण फैसले।
5. जन कल्याण का एक वर्ष।

उक्त प्रकाशनों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गयी हैं।

(2) उक्त प्रकाशनों पर निम्नानुसार राशि व्यय की गई :

1. राजस्थान में सैनिक कल्याण	7071.00
2. दो स्टीकर्स	19200.00

(राज्य मंत्री, जन सम्पर्क)

(1) 'आज का काम आज आज का काम अभी'

(2) 'हर गलती कीमत मांगती है'

3. पारदर्शी संवेदनशील एवं जवाबदेह प्रशासन– छह माह का कार्यकाल 108 महत्वपूर्ण फैसले। 39108.65

4. पारदर्शी, संवेदनशील एवं जवाबदेह प्रशासन। महत्वपूर्ण फैसले। 133448.05

5. जन कल्याण का एक वर्ष। 7215.00

(3) प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से आवश्यकता अनुसार प्रचार–प्रसार के लिए प्रकाशनों का निर्णय सूचना एवं जन संपर्क निदेशालय द्वारा किया जाता है।

उदयपुर-फतहनगर मार्ग निगम सेवा का बस संचालन

395. **श्री केसाराम चौधरी (खारची)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर फतहनगर मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग है और उक्त मार्ग पर निगम बस सेवा संचालित थी ? यदि हां, तो उक्त सेवा कब से कब तक संचालित रही एवं उक्त अवधि के यात्रीभार का माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ समय से उक्त मार्ग पर निगम बस सेवा को बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर निजी बस सेवा हेतु निजी बस मालिकों को परमिट जारी कर रखे हैं ? यदि हां, तो राष्ट्रीयकृत राजमार्ग पर निजी बसों के संचालन को किस कारण खोला गया है ? क्या सरकार अब उक्त मार्ग पर निगम बस सेवा पुनः प्रारम्भ करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। इस मार्ग का राष्ट्रीयकरण माह अक्टूबर, 1985 में किया गया था। इस मार्ग पर सड़क निर्माण से पूर्व भी निगम द्वारा वाहनें संचालित की जा रही थी तथा वर्तमान में भी संचालित की जा रही है।

उदयपुर से फतहनगर मार्ग होकर संचालित निगम बस सेवाओं का गत 6 माह (सितम्बर, 99 से फरवरी, 2000 तक) का मार्गवार एवं माहवार प्राप्त हुए औसत यात्रीभार का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–1)

(यातायात मंत्री)

इन सेवाओं के अतिरिक्त निगम के विभिन्न आगारों द्वारा वर्तमान में फतहनगर होकर निम्न मार्गों पर उनके सामने अंकित संख्या में दैनिक परिचक्र और संचालित किए जा रहे हैं :–

क्र.सं.	मार्ग	परिचक्र
1.	अहमदाबाद–चित्तौड़	2
2.	उदयपुर–कोटा	4
3.	उदयपुर–चित्तौड़	6
4.	उदयपुर–भीलवाड़ा वाया राशमी	2
5.	उदयपुर–भीलवाड़ा	2
6.	सिरोही–चित्तौड़	2
7.	उदयपुर–राशमी–पहुंना	2
8.	उदयपुर–तिजारा	2
9.	राशमी–कपासन	2
10.	आबूरोड–चित्तौड़	2
11.	डूंगरपुर–चित्तौड़	2
12.	डूंगरपुर–जयपुर	2
13.	मा. आबू–कोटा	2

(2) जी नहीं।

(3) उक्त मार्ग पर निजी बस सेवा हेतु बस मालिको को कोई परमिट जारी नहीं कर रखे हैं।

जहां तक इस मार्ग पर निगम द्वारा संचालित बस सेवाओं का संबंध है निगम द्वारा बस संचालन कभी बन्द नहीं किया गया था, अतः पुनः निगम बस सेवा प्रारम्भ किए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र मूण्डवा में निगम बस सेवा

396. **श्री हबीबुर्रहमान** (मूंडवा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मुण्डवा में राज्य पथ परिवहन निगम बस सेवा प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक तथा किन–किन मार्गों पर और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हां। मूण्डवा विधान सभा क्षेत्र के निम्नलिखित तीन मार्गों के राष्ट्रीयकरण के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है :–

1. मेड़ता से गोटन
2. नागौर से बासनी
3. कुचेरा से संखवास

राष्ट्रीयकरण हो जाने के पश्चात् निगम द्वारा वाहन संचालन प्रारम्भ किया जाना सम्भव हो सकेगा।

वर्तमान में इस क्षेत्र के ग्रामों से होकर निम्न मार्गों पर निगम द्वारा वाहन सेवाएं संचालित की जा रही है :–

1. नागौर–बीकानेर
2. नागौर–अजमेर
3. नागौर–जोधपुर

(यातायात मंत्री)

4. नागौर—फलौदी

5. नागौर—डीडवाना

हरमाड़ा से बड़ी चौपड़ नगरीय बस सेवा संचालन

397. **श्री भंवरलाल शर्मा** (सरदारशहर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से जयपुर शहर की विभिन्न कॉलोनियों एवं उप नगरों में नगरीय बस सेवा का संचालन इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि अधिकाधिक संख्या में आमजन को परिवहन सुविधा उपलब्ध हो ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में नगरीय बस सेवा के रूट नम्बर 157 व 158 की बसें पूर्व में चांदपोल, सोडाला, वैशाली नगर, वैशाली सर्किल, वैशाली मार्ग, क्वींस रोड़ झाड़खण्ड महादेव मंदिर, परिवहन नगर, खातीपुरा, मुर्गीफार्म होते हुए झोटवाड़ा तक चलती थी और गत दो वर्ष से यह रूट बदल कर सीधे वैशाली सर्किल से खातीपुरा की तरफ बसें चलती हैं ? यदि हां,तो क्यों ?

(3) क्या सरकार हरमाड़ा से वाया ढहर का बालाजी चौमूं पुलिया होकर सीधी बड़ी चौपड़ हेतु बस चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि वैशाली मार्ग पर श्री नेमीनाथ दिगम्बर जैन मंदिर एवं क्वींस रोड पर झाड़खण्ड महादेव मंदिर स्थित है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में दर्शनार्थी आते हैं ?

(5) क्या यह भी सही है कि वैशाली मार्ग के दोनों ओर गोम्स डिफेंस कालोनी, नेमीसागर कालोनी, राठौड़ फार्म, वीर विहार प्रताप नगर आदि कई कालोनियां गत दो वर्षों में विकसित हो चुकी है एवं इनमें रहने वाले नागरिकों को परिवहन की कोई सुविधा वर्तमान में उपलब्ध नहीं है ?

(6) क्या सरकार का रूट नम्बर 157 व 158 की नगरीय बसों को वैशाली सर्किल से वैशाली मार्ग, झाड़खण्ड महादेव मंदिर होते हुए शुरू करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। मिनी बसों को अधिक संख्या में परमिट देने से निगम के वाहनों को पर्याप्त यात्रीभार नहीं मिलने के कारण शिड्यूल संख्या 157 एवं 158 का मार्ग वैशाली सर्किल से खातीपुरा की तरफ होकर किया गया है।

(3) जी, नहीं। हरमाड़ा—चांदपोल वाया ढहर के बालाजी चौमूं पुलिया होकर सीधी बस बड़ी चौपड़ तक चलाया जाना आर्थिक

(यातायात मंत्री)

दृष्टि से उचित नहीं हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन, शास्त्री नगर, विद्याधर नगर आदि कालोनियों से निजी बसों का संचालन इतना अधिक है कि यात्रीभार उपलब्ध होने की सम्भावना कम है।

(4) जी, हां।

(5) जी, नहीं। चांदपोल से वैशाली नगर संचालित होने वाली वाहन का लाभ प्रश्न में अंकित कालोनी वालों को प्राप्त हो रहा है।

(6) जी, हां। वैशाली सर्किल से वैशाली मार्ग, झाड़खण्ड महादेव मन्दिर होते हुए दो वाहनों का संचालन अप्रेल माह में किया जाना प्रस्तावित है।

कृषि उपज मण्डी समिति की दुकानों में आरक्षण

398. **श्री भरोसी लाल** (हिण्डौन) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कृषि उपज मण्डी समितियों की निर्मित दुकानों में अनुसूचित जाति/जनजाति व पिछड़े वर्ग का कितना–कितना प्रतिशत आरक्षित है ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने राज्य की सभी कृषि उपज मण्डियों में आरक्षित कोटे की पूर्ति कर रखी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समितियों की निर्मित दुकानों में अनुसूचित जाति/जनजाति व पिछड़े वर्ग के आरक्षणों का प्रावधान नहीं है।

(2) उपरोक्तानुसार।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

1. श्रीमती सुमित्रा सिंह एवं 10 अन्य सदस्यों की ओर से पंचायत समिति झुंझुंनूं के वार्ड संख्या–23 के एक प्रत्याशी की हत्या के मामले में 32 निर्दोष लोगों को गिरफ्तार रखने से जनता में व्याप्त आक्रोष के सम्बन्ध में।

2. श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य की ओर से राज्य के कृषि मंत्री के निवास पर आई.एस.आई. के एजेन्टों के एकाधिक दिन ठहरने की कथित सूचना के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों... (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : जानकारी प्राप्त का कोई समय तो निश्चित कीजिये। यह जानकारी प्राप्त करने का...

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी प्राप्त करके करेंगे ना।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तो कोई समय तो निश्चित कीजिये कि दो दिन, तीन दिन...

श्री उपाध्यक्ष : बहुत जल्दी करेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जल्दी से क्या मतलब है आपका ?

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी में आप समझ लो ना।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बहुत महत्वपूर्ण मामला है, दो महीने से...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 32 निरपराध आदमी जेल में बंद पड़े हैं। झुंझुनूं जिले में बड़े–बड़े आन्दोलन हो रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या हो गया ?...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लोग आक्रोशित हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह आपके लिये नहीं हो गया। आपके लिये तो नहीं हो गया। जेल में बन्द पड़े है उनके लिये...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो, वे बोल रही हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर बात है...

श्री उपाध्यक्ष : वह ज्यादा गंभीर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, मैं गंभीर नहीं हूं ? आप कहना क्या चाहते हो ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो प्लीज।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन है कि ढाई महीने से निर्दोष व्यक्ति जिनका कोई लेना नहीं है, देना नहीं है, मतलब नहीं महज रिश्तेदार होने के नाते आज जेल में बन्द पड़े हुए हैं। झुंझुनूं के अन्दर 18 तारीख से लगातार महिलाओं का धरना जारी है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, इसकी सूचना प्राप्त हो जाने दीजिये फिर आपको बोलने का अवसर देंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं आपसे यही निवेदन कर रही हूं कि मुझे कोई समय दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं भी यही निवेदन कर रहा हूं कि शीघ्र सूचना मंगा देंगे आपको।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह ढाई महीने पुराना मामला है...

श्री रामस्वरूप : आसन पैरों पर है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, आसन पैरों पर है, ठीक है मैं भी पैरों पर हूं I am in possession of the Floor. मेरी बात तो सुनें कम से कम।

श्री रामस्वरूप : आपको वे कहते हैं तो बात को आप नहीं मानते हो । अब आप ही

(श्री रामस्वरूप)

नहीं मान रही है आसन की बात को...

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी। प्लीज, रामस्वरूपजी, आप बैठो।

श्री रामस्वरूप : अब आप ही नहीं मान रही हैं आसन की बात को आज। वही बात आप पर लागू होती है। नियम सब पर लागू होंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन उसको माने या इसको आसन माने, मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा है। आखिर आप सरकार को यह कहें, सरकार सब बातों से आथोराइज हैं आप सरकार से दो दिन, तीन दिन, कुछ समय तो निश्चित करवा दीजिये कि जिस समय में वह इसका जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी, कब तक सूचना...(व्यवधान) एक मिनट...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, अर्लियेस्ट तो 17 तारीख ही हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कल तो हो नहीं सकती। तीन दिन का आप समय खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। 17 तारीख को जब सदन आहूत होगा मैं जानकारी दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है।...

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, मेरा जो प्रस्ताव है उसमें सूचना वाली कोई बात नहीं है। गृह मंत्रीजी मौजूद हैं यहां पर कृषि मंत्रीजी मौजूद हैं, यह एक बहुत गंभीर विषय है, आप भी इसको एप्रीशियेट करेंगे। यह...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मैं तो एप्रीशियेट नहीं करूंगा। मैं काहे को एप्रीशियेट करूंगा ? कैसे एप्रीशियेट करूंगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : कोई आदमी एप्रीशियेट नहीं करेगा, यह बिलकुल सही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक कैबिनेट मिनिस्टर के घर पर आई.एस.आई. एजेंट का ठहरना...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आपका कहना है ना, It is a matter of inquiry.

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं मैं नहीं कह रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष : आपने कहा है यह। आपने कह दिया जो आथेंटिक थोड़े ही है कि आपने कह दिया जो सही हो गया ?...

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। कह ही नहीं रहा मैं...

श्री उपाध्यक्ष : Whosoever has said ? It has to be enquired into.

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं कह ही नहीं रहा। इतनी बड़ी बात कह ही नहीं सकता। Let him deny. क्वेश्चन यह है कि यह समाचार का आना कि कैबिनेट मिनिस्टर के घर पर आई.एस.आई. एजेंट ठहरे हैं, बाकायदा नाम दिये हैं उनके अन्दर। मैं तो चाहता हूं कि इसका खंडन हो। मैं इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं हूं सही तरीके से...

श्री उपाध्यक्ष : खंड़न तो...(व्यवधान) प्लीज सिट डाउन। खंडन तो तब होगा कि सरकार यह स्वीकार कर ले कि आई.एस.आई. एजेंट माननीय मंत्रीजी के घर पर ठहरे। सरकार ने नहीं माना। यह खंडन तो सरकार स्वयं कर देगी। कोई भी आदमी पर आप एलीगेशन लगा दें और कह दें कि खंडन कर दें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, Try to understand, मैं ऐसा एलीगेशन कभी नहीं लगाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आई अंडरस्टैंड। आप भी सूचना के आधार पर ही यह एलीगेशन लगा रहे हो। (व्यवधान) यू डोंट नो एनी आथेंटिक...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नों, नो, उपाध्यक्ष महोदय, यह सूचना बड़ी गंभीर है। राजस्थान में इस तरह की बातें फैलना, मैं चाहता हूं कि यह सूचना गलत निकले। मैं यह तमाम एलीगेशन लगाने वाला, आई विल बी दी लास्ट पर्सन, कि इस तरह का एलीगेशन लगाऊ कि कैबीनेट मिनिस्टर के घर पर आई.एस.आई. एजेन्ट ठहरा। लेकिन यह सूचना का प्रचारित होना राजस्थान के अन्दर एक गंभीर मसला है और इसको जल्दी से जल्दी क्लैरीफाई करना चाहिये। यदि यह सच है तब तो आपको कार्यवाही करनी चाहिए और यह गलत है तो इस बात का क्लेरीफिकेशन आना चाहिये। The Hon'ble Minister is present here. The Hon'ble Home Minister is present here, Let them clarify.

श्री उपाध्यक्ष : Let them enquire into it and clarify it. How can you say ? How can the Home Minister say that whether it is correct or not ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : होम मिनिस्टर तो यह प्ली ले सकते हैं कि मैं ऑफ हैण्ड नहीं कह सकता हूं, लेकिन कृषि मंत्री तो बोल सकैते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी सूचना का आधार क्या है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह कौनसे पेपर में आया है ? आपके पास क्या सबूत है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह समाचार... (व्यवधान) कई पेपर्स में आया है। आज भास्कर में भी आया है। पहले महानगर टाइम्स में आया है। सवाल यह नहीं है जो अखबार में यह खबर छापते हैं, माननीय राठौड़ साहब, वे भी बहुत जिम्मेदारी से

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

छापते हैं। अगर वे गलत छापते हैं तो मैं यह भी कहता हूं कि उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये। यह मामूली खबर नहीं है। एक कैबिनेट मिनिस्टर के लिये इस प्रकार की खबर छपना अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है कि राजस्थान गवर्नमैंट का मिनिस्टर है और उसके यहां आई.एस.आई. के एजेन्ट ठहरते है। मैं तो चाहता हूं कि इसका खंडन हो। मंत्रीजी यहां बैठे हैं, इसका खंडन क्यों नहीं करते हैं।

श्री तैयब हुसैन (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि मेरे यहां कोई इस तरह का आदमी न तो ठहरा है और न कोई ठहरने की हिम्मत कर सकता है। ये सारी बिलकुल गलत और बेबुनियाद बातें हैं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :--

(1) श्री हरीश कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नावां के गांवों में पेयजल की गंभीर समस्या के संबंध में।

(2) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से बूंदी, बारां एवं कोटा जिले में पीलिया रोग के फैलने की संभावना के संबंध में।

(3) प्रो. सांवर लाल, सदस्य की ओर से बीसलपुर जल परियोजना क्षेत्र के किसानों को उचित मुआवजा नहीं देने से उनमें व्याप्त आक्रोश के संबंध में।

(4) डा. किरोड़ी लाल एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से जिला दौसा के ग्राम भगलाई थाना नांगल राजावतान में तीन मासूम बच्चों की हत्या करने के मामले को पुलिस द्वारा भूत--प्रेत व्याधा बताने के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य योग्य नहीं हैं, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। (व्यवधान) उसको बंद कर दिया, ज़ीरो आवर खत्म हो गया...(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री हीरासिंह चौहान : टाइम थोड़े ही आता है उसमें ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो ले लूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है।

श्री हीरासिंह चौहान : इतने महत्वपूर्ण मामले हैं...(व्यवधान) जीरो आवर कभी खतम होता है क्या ? (व्यवधान) लेना चाहिये आपको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है।...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : 295 लेना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : तो ले लूंगा। I have no objection.

श्री हीरासिंह चौहान : यह तो प्रोसीजर दे रखा है। जीरो आवर का कोई टाइम नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्यों बहस कर रहे हैं ? ले रहा हूं ना। (व्यवधान) मैं तो आपको अधिक समय डिबेट पर देना चाहता हूं। आप नहीं लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। (व्यवधान) 295 को यदि आप पढ़े हुए मान ले तो...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नाम तो बोल देते।

श्री उपाध्यक्ष : हां, नाम बोल देता हूं। I agree...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, नाम बोलने से पहले मैं बड़ा महत्वपूर्ण मामला आपके सामने लाया था कि थाना नांगल राजावतान में...

श्री उपाध्यक्ष : हो गया ना उसका तो।

डा. किरोड़ी लाल : व्यवस्था कहां दी ?

श्री उपाध्यक्ष : अभी दी है ना व्यवस्था ?

डा. किरोड़ी लाल : बोलने की दी।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने की नहीं दी।

डा. किरोड़ी लाल : अभी बोला था, सुना नहीं क्या ? फिर बोल देता हूं। डा. किरोड़ी लाल एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से जिला दौसा के ग्राम भगलाई के थाना नांगल राजावतान में तीन मासूम बच्चों की हत्या करने के मामले को पुलिस द्वारा भूत–प्रेत व्याधा बताने के संबंध में। यही है ?

डा. किरोड़ी लाल : हां, यही है।

श्री उपाध्यक्ष : उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य योग्य नहीं हैं, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मामला बहुत गंभीर है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, तीन–तीन बच्चे...(व्यवधान) कोई दो साल का कोई तीन साल का...(व्यवधान) और पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि भूत–प्रेत के कारण हो रहे हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : पुलिस यह कहती है कि भूत–प्रेत के कारण हुए हैं तो यह बहुत गंभीर मामला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : गंभीर है...(व्यवधान) और किसी दिन उठा लेना इसको।

श्री मदन दिलावर : और कितने लोग मरे हैं ? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि ग्राह्य योग्य नहीं हैं, यही आपका निर्णय है तो आपने सरकार से सूचना लेकर यह कहा है या आपकी मर्जी से कहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह कहा है ना कि सूचना प्राप्त हो गयी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सूचना प्राप्त हो गयी है तो बता दें कि क्या हुआ है मामला ?

श्री उपाध्यक्ष : बता देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : सूचना आएंगी तब बता देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मामला क्या है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जिनसे संबंधित हे उनको पढ़वा दी गयी है सूचना, वे संतुष्ट हो चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम भी हो जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उनसे पूछें कि आपको सूचना पढ़ायी कि नहीं पढ़ायी। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : सात लोगों की नहीं पढ़ायी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये कृपया।

डा. किरोड़ी लाल : तीन मासूम बच्चों को...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : नहीं पढ़ायी गयी। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कोई ढाई साल का, कोई तीन साल का...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में विधान सभा सचिवालय द्वारा सरकार से जानकारी मांगी गयी है। सूचना हमने भेजी दी है और यह मामला अभी इन्वेस्टिगेशन के तहत चल रहा है। पहले गांव वालों ने और परिवार वालों ने किसी तरह की सूचना नहीं दी थी और न इस बात को माना था। हमने उनसे बार-बार जाकर के जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। सी.ओ. को हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन सौंपी है, इसकी जांच जारी है। जांच के परिणाम आने के बाद सदन को अवगत करा दिया जाएगा।

डा. किरोड़ी लाल : आप रिपोर्ट क्या आई है, वह पढ़कर बता दो। ग्राह्य क्या नहीं है, हमें यह बता दें। जो रिपोर्ट आपके सामने आयी है, हम आपसे दो सवाल पूछेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जब तक इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर है, परिणाम तक नहीं पहुंच सकते हैं, तब तक क्या बता देंगे ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : क्या रिपोर्ट लिखायी है...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आपको कोई सूचना ही नहीं दी तो ग्राह्य है या नहीं...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सूचना दे

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

दी है हमने।

श्री उपाध्यक्ष : सूचना दी है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह जो घटना घटी है उसकी जांच करने के लिये सी.ओ.को आदेश दे दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो आम बात है।

श्री उपाध्यक्ष : यही सूचना है और क्या सूचना है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह दे दी है, उसी में तो है।

श्री उपाध्यक्ष : यही तो सूचना दी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। यह जो आपने कहा है कि परिवार के लोगों ने बार–बार कोशिश करने के बावजूद रिपोर्ट नहीं दी है, यह बात बिलकुल असत्य है। दोनों पति–पत्नि मुझसे मिले हैं, जिस प्रकार की उनकी स्थिति थी। मैंने उनसे पूछा कि तुम रिपोर्ट करने क्यों नहीं गये ? उन्होंने कहा कि हम रिपोर्ट करने गये, हमारी रिपोर्ट लिखी नहीं। उन्हीं के सामने मैंने एस.पी. को टेलीफोन किया कि तीन–तीन बच्चे मर गये, उनकी रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की जा रही हैं। उन्होंने कहा, मेरे कहने से पहले ही बताया कि हमने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। उपाध्यक्ष महोदय, तीन बच्चे, एक बच्ची को कुएं में डाल दिया वह मर गयी, दूसरी बच्ची को कुएं में डाल दिया और तीसरे बच्चे को, तीनों की डैड बाडी एक ही कुएं के अंदर मिलती है। उसके बाद भी भूत–प्रेत की बात वहां चले तो वह उचित नहीं है। मैं समझता हूं यह सीरियस मामला है। गृह मंत्रीजी इसको सीरियसली लें और इस मामले में खोजबीन करें। आप तो कह रहे हैं जानकारी नहीं है, कल भी मैंने पूछा था कि क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि हमें जिन आदमियों पर संदेह है उनसे हम इन्वेंस्टिगेशन कर रहे हैं। वह मामला कई दिनों से पैंडिंग पड़ा है। आजकल एक नया रिवाज हो गया है गृह मंत्रीजी स्वीकार नहीं करेंगे कि केस रजिस्टर नहीं करते हैं रजिस्टर कराने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, सिफारिश करानी पड़ती है। इस बात का आप ध्यान रखें वर्ना अगर पहले ही दिन, ऐसा नहीं है कि वह गांव कोई विलायत में है या दूसरे प्रोविन्स में है। दौसा जिले में ही है, नांगल थाने के पास में गांव है। गांव वाले रिपोर्ट करें और पता नहीं लगे। पहले ड्यूटी तो पुलिस की है कि डैड बाडी कुएं में मिले और दूसरी डैड बाडी भी कुएं में मिले, तीनों की डैड बाडी कुएं में मिली और पुलिस पहुंच ही नहीं पायी और पोस्टमार्टम नहीं किया। उन दोनों की आप हालत देखें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि दोनों पति–पत्नी की हालत देखें

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

किस प्रकार की है जब तीन बच्चे एक महीने या डेढ़ महीने में कुएं के अन्दर मर जाएं, उस परिवार की स्थिति क्या होगी ? इसलिए आप इसे थोड़ा गंभीरता से लें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : गंभीरता से लेते हुए ही हमने केस रजिस्टर कर दिया है और सी.ओ.को जांच अधिकारी बनाया गया है मैंने प्रेम सिंह चूंडावत, एस.पी. से दो रोज पहले बात की है, उन्होंने कहा है कि इसको सात–आठ दिनों में वर्क आउट करूंगा। उनको जिम्मेदारी सौंपी है।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया ना...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका सबजैक्ट नहीं है ...(व्यवधान) आप बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री सावंर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरे को जानकारी नहीं दी कि क्या सरकार ने जवाब दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : काहे की जानकारी ?

श्री सांवर लाल : बीसलपुर बांध कम्प्लीट हो गया है, फाटक इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि डूब में आने वाले किसानों को मुआवजा सरकार नहीं दे पायी है। जिससे लाखों एकड़ जमीन में किसानों को पानी मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप काहे पर बोल रहे हैं ?

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इससे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है ? राजस्थान में अकाल पड़ा हुआ है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। बीसलपुर का बांध अगर पूरी क्षमता तक रुक जाए तो किसान सरसब्ज हो जाएंगे। आज इस महत्वपूर्ण मामले में सरकार का क्या जवाब है ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य। बता देंगे बिराजिये।

श्री रमजान खान (पुष्कर) : बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : महत्वपूर्ण होता है, तभी आता है।

श्री सांवर लाल : आप ही बता दें, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का पैसा लगा हुआ है, बांध पूरा बना हुआ है, केवल 315 मीटर - इसलिए नहीं रूक रहा है कि मुआवजा नहीं दे पा रही है। आखिर सरकार किसानों के लिए मुआवजे की व्यवस्था नहीं कर सकती है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : करेगी, करेगी, सरकार करेगी।

श्री सांवर लाल : कुछ तो कहलवा दें, साहब। अभी हमारे वाले मामले में कुछ फैसला नहीं हुआ, इस पर क्या जवाब देगी सरकार ?

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : (1) श्री जीतमल खांट, सदस्य की ओर से जिला बांसवाड़ा के कडाना बांध की डूब में आई भूमि के काश्तकारों को मुआवजा देने के संबंध में।

(2) श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के चिकित्सालयों में व्याप्त अव्यवस्था के संबंध में।

(3) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के कुछेक नए बांध एवं तालाब बनाए जाने के संबंध में।

(4) श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से पाली नगर परिषद द्वारा बाढ़ पीड़ितों हेतु बसाई गई आवासीय योजना के संबंध में।

(5) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की ग्रामीण सड़कों का नवीनीकरण–मरम्मत करवाए जाने के संबंध में।

(6) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से निर्वाचन क्षेत्र चूरू में वित्तीय वर्ष 1999–2000 में सड़क के निर्माण व रख–रखाव पर हुआ व्यय मात्र कागजों में होने के सम्बन्ध में।

(7) श्री आत्माराम मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र देसूरी की सड़कों की मरम्मत करवाए जाने के संबंध में।

(8) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की सड़कों की दयनीय स्थिति के संबंध में।

(9) श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से निर्वाचन क्षेत्र पिलानी के ग्राम बनगोठड़ी बड़ी व बनगोठड़ी छोटी स्थित विद्यालयों का नाम शहीदों के नाम पर रखने के संबंध में।

(10) श्री शिवनारायण नागर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बारां व अटरू में परवन नदी पर बना पुल डूब जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) डा. रतन लाल जाट, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के गंगापुर कस्बे में रसोई गैस एजेंसी नहीं होने के संबंध में।

(12) श्रीमती पूनम गोयल, सदस्य की ओर से राज्य मे अश्लील फिल्मों, पोस्टरों एवं चित्रों की सार्वजनिक स्थानों एवं विज्ञापनों में बाढ़–सी आने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(पढ़ी हुई मानी गयी सूचनाओं के लिये कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : मेरी भी एक पर्ची है।

श्री उपाध्यक्ष : पर्चियां तीनों ही फेमिन पर हैं, आप बहुत बोल लिए फेमिन पर और

(श्री उपाध्यक्ष)

अगली बार बोल लेना, विराजो। आप तो रोज बोलते हैं न उस पर आज नहीं बोले तो क्या है ? श्री छोगाराम बाकोलिया।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1997-98

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 33(4) के अंतर्गत राजस्थान राज्य परिवहन निगम के लेखों का 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं प्रमाण–पत्र सदन की मेज पर रखता हूं।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन। श्री अमीन खान।

श्री अमीन खान (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित याचिकाएं सदन में उपस्थापित करता हूं :–

शिव तहसील मुख्यालय में 132 के.वी.ए. ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना

(1) जिला बाड़मेर के तहसील मुख्यालय शिव के 132 के.वी ग्रिड की स्थापना बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

शिव पंचायत समिति के पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़क से जोड़ा जाना

(2) जिला बाड़मेर की पंचायत समिति शिव के विभिन्न पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़कों से जोड़ने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमजान खान।

श्री रमजान खान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित याचिकाएं सदन की मेज पर उपस्थापित करता हूं :–

गोविन्दगढ़ बांध, पुष्कर की नहरों को पक्का किया जाना

(1) पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के गोविन्दगढ़ बांध की नहरों को पक्की करने बाबत दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

पीसांगन से करनोस तक सड़क की मरम्मत।

(2) जिला अजमेर के पीसांगन से करनोस तक की सड़क की मरम्मत करनें बाबत दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, सुमित्राजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चार तारीख को मैंने नियम 131 में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था, उस पर आज दिन तक आसन की ओर से किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं दी गई हैं। मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगी कि आखिर

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

इतने दिन बीत गए। वैसे तो अमूमन तीन–चार दिन में उसका जवाब आता है, आज सात दिन से ज्यादा हो गए, चार तारीख को दिया था। इस बार में आपकी व्यवस्था हो जाए।

श्री उपाध्यक्ष : इसकी जानकारी प्राप्त करके आपको सूचना दे देंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आठ दिन बीत गए, आठ दिन में जानकारी नहीं हुई ?

श्री उपाध्यक्ष : आप अध्यक्ष महोदय से मिल लीजिए कक्ष में, तय कर देंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय से मिल आई हूं मै, उन्होंने कहा कि मैंने भेज दिया है और आपको आज व्यवस्था दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात नहीं मानें, यह सम्भव नहीं है। आपकी बात मानकर तय कर देंगे अध्यक्ष महोदय।

अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

अनुदान की मांगों पर विचार करने से पूर्व माननीय सदस्यों का ध्यान इस संबंध में कुछ वर्षो से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस सदन की परम्परा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव जिस दिन की मांग आती है, प्रस्तुत होते हैं, यह मान लिया जाता है कि वे सदन में पेश हो गए हैं। बोलने के लिए कटौती प्रस्तावों में से उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाजत दी जाती है, जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय द्वारा आसन को प्रस्तुत किए जाते हैं जब मांग मतदान के लिए आती है, उस समय भी स्वतः यह मान लिया जाता है कि कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत किए गए हैं वे वापस ले लिए गए हैं। यह परम्परा इस सदन की रही है। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाए, वही अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहते है, वे भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे। माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाए गए प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिए जाएंगे, उसके बाद मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के संबंध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर नहीं मिल सके, उनके लिखित उत्तर संबंधित माननीय सदस्यों को सरकार की ओर से मिल जाएं, ऐसा मेरा निवेदन है।

माननीय भगराजजी चौधरी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या-9 वन (पर्यावरण सहित) की प्रस्तुति

श्री भगराज चौधरी : वन एवं पर्यावरण (राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव

(श्री भगराज चौधरी)

करता हूं कि मांग संख्या—9 वन (पर्यावरण सहित) के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,72,84,94,000/— (एक अरब बहत्तर करोड़, चौरासी लाख, चौरानवे हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

श्री हबीबुर्रहमान (मूंडवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक ध्यानाकर्षण है 131 में।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो सदस्य मूव नहीं करेंगे, जिसका नाम न करें, उसका नाम होकर भी वह नहीं बोल सकता, यह नियम विरुद्ध है। कटमोशन मूव तो करे ही करें, उसके अंदर लिस्ट आप बना लें कि सबका बोलना सम्भव नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नियम यही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जो कट मोशन मूव न करें, उसका नाम अगर मुख्य सचेतक महोदय दें तो आसन अनुमति देगा, उस पर कट मोशन मूव करेंगा, उनमें लिस्ट बना लें।

श्री उपाध्यक्ष : उन्हीं में से होगा, यह तो कह दिया न। सही तो कहा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : परम्परा नियमों के अनुकूल ही होनी चाहिए, यही रही है।

श्री उपाध्यक्ष : यही है।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। माननीय वन मंत्रीजी वन विभाग की मांगें प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमको वन विभाग का निष्पादन आय व्यय का ब्यौरा अभी—अभी टेवल पर सर्कुलेट किया गया है। अब कब तो हम इसको पढ़ेंगे और कब इस पर वाद—विवाद करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : पूरा दिन आपको पढ़ने के लिए मिलेगा।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए कह रहा हूं कि आप कम से कम डाइरेक्शन तो दीजिए कि समय पर आए। अभी दिया है, अभी सर्कुलेट हुआ है।

श्री अमराराम (धोद) : आज तो पढ़ेंगे और कल बोलेंगे क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आप सब लोग विद्वान हैं, सब समझते हैं, बगैर पढ़े वैसे ही बोल जाएंगे। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : आसन से ताड़ना तो दी जानी चाहिए, आखिर हमारी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है। मंत्रीजी के मांग पेश करने के पांच मिनट पूर्व हमको ब्यौरा दें तो हम इसकी कब स्टडी करेंगे ? सूचना लाएंगे, कैसे लाएंगे ? आसन की ओर से ताड़ना दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसको सुधारने की चेष्टा करेंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : अभी--अभी मिला है, इस पर क्या बोलेंगे ?

एक माननीय सदस्य : आज ही डेट चेंज की जाए, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह निष्पादन आय--व्ययक अभी मिला है इसलिए इसको आज के दिन नहीं रखा जाए, इसको स्थगित किया जाए, अगली किसी तारीख पर रखा जाए। माननीय मंत्री महोदय इसको बाद में रखें।

श्री उपाध्यक्ष : आपको पहले मिल जाता तो भी आप नहीं पढ़ पाते।

श्री हबीबुर्रहमान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक ध्यानाकर्षण है वन विभाग पर और आज वन विभाग की डिमाण्ड हे, इसलिए मुझे समय दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लेना।

श्री हबीबुर्रहमान : मेरा नाम तो, आप कह रहे हैं कि मुख्य सचेतकजी ने दिया नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे क्या पता ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, आप मुख्य सचेतकजी से कहें, यह अन्याय है इनके साथ।

श्री उपाध्यक्ष : आप मुख्य सचेतकजी से बात करें। Who am I concerned ?

श्री हबीबुर्र रहमान : इसलिए आप जरूर रखें, ड्रग का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हीरालाल जी इन्दौरा।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, आसन से उस पर विचार होता रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : इतनी लम्बी लिस्ट है, क्या पता इनका नाम है कि नहीं, ये यूं ही कह रहे हैं।

मांग संख्या-9 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या--9 मुख्य शीर्षक वन (पर्यावरण सहित) के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :--

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

1. सिंचित क्षेत्र में वन विभाग के स्थान पर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से वृक्षारोपण का काम करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खान (शिव)

2. राज्य में वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
3. राज्य में वन भूमि पर सूखे पेड़ कटाए जाने पर चर्चा के लिये।
4. सीमावर्ती जिला बाड़मेर--जैसलमेर के डेजर्ट नैशनल पार्क में आवश्यकतानुसार विकास न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री अमीन खान)

5. रेगीस्तानी सीमावर्ती जिलों में नर्सरियां न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

6. रेगीस्तानी क्षेत्रों में खेजड़ी–फोगों के पेड़–पौधो को निःशुल्क किसानों में वितरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

7. पोलीथिन के प्रयोग से विशेषकर गांवों में हजारों की संख्या में पशुओं की मृत्यु होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

8. मरू विकास कार्यक्रम को सातवी पंचवर्षीय योजना में शत प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा सम्मिलित किये जाने के बाद राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष 25 प्रतिशत का हिस्सा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड)

9. अलवर ज़िले की बहरोड तहसील में स्थित ग्लोबस एग्रोनिकस फैक्ट्री द्वारा किये जा रहे प्रदूषण को रोकने के लिये सरकार द्वारा बरती जा रही शिथिलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी)

10. वन विभाग में कर्मचारियों व अधिकारियों की लापरवाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं)

11. तहसील बेगूं में खेर के पेड़ों की अवैधकटाई को डी.एफ.ओ. चित्तौडगढ़ व ए.सी.एफ. उड़न दस्ता द्वारा नहीं रोके जाने के उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

12. बेगूं तहसील के वन खण्ड जोगणिया माता, राबड़दा, गौपालपुरा हरिबडल्या में डी.एफ.ओ. चित्तौडगढ़ व ए.सी.एफ. उडन दस्ता द्वारा वन भूमि में अवैध खनन कराकर पर्यावरण को नष्ट करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. भीलवाड़ा जिले में अधिकारियों की मिली भगत से कत्था फैक्ट्री को लाइसेन्स देने से बेगूं तहसील से खेर की अवैध कटाई कर भीलवाड़ा भेजने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

14. वन विभाग व तहसीलदार रावतभाटा की मिली–भगत से पंचायत समिति भेसरोडगढ़ में श्रीपुरा, भूजर, पीरमगरा, आडामगरा, महेसरा, पंचायत नासेरा आदि में वन भूमि की हजारों बीघा भूमि पर नाजायज कब्जे कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

15. सरकार द्वारा सेवणघास के फ़ीडर बैंक व्यवस्था को चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

16. राज्य में दिनों–दिन वन क्षेत्रों में कमी की रोक थाम पर चर्चा के लिये।

17. राज्य में स्थापित वन जीव प्राणी संरक्षण मण्डल की नियमित बैठकें नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

18. वन्य जीवों द्वारा काश्तकारों की फसलों को नुकसान पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

19. वन विभाग द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र से वनों की अनियमित रूप से कटाई कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

20. राज्य में ठौस वन नीति बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लियें

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)

21. डूंगरपुर जिले में कोटबन्दी की दुरूस्ती नहीं होने से वनों का नुकसान होने के संबंध में चर्चा के लिये।

22. वन विभाग द्वारा जंगलात भूमि पर कोटबन्दी व निगरानी अधिक समय नहीं रखने से वनों को हो रहे नुकसान के संबंध में चर्चा के लिये।

23. डूंगरपुर जिले में वनों की कमी के कारण हो रहे नुकसान के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (पचपदरा)

24. वन विभाग द्वारा बाड़मेर जिले के अधिकाशं कर्मचारियों का स्थानान्तरण जेसलमैर जिले में करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बडी सादड़ी)

25. राजस्थान में पिछले वर्षो में वन क्षेत्रों में बढ़ोतरी हेतु व्यय राशि की तुलना में उपलब्धि नगण्य होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

26. वन विभाग में विभिन्न योजनाओं के तहत अरावली मरू विकास में व्याप्त भारी घोटालों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

27. वन विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों के उपरांत भी पदोन्नति देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

28. राज्य सरकार द्वारा वन विभाग में पी.सी.एफ. के एक पद की वृद्धि करने से हो रहे अनावश्यक खर्च से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

29. विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध चल रही जांच कनिष्ठ अधिकारियों से कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

30. राज्य में काश्तकारों की फसल को रोजड़ों द्वारा नुकसान पहुंचाने एवं विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर विचार के लिए।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

31. उद्योगों द्वारा फैलाये जाने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए विभागीयं नियंत्रण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने के लिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

32. वनों की निरन्तर कमी होने से पर्यावरण के असंतुलित होने एवं इसका मानव जीवन पर पड़ रहे प्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज)

33. किशनगंज विधान सभा क्षेत्र में वन भूमि पर वर्ष 1980 से पूर्व के कब्जों को नियमित करने एवं वनों में गिरी हुई जलाव लकड़ी को सिर पर एवं बैल गाड़ी पर रख कर लाने की अनुमति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. किशनगंज विधान सभा क्षेत्र में वन भूमि पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिली भगत से किये जा रहे अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

35. किशनगंज विधान सभा क्षेत्र में वन क्षेत्र में बसे ग्रामों को नियमन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. किशनगंज जिला बारां में वनों की अवैध कटाई एवं अतिक्रमणों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

37. सीकर जिले में वन विभाग द्वारा चलाई गई जल ग्रहण विकास योजना सीहोर बड़ी फागनवा आदि योजनाओं में हुए घोटाले पर चर्चा के लिये।

38. सीकर जिले में वन विभाग में हुए घोटालों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा),

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) एवं

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

39. जयपुर शहर में तिपहिया वाहनों, ट्रकों गाडियों द्वारा छोडे जाने वाले धुएं से फैलने वाले प्रदुषण पर नियंत्रण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. राज्य में वन क्षेत्र में बढ़ोतरी करने एवं पेड़ों की अंधाधुन्ध कटाई में वन अधिकारियों की मिली–भगत पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) एवं

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

41. झुंझुनूं जिले में अरावली परियोजना के अंतर्गत करवाये जाने वाले कार्यो में भारी अनियमितताओं व भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु सम्पूर्ण कार्यो की जांच करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. वन विभाग द्वारा औषधी हेतु पेड़ पौधे उगाने एवं उनकी पौध तैयार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री शिवनाथ सिंह)

43. खेतडी कॉपर काम्पलैक्स (जिला झुंझुनूं) से निकलने वाली गैसों से फैल रहे प्रदुषण पर नियंत्रण करने हेतु उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा)

44. भिवाड़ी (तिजारा) स्थित फैक्टरी नलनी प्राइवेट लिमिटेड से जल प्रदुषण फैलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. ग्राम जिवाणा (तिजारा) स्थित श्रीराम फाइबर्स द्वारा जहरीली गैस फैलाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

46. पंचायत समिति तिजारा (अलवर) में क्रेशरों द्वारा अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन से वन क्षेत्र को हो रहे नुकसान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

47. खराकड़ा (तिजारा) स्थित एच.पी.एम. फैक्ट्री पर एयर का मोनटरिंग नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

48. उपवन संरक्षक पाली के अन्तर्गत रेंज सेंदड़ा क्षेत्र में पूर्व अकाल वर्ष में लगाये पाराबन्दी की इस अकाल वर्ष में मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. पाली जिले के सेंदडा वन क्षेत्र एवं झूठा व सोजत–रोड की चण्डावल नगर में लगायी नर्सरियों की देखभाल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. जंगलों की अंधाधुन्ध कटाई रोकने के लिये पूर्व में प्रस्तावित वन्य जीव अभ्यारण खण्ड के अन्तर्गत काणूजा ग्राम पंचायत मुख्यालय में रेंज कार्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. वन्य जीव अभ्यारण खण्ड कुम्भलगढ़ के अधीनस्थ बीजागुडा रेंज क्षेत्र में बांस जामुन शीशम इत्यादि फलदार व इमारती लकड़ी के पेड़ लगवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. वन जीव अभ्यारण्य क्षेत्र उदयपुर से पाली जिला क्षेत्र के वनों को पुनः प्रशासनिक देखभाल के लिये पाली क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

53. सिरोही जिले में खान क्षेत्र को वन क्षेत्र से अलग करने के संबंध में चर्चा के लिये।

कुमारी मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर)

54. झालावाड़ क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण के संबंध में चर्चा के लिये।

55. बाघेर प्लान्टेशन के रख–रखाव के संबंध में चर्चा के लिये।

56. झालावाड़ जिले की वन भूमि पर एनिकट का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

57. राज्य में ध्वनी प्रदूषण रोकने हेतु उचित पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. राज्य में वन क्षेत्रों में वृक्षों की हो रही कटाई के संबंध में चर्चा के लिये।

59. केवला देव पक्षी विहार (घना) में पशु चराई के संबंध में चर्चा के लिये।

60. रणथम्भौर बाघ परियोजना में प्रवेश हेतु उचित माप दण्ड निर्धारित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. सरकारी वाहनों द्वारा फैलाये जाने वाले प्रदूषण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर)

62. परबतसर से भकरी एवं मानपुरा से मंगलाना तक स्टेट हाइवे पर वृक्षारोपण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. वन विभाग द्वारा विकास कार्य हेतु पत्थर एवं जींकरा नहीं खोदने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

64. जिला नागौर में सड़कों के किनारे नीम शीशम व खेजड़ी के वृक्ष लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. जिला नागौर में वनों की अवैध कटाई को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. वन विभाग द्वारा भू–संरक्षण एवं जल ग्रहण का कार्य कराने की अवशयकता पर चर्चा के लिये।

श्री सोहन नायक (रायसिंहनगर)

67. चक 3 एस.टी.आर. एवं मण्डी घडसाना के बीच नर्सरी को अन्यत्र स्थान पर ले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता)

68. अजमेर नागौर स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्षारोपण की योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा क लिये

69. ग्रामों में गोचर भूमि एवं गैर मुमकिन भूमि पर वृक्षारोपण योजना बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

70. नागौर जिले में सीमेन्ट फैक्ट्रीयों से उत्पन्न पर्यावरण की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)

71. जिला करौली में वनों की कटाई के कारण पर्यावरण के खतरे पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)

72. राज्य में दिन पर दिन बढते प्रदूषण के कारण पर्यावरण के सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. राज्य में वनों की अवैध कटाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू)

74. दूदू निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तर पर वन विभाग द्वारा अच्छे किस्म के वृक्ष लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद)

75. वन विभाग में विभागीय कर्मचारियों की मिली भगत से दीगोद विधान सभा क्षेत्र में वन सम्पदा नष्ट किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल राठौर (झालरापाटन)

76. वन विभाग जिला झालावाड़ में भू–माफिया लोगों से मिली भगत कर अवैध कार्य करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

77. विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में बढते प्रदूषण को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में विभाग द्वारा पौधों का सही रख रखाव नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में वन संपदा के अधिक दोहन किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र फलालिया की वन भूमि पर आदिवासियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में वन भूमि को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-43 खनिज की प्रस्तुति

श्री हीरालाल इन्दौरा (खनिज राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 43 खनिज के सम्बन्ध 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 31,48,00,000 (इकत्तीस करोड़ अड़तालीस लाख) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या-43 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या–43 मुख्य शीर्षक खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :–

श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी)

1. खनिज विभाग द्वारा नदी की बजरी व पत्थरों की रायल्टी में बरती जा रही नीति पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं)

2. बेगूं तहसील में चांदखेड़ी खनन क्षेत्र में 4 करोड़ टन डाइग्रेड डोलामाइट की उपलब्धता के संबंध में चर्चा के लिए।

3. तहसील बेगूं व भैसरोड़गढ़ में ग्राम

(श्री घनश्याम जैन)

पारसोली, भीचोर, रावड़दा, शंभूनाथजी का मेनाल में स्थायी टेबल सेन्ड स्टोन व लाइम स्टोन की उपलब्धता पर चर्चा के लिए।

4. बेगूं तहसील के ग्राम परसोली भीचोर दस लाख टन, चांदखेड़ी श्रीनगर में 30 करोड़ टन व चित्तोडया गोरली सामरिया में 11 करोड़ टन सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन की उपलब्धता के आधार पर सीमेंट उद्योग लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिऐ।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

5. अमर सागर एवं मूकसागर में पीले पत्थर की खदानों पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)

6. राजस्थान में खनिज खनन और कटिंग से होने वाले मलवे से काश्तकारों की भूमि खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

7. डूंगरपुर जिले में खनन पट्टा आदिवासियों को नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

8. डूंगरपुर जिले में वन विभाग की भूमि एवं गवाई चरागाह में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

9. टोंक जिले में विभाग द्वारा बनास नदी की बजरी के ठेके में पक्षपात व कई स्थानों पर अवैध बजरी का धन्दा करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

10. टोंक जिले में सहायक खनिज अभियंता द्वारा मनमाने ढंग से कार्य करने और खनन क्षेत्रों के आवंटन में देर व पक्षपात करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

11. राज्य में खनिज सम्पदा को सही प्रकार से उपयोग नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

12. वन विभाग के अन्तर्गत आने वाले खनिज सम्पदा के क्षेत्र को वन विभाग से मुक्त कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं)

13. चौमू विधान सभा क्षेत्र के ग्राम चीथवाड़ी में पहाड़ से किसानों को पत्थर नहीं निकालने देने व अवैध रायल्टी वसूली को रोकने पर चर्चा के लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ीसादड़ी)

14. खनिज क्षेत्र में आने वाली वन भूमि को अन्यत्र आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

15. राज्य में अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

16. खनिज विभाग द्वारा देवस्थान की भूमि पर खनन पट्टा देने एवं अवैध खनन पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

17. ग्राम निम्बीजोधा की नागौर में खनिज अभियंता नागौर द्वारा खानों के अलाटमेंट में बरती गई अनियमितताएं व भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

18. राज्य में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाने के उपरांत भी इसके सर्वे के मामलों में बरती जा रही शीथिलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

19. राज्य में पेट्रोलियम पदार्थो की उपलब्धता के बावजूद उनके दोहन में बरती जा रही शीथिलता के संबंध में चर्चा के लिए।

20. नियमानुसार काश्तकारों को घरेलू उपयोग के लिए काम में लेने वाले खनिजों पर रायल्टी में छूट नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

21. अवैध खनन से राजकीय कोष को होने वाली भारी हानि से उत्पन्न स्थिति पर विचार के लिए।

श्री अमराराम (धोद)

22. खनिज विभाग में हो रहे घोटाले से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

23. पूर्व में दिये गये खनिज पट्टों को रद्द नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना)

24. ठेकेदारों, लीज होल्डरों, पट्टाधारियों आदि से बकाया राशि वसूल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

25. झुंझुनूं जिले में रायल्टी वसूली के ठेकेदारों द्वारा बाढ़ा टैक्स नाम से अनाधिकृत वसूली पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26. उदयपुरवाटी (जिला झुंझुनूं) तहसील क्षेत्र में ठेकेदारों द्वारा रायल्टी वसूली के लिए स्थान निर्धारित करने तथा निर्धारित स्थानों पर सूचना पट्ट लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी तहसील क्षेत्र में ठेकालीज अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी अनाधिकृत रूप से रायल्टी वसूल किये जाने पर चर्चा के लिए।

(श्री शिवनाथ सिंह)

28. झुंझुनूं जिले की खेतड़ी, उदयपुरवाटी, नवलगढ़ तहसील क्षेत्रों में खनिज विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे अनाधिकृत खनन कार्यों पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा)

29. ग्राम बाघौर, नीमली तहसील तिजारा जिला–अलवर में खातेदारी की भूमि पर खनिज नहीं होने पर भी खान की लीज (पट्टा) देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

30. जिला अलवर के ग्राम उद्यनवास व कुलावट में खातेदारी भूमि पर खनिज नहीं होने के बाद भी खान विभाग द्वारा खान अलाट करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

31. ग्राम तिसानी तहसील कोटकासिम (अलवर) में खातेदारी की भूमि पर खनिज (ग्रेनाइट) नहीं होने पर भी खांन विभाग द्वारा लीज (पट्टा) दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

32. ग्राम तरवाला तहसील किशनगढ़ वास (अलवर) में खातेदारी की भूमि पर खनिज (ग्रेनाइट) नहीं होने पर भी खान विभाग द्वारा लीज (पट्टा) देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

33. सहायक अभियंता क्षेत्र सोजत के काणूजा, भैरू का नाका में विचाराधीन खनन प्रार्थना पत्रों को निरस्त कर नये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. खनन क्षेत्र काणूजा व भैरू का नाका अधीनस्थ क्षेत्र सोजत में झाला की चौकी से काणूजा डामर रोड के किलोमीटर 8 से भैरू का नाका 3 किलोमीटर तक सड़क का डामरीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35. पाली जिले के सभी ग्राम पंचायत क्षेत्रों में किसानों को अपने मकान बनाने के लिए नदियों से बजरी ले जाने की छूट प्राप्त है, लेकिन बजरी के ठेकेदार द्वारा नाजायज रूप से रायल्टी लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

कु. मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर)

36. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

37. सवाई माधोपुर से खनिज विभाग का कार्यालय खतम करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

38. नगर–पहाड़ी, कांमा सहित भरतपुर में काफी समय से लम्बित पड़े चेजा पत्थर की खानों के आवंटन न करने से उत्पन्न

(मोहम्मद माहिर आजाद)

स्थिति पर चर्चा के लिए।

39. श्रमिक ठेका सहकारी समिति द्वारा शिव की डूंगरी तहसील–चाकसू में किये जा रहे खनन के संबंध में चर्चा के लिए।

40. नीदड़ बेनाड़ (जयपुर) में चेजा पत्थर की खान के लम्बित प्रकरण के निस्तारण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

41. सरकारी एवं आरक्षित वन क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर)

42. औद्योगिक क्षेत्र बिदीयाद, मोरेड़ कोलाडूंगरी मकराना बोरावड़ में माइनिंग खानों को सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों को खनन पट्टे आवंटन हेतु आरक्षित कोटा निर्धारित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44. राज्य में अवैध खनन को रोकने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता)

45. नागौर जिले में खनिज इकाईयों से व्यापारिक स्थानों एवं रेल्वे स्टेशनों को सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

46. लाम्बा जाटान, गोटन, पून्दलू बासनी सेजा इन्दावड़ गगराना गठिया धनाया टालनपुर इत्यादि ग्रामों में खनिज विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)

47. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में खनिज सम्पदा के अवैध दोहन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)

48. खनिज सम्पदा में राजस्थान सम्पन्न होते हुए भी इसका पूरा दोहन नहीं हो सकने पर चर्चा के लिए।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

49. विधान सभा क्षेत्र फलासिया उदयपुर में खनिज सम्पदा पर उचित नियंत्रण के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

50. विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में खनिज पट्टे आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51. विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में अवैध खनन रोकने की अवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52. विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में खनन विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

मांग संख्या 9 एवं 43 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीन खान।

श्री अमीन खान (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग की मांग पर मैं बहुत ही संक्षेप में मंत्रीजी का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा वन विभाग से कहना है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा पहले नर्सरी और डी.डी.पी. के तहत काम कराया जाता था। पिछले सालों में डी.डी.पी. का प्रोग्राम नहीं चलने से वहां नर्सरी का डवलपमैंट नहीं होने से वन लगाने के लिये लोगों को कमी आ रही है जिससे रेगिस्तान क्षेत्रों में वन लग नहीं पाते। वन मंत्रीजी से मैं यह कहना चाहूंगा कि उस क्षेत्र में वनों को विकसित करने के लिए, रेगिस्तान को नहीं बढ़ने देने के लिए वनों की नर्सरी लगायी जाए। वनों की नर्सरी द्वारा जिस तरह से आप पेड़ लगाते हो, किसानों को अपने कणों पर पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना लागू की जाए। उसमें किसानों के लिए कोई शर्त रखी जाए कि 80 परसेंट पेड़ जो किसान जिंदा रखेगा उस किसान को प्रति पेड़ इतने रुपये मिलेंगे ताकि किसान उन पेड़ों को जिंदा रखकर ज्यादा लाभ उठा सके। खेतों के कणों पर पेड़ लगाने से रेगिस्तान में पेड़ लगाने में सफलता मिलेगी।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि वन विभाग ने शुरू में हमारे एरिया में सेंट्रल एरिड जोन में जमीन अनाप–शनाप ले ली थी। आज वह जमीन वन विभाग के अंदर है फिर भी वन विभाग के अंदर जितने भी कुदरती पेड़ लगे हुए थे उन पेड़ों की कमी हुई है। वन विभाग द्वारा पेड़ों का ज्यादा विकास हो, ऐसा नजर नहीं आता। इसलिए आम मानस यह महसूस करता है कि सरकार कोई वनों से मतलब नहीं रखती, सरकार चन्द आदमियों को नौकरी देकर उनका पेट पालन–पोषण करती है। आम आदमी जो जाहिल है, वह यह महसूस करता है। यह किसी भी शासन के लिए बुरी बात है। वहां पेड़ लगाने के लिए जहां जी.डब्ल्यू.डी. की फिजिबिलिटी हो वहां वन विभाग के ट्यूबवैल होने चाहिए और उस पानी से वन एरिया में पेड़ लगने चाहिए। अगर पेड़ किसी सूरत में वन विभाग नहीं लगा सकता है तो इतनी बड़ी जमीन को फालतू रोकर रखने से असर यह होता है कि लोग अपने मवेशी चराते है। उन मवेशी मालिकों से वन विभाग रिश्वत के रूप में पैसे लेते हैं और गरीब लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनके मवेशियों को चराने नहीं देते हैं। पैसे लें, लेकिन वे चोरी से पैसे देकर अपने

(13.34 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

मवेशियों को चराते हैं। वहां का वनपाल अपने आप में गांव वालों के लिए एक जागीरदार सिद्ध हुआ है। इस पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए और इसमें कानूनी रूप से सख्ती करनी चाहिए।

(श्री अमीन खान)

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जेसलमेर, बाड़मेर जिले के अन्दर डैजर्ट नेशनल पार्क घोषित कर दिया। बहुत बड़े–बड़े आदमियों ने बड़े–बड़े महलों में बैठकर एक बहुत ही सुन्दर एक्ट घोषित कर दिया और सबने ताली बजा दी कि बढिया है। हजारों स्क्वायर किलोमीटर जमीन रोक ली गयी। उस जमीन के अंदर एक भी पेड़ नहीं लगा, एक भी नर्सरी नहीं लगी। एक भी जानवर की सुरक्षा नहीं, बल्कि वहां गोडावण, किल्लोर, हिरण का शिकार करने के लिए शिकारियों का अच्छा इंतजाम होता है, क्योंकि पहले तो आम लोगों से लोग डरते थे कि लोग जाकर थाने में खबर कर देंगे, पटवारी को खबर कर देंगे या लोग आपस में भिड़ जाएगें जो मांस नहीं खाते हैं। अब वह एरिया चंद आदमियों के हाथ में आने के बाद बाकायदा नंगी जीपें लेकर लोग शिकार करते हैं, उनके लिए पूरा सुरक्षा इंतजाम है। तिल्लोर, गोडावण की डैजर्ट नेशनल पार्क में पिछले 6–7 सालों में संख्या कम हुई है, ज्यादा नहीं हुई है, यह मेरा मानना है। इस पर ध्यान रखा जाना चाहिए।

इसके साथ–साथ मेरा सुझाव है। इसमें कुछ आबादियां ली गई हैं, पास ही उनके घर हैं, डैजर्ट नेशनल पार्क की जमीन के पास ही मवेशियों का बैठना है। उस बस्ती का उनको मुआवजा देना तो दूर, उल्टा पुराने जमाने में जिस तरह से जागीरदारों को कूंता देते थे उस तरह से कूंता अदा नहीं करें तो उस बस्ती में पशुपालकों का एक दिन रहना भी मुश्किल हो जाता है। मेरी, वन मंत्रीजी, आपसे गुजारिश है कि सिवाय चक भूमि जिस बस्ती में बहुत ही नजदीक हो, जिससे परेशानी खड़ी होती है आप दूसरी जमीनें उसकी एवज में रख लें, लेकिन इस तरह से लोगों को परेशान करने की नीयत से जो जमीन ले ली गयी है, जिस जमीन में वन विभाग का कोई भी डवलपमैंट नजर नहीं आता है, उसको हटा दें तो अच्छा है। एक ऐसी बस्ती है हमारे बाड़मेर जिले की शिव तहसील का रेवेन्यू गांव जो नया बना है, पीपरली। उस पीपरली बस्ती के फोटो और उनके जो हालात थे सिंधी मुसलमानों के उसे हमने अन्य पिछड़ा आयोग के सामने पेश किया था। हमने यह महसूस किया था कि इस बस्ती के आदमी औरतों का जिस तरह से खाना–पीना, रहन सहन है, उसे कोई देखेगा तो वास्तव में सिंधियों को मान लेगा कि वह एक पिछड़ा वर्ग है। उस जाहिल बस्ती के ऊपर, वन मंत्रीजी, हर महीने में चार किलो घी और एक बकरा डैजर्ट नेशनल पार्क को मिलता है तब तो उनके मवेशी वहां रहते हैं अन्यथा उनके मवेशियों को वहां रहने नहीं देते हैं। इसकी आपको जांच करनी चाहिए। जिनका धंधा मात्र पशुपालन है और चारागाह की उनकी जमीन है। हम इसका भी विरोध नहीं करते, अगर डैजर्ट नेशनल पार्क जिस उद्देश्य बना है, राजस्थान को, चाहे दुनिया के लोगों को, चाहे जिले के लोगों को

(श्री अमीन खान)

डेजर्ट नेशनल पार्क जिस रूप में बताना चाहते हैं, इतने वर्षों में कुछ विकास हुआ हो तो हम उस बस्ती को खाली कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन डैजर्ट नेशनल पार्क के नाम से, सभापति महोदय, सिवाय बकरा लेने, घी लेने के कुछ नहीं है। उनके मवेशियों को छूट दे देते हैं और जिससे पैसा नहीं मिलता है उनको छूट नहीं देते इस तरह उस जमीन के ऊपर अपनी एक प्राइवेट जागीरदारी कायम कर दी जिसमें पशुपालकों का रहना मुश्किल हो गया है। मेरा निवेदन है कि इस बारे में आपको गौर करना चाहिए। कानून-कायदों में कहीं तरमीम करनी पड़ती है तो मैं यह समझता हूं कि अपन विधान सभा और लोक सभा में इसीलिए बैठते हैं कि यदि कोई कानून आम लोगों के आड़े आता है तो उस कानून को बदलना चाहिए। यह कानून ऐसा तो नहीं है कि बना दो तो कोई तोड़ नहीं सकता। इससे आम लोग परेशान हैं, यह डैजर्ट नेशनल पार्क के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

वन विभाग के अंदर जो क्लस्टर प्रोग्राम चलाये जाते हैं इन क्लस्टर प्रोग्राम्स के अंदर भी दो-चार आदमी फोरेस्ट महकमे के और दो-चार आदमी लोकल मिलकर ट्रैक्टरों से जमीन कब्जे में कर लेते हैं। ट्रैक्टर एक बार चला लेते हैं, रेतीली जमीन है, बालू जमीन है, वन मंत्रीजी, आप तो उस एरिया के हैं, उसमें ट्रैक्टर से ओली करने से कोई कण बंध जाता है क्या ? न तो कोई कण बंधता है। कण तो उस जगह होना चाहिए जिस जमीन का एरिया मगराती है, काली मिट्टी का है या पहाड़ी के बीच का है, वहां तो कण बंध सकता है। थोड़ी-सी मिट्टी चढ़ायी जाती है तो उससे वन भी चल सकते हैं। उससे पानी रूक सकता है, उससे हवा में रूकावट होती है, जो चालू रेती के नाम से सिर्फ पैसा खाने का धंधा है। उसको रोकना चाहिए और असली काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यही कहकर, सभापति महोदय, मैं मेरी बात खतम करता हूं। जयहिन्द।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री मोहन लाल मोदी (व्यवधान) आसन की व्यवस्था है कि तीन सत्ता पक्ष से, फिर एक इधर से।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बजट और राज्यपाल के भाषणा पर तो आपकी व्यवस्था ठीक है लेकिन कट-मोशन जिन्होंने दिये हैं और जो उनका क्रम है उस हिसाब से पुकारेंगे आप।

श्री सभापति : आपका कहना ठीक है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आज दिन तक परम्परा यही रही है।

श्री हीरासिंह चौहान : लेकिन दो उधर के और एक इधर की तो परम्परा रही हुई है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इस परम्परा को आप तोड़ें तो मर्जी आपकी, वर्ना नियमानुसार परम्परा रही है।

श्री हीरासिंह चौहान : सभापति महोदय, परम्परा तो यह रही है।

श्री सभापति : झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या।

श्री हीरासिंह चौहान : दो–एक की यहां पर सदन में परिपाटी रही है, दो सत्ता पक्ष से बोलें और एक विपक्ष से बोलें। तीन–एक की कोई परम्परा नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या।

एक माननीय सदस्य : जब यह व्यवस्था दी थी उस समय सदस्यों का भी अन्तर होगा।

श्री सभापति : झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्य ने जो पाइंट उठाया है उस पाइंट में काफी दम है और संसदीय परम्परा में भी ऐसा रहा है लेकिन हमारे यहां विधान सभा में दूसरी परम्परा कायम हो चुकी है। यहां भी उसी तरीके से पार्टीवाइज सूची सम्बन्धित चीफ व्हिप के द्वारा आसन को दी जाती है और आसन के लिए गाइडिंग हुई है क्योंकि सारी व्यवस्था चीफ व्हिप्स के मार्फत ही सुलटानी पड़ती है आसन को।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन के लिए गाइडिंग नियम हैं और कोई चीज नहीं है। गाइडिंग आपके लिए नियम है।

श्री सभापति : अपने यहां एक ओपिनियन बनी हुई है, विधान सभा में यह परम्परा कायम हो गयी है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : लेकिन मैं, सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि कट मोशन जिन लोगों ने नहीं दिये है, कौन मेहनत करेगा, कौन देगा इसलिए परम्परा नियमानुसार यही है कि जो कट मोशन देगा उसी को बोलने का अधिकार है।

श्री सभापति : आपकी बात ठीक है लेकिन आप सब लोग मिलकर एक निर्णय कर लेते हो, सदन एक निर्णय कर लेता है तो वह भी एक परम्परा बन जाती है। लेकिन आप बोलेंगे तो आपको समय देंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अभी मिलकर निर्णय किसने किया है ? नहीं, यह समय का सवाल नहीं है। सवाल समय देने का नहीं है।

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस विधायक दल की ओर से जो सूची दी गयी है ये सारे वे लोग हैं जिन्होंने कट मोशन दिये हैं। ऐसा कोई भी कांग्रेस की तरफ से नहीं बोलेगा माननीय सदस्य जिसने कट मोशन नहीं दिये है।

श्री सभापति : इनका कहना दूसरा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा कहना यह हे कि जिस क्रम में आये हैं कट मोशन, वही क्रम नवीं विधान सभा तक रहा है। अब आपने...

श्री सभापति : नहीं, नहीं पहले बिगनिंग में से ही, शुरूआत से ही...(व्यवधान)

श्री सी.पी.जोशी (शिक्षा मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, ये पुरानी माननीय सदस्या हैं, ये नियम जो कोट कर रही है वह बिलकुल सही है, लेकिन परम्परा यह रही है कि पार्टी के व्हिप लिस्ट में जो नाम देते है, ईवन कट मोशन में नाम नहीं है तब भी यदि व्हिप नाम देते है तो व्हिप के आधार पर बोलने का मौका दिया जाता है जो आदमी कट मोशन नहीं देते उनको भी मौका दिया जाता है। लेकिन नियम के अलावा राजस्थान में अभी परम्परा है कि पार्टी का व्हिप जो लिस्ट देता है उस लिस्ट के अनुसार संख्या जो आपकी है उस पर बोलने का वे क्रम निर्धारित कर रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपको याद दिला दूं कि आपकी पार्टी नाम दे सकती है। उन्हीं के देने चाहिए उनको नाम जिन्होंने कट मोशन दिये है, कट मोशन नहीं दिये हैं जिन लोगों ने उनके नाम नहीं दे सकते है। नियम तो यही है अब आप उस नियम को तोड़कर नयी परम्परा बनाए...(व्यवधान)

श्री सी.पी.जोशी : प्रश्न यह है कि उन्होंने कट मोशन दिया या नहीं दिया, पार्टी ने नाम दिया है तो वह पार्टीसिपेट करेगा। यह परम्परा रही यहां पर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नियम तो यही है।

श्री सभापति : आर्डर, प्लीज। इस सदन में यह व्यवस्था हुई है। पहले समय–समय पर स्पीकर्स महोदय ने यहां व्यवस्था दी है वह कट मोशन वालों को बोलने में प्रायोरिटी होती है, लेकिन यह देखने का काम संबंधित दलों का है, वे इस बात को ध्यान में रखते हैं। इसके बाद भी जिसका कट मोशन नहीं है उनको भी बोलने का अधिकार हमारी व्यवस्थाओं में है जो स्पीकर्स महोदय ने टाइम–टाइम पर दिये हैं। हमारी जो व्यवस्थाएं हुई हैं उनके अन्दर है, वे भी बोल सकते हैं। तो यह कोई इतना रैस्ट्रिक्शन नहीं है कि जिसका कट मोशन नहीं हो वह नहीं बोलेगा। आसन बुलवाता रहा है और यह भी परम्परा बनी हुई है। माननीय मोहन लाल जी मोदी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह जो कट मोशन नहीं दें उन्हें कोई बोलने का अधिकार नहीं है। बोलने को अधिकार उसी को है जो कट मोशन दे।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, इस सरकार ने यह तय किया हुआ है यहां, आसन के माध्यम से सरकार को यह निर्देशित किया हुआ है कि जिन माननीय सदस्यों के कट मोशन है उनके कट मोशन के जवाब सरकार उनके यहां भिजवा दे। उसके बावजूद यह भी तय किया हुआ है, व्यवस्था यह है कि कट मोशन के अलावा जिनको भी बुलवाना चाहे चीफ व्हिप उनको आसन अलाउ करता है। यह लम्बे समय से यहां की परम्परा रही है।

श्री सभापति : नहीं, नहीं यह व्यवस्था है। अध्यक्षीय व्यवस्था यह है कि कट मोशन

(श्री सभापति)

जिनके नहीं हैं उनको भी बोलने का अधिकार आसन से मिलता रहा है और यह एक अपनी परम्परा बन चुकी है। सभी जगह है और अपने यहां भी है।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : सभापति महोदय, आज खान विभाग और वन विभाग की डिमाण्डस पर चर्चा चल रही है। इन दोनों का संबंध है, वन विभाग में ही खान होती है, वन विभाग के बिना खान कहीं मिलती ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, इसका बहुत गहरा संबंध है इसलिए मैं आपसे ...(व्यवधान) वन क्षेत्र कहिये, वह तो एक ही बात है। अब आप आड़े ही लगाओं।

मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि ये जो ठेके दिये जाते हैं बजरी के, उनका मिसयूज होता है, लोगों से बहुत अधिक पैसा वसूल किया जाता है। यह एक नयी परम्परा और डलवा दी कि वे बाड़ा टैक्स और लेने लगे हैं इसी तीन तारीख को एक बजरी के ठेके के मामले में एक क्वेश्चन भी था और मैंने आपसे निवेदन किया था कि इसमें रोजाना तारीख देकर फैसला नहीं हो रहा है। यहां चर्चा होते ही चार तारीख को वह स्टे खारिज हो गया। अब क्या होगा ? 50 लाख रुपये डूब गये, उसने छोड़ दिया ठेका आपका डिपार्टमैंट अब क्या करेगा ? डिपार्टमैंट के लोगों से उसका आधा पैसा ही नहीं आएगा। उन्होंने सम्भाल लिया, वह तो अपना छोड़कर चल दिया। उसके पास न कोई जायदाद है, न कुछ है, यानी नोमीनी ऐसा आदमी है। आप लोगों को इतना तो करना चाहिए कि हमारा यह पैसा वसूल होगा कि नहीं होगा, उसकी कोई गारंटी होनी चाहिए। आपने इसमें किससे गारंटी ली है ? यह पैसा आप किस तरह से वसूल करेंगे ? मेरी तो मान्यता यह है कि ये 50 लाख रुपया सरकार के डूबत खाते में चले गये। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि वह पैसा तो वसूल कर लेंगे, आपने जो पैसा बढ़ाया वह भी वसूल कर लिया लेकिन जनता से वसूल हो गया और आपको मिले नहीं, यह एक बहुत बड़ी त्रुटि की बात है।

आज गांवों की ऐसी स्थिति है कि गांव बसा हुआ पहाड़ी पर और वे चेजे का पत्थर लाना चाहें, नहीं ला सकते। जब तक वन विभाग का वहां जो गार्ड है उसको पैसा नहीं देते तब तक वे पत्थर नहीं ला सकते। यह क्या है आखिर ? आखिर आपको सोचना चाहिए कि हम लोगों को आराम किस तरह से दे सकते हैं। आप हर जगह थोड़ा–थोड़ा एरिया वन विभाग से निकाल कर उनको दे दीजिये। आपको एक राजस्थान वाइज प्लान बनाना चाहिए इस बात का। यह गॉड गिफ्ट है आपके राजस्थान में माइन्स की आपको, इतना बढ़िया माइन्स नहीं है नहीं। मैं आपको थोड़ा–सा निवेदन करना चाहूंगा कि पार्लियामैंट में भी आयी थी यह बात। संगमरमर के निर्यात में राजस्थान का 95 प्रतिशत हिस्सा है। तो ऐसा जो गॉड गिफ्ट

(श्री मोहन लाल मोदी)

है, उनके बारे में आपको कुछ सोचना चाहिए। माइन्स तो होंगी ही वहां पर जहां जंगल होंगे वन होंगे। माइन्स मिनिस्टर हैं, आप हैं, इसका एक प्लान बनाइये बैठकर कि जिससे आपकी ज्यादा से ज्यादा आमदनी बढ़े।

अब मैं आपसे इतना और निवेदन करना चाहूं कि हमारे आर्थिक संकट है राजस्थान पर अब इस आर्थिक संकट ने और आर्थिक संकट कर दिया। आपको जानकारी है कि आंधी माइन्स मार्बल की माइन्स हैं। हिन्दुस्तान के अलावा दूसरी मुल्कों में भी इतना बड़ा नाम है जिनका, जो दुनिया के परदे पर आ गयीं और आपने उनको बन्द कर दिया। आपके जो अधिकारी है वे आपको मिस गाइड करते हैं। वे कहते हैं कि यह हमारे पर तो कटैम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि दूसरी जगह पर जो सैक्चुरियां हैं, गुजरात में 735 किलोमीटर की वह सैक्चुरी है, उन्होंने घटाकर 444 कर दिया। आप इसको बहुत गम्भीरता से लीजिये। आपको पैसा चाहिए, आप दो करोड़ रुपये के लिए बहुत टैक्स लगा देते हैं और यहां करोड़ों रुपया आपका चला गया। करोड़ों रुपये उसमें लगे हुए हैं, मशीनरी लगी हुई है उस मशीनरी का क्या करें ? दूसरी स्टेट तो कोशिश करती हैं, लेकिन आपका जो माइनिंग और फोरेस्ट विभाग है, दोनों विभाग चाहते हैं कि राजस्थान में यह मार्बल का काम नहीं चले। आप बता दीजिये कि कहां कौनसा ऐसा आपके यहां आया कि आपने एक नोटिस दे दिया अन्य माइन्स के ठेकेदारों को कि इन माइंस को कैन्सिल करेंगे ? आखिर कहीं कोई तो हो उसका। फोरेस्ट वालों का भी आप ले लीजिये। अभी 22 तारीख को इनकी मियाद खतम हुई थी, अभी वह बीच में हुआ नहीं और 22 तारीख को कोर्ट में जाकर टाइम मांगना पड़ा। कोर्ट ने सात दिन का टाइम दिया तो हमारे फोरेस्ट के अधिकारी हाई कोर्ट में चले गये कि हम मशीनें नहीं उठाने दें। आप क्या व्यवहार करना चाहते हैं ? कौन आपके यहां आएगा, काम करेंगा ? करोड़ों रुपये की मशीनें लगा रखी हैं और उनको आप काम ही नहीं देते। हाई कोर्ट में चले गये हाई कोर्ट ने उनको 7 दिन की जगह 15 दिन का टाइम दिया। अब वे सुप्रीम कोर्ट में चले गये। वह टाइम भी खतम हो गया, मशीनें भी हट गयी। लेकिन आज भी बराबर तारीख पेशी पर इन खान वालों को और आपकी गवर्नमेंट को जाना पड़ता है। क्या मतलब है आखिर ? यह पैसा क्या इसी तारीके से जाए ? रोजाना तारीख पेशी पर 25 हजार, 50 हजार रुपये कोई लेता होगा, ये सारे आपके अफसर वहां जाते होंगे गाड़ियों में, एयर कंडीशन कमरों में रूकते होंगे। आखिर क्या है यह ? इस पर विचार तो करिये आप कम से कम। उनके खिलाफ एक्शन लीजिये कि जब मामला ही खतम हो गया। एक ही चीज को तो आप कह रहे हैं कि इनको टाइम नहीं दिया जाए। हाई कोर्ट ने टाइम

(श्री मोहन लाल मोदी)

15 दिन का दे दिया, 15 दिन समाप्त हो गये। सारे काम हो गये, मशीनें उठ गयी तो फिर अब आप क्या चाह रहे हैं ? मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, राजस्थान की जो माली हालत खराब हुई इसको ठीक करने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करके यह जो खनिज सम्पदा है, जो आपको गाड–गिफ्ट में मिली हुई है उसको आप ज्यादा से ज्यादा निकलवाइये।

ये बार–बार कहते है कि हमको कंटैम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। आपके यहां अटार्नी जनरल हैं उनकी रिपोर्ट आ गयी कि उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अपने कपिल सिब्बल साहब की भी रिपोर्ट उसमें आयी। यानि सारी राय आ चुकी है इसके बाद भी आप इसका ध्यान नहीं देते तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं और राजस्थान का बहुत बड़ा नुकसान करेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप क्या कहना चाहते हैं ? यह सदन उस पर ध्यान देगा। कपिल सिब्बल की बात मानने के लिए यह सदन नहीं हैं, आपकी बात का महत्व रहेगा।

श्री मोहन लाल मोदी : रेफरेंस दे रहा हूं, साहब। एडवोकेट जनरल की बात कह रहा हूं, उनकी राय है। गवर्नमेंट ने राय मांगी, एडवोकेट जनरल ने राय दे दी कि इसको आपको वन क्षेत्र से निकालने में या इनके राइटस तय करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि उनके राइट्स तय करके दूसरी जगह जिस तरह से ये कर रहे हैं, उनमें आप दीजिये। आपके चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने भी कहा है कि 6 खनन क्षेत्रों को सैंक्चुरी से बाहर कर दिया जाए। पी.सी.सी.एफ. की रिकमंडेशन भेजी है। 300 किलोमीटर का वन क्षेत्र में उसमें एक भी जानवर नहीं है। यह रिपोर्ट है, उसके अंदर डी.एफ.ओ. ने कहा है कि इसका कोई रिकार्ड ही नहीं है। जो नक्शा बनाया गया है उस पर किसी अधिकारी के दस्तखत नहीं हैं। वह अभी तो प्रपोज्ड सैंक्चुरी है, सैंक्शंड सैंक्चुरी है ही नहीं। तो आपको इसमें पूरा प्रयत्न करना चाहिए। हिमाचल गवर्नमैंट ने द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, कुल्लू की 754 किलोमीटर की सैंक्चुरी में राइट्स तय किये हैं इन सारी जगह की आपको जानकारी करनी चाहिए। गुजरात गवर्नमैंट द्वारा 1995 में 765 किलोमीटर की फाइनल सैंक्चुरी को 444.23 कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको कह दिया कि यह स्टेट का मैटर है, स्टेट जैसा चाहेगी वैसा करेगी। तो आपका यह जो स्टेट का मैटर है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते तो यह किस तरह से चलेगा ? मैं समझता हूं कि इसमें बहुत सारी खाने आयी हैं और बहुत सारे लोगों को तकलीफ है। सीकर के अन्दर भी पट्टी कातला वगैरह सारे निकालते हैं, उनको भी दिक्कत हो गयी। अब आप देखिये कि श्रुति मार्बल है यहां, उसको 20

(श्री मोहन लाल मोदी)

साल का ठेका दे दिया। इतनी बड़ी ताज्जुब की बात है कि उसी एरिया में एक आदमी को 20 साल का लीज मिल गया और बाकी लोगों को कहा कि आप मशीन भी नहीं ले जा सकते। क्या बात है आखिर ? इसके अलावा आपकी और जानकारी के लिए भी बता दूं कि...

श्री सभापति : क्या होना चाहिए, कुछ बताएं न आप। आपके क्या विचार हैं, इसमें बताए कि क्या होना चाहिए।

श्री मोहन लाल मोदी : मैं यह कह रहा हूं कि एक लीज दे दी तो बाकी लोगों को उनकी लीज रिन्यू क्यों नहीं की जाती ? उनको भी देनी चाहिए और इसका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा अभी चार दिन पहले आंधी मार्बल का भी एक आदेश आया है। जो आप यह कहते हैं कि हमारे कंटैम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, मैं उस बात को आपको समझा रहा हूं कि अभी चार दिन पहले उसको 4 महीने की परमीशन मिल गयी। फिर क्या कारण है कि बाकी जो माइन ओनर हैं उनको नहीं दे रहे हैं ? यानि यह एक संदेह प्रकट करता है कि कहीं न कहीं कोई एजेंसी लगी हुई है। यहां का मार्बल इतना मशहूर हो गया और फोरेन में जाने लग गया तो फोरेन के लोगों ने या इसमें मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन नीचे ही नीचे इस तरह का कुछ चल रहा है कि ये खानें बंद हो जाएं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के हित में कुछ करें क्योंकि वहां एक लाख आदमी रोजी–रोटी कमाते थे उससे उनका पेट भरता था। 700 ट्रैक्टर चलते थे। सभापति महोदय, इतना बड़ा काम था, 700 ट्रक चलते थे। आप जानते हो कि ट्रक होते हैं, खान होती है तो उसमें मिस्त्री भी होते हैं, और भी लोकल लेबर होती है। लोकल लेबर के अलावा बाहर की लेबर भी थी और एक लाख आदमी इससे रोजगार पा रहे थे। वे कोई डेली वेजेज की रकम नहीं पैदा करते थे, वे उससे डबल पैसा कमाते थे। आप रोजगार बढ़ाने की बात करते हो, लोगों को बेरोजगार नहीं करने देना चाहते हो तो, आखिर इस सारे काम के अन्दर आपको ध्यान देना चाहिए।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : आप फरमा रहे हैं इसके गर्भ में क्या है ?

श्री मोहन लाल मोदी : इसके गर्भ में मार्बल है। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि इसको आप सैंक्चुरी से, कुल तीन किलोमीटर जगह है खाली, निकालकर के...

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : आपके मन में जो दर्द है उसको आप सही रूप में कहने में संकोच कर रहे हैं।

श्री मोहन लाल मोदी : मैं संकोच नहीं कर रहा हूं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : आप स्पष्ट कहिये कि इसमें किन्तु परन्तु है वह क्या है।

श्री मोहन लाल मोदी : मैं आपको बता रहा हूं न। सीधा यह है कि ये खानें आप चलवाइये वापस, उनको परमीशन दीजिये। यह तो सीधी–सी बात है, और क्या चाहिए ? माल निकले, माल जाए तो राजस्थान में टैक्स आए। सेल्स टैक्स आता था उसमें, रोड टैक्स आता था। कितना बड़ा, कभी अंदाजा भी लगाया ? इसके फिगर्स भी लिये हैं आपने खनिज मंत्रीजी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसको आप गहराई से देखिये और गहराई से देखकर के जल्दी से जल्दी इनका कीजिये। यह आपके हाथ में तो है नहीं, स्टेट गवर्नमैंट को तो खाली इतना करना है कि हमको इसको सैंक्चुरी से निकालने में कोई आपत्ति नहीं है। देगी तो सैंट्रल गवर्नमैंट आप तो उसको दे भी नहीं सकते हैं लेकिन वह परमीशन सैंट्रल गवर्नमैंट तुरन्त दे देती है। महज आपके नहीं भेजने के कारण ये सारी परिस्थितियां हैं।

(14.00 बजे)

मैं आपसे और निवेदन करना चाहता हूं कि आपके डिपार्टमैंट के लोग हैं उन्होंने ही लिख–लिख कर दिया हुआ है कि इसमें कोई परेशानी नहीं है। आपका पी.सी.सी. एफ. लिखता है, 'अतः वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए निम्न हस्ताक्षरकर्ता की राय में इस प्रस्तावित क्षेत्र में निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुए तथा उन शर्तों के साथ जो उप वन संरक्षक, जयपुर (पश्चिम) द्वारा पेज (2) (ए) और (बी) में अपनी टिप्पणी में दिया गया है, के साथ भी नोटिफाई करना, अनारक्षित किया जाना उचित होगा' आपके ही अधिकारी आपको कुछ कहते हैं और लिखित में कुछ भेजते हैं। आपको जांच करनी चाहिए। वन मंत्रीजी, इतने बड़े देश का काम और आप जिसमें यों चुपचाप बैठे रहें। मैं जहां तक समझता हूं, यहां पर फोरेस्ट आफिसर आपकी पकड़ से तो नीचे हैं। पकड़ में नहीं, उनको तो मनमानी चलती है। इस बात से सभापति महोदय, आप संतुष्ट होंगे कि मशीनें हटाने के मामले में हाई कोर्ट में चले गये, सुप्रीम कोर्ट में चले गये। आखिर क्या था उनके साथ ? उनको तो सहयोग करना चाहिए, आपके विभाग को सहयोग करना चाहिए लेकिन उलटे असहयोग कर रहा है कि किसी भी तरीके से यह नहीं हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये सारी परिस्थितियां ऐसी हैं पर आप राजस्थान का नुकसान कर रहे हैं। राजस्थान तो वैसे ही इस समय दिक्कत में है, पैसों की कमी है और जो आ रहा है उसको भी बंद कर दिया। यह तो बहुत बड़ी बात है। यह खाली आंधी की बात ही नहीं हैं, सारे राजस्थान में माइन्स बंद हैं। आप सोपस्टोन देखिये। कितना बड़ा, सारे विश्व में नाम है सोपस्टोन। दौसा जो फैक्ट्री चलती है, वह बंद हो गई। आप देखिये कि आप करना क्या चाहते हैं। या तो उनको जानकारी नहीं है या समझ नहीं है या ये

(श्री मोहन लाल मोदी)

उन अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं कर सकते, जिन्होंने इनको उलट–सुलट बातें करके कर रखा है। दौसा में हमारी जो मशीन लगी हुई है, सारे वर्ल्ड में वह सोपस्टोन जाता है, उससे बढ़िया कोई सोपस्टोन है नहीं कहीं। (व्यवधान)

श्री सभापति : जारी रखिये, माननीय सदस्य, जारी रखिये अपनी बात।

श्री मोहन लाल मोदी : इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, इनको मूंछों पर ध्यान देना चाहिए था, धन्यवाद।...2–3 बातें आपको और कह दूं।

मैं तो आपके माध्यम से हमारे मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा। न तो मेरे ख्याल से इसमें खनिज मंत्रीजी कुछ कर पाएंगे न फोरेस्ट मंत्रीजी कुछ कर पाएंगे इसलिए आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस सारे मामले को देखिये अपने हिसाब से, अगर आपको कहीं दिक्कत हैं, आप खान मालिकों को बुला लीजिये, जो लेबर के लोग हैं उनको बुला लीजिये और सबको बुलाकर इस मामले को तय कीजिये। बहुत–बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय दिग्विजय सिंह।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, सदन में...

श्री सभापति : आपका नाम है, इनके बाद में आपको टाइम दूंगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, आपकी मेहरबानी छोटी पार्टियों पर भी हो तो बढ़िया रहेगा।

श्री सभापति : ना ना, आप बाहर जा रहे हैं इसलिए आपको पहले मोका दूंगा।

श्री दिग्विजय सिंह : ...सदन में वन, पर्यावरण और खनिज की मांग पर चर्चा हो रही है।

श्री के.सी. चौधरी : माननीय सभापति महोदय, बात फोरेस्ट विभाग की हुई, फोरेस्ट सचिव सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं इसमें ?

श्री सभापति : फोरेस्ट सैक्रेटरी का सुनना जरूरी नहीं है, फोरेस्ट मिनिस्टर साहब सुन रहे हैं। (व्यवधान) वह उनका विभागीय मामला है। उनसे अपना कोई ताल्लुक नहीं है। वह फोरेस्ट मिनिस्टर और फोरेस्ट सैक्रेटरी की बीच की बात है। सदन का संबंध फोरेस्ट मिनिस्टर से है। आप बोलिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान और माननीय वन मंत्रीजी का ध्यान वनों की और वन सम्पदा को जो दिन प्रतिदिन क्षति होती जा रही है, उस ओर दिलाना चाहूंगा। आपने

(श्री दिग्विजय सिंह)

जो अभी निष्पादन आय–व्ययक आधा घंटे पहले ही सब माननीय सदस्यों को वितरित किया, पूरा पढ़ने का अवसर तो मिला नहीं, लेकिन इसके अन्दर इस बात का कहीं संकेत नहीं है कि आपके कितना प्रतिशत वन वृद्धि हुई है और कितना प्रतिशत वन आपका पहले था। जहां तक मेरी जानकारी है, वन सम्पदा में दिन प्रतिदिन गिरावट आती जा रही है। आपकी वन सम्पदा आज अगर सुरक्षित है तो या तो सैंक्चुरीज में है या नेशनल पार्क्स में है या आपने जो रोड साइड प्लांटेशन कर रखा है वहां पर वन सम्पदा मिलेगी। अगर आप आंकड़े ले लें और तो राजस्थान का जब इण्टीग्रेशन हुआ उस समय वन सम्पदा 30–32 प्रतिशत थी और आज वह घटकर, मेरी जानकारी के अनुसार 11 दशमलव कुछ पर आ गई। अब यह वन सम्पदा घटती जा रही है, इसमें न केवल वन सम्पदा को ही नुकसान है बल्कि उसके जो साइड इफैक्ट्स है उनको भी देखना होगा। अगर वन सम्पदा और वन कम होते चले जाएंगे तो वर्षा ऋतु पर भी इसका असर पड़ता है क्योंकि वन बहुत महत्वपूर्ण है, वर्षा ऋतु के लिए। इकोलोजी का एक महत्वपूर्ण अंग है वन, मैं वन मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा प्रोस्पैक्टिव वे में भी सोचें। सारा का सारा केन्द्रिय करके विभाग के माध्यम से ही नहीं करें, इसको प्राइवेट फोरेस्ट्री के माध्यम से भी चलाएं। मुझे याद है, 1966 में मैं कनाडा गया था। वहां मैंने इसकी जानकारी ली कि आखिर वहां पर वन सम्पदा किस प्रकार से इतनी सुरक्षित है। वहां प्राइवेट फोरेस्ट्री को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया हुआ हैं प्राइवेट फोरेस्ट्री में यह नहीं है कि वे मनचाहे जैसे काम करें, उनके ऊपर वहां के स्टेट के जो रूल्स एण्ड रैगुलेशन्स हैं, जो फोरेस्ट डिपार्टमेंट के रूल्स एण्ड रैगुलेशन्स हैं, वे लागू होते हैं। इसी प्रकार से अगर आप भी कोई पैटर्न इस प्रकार का अपना ले कि प्राइवेट फोरेस्ट्री के अन्दर फोरेस्ट को दे दें और ग्रामीणों को इसके अन्दर इन्वाल्व करें तो वनों और वन सम्पदा को सुरक्षित रखने के लिए वे ज्यादा आपका साथ देंगे। जिस क्षेत्र के अन्दर आप वन सम्पदा ग्रामवासियों को संभलाएंगे या ग्रामीण क्षेत्रों को देंगे वहां उनको चिंता रहेगी कि उस लकड़ी को या उस वन को वे सुरक्षित रखें। सभापति महोदय, आप खुद जानते हैं कि आज ग्रामीण क्षेत्र में ईधन की कमी है। ईधन की कमी होने का एक मुख्य कारण यह है कि वहां पर आबादी जंगल की तरफ जाती है। जंगल की तरफ जाती है तो अवैध रूप से वनों की कटाई होती है और कटाई होने के कारण हमारे वन खत्म होते जा रहे हैं। आप इसको जैसे सोशल फोरस्ट्री कहते हैं या विलेज फोरेस्ट्री कहते हैं, वह स्कीम बनाकर आप लागू करें तथा ग्रामवासियों को संभलाएं तो ज्यादा उचित

(श्री दिग्विजय सिंह)

रहेगा।...अंग्रेजी में समझते हैं, मैं उनको बाद में समझा दूंगा।

श्री सभापति : पहले था यह सोशल फोरेस्ट्री और विलेज फोरेस्ट्री, पंचायती राज के प्रोग्राम में भी एक हिस्सा था।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, यह एक पत्र है, पी.सी.सी.एफ. ने सब माननीय सदस्यों को लिखा था। इसके अन्दर इसी बात को दिखाया गया है कि 'वृक्षविहीन होता वन विभाग। वन भूमि को पुनः हरा–भरा करने की ग्रामवासियों और स्वयंसेवी संस्थाओं से भागीदारी प्राप्त करने की योजना' मेरे खयाल से यह सब माननीय सदस्यों को भेजा गया है। इस संबंध में वन मंत्रीजी से जानना चाहूंगा वह 1999 को भेजा हुआ है, करीब एक वर्ष हो गया, विभाग द्वारा इस पत्र के ऊपर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? किन–किन विधायकों का उत्तर आया, क्या–क्या सजेशंस उन्होंने दिये ? आपने जो इसके अंदर कई सुझाव दिये है, उनके अनुरूप विभाग ने क्या कार्यवाही की ? विभाग ने भी इसके अंदर सुझाया है कि वन सम्पदा को बचाने के लिये आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं, तो जो इसमें उल्लेख किया गया है उसके अनुसार क्या प्रगति हुई है ? वन मंत्री महोदय, जब आप उत्तर दें तो कम से कम यह तो हमें बताने की कृपा करें कि इस परिपत्र के माध्यम से आपने वन सम्पदा को बचाने के लिए, वन सम्पदा को ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामवासियों को देने के लिए क्या कोई सोसाइटीज बनाई हैं या उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था की है कि ग्रामीणों के हाथ में अगर यह व्यवस्था दे दी जाए तो ज्यादा सैंस रखेगा। सभापति महोदय, मेरी यह मान्यता है कि यदि वन सम्पदा को हमें बचाना है तो पब्लिक इंवाल्वमैंट बहुत जरूरी है और पब्लिक इंवाल्वमैंट तभी हो सकता है जब हम जनता के ऊपर विश्वास करें, हम जनता को चोर नहीं समझे। आप अगर जनता को चोर समझ कर हरेक मामले के अंदर देखेंगे तो निश्चित रूप से आप मानकर चलें कि आपको लाभ नहीं बल्कि हानि होगी। क्योंकि उनके मन में एक प्रकार की कुंठा पैदा होगी कि सरकार या विभाग हमको चोर मानकर चलता है। तो निश्चित रूप से वह चोरी करेगा। आज आप ग्रामीण को वन देने की योजना बना रहे हैं, अभी तक तो कोई दिया नहीं है, देंगे तो बढ़िया है, मैं उसके पहले पूछना चाहूंगा, आज आपके फोरेस्ट डिपार्टमैंट के अधिकारी, रेंजर्स लगे हुए हैं, फोरेस्ट गार्ड लगे हुए हैं उसके बाद भी हमारी वन सम्पदा इतनी कम क्यों है ? आखिर इसके लिए रेस्पांसिबिल कौन है ? आपको अकाउंटेबिलिटी और रेस्पासिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी कि यह वन सम्पदा धीरे–धीरे कम क्यों होती जा रही है। सभापति महोदय, मैं अधिक नहीं कहते हुए इस संबंध में इतना ही आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वन सम्पदा जो राजस्थान की

(श्री दिग्विजय सिंह)

ही नहीं बल्कि हमारे देश की बहुत बहुमूल्य सम्पदा है, उसको सुरक्षित रखने का हमारा सब का जिम्मा है। सभापति महोदय, माननीय वन मंत्रीजी को ऐसा विभाग मिला है कि आपको इसके लिए बहुत चेष्टा करनी पड़ेगी, आपके काम करने में अड़गें भी बहुत लगेंगे। आपके खनिज विभाग भी बीच में आएंगा, दूसरे आदमी भी बीच में आएंगे, कहीं पंचायतें भी रोड़ा अटकाएंगी, कहीं निजी क्षेत्र के लोग भी रोड़ा अटकाएंगे पर आपको दृढ़ संकल्प के साथ अपनी इच्छाशक्ति से काम करना होगा, तभी आप इस वन सम्पदा को बचा सकेंगे।

सभापति महोदय, मैं इसी के साथ एक और निवेदन करना चाहूंगा और मैंने अपने कट मोशन में भी दिया है कि हमारे स्टेट में ही नहीं बल्कि सभी स्टेट्स के अन्दर वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड बने हुए हैं। वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड का कार्य है कि वे सरकार को समय–समय पर वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के बारे में अपने सुझाव दें। पर आप मुझे क्षमा करेंगे, वन मंत्रीजी, आपके वाइल्ड लाइफ एडंइवाजरी बोर्ड की गत बैठक 1998 में हुई और 1998 के बाद में आज दिन तक कोई बैठक नहीं हुई, जबकि आपका जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उस एक्ट के अंदर साफ प्रोवीजन है।

"Procedure to be followed by the Board-The Board shall meet at least twice a year at such place... the state government may direct."

आज दो साल निकल गये, कोई वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई। एक दफा नोटिस जरूर आया था कि एक मीटिंग होने जा रही है लेकिन उसके बाद में फिर आ गया कि अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई। वे अपरिहार्य कारण इतने लम्बे चल रहे हैं कि अब तक भी मीटिंग नहीं हो सकी। वे अपरिहार्य कारण न मालूम कब खतम होंगे, इस बारे में वन मंत्रीजी बताएंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड का जो कर्त्तव्य है, जो दायित्व है वह एक एडवाइजरी कैपेसिटी का है। एडवाइजरी बोर्ड के जो मेम्बर्स हैं वे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के साथ–साथ वन सम्पदा को भी कैसे बचाया जाए, उसकी भी एडवाइज करते हैं। चालीसवीं बैठक हुई थी, उसके बाद में कोई बैठक नहीं हुई। सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड को तो ताक पर रख दिया, नजरंदाज कर दिया और एक नई सब कमेटी बना दी। वह कमेटी है, उसके मिनट्स भी मेरे पास आये, उसका नाम है वायो डाइवर्सिटी कंजर्वेशन एण्ड ईको टूरिज्म डवलपमैंट। इसकी मीटिंग हुई 6.12.98 को, इसकी प्रोसीडिंग्स मेरे पास भी आई है। मैं यह जानना चाहूंगा, पहले तो मंत्रीजी यह बताए कि क्या आपकी अनुमति से इस कमेटी का गठन किया गया? क्या

(श्री दिग्विजय सिंह)

इसमें जो सदस्य हैं उनको राज्य सरकार की स्वीकृति है ? क्या राज्य सरकार ने...

श्री सभापति : बोलिये, बोलिये, सुन रहे हैं आपकी बात।

श्री दिग्विजय सिंह : वन मंत्रीजी, सुन लें आप यह बात।

श्री सभापति : मंत्री महोदय, ध्यान दीजिये। माननीय सदस्य बोल रहे हैं इस पर ध्यान दीजिये।

श्री दिग्विजय सिंह : आप थोड़ा आदेश देंगे तो सुनेंगे, मैं नही कह सकता।

श्री सभापति : मैंने निवेदन कर दिया हे उनको। आनरेबल मिनिस्टर आफ फोरेस्ट, प्लीज, माननीय सदस्य बोल रहे हैं उसको जरा सुनिये।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं यह निवेदन कर रहा था कि वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड का जो गठन किया हुआ है मेंडेटरी है उसकी मीटिंग का पर यहां पर हो क्या रहा है ? वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड को बाई–पास करके एक अलग से कमेटी बना दी। उसके चेयरमैन तो है सैक्रेटरी, फोरेस्ट डिपार्टमैंट। मैं यह जानना चाहूंगा कि जिन मैम्बर्स को इसमें बुलाया गया है या आये हैं सरकारी कर्मचारियों के अलावा इस वायो डाइवर्सिटी कंजर्वेशन एण्ड ईको टूरिज्म डवलपमैंट में इसमें क्या आपकी स्वीकृति ली गई ? क्या आपकी जानकारी में है ? क्या आप जानते हैं कि ऐसी कोई कमेटी भी बनी हुई है और वह सजेशंस दे रही है ? सभापति महोदय, वह ईको टूरिज्म या डाइवर्सिटी कंजर्वेशन का ही नहीं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का भी दे रही है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का दे रही है तो फिर वाइल्ड लाइफ बोर्ड को भंग कर दीजिये, इस कमेटी को चलने दीजिये। या तो आपके सचिव आपकी सुनते नहीं या आपकी विभाग में चलती नहीं, क्योंकि आपकी जानकारी में नहीं हो, आपका विभाग आपको जानकारी नहीं दे...

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : सभापति महोदय, सचिव लोग बात को सुनते तो हैं लेकिन बात को मानते नहीं। सुनते तो हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं गुरुजी की बात बिलकुल स्वीकार करता हूं कि सुनते तो हैं पर बात मानते नहीं। पर मेरे को वहम यह है कि शायद कान में भी उनके डूंजे लग रहे हैं। इसी वजह से...

श्री मदन दिलावर : वे सुनते भी हैं, मानते भी हैं पर आर्डर गलत देते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : इसी वजह से आप जो आदेश देते हैं, जो आदेश देकर नीचे भेजते हैं वे उसको समेट कर रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज, बाधा नहीं डालें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : इनके आदेश से तो कोई न कोई...

श्री दिग्विजय सिंह : प्रताप सिंहजी, आप बिराजें, एक मिनट।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, दिग्विजय सिंहजी बोल रहे हैं, आप कृपया स्थान ग्रहण करें। आप स्थान ग्रहण करें, वे बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : कोयले के ट्रक वाला मामला क्या है ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : बहुत अखबारों में लम्बा–चौड़ा आया है, कोयले के ट्रक का क्या मामला है ? (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : आप क्यों चिंता कर रहे हैं, आप मत चिंता करें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : कोयले का ट्रक गलत तरीके से पकड़ लिया...(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : ऐसा है, आप बिराजें, दिलावर साहब।

श्री मदन दिलावर : माननीय मंत्री महोदय का कहना है कि यह गलत तरीके से पकड़ लिया, अधिकारी कहते हैं, कि सही पकड़ा है, मामला क्या है यह ?

श्री दिग्विजय सिंह : पहले आप बोल लें। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय मंत्री गलत लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं, फोरेस्ट के अधिकारियों पर धौंस–दबाव बनाते हैं, गलत तरीके से नाजायज काम करवाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री दिग्विजय सिंह : आप दोनों माननीय सदस्यों को मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, मैं तो खुद सक्षम हूं।

श्री सभापति : प्लीज आप भाषण अपना जारी रखिये। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप...

श्री मदन दिलावर : हम तो आपकी उम्र का खयाल करते हुए बोल रहे हैं...

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय मंत्रीजी को यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी, आप अपने विभाग...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप पहले बहुत सक्षम थे, आपकी सक्षमता पहले बहुत थी, पर जब से उधर गये हैं कम हो गई। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : पर इतना कन्ट्रोल रखें कि कम से कम आप जो बात कहें वह सुनें तो सही।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय जगमाल सिंहजी।

श्री दिग्विजय सिंह : आप में कोई कमजोरी नहीं है, मुझे आप बहुत क्षमा करेंगे...

श्री सभापति : आपका नम्बर आ रहा है, फिर ऐसा ही आपके साथ होगा। आपका नम्बर आ रहा है, आपके साथ भी ऐसा होगा, बिराजिये आप।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : दिग्विजय सिंहजी सक्षम तो बहुत हैं, पर जब से भैरोंसिंहजी से यारी की अक्षम हो गये।

श्री सभापति : उनसे यारी आपकी भी रही हुई है। उनके आप भी यार रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, माननीय दिग्विजय सिंहजी का बिछोह हमें कई बार दुःख देता है, हमें बड़ी याद आती है। जब से हम से बिछुड़ कर गये हैं उनकी हालत वहां यह हो गई, सभापतिजी आप देखिये तीसरी सीट पर बैठे हैं। हमारे साथ थे तो आगे बैठते थे।

श्री सभापति : अब आपका भी बेहाल हैं अब आपका भी माननीय सदस्य हाल से बेहाल है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, ऐसा मत कहिये। आप याद मत दिलाइये अब।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री सभापति : धीरे बोलिये प्लीज। मैं आपके भाषण में विघ्न नहीं डाल रहा हूं। आप मेहरबानी करके आपस में बातचीत नहीं करें। जो कुछ आपको कहना वह आप कहिये।

श्री दिग्विजय सिंह : आप भी मेहरबानी करके, जरा सुनवाइये।

श्री सभापति : मैं आपकी बात सुनवाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। आपकी बात सब सुनें, मैं यही चेष्टा कर रहा हूं।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, मैं भी कह रहा हूं आपको कि जरा आप मेहरबानी करें। एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : हां, बोलिये।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं यह कह रहा था कि चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही छोड़ने की तो यह आप थोड़े दिनों बाद खुद ही मान लेंगे और आप भी छोड़ कर आ जाएंगे। (व्यवधान) मैं कारणों पर नहीं जाना चाहता।

श्री सभापति : हां, मत जाइये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अन्दर वाली बात तो नहीं है जो हम आपस में करते हैं ? वह बात तो नहीं हैं ?

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : सभापति महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य आ जाएंगे तो वे हमारे बीच में व्यवधान उपस्थित करेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यहां आ रहे हैं। मैं तो यह कह रहा हूं कि वहां से छोड़ देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अपना तो जिला एक है, साहब।

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं तो, दिग्विजय सिंहजी आपको भागना पड़ेगा फिर। जैसे भैरोंसिंहजी के पास से भाग

(श्री जगमाल सिंह यादव)

लिये अगर ये उधर आएंगे तो आपको भागना पड़ेगा।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं एक बात के लिए तो माननीय वन मंत्रीजी को और इनके अमले को भी बधाई दूंगा कि अमरीका के राष्ट्राध्यक्ष आये और रणथम्भौर अभ्यारण घूमने गये तो उनको वहां एक नहीं दो बाध दिखे। निश्चित रूप से जो बात सही है और सराहनीय है, मैं यह कहूंगा कि ये धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। इनका वहां जो अमला है उसकी भी इस बात के लिए मैं समझता हूं, निश्चित रूप से सराहना की जानी चाहिए। सभापति महोदय, मैंने 295 के माध्यम से भी कहा था, अफसोस मुझे इस बात का है कि वहां पर माननीय राष्ट्राध्यक्ष...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आज आपका भाषण पूरा फोरेस्ट पर ही होगा या फिर...

श्री दिग्विजय सिंह : बस पांच मिनट में।

श्री सभापति : करिये करिये।

श्री दिग्विजय सिंह : ...वहां गये तो मुझे अफसोस यह रहा कि वहां पर उनके साथ केवल हेलीपैड पर ही हमारे माननीय वन मंत्री को जाने दिया गया। फील्ड डाइरेक्टर को भी वहीं जाने दिया गया और डिप्टी डाइरेक्टर फील्ड हैं उनको भी वहीं जाने दिया गया। अन्दर भ्रमण के वक्त माननीय मंत्रीजी को और सारे अमले को इस योग्य नहीं समझा गया, कि वे राष्ट्राध्यक्ष के साथ गाड़ी में जाएं और जो नेशनल पार्क हमारा है...

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : सभापति महोदय, यह हो सकता है कि इन्होंने वहां जाना ठीक नहीं समझा हो, इसमें क्या बात है।

श्री सभापति : अमरीकी राष्ट्रपति मिस्टर बिल क्लिंटन की सुरक्षा का अलग इंतजाम था, आप उसमें न जाएं।

श्रीमती बीना काक (राज्य मंत्री, पर्यटन) : अगर ये जाते तो दो टाइगर के बदले तीसरा टाइगर भी दिख जाता।

श्री रामसिंह विश्नोई : अन्तरराष्ट्रीय स्तर के आदमी वहां हमेशा आते रहे हैं, इनके पास इतना टाइम कहां है जाने का।

श्री सभापति : आप उसमें न जाएं, कृपया अपनी बात कहें।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, मैं थोड़ा इसलिए निवेदन करना चाह रहा था...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय, सभापति महोदय, पर्यटन मंत्री को साथ जाने से नहीं रोका, क्या वहां भी शक्ल सूरत पर दंड था ?

श्री दिग्विजय सिंह : ...राष्ट्रों के राष्ट्र अमरीका के राष्ट्राध्यक्ष जो आज सबसे बड़ी शक्ति है वे आये राष्ट्रपति के आने के बाद

(श्री दिग्विजय सिंह)

हमारे वन मंत्रीजी को जाने नहीं दिया, उनके साथ घूमने की इजाजत नहीं हुई, हमारे डाइरेक्टर को नहीं हो, फील्ड डाइरेक्टर को, डिप्टी डाइरेक्टर को नहीं हो और जो रिटायर्ड डाइरेक्टर है। व घूमने के लिए जा रहा है, उनको साथ लगा दिया कि जाओ। इससे तो हमारी राज्य मंत्री बीनाजी ठीक थीं, इन्होंने बढ़िया स्वागत किया। हाथ मिला कर पूरी बात की। मैं तो यह कहता हूं कि टूरिज्म के हिसाब से यह डिपार्टमैंट भी आप सम्भाल ले तो ठीक रहेगा।

श्रीमती बीना काक : हाथ तो इन्होंने भी मिलाया था।

श्री दिग्विजय सिंह : हाथ मिलाया होगा पर साथ नहीं मिला। सभापति महोदय, यह एक अलग विषय है, बाकी एक बात के लिए मैं आपको बधाई देता हूं और वहां के डाइरेक्टर को भी कि गत वर्ष जो बाध गणना हुई उसमें बाघों की संख्या बढ़ी है। निश्चित रूप से प्रोटेक्शन के हिसाब से वहां पर काम हुआ है और हो रहा है। गत वर्ष जब वह कार्य हो रहा था तो मैं भी वहां गया था। कैच एंड री कैच, अब आप कहेंगे कि यह कैच एंड री कैच क्या है। टाइगर की गणना जो साधारणतः होती है पैर मार्क से, वह पैर मार्क से नहीं होकर केमरे के माध्यम से हुई थी। कैमरे के माध्यम से हुई और मेरा सौभाग्य हुआ, मैं एक रूट पर गया तो उस रूट पर मैंने देखा कि टाइगर जा रहा था। कैमरा लकड़ी की तरह फिक्स हो जाता है, वह ज्यों ही उसके पास से होकर निकलते हैं ऑटोमैटिकली कैमरा चल करके उसको कैच कर लेता है। मैं चाहूंगा कि उस गणना की रिपोर्ट आ गई है, उससे हम वाइल्ड लाइफ के जो मैम्बर्स हैं और सदन के मैम्बर्स हैं उनको भी अवगत कराएं। यह एक अनूठा प्रयोग था राजस्थान में मध्य प्रदेश में किया गया था जो राजस्थान में भी किया गया।

सभापति महोदय, अभी एक प्रश्न था विधान सभा में डा. रामप्रतापजी का और इससे पहले मैंने भी प्रश्न किया था हरिणों के शिकार के बारे में सलमान खान पर मैंने प्रश्न किया था और मैंने कहा था कि एक तरफ तो आप बावरिये, मोघे और दूसरे अगर हरिण मार देते हैं, खरगोश मार देते हैं तो झट पकड़ा और उनका चालान पेश कर देते हैं। और 1998 में सलमान खान का केस हुआ, सभापति महोदय, शर्म की बात है गवर्नमैंट के लिए कि आज दिन तक उसका चालान नहीं हुआ। और तो और, अब तो वहां बोर्ड आ गया। जो इंवेस्टिगेशन ऑफिसर था उसका चार या 6 महीने में ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि वह चालान की स्थिति एक साथ पेश करने जा रहा था। डब्ल्यू.पी.एस.आई. है इस संस्था ने एप्रोच किया दिल्ली में मंत्रालय को जब वहां नहीं सुना तो इन्होंने एप्रोच किया हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनियाजी को उन्होंने लिखा, कि साहब इस वर्ष जून के मध्य में जबकि

(श्री दिग्विजय सिंह)

सलमान के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत करने में अन्तिम तारीख को केवल दो सप्ताह बाकी रह गये थे तभी जांचकर्त्ता अधिकारी श्री बोहरा का बिना किसी पर्याप्त कारण अचानक स्थानान्तरण कर दिया गया, उन्हीं के अधीन इस पूरे मामले की जांच–पड़ताल हुई थी। उनके हस्तक्षेप करने के बाद सोनियाजी ने इनको लिखा यहां पर तब तक श्री बोहरा का स्थानान्तरण नहीं किये जाने के लिए अनुरोध किया गया था सरकार को, फिर भी इन्होंने अस्वीकार कर दिया। तब फिर वहां से आया अभियोग पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया गया। श्रीमती गांधी ने कहा कि वन प्राणियों के प्रति प्रतिबद्धता मेरे परिवार के सदस्यों के लिए आस्था का विषय रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हम कांग्रेस पार्टी में इसे बनाये रखने के लिए वचनबद्ध हैं। श्रीमती गांधी की तुरन्त सहायता मिलने पर यह सुनिश्चित हुआ कि अभियोग पत्र दर्ज किये जाने तक जांचकर्ता अधिकारी, जोधपुर को वहां बनाये रखें। मैं पूछना चाहूंगा आपको कि आखिर उसको ट्रांसफर करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? क्योंकि वह चालान पेश होने जा रहा था ? सभापति महोदय, आप आश्चर्य करेंगे, मैंने जब पूछा प्रश्न उसको तब स्थगित कर दिया गया। पर एक जानकारी मैंने आपसे ली तो आपने कहा, आपके विभाग से पत्र आया मेरे पास कि वह जो शिकार हुआ था, मृतक हरिण को डी.एन.ए. परीक्षण के लिए हैदराबाद जांच के लिए भेजा है कि देखें कि यह हरिण है या बकरा। अगर मोघे का या बाबरिया का केस हो जाता तो आप डी.एन.ए. परीक्षण के लिए नहीं भेजते, जब आप तुरन्त चालान कर देते कोर्ट में। उस पर 5–10 हजार का जुर्माना कर देते, उसको सजा हो जाती हैं। लेकिन इसके अन्दर डी.एन.ए. परीक्षण हेतु हैदराबाद भेजा और हैदराबाद से रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आने के बाद, सभापति महोदय, विभाग ने दुबारा फिर भेजा कि हमने आपको कुछ बिन्दु लिखकर भेजे थे इनको स्पष्ट नहीं किया, इसलिए आप इसकी रिपोर्ट दुबारा भेजें। आज दिन तक उस रिपोर्ट का पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अभी कल–परसों ही अखबार में आया था कि सलमान खान को बेल दे दी गई। पर हमारे विभाग से कोई चालान प्रस्तुत नहीं हुआ। इससे ज्यादा शर्मनाक बात मैं समझता हूं विभाग के लिये और सरकार के लिये नहीं हो सकती। ऐसे–ऐसे दृष्टांत हमारे सामने आ जाते है और हमको लज्जित करते हैं। हम पारदर्शिता की बात करते हैं लेकिन गरीब का तो चालान हो जाए पर एक बड़ा आदमी जो खूब पैसे वाला हो, उसे किसी न किसी बहाने से हमारा विभाग आगे चलाता रहे। माननीय वन मंत्रीजी जब आप अपना उत्तर दें तब इस बात को स्पष्ट करें कि इस प्रकरण में आप कब तक चालान प्रस्तुत कर देंगे। उसके बाद जो भी कार्यवाही होगी वह अदालत करेंगी।

(श्री दिग्विजय सिंह)

सभापति महोदय, पहले मैंने आपसे पांच ही मिनट मांगे थे पर मैं एक निवेदन और करना चाहूंगां एक तो आप वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड की जो मीटिंग है उसको सुनिश्चित तरीके से बुलाए। यह जो बैक डौर कमेटी बनाकर अपना कार्य संपादन कर रहे है, उसको आप तुरन्त रोके। इसकी आप जांच करें कि यह बनी कैसे और इसके लिये क्या आपसे स्वीकृति ली गई। सभापति महोदय, इसके अन्दर ऐसे–ऐसे सुझाव है।...

श्री सभापति : यह तो रिपीट हो रहा है आपका भाषणा, यह तो आपने पहले कह दिया।

श्री दिग्विजय सिंह : वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड के नीचे आते हैं। इसलिए यह जो कमेटी बनाई है इसको आप तुरन्त निरस्त करें। इसकी बजाय जो रेगुलर वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड़ है उसकी आप बैठक बुलाए और बैठक बुलाने के बाद ही कोई कार्यक्रम करें। जो कुछ किया है उसकी निश्चित रूप से जानकारी करें।

सभापति महोदय, मैं अंत में माननीय खनन मंत्रीजी से खनन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि आप खनन के लिये एक सुनिश्चित नीति बनाएं।

श्री सभापति : यही मैंने आपसे पहले पूछा था कि आप अपना पूरा भाषण फोरेस्ट पर ही लगा रहे है और श्रीमान् को यह मालूम नहीं हो रहा है कि कितना समय आप ले रहे है।

श्री दिग्विजय सिंह : खनन कई जगह फोरेस्ट लैण्ड पर हो रहा है जबकि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर है, दूसरे आर्डर हैं। उनकी अवहेलना करते हुए कई जगह यह हो रहा है। इसलिए खनन के मामले में आप थोड़ा इस बात को देखें। जो रायल्टी आप लेते है। उसका भी आप किसी न किसी तरीके से सरलीकरण करें जिससे चोरी न हो और आपको आमदनी भी हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : बहुत–बहुत धन्यवाद। श्री जगमाल सिंहजी।

श्री हीरासिंह चौहान : सभापति महोदय, टर्न के हिसाब से तो हमारी बारी आती है।

श्री सभापति : प्रतिपक्ष एक है और ये जा रहे हैं इसलिए।

श्री हीरासिंह चौहान : आप उधर से तीन–तीन बुलाते हो, कम से कम दो को बुला कर एक तो बुलाए। इनके बाद बुला दें।

श्री सभापति : ठीक है, आपको राजी रखेंगे।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : सभापति महोदय, मेरा बजट पर जो समय था वह भी मेरे को नहीं दिया गया और

(श्री जगमाल सिंह यादव)

राज्यपाल के अभिभाषण पर जो समय आसन ने दिया था वह भी मेरे को अवसर नहीं मिला। जब आप आसन पर बिराजते हो तो मुझे यह मौका मिलता है। मैं सोचता हूं कि मेरे राइट प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन जब आपकी तरफ देखता हूं तो मुझे ऐसे डर लगता है जैसे बच्चे को हैड मास्टर से लगता हो इसलिए मैं आपसे इनायत चाहूंगा कि आप मेरे को जितना भी समय दें, पांच मिनट पहले घंटी बजा दें, मैं बैठ जाऊंगा।

श्री सभापति : आपकी पार्टी के तो आप ही लीडर हैं और जितना समय आपकी पार्टी को मिलना चाहिये वह भी आपको मालूम है। उस समय सीमा में आप जितनी बढ़िया बात कर सकते हैं वह कहने की कृपा करें।

श्री जगमाल सिंह यादव : बेहतर कोशिश करूंगा।

श्री सभापति : बोलिए आप।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, फोरस्ट और खनिज का नैचुरल तरीके से जितना सहयोग आपस में होना चाहिये, आज के इस युग में उतनी ही कंट्रावर्सी फोरेस्ट और खनिज के बीच में आ गई है। सभापति महोदय, सारा सदन जानता है कि जहां फोरेस्ट होगा वहीं खनिज होगा। लेकिन मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं पर जितने मीडिया हैं और जितने फोरेस्ट के एक्सपर्ट्स हैं, जितने पर्यावरण के एक्सपर्ट्स हैं यह बात सर्व सत्य है कि अगर फोरेस्ट नहीं रहेगा तो पर्यावरण बिगड़ जाएगा। लेकिन केवल पर्यावरण बिगड़े ओर उसके लिये हम आर्थिक संसाधन नहीं जुटाएं इसके लिये भी मेरा विरोध है। सभापति महोदय, फोरेस्ट का सब्जेक्ट मैटर स्टेट का था। केन्द्रीय सूची में भी नहीं था, समवर्ती सूची में भी नहीं था। यह स्टेट का सब्जैक्ट मैटर था। प्रत्येक राज्य सरकार ने केन्द्र को केन्द्रीय सूची में फोरेस्ट को डालने के लिये कभी आग्रह नहीं किया और कभी लैटर नहीं लिखा। लेकिन धीरे–धीरे केन्द्र सरकार ने इतना ट्रेसपास कर लिया कि अब ऐसा लगने लगा है कि जो फोरेस्ट है वह स्टेट का सब्जैक्ट मैटर न होकर पूर्णतः केन्द्र का मैटर हो।

सभापति महोदय, 1992 में इसी सदन में मैंने एक बात कही थी। फोरेस्ट बचे इसके लिये हम सभी प्रयासरत हैं लेकिन जो विदेशी शक्तियां हैं वे केवल इस बात के लिये फोरेस्ट में हमारी मदद करती हैं कि फोरेस्ट में जो अपार सम्पदा है, राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में जो अपार बेहतर खनिज है, जो दबा पड़ा है उसको निकालकर कहीं हिन्दुस्तान काम्पीटिशन में नहीं आ जाए।

(14.36 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, 1989 में एक मेला लगा था इटली में, जिसमें अरावली से जो ग्रेनाइट और मार्बल निकला था उसने वर्ल्ड

(श्री जगमाल सिंह यादव)

का मार्केट सस्ते रेटों में कैप्चर कर लिया था।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : आप अलवर की बात कर रहे हैं ?

श्री जगमाल सिंह यादव : समस्त अरावली की पहाड़ियों की बात कह रहा हूं। उसमें अलवर नम्बर एक पर था। माननीय चीफ व्हिप साहब, अलवर के पत्थर का नाम रखा गया था 'रसगुल्ला', मालूम है ? बहुत विचित्र नाम है 'रसगुल्ला'। उसने न केवल इण्डिया का मार्केट बल्कि विदेशी जो मार्केट था, इटली की जो मोनोपोली थी, उसको भी तोड़ा था। तब वह विकसित देश जिनकी ग्रेनाइट में मोनोपोली थी, जिनकी मार्बल में मोनोपोली थी, चिंतित हुए और पर्यावरण के नाम पर जितना अपार धन इस हिन्दुस्तान में भेजा गया, वह भी एक रिकार्ड है। 1992 में मैंने अपनी बात कहते वक्त खाता नम्बर दिये थे। तरुण भारत संघ का जिक्र आया था जहां अभी हमारे महामहिम राष्ट्रपतिजी अलवर पधारे थे। तरुण भारत संघ के मामले में मैंने अपनी बात रखी थी, उस तरुण भारत संघ के मैंने खाता नम्बर बताये थे कि किस देश से तरुण भारत संघ के पास केवल इस बात के लिये पैसा आया कि अरावली की पहाड़ियों में खनन का काम रोक दिया जाए। मिसाल के तौर पर 1985 में जापान का सात सौ करोड़ आया था। सात सौ करोड़ रुपये आपको जापान खैरात में नहीं दे रहा था। आज भी जापान का बैंक और दूसरी विदेशी संस्था आपको किसी भी मार्फत अगर कोई मदद भेजती हैं तो उनकी मंशा केवल एक है कि हिन्दुस्तान में अरावली की पहाड़ियों में जो दबी खनिज सम्पदा है उसका दोहन नहीं हो कि वह मार्केट में आ जाए और ब्राजील जैसे विकसित देशों के जो मोनोपोली राइट्स हैं वह समाप्त नहीं हो जाए।

सभापति महोदय, फोरेस्ट मंत्रीजी और खनिज मंत्रीजी जो दोनों यहां विराजमान हैं, मैं कहना चाहूंगा कि यह पर्यावरण और फोरेस्ट का जो बैलेंस है, बड़ी सावधानी से और बड़ी सतर्कता से करने का काम है। 7 मई, 1992 का गजट नोटिफिकेशन क्यों चालू हुआ ? तरुण भारत संघ का जो मैंने जिक्र किया था, यह तरुण भारत संघ है क्या ? सभापति महोदय, यह तरुण भारत संघ केवल उन लोगों का एक समूह है जो राजनीति में सक्रिय तो नहीं हो सकते लेकिन जो फ्यूज बल्ब हैं, जिनका नाम है, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते है केवल कलमकार, वे लोग जो इस देश की राजनीति को जुडीशियरी को प्रभावित करते हैं, उन लोगों का मृत प्रायः संगठन है जिनका नाम तरुण भारत संघ कह दिया। ऐसी ही हिन्दुस्तान में एक 'कासा' नाम की संस्था बनी हुई है। मेरा आरोप है कि चाहे 'कासा' हो, चाहे तरुण भारत संघ हो, यह समस्त विदेशियों के एजेंट हैं ताकि इस देश में पड़ा खनिज निकल नहीं सके। इस तरुण

(श्री जगमाल सिंह यादव)

भारत संघ पर मैंने आरोप लगाया था कि 57 करोड़ रुपये का इटली का पैसा स्विटजरलैंड के मार्फत, कासा के मार्फत होते हुए जवाहर नगर के बैंक में जमा हुआ। जांच की माननीय सभापति महोदय, 1992 में इस सदन की कमेटी बनी थी तरुण भारत संघ पर। इसकी गतिविधियों पर वांच करने के लिये मेरी मांग पर एक समिति का गठन हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं, वन मंत्रीजी, गृह मंत्रीजी नहीं हैं, उस कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ, क्या तथ्य थे ? तरुण भारत संघ के अध्यक्ष है, जनसत्ता के चीफ एडिटर प्रभाष जोशी, इसके मैम्बर है, सिद्धराज ढ्ढढा, इसके मैम्बर हैं डाटा साहब जो अलवर के हैं। यानि जो राजनीति में फ्यूज बल्ब हो गये हैं जिनको कोई पंच नहीं बना सकता है ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने राजनीति में आने का कोई प्रयास नहीं किया। शांतिस्वरूप डाटा ने वार्ड पंच का चुनाव लड़ा, नगरपालिका अलवर से, जो कर्त्ताधर्त्ता है तरुण भारत संघ के। इसके वोट आये 17 जब दाव नहीं लगा। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : तरुण भारत संघ का कोई दूसरा ही व्यक्ति है।

श्री जगमाल सिंह यादव : राजेन्द्र सिंह। (व्यवधान) राजेन्द्र सिंह तो केवल वेतनिक तनख्वाह उठाने वाला सैक्रेटरी है। उसकी बैक ग्राउण्ड क्या मालूम है ? यहां पर नेहरू युवा केन्द्र है उसमें साधारण–सा क्लर्क था। तेज आदमी था यू.पी. का रहने वाला। सिद्धराज ढ्ढढा प्रभाष जोशी जैसे फ्यूज बल्बों से दोस्ती की तो उसको वैतनिक अधिकार दे दिया। सभापति महोदय, यही नहीं तरुण भारत संघ जो अपने आपको पर्यावरण ठीक करने का संस्थान मानता है, जहां राष्ट्रपति जी अभी आये, डी.आर.डी.ए. अलवर का जो बजट था इससे चार साल पहले तिगुना बजट तरुण भारत संघ का है। मैंने यह भी आरोप लगाया था कि यह पर्यावरण बचाने के नाम पर विदेशी संस्थाओं के एजेंट का अड्डा हैं वहां जितने विदेशी नागरिक आते हैं इसको लेकर इस सदन की एक कमेटी गठित हुई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक इस सदन में नहीं आई। इसलिये सभापति महोदय, मैं कहना चाह रहा था, 7 मई,1992 को एक्स्ट्रा आर्डिनरी गजट नोटिफिकेशन भारत सरकार के वन और पर्यावरण विभाग का इसमें आया है। मैंने हाउस में उस दिन भी यह कहा था। मुझ पर आरोप लगा था कि जगमाल सिंह यादव खान लॉबी का बचाव कर रहा है। लेकिन आज वो दिन देखना पड़ रहा हैं। 7 मई, 1992 का जो एक्स्ट्रा आर्डिनरी गजट नोटिफिकेशन आया है भारत सरकार ने वन और पर्यावरण विभाग का उसमे क्या–क्या रेस्ट्रिक्शस लगाये गये ? अलवर से बहरोड़ की तरफ जाते हैं तो जिन्दोली की घाटी है, उस पहाड़ के नीचे से सुरंग निकल रही थी। उस गजट नोटिफिकेशन की मेहरबानी

(श्री जगमाल सिंह यादव)

है कि फोरेस्ट वालों ने जाकर उस पर सील लगा दी। राजस्थान पुल निगम उसको बना रहा था, उनको बीच में बंद कर देना पड़ा। भैरोंसिंहजी ने तुरन्त भारत सरकार से हस्तक्षेप करके उस काम को चालू कराया। आज हमको यह दिक्कत हो रही है। इसलिए मैं यह कह रहा हूं और मैंने उस दिन भी चेताया था। फिर कहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी को अन्य जो चीफ मिनिस्टर हैं हिन्दुस्तान के उनके साथ मिलकर एक ही मांग उठानी चाहिये कि जो फोरेस्ट स्टेट सब्जैक्ट का मैटर था, जो स्टेट सूची में था, उसमें केन्द्र को दखलंदाजी बंद करनी चाहिये। सारे चीफ मिनिस्टरों को एक मांग रखनी चाहिये कि यह सब्जैक्ट मैटर स्टेट का है, स्टेट का ही रहना चाहिये।

दूसरी बात, खान मंत्रीजी, एक और रखना चाहता हूं। 7 मई, 1992 के आदेश के तहत 12.12.1996 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके तहत जो खाने फोरेस्ट में आ गई उन खानों पर बड़ी तादाद में खनन कार्य हो रहा है, आप रोक भी नहीं पाओगे। वे खाने डी–फोरेस्ट की कार्यवाही के लिये भारत सरकार में 4–5 साल से पड़ी हैं, आपके खान विभाग ने अपने स्तर पर क्या प्रयास किये हैं ? सभापति महोदय, वह खनन कार्य आज भी हो रहा है, केवल फर्क इतना है कि स्टेट गवर्नमैंट को जो रायल्टी मिलनी चाहिये उस रायल्टी से स्टेट गवर्नमैंट अपना हाथ धो बैठी है। मुझे खेद हैं, पिछले सत्र में भी मैंने ध्यान खींचने की बात की थी कि डी–फोरेस्ट होने वाली कई हजारों फाइलें अटकी पड़ी हैं, दिल्ली में, वन और पर्यावरण मंत्रालय में उनमें राज्य सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई, कोई पहल नहीं की गई कि वे फाइलें निपटकर आ जाए, खनिज का उत्पादन हो और राज्य सरकार को उसकी रायल्टी मिले।

सभापति महोदय, मैं पर्यावरण और फोरेस्ट पर अपनी बात कहना चाहूंगा। मंत्रीजी आपने कहा कि मेरा जो प्रश्न लगा था वह रिपोर्ट सही है। गुड़गांव और अलवर जिले को 7 मई, 1992 गजट नोटिफिकेशन की वजह से बैन कर दिया कि इसमें अरावली की पहाड़ियों में कोई खनन कार्य नहीं होगा। बेहतर कदम हैं। अरावली की हरी–भरी पहाड़ियों हरी–भरी रहनी चाहिए। हरियाणा गवर्नमैंट में नवरंगपुर में माणेसर के पास में ब्लैक कैट तैयार किये जाते है वहां से केन्द्र सरकार ने और हरियाणा सरकार ने जितने क्रैशर थे, हरियाणा और दिल्ली के उन सबको उठा दिया। वे कहां डल गये ? टपूकड़ा में। तिजारा विधान सभा की सब तहसील है टपूकड़ा, दिल्ली और हरियाणा के ताउड़ी से लगता हुआ क्षेत्र है। यह भी मैंने बार–बार आग्रह किया है, लेकिन फोरेस्ट विभाग की मर्जी के बगैर चल रहा है। और कितना खनन हो रहा है ? सभापति महोदय, 20 क्रैशर लग गये और एक क्रैसर पर 400 ट्रक की सप्लाई

(श्री जगमाल सिंह यादव)

है तो 8000 ट्रक जो रोड़ी, ग्रिट बनती है उन पत्थरों को प्रति दिन खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है। गवर्नमैंट को कितना चूना लग रहा है ? मैं तो यह भी कहता हूं कि अरावली की पहाडियों को आप अगर बचाना नहीं चाहते तो उनको लीज पर दे दें, आपको रायल्टी तो मिलेगी। कम से कम 5–7 लाख रुपये प्रति दिन की रायल्टी से आप हाथ धो रहे हैं। बार–बार मेरे उठाने के बाबजूद भी आप बंद नहीं कर पाये, रिपोर्ट तो आ जाती है। एक बात और कहना चाहता हूं, जिन्होंने रिपोर्ट भेजी है, जो भी यूनिट है, जो रोकने में अक्षम रही है, उसके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की ? डेढ़ साल से मैंने आपको पत्र लिखा, चीफ मिनस्टिर को भी पत्र लिखा। मेरी जांच के जो बिन्दु थे वे बिन्दु भी आपने सही माने। मेरे जवाब में भी माने। आपने कहा जी हां। जिन्होंने हीरों का यह अवैध खनन किया उनके खिलाफ डेढ़ साल में आपने क्या कार्यवाही की। वन ओर पर्यावरण विभाग एक तरफ से राजस्थान में सफ़ेद हाथी हो गया है। इनका काम जहां इण्डस्ट्रियल एरिया हो, उन इण्डस्ट्रीज से जहां प्रदूषण फैलता हो, उनकी रिपोर्ट सदन में कभी–कभार कोई माननीय सदस्य उठा दें तो उनकी ओके रिपोर्ट भेजना है। जयपुर ओके रिपोर्ट भेज दें इसलिये जिले में हर औद्योगिक क्षेत्र में यह पर्यावरण के कन्ट्रोल करने का जो प्रदूषण बोर्ड है, इनके कार्यालय खोले हैं।

सभापति महोदय, मैंने एक प्रश्न पूछा था कि क्या यह सही है कि नलिनी प्राइवेट लिमिटेड अंदर पानी छोड़ती हैं, जो गंदा पानी है उसको अण्डर ग्राउण्ड जमीन में छोड़ती है। इसमें इनका जवाब आया, जी नहीं। इसमें अगला प्रश्न पूछा कि क्या यह सही है कि पड़ौस की फैक्ट्रियों में जब बोरिंग की तो उसमें पीला पानी निकला। इनका जवाब आया कि जो और फैक्ट्री हैं उनका पानी नलिनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ होकर गुजर रहा है और वह पानी जो पीला पानी आया है वह नलिनी प्राइवेट लिमिटेड की वजह से नहीं है, बल्कि यह पानी अन्य फैक्ट्रियों जो प्रदूषण फैला रही हैं उनकी वजह से है। मेरा अगला सवाल है वन मंत्रीजी, उन अधिकारियों से पूछों पर्यावरण में जो भिवाड़ी में बैठे हैं, कि नलिनी की नहीं होगी, लेकिन वह कौनसी फैक्ट्री है ? क्या आपने आइडेंटिफाई किया है। नलिनी प्राइवेट लिमिटेड के पानी अण्डर ग्राउण्ड छोड़ने की वजह से पीला पानी नहीं आया होगा, उनकी बात को स्वीकार कर सकते हैं लेकिन उन्होंने अपने जवाब में लिखा कि नलिनी प्राइवेट लिमिटेड के पास से जो गंदा पानी दूसरी फैक्ट्रियों का आता है वो जमीन में जाता है तब पीला पानी आया, तो आइडेंटिफाई किया क्या ? उन फैक्ट्रियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की। मेरा पर्यावरण वाले किसी का कोई जवाब आज तक नहीं आया। श्रीराम फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड मेरे तिजारा में है, उसका गैस

(श्री जगमाल सिंह यादव)

रिसाव हुआ जैसे भोपाल में हुआ। लाखों एकड़ जमीन जलकर नष्ट हो गई। मैं मौके पर पहुंचा। कलेक्टर ने और पुलिस और प्रशासन ने इस बात के लिये दबाव डाला कि नेगोशिएशन किया जाये। मैंने कहा कि रिकार्ड पर मुआवजा लेंगे। रिकार्ड पर मुआवजा लिया गया। किसानों ने लाखों बीघा जमीन का मुआवजा लिया, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। मैंने जब सवाल लगायां तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती, विभाग का यह जवाब आया कि कोई एयर प्रदूषण नहीं हुआ, जबकि रिकार्ड पर कलेक्टर ने मुआवजा दिया। यह वन और पर्यावरण की स्थिति है। अध्यक्ष महोदय, कभी एयर मानिटरिंग कराई है क्या, आपने जो हवा में प्रदूषण फैलाते हैं उनकी आपने पर्यावरणविद् और आफिसर्स इण्डस्ट्रियल एरिये में लगा रखे हैं, चाहे कोटा में लगा रखे हों, चाहे भिवाड़ी में, चाहे अलवर में, चाहे जयपुर में लगा रखें हो, उनकी एयर मानिटरिंग होती है जो हवा में प्रदूषण फैलाते हैं मैं दावे से कहता हूं कि एक भी इण्डस्ट्री की एयर मानिटरिंग आपके पास नहीं आयी है, पर्यावरण विभाग के पास नहीं आयी। केवल जवाब भेज देते हैं कि कोई प्रदूषण नहीं है।

खान मंत्रीजी मुझे आपसे भी एक शिकायत है। मैंने एक सवाल पूछा था, क्या यह सही है कि 6 जगह जो खातेदारी की जमीन थी वह आपके खान विभाग ने लीज दे दी। मैंने यह भी पूछा था कि क्या यह भी सही है कि जहां खातेदारी में लीज दे दी गयी है वहां एक किलोग्राम भी मिनरल नहीं है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने सच बात स्वीकार तो कर ली। लेकिन मेरा अगला प्रश्न है, खान मंत्रीजी कि जिन्होंने अरावली की पहाड़ी में चोरी से खनन करने का लाइसेंस दिया, जहां खातेदारी में 6 लीज दीं जिनमें एक किलोग्राम पत्थर नहीं है, मिनरल नहीं, उन अधिकारियों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की, जबकि उनका जवाब था उनमें मिनरल है ? यह तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप उस प्रश्न के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और आपने ए.डी.एम., अलवर को जांच दे दी। मेरी जानकारी में है कि अलवर, ए.डी.एम. ने जो जांच की है उसमें भी यही आया है कि एक किलोग्राम भी मिनरल उन खानों में नहीं है जहां खातेदारी में 6 खानें दीं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कार्यवाही की ? अगर इसी तरह से ढील देते रहे, इसी तरह से कार्यवाही नहीं की आपने तो यह करप्शन की बीमारी और फैलेगी।

सभापति महोदय, आप कहें उससे पहले ही मैं बैठ जाऊंगा। अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि अलवर में जो क्रेशर लग गये, वन मंत्रीजी, यह सुन लें कि या तो उनको बंद कर दें, अवैध खनन का कार्य बंद करवा दें। या फिर इसका अल्टरनेट है कि गवर्नमैंट से खान मंत्रालय से उनको डी–फोरेस्ट कर दें। आप लिख दें, आपकी

(श्री जगमाल सिंह यादव)

ताकत में है तो। कम से कम 5–7 लाख रुपये की आपको रोज रायल्टी तो मिलेगी।

इण्डस्ट्री में मेरी एक पीड़ा और है। वन मंत्रीजी, आपका जो भिवाड़ी इण्डस्ट्रियल एरिया है, उसमें जो प्रदूषित पानी निकलता है, वह हरियाणा में जाता है। अब हरियाणा ने उसको रोक दिया। हरियाणा द्वारा रोकने के बाद इण्डस्ट्री का जो गंदा पानी था, गंदे नाले का पानी था, बिना ट्रीटमैंट प्लांट लगाये हुए, बिना शुद्ध किय हुए उसको ततारपुर, थड़ा, सीथल, इन गांवों में जो प्राकृतिक नाला था, बरसाती नदी का नाला था उसमें डाल दिया। क्यों डाल दिया आपने गंदा पानी भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिये का उसको 10 किलोमीटर दूर उन गांवों में डाल दिया जहां बरसात के पानी का नाला था। आपको क्या अधिकार था उन गांवों में पानी डालने का। जो सिंचाई विभाग का नाला था उसमें पानी डालने का आपको कहां अधिकार था ? मैं चाहूंगा कि उसका ट्रीटमैंट प्लांट लगाए और भिवाड़ी की जो गंदगी है उस गंदगी को आप भिवाड़ी में ही कहीं एब्जार्व कराए। इन गांवों में जो स्वच्छ हवा लेते हैं जिनका इण्डस्ट्रियल एरिये से कोई लेना–देना नहीं है, वहां गंदगी फैलाने की मेहरबानी न करें। इतना ही मुझे कहना है, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या–9 वन और पर्यावरण तथा 42 पर अपने विचार रख रहा हूं।

सभापति महोदय, मानव जाति और भारतीय संस्कृति का जंगलों से अबाध संबंध रहा हुआ है और वन सम्पदा ही इस धरती का अलंकार है। नदी–नाले, झरने इसके सौंदर्य को बढ़ाते हैं। राजस्थान का कुल 9.43 प्रतिशत भू–भाग ऐसा है जिसमें जंगल फैला हुआ है। कुल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हमारे राजस्थान की धरती का क्षेत्रफल है उसमें से 32,270.75 वर्ग किलोमीटर में फोरेस्ट फैला हुआ है। इतनी बड़ी धरती पर हमारी वन सम्पदा का फैलाव है इसका भी समुचित ढंग से उपयोग नहीं किया जाता है। गैर राजस्व कर के रूप में भी इससे बहुत सारी प्राप्ति होती है और इस प्रदेश की खुशहाली के लिये, इस प्रदेश में लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिये यह वन सम्पदा काफी सहायक होती है। लेकिन इसका रख–रखाव ? मैंने इनका जो प्रशासनिक प्रतिवेदन है इसको देखा, सन् 1993 से 97 के बीच में इन्होंने कोई हवाई सर्वे करवाया तो वृक्षाच्छादन, जहां पर घने जंगल हैं, कुल मिलाकर 464 वर्ग किलोमीटर बताया था। 4 साल के बाद में और कुछ वृद्धि होने के बाद में पूरे राजस्थान में जहां पर घने वृक्ष फैले हुए हैं उसमें केवल 982 किलोमीटर घने जंगल फैले हुए हैं। इसके अलावा सारा नंगा है, सूखा है या उस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा क्या

(श्री हीरासिंह चौहान)

कारण कि जिसके कारण से इन जंगलों को हरा–भरा नहीं किया जा सकता है, इमारती लकड़ी नहीं लगाई जा सकती है ?

जितने भी जंगल हैं, बहुतायत जंगलों में न तो पानी पीने के लिये कोई एनीकट है, न तालाब बने हुए हैं जिससे जंगल के जितने भी जानवर हैं वे जंगल छोड़–छोड़कर बाहर आ रहे हैं वे जंगल में रहना ही पंसद नहीं करते। अभी तक आपने कोई प्राकृतिक स्रोत या इस प्रकार से कुछ बनाया नहीं है जिसके कारण से सूखे जंगलों में जंगली जानवरों का ठहराव नहीं होता है।

आपका जो प्रशासनिक तंत्र है वह बहुत लम्बा चौड़ा। एक आपके प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं, एक अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक हैं और 8–9 आपने मुख्य वन संरक्षक बना रखे हैं विभिन्न प्रकार की योजनाएं आपने राज्य में चालू कर रखी हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है। पिछले दिनों जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के क्षेत्रों में हमारी कमेटी ने दौरा किया था, तो जगह–जगह वन क्षेत्र तो हैं, बहुत–बड़ा वन क्षेत्र गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, जैसलमेर में और आपके जोधपुर में है। दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों से ज्यादा वन क्षेत्र वहां पर है। प्रति वर्ष लाखों–करोड़ों रुपये सरकार की ओर से इसमें दिये जाते हैं, केन्द्र सरकार देती है, राज्य सरकार देती है, इसके बावजूद भी इन वृक्षों की सुरक्षा के लिये किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस भी वन क्षेत्र में आप वृक्षारोपण कराएं, उसको बिलकुल सुरक्षित कराएं और उसकी लायबिलिटी फिक्स कीजिए। हर अफसर की लायबिलिटी फिक्स कीजिए। इन वृक्षों की गणना भी करानी चाहिए। इतने वृक्ष लगाए, उसकी गणना होनी चाहिए। एक–एक चीज की गणना हो रही है तो वृक्ष तो बहुत अमूल्य हैं। बच्चों की तरह उनको पालना पड़ता है। इसके बाद भी वे नंगे कर दिये जाते हैं, कटाई कर दी जाती हैं और सारा नुकसान कर दिया जाता है। आप एक फिक्स प्रोग्राम बनाएं कि कौनसा वन अधिकारी एक साल में किस–किस जगह पर निरीक्षण करने जाएगा। हर वन अधिकारी का एक प्री–शिड्यूल बनना चाहिए जिसके तहत राजस्थान के हर जंगल का क्षेत्र आ जाए। जगह इनके अधिकारी मौजूद हैं, उन अधिकारियों की ड्यूटी होनी चाहिए। जैसे आपके मुख्य वन संरक्षक हैं, हर सम्भाग में लगे हुए हैं, तो वे कम से कम दो बार क्षेत्र में सैम्पल चैक कर लें। इसके बाद आपके उप वन संरक्षक हैं, उनको भी इस प्रकार सैम्पल चैकिंग करने की व्यवस्था देनी चाहिए। उसके बाद रेंजर हैं, उसके बाद आपके बीट्स बने हुए हैं इस प्रकार की कई पोस्टें होने के बावजूद लाखों–करोड़ों रुपये इस प्रशासनिक ढांचे पर खर्च होने के बावजूद भी इसका रिजल्ट क्या है ? जो आपने बताया कि केवल इतना ही वन क्षेत्र हरा–भरा

(श्री हीरासिंह चौहान)

है बाकी सब नंगी–सूखी पहाड़ी हैं। इसका मतलब रिजल्ट क्या ओरिएंटेड धन्धा हो रहा है ? इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आपको इसकी देखभाल के लिये बहुत ही सुचारू व्यवस्था करनी चाहिए और सब जगह एक प्रकार का प्लान बनाना चाहिए। प्लान के अनुसार काम करें तो सारे जंगल हरे–भरे हो सकते हैं। आपकी जंगल की, बन विभाग की कोई ठोस नीति नहीं है। अगर ठोस नीति नहीं बनती है तो जंगलों का राजस्थान में विकास नहीं होगा। इसलिये इस मामले पर बहुत गहराई से आप लोगों को बैठकर इसको बनाना चाहिए।

(15.00 बजे)

कई प्रकार की जल ग्रहण योजनाएं जहां पर वन क्षेत्र ज्यादा है वहा पर आपके विभाग द्वारा चलाई जाती हैं। उनमें दुनिया भर का भ्रष्टाचार, चारों तरफ से शिकायतें आती हैं। उन शिकायतों की जांच की जाती है, जांच करके उनको ठण्डे बस्ते में डाल दिया जाता है। करोड़ों रुपया उन पर लगाया जा रहा है। जलग्रहण योजना भारत सरकार से स्पोन्सर्ड योजना है, राजस्थान सरकार भी इसमें पैसा देती है और हरित क्रांति लाने के लिए बहुत जबरदस्त योजना है लेकिन हमने जगह–जगह जाकर देखा है कि जितना इस योजना के द्वारा उस भूमि का विकास होना चाहिए, उतना अभी नहीं हो पा रहा है। वन सम्पत्ति का जितना ज्यादा विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार से हमारा बहुत सारा वन्य क्षेत्र है, पाली जिले का बहुत बड़ा भू–भाग है, जो उदयपुर में वन्य जीव प्रतिपालक एक अलग यूनिट बनाकर उसको दे रखा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय, से कहना चाहता हूं कि उसमें आरा मशीनें लगानी रेस्ट्रिक्टेड है। लेकिन जंगल से पांच–सात किलोमीटर की दूरी पर वहां पर जगह–जगह आरा मशीनें चल रही हैं और जंगलों की कटाई हो रही है। कानूजा जो दो किलोमीटर की दूरी पर है जंगल से वहां पर आरा मशीन चल रही है। बगड़ी में आरा मशीन चल रही है, कालबतल्ला में आरा मशीन चल रही है और जंगल की अंधाधुन्ध कटाई हो रही है, जबकि वहां पर आपके फोरेस्ट एक्ट के तहत आरा मशीन नहीं लगनी चाहिए। उनको सीज करना चाहिए या उनको हटा देना चाहिए। इस प्रकार की आरा मशीनें लगने से, जिस प्रकार से आप जंगलों का बढ़ावा करना चाहते हैं, उस में मुझे तो शंका लगती है। इससे किसी प्रकार का जंगल का विकास होना सम्भव नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं वन मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के वन विभाग ने सन् 1989 में और 1991 में एक घोषणा की मैं आपको पढ़कर भी सुनाना पसन्द करूंगा क्योंकि यह विषय बहुत गम्भीर हो गया है। इस राज्य में खातेदारी कृषक हो, ग्राम पंचायत

(श्री हीरासिंह चौहान)

का क्षेत्र हो या फोरेस्ट क्षेत्र, वहां जूली फ्लोरा जो अंग्रेजी बबूल है वे बहुत ज्यादा मात्रा में फैल गये हैं। उनको हटाने के लिए सरकार ने 1989 में आदेश जारी किया, 1991 में जारी किया। नीलामी होने से लाखों आदमी इस पर काम कर रहे हैं और राज्य सरकार को ठेके के द्वारा लाखों रुपये की आमदनी हो रही है। यह जो अंग्रेजी बबूल फैल रहा है, यह बिलकुल अनुपयोगी है, इसको कोई प्रयोग में नहीं लिया जाता है। उसकी कटाई के लिए ठेके देते हैं, पंचायतों को आमदनी होती है। काश्तकार खेतों में इस प्रकार का अंग्रेजी बबूल फैल जाता है तो उसको काटने का सरकार ने आर्डर दिया। सरकार के आदेश के बावजूद उसको टी.पी. चाहिये। अब टी.पी. क्या है ? ट्रांजिट पास होता है। इससे हजारों रुपयों का सेल्स टैक्स वसूल हो रहा है। सरकार ने भीनमाल में, जालौर में कम से कम दस दस ठेके दिये। लाखों रुपयों में ठेके दिये हैं। ठेकेदारों के साथ इन्होंने समझौता किया है कि आप कहीं भी इसको परिवहन करके ले जा सकते हैं। राजस्थान सरकार ने आदेश दे रखा है उसके बावजूद भी इन ट्रकों

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

को पकड़ा जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, यह किस प्रकार की व्यवस्था है, जब कि लाखों रुपयों की इनकम हो रही है, लाखों रुपये सरकार के आ रहे हैं ? यह बड़ा अनुपयोगी पेड़ है, इससे न तो घास पैदा होती है, न वह पेड़ किस प्रकार से जानवरों के खाने के काम आता है। केवल मात्र कोयले की लकड़ी बनती है जिससे लाखों रुपये हमारी सरकार को मिल रहे हैं। सेल्स टैक्स से मिल रहे हैं। वन विभाग को मिल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मुझे थोड़ा टाइम बख्शेंगे, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह मेरे जिले का मामला है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपकी पार्टी की तरफ से एक लम्बी लिस्ट है। चाहे तो आप सब समय ले सकते हैं, चाहे तो औरों को भी भागीदार बना लें। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत थोड़ा समय लूंगा। मैं गुजारिश करना चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय वन मंत्रीजी को कि तारीख 21.2.2000 को जयपुर में ट्रक पकड़ा। किस आधार पर पकड़ा जयपुर में ट्रक जब कि राजस्थान में इस प्रकार का ट्रांजिट पास लेने की कोई व्यवस्था नहीं ? व्यवस्था नहीं होने के बावजूद आपके ए.सी.एम. ने उस ट्रक को पकड़ लिया। ए.सी.एम. द्वारा ट्रक पकड़ने के बाद माननीय वन मंत्रीजी ने उसको अपने अधिकारों के तहत उस ट्रक को छोड़ने की व्यवस्था दे दी। उसके बावजूद भी आज एक महीना, डेढ़ महीना हो गया है, वह ट्रक नहीं छोड़ रहा है। डेढ़ महीना हो गया है। किस प्रकार की कानून–व्यवस्था है ? क्यों तो आप ठेका देते हैं ? हजारों–

(श्री हीरासिंह चौहान)

लाखों आदमी इसमें काम करते हैं। आज दिन तक वह ट्रक खड़ा है और मंत्री महोदय के आदेश नहीं मानते अधिकारीगण। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : वह ट्रक आज भी खड़ा है और मंत्री महोदय के आदेश नहीं मानते हैं, अधिकारीगण।

श्री हीरासिंह चौहान : आज भी खड़ा है। मंत्रीजी के आदेश फोरेस्ट के लोग नहीं मानते हैं, आज भी खड़ा है।

श्री रमजान खान : मंत्री महोदय के आदेश नहीं मानते हैं अधिकारी लोग।

श्री हीरासिंह चौहान : मंत्रीजी के आदेश अफसर लोग नहीं मानते हैं।

श्री रमजान खान : अफसर लोगों को मंत्रीजी ने आदेश दिया कि...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : यह क्या है ? यह बहुत दुःख की बात है। क्या व्यवस्था है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय के आदेश के बावजूद भी आज ट्रक खड़ा है। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : यह बहुत गम्भीर मामला है।(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप मंत्री हैं, राजस्थान के मंत्री हैं, आप में शक्तियां हैं, आपकी अगर इतनी भी नहीं चलती तो काहे को इस सीट पर बैठे हो आप ? (व्यवधान)

श्री रमजान खान : बहुत गम्भीर मामला है, माननीय सभापति महोदय, यह।

श्री हीरासिंह चौहान : एक सरकार का मंत्री जो नियमों के तहत, ट्रक को छोड़ता है...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : क्या आप गलत आदेश दे रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : आज एक–डेढ़ महीना हो गया, वह ट्रक सीज किया हुआ पड़ा है। ठेकेदार लोग कहते हैं कि हमारे परमिशन के तहत, ठेके के तहत उन्हीं कोयलों को निकाला है। वे ही ठेके देने वाले, वे ही लोग हमारे ट्रकों को पकड़ते हैं। एक काश्तकार तो भीलवाड़ा में ट्रक ले जा रहा था, एक जंगल वाले रेंजर ने बारह हजार रुपये की वहां पर रसीद काट दी। (व्यवधान) केवल 5 हजार रुपये का कोयला था उसके पीछे 12 हजार रुपये की रसीद काट दी।

श्री रमजान खान : पहले कभी इतना अन्याय नहीं हुआ राजस्थान में। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो अंग्रेजी बबूल है इसको 1994 में जब हमारी सरकार थी उस समय काटने की छूट थी। 1991 में दी, मैं उस आदेश को पढ़ना चाहता हूं। यह आदेश है, दिनांक 19.1.1991 जो वन...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सार

(श्री सभापति)

रूप में बता दीजिए। बहुत लम्बा हो जाएगा।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं यह छोटा–सा बता रहा हूं।

श्री रमजान खान : सभापति महोदय, ट्रक खड़ा हुआ हैं, मंत्री के आदेश अफसर लोग मान नहीं रहे हैं। अब इससे ज्यादा जरूरी और क्या बात हो सकती है ?

श्री हीरासिंह चौहान : ट्रक आज दिन तक भी खड़ा है एक महीने से। अखबारों में जबरदस्त इसकी लम्बी–चौड़ी चर्चा आ रही है। अखबारों में आया है कि सरकार को किसी की चिन्ता नहीं। मैं वह आदेश पढ़ना चाहता हूं। राजस्थान वन उपज अधिनियम, 1957 के नियम 2 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान राज्य के भीतर गन्तव्य स्थानों के लिए निम्नलिखित जातियों के वन उपज के परिवहन को उसके द्वारा छूट प्रदान करती हैं :– सफेदा, सुबबूल, अरडू, विलायती बबूल, इजरायली बबूल, देशी बबूल इत्यादि। माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप सायंकाल उत्तर दें तो इस स्थिति को स्पष्ट करें कि कब तक इस प्रकार की व्यवस्था चलेगी। सेल्स टैक्स के पैसे देते हैं, हजारों रुपये का आप लोग ठेका देते हो, इसके बाद हजारों आदमी इसको काटने में लगते है। और बहुत अनुपयोगी दरख्त है। माननीय महोदय, कब तक इस व्यवस्था को आप चलाएंगे ? इस प्रकार के ठेके देने की सरकार की छूट है फिर आपके ही अधीनस्थ अधिकारी इसको पकड़ना चाहते हैं और पकड़ रहे हैं। यह धींगा मस्ती, What is T.P., यह टी.पी. है क्या ? ट्रांजिट पास है, इसको टी.पी. कहते हैं। टी.पी. को क्लीयर कीजिए क्या है। इसमें छूट दे रखी है। ट्रांजिट पास, परिवहन का मतलब ही यही है। इसका मतलब ही यही है कि इसको पकड़ा नहीं जा सकता। आज ही यहां व्यवस्था दीजिए। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : मंत्रीजी जो एक्शन कर रहे थे उसमें आप सहमत लग रहे थे एक बार।

श्री हीरासिंह चौहान : सहमति नहीं हैं, हम तो निमय और कानून की बात कह रहे हैं। राजस्थान में नियम हैं, कानून है, उसके तहत बात कर रहे हैं। मंत्रीजी की बात से कब सहमत हो रहे हैं ?

माननीय सभापति महोदय, पर्यावरण के नाम पर एक प्रश्न हमारे पुष्कर से आने वाले विधायक ने विधान सभा में किया था। पुष्कर सरोवर, अजमेर को प्रदूषण मुक्त करवाने की क्या कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें। उसके उत्तर में दिया कि पर्यावरण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार पुष्कर सरोवर अजमेर को प्रदूषण मुक्त करने हेतु वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। इतना बड़ा धार्मिक स्थान हिन्दुओं का,

(श्री हीरासिंह चौहान)

ब्रह्माजी का मंदिर पूरे हिन्दुस्तान में कही नहीं हैं, वहां ही बना हुआ है। वहां के प्रदूषण को दूर करने के लिए किसी प्रकार की योजना नहीं हैं। मैं सभापति महोदय, आपके मार्फत माननीय वन मंत्री और पर्यावरण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही अहम् और महत्वपूर्ण विषय हैं पुष्कर सरोवर के प्रदूषण को दूर करने के लिए आपको तो कोशिश करनी चाहिए क्योंकि केवल देशी ही नहीं आते हैं, दुनियाभर के पर्यटक यहां पर आते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो मिनट और लेना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं केवल पाइंटेड सवाल करना चाहता हूं आपके सामने कि राजसमन्द जिले में कोलायत क्षेत्र में (व्यवधान)

श्री परसादी लाल (राज्य मंत्री, सहकारिता) : राजसमन्द कहां पहुंच गये ?

श्री हीरासिंह चौहान : मैं पहुंचूंगा सब जगह पहुंचूंगा। वहां पर 1993 में पहले प्रार्थना पत्र देकर खान क्षेत्र है उसको रिजर्व कराया। उसके बाद नियमों के तहत खातेदार ने अपनी 15 प्रतिशत भूमि उसमें दी। 15 प्रतिशत भूमि देने के बाद एक हजार वर्गमीटर का वह प्लाट बनता है, एक हजार वर्गमीटर से कम प्लाट आप नहीं दे सकते। जिला कलेक्टर, राजसमन्द और जितनी भी स्थानीय संस्थाएं थीं उन सबने इस प्लाट को देने के लिए अनुशंसा की। लेकिन उसी समय उसी तारीख को एप्लीकेशन दी हुई थी, एक प्लाट उसका स्वीकार कर लिया गया। इसका जो प्लाट था, उसमें हाई कोर्ट का भी निर्णय हो गया। हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट डायरेक्शन दिया है। हाई कोर्ट ने मुकदमा संख्या द्वितीय अपील 58/98 में निर्णित मुकदमे में आपको स्पष्ट किया है कि 16.11.1999 को उपरोक्त प्लाट तुरन्त आवंटित किया जाना चाहिये। यह गैप क्षेत्र बनता है, गैप क्षेत्र होने के कारण आप और किसी को दे नहीं सकते। हाई कोर्ट का भी स्पष्ट डायरेक्शन है इसलिए मेरा निवेदन है कि किसी न किसी शर्त के तहत इस प्लाट का आवंटन उस पार्टी के अलावा दूसरे को हो नहीं सकता, इसी को दे देना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय खनिज मंत्री से एक निवेदन करना चाहता हूं आपने बजरी के ठेके दे रखे हैं गांवों में और गांव वालों को यह अधिकार दे रखा है आपने कि गांव वाले अपना मकान बनाने के लिये जो भी बजरी उठाएंगे उस बजरी की कोई भी किसी प्रकार रायल्टी नहीं देंगे। इसके बावजूद आपके जितने भी ठेकेदार हैं, सभी क्षेत्रों में लूटखसोट कर रहे हैं और लूटखसोट करके लोगों से नाजायज रूप से पैसे वसूल कर रहे हैं। हम कई बार जिला कलेक्टर के यहां सतर्कता समितियों में भी इस मैटर को लेकर गये हैं, लेकिन अभी तक आपकी लूटखसोट बन्द नहीं हुई। यहां आपके विभाग से सारी ग्राम पंचायतों

(श्री हीरासिंह चौहान)

को इस प्रकार का एक आदेश भेजिये कि जो ग्रामीण लोग अपने मकान का निर्माण कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की रायल्टी ठेके पर मना है। आप रायल्टी जरूर लीजिये, शहरों की लेकिन ग्रामीण गरीब जनता वहां पर अपने मकान का निर्माण कराती है, वहां भी आप रायल्टी ले रहे हैं।

इसी प्रकार मेरे ही गांव के पास बेरूका नाका खान का बहुत बड़ा क्षेत्र आया हुआ है। वहां पर 10–10 साल से लोगों ने यूं ही एप्लीकेशन लगा रखी है। 500 रुपये दे रखे हैं। न वह खनिज का प्रयोग कर रहे हैं और केवल उन्होंने रिजर्व करा रखा है। इस प्रकार की जो पुरानी एप्लीकेशन पड़ी हैं, जो दस–दस साल पुरानी है और उस खनन क्षेत्र के लिये काम में नहीं आ रही हैं, उन एप्लीकेशनों का आप निस्तारण कीजिए या उन्हें खारिज कीजिए। इसकी तत्काल कोई अच्छे आफिसर को लगाकर जांच कराइये।

श्री हीरालाल इन्दौरा (राज्य मंत्री, खनिज) : आप पर्टीकुलर क्षेत्र का नाम बताइये।

श्री हीरासिंह चौहान : सोजत सहायक अभियन्ता क्षेत्र के बेरूका नाका, बर और काणूजा, इन तीनों जगह से श्री सीमेन्ट में हजारों ट्रक प्रतिदिन जाते हैं और उसकी सारी सप्लाई वहां से हो रही है, लेकिन कई खनन क्षेत्र वहां पर खाली पड़े हैं।

लास्ट बजट सैशन में, माननीय मंत्री महोदय, आपने एक आश्वासन दिया था कि वन विभाग की ओर से तीन किलोमीटर डामर सड़क बनाएंगे। लाखों रुपये वहां से आपकी प्राप्ति हो रही है, गैर राजस्व की जबरदस्त प्राप्ति आपके खनन विभाग में हो रही है। यह तो खुशी की बात है। अभी हमने आपका चार्ट देखा जिसमें 1998–99 की आपने कुछ करोड़ों में बतायी है। लेकिन इस साल का तो अभी तक आपने कुछ बताया नहीं, 1999–2000 का क्या हुआ ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

प्रगति प्रतिवेदन में कुछ भी नहीं है, केवल 1998–99 का वर्ष आपने चुना। इसमें आपकी हाइएस्ट इनकम गैर–राजस्व की खनिज विभाग से हुई है। क्या कारण है, अभी तक आपका प्रतिवेदन भी हमारे पास नहीं पहुंचा है ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : वह तो अब भी हाइएस्ट हुई है।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापति जी, मेरा निवेदन है कि रोड़ बनाने के लिये आपने जो आश्वासन दे रखा है उस आश्वासन को आप पूरा कीजिए। रोड बेरूका –नाका–काणूजा की सड़क है, वह पूरा बनाने की कोशिश करें। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री घनश्याम जैन।

श्री जनार्दन गहलोत : (व्यवधान) खनिज विभाग करता है लेकिन खर्चने का काम बिलकुल नहीं करता। एक भी सड़क बजट में हो तो बता दें।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : माननीय सभापति महोदय, आज वन एवं खनिज विभाग की मांगों के संबंध में, मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, वनों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। चाहे वह पर्यावरण की दृष्टि से हो, वर्षा की दृष्टि से हो, ग्रामीणों के रोजगार की दृष्टि से हो या आयुर्वेदिक विभाग की जड़ी–बूटियों की दृष्टि से हो। वनों का विशिष्ट महत्व है इसी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा, विभिन्न संस्थाओं द्वारा करोड़ों रुपये खर्च कर वनों को विकसित किया जा रहा है। अरावली परियोजना हो, चम्बल घाटी परियोजना हो या वन विभाग द्वारा और कोई परियोजना हो, करोड़ों रुपये खर्च करके हर वर्ष लाखों नये पौधे लगाकर वनों के विकास के लिये प्रयास किया जा रहा है। मगर मुझे कहते हुए अफसोस है कि जितना भ्रष्टाचार वन विभाग में है उतना किसी भी विभाग में नहीं होगा। जिनका उद्देश्य वनों का विकास हो वे लोग वनों के विकास की बजाय वनों का विनाश करने पर तुले हुए हैं। इसका उदाहरण मैं आपको केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र का देना चाहता हूं।

मान्यवर, मैं कई बार मेरी बेगूं तहसील में खेर की अवैध कटाई के संबंध में वन मंत्रीजी को, मुख्य वन संरक्षक को पत्रों द्वारा और व्यक्तिगत मिलकर आगाह किया। बेगूं तहसील मे वन खण्ड जोगणिया माता, रावरदा, गोपालपुरा में वहां के डी.एफ.ओ. और ए.सी.एफ. रैंक के अधिकारी जो वर्षो से वहां टिके हुए हैं, उनकी मिली–भगत से हजारों बीघा जमीन पर अवैध खनन हो रहा है। जो मीनारें बनी हुई थी, उन मीनारों को एक–एक किलोमीटर दूर खिसकाकर वहां आज भी अवैध खनन हो रहा है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। मैंने जब शिकायत की माननीय मंत्रीजी से सी.एफ., अजमेर को इंक्वायरी के लिए भेजा। वे गये और उन्होंने कम से कम दो करोड़ की अवैध खनन की रिपोर्ट दर्ज की। लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अभी 5 तारीख को फिर मैंने शिकायत की कि अभी भी अवैध खनन चालू है। एस.डी.ओ., बेगूं ने नायब तहसीलदार को भेजा, पुलिस अधिकारियों को भेजा। इसकी रिपोर्ट जब मैंने जिलाधीश को की, जिलाधीश ने डी.एफ.ओ., चित्तौड़गढ़ को भेजा। डी.एफ.ओ. ने कह दिया इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। जबकि वहां मौके पर अवैध खनन किया हुआ जो सैंडस्टोन है, वहां पड़ा हुआ था। जिस कलेक्टर, चित्तौड़ को मैंने कहा, कलेक्टर चित्तौड़गढ़ भी उक्त मौके पर जाकर अवैध खनन की कार्यवाही को आंखों देख चुके हैं। मैं सोचता हूं कि करोड़ों रुपये का घोटाला इस अवैध खनन में हो रहा है जंगलात की भूमि में। वन विभाग का काम वनों का विकास करना है लेकिन इन गतिविधियों पर रोक नहीं लगेगी तो मैं कह रहा हूं करोड़ों रुपये का नुकसान राज्य सरकार को होगा।

(श्री घनश्याम जैन)

बेगूं में खैर की लकड़ी बहुत है। खैर की लकड़ी का अवैध व्यापार बेगूं में है। भीलवाड़ा में अभी–अभी ताजा कत्थे की फैक्ट्री को लाइसेंस दिया गया है। उसका कच्चा माल कहां से आ रहा है ? बेगूं से धामवचा पंचायत और पारसोली पंचायत से खैर की अवैध लकड़ियां कट–कटकर, मैं कह रहा हूं, कई ट्रक और ट्रैक्टर भर–भरकर आज भीलवाड़ा की फैक्ट्री को माल सप्लाई किया जा रहा है। मैंने कई बार शिकायत की, कई बार माल भी जब्त किया। लेकिन अधिकारी खुले आम घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं सोचता हूं इस अवैध खनन में करोड़ों रुपये का चूना वे सरकार को लगा रहे हैं और करोड़ों रुपये खुद कमा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि वन विभाग के अधिकारियों को आप स्पष्ट निर्देश देवें और उनको पाबन्द करें। अगर आपने उनको सस्पैण्ड नहीं किया तो ऐसा नहीं हो कि मुझे भूख हड़ताल पर बैठना पड़े।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम आपके साथ हैं।

श्री घनश्याम जैन : यह आपके समय के कार्यक्रमों को +++ यह आपके द्वारा शुरू किये गये कार्यक्रमों को +++

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अक्षम सरकार का यही नतीजा होता है।

श्री रामस्वरूप : यह सारा पर्यावरण आपने ही खराब किया है। इस सदन का भी पर्यावरण खराब कर दिया आपने और देश का भी कर दिया। यह सब आपके ही कर्म है पूरे ही।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप हमेशा पोल्यूशन फैलाते रहते हैं।

श्री घनश्याम जैन : माननीय सभापति महोदय, नये–नये वृक्ष लगा रहे हैं, लाखों गड्ढे खोद रहे हैं। मेरी बेगूं पंचायत समिति में कृषि उपज मण्डी के सामने करीब 30–40 वर्ष पहले पेड़ों का निर्माण हुआ, 100–150 बीघा जमीन पर पेड़ों का निर्माण हुआ। आज उसकी हालत आप देखें, एक भी पेड़ आपको नजर नहीं आएगा। हजारों पेड़ वहां कट चुके हैं। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी है कि वन विभाग पर कुछ पाबंदी लगायी जाए और उनकी नये सिरे से जांच करा इनको पाबंद किया जाए। एक तरफ तो ये छोटे–छोटे काश्तकारों को एक–एक मोरी लकड़ी के लिए परेशान करते हैं दूसरी ओर खुद मिलकर जंगल के जंगल कटा रहे हैं।

इसके अलावा जब बांध बनाने का काम हो तो जंगलात का बहाना ले लेते हैं। मेरे क्षेत्र में गूंजर का बांध, मेनाली का बांध और सागड़ का नाका, ये महत्वपूर्ण बांध है लेकिन थोड़ा सा जंगल आ गया उस पर रोक लगा दी। मेरा निवेदन है कि जहां जंगल है अगर

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री घनश्याम जैन)

वहां बांध बनते हैं तो वहां के पशु भी पानी पीएंगे और जंगल की भी अभिवृद्धि होगी, इसलिए विभाग को निर्देश दें कि ऐसे मामले में जब आएं तो वहां बांध बनाने की स्वीकृति दी जाए।

सभापति महोदय, मैरे भैंसरोड़ पंचायत समिति में श्रीपुरा से लेकर पीरमगरा तक कम से कम 50 किलोमीटर की सड़क कोट बनायी गयी थी आज उन कोटों का पता नहीं है। फोरेस्ट वाले उनको बेच कर न मालूम कहां खा गये, आज तक उसका कोई हिसाब–किताब नहीं है। श्रीपुरा से लेकर भैंसरोड तक जितनी भी दीवार बनायी गयी थी रिजर्व फोरेस्ट के लिए, आज एक भी पत्थर नहीं है। पत्थर कहां गया, इसका पता लगाने का कष्ट करें।

इसके अलावा सड़कों का जहां तक सवाल है। जोगणिया माता एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जोगणिया माता के टुकरई, वहां का घाटा बहुत बड़ा है। उसको चौड़ा करने के लिए अभी सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कुछ रकम दी लेकिन ज्यादा से ज्यादा 10 वृक्ष आ रहे होंगे उस सड़क में, उनकी कटाई को रोकने के लिए उस सड़क को रोक दिया। केवल 10 वृक्षों को काटने से रोकने की वजह से वहां आये दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। उसको तो वन विभाग ने रोक दिया लेकिन हमेशा जो करोड़ों रुपये का नुकसान दे रहे हैं, उस पर इनका ध्यान नहीं गया।

सभापति महोदय, इसके अलावा एक निवेदन करूं कि मेरे क्षेत्र में मारवाड़ की हजारों–लाखों भेड़ें प्रवेश करती हैं। वहां 50 पैसा प्रति भेड़ चराई का लिया जाता है। मध्य प्रदेश में भी 50 पैसा था वहां 8 रुपये प्रति भेड़ की चराई शुरू कर दी लेकिन आज भी मेरे क्षेत्र में, हमारे राजस्थान में 50 पैसे प्रति भेड़ की चराई ली जाती है। वन विभाग द्वारा जहां निर्धारित भेड़ें हैं, जैसे 50 हजार भेड़ चित्तौड़ जिले में रखने का है, मैं कह रहा हूं लाखों भेड़ें केवल मेरे क्षेत्र रावतभाटा और बेगूं में आती हैं। 50 पैसे के हिसाब से वे हिसाब नहीं रखते उसमें भी लाखों रुपये का घोटाला कर उनको वहां चराया करते हैं। उन भेड़ों द्वारा हमारी सम्पूर्ण वन सम्पदाएं नष्ट कर दी गयी हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन भेड़ों की चराई 50 पैसे के बजाय 10 रुपये प्रति भेड़ की जाए ताकि हमारे जंगलों को नष्ट होने से बचा सकें।

सभापति महादेय, अब मैं खनिज के लिए भी आपसे दो मिनट निवेदन करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में बारसोली, बीचोर, चंदाखेड़ी, गोड़ला और सामरिया में सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन है सात करोड़ दस लाख टन, चंदाखेड़ी, श्रीकरण नगर में है 30 करोड़ टन, गोड़ला, सामरिया में है। 11 करोड़ टन 1 हाईग्रेड डोलोमाइट है चित्तौड़िया, चंदाखेड़ी में 4 करोड़ 5 लाख टन। सुपरली टेबल सैंड स्टोन, लाइम स्टोन है बीचोर, बारसोली, रावरदा और मेनाल में इतना बड़ा

(श्री घनश्याम जैन)

खनिज क्षेत्र होते हुए भी आज तक एक भी उद्योग वहां नहीं लग पाया। मेरा निवेदन है खनिज मंत्रीजी से और उद्योग मंत्रीजी से भी कि इस करोड़ों टन खनिज के आधार पर सीमेंट फैक्ट्री का लाइसेंस मिले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी दिक्कत मेरे बेगूं विधान सभा क्षेत्र में यह है कि यहां की रायल्टी और जो पट्टे वितरित होते हैं, उसका तीन जगह डिस्ट्रिब्यूशन होता है। जैसे कुछ रायल्टी जमा होती है चित्तौड़ में, कुछ रायल्टी होती है बिजौलिया में और पंचायत समिति भैंसरोड की होती है कोटा में। इस तरह से तीन जगह हमारे बेगूं निवासियों को जाना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि बेगूं में एक सहायक अभियंता का पद सृजित किया जाए। बेगूं में सैंड स्टोन और लाइम स्टोन का विपुल भण्डार है इसके माध्यम से सड़कों का निर्माण भी होता है। वर्षों पहले रावरदा से मेनाल तक खनिज सड़क का निर्माण हुआ था, आज वह सड़क वापस क्षतिग्रस्त हो गयी है, पता भी नहीं लगता कि सड़क है कि नहीं है। इसलिए रावरदा से मेनाल, जोगणिया माता से रावरदा और श्रीपुरा घाटे से नासीरा घाटा तक रोड का निर्माण किया जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक सैकण्ड, सभापति महोदय, हम लोग कभी–कभी बोलते हैं।

सभापति महोदय, दूसरा निवेदन है कि आज मार्बल राजस्थान में सबसे ज्यादा है लेकिन उसमें रायल्टी अधिक है। मार्बल ब्लॉकों पर भी रायल्टी है। सैल्स टैक्स की मार इतनी अधिक है कि उसकी वजह से यह मार्बल उद्योग धीरे–धीरे बहुत कम होता जा रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें रायल्टी और सैल्स टैक्स की दरें कम की जाएं ताकि हमारे मार्बल उद्योग को बढ़ावा मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र सराधना।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमुवारामगढ़) : सभापति महोदय, मैं मांग संख्या–9 और 43 के संबंध में मेरे विचार प्रकट कर रहा हूं।

सभापति महोदय, प्रस्तावित वन्य जीव अभ्यारण्य, जमुवारामगढ़ में 401.825 हैक्टेयर जमीन एक्वायर की गयी है और इस प्रस्तावित अभ्यारण्य में मेरे विधान सभा क्षेत्र, जमुवा रामगढ़ का बहुत बड़ा हिस्सा आता है। सभापति महोदय, राजस्थान का वन विभाग इस भ्रम में है कि राजस्थान में जो खनिज सम्पदा निकलती है यह केवल मात्र खदानदारों के हित में है और ये अपने लाभ के लिए करते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि जितना लाभ खदानदारों का है उससे ज्यादा बढ़ कर जनता को है और उससे बढ़ कर राजस्थान की सरकार को है। जब यह अवाप्त करने की बात चल रही थी, प्रस्ताव रखा गया था, जनता की तरफ से एतराज

(श्री रामचन्द्र सराधना)

मांगे गये थे। लोगों ने एतराज दिये थे, जन–प्रतिनिधियों ने एतराज दिये थे। हम लोगों ने मिल कर एतराज दिये और उसका जवाब हमें यह मिला कि आपके यहां पर वन्य जीव नहीं छोड़े जाएंगे, काश्तकार अपने काश्त करते रहेंगे, गांव वैसे के वैसे बसे रह जाएंगे। तो हमने पूछा कि फिर क्या करेंगे ? केवल–मात्र खानों को बंद करेंगे। सभापति महोदय, यह पहाड़ी एरिया है जहां किसान ढंग से खेती नहीं कर पाता। पानी भी ढंग से नहीं मिल पाता। वहां पर रोजी–रोटी का जुगाड़ केवल–मात्र खदानों से करता है और उन खदानों को बंद करने का काम कर दिया वन विभाग ने। वन विभाग को यह चाहिए था कि उन खदानदारों की पैरवी करते, तो वहां का श्रमिक बरबाद नही होता। राजस्थान सरकार को जो रायल्टी मिलनी चाहिए उसमें बरवादी नहीं आती। केवल मात्र इन्होंने खदानदारों को अड़ंगा लगाने के लिए, यह नुकसान पैदा करने के लिये ये बातें की। वही प्रस्ताव रखे गये। अन्यथा भारत सरकार को इनको माकूल प्रस्ताव भेजने चाहिए थे कि ये खदानें चालू रहें। ऐसा कोई प्रस्ताव इन्होंने आज तक नहीं भेजा, न ही कोई पैरवी की।

जैसे मेरे से पूर्व वक्ता अभी बता रहे थे तरुण समाज के बारे में, तरुण भारत सेवक समाज केवल मात्र यही काम करता है। खदानदारों के खिलाफ होने के कारण छोटे–छोटे एनीकट बना कर दिखाता है। जैसे अभी माननीय राष्ट्रपति महोदय पधारे थे, और कोई भी सदस्य वहां जाकर देखेंगे तो मालूम पड़ेगा, ये छोटे–छोटे एनीकट तो फोरेस्ट वाले बना दिया करते हैं इतना बड़ा हंगामा मचा दिया केवल–मात्र अपना कार्यक्रम चलाने के लिए। मैं आपसे निवेदन करूं कि आंधी क्षेत्र में केवल श्रमिक लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं। वे अपना पेट पालन करते थे, मार्बल माइंस बंद होने के कारण आज उनकी रोटी के लाले पड़ गये हैं। 700 ट्रक बरबाद हो गये, 800–900 ट्रैक्टर काम करते थे वे बरबाद हो गये। हजारों की संख्या में श्रमिकों के पास आज खाने के लिए रोटी–रोजी का साधन नहीं रहा। मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने विभाग को इस बात के लिए ताकीद करें कि उन लोगों के खाने–पीने के लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं जब आप ये खान बंद कर रहे हैं ? इनका खान बंद करने का सलीका बहुत तगड़ा रहा। मेरे से पहले भी कई माननीय सदस्य बोल रहे थे, इन्होंने एक ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल निकाल दिया कि इसके बाद में कोई भी खदानदार खदान में नहीं जा पाएगा। आपने कानूनी हिसाब से बंद कर दिया होगा लेकिन जो निकालने वाले हैं वे चोरी से भी निकाल रहे हैं, उनको आप बंद नहीं कर रहे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि खदान चलाने का दायित्व केवल–मात्र खदानदार का नहीं है, राजस्थान की सरकार का भी है। आप से यही प्रार्थना है, राजस्थान के वन विभाग से

(श्री रामचन्द्र सराधना)

भी यही प्रार्थना है कि जब वहां पर वन अभ्यारण घोषित कर रहे हो और वन्य जीवों को नहीं छोड रहे हो तो हमें इस लपेटे में क्यों ले रहे हो ? केवल मात्र जमुवारामगढ़ का 25 क़िलोमीटर का एरिया ऐसा है जिसको छोड़ने से हमारी सारी व्यवस्था बनी रह सकती है। मैं निवेदन कर रहा हूं राजस्थान की सरकार से कि इन श्रमिकों का खयाल रखते हुए इन खदानों को चलाने के लिए केन्द्र सरकार से अपनी प्रक्रिया के अनुसार अपील की जाए और इन खदानों को वापस चलाने की कार्यवाही की जाए।

दूसरा निवेदन मैं यह कर रहा था कि जमुवारामगढ़ में वन विभाग द्वारा पौधे लगाये गये हैं, पेड़ भी लगाये गये हैं। सरजोली के पास दो टुकड़ों में सरजोली फर्स्ट और सरजोली सैकण्ड में उन्होंने पौधे लगाये। हमने देखने की कोशिश की, उनसे पूछा कि कितने पौधे लगाये तो। इन्होंने कहा बहुत पौधे लगाये। सैकड़ों में, हजारों में पौधे लगाये हैं माननीय सभापति महोदय, मैंने मंत्रीजी को पहले भी लिखकर दिया था, वन विभाग की इतनी लापरवाही है कि आज तक ये नहीं बता पाये कि वहां कितने पौधे लगाये थे, कितना खर्चा हुआ था और कितने पौधे जिन्दा हैं। सच्चाई यह है, गांव वालों की शिकायत आयी है कि वहां पर आपने पौधे लगाये ही नहीं हैं। आज भी मौके की स्थिति देखी जा सकती है, आपको मालूम हो सकता है कि कितने पौधे लगे हैं और कितने पौधे नहीं लगे हैं।

श्री देवी सिंह भाटी : कुछ करेंगे, वन मंत्रीजी ?

श्री रामस्वरूप : लिख रहे हैं वे।

श्री रामचन्द्र सराधना : सभापति महोदय, आपको एक अजीब बात बता रहा हूं। जिस समय यह अवाप्त करने की बात चल रही थी, यहां पर उप वन संरक्षक, मिश्रित वृक्षारोपण योजना, जयपुर वालों ने चिट्ठी लिखी है वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान को। इसमें एक पैरा लिखा है वन्य जीव अभ्यारण्य, जमुवारामगढ़ के संबंध में। यह भी उल्लेनीय है कि अभ्यारण्य से संबंधित कोई भी मूल रिकार्ड इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं अभ्यारण्य का जो मानचित्र कार्यालय में उपलब्ध है उस पर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। अभ्यारण्य घोषित किये जाने हेतु जो मूल अधिसूचना जारी की गयी है उसमें कई टाइपिंग की त्रुटियां हैं जिनके संबंध में उच्च कार्यालय से कई बार मार्गदर्शन चाहा गया है, लेकिन अभी तक इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है। इन्होंने अफरातफरी में इस एरिया को अवाप्त किया है जहां पर बहुत बड़ी आबादी है। जगह–जगह छोटे–छोटे टुकड़ों में आबादी बसी हुई। उस एरिया में लोग जीवकोपार्जन का साधन केवल इन खदानों से किया करते थे। इन्होंने एरिया बढ़ाने के नाम पर आंधी एरिया को उसमें जबरन से सम्मिलित कर लिया। मैं

(श्री रामचन्द्र सराधना)

आपके माध्यम से आपसे और राजस्थान की सरकार से निवेदन करता हूं कि आंधी की खदानों को चलाने के लिए कृपया दुबारा विचार करें और केन्द्र सरकार से इसको डिफोरेस्ट करवाने के लिए कार्यवाही करें ताकि हमारे यहां के रहने वाले लोगों को रोजी–रोटी के लिए लालायित नहीं होना पड़े और परेशान नहीं होना पड़े। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 9 एवं 43 पर अपने विचार रख रहा हूं। मान्यवर, राजस्थान का पश्चिमी भाग इन दोनों मांगों के लिए विशेष महत्व रखता हैं जहां रेगिस्तानी इलाका है वहां वन विभाग के माध्यम से पूरा पर्यावरण बदला जा सकता है। मान्यवर, मेरे जिले में इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र आ रहा है। वर्तमान में जैसा कि हमारे शिव के विधायक ने कहा, नैशनल डेजर्ट पार्क का स्थान वही है। मैं नेशनल डैजर्ट पार्क, इन्दिरा गांधी नहर और रेगिस्तान बचाओं, ये तीनों जो कार्यक्रम चल रहे हैं पश्चिमी राजस्थान में, उनकी ओर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा।

मान्यवर, पहले मैं नेशनल डैजर्ट पार्क की चर्चा करूंगा। हमारी राष्ट्रीय नेता इन्दिराजी जब जैसलमेर में आयीं और वहां के स्थान को देखा, तो उन्होंने कहा थां कि जैसलमेर पर्यटक स्थल है तो एक ऐसा पार्क बनाना चाहिए कि विदेशी पर्यटक आकर तीन–चार दिन उस रेगिस्तान को देखें। आज भी वहां शाम को मेला लगता है उसमें हजारों देशी–विदेशी पर्यटक रेगिस्तान का लुत्फ लेते हैं। मान्यवर लेकिन जो नेशनल डैजर्ट पार्क की परिकल्पना थी वह समाप्त हो गयी। उसी क्षेत्र में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का बहुत बड़ा क्षेत्र आ गया और वह क्षेत्र हरा–भरा होने लग गया। मेरा ऐसा मानना है कि जो क्षेत्र नेशनल डैजर्ट पार्क में घोषित किया था, जब नहर आ गयी है तो उस पार्क की आज आवश्यकता नहीं है। मैं पहली मांग मंत्री महोदय से करूंगा कि उसका पुनः सर्वेक्षण कराएं कि वास्तव में नेशनल डैजर्ट पार्क में जो गांव घोषित किये हैं उन गांवों को उजाड़ने की योजना क्या है ? हमेशा भय व्याप्त रहता है कि आपके यहां से गांव वालों के पास नोटिस आते हैं कि आपकी भूमि अवाप्त की जाएंगी। इस पर सोचना चाहिए। जिस क्षेत्र में इन्दिरा गांधी नहर आ चुकी है उस क्षेत्र के गांव–वासियों को नहीं छेड़ा जाएगा और उस पार्क का पुनः सीमांकन करना चाहिए, पहली मांग मेरी यह है।

दूसरा, जापान की मदद से ओ.आई.सी. एफ. कार्यक्रम चल रहा है। डी.डी.पी. का कार्य अलग चल रहा है। जापान का अलग काम है और नेशनल डैजर्ट पार्क का अलग काम है। तीन–तीन कार्यालय हमारे जिले में खोल रखे हैं जबकि तीनों एजेंसियों में

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

आपस में को–आर्डिनेशन नहीं है। एक वनकर्मी वहां काम करता है। यदि वह दूसरे क्षेत्र में जाना चाहे तो जयपुर तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सारा ही कार्य वन विकास का है तो एक विभाग काम करे। को–आर्डिनेशन नहीं होने से हमें कई समस्याएं हो रही हैं। एक कार्यक्रम कम हुआ 72 वन कर्मियों को भेज दिया अरावली में। हमारे वनकर्मियों को भेजा बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। आज तीन–तीन साल से वहां वे तड़प रहे हैं जबकि 300 अन्य जिलों के वनकर्मी हमारे जिले में काम कर रहे हैं। मैंने दो बार मंत्री महोदय, को सूचियां दी हैं। यह काहे का न्याय हैं ? हमारे छोटे–से वनकर्मी बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में काम कर रहे हैं और अन्य जिलों के 300 आदमी हमारे जिले में काम कर रहे हैं सीमावर्ती क्षेत्र में। इसलिए मेहरबानी करके जो अनकोआर्डिनेट प्लान चल रहा है, इसको रोकने की आवश्यकता है, यह वन मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है।

माननीय, जहां तक वृक्ष लगाने की डी.डी.पी. की काम बात है, जैसलमेर, सीकर झुझुनूं और जयपुर का क्राइटेरिया एक है। सड़कों की साइड में वन लगाये गये। मैं तीन साल की बात करता हूं। पानी नहीं है। जो हमारा टैम्परेचर है, वहां की परिस्थिति हैं और वहां की जो आव–हवाएं हैं, तीन साल के बाद हमारा पौध तीन–चार फुट तक रह जाता हैं बढ़ नहीं पाता है। कई बार मंत्री महोदय से निवेदन किया कि बदलिए आप क्राइटेरिया को। जैसलमेर के पर्यावरण में जैसलमेर की आव हवा में कोई भी पौधा आठ–दस साल में हाइट लेगा जो बकरी और ऊंट से बच सकेगा। यदि एक ही योजना जयपुर और जैसलमेर के लिए लगायी गयी, एक ही क्राइटेरिया रखा गया तो वह मान्य नहीं है। कृपया इस नीति को बदलना पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा। सड़कों की साइड में आपने तारबन्दी की, वृक्ष लगाये और तीन साल बाद तारबन्दी हटाकर आप चले गये। परिणाम यह हुआ कि सारा का सारा पैसा वेस्ट गया। कृपया इस बारे में गम्भीरता से सोचें।

मान्यवर, अभी जल ग्रहण योजना की चर्चा कर रहे थे। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस योजना में हुआ है। कोई समझ में नहीं आता। हमारी सरकार चाहती है कि सारी ग्राम सभाओं को मजबूत करें, गांवों के सारे कार्यक्रम चलें एक क्लस्टर योजना वनकर्मियों के माध्यम से अलग से कमेटियां बनाकर चल रही है गांवों में, गांव वालों को पता नहीं, ग्राम सभाओं को पता नहीं कि कौनसी योजना चल रही है। हमने हमारे जिले में जांच करवायी, 18 ऐसे केसेज निकले जिसमें भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है। मेहरबानी करके इस सारी योजना का पूरी तरह निरीक्षण करवाएं और देखें कि ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों को क्यों नहीं दिये जाते हैं सारे कार्यक्रम। क्यों अलग से कमेटियां

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

बनायी जाती हैं, जब गांवों में हमने कमेटियां बना रखी हैं ? सब काम आपके लिए हैं तो ये अलग से कमेटी बनाकर अलग से देखने की बात क्यों चल रही है ? मेहरबानी करके इस ओर आप गम्भीरता से विचार करें। यह बहुत बड़ा 25 लाख रुपये का आयोजन दे दिया है कमेटी को और गांव वालों को किसी को पता नहीं हो पाया। मेहरबानी कर इस ओर अवश्य ध्यान करें।

मेरे क्षेत्र में काजरी बहुत बड़ा अनुसंधान चल रहा है। काजरी अलग अनुसंधान करती है, वन विभाग अलग अनुसंधान कर रहा है, नहरी क्षेत्र अलग अनुसंधान कर रहा है। अनुसंधान करने के बाद क्या हमारे किसान को और हमारे ग्रामीण को उससे फायदा है, मेहरबानी करके विचार करें। यूनिवर्सिटी अलग लेकर बैठी हुई है। बीकानेर, यूनिवर्सिटी उसके बारे में अलग अनुसंधान कर रही है। उसका परिणाम क्या है कि आज उस क्षेत्र में कोई फायदा हमें नहीं मिल रहा है। अभी मैं परसों पढ़ रहा था। गूगल के बारे में, काजरी अनुसंधानकर्ता हैं। एक तरफ हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ औषधियों के जो छोट–छोटे पौधे उस रेगिस्तान में होते थे वे सारे प्रायः नष्ट हो गये हैं। यह हमारी वन नीति है। वन नीति स्पष्ट करनी चाहिए, जो स्पेशल उस एरिया में है उनको बचाने के लिए हमारी पूरी योजना होनी चाहिए।

इसके साथ ही मैं दो बार प्रश्न पूछ चुका हूं। जैसलमेर जिला 38 हजार स्कवायर किलोमीटर का एरिया है, विभिन्न क्षेत्र हैं उसके। मैं कई बार कह चुका हूं कि हमारे शाहगढ़ बहुत बड़ा वेस्ट लैण्ड पड़ा हुआ है जो केवल डैजर्ट है, प्योर डैजर्ट है। उसके स्पेसीज अलग हैं, वहां का वन अलग है। मैं हमेशा पूछता रहा हूं, क्या उसके लिए अलग से कोई योजना है आपकी। तो मुझे जवाब मिलता है नहीं। मेरा प्रश्न है कि क्यों नहीं ? यदि हमें विकास करना है तो जो सीमावर्ती क्षेत्र है शाहगढ़, क्या हमारा वन विभाग सो रहा है ? विकास करना है उसके एवज में उलटा क्या हो रहा है ? जहां अण्डर ग्राउण्ड पानी है, डी.डी.पी. जिला होने के कारण से सन् 1976 से वहां अलाटमैंट नहीं है। वैस्ट लैण्ड डवलपमैंट के नाम से बम्बई की बड़ी बड़ी फर्मों को वहां जमीन कौड़ियों के सेटे दी जा रही हैं। मैंने पूछा उन कम्पनियों को कि क्या करने वाले हैं तो उन्होंने कहा कि हम नीम उगाएंगे, नीम से रसायन बनाएंगे। अगर नीम उगाना है, रसायन बनाना है तो शाहगढ़ में जाइये जहां अण्डर ग्राउण्ड पानी है। डेलासर गांव में अभी मुझे पता लगा कि मेरे जिले की दो–तीन कम्पनियों को बड़ी जमीनें दी गयीं, केवल इस तरह से वैस्ट लैण्ड पड़ा हुआ है। जमीन अलाट की नहीं किसानों को, 1976 से उन्हें अलाटमैंट बंद कर रखा है। अण्डर ग्राउण्ड पानी है, वैस्ट लैण्ड हुआ कैसे ? वैस्ट लैण्ड की परिभाषा है कि दस वर्ष जहां खेती नहीं हो उसको हम वेस्ट लैण्ड कहते हैं। कृपया इस नीति

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

को स्पष्ट करें। अण्डर ग्राउण्ड पानी है, खेती योग्य जमीन है, पास में खेती हो रही है तो वह वेस्ट लैण्ड है नहीं। इस ओर हमारे वन मंत्रीजी ध्यान करें।

एक प्रश्न मैंने पूछा था, छह हजार हैक्टेयर जमीन वन विभाग ने फीडर बैंक के लिए रिजर्व की थी। हमने योजना चलाई थी आठ वर्ष पहले, माफ करेंगे जो बैठे हैं मेरे सामने, उस फीडर बैंक की स्कीम को बंद कर दिया गया। आज हालत यह है कि घास के एक तिनके के लिए हम तरस रहे हैं। (व्यवधान) मेहरबानी करके सुनते जाइये मेरी बात। यदि फीडर बैंक की स्कीम होती तो हम पूरे राजस्थान को घास पहुंचा सकते थे। आज भी छह हजार हैक्टेयर जमीन फैस की हुई है, आज भी वन कर्मी वहां लगे हुए हैं और एक तिनका घास नहीं है। ये सारी योजनाएं समाप्त करने का श्रेय किसको ? हमारे वन मंत्रीजी को मैं उलाहना जरूर दूं पर आठ वर्षों में जो हुआ, आज पचास हजार गायें मेरे क्षेत्र में आ गयी, तीन लाख भेड़ें राजस्थान से माइग्रेट करके मेरे क्षेत्र में आयी। हम आज भी सह कर बैठे हुए हैं पर यदि हमारा घास कटा हुआ होता इन वर्षों में तो हजारों टन घास हम दे सकते थे। आज भी छह हजार हैक्टेयर जमीन तारबन्दी में पड़ी हुई है, इसकी मार्केट प्राइस क्या है, हमारे वन मंत्रीजी उस ओर ध्यान देंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यदि आप घंटी बजाएंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री सभापति : यह घण्टी चेताने की है, बैठाने की नहीं है।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : पता नहीं, मैं तो अनुशासित आदमी हूं। घण्टी बजाएंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री सभापति : यह चेताने की है।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : तो मेहरबानी करके आप ध्यान करिये। घण्टी बजाई तो मैं दूसरे विषय पर चला जाऊंगा।

पर्यावरण मंत्री महोदय, मेरे क्षेत्र में एटमिक ब्लास्ट हुआ, मेरे गावं वाले चिन्तित हैं। यह पर्यावरण का विषय है, बीच में एक रिपोर्ट छपी कि हमारे एटमिक वेस्ट को उसी क्षेत्र में डम्प किया जाएगा अन्डर ग्राउण्ड, हड़कम्प मच गयी, गावं के लोग भाकर आये कि क्या एटमिक वेस्ट हमारे क्षेत्र में डम्प किया जाएगा। यह क्यों हवा निकलती है और क्यों अखबारों में आता है और सरकार उसकी काट क्यों नहीं करती ? यह बहुत अहम् प्रश्न है। एटमिक ब्लास्ट होता है, यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है। हम उसका विरोध नहीं करते, उसका स्वागत करते हैं। यह ब्लास्ट वहां हो, हमारे क्षेत्र में हो यह देश का गौरव है। परन्तु यदि एक भय पैदा होता है तो जिस क्षेत्र में एटमिक ब्लास्ट हुआ है वहां के पर्यावरण की हमेशा जांच होनी चाहिए, मेडिकल जांच होनी चाहिए

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

पशु और मनुष्य पर यदि वहां वेस्ट डम्प करने की कोई योजना हे तो हम कट्टर विरोध करते हैं कि हमारे क्षेत्र में उस वेस्ट को डम्प नहीं किया जाए। वहां सरस्वती नदी का क्षेत्र है, अन्डर ग्राउण्ड पानी है, इन्दिरा गांधी नहर का क्षेत्र आ रहा है इसलिए मेहरबानी करें पर्यावरण की दृष्टि से केवल एक पाइंट मैं कहूंगा, और आगे नहीं बढ़ूंगा।

खनिज मंत्रीजी बिराजे हुए हैं, जैसलमेर का क्षेत्र कभी समुद्र के नीचे रहा है। हजारों वर्ष समुद्र रहने से दुनिया भर के खनिज उस क्षेत्र में हैं। मान्यवर, मुझे कहते हुए शंका नहीं होती है कि हिन्दुस्तान का पीला पत्थर, सोने का पत्थर जैसलमेर मे होता है। हमारे कुछ सदस्य अभी गोवा विधान सभा देखने गये थे, वहां फर्श में पीला सोना देखकर अचम्भित हो गये कि जैसलमेर का यह पत्थर लगा हुआ है। उस पीले पत्थर की खदानें जो आज मूलसागर अमरसागर में है मेरा खास कटमोशन यह था कि आज उसके पास में हवाई अड्डा बन गया, पचास मीटर तक खनन नहीं होगा। अभी दस दिन पहले 900 मीटर की लगा दी, एन.ओ.सी. मिल गयी। लाखों रुपये इंवैस्टमैंट कर दिये माइन्स वालों ने ओर अब कहते हैं कि 900 मीटर पर आप खनन नहीं कर सकते, वही क्षेत्र है मार्बल का, मार्बल है नहीं लाइम स्टोन, युजुएज मार्बल इस कैटेगरी में है। आज रायल्टी देते हैं हम मार्बल की, ताजमहल से लेकर कलकत्ता की विक्टोरिया तक वही पत्थर लगा हुआ है। ऐसे सुन्दर पत्थर के खनन पर यदि रोक लगती है तो राज्य सरकार से मेरा निवेदन है कि मेहरबानी करके उसको देखें। जहां तक वहां लाइम स्टोर मार्बल ग्रेड में है उसके पास में पीला सैंड स्टोन है। वह एक मसला विचाराधीन है सरकार के कि वही रायल्टी मार्बल की उनसे ली फिर जाती है, लाइम स्टोन यूज्ड एज मार्बल। मार्बल की रायल्टी ली जाती है। जो सैंड स्टोन जा रहा है जिससे मार्बल पालिश होती नहीं है, उसकी रायल्टी ली जाती है। इस ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान खींचूगा।

दूसरा मुख्य विषय जो मैं गत विधान सभा में उठा चुका था, सोनू लाइम स्टोन हिन्दुस्तान की सारी स्टील यूनिट्स में जाता है। मैंने प्रश्न किया था कि तीन इंच की गिट्टी जाती है उसके बावजूद छोटा माल कितना आपका स्टाक में है ? मंत्री महोदय आज तक मुझे यह नहीं बता पाये। मुझे शर्म आती है कहते हुए, मैं कह रहा हूं कि करोड़ों रुपये की सम्पत्ति डम्प की गयी है और पर्यावरण को वहां नुकसान पहुंचाया जा रहा है। करोड़ों रुपये का खनिज वेस्ट चला जाए तो यह राष्ट्रीय वेस्ट। मेरा निवेदन है कि यह खनिज पड़ा हुआ है, तीन इंच गिट्टी के बाद तीन इंच से छोटा जितना भी माल वहां पड़ा हुआ है उसकी वेल्यू तय की जाए ओर उसके उपयोग के लिए चर्चा

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

की जाए। यह बहुत गम्भीर मसला है, इस और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

हमारा दूसरा मुख्य खनिज जिप्सम है। सिणधरी फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री में हम उस जिप्सम को बेचते रहे, आज भी हजारों टन जिप्सम रोज जाता है। मैं मंत्री महोदय, से कहना चाहता हूं, 15 महीने में कभी आप हमारे ऊपर कृपा करते, आप दर्शन देकर हमारे खदानों की, हमारी संभाल पूछ लेते तो हम कुछ कृतज्ञ होते। झामर कोटड़ा से पहले राक फास्फेट की फाइन्ड हमारे जैसलमेर इलाके में वीरमानी में हुई। हमें कहा गया कि 8 प्रतिशत है इसलिए खनन वहां नहीं किया जा सकता। मेरा प्रश्न है कि 8 प्रतिशत यदि नीचे है तो बीच में क्या मिनरल्स आते हैं ? जो भी डम्पिंग है, जो भी ओवर बर्डन है, सारे के सारे बैंटोनाइज्ड है, सारे मिनरल्स हैं। इकोनोमिकली वायबल यूनिट्स हैं झामर कोटड़ा के जो 11 और 12 परसेंट दे रहा है और हम इम्पोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों से राक फास्फेट। तो मेरा निवेदन है कि जो राक फास्फेट वीरमानिया का जैसलमेर इलाके में है उसके खनन की ओर आज गम्भीरता से विचार करें क्योंकि सारा ओवर बर्डन वहां मिनरल्स पड़ा हुआ है बैंटोनाइज से लेकर, कोई रेत नहीं है। मेहरबानी करके इस ओर खनिज मंत्रीजी, आप ध्यान दें। इसी तरह से वहां सिलींका स्टोन पड़ा हुआ है। कई कई चीजें, दुनियां भर के मिनरल्स हैं। छींटदार पत्थर वहां पड़ा हुआ है। जैसा मैंने निवेदन किया, हजारों वर्ष समुद्र रहा हुआ है, उसको देखना हो तो आप देखे। आकल में बुड्स फासिल्स पार्क है, पचास फुट के लम्बे तने वृक्ष जो पत्थर बन गये, वे प्रमाण हैं कि कितना बड़ा खनिज उस इलाके में है। अपने क्षेत्र में खनिज के बारे में खनिज मंत्रीजी से निवेदन है कि पुनः सर्वेक्षण करवाए वन खनिज और पर्यावरण के लिए और तीनों मंत्रीजी से निवेदन है कि मेहरवानी करके जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है जैसलमेर, उस ओर विशेष ध्यान दें।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, मानव संस्कृति के उद्भव से पहले इस धरती पर वन सम्पदा थी लेकिन, आज हालत यह हो गयी कि वन सम्पदा को हमने और बढ़ाने का काम नहीं किया। वनों की अंधाधुंध कटाई और बिगड़ता पर्यावरण इन दोनों का नतीजा यह निकला कि हमारी ऋतुओं का क्रम बदल गया, ईको साइकल बदल गया। सभापति महोदय, आप ग्रामीण अंचल से आते हैं, आपको याद होगा गांव का व्यक्ति होली के दूसरे दिन जाकर पूण लेकर बता देता था कि इस बार जमाना होगा या अकाल पड़ेगा। आज कल गांव का व्यक्ति बता नहीं सकता क्योंकि पता नहीं कब तूफान आ जाए, कब अतिवृष्टि हो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जाए, कब प्रचंड गर्मी हो जाए। इन सबके पीछे अगर कोई छिपा हुआ संकेत है तो वह यह है कि हमारा पर्यावरण दूषित हो गया। ओजोन लेयर के अन्दर छेद हो गया। ये सारी चीजें इसलिए हुई कि हमने हमारी वन सम्पदा जो मानव जीवन के साथ जुड़ी हुई है, उसको उस तरह देखा नहीं।

सभापति महोदय, एक प्रतिवेदन सरकार ने दिया है और प्रतिवेदन में यह कहा है कि 32,270 किलोमीटर राजस्थान के अन्दर वन क्षेत्र है। सेटेलाइट से सर्वेक्षण किया होगा। सभापति महोदय, लेकिन तथ्य इससे बिलकुल दूर है। अभी एन.एस.एस. का सर्वे हुआ। नेशनल सैम्पल सर्वे में राजस्थान के अन्दर वन सम्पदा जिसके लिए सरकारी आंकड़े यह कहते हैं कि 9 दशमलव कुछ है, वह सर्वे यह कहता है कि 3 फीसदी से थोड़ासा ज्यादा है। हमने पिछले वर्षों में बहुत बड़ी धनराशि इस पर खर्च की लेकिन वन के नाम पर हमने जूली फ्लोरा उगाया। आप कहीं भी चले जाए, अपने क्षेत्र में चले जाए आपको विदेशी बबूल मिलेगी, जूली फ्लोरा मिलेगा। दूसरी वन सम्पदा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा तो 89–90 में सरकार ने आदेश दिया कि जूली फ्लोरा को और नहीं लगा कर पहले जो जेली फ्लोरा है उसके साथ साथ 7 और दूसरे प्रजाति वृक्षों को लगाए। उन्होंने कहा कि उनको काट कर कोयला बनाया जा सकता है। सभापति महोदय, हमारे वन मंत्रीजी विद्वान हैं और मैं समझता हूं आपकी विद्वता के बारे में स्पष्टवादिता के बारे में और किसी को मुगालता हो सकता है, मुझे मुगालता नहीं है। वन मंत्रीजी जो आपका स्वभाव है, आप हमेशा यथार्थ और सच्ची बात बोलने वाले हैं, इसलिए मैं निवेदन करूंगा, वन मंत्रीजी मेरी बात गम्भीरता से सुनें। एक जो उत्तर आपको विभाग ने दिया है, जो टाइप किया हुआ आपके पास है उस उत्तर को अलग रख दें इस बारे में वे सारी बातें जो आपने महसूस की है इस विभाग के मंत्री के रूप में डेढ़ वर्ष में, वे सारी बातें आज सदन को कहें। सदन भी आपके साथ क्योंकि यह इस तरह का कार्यक्रम है जो मानव जीवन से जुड़ा है, आपके साथ चलने को तैयार है। वन मंत्रीजी, आपका कितना बड़ा पद है, थोड़ा तो कठोर बनिये। ये क्या हालात हैं कि 15 मिनट पहले निष्पादन आय–व्ययक यहां सर्कुलेट किया जाता है ? मैं समझता हूं आप अपने आपको असहाय महसूस करते हैं। वन मंत्रीजी असहाय महसूस करते हो तो आप जैसे गैरतमंद आदमी को इस पद पर ज्यादा नहीं बना रहना चाहिए। अब हालत क्या बन गई, वन मंत्रीजी ? (व्यवधान) यह सब लोग महसूस करते हैं, सभापति महोदय।

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : आप वन मंत्रीजी के शुभचिन्तक हैं या आप कहना क्या चाहते हो, यह तो बता दो। अभी तो आप कह रहे थे आपको कोई गलतफहमी

(श्री महेश जोशी)

नहीं है उनके बारे में, अब आप इनके दुश्मन हो रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, आज प्रत्येक माननीय सदस्य चिंतित है कि हमारी वन सम्पदा का ह्रास हो रहा है परन्तु सरकार चिंतित नहीं लगती है। पिछली बार बजट में 136 करोड़ का प्रावधान, इस बार घट कर हो गया 101 करोड़ यानी 35 करोड़ के लगभग कम। सभापति महोदय, इस बारे जो अलग–अलग मदों में राशि उपलब्ध हुई उसमें राज्य योजनाओं में 1136 लाख रुपये का प्रावधान और खर्च होता है 944 लाख, कितना गम्भीर है। विभाग बाह्य सहायता परियोजना, उसके अन्दर प्रावधान है 8474/– लाख रुपये का और व्यय करते है 5793/– लाख रुपये। इसी तरह सिंचित क्षेत्र में प्रावधान है 266/– लाख रुपये का और व्यय है 210/– लाख रुपये।

(15.55 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जितनी राशि स्वीकृत है उस राशि का 70 फीसदी के लगभग आप खर्च करते हैं और 30–35 प्रतिशत राशि बिना खर्च के रहती है। परन्तु भौतिक सत्यापन की जब बात करते हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, अरावली वृक्षारोपण योजना, आपने कहा लक्ष्य था 2500 हैक्टेयर के अन्दर वृक्षारोषण का और आपने पूरा कर लिया जनवरी में ही। आपका लक्ष्य था पौधे वितरण का 28 लाख और, उपाध्यक्ष महोदय, 28 लाख इन्होंने पौधे भी वितरित कर दिये। सामाजिक वानिकी के अन्दर वृक्षारोपण पूरा कर लेते हैं जनवरी माह में 12525 हैक्टेयर में और पौधा वितरण करते हैं 150 लाख। उपाध्यक्ष महोदय, आप देख लें, इस बार बरसात हुई नहीं, गांवों के अन्दर आप चले जाएं कोई वन सम्पदा आपको नहीं मिलेगी, घास नहीं मिलेगी परन्तु पौधों का वितरण हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं गम्भीरता से निवेदन करना चाहता हूं कि एक्सटर्नल एडेड प्रोजैक्ट, सैन्ट्रल स्पान्सर्ड स्कीम और जो हमारी राज्य की योजनाए हैं इन सब में पौधा वितरण को जोड़ लें तो लगभग डेढ़ करोड़ पौधे जनवरी तक इन्होंने वितरित कर दिये। अब डेढ करोड़ पौधे लगे कहां ? वन मंत्रीजी, आप तो गांवों के बारे में भी जानते हैं और जलवायु के बारे में भी जानते है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ये पैसा तो मांग रहे हैं 2000–2001 के लिए, आप पिछला +++ 2000–2001 की बात करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य कह रही हैं 2000–2001 की बात करूं। जो पिछली बार आपने कीर्तिमान स्थापित किये हैं, कागजी घोड़े दौड़ाये हैं, आपने जितने

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हैक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण की बात कही है आपने जितने लाख–पौधों के वितरण की बात कही है। यह सारी बेइमानी है। वन मंत्रीजी, ये सारे कागजों में चल रहे है। आप इनका मूल्यांकन करवाएं मूल्यांकन कराने के साथ आपको मालूम पड़ेगा। यह मैं नहीं कह रहा, आपके अखबार बताते हैं। कितनी कहानियां छपी हैं। खड्डे खुदे नहीं, फैसिंग हुई नहीं, पौधे लगे नहीं और लाखों रुपयों के बिल का भुगतान हो गया। यह कब तक चलेगा ? उपाध्यक्ष महोदय, सैन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम में हमें पिछले वर्ष का प्रावधान मिला था 3655/–लाख रुपये और खर्च किये 1331/–लाख रुपये 30 प्रतिशत और भौतिक उपलब्धियां आप देखें तो जितने लाख हैक्टेयर इतका वृक्षारोपण था और दूसरे कार्यक्र थे, सारे पूरे कर दिये। अब मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में इन्होंने आगामी वर्षो के लिऐ कहा है कि अब और काम नहीं करेंगे, सिर्फ पौधों का वितरण करेंगे, क्योंकि पौधों का कोई हिसाब रहता नहीं। पौधे किसको वितरित किये, क्या वितरित किये, यह कागजों में दर्ज कर लेते हैं।

वन मंत्रीजी, योजनाओं की बात हम करते हैं तो अरावली वृक्षारोपण योजना, वानिकी योजनाओं की बात हम करते हैं। तो अरावली वृक्षारोपण योजना, वानिकी विकास परियोजना, इन्दिरा गांधी परियोजना, एकीकृत वानीकरण, परिस्थितिजन्य विकास योजना, लघु विकास योजना, मरू विकास परियोजना, निजी भूमि वृक्षा रोषण परियोजना, जनता वन योजना, शहरी वनीकरण योजना, आर्थिक वृक्षारोपण योजना। इसमें आर्थिक वृक्षारोपण वाली बात बहुत चल रही है। मुझे लगता है आपके विभाग में इस वृक्षारोपण के पीछे जो योजना चल रही है वह आर्थिक वृक्षारोपण के माध्यम से फायदा पहुंचाने वाली है, वस्तुस्थिति में कुछ हो नहीं रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा संकट है जूंली फ्लोरा के साथ–साथ कांग्रेस घास का। यह कांग्रेस घास जो इटली और अमरीका से आई, सन फलावर प्रजाति की इस घास ने राजस्थान के अन्दर जो हमारी देशी है उस देशी सम्पदा के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया। इसलिए यह कांग्रेस घास जो पहले भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर ...(व्यवधान)

श्री अमीन खान : राठौड़ साहब, आपने कौनसी घास कहां ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कांग्रेस घास।

श्री अमीन खान : यह हमने तो नहीं सुना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कांग्रेस घास, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी : बाड़मेर में अभी पहुंची नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जयपुर में बहुत है यह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान से खास तौर पर, वन मंत्रीजी, इस कांग्रेस घास को समाप्त करने के संकल्प के साथ आप कुछ करोगे तो निश्चित तौर पर आप विभाग को ठीक चलाओगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए कई लिटरेचर छपे हैं कि कांग्रेस घास को जलाओ, काटने से काम नहीं चलता। कांग्रेस की जड़ उखाड़कर इसको सुखाओ उससे काम नहीं चलेगा, इस घास को जलाना पड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जब वन मंत्रीजी उत्तर देंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस रूपी घास को किस तरह समाप्त किया जा सकता है इस पर भी प्रकाश डालेंगे।

(16.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, कागजों के अन्दर इन्होंने कह दिया कि हमने ग्राम स्तरीय वन सुरक्षा समिति बना ली। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी इन्होने कहा है कि हमनें 81 समितियां बना लीं। इतने माननीय सदस्य बैठे हैं, कोई यह कह दे कि इस तरह की समितियां बनी हैं जो वृक्षारोपण कर रही है, जो वनों को बढ़ावा दे रही हैं। ये कागजी घोड़े दौड़ाने से काम नहीं चलेगा।

अभी बड़ी चर्चा चल रही थी कि डेढ़ महीने से आपके आदेश की धज्जियां उड़ रही हैं। ट्रक पकड़ा ट्रक के अन्दर कोयला था। निश्चित तौर पर 1991 के आदेश के पश्चात आप ट्रांजिट पास के माध्यम से जूली फ्लोरा से बने हुए कोयले को दूसरे राज्य में भी ले जा सकते हैं, परन्तु टी.पी. के नाम पर जो एक रुपया नहीं दिया था उस एक रुपये के पीछे, मंत्री महोदय, कितनी कहानी छिपी है, यह तो आप ही स्पष्ट करेंगे। पर यह बड़ी विडम्बना है। आप जेसे मजबूत मंत्री का आदेश और आदेश के पश्चात आमेर के पास में खड़ा रहे लम्बे समय तक, मैं समझता हूं, पदों पर बैठना बड़ा आसान है पर पद की गरिमा और खुद की बात को मनाने की अगर आपमें हिम्मत नहीं है तो आप जैसे बुद्धिजीवी व्यक्ति के लिये इस पद पर बैठे रहना भी ठीक नहीं है। में समझता हूं इस बारे में भी आप बात करें। क्यों आपकी कलम कांप रही है ? ए.सी.एफ. रायजादा के विरुद्ध आपने फाइल पर लिखा कि इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही होनी चाहिये। निलम्बन की बात की। मंत्री बात लिख दे उस आदेश के पश्चात् वह बात कहां रुक जाए ? निश्चित तौर पर आपको इस पर विचार करना चाहिये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ परियोजनाएं हैं जिनकी चर्चा राजस्थान और देश–विदेश में होती है, जैसे बाघ परियोजना, रणथम्भौर इसके लिये 1999–2000 में केन्द्र सरकार ने 342 रुपये का प्रावधान रखा। वन मंत्रीजी, आपसे पूछें कि ऐसी परियोजना जिसे हमारे देश के अलावा दूसरे देश के लोग भी देखने के लिये आते हैं, आपने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मात्र 83 लाख रुपये क्यों खर्च किये ? सरिस्का की परियोजना के लिये प्रावधान था 481 का, आपसे कोई पूछे कि आपने मात्र 38 लाख रुपये क्यों खर्च किये ? घना पक्षी अभयारण्य में 20 लाख का प्रावधान और आप 54 हजार खर्च करते हो। इसका मतलब यह हुआ कि आपके विभाग पर आपकी कोई पकड़ नहीं है। हमसे तो पास करवा लें, ब्रूटल मैजोरिटी है, यहां पास भी हो जाएगा। परन्तु मांग पारित होने का नतीजा क्या निकलेगा ? नतीजा तो वही निकलेगा, ढाक के तीन पात। सेन्ट्रल स्पांसर्ड स्कीम्स का पैसा आप खर्च नहीं कर सकते, एक्सटर्नल एडेड प्रोग्राम्स में जो पैसा है वह आप खर्च नहीं कर सकते, हमारे स्टेट प्लान के अन्दर जो पैसा दिया हुआ है वह आप खर्च नहीं कर सकते, विभाग में आपकी कोई सुनता नहीं, अर्थ क्या निकलेगा ? निश्चित तौर पर आपको विचार करना पड़ेगा। कांग्रेस घास और जूली फ्लोरा, इन दो का तो इलाज मंत्रीजी, आपको निश्चित तौर पर करना चाहिये तभी काम चलेगा।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर टाइगर प्रोजैक्ट में किसका प्रशासनिक अधिकार है, हमारी समझ से बाहर है। अखबारों में छपता है कि आपसे बिना पूछे टाइगर वाच और आपके निदेश की बीच में कोई एग्रीमैंट होता है। अब उस एग्रीमेंट की सैंक्टिटी क्या है ? क्या यह ऐसा तो नहीं है कि बिना आपकी जानकारी के, बिना सरकार की जानकारी के यह प्रोजेक्ट जिसके बारे में सब जगह चर्चा है, कहीं आपके हांथ से तो नहीं निकल रहा ? आप अपना उत्तर देते हुए स्पष्ट करें जिस तरह टाइगर वाच के साथ आपका समझौता हुआ, राइनो एस.ई.क्यू. इंगलैंड, केयर फोर वाइल्ड, यू.एस.मिशन वाइल्ड लाइफ, इन सबके साथ जो समझौता हुआ टाइगर वाच के माध्यम से जिसमें कहा था हम इस अभयारण्य के लिये कुछ राशि देंगे, फाइनेंस की व्यवस्था करेंगे, इन सारी चीजों में कितनी राशि किस–किस चीज में खर्च हुई, यह सब भी मंत्रीजी, आपको बताना चाहिये।

मैं एक बात और पूछना चाहता हूं एक बार आप सवाई माधोपुर पधारे थे और सहृदयता से आपने गांव के लोगों से बात की थी। जब हम भी कुछ दिन बाद गये तो कहा, मंत्रीजी बड़े अच्छे थे। बीच सड़क पर आपने गांव वालें को बुलाकर कहा कि आओं मैं आपकी बात सुनता हूं बड़ा गजब किया इन्होंने वहां जाकर। आदेश जारी कर दिये कि आप इस अभयारण्य में आ–जा सकते हो। आपकी मर्जी हो वहां से लकड़ी काट लाओं। वहां लोग कह रहे थे पूजा का मंदिर है, उसमें पूजा सामग्री कहां से खरीदें। तो इन्होंने कहा, खरीद–फरोख्त के लिये दुकान भी आप लगा सकते हो। मंत्रीजी, आपने आदेश दे दिया। पर आपके आदेश की गत क्या बनी, यह मैं आपसे पूछना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चाहता हूं। आप क्यों इस तरह के आदेश देते हैं ? आप कानून के ज्ञाता हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने अधिकारित क्षेत्र के आगे जाकर आदेश दे दिये। आपने आदेश दे दिया, आपके आदेश की पालना हो नहीं, मैं समझता हूं कि इसके बारे में निश्चित तौर पर आपको विचार करना चाहिये।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। एक केन्द्रीय जंतुआलय प्राधिकरण बना हुआ है, उस प्राधिकरण ने राजस्थान में आकर जोधपुर, कोटा, बीकानेर, इन तीनों के जू का इंस्पैक्शन किया तो उसने रिपोर्ट में लिखा कि ये जू बंद हो जाने चाहिये। जिन एनीमल्स को पशु पक्षियों को हम हमारे बच्चों को दिखाना चाहते हैं उनकी हालत इतनी दयनीय है कि प्रापर पिंजरे नहीं, प्रापर खुराक नहीं। मैं समझता हूं एक तरह से अन्याय है उन वन्य जीवों के साथ। इस पर भी निश्चित तौर पर आपको कोई न कोई कार्यवाही करनी चाहिये।

मैं एक बात और कहकर मेरी बात समाप्त करूंगा। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां फ़ोरेस्ट एरिया तो बाद में डिक्लेयर हुआ और गांव पहले बस गये। मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र में दो गांव हैं ढाणी लालसिंहपुरा और ढाणी डूंगरसिंहपुरा। गांव बरसों पहले बस गये और बाद में आपने फोरेस्ट एरिया डिक्लेयर कर दिया। वहां हजारों की संख्या में लोग रह रहे हैं, ग्राम पंचायत है। अब उस ग्राम पंचायत में तो एक ईट का भी काम हो नहीं सकता क्योंकि कानून के अनुसार उसकी स्वीकृति मिलती नहीं। तो कम से कम इस तरह के क्षेत्र जहां फोरेस्ट एरिया आपने बाद में डिक्लेयर किया, जहां हैबिटेशन पहले थी उनके बारे में निश्चित तौर पर आपको कुछ न कुछ करना चाहिये।

मैं खान मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहता हूं। आज कल खनन कार्य के अन्दर आप जरा मालूम करें, कितनी खाने ऐसी हैं जो कोर्ट के स्थगन आदेश के माध्यम से न आपको रायल्टी दें, न आपको दूसरी कोई राशि दें और खनन कर रही है। नीचे के किसी न्यायालय से कहीं ए.डी.जे, से कहीं एम.जे.एम. से एक स्थगन आदेश ले लिया और उस स्थगन आदेश पर आपका विभाग प्रतिवाद नहीं करता। बरसों तक उसका उत्तर नहीं देता और वह व्यक्ति अवैध खनन बेटोक धड़ल्ले से करता है। आपको निश्चित तौर पर देखना चाहिये कि कितने इस तरह के मामले हैं जो न्यायालय के स्थगन के इशारे से अवैध खनन का काम करते हैं। मेरा यह निवेदन है कि ये सारे जो बिन्दु मैंने रखें हैं, उनके बारे में निश्चित तौर पर वन मंत्रीजी उत्तर दें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरचन्द सिंहजी।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सृष्टि की रचना मानव वन और वनस्पति,इन तीनों में बहुत गहरा

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

संबंध है। आज की परिस्थितियों के अन्दर इसकी महत्ता और भी ज्यादा बढ़ गयी है, उसका कारण यह है कि जैसे–जैसें मानव विकास की और बढ़ता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, प्रदूषण बढ़ता है और उस प्रदूषण को कण्ट्रोल केवल वनस्पति के जरिये ही किया जा सकता है, वनों के जरिये ही किया जा सकता है। आज वैज्ञानिकों का मत है कि इतना प्रदूषण हो गया कि हमारी पृथ्वी की जो प्रोटेक्शन कर्टेन है ओजोन, उस ओजोन के अन्दर छेद हो गये और उसकी वजह से पृथ्वी पर गरमी ज्यादा होने लग गयी जो हमारे लिये खतरे की घंटी है। इसको भी कण्ट्रोल करने के लिये हमें वन की ओर जाना पड़ेगा। राजस्थान प्रदेश का जो वन विभाग है बजट के अंदर आंकड़े ओर बजट प्रस्तावों को देखने के बाद यह लगता है कि यह सफेद हाथी है, सबसे महंगा विभाग है। मुझे अफसोस होता है कि प्रकृति से भी यह विभाग कुछ नहीं सीखा। राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसको कभी इन्होंने अपने ध्यान में नहीं रखा। वन का विकास वहा होगा जहां कुदरत ने आपको इंडिकेशन दिये हैं कि इस जगह पर यह वनस्पति बहुत जल्दी फलेगी। यदि आप इस सिद्धान्त को ध्यान में रखते तो शायद वनों का ज्यादा विकास हो सकता था।

उपाध्यक्ष महोदय, एरिड जोन के अंदर, बाड़मेर और जैसलमेर में रोहिड़ा प्रजाति के पेड़ जिनका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है, उसकी बड़ी अच्छी लकड़ी है, ऐसी लकड़ी है जिसके अंदर कोई कीड़ा लग नही सकता। वहां में दिसम्बर के महीने में कमेटी के साथ घूमने गया। मुझे बहुत दुःख हुआ कि वन विभाग वहां पेड़ तो लगा रहा है लेकिन कुदरत के नियमों के खिलाफ प्लांटेशन कर रहा है जो कभी पनपें नहीं। मैंने सवाल पूछे कि आप इस रोहिड़ा प्रजाति के पेड़ों को क्यों नहीं पनपाते ? यहां का क्लाइमेट उसके लिये सूट करता है, यहां की सोइल फारमेशन इसके माकूल है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इस इलाके में घूमने पर एक चादर–सी बिछी हुई मिली जुली फ्लोरा की, जिस जगह पर सेवन घास और घामण घास होनी चाहिये थी। उस जगह पर उस घास की प्रजाति को वन विभाग ने खतम कर दिया और जूली फ्लोरा को पैदा कर दिया जो किसी भी और चीज को पैदा होने नहीं देती और मानव जीवन के लिए एक प्राब्लम पैदा करती है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जिनके अंदर ज्यादा सैंस है। उन लोगों ने जहां भी कैनाल बनायी, माइनर बनायी, डिस्ट्रीब्यूटरी बनायी, वहां शीशम के पेड़ लगाये जो आज राजस्थान प्रदेश की अरबों रुपयों की सम्पति हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि वन विभाग राजस्थान की सम्पत्ति के दोहन में मदद नहीं करता। वह चोरी कर रहा है। सैकड़ों

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

ऐसे मुकदमे दर्ज हुए। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, इस विभाग के अधिकारियों को +++ कि राजस्थान प्रदेश की जनता के खून–पसीने की कमाई से आप लोगों की सुविधा के लिये जो हमने आवास बनाये, सूरतगढ़ के अंदर फारेस्ट अफसर के रिहायशी मकान से उस विभाग का कर्मचारी किवाड़ चोरी करके ले गया। (व्यवधान) वह शेम आपके जमाने की है, आपके जमाने की है। (व्यवधान) आप मेरी अर्ज सुन लीजिये, सुन लीजिये। आप तलखी मत खाइये।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पता लगा, मैंने प्राथमिकी दर्ज करायी और वह कर्मचारी बीच बाजार में किवाड़ छोड़कर भाग गया। हमें जद्दोजहद करनी पड़ी, पांच साल पहले, आपके विभाग के अधिकारियों ने तब जाकर कबूल किया कि किवाड़ हमारे हैं। कर्मचारी का नाम महावीर था। उपाध्यक्ष महोदय, जांच हुई और मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, अधिकारी कबूल करते हैं कि आपकी बात तो जायज थी लेकिन क्या करें, हमें तो लीपा–पोती करनी पड़ती है। वन मंत्री महोदय, आप मेहरबानी करके ऐसी लीपा–पोती करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करें। हम किसान परिवार से आये हैं, हमारा जीवन वनस्पति के बिना नहीं। हम हमारी पुरखा अमृता देवी को नहीं भूल सकते जिसने पेड़ों की कटाई के खिलाफ अपना जीवन बलिदान कर दिया। खेजड़ली में आज उनके नाम पर मेले लगते हैं, हम वे लोग हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रकृति ने सूझ दी है और जीव भी इस बात को समझते हैं। मैं जिस इलाके से आया हूं वहां विश्नोई समाज के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं, यहां बात हो रही थी चिड़ियाघर बनाने की अभ्यारण्य बनाने की, उसमें खर्चा करते हैं लेकिन अगर आपको कुदरत के दर्शन करने हैं तो आप मेरे साथ चलिये। हजारों की तादाद में उन विश्नोइयों के गांवों के पास मृग विचरण करते हैं, रहते हैं। मजे से रहते हैं। उनको पता है कि हमारा जीवन यहां सुरक्षित है, वे बहुत ज्यादा सूझ रखते हैं। लेकिन अधिकारियों के घरों में मृग कैद होंगे, खरगोश पाले जाएंगे। यह वन विभाग के करते हैं। उनमें आप भी शायद शामिल हो सकते हैं, आपके घर पला हुआ होगा, मुझे मालूम नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि वन विभाग के अधिकारियों में सूझ होनी चाहिये। बजट प्रस्तावों में एक ऐम हो, मैंने आंकड़े देखे हैं, सिंचित क्षेत्र में मैंने अभी कैलकुलेशन करके निकाला है, एक पेड़ के ऊपर 197 रुपये खर्चा है। वह पेड़ बचा या नहीं बचा ? हमने सदन में सरकार से जब सवाल पूछे तो सरवाइवल रेट 5 परसेन्ट थी

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

जो 10 परसेन्ट से ऊपर उठा नहीं पाये। कि हम 100 पौधे लगाते हैं, पौधों का वितरण करते हैं और सरवाइवल रेट 5 से 10 परसेन्ट है और टोटल पर खर्चा यह आता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि राजस्थान जैसे मरू प्रदेश में सफेदा हमारे लिये एक नुकसान का कारण हो सकता है। सफेदा सबसे ज्यादा पानी कंजूम करता है। आप वाटर टेबल राइज करने की बात करते है तो मेरा दावा है कि इर्रिगेटेड जोन के अंदर ये सिवाय सफेदे के दूसरा कोई पेड़ बता नहीं सकते। दूसरा बताएंगे तो जूली फलोरा बताएंगे। मूंडा फोरेस्ट, हनुमानगढ़ का बार–बार मैं जिक्र करता हूं। करोड़ों रुपये उसके मेनटिनेन्स पर लगा दिये राजस्थान की जनता के खून–पसीने के कमाई के लेकिन अगर वहां आप पेड़ नाम की कोई चीज ढूंढना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से मिलेगा नहीं हां, वहां एक चीज जरूर है। हमारे यहां कैर होते थे, जैसे–जैसे कृषि का विकास हुआ, वह प्रजाति वहां से खत्म हो गयी। वहां कैरों के भरमार है, वे इन्होंने सुरक्षित रखें हैं। अपने आप पले हैं, इनका कोई योगदान नहीं है। इन्होंने सुरक्षित रखें है। इन्होंने अपने बच्चे जरूर पाले हैं। वे करोड़ों रुपये इन्हीं के घरों में गये हैं। यह सफेदा उस जगह लगाना चाहिये जहां दलदल हो, लेकिन इनको एक तरीका मिल गया। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अचम्भा हुआ, जिसका हवाला माननीय कल्लाजी दे रहे थे, उस इलाके में जहां पानी की इतनी किल्लत है वहां हमको चाय पिलाई गयी और खुश किया गया क्वेश्चन एण्ड रैकरेंस कमेटी गयी थी। और पेड़ दिखाये गये तो पेड़ सफेदे के थे। उस जोन के अंदर सफेदा पलेगा ? आप वाटर टेबल मेनटेन करने की बात करते हो। मेहरबानी करके अगर आपको वन लगाने हैं तो आप पहले भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान करिये। कुदरत की आवाज सुनिए, कुदरत क्या कहती है, वहां कैसे पेड़ लगाना जरूरी है बजट बना लिया, प्रस्ताव बना लिया और बता दिया। इन्होंने जो प्रस्ताव बनाए, इर्रिगेटेड जोन के अंदर घास रक्षण के लिए वन विभाग ने अपने बहुत बड़े भू–भाग पर तार लगा दिये और अंदर घास नाम की कोई चीज नहीं हुई, कहीं कोई उपयोगी चीज या कोई घांस हुई उसको खा–पी गए। प्राकृतिक आपदाओं के तहत यहां रोजाना अकाल पड़ते हैं, तो पशु पालकों को घास मिले, यह व्यवस्था कर नहीं पाए। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ी प्रोब्लम पैदा कर दी इर्रिगेटेड जोन के अंदर एयर कण्डीशन्ड ऑफिसों में बैठकर इन्होंने यह फैसला कर लिया कि मैन कैनाल के 150 फीट के अंदर दोनों तरफ प्लांटेशन करने की छूट होगी। लेकिन मैं यह बात पूछना चाहता हूं इन्होंने कभी अक्ल का इस्तेमाल नहीं किया कि 150 फीट की बैल्ट के अंदर किसी किसान का

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

खातेदारी खेत आ गया तो उसमें आप कैसे प्लांटेशन कर देंगे ? उपाध्यक्ष महोदय, प्लांटेशन हुआ, बिना एक्वीजीशन के हुआ, और जब काश्ताकार उन पेड़ों को काटने गया तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। सूरतगढ़ ब्रांच की लाइनिंग हुई थी... (व्यवधान) यह इन्हीं के टाइम की बातें हैं, यह शेम इन्हीं की है।

बिना एक्वीजीशन के डाइवर्जन कैनाल बनाकर उसकी लाइनिंग की गई। जब सिंचाई विभाग मैन कैनाल की तरफ गया तो जो जगह पड़ी थी पांच–पांच, चार–चार बीघा, उसके अंदर इन्होंने प्लांटेशन करवा दिया। आज इससे प्राब्लम पैदा हो रही है क्योंकि वह काश्तकारों की खातेदारी की ज़मीन है। इसी तरीके से सिवाय प्राब्लम के वन विभाग के अधिकारियों ने कुछ नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पर्यावरण का सवाल है, कृषि जगत के अंदर जब हमने विकास की बात की तो सिंथेटिक स्प्रेज की बहुत ज्यादा इस्तेमान किया गया। इस कारण हमारे जो मित्र जीव थे, उनकी हमने हत्या कर दी और इससे इस पृथ्वी का इकोलोजिकल बैलेंस बिगड़ गया। यही कारण है कि आज इर्रिगेटेड जोन के अंदर कॉटन क्रॉप्स में अमेरिकन सूण्डी की जहां बात आती है, उसका कोई इलाज नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, किसान की मौत है यह अमेरिकन सूण्डी। उसका बचाव मैंने काश्तकारों को बुला कर बताया कि भाई, इस पर स्प्रे मत कीजिए, बाजरे के दाने छिड़किए। चिड़ियांए आएंगी और दाने चुगने के बहाने उस जीव को खा जाएंगी। उन लोगों ने ऐसा किया और उनको इस बात का लाभ भी मिला। इसलिए इकोलोजिकल बैलेंस को मेनटेन करने के लिए वन विभाग को उन पक्षियों के जो हमारे मित्र जीव हैं, रक्षण की भी व्यवस्था करनी चाहिए। कृषि में वैज्ञानिक एडवाइस पर लोग स्प्रे करते हैं, उन लोगों को भी समझाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, वन मंत्रीजी बागी जरूर है, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे वह बात चाहे चालाकी से कह रहे थे लेकिन बात हकीकत कह रहे थे। माननीय मंत्री महोदय, ये फोरेस्ट के अधिकारी बहुत अधिक तरीके से, विभाग के साथ, आपके साथ सलूक कर रहे है।

इर्रिगेटेड जोन के अंदर जो वनों की कटाई हो रही है। वनों का दोहन हो रहा है, इसमें वन विभाग के अधिकारयों का इतना बड़ा सहयोग है कि करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति उजड़ रही है। कुछ दिनों पहले भी मैंने निवेदन किया था, हरियाणा और पंजाब के लोग ट्रैक्टरों पर आरा मशीन ले लेकर आते हैं और कटाई करके ले जाते हैं। इन लोगों का सहयोग है बहुत–से वन विभाग के अधिकारियों पर छापे पड़े हैं, उनके घर से अकूत सम्पत्ति का मिलना प्रमाणित करता कि कहीं न कहीं दाल में काला जरूर है। आप आज नहरों के ऊपर

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

पधारेंगे तो मुझे रोना आता है, हजारों की तादाद में बड़े–बड़े पेड़ इनके सहयोग से कटे हुए हैं। इर्रिगेशन डिपार्टमैंट के अधिकारियों को ये लोग नजदीक नहीं जाने देते कि हम इनका विदोहन कर रहे हैं। मैंने उस वक्त भी इन पेड़ों के विदोहन के लिए निवेदन किया था कि इन खड़े पेड़ों को लोट में बेचा जाए ताकि हम इनके भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएं और राजस्थान सरकार का एक्सचेकर लबालब भर जाए, जिसकी सम्पत्ति है उसके पास चली जाए। लेकिन उसकी इस तरीके से छीजत होना, चोरी होना सरकार के लिए शर्म की बात है और राजस्थान प्रदेश की जनता के साथ मैं कहता हूं कि एक विश्वासघात है, इसको आप मेहरबानी करके रोकिए। जहां तक पर्यावरण की बात है, शहरों में कारखानों के साथ तो हो ही रहा है लेकिन लोग शहरों में मिठाई के कारखाने भी रखते हैं। मिठाई की खाण्ड गलाने के लिए जो चीजें आती हैं, अभी ये गायों के भक्त बन रहे हैं, करीब–करीब इन्हीं लोगों का धंधा है। गाएं ये गंदा मैटीरियल खा–खा कर हर कस्बे के अंदर बड़ी तादाद में मर रही हैं, इसको भी रोकने का आप प्रयास कीजिए। (व्यवधान) वह आपका ही है, क्योंकि कस्बे में है, कस्बे के आदमी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। (व्यवधान) अच्छा बोल रहे हैं तो बोलने ही देंगे क्या ? और दूसरे खराब बोलेंगे ?

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : और इन्हीं लोगों ने यह प्लास्टिक का बिजनस भी फैला रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, जो भी चीज लेने जाते हैं उसे प्लास्टिक के थैले में डालेंगे। हर जगह का सीवरेज सिस्टम इन्हीं थैलियों के कारण बिगड़ा हुआ है। कस्बों और छोटे–छोटे गांवों में जो नालियां हैं वे इन्हीं प्लास्टिक थैलियों के कारण अवरूद्ध हो रही है। इनकी सफाई की व्यवस्था हो नही पाती, इनसे वातावरण बहुत बिगड़ रहा है। आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका बहुत–बहुत शुक्रगुजार हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्षजी, दोनों ही मांगें ऐसे विभागों की हैं जिन पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं छोटे–छोटे बिन्दुओं के माध्यम से दोनों मंत्री महोदय, की जानकारी में कुछ बातें लाना चाहता हूं।

उपाध्यक्षजी, खनिज विभाग की मांग पर यहां भिन्न–भिन्न प्रकार की पीड़ाएं व्यक्त की गई। किन्हीं को इस बात की पीड़ा थी की आंधी क्षेत्र में खान बंद क्यों कर दी गई, खोली जाए। किन्हीं को इस बात की पीड़ा थी कि अमुक क्षेत्र में जहां खान हो सकती है, खनन कार्य हो सकता हैं, उसे फोरेस्ट

(श्री शिवनाथ सिंह)

से निकाल कर खनन कार्य करवाया जाए। उपाध्यक्षजी, मैं कन्जूमर की पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। खनिज विभाग ठेके देता है रॉयल्टी के और लीज देता है लीज होल्डर्स को। रॉयल्टी वसूल करने की इस प्रक्रिया में जो कन्जूमर है वह पीड़ित है एक दर से रॉयल्टी वसूल करने का ठेका देता है तो ठेकेदार सशक्त है, अपनी खुद की पुलिस और आर्मी रखता है और जो लोग यह धंधा करते हैं, बजरी ले जाने का पत्थर ले जाने का, उन पर ये अत्याचार करते हैं। रेट के बराबर कहीं भी वसूली नहीं हो रही है रायल्टी की। कहीं एक्सेस रायल्टी हुई, कहीं बाड़ा की दर हो गई। यह सब प्रक्रिया इस प्रकार की है जिससे उपभोक्ता परेशान है। इससे बजरी निकालने में, पत्थर का काम है इसमें बाधा आती है, संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपनी पॉलिसी तय कर दें कि रायल्टी किस–किस स्थान पर होगी। एक पट्ट लगा दें और उस पट्ट पर ठेकेदार कौन है, वसूली की दर क्या है, इतना–सा आप लिख देंगे तो मेरे खयाल से बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। जिला लेवल पर कमेटियां होती हैं उनकी बैठकों में हमेशा चर्चा होती है, यहां भी बहुत दफे चर्चा हुई है, लेकिन इसकी पालना नहीं होती है। पालना होने से कुछ समझदार लोग इस पीड़ा से वंचित रह सकते हैं। सरकार ने नियम कर रखा है कि ट्रक में लोड 9 टन का होगा और आप जिनको ठेका देते हैं वह 9 टन का मानकर ही देते हैं, लेकिन वे लोग 20 टन पर 15 टन पर इस प्रकार की रायल्टी वसूल करते हैं। इसलिए, माननीय खनिज मंत्री महोदय, इस और आप ध्यान दें, रायल्टी वसूल करने में सावधानी बरतें और अच्छे प्रावधान करने की चेष्टा करें।

कुछ रोज पहले प्रश्न आया था कि बिना लीज के, बिना परमिट के ठेकेदार खनिज काम करवा रहे हैं। आपने कहा था कि उन अधिकारियों की जानकारी करूंगा कि किनकी मिलीभगत से 8–8 साल तक लीज–होल्डर्स से खनिज काम कराया और सरकार में पैसा जमा नहीं कराया। 5–7 रोज हो गये होंगे। माननीय मंत्री महोदय, खास तौर से सीकर के जो ऑफिसर्स हैं उनसे संबंधित था, इसलिए आप जवाब दे तो बताएं कि आपने उनका मामला देख लिया क्या ? देख लिया तो उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है ? मुझे एक डर लग रहा है, इस प्रश्न के माध्यम से आज मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने चोरी की है और आठ साल तक खजिन कार्य करवाया है उनके पट्टे आप बनाओगे तो मेरा स्पष्ट निवेदन है कि जिन लोगों की लीज खतम हो गयी और लीज के बाद भी खनिज काम कराया उन लोगों को पट्टे नहीं मिलने चाहिए। उत्तर के वक्त आप बताएंगे कि किन–किन अधिकारियों की मिलीभगत से

(श्री शिवनाथ सिंह)

यह काम हुआ था जिनको आपने दण्डित किया है। खनिज विभाग के संबंध में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय वन मंत्रीजी मौजूद हैं, पर्यावरण के संबंध में एक–दो बात कहना चाहूंगा। शहरों में पर्यावरण को प्रदूषित किया जाता है, वाहनों से प्रदूषण बढ़ रहा है। मेरे जिले की एक सबसे बड़ी पीड़ा है खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लैक्स जो बहुत बड़ा संयंत्र है, पहले कभी एशिया का सबसे बड़ा था, आज भी एक महत्वपूर्ण कारखाना है, उसने हमारे वहां आसपास की जमीन के वातावरण को भयंकर रूप से प्रभावित किया हुआ है। वहां से जो पानी निकलता है उसने खेतों की जमीन को बरबाद कर दिया, आस–पास 15–20 किलोमीटर के क्षेत्र में सब कुओं का पानी खराब हो गया, पीने लायक नहीं रहा। 3–4 साल पहले मीटिंग हुई थी और उन लोगों को पाबंद किया गया था कि आप इस प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय करें। जहां अरबों का सवाल है वहां कुछ करोड़ रुपये में कंट्रोल किया जा सकता है। वह सब करने की चेष्टा हुई, लेकिन आज तक उन्होंने किया नहीं है, इससे हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है। उसके 4–5 किलोमीटर के एरिया में रात को जो व्यक्ति सोएगा, सुबह उसके काले धुएं के निशान ही निशान मिलेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, पर्यावरण मंत्रीजी, आपके बस में हो, आपके अधिकार–क्षेत्र में आता हो, क्योंकि इसमें कई एजेंसियां इन्वाल्व हैं, तो यह करने की चेष्टा कीजिए।

माननीय वन मंत्रीजी, यहां जितने भी कटौती प्रस्ताव पेश हुए हैं उनमें अरावली परियोजना के संबंध में सबने पीड़ा व्यक्त की है। जिन माननीय सदस्यों को मौका मिलता बोलने का उन्होंने भी और जिनको मौका नहीं मिला उन्होंने भी कम से कम 50 ऐसे कटौती प्रस्ताव आपके सामने आये हैं जिनमें अरावली परियोजना में भ्रष्टाचार, अनयमितताएं और धन का अपव्यय वहां हुआ यह उल्लेखित है। मुझे आज ही एक प्रश्न का उत्तर मिला है, माननीय उपाध्यजी, बहुत ही संक्षेप में निवेदन करूंगा। मैंने जानना चाहा था कि उदयपुरवाटी पंचायत समिति क्षेत्र में अरावली परियोजना में क्या–क्या काम हुए है।, कितना खर्च हुआ है, कितने पौधे लगाये गये, कितना पानी देने पर खर्च हुआ और वहां जो कार्यरत अधिकारी है, चाहे किसी भी रैंक का है उससे ऊपर के अधिकारी ने क्या कभी भी इन दो साल में इस परियोजना का निरीक्षण किया है ? माननीय उपाध्यक्षजी, जवाब दिया गया कि ए.जी. ने ऑडिट कर ली है। ए.जी. की ऑडिट से मेरा कोई संबंध नहीं है। ए.जी. की ऑडिट किस प्रकार से होती है, सलैक्टेड आइटम्स की होती है। मेरा तो सीधा–सा पूछना यह है, कि जिन लोगों

(श्री शिवनाथ सिंह)

ने वहां वृक्षारोपण किया उसके ऊपर के अधिकारी ने, वह आपका डी.एफ.ओ. हो सकता है, उसके ऊपर का अधिकारी हो सकता है, दो साल में किसी ने भी उस परियोजना में किये गये कार्य का निरीक्षण किया ? मैं आपसे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि किसी भी अधिकारी ने निरीक्षण नहीं किया। क्योंकि नीचे से जो मामला चलता था वो ऊपर तक जाता था, इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है वहां आपने उत्तर में दिया है कि पौधे लगा दिये हैं 4,24,6109 उपाध्यक्षजी, उनको पानी पिलाने में खर्च हुआ है 10,29,903/– रुपये। एक पौधे पर इतना खर्च आया है पानी पिलाने के लिए। पानी पिलाने के 10 लाख। चार लाख पौधे और 10 लाख पानी पिलाने का खर्चा। इसी तरह से पौधे पैदा करने में क्या खर्चा आया है ? यह तो बहुत अलार्मिंग है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय, यह जो प्रश्न आया है क्या इसी के संदर्भ में आप जांच कराने को तैयार हैं ? मैंने पर्टीकुलर एरिया दिया है, पर्टीकुलर काम दिये हैं, उनकी आप जांच करा ले तो मेरे खयाल से बहुत से लोग–बाग आपसे पिंड छुड़ा जाएंगे। इनके ऊपर कार्यवाही आप कराएंगे तो अपने आप चलाएंगे। 21 लाख का खर्चा एक साल में और किन कामों पर ? खड्ढे खोद दिये, पेड़ लगा दिये, पानी पिला दिया। उनमें से कितने पौधे हैं ? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, 10 परसेंट से अधिक सरवाइवल है नहीं। एक पुख्ता काम होता है बाड़ाबंदी का इसमें पत्थर की कच्ची दीवार बनायी जाती है। एक भी दीवार आज वहां बनी हुई नहीं मिलेगी। और पारा लगाने पर 3,30,407/– रुपये खर्च हुआ है। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं अधिकतर गांवों में रहता हूं, मेरी निगाह में मैंने कहीं भी कोई इस प्रकार का पारा लगा हुआ देखा नहीं है। इस संबंध में इतना–सा निवेदन करना चाहता हूं कि आज ही इस परियोजना का जिसका मैंने जिक्र किया है, आपके सामने आंकड़े पेश किये हैं, इसकी आप जांच करा लीजिए और जांच के बाद में जो तथ्य आएं उसके हिसाब से आप उसमें कार्यवाही करने की चेष्टा कीजिए।

माननीय उपाध्यक्षजी, वन क्षेत्र हमारा बढ़ना चाहिए और अभी हमें जो पुस्तिका दी गयी उसमें क्षेत्र बढ़ा है, थोड़ा–बहुत बढ़ा है, बढ़ने की तरफ है। लेकिन आज जहां वन विभाग पेड़–पौधे लगाता है वह क्षेत्र उससे नहीं बढ़ा है। आज गांवों में, बच्चों में, स्कूलों में इस प्रकार की एक प्रतियोगिता हो गई कि हर बच्चा जब बरसात होगी उसके बाद में अपने घर पर, खेत पर, खलिहान पर और सड़कों पर पौधे लगाएंगा। उनकी संख्या ज्यादा हुई है जो वन विभाग का काम है उसमें तो घटौती ही घटौती है, कहीं चूहे खा जाते हैं, कहीं खरगोश खा

(श्री शिवनाथ सिंह)

जाते हैं कहीं और कुछ खा जाता है। इन पिछले दिनों में ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट देखने का मौका मिला। वहां इतनी अलार्मिंग स्थिति सामने आयी है, कह दिया गया कि पौधों को तो चूहे खा गये, पौधों का तो खरगोश खा गये। इस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं इसलिए, माननीय उपाध्यक्षजी, पीड़ा होती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इन बातों की जांच कराएं। आप यह कहोगे हम इसमें निगाह करेंगे, वह नहीं, आप तो स्पेसिफिक मैंने आइटम्स दिये हैं, स्पेसिफिक एरिया दिया है उनकी जांच करा लीजिए।

माननीय उपाध्यक्षजी, सड़कों के किनारे पेड़ लगाये गये, बहुत अच्छा काम था। लेकिन आज उनकी अंधान्धुध कटाई हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है। उसमें जितने भी पेड़ लगे थे, उस वक्त अच्छा काम हुआ था, आज वे सब पेड़ कट चुके हैं कहीं भी पेड़ देखने को नहीं मिलता है। इस ओर भी आप ध्यान दीजिये, बहुत रुपया लगा था। आज काश्तकार के सामने समस्या है कि वह अपना रोज मर्रा की चीज के लिए अपने खेत में से कोई पेड़ काटकर ले जाता है बाजार में बेचने के लिए तो उसको वहीं जब्त कर लिया जाता है। सज़ा होती है और उसका ऊंट और गाड़ा जब्त होता है। लेकिन वन विभाग के अधिकारी मिली–भगत से वन क्षेत्र में से अपार लकड़ियां कटा रहे हैं और कोई देखने वाला, सुनने वाला नहीं है। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय के अधिकार क्षेत्र में हो तो लोकल कमेटियां बनाइये...(व्यवधान) शिवनाथ सिंह भी उसमें होना चाहिए, सुमित्राजी भी उसमें होनी चाहिए। जिला लेवल पर ऐसी एक कमेटी सब विभागों की बनी हुई है, वन विभाग की भी आप एक कमेटी बनाइये। (व्यवधान) नहीं, जो मौजूद होंगे वे रहेंगे। माननीय उपाध्यक्षजी, जिला लेवल पर इस प्रकार की कमेटियां बनें जिसमें जन प्रतिनिधि हों, आपके अधिकारी भी हों। जहां–जहां पर इस प्रकार की शंकाएं हैं, जहां इस प्रकार से कार्य हो रहे हैं उनका वे निरीक्षण करें। निरीक्षण करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, आपको फायदा होगा और आपके विभाग में सुधार आएगा।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपकी नजर को पहचानते हुए अधिक समय नहीं लूंगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो दोनों माननीय मंत्री महोदय को मैंने पाइंट्स दिये है, स्पेसिफिक पाइंट्स दिये हैं उनकी आप जांच करवाएं जांच करवाकर सदन को सूचित करके चाहे मुझे भी सूचित कर देना, मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : डा. करण सिंह।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय एक घंटा और बढ़ाने की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या-9 एवं 43 पर विचार

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या–9 वन और पर्यावरण विभाग की मांगों पर पर्यावरण संबंधी कुछ बातचीत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यद्यपि पर्यावरण विभाग का कोई ताजा प्रतिवेदन तो नहीं उपलब्ध हुआ लेकिन पुराने प्रतिवेदन को जब पढ़ता हूं तो बहुत अच्छा लगता है इस विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही को देखकर कि किस तरह से प्राकृतिक संरक्षण कार्य के प्रति हमारा पर्यावरण विभाग चिन्तित है, किस प्रकार से जिला पर्यावरण समितियों का पुनर्गठन करके जिलों के पर्यावरण को बचाने के लिए हम कार्यरत हैं। पर्यावरण चेतना, जागरण और शिक्षा पर हम प्रति वर्ष लाखों रुपये खर्च करते हैं, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के युवक–युवतियों के शिविर लगाकर पर्यावरण चेतना देने की बात करते हैं, बाल चित्रकला प्रतियोगिता, पर्यावरण कैसे बचाए प्रतियोगिता वाद–विवाद प्रतियोगिता, मौके–मौके पर अच्छे पोस्टर, क्विज स्टीकर बनाकर पर्यावरण को बचाने के लिए कोशिश करते हैं, निबंध लेखन प्रतियोगिता करते हैं, अखिल भारतीय पर्यावरण विषयक प्रतियोगिताएं करते हैं मुझे इस पत्र को पढ़ने से लगता है कि हमारा विभाग इस मामले में बहुत तत्परता से काम कर रहा है। लेकिन इन कागजी कार्यवाहियों के अलावा जब हम धरातल पर आकर देखते हैं तो हम किसी भी प्रकार के प्रदूषण के नियंत्रण में बिलकुल नाकामयाब रहे हैं। पिछले सालों में चाहे शहर में मोटरयानों से होने वाला प्रदूषण हो, चाहे शहर के अस्पतालों के पास में कूड़ा–करकट पड़ा हो या संक्रमित मलबा पड़ा हो जिससे इंफेक्शन होने वाला हों या जहां फैक्ट्रीज लगी हुई हैं वहां के आसपास के लोगों का प्रदूषण में जो रहन सहन हो रहा है वह हो, उसके बारे में हम सदैव असफल रहे हैं।

अपना चुनाव जीतने के बाद मैंने सदन में इस मामले को उठाया था। उसी को एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि पर्यावरण विभाग से जुड़ा हुआ महकमा प्रदूषण नियंत्रण मण्डल कितना सजग, कितना सक्रिय, कितना शक्तिशाली और कितना ताकतवर है और क्या नतीजे दे सकता है, यह सोच का विषय है। मैं अपना कटौती प्रस्ताव तो वापस ले लूंगा लेकिन प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के नाम पर जो कुछ पैसा

(डा. करण सिंह यादव)

हम खर्च कर रहे हैं, मेरी विनम्र राय में सम्भतः वह पैसे का टोटल वेस्टेज है। एक छोटे–सी कहानी आपके सामने चालू करता हूं। बहरोड तहसील के एक गांव शिमला श्यामपुरा के अन्दर एक बियर माल्ट की फैक्ट्ररी है, शीरा और बाजरे के दाने से स्पिरिट बनाती है। शिमला श्यामपुर गांव है, आप अगर बहरोड जाते हैं तो बहरोड से कोई दो–तीन किलोमीटर पहले अगर आपको बहुत जबरदस्त सड़ाघ्र महसूस हो, कोई मरा हुआ पशु तो पास में नहीं है, ऐसी फीलिंग अगर आपको हो तो आप समझ लीजिये कि वह शिमला श्यामपुर की फैक्ट्री है। चुनाव जीतने के बाद में उस गावं के कुछ लोग मेरे पास आये। मैं भी जाता था तो मुझे सदा उत्सुकता होती थी कि इस जगह पर ऐसी बदबू क्यों आ रही है। चुनाव के बाद में उस क्षेत्र के कुछ लोग आये, उन्होंने आकर बताया कि साहब, जब से यह फैक्ट्री बनी है हमारा जीना तो मुश्किल है, हम यहां चैन की सांस नहीं ले सकते। आप तो दो मिनट, एक मिनट के झटके में निकल जाते हो, वहां चलकर उस गांव के हालत देख लो। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वहां जाकर आदमी खड़ा होकर सांस नहीं ले सकता। ऐसी नारकी स्थिति में शिमला श्यामपुर और आस–पास के गांवों के लोग जी रहे हैं। यह एक ही कारण बहुत हैं उस फैक्ट्री के अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए। गांव में जाकर मैंने देखा, वहां गलियों में मक्खियां भिनभिना रही है। और तो और रोटियों पर मक्खियां इस तरह से जम जाती हैं कि मक्खियों को झिड़क कर बैठकर खाना पड़ता है। इस तरह के वातावरण में वहां के लोग जी रहे हैं। गांव का साधारण आदमी एस.डी.एम. से कलेक्टर से जाकर जो कुछ कह सकता है, कहने की कोशिश करता है। उसकी बात पर तो कौन ध्यान देगा जब वहां के जन प्रतिनिधि पिछले कई सालों से लगातार इस बात को उठाते रहे है ? मैंने 295 के माध्यम से सदन में इस मामले को उठाया, माननीय मंत्री महोदय, के पास में भी इस मामले को लेकर गया, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के जो सक्सेसिव अध्यक्ष रहे हैं मीणा साहब रहे, आर्य साहब रहे, श्रीमती आशा सिंह रहीं, उन लोगों को मैंने बार–बार जाकर बात कही, विभाग में थोड़ी–सी चेतना जाग्रत हुई लेकिन यहां से कोई आदमी जाए, उस फैक्ट्री का मुआयना करें और वहां से रिपोर्ट आ जाए कि कोई प्रदूषण नहीं। बहुत थेरने, घोटने के बाद में प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में कुछ काम होना चालू हुआ। मक्खियों की भिनभिनाहट और बदबू तो वहां का एक कारण था लेकिन वहां पर जिस तरह से बीमारियां फैल रही हैं, जिस तरह पानी के अन्दर इंफ्लुएंट आता है, डिस्चार्ज आता है उससे जो पीने के पानी की क्वालिटी खराब हुई है उसका एक सामाजिक प्रभाव यह पड़ रहा है कि उस गांव के लोगों से लोगों ने

(डा. करण सिंह यादव)

अपनी बेटियों के रिश्ते करना बन्द कर दिये। जब यहां से टीम जाती है, इन बातों को कोई नहीं मानता कि बदबू हो रही है और मक्खियां हो रही हैं। विभाग जाकर जब उसकी जांच करता है तो उसकी रिपोर्ट के अन्दर ये तथ्य सामने आते हैं कि वहां इंफ्लूएंट डिस्चार्ज किया जा रहा है। साइंटिफिक स्टडी कराने से पता लगता है कि टोटल सस्पैंडेड पार्टिकल्स जो हैं उनकी नार्मली अधिकतम सीमा सौ मिलीग्राम पर मिलीलीटर होनी चाहिए, जो लगभग 200 के आसपास में है, दुगनी। बाइलोजीकल आक्सीजन डिमाण्ड 30 मिलीग्राम पर मिलीलीटर उसमें होनी चाहिए जिनकी मात्रा उसमें है 203, लगभग 10 गुना ज्यादा। सी.ओ.डी. जिससे कहते हैं केमिकल आक्सीजन डिमाण्ड, होनी चाहिए 250 पर मिलीलीटर 618 के आसपास में है। सब इस सब का क्या मतलब है, यह तो आप भी नहीं समझ सकते, मैं भी नहीं समझ सकता लेकिन ये पैरामीटर्स उस पोल्यूशन के है जो विभाग फैक्ट्री वालें को लिखकर देता है कि आपकी फैक्ट्री को 7.5.99 को एक्जामिन किया। "No. arrangements have been provided by the industry to utilize the waste water for irrigation purposes;"

फैक्ट्री वाले कहते हैं कि हम तो इर्रिगेशन में काम में ले रहे हैं। फर्टि–इर्रिगेशन एक शब्द है जो आम तौर पर फैक्ट्री वाले कहते हैं कि जो इंफल्यूएंट डिस्चार्ज हो रहा है उसको हम फर्टि–इर्रिगेशन के नाम से यूज कर रहे है। "that waste water is discharged to unlined lagoons where it percolates into the grounds." फैक्ट्री वालों के लिए मेन्डेटरी है कि वहां पर वे सोक–पिट बनावें जिनमें वह जाए। लेकिन इन्होंने अपनी जमीन पर जो पानी उनका बिखर रहा है सो बिखर रहा है, बल्कि सरकार की जो सिवाय–चक जमीन पड़ी हुई है मीलों तक वह जमीन काली होकर पड़ी हुई जिनको फैक्ट्री वाले कहते हैं कि हम फर्टि–इर्रिगेशन कर रहे हैं।

"that soil condition, as observed, also confirms that unit is disposing off waste water of high BOD thereby polluting the nearby land;

that effluent treatment plant was non-operational;

that effluent treatment plant was not being properly operated and maintained;

that dried sludge was spread on the ground here and there and is not being environmentally disposedoff;"

इस तरह के 10 आब्जर्वेशंस डिपार्टमेंट के लोग लिखकर देते हैं और फैक्ट्री को नोटिस देते हैं कि इस फैक्ट्री को बन्द क्यों नहीं कर दिया जाए। एक दिन विभाग में चेतना आती हैं, हम लोग उसको परस्यू करते हैं

(डा. करण सिंह यादव)

और फैक्ट्री को इस तरह का नोटिस दे दिया जाता है कि आप अपनी फैक्ट्री को बन्द कर दें। अखबार में एक खबर छपती है तो बानसूर से आने वाले मेरे साथी विधायक दायमा साहब आकर मुझे बधाई देते हैं कि, डाक्टर साहब, आपने इस इलाके की बहुत बड़ी समस्या का समाधान करा दिया, फैक्ट्री बन्द हो गयी, लोग चैन से सांस लेने लग गये। चार दिन बाद में वे लोग आकर कहते हैं कि साहब, उसने तो अपनी फैक्ट्री रात के अंदर अपना खुद का मोटर सैट, डीजल सैट लाकर चालू कर ली। इस बात को लेकर मैं यहां मंत्री महोदय के पास आता हूं। उसको भी सीज कर दिया जाता है। तीन दिन के बाद वह फैक्ट्री ओनर कोर्ट के अन्दर अपना एक एक्स–पार्टी स्टे लेकर चला जाता है। मेरा आरोप प्रदूषण मण्डल और इस विभाग पर यह है कि जब आप जानते हैं कि फैक्ट्री के मालिक सक्षम हैं, दो साल की कार्यवाही के बाद भी आपको कोई कार्यवाही नहीं करने दे रहे हैं तो क्यों नहीं हमने कोर्ट में पहले केविएंट दायर किया जिससे कि उसको यह फायदा नहीं मिल सके। कोर्ट से उस स्टे को हुए आज पूरा दो साल हो गये, साल भर से तारीखें पड़ती जा रही हैं। मेरा आरोप है कि उसमें पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमैंट के लोग उतना एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं इतना जबरदस्त पोल्यूशन होने के बाद में, इतनी बदबू, इतनी गन्दगी, इतने ज्यादा पीड़ित लोगों के सारे डाकूमेंटेशन के बावजूद साइंटिफिक डाकूमेंटेशन है कि वहां के कुओं का पानी वैसा है, जमीन आप देखें तो मीलों में काली पड़ी हुई है, जहां खेती होना बन्द हो गयी हो, मैं नहीं समझता हूं कि कोई न्यायालय आपकी बात को नहीं सुनेगा। लेकिन हमारा प्रदूषण नियंत्रण मंण्डल, हमारा पर्यावरण विभाग सोया हुआ है। यह तो एक फैक्ट्री की कहानी है, अलवर जिले के अन्दर अनेकों ऐसी फैक्ट्रीज हैं। अभी बानसूर से आने वाले माननीय विधायक मुझे बता रहे थे कि उनके क्षेत्र के अन्दर फैक्ट्रीज हैं जिनके पास से निकलते हैं तो तकलीफ होती है। मैं समझता हूं कि फिर क्या तुक हैं इस प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का। उपाध्यक्ष महोदय, सर्टिफिकेट लेकर फैक्ट्री चालू कर लते हैं, एन.ओ.सी. ले लेते हैं। उसके बाद आप चिट्ठियां लिखते रहिये। पत्र लिखते रहिये। मेरी सूचना तो यह है कि पिछले 10 सालों में शायद एक भी फैक्ट्री ऐसी नहीं होगी जो आप बन्द करवा पाये हों। प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बन्द करवा पाया हो, ऐसी एक भी फैक्ट्री नहीं है तो फिर क्या औचित्य है इतने बड़े–बड़े आर्गेनाइजेशन को रखने का ? उसमें बड़े–बड़े आई.ए.एस., ब्यूरोक्रेट्स, साइंटिस्ट और इतने लोगों को रखने का जस्टिफिकेशन क्या है ? माननीय पर्यावरण मंत्री महोदय, मैं तो इस मामले में बहुत हतोस्ताहित हूं अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो सरकार के अन्दर जो कटौतियों

(डा. करण सिंह यादव)

का आजकल कार्यक्रम चल रहा है, इस विभाग में कटौती कीजिये, गांव के लोग तो अपनी जिंदगी जैसे जीते जा रहे हैं जीते जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण विश्नोई।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक ऐसा मामला माननीय विधायक डाक्टर करण सिंहजी ने उठाया है...

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलने का मौका देंगे, आप विराजिये प्लीज।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में इनके साथ ही अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कर लेना न आप। आपको मौका दूंगा।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट का जितना कहोगे उतनी देर ही बोल लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह मैंने पिछली बार भी विधान सभा में रखी थी। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर 50 गांवों के लोगों का जीना दूभर हो गया है। ऐसी बुरी हालत हो गयी है, जैसा माननीय करण सिंहजी बता रहे थे कि हमको मक्खियों को पकड़ करके हटाना पड़ता है। हालत यह हो गयी है कि वहां पर एक मिनट भी नहीं रहा जा सकता। हमारा जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसकी तो हम क्या कहें, क्या नहीं उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया उल्टे उन फैक्ट्री वालों ने कोर्ट में जाकर स्टे आर्डर ले लिया है। मैं इस विधान सभा के माध्यम से उन कोर्ट वालों को, जजेज को कहना चाहता हूं कि अगर जजेज एक मिनट भी वहां ठहर जाएं तो हम गांव को वहां से उठाने को तैयार हैं। एक मिनट भी व्यक्ति वहां रह नहीं सकता, हालत यह हो गयी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फैक्ट्री का मालिक कौन है ?

श्री जगत सिंह दायमा : मालिक है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के समय में मेरे विधान सभा क्षेत्र के मेरे से पहले आने वाले मेरे मित्र...

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय सदस्य श्री जगत सिंहजी बताएंगे कि भाजपा का है तो कौन उसका मालिक है, उसका नाम बताएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : भजनलालजी के दामाद की है, क्यों छिपाते हो आप ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री धर्मपाल चौधरी : हर बात में *असत्य बोलने की आपकी आदत है। (व्यवधान)

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं इसी मुद्दे पर आ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जगत सिंह दायमा : मुझे सुनने का प्रयास तो करें। थोड़ा–सा सहन करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार लक्की अनलक्की कैसे भी समझिये, मैं रह गया। मैं विधान सभा में नहीं आया, नहीं तो मैं लगने ही नहीं देता। यह हाल हो गया कि जितनी भी दारू की फैक्ट्रीज हैं इन 5–7 साल के अन्दर बी.जे.पी. की जब सरकार थी, इन्होंने सर्टिफिकेट, एन.ओ.सी. जारी की और ये यहां पर लगीं। मैं मंत्री नहीं था। मैं मंत्री था तब ये मैंने लगने नहीं दी। अब भी मैं चाहता हूं कि या तो सरकार इसको उठा लें...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है कि जब वे फैक्ट्रीज लगी तब आप भी भाजपा के कार्यकाल में मंत्री बने बैठे थे। आज +++ बने हो। पहले तो आप भी इसी में थे। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : +++ मेरे भाई, आपको तो मैं कहीं पासंग भी न पा सकूं +++ ये इसलिए बोल रहे हैं कि वह दारू की फैक्ट्री है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने दो मिनट बोलने के लिए कहा है। आप बोलना चाहते हो ? (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी : आप ऐसे कैसे बोल रहे हो ? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : उसमें क्या दिक्कत है ? ये दारू के ठेकेदार हैं और दारू वालें से मिले हुए हैं। (व्यवधान) मैं कह रहा हूं इस बात को ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहना चाहते हो या नहीं कहना चाहते हो ? (व्यवधान) आर्डर आर्डर।

श्री जगत सिंह दायमा : वहां पर लोगों का जीना दूभर हो गया है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : ...+++ राज्य सरकार अगर शराब के या अन्य के ठेके देती है उससे हमने अपनी कमायी खायी है। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी : माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया और आपने अनुमति दे दी। (व्यवधान) +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपनी बात कहिये। (व्यवधान) आर्डर आर्डर। वे बोल रहे थे तो आपने कह दिया कि फैक्ट्री का मालिक कौन है। (व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : ...उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि भाजपा वाले... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : फिर आप ऐसी कैसी बात करते हो ? (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कहने का पूरा हक है और आसन ने मुझे इसकी इजाजत दी है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मैं जो कह रहा हूं वह...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्षजी ने जो व्यवस्था दी है उस पर आप एतराज कर रहे हैं।(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी : ...इस तरह के सम्बोधन को अगर आसन छूट देगा तो यह अच्छी परम्परा नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बोल रहे थे, इन्होंने प्रोवोक किया। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी : यह आसन का दायित्व है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्यों प्रोवोक करते हो ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इन्होंने कैसे कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी का है ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने पूछा क्यों ? बोलने नहीं दे रहे हो इनको फिर जवाब सुनने को तैयार नहीं हो।

श्री जगत सिंह दायमा : बीच में क्यों डिस्टर्ब करते हो ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, अब आप समाप्त कीजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : आप बोलें जब कह देना।

एक माननीय सदस्य : जो असंसदीय शब्द हैं उनको हटाया जाए। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी कोई सीमा नहीं रहेगी। हम आसन से अपेक्षा करते हैं कि...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोलते हो तो वापस सुनने की क्षमता भी रखो। यह नहीं चल सकता कि आप क्वेश्चन करो और वे जवाब दे और आप सुनने को भी तैयार नहीं हो I will not allow. (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी : ...सदन की गरिमा खतम कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : तरीका ठीक है।

श्री देवी सिंह भाटी : फिर तो कोई आसन को भी +++ से पुकारने लग जाएगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पर बिलकुल तरीका सही है। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : आप धमकी नहीं दे सकते। आप धमकी देते हो क्या ? (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रोवोक करते हो। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : आप बीच में क्यों बोल रहे हो ? आप आसन को धमकी देते हो। (व्यवधान)

(17.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सदस्य कोई बात कहना चाहते हैं तो उनको मौका दिया जाए। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : आसन को धमकी दे रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ...भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई बात माननीय सदस्य कहना चाहते हैं तो उनको पूरा मौका दिया जाए (व्यवधान) सुनिये, आपको सुनना पड़ेगा। माननीय सदस्य बोल रहे, आप बैठिएगा। भ्रष्टाचार की बात आ रही है इसलिए आप उनको बंद करना चाहते हैं, यह गलत परम्परा अपना रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मैं कह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री देवी सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से सदन में एक माननीय सदस्य को बोला जा रहा है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या हो रहा है सदन में, क्या हुआ सदन में ? (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी : क्या ये सदन में +++ से पुकारेंगे माननीय सदस्य को ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या +++ किया, काहे का +++ ? (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी : आपके सामने एक माननीय सदस्य को इन्होंने +++ से बात की। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसको एक्सपंज करा देंगे। माननीय सदस्य, विराजिये प्लीज।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां बंद कीं उनमें ज्यादातर फैक्ट्रियों को भारतीय जनता पार्टी के राज में राजस्थान में लाया गया। मैं कहना चाहता हूं इस बात को। अगर गलत है तो माननीय भैरोंसिंहजी से इस बात का जवाब दिलाया जाए कि उन्होंने कितनी एन.ओ.सी. दीं। अब लोगों का जीवन दूभर हो गया, वहां एक मिनट रह नहीं सकते आपके +++ इस बारे में बात करते हुए। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, ये मेरे भाई ये मेरे नये भाई आए हैं मुण्डावर से, इनके गांव में भी यही प्राब्लम है परन्तु क्योंकि दारू का धंधा

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री जगत सिंह दायमा)

करते हैं इसलिए उनकी रखवाली करते हैं। आप भी सोचिये इस बात को। इस तरह से मत कीजिये। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं मैं अपने क्षेत्र मे लोगों के लिए कह रहा हूं। उनकी भी प्राब्लम है इस बात के लिए (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं...

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय, जो ये हमारे को काबू करने की बात कह रहे हैं, माननीय सदस्य जो बानसूर से आए हैं बार–बार शराब की बात कह रहे हैं। जो विधान सभा में हम चुनकर आए हैं, शराब का धंधा करने वाले भाजपा मे भी हैं और कांग्रेस में भी हैं, और और भी धंधा करने वाले लोग इसमें बैठे हैं। बार–बार +++ आप हम यहां सदन में चुनकर आए है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में बैठे है। मैं अपकी बात कह रहा हूं। आप इनको बैठाइये, तो मैं अपनी बात करूं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : ...और सदन में बार–बार यह कहें कि दारू के ठेकेदार हैं। आप दारू का ठेकेदार कह रहे हैं, यह सहन करने की बात नहीं है। इस बारे में स्पष्ट किया जाए। और इसको कार्यवाही से निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी : +++ इसलिए मैं बहिर्गमन करता हूं हाउस से और विरोध करता हूं। +++ (व्यवधान)

(श्री देवी सिंह भाटी, सदस्य का सदन से बहिर्गमन)

श्री शैलेन्द्र जोशी : नहीं, आप सुनना नहीं चाहते, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का पुलिंदा खुले। ऐसी धारणा है तो...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप जाएं, आपका स्वागत है जाने का। भाजपा के खिलाफ सुनना पड़ेगा। भ्रष्टाचार की बात की जा रही है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : जितनी भी प्रदुषण फैलाने वाली फैक्ट्रीज सुप्रीम कोर्ट ने बंद की, इस राजस्थान में कैसे आई और किसकी सलाह पर आई, इस बात के लिए सुनना नहीं चाहते हैं। लोगों का जीवन दूभर हो गया है, वहां पर एक मिनट हम नहीं रह सकते। हमारे क्षेत्र के लोग हमको जाकर लताड़ते हैं...

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को आपका प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ऐसे माननीय सदस्य को प्रोटेक्ट कीजिए। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : आप आसन से बात कीजिये। माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं आसन की परमिशन से। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप लोग बोलेंगे तो सही है और वह बोलें तो गलत है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति दी है आसन ने। माननीय सदस्य से पूछ रहे हैं कि किसकी फैक्ट्री है और बीच में इंटरवीन कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज सिट डाउन। विराजिये, विराजिये आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको क्या दिक्कत है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप बात किस तरह से कह रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : यह हाउस आपकी +++ है क्या ? (व्यवधान) जो यह बात कर रहे है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कोई तरीका है क्या इनका, उपाध्यक्ष महोदय ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। उनको बुला रहा हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने उनसे पूछा कि वह फैक्ट्री किसकी है तो उन्होंने जवाब दे दिया, वह फैक्टी जिसकी है...

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको कोई जानकारी है तो आप बता देना अपनी बात। आपका नम्बर आएगा तो आप बोल देना कि किसकी है (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : सदन की गरिमा को इस प्रकार से लिया जाऐगा तो हम भी बैठने वाले नहीं हैं। (व्यवधान) +++ उन बातों को सदन में छोड़िये। सदन के अन्दर सदन की गरिमा रखों कि सदन के अन्दर माननीय सदस्य से किस तरह से बोला जाता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगमाल सिंहजी, विराजिये आप। (व्यवधान) उनको बोलने दो।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इनको +++ है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। विराजिये प्लीज। आप बैठिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य को समाप्त करने दीजिये। आप उनको बोलने दो।

श्री जगमाल सिंह यादव : आप बहुत ज्यादा विद्वान हैं क्या ? (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि...(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगमाल सिंह जी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...यह क्या बात हुई, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगमाल सिंह जी विराजिये। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : यह क्या उनकी +++ है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय यह क्या है ? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आप इस तरह से +++ (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : कोई आसन के आदेश के खिलाफ बहिर्गमन करता है और उस पर प्रोवोक कर रहे हैं। कोई जानकारी माननीय सदस्य जो बानसूर से आने वाले हैं, उनको है तो वह सदन में दे रहे है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जो आपने कहा है...

मोहम्मद माहिर आजाद : और इससे ज्यादा और कोई जानकारी हो तो आप भी दे दें, इसमें क्या है। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जो आपने कहा है वहीं मैंने उनको कहा है। आप बैठिये ना।

श्री जगमाल सिंह यादव : +++

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपकी बात को ही कहा है ना ? (व्यवधान) जगमाल सिंहजी, प्लीज। नहीं, आप बैठिये।

श्री जगत सिंह दायमा : +++

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, आप उनको सुनिये। माननीय सदस्य, आप समाप्त कीजिये। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र के लोगों की बात कह रहा था, मैं जिले की बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं इस बात के लिए उपाध्यक्ष महोदय, कि वहां के लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगमाल सिंहजी, प्लीज। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : यह +++ नहीं हैं, यहां चुनकर आए हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : आप किस तरीके से यह बात कह रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : यह +++ तो आपने बना रखा है, +++ तो आप लोगों ने बना रखा है। हमने कोई +++ नहीं बनाया। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री जगमाल सिंह यादव : +++ इस प्रकार के कर्म करते हैं तो वह यह स्तर नहीं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आपके भी +++ (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आज तक आप लोगों ने...

श्री धर्मपाल चौधरी : +++ (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : +++ हम तीन–तीन बार यहां इस हाउस में चुनकर आए हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगमाल सिंहजी।

श्री जगमाल सिंह यादव : हमें जनता ने भेजा है, जनता का विश्वास हमारे साथ है।

श्री उपाध्यक्ष : आप रुको ना। आप नहीं रुकेंगे तो वह भी नहीं रुकेंगे।

श्री धर्मपाल चौधरी : +++ (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : +++ (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : ...गुंडागर्दी पर लगाम लगाई है, दारू बेचने पर लगाम लगाई है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप भी विराजिये प्लीज।

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है, मेरे कोई अनधिकृत दारू का ठेका नहीं है, किस पर लगाम लगाने वाले हैं ? (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : हम +++ को करते भी नहीं है।

श्री धर्मपाल चौधरी : +++ (व्यवधान) आप तो छोड़ो इन बातों को। +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये ना।

श्री जगमाल सिंह यादव : +++ हम दोनों तो कम से कम नहीं करते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये प्लीज। आप समाप्त कीजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, हम ऐसे लोग हैं जो समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। यह नहीं करते कि अपना धंधा चलाने के लिये निर्दोष लोगों को, गरीब लोगों को, असहाय लोगों को जिनका रोजी–रोटी का जुगाड़ नहीं है, कोई अगर काम करता है तो उनको पकड़ कर उनके नथुने खींच लिये जाते हैं, वह कर्म हम नहीं करते हैं। वह कर्म दारू के ठेकेदार करते हैं और वे लोग करते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। मैं आपको बुलाऊंगा तब आप अपनी बात बोल लेना।

श्री जगत सिंह दायमा : हम अच्छे कर्म करते हैं हम किसान के बेटे हैं। हम किसान की रखवाली करेंगे, गरीब की बात कहेंगे। हम पूंजीपतियों की बात नहीं करने आते हैं।(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम तो नहीं ले रहे हैं वह, आप क्यों प्रोवोक हो रहे हैं ?

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री धर्मपाल चौधरी : नहीं, क्या है इसमें ? नहीं, नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आज तक धर्मपाल के नाम पर 323 का मुकदमा दर्ज नहीं है। (व्यवधान) और माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, माननीय जगमाल सिंहजी के ऊपर बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ है और माननीय सदस्य जो बानसूर के हैं उनके लगभग 20 मुकदमे आज तक दर्ज हैं। +++

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री जगमाल सिंह यादव : सुप्रीम कोर्ट, सिंगला एस.पी. नारनौल का, माननीय सदस्य जो मुंडावर से आने वाले हैं +++ (व्यवधान) और +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय जगत सिंहजी, बैठिये।

श्री जगत सिंह दायमा : हम तो गरीब आदमियों के लिए बात कर रहे है।

श्री उपाध्यक्ष : जगत सिंहजी, बैठिये, बैठिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपके गरीबी कहां है ? +++ आपके गरीबी कहां है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये। एक मिनट, बैठिये।

श्री जगत सिंह दायमा : हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो पूंजीपतियों के, ठेकेदारों के मारे हुए लोग हैं। हम कह रहे हैं इस बात को...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट आप बैठिये...(व्यवधान) प्रोवोक मत कीजिये एक दूसरे को। आप आपनी बात कहिये। आप मेरी तरह कहिये ना। आप बैठिये प्लीज।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय महोदय, यह चालू किसने किया ?

श्री उपाध्यक्ष : जिसने किया है, उसी को कहा है ना ? आपको थोड़े ही कहा है ?

श्री जगमाल सिंह यादव : ...जो साहूकार बनते हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको थोड़े ही कहा है, इन्हीं को तो कहा है।

श्री जगमाल सिंह यादव : नारनौल का एस.पी. सिंगला जिसने आदेश दे दिया कि इनका काला मुंह करो, चौराहा बनाओ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री धर्मपाल चौधरी : +++ (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह आदेश है...(व्यवधान) काला मुंह किया, चौराहा बनाया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंहजी, समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य। आप बैठिये।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय +++ बाहर से आकर, यहां के लोगों के साथ रहकर इस समाज में प्रदूषण फैला रहे हैं, उनका प्रदूषण बंद करना होगा। चाहे कोई दारू से संबंध रखता हो। अब दारू की बात कहते ही आप ऐसे क्यों हो रहे है ? मैं दारू की फैक्ट्रीज की बात कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इधर मेरी तरफ देखिये।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बात कहना चाहता हूं, कि वहां के लोगों की यह हालत हो गई है कि वहां पर जीना दूभर हो गया है। हम बात कर रहे हैं कि इस बात पर तो ये लोग हमारी गरीबों को उठाकर मारते हैं, पीटते हैं परन्तु कई अधिकारी आपके ऐसे भी आते हैं जो इन दारू के रखवालों के सिर के ऊपर चौराहा बनाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये ना, क्यों आप जवाब दे रहे हैं हर बात का ?

श्री धर्मपाल चौधरी : नहीं, ये बोल किसलिए रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आपके लिए तो नहीं बोल रहे हैं ? (व्यवधान) आपके लिए कह रहे हैं क्या ?

श्री धर्मपाल चौधरी : और किस के लिए कह रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ? आज जो प्रदूषण में...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : वह दारू की फैक्ट्री प्रदूषण फैला रही है उसके ऊपर बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्यों बोल रहे हैं ?

मोहम्मंद माहिर आजाद : इनको यह ही पता नहीं है कि पर्यावरण में प्रदूषण भी आता है, फिर भी कैसे बोल रहे हैं। यह क्या बात हुई ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय हाजीजी, हमको क्या पता है और क्या नहीं है, आप हमको सिखाओं मत। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इनको यह बता दिया जाए कि हाउस आफ...

श्री धर्मपाल चौधरी : लेकिन आज जो यह सब इंगित मेरे...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम लिया है क्या उन्होंने ? आपके लिए कह रहे हैं क्या वह ? बात अधिकारियों की कर रहे हैं, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं ? अननेसेसरिली इसको क्यों लम्बा कर रहे हैं आप माननीय श्री जगमाल सिंहजी, प्लीज सिट डाउन। हो गया आपका, बहुत हो गया। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : लेकिन इनको यह वहम हो गया कि हाउस आफ केडियाज मैं ही हूं।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें, प्लीज, आप बैठिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय, दारू बेचने वालें को इतना दर्द आ रहा है...

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, कृपा करें। माननीय समाप्त कीजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरा बस आधे मिनट का है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन यह है कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने तो यह कर्म कर दिया, पर आज आप 155 जीतकर आये हो, एक–एक गांव के लोगों ने आपको वोट दिया है और आपके समर्थकों को वोट दिया है, मैं सरकार से चाहूंगा कि जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जो इसके अक्षम अधिकारी बैठे हैं उनकी खिंचाई करें। जब यह लोग स्टे लेने के लिए हाई कोर्ट में जाते हैं तो यह लोग थैलियां लेकर बैठ जाते हैं और जाकर उस स्टे आर्डर को निरस्त नहीं करवाते। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक–एक गांव का आदमी लाचार, बेबस होकर हमारे सामने रोता है, झिझियाता है कि आखिर हम जाएं कहां। हमारी खेती यहां, हमारे पशु यहां, हम लोग यहां रह रहे हैं, या तो इस फैक्ट्री वाले को उठाइये या फिर हमको कहीं पर पलायन कीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से, माननीय मंत्री महोदय की तरफ से इस बात का जवाब आना चाहिए। जवाब नहीं आएगा तब तक मैं इस सदन में धरना दूंगा, उन फैक्ट्रीज को वहां पर बंद किया जाना चाहिए इस बात के लिए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामनारायण जी। जवाब आएगा तब बोलना न +++ जवाब देंगे तब सुनेंगे, पहले ही बीच में बैठ गये आप। +++ श्री रामनारायणजी विश्नोई।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी) : माननीय उपाध्यक्षजी, आज वन एवं पर्यावरण की मांगों के विषय में हुई चर्चा में सबसे पहले तो मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा, सदन का बहुत ही अच्छा पर्यावरण था, इस

(17.13 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

पर्यावरण को अभी जैसे सदस्यों ने दूषित किया, उस वातावरण को दूषित करने के लिए कार्यवाही के अन्दर जिस प्रकार के अपशब्द इस्तेमाल किये गये हैं उनको कार्यवाही में अंकित होने से हटा दिया जाए।

श्री जगमाल सिंह यादव : ऐसा कुछ अंकित ही नहीं हुआ है, क्या अंकित हुआ है ? जो है वह रहने दो।

श्री रामनारायण विश्नोई : क्यों रहने दें ? उसके अंदर जिस प्रकार से एक–दूसरे पर छींटाकशी की गई, यह दारू का धंधा

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रामनारायण विश्नोई)

करने वाले हैं, यह कहने वाले हैं, यहां पर किसी से बलात्कार की बात की गई है, व्यक्तिगत आक्षेप के लिए यहां पर सदन में मांगों के सिलसिले के अंदर बातचीत नहीं होनी चाहिए थी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहिये। Please, come to the point.

श्री रामनारायण विश्नोई : सभापति महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि आज इस मांग के विषय मे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने जिस प्रकार की चिंता व्यक्त की है उससे एक बात निश्चित है कि राजस्थान की सरकार के द्वारा वह चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो पिछले पचास वर्षों के अंदर जो प्रयत्न किये गये कि वनों को ज्यादा लगाकर वन और पर्यावरण की रक्षा की जाए, वे निष्फल साबित हुई है। हमारे राजस्थान में जो वनों की स्थिति थी उसके अंदर बढ़ोतरी भी हुई है, पर अभी सदस्यों ने जो आंकड़े दिये उन आंकड़ों के आधार पर हम निश्चित तौर से इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि वनों की सुरक्षा जिस प्रकार से होनी चाहिए थी वह नहीं हो पा रही है जीवों के प्रति जो रक्षा होनी चाहिए पर्यावरण की रक्षा के लिए, उसमें सरकार बुरी तरह से असफल रही है। वनों की कटाई हो रही है, शिकार हो रहे हैं। पोल्यूशन के द्वारा जो वातावरण दूषित हो रहा है गांवों के अंदर फैक्टरियों से जो दूषित पानी जा रहा है उस पानी के जाने की वजह से फसलें नष्ट हुई हैं, मवेशी मर रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर हमारा निवेदन यही है कि सरकार इस विषय पर गम्भीर होकर पर्यावरण और वनों को बचाने के लिए कुछ आवश्यक कठोर कदम उठाए। हमारी आज तक की जो नीति चल रही थी वनों की रक्षा करने के लिए, वृक्षारोपण करने के लिए जिस प्रकार का खर्चा राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है उसके कोई रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे हैं, इसलिए नये सिरे से राज्य सरकार को एक स्पष्ट वन नीति लेकर सामने आना चाहिए ताकि जन सहभागिता के आधार पर गांव के अंदर वृक्षारोपण कर सकें और उन्हीं के माध्यम से हम वृक्षों को बचा सकें। सभापति महोदय, आप लोगों से कोई छिपा हुआ नहीं है, राजस्थान के अंदर विश्नोई जाति एक ऐसी जाति है कि आज से पांच सौ वर्ष पहले से उनके गुरु की तरफ से जो नियम बनाये गये थे उनमें एक नियम था जीव दया पालनी, रूख लीला नहीं जावे। हरे वृक्षों की कटाई नहीं होगी और जीव दया पालनी पड़ेगी, जीवों की रक्षा करनी पड़ेगी। ऐसे उदाहरण राजस्थान के इतिहास में हैं कि आज से करीब पौने तीन सौ साल पहले जोधपुर जिले के खेजड़ली ग्राम के अंदर जब अनधिकार रूप से वृक्षों की कटाई की जा रही थी तो करीब 363 विश्नोई समाज के पुरुषों और महिलाओं ने वहां आकर अपने प्राणों को

(श्री रामनारायण विश्नोई)

त्याग दिया और वृक्षों की कटाई को रोका। उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आज जोधपुर जिले और उसके आसपास के पूरे मारवाड़ में और मरूस्थल एरिया के अंदर खेजड़ी वृक्ष और दूसरे वृक्ष मौजूद हैं उसकी वजह से ही वहां पर काश्तकार पिछले वर्षो के अंदर अपना जीवन–यापन कर सका है और अपने मवेशियों को चारे–पानी की वजह से बचा सका है। हमारा, सभापति महोदय, यह निवेदन है कि राजस्थान की सरकार को ऐसी जाति को, ऐसे लोगों से जुड़े हुए जो लोग हैं उन लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। राज्य सरकार की हाथ में जो योजनाएं ली हुई हैं उन योजनाओं को हटा कर जन सहभागिता के आधार पर काम करना चाहिए। गांव के लोग जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, जो जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे सकते हैं, जो हरे वृक्षों को कटने से बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर सकते हैं, उन लोगों के माध्यम से काम करवाया जाना चाहिए, उनकी समितियों को काम सौंपा जाना चाहिए ताकि वे लोग न तो वहां पर शिकार होने दें और न वहां पर वृक्षों की कटाई होने दें। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे क्षेत्रों के अंदर शिकार निषेध क्षेत्र तो वन विभाग की तरफ से घोषित कर दिये गये हैं परन्तु वहां पर वन विभाग के वे कर्मचारी लगे हुए हैं जिन कर्मचारियों को शाम को अगर होटलों में मांसाहार नहीं मिलता है तो उन को संतुष्टि नहीं होती है। ऐसे अधिकारियों की मार्फत हम किसी भी प्रकार से हमारें पर्यावरण की, हमारे वन्य जीवों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए राज्य सरकार को विशेष तौर से ध्यान देकर, घोषणा पत्र लेकर कि जो लोग मांसाहारी नहीं हैं, जीवों की रक्षा जो तहेदिल से चाहते हैं उन्हीं लोगों की ऐसे शिकार निषेध क्षेत्र के अंदर पोस्टिंग देकर उन्हीं के द्वारा यह काम करवाना चाहिए।

अभी कुछ सदस्यों ने बताया कि पिछले दिनों के अंदर शिकार की संख्या बढ़ी है उससे भी हमें बड़ी भारी चिंता हो रही है। सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर पिछले साल तो चूरू ज़िले की डूंगरगढ़ तहसील में सांवत्सर गांव के अंदर तीस–तीस हिरणों का एक साथ शिकार किया गया। वहां पर जब विश्नोई समाज के लोगों ने आकर शिकारियों से मुकाबला किया तो समाज का एक व्यक्ति मारा गया। उस समाज के व्यक्ति को अब राष्ट्रपति की तरफ से पुरस्कार भी दिया गया है। वहां पर आज तक भी वन विभाग की चौकी नहीं लगाई है कि शिकारियों से वहां के लोगों की रक्षा की जा सके। गांव के लोग शिकारियों का मुकाबला करते हैं तो मुकदमों के अंदर गवाही देने के लिए उनको डराया धमकाया जाता है। मुकदमों की पैरवी करने के लिए सरकार की तरफ से उनकी पूरी मदद नहीं की जाती है, ऐसी

(श्री रामनारायण विश्नोई)

स्थिति के अंदर उनको धमकाया जाता है फिर किसकी हिम्मत है, कौन गवाही देने के लिए उन शिकारियों के सामने आएगा ? यह सब कुछ होने के बावजूद भी अभी पिछले दिनों फिर उन्हीं शिकारियों ने उसी गांव सांवत्सर और कोटासर में हीरणों का शिकार किया। वहां पर लोगों को डरा–धमका कर ऐसी स्थिति बनाई हुई है कि गांव के लोग हताश हुए बैठे हैं। राज्य सरकार की तरफ से सख्त से सख्त व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, शिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही के लिए पुलिस अधिकारियों का वहां पर पदस्थापन किया जाना चाहिए, वन विभाग के अधिकारियों का पदस्थापन किया जाना चाहिए ताकि लोगों की रक्षा की जा सके। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि जो वन विभाग की चौकियां लगाई हुई हैं उन चौकियों में लगे हुए अधिकारियों के पास न तो कोई शिकारियों का पीछा करने के लिए उपयुक्त वाहन है, न उनके पास कोई मोबाइल टेलीफोन है, न उनके पास कोई दूरबीन है, न उनके पास कोई बन्दूक है वे लोग शिकारियों का मुकाबला कर सकें। अभी चार तारीख को जोधपुर जिले में चिड़ावा के पास तजनाऊ गांव में भी कुछ शिकारियों ने शिकार किया। पुलिस के लोगों ने उनका पीछा किया पर शिकारियों ने सामने से फायर करके पुलिस के एक अधिकारी को भी घायल कर दिया। इस प्रकार से शिकार करने वालों के हौसले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की सख्ती में ढिलाई आने की वजह से हमारे सामने इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। तो मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी वन और पर्यावरण की नीति में आमूल–चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, इसके लिए शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाये जाएं। धन्यवाद।

श्री सभापति : ऑनरेबल श्रीमती सुमित्रा सिंहजी।

श्री रामस्वरूप : सभापति महोदय, महिलाओं को तो आप बुला लेते हैं, हमारा तो नम्बर ही नहीं है।

श्री सभापति : इनके बाद आप। आप सीट पर नहीं बैठे थे खड़े हुए थे उधर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय सभापित महोदय, जंगल और जानवर तथा खनिज सम्पदा, यही किसी देश और प्रदेश की समृद्धि का मूल आधार है। जंगल और जानवर प्राकृतिक संतुलन बनाये रखते हैं और उस प्राकृतिक संतुलन से ही पर्यावरण शुद्ध होता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती वन विभाग ने जो प्रोग्रेस रिपोर्ट दी है उसमें पिछले सात सालों में जहां वन का क्षेत्रफल एक प्रतिशत रह गया था वहां नो दशमलव समथिंग कर दिया। कहां किया, बात समझ में आती नहीं है। मुझसे पहले बोलने वाले गुढ़ा से आने वाले

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

माननीय सदस्य कह रहे थे और चूरू से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे थे, मैं उस बात को दोहराना चाहूंगी कि कागजों में ही आपके ये आंकड़े सीमित हैं कि हमने इतने पौधे लगा दिये। क्या कभी आप इस बात का सर्वे भी कराते है कि सर्वाइवल कितनों का हुआ ? आपने एक करोड़ लगा दिये लेकिन एक करोड़ में साल भर के बाद में कितने पौधे जीविज रहे। चार लाख पौधों पर दस लाख रुपया आपने पानी देने में खर्च कर दिया लेकिन सर्वाइव कितने किये ? क्या कभी यह असैसमैंट भी आप करवाते हैं ? मैं आपके ऊपर एक चार्ज लगाना चाहूंगी, आप भले आदमी हैं इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन विभाग आपकी नहीं मानता। या यह बात मेरी समझ में नहीं आती...

श्री सभापति : चार्ज लगाने के लिए तो आपको पूर्व सूचना देनी पड़ेगी, मैडम। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह चार्ज नहीं है।

श्री सभापति : चार्ज तो चार्ज ही है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : मिनिस्टर उपस्थित हो तो कोई जरूरत नहीं है।

श्री सभापति : नियमों में चार्ज लिखा हुआ है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, कटौती प्रस्ताव पर बोलते समय इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं इसलिए दल–बल का संबंध नहीं है। कटौती प्रस्ताव पर हम इस शब्द का उपयोग कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि झुंझुनूं शहर और बगड़ के बीच में एक झुंझुनूं का बीड़ आता है। मैंने आपको इस संबंध में चिट्ठी भी लिखी थी। उस बीड़ पर लोगों ने धीरे–धीरे ट्रेसपास करके अतिक्रमण करके आपकी सैकड़ों बीघा जमीन दबा ली। कोर्ट ने फैसला कर दिया कि यह जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है, इसे हटाया जाए। पुलिस पहुंच गई, डिपार्टमैंट पहुंच गया। फिर पता नहीं क्या हुआ, धमकी दे दी गई डिपार्टमैंट को कि वहां खून–खच्चर हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। डिपार्टमैंट, पुलिस, झुंझुनूं का प्रशासन सब का सब लौट करके आ गया। यदि सरकार को इतना डर है कि इसकी वन भूमि पर कोई अतिक्रमण कर लें और अतिक्रमणकारी यह धमकी दे दे तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि एक इंच जमीन भी वन विभाग के पास नहीं रह पाएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूं कि उस बीड़ के ऊपर जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उनसे उनको बचाएं आपकी जो वन भूमि है उसकी रक्षा करना आपका फर्ज है।

वनों के साथ ही साथ यह बात निवेदन करना चाहूंगी आपके मार्फत, सभापति महोदय, कि आजादी के बाद जिस प्रकार के पेड़ पनप रहे हैं, यहां की जलवायु में

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

उनका औचित्य नहीं है। मरुस्थल है यह इलाका। एक तरफ तो हमारी सर्वे रिपोर्ट कह रही है कि मरुस्थल धीरे–धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। पश्चिम से पूर्व की तरफ धीरे–धीरे बढ़ रहा है। पेड़ आप लगा रहे हैं, इन्दिरा गांधी नहर पर भी लगाये हैं, अरावली अभियान के नाम पर भी लगाये हैं, सामाजिक वानिकी के नाम पर भी लगाये हैं लेकिन जिस तरह के आप लगा रहे हैं उनकी उपयोगिता इस जलवायु में और इस प्रकृति में उचित नहीं है इसलिए मैं यह बात कह रही हूं। पेड़ नया लगा या तो गुलमोहर या लगा जूलीफ्लोरा या लगाया सफेदा। ये तीनों के तीनों पेड़ इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत जल्दी पनपते हैं, लेकिन जैसा कह रहे थे मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य, सफेदा के पेड़ को बहुत अधिक पानी चाहिए। वाटर लागिंग की जहां प्राब्लम है वहां तो इस पेड़ का उपयोग है लेकिन रेगिस्तान में इसका कोई उपयोग नहीं है। वन मंत्रीजी, आप तो जानते हैं कि जितना ही मरुस्थल का इलाका होगा वहां ऐसा पेड़ पनपेगा जिसकी पत्तियां बहुत छोटी हों, क्योंकि जितनी छोटी पत्तियां होंगी उसको उतने ही कम पानी की आवश्यकता होगी और जितनी बड़ी पत्तियां होंगी उसको अधिक पानी की आवश्यकता होगी। हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में भी इन पेड़ों का महत्व बताया गया है और उसे धार्मिक भावनाओं से जोड़ दिया गया है। आपको स्मरण दिलाना चाहूंगी कि हमारे यहां पर पीपल, बड़, आंवला और केला इनकी तो पूजा होती है। पीपल पूनम आती है वह गर्मी में आती है, उसके पीछे सिद्धान्त यह है कि सब महिलाएं जाएंगी एक–एक लोटा पानी का डालेंगी तो पेड़ को पानी मिल जाएगा, गर्मी निकल जाएगी। तब तक बरसात आ जाएगी। आप जानते हैं पीपल एक ऐसा पेड़ है जो इन दी एब्सेंस ऑफ सन रेज, सूर्य की रश्मियों के अलावा रात में भी ऑक्सीजन देता है। बाकी सब पेड़ तो केवल सूर्य की रश्मियों में ही देते हैं ऑक्सीजन लेकिन पीपल ही ऐसा वृक्ष है जो रात के अंधेरे में भी ऑक्सीजन देता है। पीपल का एक वृक्ष दो हजार फीट के व्यास के घेरे में इतनी ऑक्सीजन देता है कि भयंकर से भयंकर प्रदूषण को भी खतम कर देता है। इसलिए आपने देखा होगा कि श्मशानगृह जो हमारे होते थे उनमें पीपल के पेड़ हुआ करते थे मंदिरों में पीपल के पेड़ होते थे ताकि वहां पर लोग जाएं। तो ये हमारे जो प्राचीन वृक्ष हैं इनका महत्व है। दिल्ली में आपने देखा होगा, सड़कों के ऊपर जामुन के पेड़ हैं। गर्मी में उनसे आय भी होती है, ठेके उठते हैं और चलते–फिरते राहगीर को मन में आ जाए जामुन खाने की तो 8–10 जामुन खा भी ले। यहां पर पनपाया है जूलीफ्लोरा को जिसमें कांटे के अलावा कुछ भी नहीं है। यहां पनपाया आपने गुलमोहर जिसमें फूल तो हैं लेकिन छाया नहीं है। छाया नहीं होती गुलमोहर की। गुलमोहर में केवल फूल ही फूल होते हैं छाया के नाम

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

पर कुछ भी नहीं है। अपने जो ट्रेडिश्नल पेड़ हैं, शमी का वृक्ष है जिसको खेजडी बोलते हैं और जिसके लिए अभी फलोदी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि अमृता देवी 363 व्यक्तियों के साथ शहीद हो गई। यह वह शमी का वृक्ष है जिस शमी के वृक्ष के ऊपर अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्र छुपाये और यह शमी का वृक्ष वह कल्पवृक्ष है जिसकी एक–एक चीज काम में आती है। पत्तियों से लेकर लकड़ी, तने से लेकर छाल, जड़ से लेकर सब चीजें काम में आती हैं और पेड़ो के नीचे काश्त नहीं हुआ करती है, फसल नहीं होती है लेकिन खेजड़ी के नीचे हो सकती है क्योंकि इसकी पत्तियां मेन्योर भी हैं और प्रोडक्ट भी हैं। खाद भी है और खाद्य भी है। पशुओं को खिलाई भी जाती है और नीचे गिर जाती है तो खाद का काम करती है। इसलिए शमी के पेड़ के नीचे, खेजड़ी के पेड़ के नीचे फसल और जगह से ज्यादा अच्छी होती है। अकाल में लोगों ने पीस–पीस कर इसकी छाल खा–खा कर अपने दिन निकाले थे। इसकी छाल भी काम में आती है। इसकी लकड़ी जलाने के काम में आती है। तने से गरीब लोग किवाड़, खिड़कियां, मतलब फर्नीचर के काम में भी लेते है, इमारती लकड़ी के रुप में भी इसका उपयोग कर लेते है। इसकी जड़ जो है वह खाल रखने के काम आती है। जो लोग खाल रखने का धंधा करते हैं, यह उसमें काम आती है। हमारे जो दो पेड़ है रोहिड़ा और खेजड़ा, ये दोनों रेगिस्तान के पेड़ हैं, लेकिन इन दोनों पेड़ो पर अभी तक हमने किसी तरह का अनुसंधान और किसी तरह से इनको प्रचारित नहीं किया है। रोहिड़ा की लकड़ी सबसे बढ़ियां लकड़ी होती है, उस लकड़ी के मुकाबले में सागवान भी कुछ नहीं है। लेकिन हम उसको अभी तक नहीं पनपा पाये हैं। आपने नर्सरी कर रखी हैं, इन नर्सरी में मैंने कई बार पूछा कि मुझे खेजड़ी और रोहिड़ा का पेड़ चाहिए। लेकिन न मुझे खेजड़ी मिली और न रोहिड़ा मिला।

सभापति महोदय, समय कम है और मुझे खनिज पर भी बोलना है। लेकिन पर्यावरण को वृक्ष ही शुद्ध करते है। आपने शहरों के लिये एक योजना तो बनाई कि कोई भी व्यक्ति अपने निजी मकान पर अपने निजी खेत पर निजी आवास पर चाहे तो 20 रुपये देकर मनचाहा पेड़ लगवा सकता है। उसका खड्डा भी आप खोदेंगे, उसका खाद भी आप देंगे, उसको पेस्टिसाइड भी आप उपलब्ध करवाएंगे और उसका मनचाहा पेड़ भी आप देंगे, लेकिन इसमें जो प्रोविजन आपने किया है। वह 1999–2000 के बजाय अब और कम कर दिया। आपकी मंशा क्या है ? क्या शहरों के पर्यावरण को सुधारने का आप कतई मन नहीं रखते जहां कि इतना प्रदूषण हो रहा है ? एक तरफ तो उद्योग की चिमनियों से प्रदूषण निकल रहा है, दूसरी तरफ गाड़िया जयपुर की सड़कों पर इस कदर अंधाधुंध चलती हैं कि आप चाहें तो जौहरी बाजार में पार्किंग के लिये

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

स्थान नहीं मिलेगा। इस प्रदूषण को दूर करने के लिये मैं आपसे कहती हूं कि मेरे ही यहां पर 100 पेड़ आप लगा दीजिए, मैं आपको 20 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये देने को तैयार हूं। लेकिन यह तो आपकी कागजों में कार्यवाही है, वास्तव में आप लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, नीमकाथाना से आने वाले माननीय सदस्य ने भी पहले यह बात कही कि आंधी की खाने बंद कर दी गई हैं। राजस्थान प्रदेश में अपार खनिज सम्पदा है, कई प्रकार के खनिज है। मार्बल, सैंड स्टोन, सिलिका, कोटा स्टोन, ग्रेनाइट इतने तरह के खनिज है। आंधी की खाने बंद हैं तो रायल्टी का नुकसान तो हो ही रहा है, इसके अलावा 25 हजार आदमी बेरोजगार हो गये हैं क्योंकि 25 हजार आदमी वहां पर काम कर रहे थे। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो वहां पर 754 किलोमीटर का एक दी ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क बना हुआ था, उसके सारे के सारे राइट्स डिटरमाइन करवा लिये। उन में वहां के लोगों को कई तरह के राइट्स मिल गये। गुजरात गवर्नमैंट ने भी 765.79 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को 444.23 किलोमीटर करवा लिया। कैसे करवा लिया ? करवा लिया, असेम्बली ने पास कर दिया। कांग्रेस की गवर्नमैंट थी। असेम्बली ने पास कर दिया कि यह एरिया इतना नहीं इतना होगा। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगी, सुप्रिम कोर्ट का आर्डर है :–

"...that the Chinkaras had been spared since 1993 The Assembly, at the instance of the then Ministry of Congress (I), had adopted a resulation reducing the size of the sanctuary from 765 sq. km. to more 94.87 sq.km."

जैसा कि तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, वन तो पहले स्टेट सूची में था और अब तक भी स्टेट सूची में ही है लेकिन भारत सरकार ने एनक्रोचमैंट कर लिया और भारत सरकार ने एनक्रोचमैंट कर इसको समवर्ती सूची में डाल दिया। समवर्ती सूची में डालने के बाद आप गवर्नमैंट से डरने लगे, उसके बाद आप कुछ करते नहीं हो। गुजरात गवर्नमैंट यदि असेम्बली में अपना रिजोल्यूशन एडाप्ट कर के उसको कर सकती है तो यह जो आपका जमुवा–रामगढ़ है वह एरिया नहीं है जिस एरिया के बारे में कलेक्टर, जयपुर ने लिखा है। कलेक्टर, जयपुर ने लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगी। वैसे तो आपके सी.सी.एफ. ने भी लिखा है कि यद्यपि अभयारण्य के भीतरी क्षेत्रों में अच्छी वन सम्पदा और वन्य जीव उपलब्ध हैं लेकिन इस प्रस्तावित क्षेत्र में लम्बी अवधि से खनन कार्य चल रहा है। वर्तमान में क्षेत्र का उपयोग अभयारण्य के वन्य जीवों के द्वारा नहीं किया जा रहा है न ही भविष्य में इस क्षेत्र को सुधार किये जाने की स्थिति है। अतः वर्तमान

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

परिस्थिति को देखते हुए निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता की राय में इस प्रस्तावित क्षेत्र को निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए तथा उन शर्तों के साथ जो उप वन संरक्षक, जयपुर पश्चिम द्वारा पेज 2–ए तथा बी पर अपनी टिप्पणी में दी गई हैं, नोटिफाई कर अनारक्षित किया जाना उचित होगा। साथ ही पेज 2–बी के पैरा 6 में अंकित शर्त के साथ यह शर्त भी रखना उचित होगा कि खनन के कारण निकलने वाला मलबा इस प्रकार अनारक्षित किये जाने वाले क्षेत्र में ही डाला जाएंगा न कि अभयारण्य के क्षेत्र में उन्होंने कहा उसके बाद आपके कलेक्टर की भी रिपोर्ट है। कलेक्टर ने भी यह कहा है कि इस क्षेत्र में कई खानें हैं और उन खानों के एरिया को बाहर निकालने के लिये उन्होंने प्रपोजल भेजा है। प्रपोजल में उन्होंने लिखा है कि यह जमुवारामगढ़ का एरिया कभी भी रिजर्व एरिया नहीं रहा है। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि इस एरिया में आपने एक श्रुति मार्बल को दे रखा है जिसकी खान अभी भी चल रही है। बाकी और कोई यहां पर चल नहीं रही है। कलेक्टर की रिपोर्ट है कि अभ्यारण्य में आने वाले गावों में भारी परिवर्तन हो चुका है। मार्बल, साफ्ट स्टोन, लाइम स्टोन, सिलिका स्टोन, आयरन, चेजा पत्थर की 200 छोट–बड़ी खानें क्षेत्र में हैं जिनमें से 92 खदान वालों ने आपत्तियां प्रस्तुत की हैं। क्षेत्र में 1936 से खनन का काम चालू था। जो 1936 से खनन का काम चालू था उसको अब आपने बंद कर दिया है। जिसकी वजह से अपकी रायल्टी भी जा रही है और 25 हजार मजदूर भी बेकार हो गये, वह भी एक परेशानी है। इसलिए मैं चाहूंगी कि जिस तरीके से गुजरात गवर्नमैंट ने अपना एक रिजोल्यूशन एडाप्ट कर के एरिया को अनारक्षित कर दिया उसी तरीके से आप भी इस आंधी की खानों को इस जमुवारामढ़ के अभयारण्य को अनारक्षित करें। माननीय वन मंत्रीजी और खान मंत्रीजी दोनों से मैं निवेदन करना चाहूंगी। मैंने इस बारे में कटौती प्रस्ताव के जरिये जो कहा है, वन मंत्रीजी उस झुंझुनूं के बीड़ को बचाने के लिये मैं समझती हूं अब आप कार्यवाही करेंगे। साल भर हो गया अब तक तो आपने कोई कार्यवाही की नहीं है। यदि इसी तरीके से रहे, इसी तरीके से सुस्ती बरतते रहे तो मैं समझती हूं कि एक इंच जमीन भी आप वनों के नाम पर इस राजस्थान में नहीं रख पाओंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री रामस्वरूप जी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे और बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय एक घंटे बढ़ा दिया जाए।

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे और बढ़ाया गया।

माननीय श्री रामस्वरूप जी मीणा।

मांग संख्या 9 एवं 43 पर विचार

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : परम आदरणीय सभापति महोदय, आज एक बहुत ही पवित्र विषय पर चर्चा हो रही है। बड़े दुःख की बात है कि अभी थोड़ी देर पहले इस सदन में अपवित्र चर्चा हो रही थी। माननीय सदस्य जिस तरह प्रदूषण फैला रहे थे। इस पवित्र सदन में, इस बात से बहुत दुःख हुआ। मुझे समय नहीं दिया गया था, सबसे पहले माननीय सभापति महोदय को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे समय दिया। माननीय सभापति महोदय, यह एक पवित्र विषय है जिसको कई बार हंसी–मजाक में टाल दिया जाता है, माननीय सदस्य जिसके ऊपर बोलना ही नहीं चाहते हैं। ज्यादातर सदस्य यहां से उठकर चले गये, क्योंकि वह जानते हैं कि आज तो ऐसे ही वनों पर चर्चा हो रही है, जानवरों पर चर्चा हो रही है, इस पर बोलने से क्या फायदा हैं। आज अगर यही चर्चा पानी पर होती, बिजली पर होती या और किसी विषय पर होती तो इस पवित्र सदन में माननीय सदस्य विराजमान होते। शराब पर भी चर्चा होती तो लोग ध्यान से सुनते, माननीय सदस्य ध्यान से सुनते। लेकिन बड़े दुःख की बात है, आज इस सदन में मुश्किल से 50 सदस्य ही विराजमान होंगे। कोई इस पर बोलना नहीं चाहता था। मेरा भी नम्बर आया तो उस समय आया जब सारी प्रेस उठ गई हैं। लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपकी स्पीच पूरी कवर होगी, आप बोलिये।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, प्रेस रहे या नहीं रहे, मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। इस पवित्र सदन के अंदर सबसे पहले आता हूं और सबसे आखिरी में जाऊंगा। जब यहां कार्यक्रम सम्पन्न हो जाएगा, जब आपका हुक्म हो जाएगा। पर्यावरण के मामले में, प्रदूषण के मामले में, वनों के मामले में मैं आपकी आज्ञा से निवेदन कर रहा हूं।

सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वनों का कितना बड़ा महत्व है। पहले जब भी कोई राजा बनता था या बड़ा आदमी बनता था वह सबसे पहले वनों में निवास करता था। अपने शास्त्रों में प्रमाण है। माननीय वन मंत्रीजी यहां विराजमान हैं मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने तो शायद जंगल देखे भी नहीं होंगे। शास्त्रों का प्रमाण है। हमारे रामजी का नाम लेने वाले मेरे दाई तरफ बैठे हैं इनको भी याद

(श्री रामस्वरूप)

कराना चाहता हूं। आप राम का बहुत नाम लेते हैं, बड़े आदर्शवादी बनते हैं। मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय श्रीराम को अयोध्या का राज होने जा रहा था उस समय उनकी मां कैकेई के द्वारा भगवान के पिता दशरथजी से वचन लिये गये थे। उन्होंने यह वचन मांगा था कि दशरथजी पहले भगवान को वन में भेजों उसके बाद अयोध्या का राजा उनको बनाइये। यह बात उन्होंने स्वयं ने मांगी थी। इसी के साथ उनकी जो दूसरी मां थी कौशल्या, जिन्होंने जन्म दिया था, उन्होंने उस समय भगवान राम से कहा था, बड़े दुःख की बात है कि आपको पिताजी ने वनवास दे दिया है, जिस समय राज मिल रहा है, उस समय आपको वनवास प्राप्त हुआ है। आप जानते हैं, उस समय भगवान श्रीराम ने क्या कहा था ? "पितादीन मोही कानन राजन" यह नहीं कहा था कि मुझे वनवास भेज रहे हैं, पिताजी ने मुझे गलत जगह भेज दिया है। मुझे ऐसी जगह भेज दिया है जहां मुझे जानवर खा जाएंगे या और मेरे साथ अन्याय होगा, मेरा तो राज ही चला गया। आज आप लोगों की एक मैम्बरशिप छिन जाए, विधायक में हार जाओं तो हाहाकार मच जाएगा। आप लोग छोटे–से पद के लिए सब कुछ करने को तैयार हो। शराब पिला–पिलाकर आप लोग बड़े–बड़े पदों पर आते हो, बड़े–बड़े दुष्कर्म करके आप लोग पदों पर बैठने के लिए आते हो। उधर एक तरफ राम थे जिन्होंने राज को ठुकराया था। उन्होंने कहा था, मैं पिताजी की आज्ञा को मानकर वन के अंदर जाऊंगा। "पितादीन मोही कानन राजन" अपनी मां से कहा था, मां। तू तो मुझे मत रोक मुझे अयोध्या का राजा नहीं बनना है, मुझे तो वन का राजा बनना है। (व्यवधान) न तो वे आदर्शवादी राम का नाम लेते हैं ये ढोंगी लोग हैं। ये राम का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं। मैं इनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, आप रामराज्य चाहते हो, असली राम भक्त हो तो राम के आदर्शों पर चलो। चाहे किसी को मंत्री बनना है, मुख्य मंत्री बनना है या विधायक बनना है उससे पहले हमको एक आदर्श रखना चाहिये, हमें कुछ काल के लिये वनों में रहना अनिवार्य कर देना चाहिये। एक बार वन में जरूर जाना चाहिये हमें। माननीय सभापति महोदय, इन वनों की रक्षा के लिये दुनियाभर के अफसर विराजमान हैं, इनको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही वन पनपेंगे। जब यहां का शासक–मंत्री, सभापति महोदय, माननीय सदस्य सब वनों के अंदर रहकर आएंगे तो किसकी हिम्मत है कि कोई वनों को काट देगा। यह आदर्श भगवान राम ने रखा था।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : ध्वनि प्रदूषण का खयाल रखिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : श्रीराम का तो अपहरण कर लिया (व्यवधान) राम का तो अपहरण हो गया। इन्होंने राम का अपहरण

(श्री जगमाल सिंह यादव)

करके उनका नाम रख दिया जय श्रीराम, तो पहले तो उनको छुड़वाओं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, यह कोई मजाक का विषय नहीं है, बड़ा गम्भीर विषय है। (व्यवधान) मैं निवेदन कर रहा हूं, यदि हमें वनों की रक्षा करनी है तो सबसे पहले तो वन मंत्रीजी ही घोषणा करें कि आप कितने दिन का वन के अंदर वास करेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : 14 साल का। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आज अमेरिका का राष्ट्रपति...(व्यवधान) 14 साल के बजाय वन मंत्रीजी के लिये सभापति महोदय की आज्ञा हुई है कि 14 दिन आप वन में अवश्य रहेंगे।(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप कितने दिन रहेंगे ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सभापति महोदय का जितना भी हुक्म होगा मैं तो उतना ही वन में रहने को तैयार हूं। पहले भी वन में रहकर आया हूं। आज भी मैं किसान का बेटा होने के नाते हमेशा वन में रहता हूं। मैंने अपनी झोपड़ी भी वन में बना रखी है, वहीं रहता हूं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : यह तो लक्ष्मण है लक्ष्मण, वन में ही रहेंगे।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, मैं कोई वैसी बात नहीं कह रहा हूं। हम सब लोग यह इरादा कर लें कि अलग–अलग वनों में जाकर रहेंगे तो वनों की रक्षा आराम से हो सकती है। वनों में जितने भी वृक्ष हैं वहां देवता का स्थान आपने देखा होगा। पहाड़ी के ऊपर देवता का स्थान क्यों हुआ करता था ? भैरूजी का स्थान होगा तो पहाड़ी के ऊपर होगा, देवी मां का स्थान पहाड़ी के ऊपर, दुर्गा मैया का स्थान होगा तो पहाड़ी पर होगा। ये क्यों हुआ करते थे ? उस समय जहां भी देवी स्थान बना दिया जाता था, उसके चारों तरफ के वन सुरक्षित रहते थे। आज भी हमारे यहां भैंरूजी का स्थान है। मेरे यहां के पूरे पहाड़ पर कोई लकड़ी के हाथ भी नहीं लगाता है। वे जानते हैं कि अगर हमने लकड़ी को काटा तो भैंरू बाबा हमें खड़े कर देगा। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अशोकजी का स्थान है, भैंरूजी का नहीं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हां, अशोकजी का मेरे हृदय में स्थान है। सारे राजस्थान के हृदय में अशोकजी का निवास है। इस बात की आप क्या मजाक करते हो। (व्यवधान) भैंरू बाबा

(15.48 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति पदासीन)

को हमने पहाड़ के ऊपर बैठा रखा है, वह हमारे वन की रक्षा करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा विनम्र निवेदन यह था कि आज हमने इतनी फोर्स लगा रखी है, वन विभाग में इतने कर्मचारी

(श्री रामस्वरूप)

लगा रखे हैं। ये सारे इसलिये लगा रखे हैं कि वनों की रक्षा करें। लेकिन जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाएगी तो रक्षा कौन करेगा ? माननीय वन मंत्रीजी जितने भी वृक्ष लगाये जा रहे हैं अगर उनको काटने का काम कोई कर रहा है तो आपके विभाग वाले कर रहे हैं। आपके विभाग का मैंने क्वेश्चन लगाया था कि मेरे यहां वर्ष 1999–2000 तक कितने वृक्ष लगे, या 98 से 2000 तक कितने वृक्ष लगे, उनमें से कितने वृक्ष वास्तव में आज जीवित हैं, कितने वृक्षों से आपने लाभान्वित किया लोगों को। उसमें जवाब आया 2000 वृक्ष जो लगे थे उनमें मात्र 400 वृक्ष ही मौजूद हैं। ये 1600 वृक्ष कहां गये जो लगने से पहले ही नष्ट हो गये ? अगर मेरी यह बात असत्य है, मंत्रीजी, तो आप स्वयं ही मौका देख ले। आपके जितने भी वृक्ष लगतें हैं उनमें से कितने वृक्ष जीवित रहते हैं ? सभापति महोदय, इनका सारा बजट उठा लिया जाता है। ये तो बहुत बड़े कमाई के साधन हो गये। वन भी एक उद्योग हो गया। कर्मचारियों के लिये, अधिकारियों के लिये वन विभाग तो उद्योग बन गया। आज कोई भी इस विभाग के अंदर नहीं देखता, लाखों–करोड़ों का घोटाला हो जाता है। जब मैं उधर बैठता था तथा ये माननीय सदस्य इधर सत्ता पक्ष में बैठते थे, उस समय भी मैंने मेरे यहां का एक मामला उठाया था तो जो तत्कालीन मंत्री थे उन्होंने 6 को सस्पैंड किया था। लेकिन बड़े दुःख की बात है, माननीय मंत्रीजी, कि आज भी वही अधिकारी बैठे हुए हैं जो इनके समय में बैठे हुए थे, जो इन्होंने बिगाड़ दिये थे। जो सस्पैंड हो गये उनके अलावा बाकी और बच गये थे जिनको इन्होंने सस्पैंड नहीं किया था कहने के बाबजूद भी। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इसकी जांच करवाएं और जो भी दोषी पाये जाएं उनके खिलाफ आप तत्काल कार्यवाही करें। तभी आपका यह वन विभाग सुधर सकता है वरना वन विभाग को भारतीय जनता पार्टी वाले बिलकुल बिगाड़ गये। ऐसे अधिकारियों को लाकर बैठा रखा था उन्होंने उस समय अपनी सिफरिश से कि सारे वन विभाग को चौपट कर दिया। माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, उनसें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप कम से कम इस संख्या को कम कर दें। वन विभाग में इतने जो कर्मचारी लगा रखे है। उनकी सर्विस को इससे जोड़ दो कि आपका एक अफसर इतने वृक्ष लगाएगा, इतने वृक्षों की रक्षा करेगा, इतने वृक्षों का पालन करेगा तो वह अफसर रहेगा वरना उसकी कमी कर दी जाएगी। जोड़ो इससे आप वन विभाग को पूरे अधिकारी और कर्मचारियों को। वन विभाग की संख्या का पेड़ों की संख्या से जोड़ दो।

श्री जगत सिंह दायमा : फिर उनके बच्चों का पालन कौन करेंगा ? एक काम हो सकता है दोनों में से।

श्री रामस्वरूप : यह मेरा सुझाव है मंत्रीजी से एक अधिकारी है, उसको निश्चित कर दो कि आप इतने हजार वृक्षों की रक्षा करके दोगे, इतने वृक्षों को आप पाल कर दोगे तो आप इस पद पर रहेंगे, नहीं तो आप इस पद पर नहीं रह सकते हैं। आप निश्चित कर दीजिए इस बात को। यह वन नीति आपको तय करनी चाहिए ताकि सबको लगे कांग्रेस का राज दुबारा आ गया है और कांग्रेस के राज में पोल चलने वाली नहीं है। इनके राज में चल गयी पोल, अब इस राज में पोल नहीं चलेगी, यह व्यवस्था हो जानी चाहिए। इसके लिये आपको एक वन नीति तैयार करनी पड़ेगी। जिन वन का अभी मजाक बनाया जा रहा था, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है यह। वन से ही सारा लेना देना है। अगर वन विभाग नहीं हो तो हम सब मर जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवन देता है आपका विभाग हमारे लिये। ऐसे जीवन दान देने वाले विभाग का मजाक यहां बनाया जाए, जब उसकी चर्चा हो उस समय बलात्कार की चर्चा हो, जब वन विभाग की चर्चा हो तो और कोई बात, दारू की बात हो इससे बुरी बात और क्या होगी ? आपका बहुत ही पवित्र विभाग है, आपके विभाग के साथ हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, जनता का जीवन जुड़ा हुआ है। इसलिये आप वन के जीवों की रक्षा करें और वनों की भी रक्षा करें।

आज वनों का इतना महत्व है कि अमरीका के राष्ट्रपति जब हिन्दुस्तान में और फिर राजस्थान में आये तो उन्होंने सबसे बढ़िया जगह किसको चुना था ? उस जगह को चुना था जहां स्वर्गीय श्री राजीव गांधीजी आकर रहे थे जिन्होंने देश के लिये बलिदान दिया था, जिन्होंने देश के लिये एक आदर्श रखा था कि हम सबको वनों में रहना चाहिए। अगर राम के आदर्शों पर कोई चला तो वे स्वर्गीय श्री राजीव गांधीजी थे जो आकर रणथम्भौर में रहे थे। ये राम राज्य की बात करने वाले, इनके प्रधान मंत्री अटलबिहारी वाजपेयी, एक दिन भी कहीं वन में जाकर रहे हों तो बता दो आप। बात करते हैं रामराज्य की, रामराज्य लाएंगे हम। एक दिन कभी वन में रहे हो आप ? लेकिन धन्य है स्वर्गीय राजीव गांधीजी जिन्होंने देश के लिये बलिदान किया और वे रणथम्भौर में आकर रहे थे और जीवों की और वनों की रक्षा के हमारे लिये प्रेरणा स्त्रोत बने थे। आज उसी का परिणाम है कि अमरीका के राष्ट्रपति ने भी कोई जगह चुनी तो उसी जगह को चुना जिसको स्वर्गीय श्री राजीव गांधीजी ने चुना था। हमारे ये वन मंत्रीजी भी भाग्यशाली मंत्री हैं, इनको भी उनके साथ जाने का मौका मिला अभी। ये भी बहुत उनके साथ रहे थे। वन में आपने कितने दिन बिताये, यह जानते होंगे। लेकिन वनों का महत्व अमरीका के राष्ट्रपति ने भी समझा स्व. राजीव गांधीजी ने भी समझा। कितना महत्वपूर्ण मामला है यह मैं इसलिये निवेदन कर रहा था कि हमारे महापुरुषों ने वनों के अन्दर निवास किया है

(श्री रामस्वरूप)

तो हमारे यहां भी यह अनिवार्य कर देना चाहिए कि एक विधायक को 7 दिन वन में रहना पड़ेगा। क्यों नहीं, वन मंत्रीजी आप इस प्रकार का आदेश निकाल देते हैं कि एक माननीय सदस्य को सात दिन तक वन में रहना पड़ेगा एक अधिकारी को इतने दिन वन में रहना पड़ेगा ? ये सारी बातें क्यों नहीं अनिवार्य कर दी जाती हैं। परिवार नियोजन को तो आप अनिवार्य कर रहे हो कि परिवार नियोजन अनिवार्य होगा, तो मैं तो कहता हूं कि परिवार नियोजन इन लोगों ने वनों का कर दिया है, क्या इनकी रक्षा के लिये आप अनिवार्य नहीं कर सकते हैं ? क्या इसकी रक्षा के लिये वह अनिवार्यता नहीं की जा सकती है ? इसलिए इसको अनिवार्य कर देना चाहिए कि प्रत्येक माननीय सदस्य...

श्री मदन दिलावर : माननीय, इनका परिवार नियोजन हो गया क्या ?

श्री जगत सिंह दायमा : हो गया पहले ही, 3–4 दिन पहले तो हुआ था।

श्री रामस्वरूप : बड़ी मजाक की बात कर रहे हैं माननीय दिलावरजी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य व्यवधान न करें अभी।

श्री मदन दिलावर : और घर पर 5–6 लोग, कौनसा परिवार नियोजन है ? ये 3 किसके बच्चे हैं ? (व्यवधान) इनसे पूछा जाए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय दिलावरजी, आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है (व्यवधान) माननीय दिलावरजी, इस प्रकार का प्रदूषण फैला रहे हैं, आपको यह +++ आने की बात है।

श्री मदन दिलावर : लेकिन रिकार्ड के अनुसार इनके 5 बच्चे हैं और ये परिवार नियोजन की बात कर रहे हैं, इनके अनुसार 2 बच्चे हैं। अब ये जांच का विषय है कि ये 3 बच्चे किसके हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यहां वनों की ओर वन्य जीवों की बात हो रही है, अब आप विराज जाएं।

श्री मदन दिलावर : तो ये तो वनों में ...(व्यवधान) माननीय सदस्य कह रहे थे, मैं अधिकतर वनों में रहता हूं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : जब वनों की चर्चा हो रही थी तब माननीय, दिलावरजी बलात्कार की बात कर रह थे। इसी सदन में ये बलात्कार की बात कर रहे थे जब वनों की बात हो रही थी। +++ आने की बात है आप लोगों को। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विषय पर आ जाएं। (व्यवधान) आप विषय पर आ जाएं।

श्री रामस्वरूप : मैं विषय पर आ रहा हूं साहब। ये बीच में बोल रहे हैं। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रामस्वरूप)

इसलिये मैंने मेरा एक सुझाव दिया है, सदन माने या न माने। सात दिन या 8 दिन या 15 दिन या पांच दिन जितने भी आप चाहो उतने दिन प्रत्येक माननीय सदस्य को, माननीय मंत्री को वन में रहना चाहिए और वनों में रहकर वनों की रक्षा के लिये अपना कर्तव्य निभाना चाहिए।

दूसरा मेरा आगे निवेदन है कि इन वनों के अन्दर जो वन सम्पदा है, हमें ऐसे वृक्षों को लगाना चाहिए, जिन वृक्षों से हमको लकड़ी भी प्राप्त हो जिन वृक्षों से हमको औषधियां भी प्राप्त हों और जिन वृक्षों की लम्बी उम्र हो। माननीय सभापति महोदय, जितने भी वृक्ष आप लोग लगाते हैं सबसे ज्यादा उनमें है बबूल का वृक्ष जिसको सत्यानाशी का वृक्ष भी गांव के लोग बोलते हैं। यह सत्यानाशी का वृक्ष कहां से आ गया जिसकी डाल भी लगाओ तो डाल लग जाती है उसकी। जैसे घर में कोई कपूत हो जाता है, जो अपने ही आप फलता–फूलता रहता है। सारा परिवार उससे परेशान होता है लेकिन वह तो फलता–फूलता ही रहता है। यह कपूत वृक्ष जाने कहां से ढूंढकर लाए हैं। इन कपूतों के टाइम में ये वृक्ष लगे थे, आप तो मेहरबानी करके इन वृक्षों को मत लगाओ। यह जो बबूल का वृक्ष है, विलायती बबूल बोलते हैं जिसको गांव के अन्दर, बिलायती बबूल को आप उखाड़ दो। यह बिलायती बबूल न तो जलाने के काम आता है। अन्धा हो जाता है आदमी इसकी लकड़ी को जलाता है तो। इसकी लकड़ी और किसी भी काम में नहीं आती है। कांटों के अलावा कुछ नहीं है इसके अन्दर। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जो भी वृक्ष लगाएं तो कम से कम इस आधार पर लगाए जिससे कोई लाभ मिल सके। अभी माननीय सदस्या, कह रही थीं कि पीपल का वृक्ष है। पीपल के वृक्ष की उम्र भी ज्यादा होती है और पीपल के वृक्ष को कोई काटता भी नहीं है क्योंकि यह धर्म से जुड़ा हुआ वृक्ष है। पीपल के वृक्ष के लिये स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि अगर पेड़ों में कोई हूं तो मैं पीपल का वृक्ष हूं। स्वयं श्री कृष्ण ने गीता के अंदर यह बात कही है। उन्होंने अपने आपको पेड़ बताया तो पीपल का वृक्ष बताया है। आप लोग कृष्ण भगवान को देवता मानते हैं, उन्होंने गीता के अंदर आज्ञा दी है, मंत्रीजी, आप भी पीपल के वृक्षों को लगाइये। आपको रक्षा के लिये किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कर्मचारियों को कहना ही नहीं पड़ेगा। गांव के लोग धार्मिक भावना से जुड़े हुए लोग हैं वे पीपल के वृक्ष को नहीं काटेंगे। चाहे स्वयं कट जाएंगे लेकिन वृक्ष को नहीं काटेंगे। इसलिये आप पीपल का वृक्ष लगवाइये।

आप आंवले का वृक्ष लगाइये, आंवले की भी पूजा होती है। उसको भी भगवान का रूप माना जाता है। आंवले का जो फल आता है। वह पेट की सफाई के लिये बहुत अच्छा होता है, गुणकारी होता है। उम्र बढ़ती

(श्री रामस्वरूप)

है उससे और आदमी की शक्ति भी बढ़ती है। दिमाग की शक्ति भी बढ़ती है आंवले से। आंवले के वृक्ष की उम्र भी ज्यादा होती है। आप क्यों नहीं आवंले के वृक्ष को लगाते ?

आप शीशम के वृक्ष लगाइये, शीशम के वृक्ष की उम्र भी ज्यादा होती है और इतनी मंहगी उसकी लकड़ी बिकती है कि आपका जितना भी यह घाटा है सारे घाटे की पूर्ति शीशम कर सकता है। कहा जाता है आज जितने भी शीशम लगे हुए हैं उनके ऊपर बड़े लोगों की नजर है। यह शीशम ब्लैक में जाती है काटी जाती है। यह बड़े आदमियों के घर के किवाड़ों की शोभा बढ़ाती है। माननीय मंत्रीजी, मैं आपको इस प्रकार का उदाहरण पेश कर सकता हूं इस प्रकार का प्रत्यक्ष प्रमाण ला सकता हूं। आपके जितने भी शीशम के वृक्ष हैं वे ब्लैक में जाते हैं और अधिकारियों के और बड़े नेताओं के घरों में जाकर उनके किवाड़ बनाये जाते हैं, खिड़कियां बनती हैं उनकी। इस काम में यह शीशम का वृक्ष लाया जा रहा है। आप देख लीजिए, जहां भी आपके शीशम के वृक्ष होंगे, सड़कों के किनारे आपके शीशम के वृक्ष कटे हुए मिलेंगे, आम के वृक्ष आपको कटे हुए मिलेंगे। जो मंहगे वृक्ष हैं आपके वे कटे हुए मिलेंगे।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

(18.00 बजे)

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, मैं कोई ऐसी चर्चा तो कर नहीं रहा हूं मैं तो वह बातें कह रहा हूं जो किसी ने भी नहीं कहीं मैं तो कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं मैं कोई झगड़ा नहीं कर रहा हूं। मैं कोई बलात्कारों की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं कोई गलत शब्द नहीं बोल रहा हूं। अभी आज जो चर्चा हो रही थी उस पर तो आपने एक घंटे का समय दे दिया। उसको तो प्रेस भी खूब छापेगी। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपने पहले बहुत ज्ञान की बात कह दी इसलिए कह रहा हूं, समाप्त करें।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट और लूंगा वन मंत्रीजी लिख रहे हैं, गम्भीरता से विचार कर रहे हैं इसके ऊपर।

सभापति महोदय, आप इस प्रकार के वृक्षों को लगाएं जिनकी उम्र ज्यादा हो जो धर्म से जुड़े हुए वृक्ष हों, जिनकी कीमत ज्यादा हो और जिनकी रक्षा करने से आपको कुछ प्राप्ति भी हो। बबूल के वृक्ष इसीलिए लगाये गये हैं कि इनमें मेहनत कुछ होती नहीं है। पानी कोई देता नहीं है और कुछ करना नहीं पड़ता हैं, यह अपने आप ही लग जाते हैं और सारा बजट जितना भी होता है वह इन पर खर्च दिखा दिया जाता है। इतना पानी दिया इनके अन्दर जबकि पानी उनमें कोई देता ही नहीं है। इतनी इनकी रक्षा की, इतनी इसमें गोड़ लगायी, इतनी इसमें सफ़ाई की, इतने कर्मचारियों

(श्री रामस्वरूप)

ने काम किया, लगाने के अन्दर लेकिन, सभापति महोदय, यह सारा पैसा जैबों में जाता है इस लिए लगाया जाता है बबूल के वृक्ष को इसलिए मेरा निवेदन है कि आप ऐसे वृक्षों को बिलकुल अपने उससे निकाल दें। सारा भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में जाता है, भ्रष्ट नेताओं की जेब में जाता है। कोई इससे बचा हुआ नहीं है।(व्यवधान) वह तो अपने आप जनता ने कर दिया। जनता ने सफाया कर दिया ऐसे लोगों का। जनता चिन्हित करती है ऐसे लोगों को, मुझे चिन्हित करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भ्रष्ट नेता होता है उसका जनता सफाया कर देती है।

श्री देवीलाल बैरवा : माननीय रामस्वरूप जी, थोड़ा आपका समय मुझे दे दो वनों के लिए तो मैं निवेदन करूं। माननीय सभापति महोदय, आज पर्यावरण के ऊपर और वनों के ऊपर जो चर्चा हो रही है, उसके लिए महत्वपूर्ण चर्चा...

श्री रामस्वरूप : माननीय सदस्य दो मिनट।

श्री देवीलाल बैरवा : मैं आपका टाइम ले रहा हूं।

श्री रामस्वरूप : मात्र दो मिनट में मैं समाप्त कर देता हूं।

श्री देवीलाल बैरवा : मेरा टाइम नहीं है, मैं आपका ही समय ले रहा हूं।

श्री सभापति : समाप्त कर लिया आपने ? रामस्वरूपजी, आपने समाप्त कर लिया ? माननीय देवीलालजी, एक मिनट आप विराज जाएं। यह समाप्त कर लें उसके बाद आप बोल लेना। आप एक मिनट में समाप्त कर लें।

श्री रामस्वरूप : ठीक है। माननीय सभापति महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेता हुआ अब आपसे निवेदन करूंगा कि इसके साथ– साथ खानों का भी मामला आता है। माननीय मंत्रीजी यहां विराजमान हैं हमारे यहां जितनी भी खानें हैं उनके अंदर वनों का नाम लेकर लोगों को परेशान किया जाता है। किसान लोग गांव में, पत्थर खोदकर बाहर लाते हैं, वे अपना धंधा करते हैं। पचास गृहस्थियां इससे पनप रही हैं इनमें क्या होता है ? इनमें दो नम्बर का काम चलता है। मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेहरबानी करके किसानों को इस बात की छूट दें कि जब भी उनको पत्थरों की जरूरत पड़े या और भी किसी प्रकार के काम की जरूरत पड़े या धार्मिक कोई स्थान बनाने जा रहे हों, ऐसे कामों के लिए वन विभाग से स्वतंत्र पत्थर ला सकें।

डा. किरोड़ी लाल : इनके गांव में तो खूब पत्थर है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : हरेक पहाड़ पर तो भैंरू जी बैठा दिया, कैसे करें।

श्री रामस्वरूप : इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेते

(श्री रामस्वरूप)

हुए पुनः आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि जितने भी माननीय सदस्य विराजमान हैं, माननीय मंत्रीजी विराजमान हैं, वे इन बात की घोषणा अवश्य करेंगे कि वे वन में कितने दिन रहेंगे। कितने दिन की अनिवार्यता सबके लिए वन की की जाएगी। इसी के साथ आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए बहुत–बहुल धन्यवाद।

श्री सभापति : आपको भी धन्यवाद। माननीय श्री देवीलालजी, दो मिनट के लिए बोलो।

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : एक मिनट अपन यूं मान लें, माननीय सभापति महोदय, कि मुझे एक दिन में पांच मिनट दें तो आज विधान सभा को चलते कम से कम बीस दिन से ज्यादा हो गये तो बीस दिन के कितने मिनट होते हैं ?

सभापति महोदय, आज दिन भर से वनों के ऊपर चर्चा हो रही है मेरा यह निवेदन है कि वनों की जितनी भी आप लोग प्रशंसा करो और उनकी जितनी भी महिमा करो उतनी ही कम है। वनों की ऐसी बात हे कि महापुरूष कह गये है :–

तरवर, सरवर, संत–जन, चौथा वरते मेह,
कि परमार्थ के कारण ये चारों धारी देह।

तो वन तो 84 लाख जीवों की जूण है। 84 लाख जीवों की जूण के अंदर 65 लाख जीवों की रक्षा वन करते हैं और चार ही खान की उत्पत्ति होती है। अण्डखान, पण्डखान, जडखान और गदपदखान, इसमें भी 84 लाख जीवों की जूण की उत्पत्ति होती है जिसके अंदर 65 लाख जीवों की जूण की उत्पत्ति की रक्षा वन करते हैं।

सभापति महोदय, वनों और अपने अंदर कितना फर्क है, पहले तो मैं वह निवेदन कर दूं। अपने अंदर पांच तत्व हैं वनों के अंदर चार तत्व ही हैं। वन में अग्नि है और अपने अंदर भी अग्नि है। वन के अंदर आकाश तत्व है और अपने अन्दर भी आकाश तत्व है। वन के अंदर दरख्त में जल तत्व है और अपने अंदर भी जल तत्व हैं दरख्त के अंदर पृथ्वी तत्व है और अपने अंदर भी पृथ्वी तत्व है। एक अपने अंदर पवन तत्व है लेकिन दरख्त में पवन नहीं है। दरख्त को नींद आती है, दरख्त सुनता है। सभापति महोदय, दरख्त छह महीन पहले की बात कह देता है। यह दरख्त बरसात आती है उसके एक महीने पहले लक्षण बता देते हैं। दरख्त की डाली में कली फूट उठती है 15 दिन पहले जितनी भी बीमारी इस देश में फैलती है उस बीमारी को दरख्त नष्ट कर सकते हैं जो न देवता से होता है और न मनुष्यों से होता है।

सभापति महोदय, मैं तो सोचता हूं अपने अंदर तो दो शक्ति ही हैं, एक तो यह आवाज की और दूसरी प्राण की और तीसरी शक्ति अपने में नहीं है। दरख्तों के अंदर तीन शक्ति है एक तो आकाश की, एक

(श्री देवीलाल बैरवा)

पृथ्वी की कितनी भी गंदगी हो, कितनी भी बीमारी हो, वह समेट लेते हैं, यह इनकी शक्ति है। एक शक्ति है कि धरती को शक्ति देते हैं और शक्ति लेते हैं। यह दरख्तों की शक्ति है।

सभापति महोदय, अपने अंदर 36 रंग है और इन दरख्तों के अंदर भी 36 रंग हैं अपन तो एक–दो रंग ही प्रकट कर सकते हैं परन्तु दरख्त लाल, गुलाबी, हरा, पीला केसरिया इनके पत्ते तो सबके नीले हैं पर अन्दर का रंग यह ऐसे प्रकट करते हैं, हर रूखड़ा का, चाहे फल हो, केसरिया है, लाल है, गुलाब है जितने भी रंग हैं 36 रंग यह दरख्त प्रकट कर सकते हैं, और से नहीं हो सकता।

माननीय सभापति महोदय, देश के अंदर जितनी भी बूटी–कला है यह कला दरख्तों के अंदर है। आज जितनी भी मंडाई है वह दरख्तों के पत्तों के हिसाब से हो रही है। कपड़े पर हो रही है, चाहे लकड़ी पर है या चाहे खुदाई हो, यह दरख्तों के पत्तों की है। यह दरख्तों की कला है।

सभापति महोदय, दरख्त तो ऐसे हैं, यू मान लीजिए जैसे हमारे रामस्वरूपजी कह रहे थे कि भगवान राम वनवास में गये 14 वर्ष तक जब वनवास में रहे तो दरख्तों के फल खाकर ही जिन्दा रहे। यह जितने जीवों की जूण है, चिड़ी–चुरगला, आज यह पीपली की बात कह रहे थे। पीपली के पीपे आते हैं हजारों जीव उन पीपों को खाकर जिन्दा रहते हैं लाखों जीव बड़ के बड़बोला लगते हैं उनको खाकर जिन्दा रहते हैं यह दरख्तों की महिमा है।

दरख्तों की बात मैं आपको और ही निवेदन करूं कि यह दरख्त ही देवता है। देवता यह देवता है, डाक्टर डाक्टर है और वैद्य है न, उनके ऊपर भी वैद्य दरख्त है। चाहे उनके पत्ते लें पत्तों से अपने शरीर की बीमारी मिटती है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : वास्तव में बहुत प्रैक्टिकल बात बोल रहे है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वास्तव में, साहब यह अनुभव और ज्ञान की बात बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : सभापति महोदय, इनके छोड़ों को अपने शरीर पर लगाएं तो बीमारी मिटती है। अंदर खाओ तो पेट की बीमारी मिटे। पेट के बाहर बांध लो तो बीमारी मिटा देते हैं। चाहे माताजी हो, भैंरूजी हो, पेड़ों के फूल और पत्ते इनके सिर पर रखते हैं। ये शक्ति किसकी है ? माताजी और भैंरूजी को पत्ते नारियल चढ़ाते हैं। फूलों और पत्तों से वह शक्ति आती है तो यह पेड़ों की शक्ति है। जब तक पेड़ हरे रहते हैं तब तक कितने ही फल, फूल और पत्ते जानवर और मुनष्य सब खाकर जिंदा रहते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय देवीलालजी, अब समाप्त करें। पांच मिनट हो गये। मैंने

(श्री सभापति)

दो मिनट के लिये कहा था, पांच मिनट दे दिये, अब आप विराज जाओ।

एक माननीय सदस्य : सबका समय इनको दे दिया जाए।

श्री देवीलाल बैरवा : सभापति महोदय, 18 करोड़ वनवासी जो एक पेड़ का गुणगान करते हैं इसमें तीन घंटे लग जाते हैं राती जगे में। मैं तो 18 करोड़ वनवासियों की बात कर रहा हूं चाहे पीपल की छाया गुणगान करें, चाहे वह नीम की छाया का गुणगान करें, चाहे आमों के पेड़ की छाया का गुणगान करें, चाहें एक कांटों वाले पेड़ का गुणगान करें, उसमें ही दो घंटे लग जाते हैं। सभापति महोदय, ये हरे रहे जब तक सब जीवों की रक्षा करते हैं। अगर पेड़ नहीं होवें तो कुछ भी काम नहीं होवे। चाहे लकड़ी का ले लो, गाड़ियां लकड़ी की होती है, खाद भी बनावें तो लकड़ी ही है, खिड़की और किवाड़ विधान सभा में सब किवाड़ लकड़ी के हैं और जब नदी पार करते हैं तो नाव भी लकड़ी की बनती है। भाई, बेटा, बाप मर जाए तो लकड़ी ही जलाने के काम में आती है।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो मनुष्य जन्म ले और वह हिन्दू भाई अपनी उम्र में एक पेड़ भी नहीं लगाए तो यह तो सोचें कि उसके मरने के बाद जलाने में पांच–सात मन लकड़ी काम में आएगी, वह कहां से आएगी। उसका तो प्रबन्ध कर लो और एक पेड़ तो लगा दो। मेरा मंत्रीजी से यह निवेदन है कि एक तो पेड़ों की जो कटाई हो रही है उस कानून को आप बदलें। लोग पेड़ उगाते हैं, कोई तो उसका सिर काटकर ले जाते हैं, कोई उसकी डाली काट जाते हैं और कोई आकर उसको बड़ा होने पर काटकर ले जाते हैं। थाने में उसकी कार्यवाही कराने जाते हैं तो थानेदार कहता है 100–200 रुपये लाओ अब कोई फंस जाता है तो 200 रुपये देकर कार्यवाही कराते हैं। जब पेड़ काटने वाले को मालूम हो जाता है तो वह जाकर कहते हैं लकड़ी अमुक बाड़े में है, उसके मकान पर है खेत पर है, वहां लकड़ी पड़ी है। थानेदारजी कहते हैं लकड़ी को ले जाओ और कार्यवाही कुछ भी नहीं होती है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। विराजो आप।

श्री देवीलाल बैरवा : मेरा यही निवेदन है कि कोई पेड़ काटकर ले जाए और उसकी रिपोर्ट करें तो कानून में यह प्रस्ताव कर दें कि 12 घंटे में जिस तरह कत्ल की कार्यवाही होती है उसी तरह पेड़ काटने की कार्यवाही हो जानी चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि जो मनुष्य के हाथ पैर काट देते हैं, उसके ऊपर केस लगता है उसी तरह कानून में हेरफेर कर कोई पेड़ काट ले जाए तो उसी तरह कानून को बदल देना चाहिए। जबरदस्ती कोई पेड़ काट ले तो जिस तरह कत्ल कर देते हैं तो आदमी के

(श्री देवीलाल बैरवा)

हाथ–पैर काट देते हैं उसी तरह पेड़ का जो सिर काटे दें, कानून में हेरफेर करके एक ऐसा नियम बना दो। अब एक मिनट में पूरी कह दूं।

श्री सभापति : माननीय देवीलालजी, अब आप बिराज जाओ। दो मिनट की जगह आठ मिनट ले लिये।

श्री देवीलाल बैरवा : बात तो मेरी पूरी नहीं हुई। जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद। ज्यादा समय हो रहा है, मैं भी जान रहा हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री हेमन्त कुमारजी।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री मोहन लालजी राठौड़।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री अमराराम जी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय देवीलालजी ने जो विचार रखें उनका सार यही है कि जो वृक्ष लगाते हैं वह वृक्ष जब फलता–फूलता है उतने वर्षो तक व्यक्ति स्वर्ग में सुख भोगता है। यह पद्म पुराण में भी लिखा है। वनों का बहुत महत्व है हमारी अर्थव्यवस्था में और सौन्दर्यीकरण के लिए भी। पिछले कई वर्षो से करोड़ों रुपये वन विभाग के द्वारा पेड़–पौधे लगाने के अंदर खर्च हुए। पुराने समय में अलग हिसाब था, कोई विभाग नहीं था। हर गांव के अंदर एक ओरण होती थी और उस ओरण में एक मूर्ति स्थापित की जाती थी, यह मामाजी का ओरण हो गया। वह भैंरूजी का ओरण हो गया, यह माताजी का ओरण हो गया। लोगों में इस प्रकार से एक भावना भर दी जाती थी जिसमें उसकी पत्ती भी नहीं तोड़ते थे। मतलब उस ओरण को बहुत ही पवित्र मानते थे। कई जगह वह ओरण आज भी गांवों के अंदर मौजूद हैं। वन विभाग ने पेड़ लगाये हैं खास तौर से मरू विकास के नाम से, अरावली विकास के नाम से हमारे बाड़मेर जिले में सिवाना तहसील में 56 पहाड़ हैं, माननीय मंत्रीजी, वे सारे पहाड़ आज नग्न हैं। कैर के जो पूराने वृक्ष थे, लोगों ने उनकी जड़ भी निकाल दी। आज कैर के वृक्ष नहीं रहे, खेजड़ी के वृक्ष नहीं रहे। जयपुर से नागौर जाते हैं तब जोधपुर से आगे जो विश्नोइयों के गांव हैं वहां तो खेजड़ों के वृक्ष हैं, बाकी गांवों के अंदर खेजड़ी के वृक्ष बिलकुल नहीं के बराबर हैं। लोगों ने खेजड़ी के वृक्ष के बारे में जो महत्व बताया है और खेजड़ली गांव जिस हिसाब से जाना जाता है, वन विभाग ने एक भी खेजड़ी का पेड़ नहीं लगाया आज दिन तक और न ही इन्होंने सप्लाई किया है। आज हमारे गांव का पेड़ है जो हमेशा हरा रहता है और उसके जो पत्ते होते हैं उनमें पानी प्रिजर्व करने की ज्यादा क्षमता होती है इसलिए पत्ता थोड़ा बड़ा होता है। इसी

(श्री अमराराम चौधरी)

प्रकार पीपल का पत्ता है। आज गांवों में यह रिवाज है कि हमारी जो बहुएं हैं वह कार्तिक स्नान करती हैं सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पेड़ों को पानी पिलाती हैं। वर्षा समाप्त हो गयी उसके बाद सर्दी के अंदर वह पेड़ जिंदा रहे तो कार्तिक महीने की एक धार्मिक भावना लागू कर दी। उसके बाद यह बैसाख का महीना आ गया, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो औरतें सुबह जल्दी उठ कर बैसाख नहाएंगी और पीपल के पेड़ की पूजा करेंगी। यह धार्मिक भावना इसके पीछे क्यों है ? कारण यही है कि हमारी वन सम्पदा है जिसके कारण हमेशा वर्षा होती रहती थी। आज वर्षा का औसत बहुत कम हुआ है।

सभापति महोदय, आज बाड़मेर के अंदर डेढ़ साल हो गये, हमारे जो कैटल गार्ड थे उनके सारों के ट्रांसफर कर दिये। कोई को बांसवाड़ा भेज दिया, कोई को चित्तौड़ भेज दिया, कोई को इंदिरा कैनाल पर भेज दिया, कैटल गार्ड जो मवेशी की रक्षा करने के लिए थे, उनका सब का स्थानान्तरण कर दिया। करोड़ों रुपया इस पर खर्च हुआ था, आज कोई पेड़ नहीं है। रोड साइड से पेड़ काट–काट कर ले गये। गांवों के अंदर भी एरिया लेकर जो पेड़ लगाये थे वे भी प्रायः समाप्त हो गये। आज इस अकाल के अन्दर भी जोधपुर में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि रात को 12 बजे गाड़ियां लेकर, ऊंटों के छकड़ों पर शहर में बेचने के लिए फैक्ट्रियों की तरफ जाते हैं। यही बालोतरा में भी होता है, कतार की कतार पेड़ साफ हो गये क्योंकि गुजारा करने के लिए कोई सहारा नहीं रहा है। अगर उनको कोई काम मिले तो पेड़ नहीं काटें। इसलिए काम का होना जरूरी है।

दूसरा, आपकी एक योजना के कलस्टर पांच साल के लिए 25 लाख रुपये कलस्टर में देते हैं। हमारे यहां बाड़मेर में करीब 50 क्लस्टर आपने खोले पेड़ों पर लगाने के लिए या कोई टांका बनाने के लिए। एनीकट बनाने के लिए तो आपके हैं 18.75 लाख रुपये और उसका एडवरटाइजमैंट करने के लिए है। सवा छह लाख रुपये, अब सवा छह लाख रुपये से 50 क्लस्टर पर कितने पैसे हुए ? करीब तीन करोड़ रुपये। ये आपके फालतू पैसे हैं। आप कैटल गार्ड को तो हटा रहे हैं, उनको तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं और आपका डाइरेक्टर ढोल बजाने के, गेर नचाने के और कई जगह रैली निकालने के थोड़ा बहुत काम पर पैसे खर्च कर रहा हूं। ये पैसे आपके फालतू जा रहे हैं, कोई भी क्लस्टर आप चैक कर लीजिये। मौके पर जो पेड़ हैं, उनका कोई भी काम दिखता नहीं है। कि साहब, भारत सरकार से पैसा आ रहा है, वहां से आ रहा है लेकिन काम तो यहां हो रहा है न। अपन को इस योजना के बारे में पुनः विचार करना पड़ेगा। यह लाखों रुपये बहुत ही गाढ़ी कमाई के हैं।

(श्री अमराराम चौधरी)

सभापति महोदय, माननीय सदस्य अमीन साहब ने यह कहा कि आप काश्तकारों को डाइरेक्ट पैसा दे दीजिये। आपके पास पासबुक है कि इस खेत के अन्दर 10 पेड़ हैं, अगर 20 पेड़ दूसरी साल तैयार करता है तो उसको आप पांच रुपये, दस रुपये प्रोत्साहन राशि देंगे तब तो वाकई वह भी जाएगा और पेड़ों की रक्षा करेगा, नहीं तो अकाल में मजदूरी करने हरियाणा जाएगा, गुजरात जाएगा तो पेड़ों की देखभाल कौन करेगा ? वह तो फैक्ट्रियों में जाएगा।

सभापति महोदय, एक बात मैं पर्यावरण के बारे में कह रहा हूं। अभी आप बालोतरा पधारे थे, साढ़े तीन करोड़ में आपका ट्रीटमैंट प्लांट लगा है लेकिन उसका पानी कहां जाऐगा ? उसका पानी जाएगा लूणी रिवर के अंदर और हमारा जीवन लूणी रिवर है। गांदव तक दोनों किनारे पर सैंकड़ों गांव बसे हुए हैं, इन सब की आज प्रदूषित पानी से हालत खराब हो रही है। इसके लिए आपने कोई भी योजना बनायी है ? दूसरा, यह जो आपका पर्यावरण संयत्र बनाया है इसमें कल्चर आप पाली से लाकर डाल रहे हो। मैंने वहां जाकर सारा स्टडी किया है, चार आना से ज्यादा पानी साफ नहीं होता है, दूषित का दूषित रहता है। उस पानी के अंदर किसी प्रकार की चीज पैदा नहीं हो सकती। आप अपनी रिपोर्ट एरिड ज़ोन से भी मंगा लें, वहां पर कोई पैदा नहीं हो सकती। अंग्रेजी बबूल पैदा हो सकते हैं, वे तो वैसे भी हो रहे हैं। नदी के अंदर यह जो पानी जा रहा है इससे आने वाली पीढ़ी लूली—लंगड़ी पैदा होगी और पीने के पानी की भयंकर समस्या होगी। पहले लूणी नदी हमेश आती थी तो कम से कम 10 फीट आती थी, आज कितने बांध बन गये ? यहां अजमेर से लगा कर पानी को रोका गया है। पहले तो साल में दो बार आ गयी तो सारा दूषित पानी कच्छ की खाड़ी में चला जाता था, अब वह कच्छ की खाड़ी में भी नहीं जा रहा है। आज तो आपने खुद ने देखा होगा जब आप जसोल से आये होंगे कि वहां दो—दो इंच दूषित पानी रोड के ऊपर चल रहा है। इसको रोकने के लिए अगर आप अविलम्ब कदम नहीं उठाएंगे तो जनता के लिए जीना दूभर हो जाएगा। तो आप यह व्यवस्था करें और क्लस्टर वाली वापस जांच करें। आपने रामदेवरा से नाकोड़ा तक रैली की थी वह मकसद दूसरा था आप उस बात को समझे नहीं। मैं आपको हकीकत कह रहा हूं, सरकारी धन का लोगों ने दुरुपयोग किया है। हिसाब—किताब पूछिये, क्या जरूरत है। हम सब जानते हैं हमारा कौनसा पेड़ लगा। वहां पर आप यूकलिप्टस की बात करोगे तो कोई नहीं बोऐगा। जहां यूकलिप्टस लगाये हैं वहां से दस फीट के दायरे के अंदर कोई भी चीज पैदा नही हो सकती, यह मैं आपको कह रहा हूं। यह सारा गलत दे रहे हैं। प्रैक्टिकल राजस्थान के जो पेड़ हैं, मारवाड़ के जो पेड़ हैं। जो

(श्री अमराराम चौधरी)

वहां पर हमेशा होते थे वे पेड़ लगाने चाहिए। वे नहीं लगाये जा रहे हैं। खास तौर से बाड़मेर में करोड़ों रुपये खर्च किये, नेशनल पार्क में लोगों को भेज दिया उसके कारण से इतने वर्षों तक जो मेहनत की थी वह सब बेकार गयी। हालांकि पैसा तो हजार आता था और वहां पर 200 रुपये ही खर्च होते थे लेकिन फिर भी थोड़ा–बहुत तो था। आज वह कुछ नहीं रहा है। अब एक रेंजर बैठ कर क्या करेगा ? रेंजर कहां–कहां देखभाल करेगा ? डी.एफ.ओ. बैठा रखा है, डी.एफ.ओ. के पास एस.पी. है, सिपाही नहीं है। आखिर काम तो सिपाही करते हैं। एस. पी. तो आर्डर दे देगा, उसकी तामील कौन करेगा ? इसी प्रकार डी.एफ.ओ. बैठा बैठा क्या करेगा ? इस डेढ़ साल के अंदर आपने कौनसी नयी नर्सरी लगाकर किसानों को पेड़ की सप्लाई की ? कोई आंकड़े हों तो आप बताएं। आपने कहा धन नहीं था आपके पास, बात सही है कि धन के नहीं होने से सेंटर से पैसा आता है उससे तनख्वाह मिल जाएगी, वह बात आपने की, वह तो बिलकुल ठीक है। लेकिन अब आपके पास पैसा आया है तो उन लोगों को आप वापस लाए और हमारी जो भी वन सम्पदा है उसकी रक्षा करने का कष्ट करें।

सभापति महोदय, मैं एक मिनट खान मंत्रीजी का भी ले रहा हूं। हमारे सिवाना तहसील के अंदर ग्रेनाइट के अथाह भंडार हैं। जैसे ग्रेनाइट हमारे यहां होता है। सिणेर में भी बहुत अच्छा ग्रेनाइट है। लेकिन वहां खान तक आपकी कोई रोड नहीं है। लोगों के रायल्टी वैसे ही लग रही है, रास्ते नहीं हैं। माननीय मंत्रीजी, गरीब लोगों को आपने खान तो अलाट कर दीं लेकिन आने–जाने पर कोई रास्ता नहीं होने से रायल्टी वैसे ही दे रहे हैं हजारों रुपये। इसके अलावा मोकरसर का पहाड़ फोरेस्ट एरिया में आ गया है। माननीय वन मंत्रीजी और आप दोनों मिलकर यह काम करें। नाइजीरिया के अंदर और विदेशों के अंदर बाड़मेर जिले का ग्रेनाइट जा रहा है। जैसलमेर जिले में बढ़िया किस्म का लाल ग्रेनाइट निकला है। इस प्रकार का ग्रेनाईट जो हमारे यहां पैदा हो रहा है उससे यहां के लोगों की आर्थिक हालत ठीक हो, लोगों को रोजगार मिले इस बात की व्यवस्था करें। अकाल के अन्दर लोग बैठे–बैठे क्या करेंगे, आप यह कार्य करें। आप यहां से भारत सरकार को भेजो कि यह जमीन माइनिंग एरिया में है। नहीं तो आप पेड़ लगाओ। खाली बाड़ बना रखी है, एक भी पेड़ इन पहाड़ों पर नहीं है, बिलकुल नग्न पहाड़ हैं। पहले पहाड़ों पर एक पत्थर भी दिखता नहीं था इतने पेड़ थे। पहाड़ नग्न होने से वर्षा नहीं होती है और वर्षा नहीं होने से अकाल पड़ रहा है। इसको ध्यान में रखें। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री आत्मारामजी मेघवाल।

श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : परम आदरणीय सभापति महोदय, आपकी आज्ञा

(श्री आत्माराम मेघवाल)

से मैं आज मांग संख्या–9 एवं 43 पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। वन सम्पदा राष्ट्रीय धरोहर है। आज पर्यावरण की दृष्टि से भी वनों का रख–रखाव करना बहुत ही जरूरी है। हमारा जीवन परोक्ष रूप से वनों पर निर्भर है। मानसून की वर्षा से लेकर जड़ी–बूटियां, इमारती लकड़ी और खनिज पदार्थ आदि हमें वनों से प्राप्त होते हैं। इन वनों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा महत्वपूर्ण उपाय किये जा रहे हैं। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ही अकेले वनों की सुरक्षा एवं जंगली जानवरों की सुरक्षा करने में पूरी तरह सफल नहीं हो सकती है, हमें भी उनकी सुरक्षा में सहभागी बनना पड़ेगा। हम उनकी सुरक्षा में सहभागी बनेंगे तभी जंगलों व वन्य जीवों की रक्षा हो पाएगी। क्योंकि मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने वन और खनिज की मांगों पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं, अतः आपका ज्यादा समय न लेकर मैं मेरे क्षेत्र की ओर वन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, देसूरी सादड़ी रेंज में कुम्भलगढ़ का वन्य जीव अभयारण्य स्थित हैं सैकड़ों कर्मचारी हैं लेकिन न जंगल की रक्षा हो रही है और न जीवों की सुरक्षा, ऐसा देसूरी की जनता महसूस कर रही है। विभाग के कर्मचारी इमारती लकड़ी कटवाते हैं और लकड़ी कटवाकर लोगों को बेचते हैं। पूर्व सरकार के जो कर्मचारी–अधिकारी लगाये गये थे, उनमें हमें फेरबदल करना होगा क्योंकि उन कर्मचारियों में डर नाम की चीज बिलकुल नहीं है। हमारी जनता उनको शिकायत करती है, हमें शिकायत करती है परन्तु उन पर कोई असर नहीं होता है।

डा. किरोड़ी लाल : यह बड़ी गलत बात है, साहब।

श्री आत्माराम मेघवाल : हमारे देसूरी के कर्मचारियों व अधिकारियों के बारे में मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कुम्भलगढ़ अभ्यारण्य के राजपुरा गांव में जंगली जानवरों को आबादी में आने से रोकने के लिए पूर्व में पावर फैंसिंग किया गया था। वन रक्षक पर्वत सिंह द्वारा वह कार्य करवाया गया था। आज वहां देखने पर न तार मिलेंगे और न लकड़ी मिलेगी, पूरा सामान वहां से गायब है। लाखों रुपये का जो सामान था उसकी हमें पुनः जांच करानी होगी। जांच के बाद आपको खुद को महसूस होगा कि वहां के वन विभाग की क्या हालत है। हमारे देसूरी रेंज के ए.सी.एफ. ललित सिंह राणावत हैं। कल ही देसूरी के लोग यहां पर आये थे, उन्होंने बताया कि कुम्हार जाति के लोग कजावा पकाने के लिए काश्तकारों से सूखी लकड़ी लेते हैं। मोहब्बत सिंह, वन रक्षक ने उन कुम्हारों को परेशान किया। ए.सी.एफ. को बुलाया। बुलाने के बाद उन कुम्हारों की

(श्री आत्माराम मेघवाल)

लकड़ी जो उन्होंने किसानों से खरीदी थी, वन विभाग की बताकर उन पर झूठे मुकदमों का डर दिखाकर उनसे पैसे लिये हैं। मेरे पास प्रति भी है। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है और मैंने पूर्व में भी माननीय मंत्रीजी से आग्रह किया था कि पूर्व सरकार के जो कर्मचारी व अधिकारी हैं, कृपया उनको एक बार फेरबदल करें। और फेरबदल नहीं करें तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र से तो इनका फेरबदल करें ताकि वहां की जनता को इस शिकायत का मौका नहीं मिले। आपने मुझे समय दिया, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री नाथूराम अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : सम्माननीय सभापति महोदय, आज वन और खनिज के बारे में चर्चा हो रही है। मैं भी अपने विचार रखूंगा खास तौर से वन के बारे में। हमारा हिन्दुस्तान वनों पर निर्भर है। हिन्दुस्तान का काश्तकार वनों से ही बनता है और वनों से ही उसकी आजीविका पनपती है क्योंकि वन से ही बरसात आती है और बरसात से काश्तकार जिन्दा रहता है। मैं तो यह मानता हूं कि गांवों में जितने भी लोग रहते हैं वे सारे वनों पर निर्भर रहते हैं। कभी–कभी यह चर्चा होती है कि गांवों के लोगों ने जंगलों को बरबाद किया, लेकिन मेरा यह मानना है कि पूर्ववर्ती सरकार ने और अभी भी हम लोगों ने ठण्डे दिमाग से विचार नहीं किया है। हमने शहरों और कस्बों में गैस चूल्हे मुहैया कराये हैं, मकान छपवाने के लिए पट्टियों और गर्डर वगैरह की व्यवस्था उनके पास है और वे सक्षम भी हैं लेकिन हजारों–हजारों घर जो गांवों में बनते है उनके लिए वन विभाग कितना खर्चा करता है ? कम से कम मेरे डूंगरपुर में वन विभाग से एक तिनका मकान छपवाने के लिए नहीं मिलता है। मकान जो बनाएंगे वे ढकेंगे नहीं तो क्या करेंगे ? वन विभाग का अधिकतर यह बतीरा बन गया है कि एक तो आरा मशीन और एक जहां मकान बनते हैं वहां जाकर छापा डालते हैं, उनको दण्डित करते हैं लोग परेशान होते हैं। वनों में न तो डांडे हैं न कोई इमारती लकड़ी रही हैं, लोग अपने निजी बीड़ में से लेकर आते हैं। दो साल पहले मेरे यहां पांच ऊंटों पर खैरवाड़ा के निजी वन से वे लेकर आये और उन्होंने 28 हजार रुपया जुर्माना किया। वहां से ये पांच–छह ऊंट कबाड़ा लेकर निकले तो वन विभाग के लोग कहां सोए हुए थे ? इसी तरह से मैं जब भी गीजगा माता जाता हूं जो आसपुर में है, शनिवार और रविवार को ट्रकों में इमारती लकड़ी आती है, सागवान आता है। वह कहां से आता है ? डूंगरपुर में तो है नहीं फिर आप कहते हैं कि वनों की रक्षा हो, कैसे होगी ? उदाहरण के लिए आप अभी मेरे साथ शनिवार और रविवार को चलिये, आपको इतना कबाड़ा मिलेगा कि ट्रक भरके ले आइये आप। यह सारी वन विभाग की कमजोरी है। मेरे क्षेत्र

(श्री नाथूराम अहारी)

हीरादा में दस साल पहले इतना कबाड़ा था, आज हम देखते हैं तो वहां एक पेड़ खड़ा नहीं हैं, सारे के सारे पेड़ बेच दिये गये हैं। फिर हमारे वनपाल और डी.एफ.ओ. कहां जाते हैं ?

हमारे डूंगरपुर में कोरियागंज एक वन क्षेत्र है वहां गुजरात से सारे लोग आते हैं। झुण्ड के झुण्ड आते हैं, ऊंट लेकर आते हैं और उनको चौरी करके काटकर ले जाते हैं वन विभाग के पास कोई व्यवस्था नहीं है न पुलिस है, न उनके पास कोई टेलीफोन है, कोई व्यवस्था ही नहीं है तो उन वनों की रक्षा कैसे करेंगे ? खोड़ के बारे में मैं बताऊंगा, बरसों से खोड़ बनाये जा रहे हैं। आज से दस साल के अंदर जो खोड़ बनाये गये उनको अगर देखा जाए, उसका जोड़ देखा जाए तो मैं समझता हूं, मेरे डूंगरपुर में पत्थरों से पूरा एरिया ढक जाएगा इतने सारे पत्थर हैं। और खड्डे खोदें और कैलकुलेशन लगायी जाए तो पूरी डूंगरपुर खड्डे में है। अगर दस साल के आंकड़े लिये जाएं तो मैं तो मंत्रीजी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप दस साल का जो वन विभाग का खर्चा है डूंगरपुर का उसको आप ले लीजिये और आप अंदाजा लगाइये कि इस रुपये से कितना वन उपजा है, कितना वन वहां पर हमने पैदा किया है। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बर्बाद करें, खड्डे खोदकर खोड़ बनाकर तीन साल में उजाड़ दें, नर्सरी उगा दें और नर्सरी उगाकर पांच प्रतिशत अगर पेड़ जिंदा नहीं रहें तो काहे को हम यह करते हैं ? क्या हमको पागल कुत्ते ने काटा है क्या ? मैं तो बाइस साल से देख रहा हूं, शुरू से देख रहा हूं, यह हाल है। एक भी पेड़ आगे नहीं बढ़ता है।

एक बात जरूर है, अभी दो–तीन साल में वन विभाग ने जो एनीकट बनाये हैं वन के क्षेत्र में वे ठीक हैं। लोग कहते हैं वन विभाग में मत बनाओं, मैं कहता हूं वन विभाग में बनाओं। आज सारे जानवर गांवों में आ गये हैं वन में कहीं पानी नहीं है। बूंद पानी नहीं है तो जो हिंसक जानवर हैं वे सारे गांवों में आ गये हैं और गांव के लोगों को और जानवरों को खा रहे हैं। इसके बारे में भी हमको थोड़ा सोचना चाहिए।

मैं यहां कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि वन विभाग की जमीन आप सीमित करिये। वन विभाग की जमीन को निकालने के लिए केन्द्र सरकार का जो अधिकार है उसको छीनिये। इससे काफी नुकसान हो रहा है। क्योंकि आबादी बढ़ रही हैं, जब खोड़बन्दी करने हम जाते हैं तो सामने वाले जो गांव हैं वे गांव वाले उनका विरोध करके उनसे दुश्मनी करते हैं हम एक खोड़ बनाते हैं, गांव वाले कहते हैं कि दस फीट छोड़ दो। वे दस फीट और अंदर चले जाते हैं तो दुश्मनी की तो वहां कौन रहने देगा। गांव वालों को बैठाकर उनसे समझौता करके जो गांव वाले चाहते हैं उसके अनुसार आप करिये।

(श्री नाथूराम अहारी)

दूसरा आपके पास जमीन खूब है उस जमीन को गवाई जंगल के लिए गांव वालों को कमेटी बनाकर दे दीजिये। आपके बस का रोग नहीं है, जंगल कुदरत उगाता है। मनुष्य बगीचा उगा सकता है, जंगल नहीं उगा सकता है। आप किसी भी दस बीघा या दस एकड़ जमीन की बाउण्ड्री खींच दीजिये कि उसमें कोई जाएं नहीं और एक बंदूकधारी को रख लो। पांच साल में वहां आप जंगल पाएंगे, मेरा यह मानना है। मैंने एक नयी जमीन ली है उसमें एक भी पेड़ नहीं था, आज पांच सौ पेड़ हैं मैं जितना चाहूं उतना काट लेता हूं। मनुष्य बगीचा उगा सकता है, जंगल नहीं उगा सकता है। बस उसकी रक्षा कीजिये, उस एरिये की रक्षा कीजिये, तभी जाकर आपका जंगल उपजेगा। जनता जो कहे उसके अनुकूल आप कहेंगे और उसके अनुसार चलेंगे तो मैं समझता हूं यह काम होगा।

इसी तरह खनिज के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर काफी कुछ खनिज का एरिया है। खनिज अधिकांश काश्तकारों की जमीन में और जंगल में है लेकिन काश्तकारों को पट्टे नहीं दिये जाते हैं बड़े–बड़े लोग, बड़े–बड़े पूंजीपति हैं उनको पट्टे मिलते हैं तो भी बहुत चक्कर काटने के बाद, काफी कुछ पैसा खर्च करने के बाद पट्टे मिलते हैं। इसमें सरलता की जाए। वहां के निवासियों को मुफ्त में या कम लाभ में पट्टे दिये जाएं और खनन के लिए सरकारी सहायता दी जाए तो मैं समझता हूं कि गरीब काश्तकार उसमें आपना मन लगा कर कुछ काम कर सकता है और अपनी स्थिति सुधार सकता है। हमारे यहां मांडव माइन्स थी उस मांडव माइन्स को बंद कर दिया गया। मैनेजमैंट की कमजोरी के कारण उस मांडव माइन्स को बंद किया है लेकिन अभी चोरी छिपे वहां से खनन हो रहा है। मैं समझता हूं कि उस एरिये में खनन कार्य करके काफी लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं डूंगरपुर के जितने भी मजदूर थे उन सबको निकाल दिया या ट्रांसफर कर दिया। उनकी ग्रेच्युटी, उनके अलाउंस वगैरह के लाखों रुपये बाकी हैं आज दस साल होने आ गये, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी हमारी सरकार कांग्रेस की है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आपको भी हमने कहा है, आप उन गरीबों का पैसा ऊपर से लेकर के दिलाएं। आप कहें तो मैं रिकार्ड लेकर आ सकता हूं, आपके पास रिकार्ड मौजूद है। शायद दो विभाग हैं, उनमें एकीकरण होने का प्लान है तो मजदूरों को क्यों आप मार रहे हैं ? वह तो बी.जे.पी. ने मार दिया, आप मत मारो। मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि आप हमारे डूंगरपुर के मजदूरों का जो पैसा रुका हुआ है उसे दिलाएं मैं तो यह भी मांग करता हूं कि सर्वे करके मांडव माइन्स पुनः चालू करें ताकि हजारों लेबर जो लगी हुई थी, लगभग दो हजार के करीब

(श्री नाथूराम अहारी)

लगी हुई थी उसे वापस लगाया जा सके और आदिवासी अपनी आजीविका कमा सकें।

पर्यावरण के बारे में मेरा यह मानना है कि खनन कार्य से आदिवासी एरिये में काफी कुछ नुकसान भी हुआ है, जैसे घणचे की कटाई में और दूसरे की कटाई में सारा मलबा काश्तकारों की जमीन में जा रहा है और सारी जमीन बर्बाद हो रही है। मैंने दो साल पहले प्रश्न किया था उसका जवाब था कि हम ठीक करेंगे, पर कुछ नहीं हुआ है। उस मलबे के लिए कोई स्थान ढूंढिये पहाड़ों के बीच में, उसकी नाकेबंदी करके उसमें डलवाइये। इससे आने वाले टाइम में वहां पर जमीन भी बनेगी और लोगों को फायदा भी होगा। मेरे हीरादा में एक माइन्स हैं जहां कटिंग हो रही है। वहां एक हैण्ड पम्प था, वह हैण्ड पम्प ऊपर आ गया है बिलकुल हैण्ड पम्प के ऊपर मिट्टी आ गयी है। वहां पर जो मटका रखते हैं वह खड्डा खोदकर नीचे रखते हैं लेकिन वह वापस भर जाता हैं। इस तरह से काफी नुकसान होता है जो कटिंग करते हैं उसका मलबा और पदार्थ जो निकलता है उससे पशु भी अंदर धंस कर मर जाते हैं। ऐसे ही ऋषभदा के पास में पूरा का पूरा टैंक भरा हुआ है उस मलबे का। मेरी मांग है कि आप समुचित व्यवस्था करें और लोगों को होने वाली परेशानी को दूर करें। मुझे टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री सोहन नायक।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की अनुदान मांगे पारित होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया गया।

मांग संख्या-9 एवं 43 पर विचार

श्री सोहन नायक (रायसिंहनगर) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या–9 पर अपने विचार रख रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, वनों का विकास हुआ, आबादी नर्सरीज लगाई जाती हैं...

श्री जगमाल सिंह यादव : आपकी बैंचेज तो खाली हैं फिर क्यों समय बढ़ा रहे हो ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप डिवीजन मांगोंगे तो ये पूरी भर जाएगी। आपने ही यह सुझाव दिया था कि हमको बोलने का मौका नहीं मिलता, तो हमने स्पीकर साहब से रिक्वैस्ट की कि इनको बोलने का मौका दीजिये। इसलिए आप खूब बोलो।

श्री सोहन नायक : वे पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छी हैं परन्तु परिस्थितियों और समय के अनुसार उनके स्थानान्तरण

(श्री सोहन नायक)

की भी व्यवस्था की जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि गंगानगर जिले में एक विकासशील मंडी घड़साणा और तीन एस.टी.आर एक गांव है। उस गांव के बीच में दो मुरब्बे का एक बहुत बडी नर्सरी पड़ी है। मंत्री महोदय ने उस जगह का अवलोकन भी किया है यह नर्सरी उस वक्त लगाई गई थी जिस वक्त वहां आबादी नहीं थी, इन्दिरा गांधी नहर आई हुई नहीं थी। आज उस क्षेत्र में मंडी का विकास हो गया और आबादी बढ़ी है। सभापति महोदय, उस नर्सरी से वहां जो आपराधिक मामले बढ़े हैं उसके बारे में मंत्री महोदय को कई बार अवगत कराया जा चुका है। वह क्षेत्र भारत–पाक सीमा से मात्र 12 किलोमीटर दूर है। उस नर्सरी के कारण मंडी में एक वर्ष पूर्व आपने अखबार में भी पढ़ा होगा कि 6 लाख की डकैती हुई। वे नर्सरियां पर्यावरण की दृष्टि से लगाई गई थीं परन्तु समय और परिस्थितियों के हिसाब से उनका हटाया जाना उचित है तो सरकार को चाहिए कि उनको हटाये। मंत्री महोदय ने कहा कि यह केन्द्र सरकार का मामला है। माननीय सभापति महोदय, केन्द्र सरकार का मामला हो सकता है परन्तु वहां के रहने वाले लोग राजस्थान सरकार पर निर्भर है। वन विभाग राजस्थान सरकार का है, जमीन राजस्थान सरकार की है तो उस नर्सरी को हटाने का काम भी राजस्थान सरकार को ही करना चाहिए। कोई परिस्थितियां होंगी जब उस नर्सरी को लगाया गया, वह समय होगा परन्तु आज जो परिस्थितियां वहां बनी हुई हैं उनके हिसाब से उस नर्सरी को हटाया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में जो वन विभाग का आदेश है टी.पी., उसका दुरुपयोग होता है। टी.पी. तहसील हैडक्वार्टर से जारी होती है और तहसील हैडक्वार्टर 50 किलोमीटर दूर है। इस कारण गांव का आम आदमी, आम किसान टी.पी. प्राप्त करने में असहाय रहता है। जब भी वह 50 किलोमीटर की दूरी तय करके जाता है तहसील हैडक्वार्टर पर तो या तो तहसीलदार नहीं मिलता या पटवारी नहीं मिलता। इस बारे में मंत्रीजी से मेरी बात भी हुई थी, मंत्रीजी ने कहा था कि मैं ग्राम पंचायतों को यह अधिकार देने की बात कहूंगा परन्तु अभी तक उस पर कोई विचार नहीं हुआ है। मेरा सुझाव है कि टी.पी. जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दे दिया जाए तो आम आदमी इससे राहत महसूस करेंगा। माननीय सभापति महोदय, मुझसे पूर्व टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा था कि प्रत्येक विधायक को वनों में भेजा जाए। मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं इसका कारण बताता हूं कि आज राजनीति में जो प्रदूषण हो चुका है उससे लड़ने के लिए उनको वनों में जाकर क्षमता बढ़ानी होगी। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री कालूलालजी खटीक।

श्री कालूलाल खटीक (गंगरार) : माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या–9 वन एवं पर्यावरण पर अपने विचार रख रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी का एवं वित्त मंत्री महोदय, का कि उन्होंने वनों के विकास पर और पर्यावरण के अंदर फैल रहे प्रदूषण को नियंत्रण करने का काफी महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। आगामी वर्ष के लिए उन्होंने जो प्रावधान किया है कि किसी भी प्रकार का प्रदूषण वनों के माध्यम से नहीं फैले, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बड़े कारखाने हैं हिन्दुस्तान जिंक और बिड़ला सीमेंट। पूर्व में इसी सदन में मैंने हिन्दुस्तान जिंक के द्वारा विषैली गैस के माध्यम से जो प्रदूषण फैल रहा था, उसके बारे में प्रश्न किया था। उसमें माननीय मंत्री महोदय ने यह निर्देश दिये थे कि प्रदूषण की जांच करवाई जाए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मंत्री महोदय को कि उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एक दल भिजवाया और हिन्दुस्तान जिंक के कारखाने के आस–पास के क्षेत्र में जांच करवाई। जो दल गांवों में घूमा उसके अधिकारियों ने और जिला कलेक्टर महोदय ने एक प्रतिनिधि उनके साथ में भिजवाया था उन्होंने यह महसूस किया कि वास्तव में हिन्दुस्तान जिंक के द्वारा जो विषैली गैस छोड़ी जाती है उससे वह क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं खुद भी उनके दल के साथ था। एक बीलिया गांव है हिन्दुस्तान जिंक के पास, उस गांव में गये। उसी रोज जो विषैली गैस छोड़ी थी, मवेशी मरे हुए हमको देखने को मिले। उसी दिन तीन मवेशी उस विषैली गैस से मरे। तत्काल जिला कलेक्टर महोदय ने पशु चिकित्सा अधिकारी को वहां भेज कर उसका पोस्टमार्टम करवाया। उसको रिकार्ड किया गया। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान चाहूंगा कि आपने जो दल भिजवाया था बहुत ही गम्भीरता से वह उस क्षेत्र में घूमा और चाहे भूमि हो, पशु–पक्षी के बारे में हो चाहे वनस्पति के बारे में हो, सीरियसली उनको पढ़ा और जांचा और उन्होंने महसूस किया कि उस क्षेत्र में न तो कोई पशु–पक्षी मंडरा रहे थे न ही वहां की भूमि में कोई उपजाऊ शक्ति थी। उसके लिए भी उन्होंने सैम्पल लिया। जिस जगह से हिन्दुस्तान जिंक का कारखाना पानी छोड़ रहा था ऐसे मुहाने पर जाकर के पानी का सैम्पल लिया, मिट्टी का सैम्पल लिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि आप का जो दल सैम्पल लेकर आया है और जो रिपोर्ट तैयार की उसके बाद चूंकि उन्होंने महसूस कर लिया था कि वास्तव में विषैली गैस के प्रदूषण से वह एरिया, वह गांव वाले प्रभावित हुए हैं उसके लिए आप प्रभावी कार्यवाही करवाएं। साथ ही प्रदूषण के लिये ऐसी कोई कार्यवाही करें कि भविष्य में विषैली गैस नहीं छोड़ी जाएं जिससे जनजीवन के

(श्री कालूलाल खटीक)

ऊपर जो दूषित प्रभाव पड़ रहा है वह रुक सके और पशु–पक्षी मानव...

(19.00 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आराम से वहां रह सकें, अपना जीवन व्यतीत कर सकें।

साथ ही बी.सी.डब्ल्यू. बिड़ला सीमेन्ट फैक्ट्री का जो कारखाना है वहां पर भी यही स्थिति हो रही है। वहां पर जो डस्ट उड़ती है उस डस्ट से चंदेरिया और आस–पास के गांवों में धुंआ–सा हो जाता है डस्ट ऐसी फैल जाती है कि वहां का जनजीवन उससे प्रभावित है और बीमारी भी उससे फैल जाती है। उसके साथ ही जो जायल माइन्स है उसमें भी ब्लास्टिंग के माध्यम से खदान से अनियमितता हो रही है। मैंने विधान सभा में भी प्रश्न किया था। उन्होंने नकारात्मक जवाब दिया, उन्होंने इस बात को स्वीकार ही नहीं किया जबकि आज भी वहां पर आप स्वयं जाकर देखें कि बिड़ला सीमेंट फैक्ट्री से प्रदूषण फैल रहा है और वहां का जनजीवन उससे प्रभावित हो रहा है। वहां जायल माइन्स में जो भी ब्लास्टिंग किया जाता है उससे आस–पास के गांवों में कम्पन होता है और मकानों में दीवारों में दरार पड़ी हुई है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मेरे निवेदन को पूर्व में आपने स्वीकार किया था उसी प्रकार बिड़ला सीमेंट फैक्टरी के आस–पास के एरिया में आप जांच कराए ताकि वहां की वस्तुस्थिति का आपको पता लगे। मुझे विश्वास है कि आप इसके लिये मुझे पूरा आश्वस्त करेंगे कि बी.सी.डब्ल्यू. जो सीमेन्ट का कारखाना है चंदेरिया में, उसके आस–पास के क्षेत्र में आप प्रदूषण की जांच करवाएंगे और उनके खिलाफ कोई प्रभावी कार्यवाही करने का निर्देश देंगे। इसी आशा के साथ मैं बहुत–बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वन मंत्रीजी।

श्री भगराज चौधरी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) बिलकुल सही बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आप कृपा करके...

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप चाहो तो इंग्लिश में ही...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी सही–सही बोलना, आंकड़ों से बोलना, सच्चाई से बोलना...

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया करके उनको बोलने दें ना।

श्री भगराज चौधरी : अंग्रेजी बोलूंगा आप समझ नही पाएंगे। आप लोग अंग्रेजी पढ़े–लिखे नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, मैं एम.ए., एलएल.बी. हूं...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री भगराज चौधरी : आप तो हैं पर दूसरे नहीं हैं। आप तो है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब, आप कृपया करके उनको बोलने दें नां... (व्यवधान) आर्डर आर्डर।

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, वन एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित मांगों के संबंध में आज चर्चा के दौरान जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है उन्होंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं, उसके लिये मैं उन सबका बहुत–बहुत आभारी हूं।

यह बात सही है कि हमारे प्रदेश के अंदर वनों का क्षेत्रफल बहुत ही कम है। जो भी वन हैं उनकी क्वालिटी भी बहुत हल्की है और बहुत–से वन क्षेत्र तो केवल नाम मात्र के हैं। सही मायने में हमारे प्रदेश के कुल 9 प्रतिशत भाग पर जो वन हैं उसमें से साढ़े तीन और चार प्रतिशत भाग पर ही अच्छे वन कहे जा सकते हैं। शेष वन तो डिग्रेडेड़ फार्म में हैं अथवा यूं कहिये कि बहुत हल्के हैं हमारे देश की जो वन नीति हैं, उसके अनुसार प्रदेश के एक तिहाई भाग पर वन होने की आवश्यकता है तभी कहीं जाकर बढ़ती आबादी, बढ़ते औद्योगीकरण और इनके कारण से फैलने वाले प्रदूषण की रोकथाम करके मनुष्य जाति के लिये, पशु पक्षियों के लिये और सभी प्रजातियों के लिये हम लोग पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के बिना यह बात सही है कि हमारा जीवन दूषित होता जा रहा है। यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। पिछले कुछ वर्षो से वन क्षेत्र की क्वालिटी में लगातार गिरावट होती आयी है। बहुत–से बुजुर्ग माननीय सदस्य जो दोनों तरफ बैठे हैं और मुझे खुद को भी जानकारी है कि जहां–जहां वन क्षेत्र थे वहां छतरीनुमा पेड़ दिखाई दिया करते थे बरसात के दिनों में और बरसात के बाद भी। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज वे सारे वन क्षेत्र विशेषकर जो पहाड़ हैं वे बिलकुल नंगे हो गये हैं। ऐसे नंगे हो गये हैं कि जिस प्रकार से हथेली पर सरसों लगाना मुश्किल है उसी प्रकार से नंगी पहाड़ियों पर वन लगाना मुश्किल हो रहा है हकीकत यह है कि जब इस प्रकार के क्षेत्रों में वन लगाने की बात हम करते हैं अधिकारियों से तो वे हिचकिंचाहट करते हैं। वे समझते हैं कि यह कार्य बहुत ही दुष्कर है। हकीकत यह है कि आज जो वन क्षेत्र में जो पहाड़ हैं और पहाड़ के अलावा दुसरे भी जो हमारे वन क्षेत्र है वहां पर बहुत ही चुनौती भरी समस्या पैदा हो गयी है। उसका समाधान ढूंढ़ने की जरूरत है, लगातार प्रयत्न करने की जरूरत है। धनराशि की भी जरूरत रहेगी। साथ ही साथ लोगों को भी इसके लिए जाग्रत करना पड़ेगा, उनमें चेतना पैदा करनी पड़ेगी। हमारा प्रदेश मुख्य तौर से कृषि प्रधान होने के कारण से आबादी बढ़ने के साथ–साथ बरसात की कमी को देखते हुए अपने

(श्री भगराज चौधरी)

जीवन–यापन के लिए लोगों ने पशुपालन का सहारा लिया। पशुपालन का सहारा लेने से जितनी हमारी आबादी है उसी के बराबर आज हमारे प्रदेश के पशुओं की संख्या भी है। इतनी बड़ी संख्या में पशु होने के कारण उनको खड़ा करने के लिये जमीन की भी जरूरत है। बढ़ती आबादी से पहले जो जमीन खाली पड़ी रहा करती थी वह हल के नीचे आ गयी। सिंचाई के साधन भी उससे कम हो गये। इसलिये जब पशुओं को खड़ा करने की जब जगह नही है तो उनको वन भूमि में शरण देनी पड़ रही है। यह हमारे लिये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है।

अकाल की स्थिति इन्हीं कारणों से हो रही है। वन घटते जा रहे हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, पशु संख्या बढ़ती जा रही है। दुर्भाग्य से इस वक्त अकाल होने के बाद भी यह अपेक्षा पशुपालकों द्वारा की जा रही है कि हमें वन क्षेत्रों में आप चरने की इजाजत दीजिये। अगर इस प्रकार की स्थिति बनी रहेगी। तो जो भी वन क्षेत्र बचे हैं क्या उनमें पेड़ जीवित रह सकते हैं बड़े पेड़ों के नीचे जो भी छोटे–छोटे पेड़ पौधे उगते रहते हैं उनमें पशु चराने के लिये हम नहीं छोड़ेगे तो वे पेड़–पौधे भी बड़े हो कर छितर वन क्षेत्र को सघन वन क्षेत्र में कुछ समय के बाद बदल सकते हैं, मगर ऐसी स्थिति न पशुपालक लोग होने दे रहे हैं और न हमारी स्थिति हमको परमिट कर रही है। घटते वन क्षेत्रों के बारे में माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता जताई है वह सही बात है। (व्यवधान) सही है।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दें।

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, बीस माननीय सदस्यों ने आज की चर्चा में भाग लिया है। उनमें से अधिकतर माननीय सदस्यों ने वन विभाग में भयंकर भ्रष्टाचार होने की भी चिन्ता व्यक्त की है। मेरे खयाल से मुझे इस तथ्य को छिपाने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं इस बात को स्वीकार करता हूं कि अगर कोई महकमा राजस्थान के अंदर भ्रष्ट है तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट वन विभाग का महकमा है। इस महकमे के अंदर इस विभाग के अंदर...(व्यवधान) मैं खुद हूं मैं कह रहा हूं ना मगर यह भ्रष्टाचार आज से फैला हुआ नहीं है यह भ्रष्टाचार पिछले दस–बारह साल से फैला हुआ है। जब से कांग्रेस का शासन खतम हुआ... (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : आपके किये हुए खेल हैं। आपके बोये हुए बीज हैं ये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिए।

श्री रामस्वरूप : तख्ती के ऊपर लिखा हुआ है "सत्यमेव जयते" सत्य कह रहे हैं। आपने जो कर्म किए।(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप पूरी बात तो सुनो। मंत्रीजी का यह कहना कि यह महकमा भ्रष्ट है, मैं इसको ठीक करूंगा। बाकी बात तो आपने सुनी ही नहीं, पूरी बात तो सुनो।

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को और भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोई भी बुराई एक दिन में न तो पैदा होती है, न फैलती है, न बढ़ती है।

श्री रामस्वरूप : सुनो आप तो, माननीय मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : महकमे भ्रष्ट नहीं होते हैं, अधिकारी भ्रष्ट हो सकते हैं।

श्री भगराज चौधरी : नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री भगराज चौधरी : मैंने कहा, वन विभाग के अंदर कर्मचारी, अधिकारी... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वन मंत्रीजी, आप अपना वक्तव्य जारी रखें। बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने आपको कहा है वन विभाग कि संबंध वन विभाग के कर्मचारी, अधिकारियों से है, चूंकि वन विभाग के कर्मचारी, अधिकारी ही वनों की सुरक्षा करने के लिए, उनका संवर्धन करने के लिए नियुक्त किये हुए हैं। परन्तु यह स्थिति जैसा मैंने निवेदन किया है, एक वर्ष में पैदा नहीं हुई है। जहां तक मेरी जानकारी है और आप खुद मानेंगें कि मैं कोई पहली बार तो विधान सभा में सदस्य बनकर आया नहीं हूं, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जब मैं 1980–1985 तक मैम्बर बनकर आया था तब तक इस महकमे में इस प्रकार के भ्रष्टाचार होने की बात न तो मैंने सुनी थी न मैं महसूस करता था और न माननीय सदस्य चिन्ता प्रकट करते थे। 1980, 1985 के बाद में जब से भाजपा शासन स्थापित हुआ है उसके पश्चात्...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर...(व्यवधान) माननीय सदस्य विराजें।

श्री भगराज चौधरी : 1985, 1990 के बाद में ही जैसे–जैसे समय बढ़ता गया और आज तो मैं समझता हूं कि यह कैंसर का फोड़ा...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अब तो पड़ गया छक्का।

श्री भगराज चौधरी : ...रूप ले लिया है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अब तो छक्का पड़ गया आपकी तरफ।

श्री भगराज चौधरी : उसके बाद की मैंने बात कही है। 1980, 1985 के बाद में यह धीरे-धीरे फैला है और मुख्य तौर से इस विभाग में भ्रष्टाचार 1990 के बाद में फैला है।

श्री रामस्वरूप : 1977 के बाद बोलो... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप, विराजें... (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : अब तो ऐसी स्थिति हो गयी है कि जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक आम जनता का सहयोग नहीं मिलेगा और जब तक सरकार की ओर से कड़े कदम नहीं उठाये जाएंगे तब तक इस प्रकार की स्थिति पर काबू पाया जाना भी मुश्किल प्रतीत हो रहा है। यह एक विकट स्थिति है जो हमारे सामने नजर आती है। मैं इस बात को यहीं छोड़ता हूं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री भगराज चौधरी : जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा के दौरान मुख्य मुद्दे उठाये हैं मैं उनके संबंध में कुछ चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि मरूस्थल क्षेत्र में एक नर्सरी लगाने की आवश्यकता है। मैं इसके बारे में जांच करवा लूंगा, यदि सुविधा होगी तो उसके बारे में भी विचार किया जा सकता है। मरूस्थल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यह बात कही है कि बहुत बड़े क्षेत्रफल में इसको बना लिया है, परन्तु जितना बड़ा क्षेत्र घेरा गया है उसके अनुपात में उसका उपयोग नजर नहीं आ रहा है। इस दृष्टिकोण से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक अभ्यारण्य का सवाल है उसका एरिया जैसा मुझे जानकारी मिली है, 2162 वर्ग किलोमीटर है। उसमें बहुत कम प्रजाति के वन्य प्राणी हैं। इतने बड़े भू–भाग के रख–रखाव के लिए हमें काफी स्टाफ लगाने की जरूरत पड़ती है और काफी खर्चा भी करना पड़ता है। इसलिए देखना यह पड़ेगा कि आय और खर्चे के अनुपात में और इतने बड़े भू–भाग पर कब्जा करने के बाद में जिन लोगों को परेशानी हो रही है उसके अनुपात में वहां पर वन्य जीव पाये जाते हैं या नहीं पाये जाते हैं और इसका क्या उपयोग है इस संबंध में मैं जांच कराऊंगा। इसके साथ में जो नेशनल पार्क का एरिया है, 2162 वर्ग किलोमीटर, उसका करीबन 1/10 अथवा 1/11 वां हिस्सा जो भी संभव होगा, गांव को आइडेंटीफाई करके भू–भाग को सीमित रखने की कोशिश करेंगे जहां पर गांव नहीं आते हों, किसानों के खेत नहीं आते हों, किसी प्रकार की दिक्कत पैदा नहीं होती हो।

उसके बाद में मोहन लालजी मोदी माननीय सदस्य जो सीकर से आते हैं, उन्होंने जमुवारामगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र की बात कही। बात तो सही है कि इस अभ्यारण्य के संबंध में काफी कुछ कठिनाइयां पैदा होने की बात कही गयी है। अभी इस सैंक्चुरी के बारे में पुख्ता निर्णय नहीं लिया गया है केवल प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। इसी बीच में कानूनी दृष्टिकोण से भी इसकी जांच–परख की जा रही है। जांच करने के पश्चात् जो स्थिति सामने आएगी उसके अनुरूप निर्णय लिया जाएगा।

इसके साथ ही चेजा पत्थर के बारे में भी कहा गया कि चेजा पत्थर वन क्षेत्रों से उठाने में, ले जाने में काफी कुछ कठिनाई

(श्री भगराज चौधरी)

सभी किसानों को हो रही है। उसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे परसूटस के अंतर्गत ही हमने कई प्रावधान कर रखे हैं। हमारे वन क्षेत्र के नजदीक या उसकी पैराफेरी में, उसके आस–पास में बसे हुए हैं ऐसे गांवो को पुराने जमाने में जो राइट्स थे, कंसेशन थे, उन्हीं अधिकारों को रखते हुए अपना बिल्डिंग स्टोन मैटीरियल अपने खुद के साधनों ऊंट गाड़ी है, छकड़ा गाड़ी है, ठेला है आदि साधनों से लाने की सुविधा दिये जाने के बारे में हमने आदेश जारी कर दिये हैं।

यह बात सही है कि हम एक तरफ तो मशीनीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ बैलों को रखना भी बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। चारा भी महंगा है लेबर भी काफी महंगी हो गयी है, इसलिए बैलगाड़ियां तो खतम हो गयी और ऊंट गाड़ियों की संख्या भी बहुत सीमित हैं इसलिए ऊंट गाड़ियों और बैलगाड़ियों के साथ–साथ ट्रैक्टरों में पीछे ट्रोली लगाकर इस प्रकार के चेजा पत्थर...

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपसे निवेदन है कि सभी माननीय सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर माननीय मंत्री महोदय लिखित में भिजवा दें तो ज्यादा स्पष्ट होगा, प्रभावी रहेगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें, माननीय सदस्य।

श्री हीरासिंह चौहान : आप कौन हो ? मंत्री स्वतंत्र हैं अपना उत्तर देने में। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, हमको तो यहीं उत्तर चाहिए...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : कौन होता हूं ? मैं आपकी तरह माननीय सदस्य हूं। आपकी जो कैपेसिटी है वही मेरी कैपेसिटी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उसका ...(व्यवधान) मंत्रीजी बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उनको बोल दिया कि बी.जे.पी. के जमाने में जंगल राज होगा, जंगल काट दिये गये। आप बोलते कि गलत है। आप सब चुप थे, आपकी स्वीकारोक्ति थी, आप क्या बोलेंगे ? (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : इस चेजा पत्थर को लाने की सुविधा के संबंध में बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी के साथ–साथ ट्रैक्टर जिस के साथ में ट्रोली जोड़ी जा सकती है। यह वन संरक्षण अधिनियम चूंकि केन्द्रीय कानून है, केन्द्रीय कानून होने के कारण से हमें बहुत–सी घोषणाएं अथवा आदेश अपने स्तर पर ही करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। हमने इस मामले में केन्द्र सरकार को लिखकर भेजा है। यदि वहां से हमें ट्रैक्टर के साथ में ट्रोली के जरिये भी चेजा पत्थर लाने के

(श्री भगराज चौधरी)

बारे में परमीशन मिल जाती है तो फिर यह व्यवस्था भी बाद में करने के बारे में विचार किया जाएगा। इसके अलावा यह भी कहा गया कि जमुवारामगढ़ वन क्षेत्र तथा उसके आसपास के क्षेत्र में खनिज धारकों को खान आपरेट करने के बारे में सुविधा नहीं दी जा रही है जबकि श्रुति मार्बल्स को यह सुविधा दी गयी है। माननीय सदस्य जिन्होंने यह मुद्दा उठाया है, मुझे लिखकर देंगे तो मैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा, जांच कराऊंगा और यदि इसमें किसी भी प्रकार की गलती की गयी है तो आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय मंत्रीजी, मेरा उत्तर नहीं दिया एडवाइजरी कमेटी का। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, टौंक जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने सबसे पहले चिन्ता प्रकट की थी कि वन क्षेत्रों के विनाश के बारे में आम पब्लिक भी कुछ हद तक जिम्मेवार हो सकती है, कर्मचारी, अधिकारी भी इसमें लिप्त हो सकते हैं और इसी कारण से यह स्थिति बनती जा रही है। ऐसी स्थिति में जो भी नए वृक्षारोपण के कार्य करवाए जाएंगे उनमें वन विभाग के अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी तय करने के बारे में फिलहाल जो उनके सुपरवाइजरी मानदण्ड हैं उनको बढ़ाने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल मुझे जानकारी मिली है कि वृक्षारोपण कार्य तो रेंजर करवाते हैं मगर उसके बाद में जो भी प्लांटेशन कार्य किया जाता है, जो भी प्लांट्स लिये जाते हैं प्रत्येक जिले के अंदर उसके पांच से 10 प्रतिशत का निरीक्षण करने का ही ए.सी.एफ. का मानदण्ड रखा गया है। मेरे खयाल से डी.सी.एफ. अथवा डी.एफ.ओ. शायद पांच प्रतिशत भी निरीक्षण नहीं करता होगा। यही सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार का है। भ्रष्टाचार रेंजर के स्तर पर होता हैं, उसके नीचे के स्तर पर होता है। जो पैसे का गबन किया जाता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसके ऊपर जिले के अधिकारियों तक पहुंचने की बात भी होगी। इसलिए मैं आज घोषणा करता हूं कि जो भी प्लांटेशन के कार्यक्रम जिले के अंदर लिये जाएंगे उनमें कम से कम 50 प्रतिशत की स्वयं ए.सी.एफ. को जाकर निगरानी करनी पड़ेगी और रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि आया रेंजर द्वारा जो भी पौधे लगाए गए हैं वे प्लान के अनुसार हैं या नहीं। प्लांटेशन के अलावा दूसरे सारे कार्य चाहे ट्रैंचेज निर्माण के हों, चाहे एनीकट्स के हो और चाहे कोई दूसरे काम कराए जाने हो, आया वे बराबर प्लान के अनुसार हैं या नहीं। जो भी धनराशि खर्च की गई है वह सही की गई है। ए.सी.एफ. के साथ–साथ में समझता हूं डी.सी.एफ. और डी.एफ.ओ. एक इम्पार्टेण्ट कड़ी हुआ करते हैं जो कि जिले में इस प्रकार के भ्रष्टाचार के जिम्मेदार हैं, इसलिए

(श्री भगराज चौधरी)

उन पर भी अकाउंटेबिलिटी डालने के लिए जितने कार्य जिले में करवाए जाएंगे जिस किसी योजना के तहत, उसमें कम से कम 25 प्रतिशत प्लांटेशन डी.एफ.ओ., डी.सी.ओ. को खुद जाकर देखना पड़ेगा और लिखित रिपोर्ट देनी पड़ेगी। इस प्रकार के आदेश मैं जारी करने जा रहा हूं।

इसके अलावा सलमान खान संबंधी हिरण के शिकार के बारे में जो मुकदमा वन विभाग द्वारा दर्ज किया गया है उसमें अभी तक चालान पेश नहीं किया है न्यायालय में यह सही है। इसका मुख्य कारण है कि एक तो हमारे वन विभाग के अधिकारियों–कर्मचारियों को जांच करने का ज्ञान नहीं है और ज्ञान के अभाव में इसकी जांच करके ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, एक बार में आपने कुछ ज्ञान दिया ही नहीं अधिकारीगण को।

श्री रामस्वरूप : जिनको ज्ञान नहीं हैं उनको हटाओ आप।

श्री भगराज चौधरी : इसकी जांच करके चार–पांच महीने के अंदर ही चालान पेश कर दिया जाएगा।

श्रीमती ममता शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर एक दोहा...(व्यवधान) एक मिनिट

श्री हीरासिंह चौहान : यह सही है कि वन विभाग के अधिकारियों में सी.आर.पी.सी. का प्रशिक्षिण लिए हुए थोड़े हैं, सी.आर.पी.सी. का अध्ययन किए बिना चालान कैसे बनाएंगे ?

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : आपको एतराज होना ही नहीं चाहिए, बिलकुल पारदर्शिता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप बीच में क्यों ?

श्री भगराज चौधरी : देखिए, हम लोग संवेदनशील हैं, हमारी सरकार पारदर्शी है और जो हकीकत है, उसको छिपाने की जरूरत भी नहीं है। (व्यवधान) अगर मैं छुपाता हूं तो मैं जनता के प्रति, संविधान के प्रति और अपनी आत्मा के प्रति...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : सलमान खान प्रकरण साम्प्रदायिकता से भी ग्रसित है, उसमें मिलावट है।

श्री भगराज चौधरी : ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें मैलाफाइड इन्टेंशन से देरी तो नहीं हुई है, तो बोनाफाइड मिस्टेक, मगर फिर भी तफतीश करने के तरीकों की जानकारी न होने से काफी लम्बा समय लग गया। इसी बीच में हमने डी.एन.ए. परीक्षण के लिए जो नमूने भेजे थे, उसमें कुछ रिपोर्ट ठीक–ठाक आने वाली नजर नहीं आई। जो रिपोर्ट मिली थी उससे स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही थी इसलिए कुछ प्रश्नावली बनाकर दुबारा रिपोर्ट भेजी गई है। रिपोर्ट मंगवाने के बारे में अभी तक हमें वहां से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, प्रश्नावली के आधार पर दुबारा जब भी रिपोर्ट मिलेगी,

(श्री भगराज चौधरी)

उसके आधार पर कानूनी कार्यवाही करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य...(व्यवधान) क्या कर रहे हैं आप ? सरकार जवाब दे रही हैं, आप क्या बोल रहे हैं ?

श्री मदन दिलावर : कौनसा तरीका है।

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कही गई कि वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग नहीं बुलाई गई है, काफी देर हो गई, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। पिछले वर्षों में जब–जब मीटिंग बुलाई गई, उसका अवलोकन किया है और उससे जो जानकारी मिली वह यह है कि करीब–करीब एक साल के अंतराल के बाद ही मीटिंग बुलाई गई। हमारी सरकार को अभी करीब 15 महीने हुए हैं इसलिए मेरे खयाल से इसमें कोई ज्यादा लम्बा समय होने वाली बात नजर नहीं आ रही है। यह सत्र समाप्त होने के पश्चात मीटिंग बुला लेंगे। इसके अलावा मैंने एक और बात कही थी।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं माननीय मंत्रीजी को याद दिलाना चाहता हूं कि 1998 के लास्ट में मीटिंग हुई थी, आपके टाइम में तो एक भी मीटिंग नहीं हुई। 1999 में बुलाई थी, कैंसिल कर दी। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : 1998 के दिसम्बर में नहीं अक्टूबर में बुलाई गई थी, बुला लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, धन्यवाद।

श्री भगराज चौधरी : एक बात और कही गई, वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड का महत्व कम करके एक नयी कोई कमेटी ...(व्यवधान) इन्होंने उल्लेख किया कि वन्य जीव सलाहकार बोर्ड के महत्व को कम करने के लिए एक दूसरी कमेटी बना ली गई है बायो डाइवर्सिटी कंजर्वेशन ईको डवलपमेंट बोर्ड मुझे इसकी जानकारी नहीं, मैं मालूम कर लूंगा कि यह बोर्ड कैसे बनाया गया, किसने बनाया है जहां तक मुझे जानकारी है, मेरे खयाल से इससे कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि यह जो बोर्ड है वह सरकारी स्तर पर नहीं बनाया गया है और न ही कोई विभागीय स्तर पर बनाया गया है। केवल मात्र सलाह देने के तौर पर कुछ व्यक्तियों को जंची कि इसके बारे में अपने व्यूज इकट्ठा कर इस बोर्ड को पहुंचा दें इस उद्देश्य से कुछ अधिकारियों और कुछ अन्य लोगों को सलाह मश्विरा के तौर पर एकाध बार शामिल किया गया है। (व्यवधान) ऐसा कुछ नहीं है, यह सरकारी स्तर पर नहीं बनाया गया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उनको समाप्त करने दीजिए, बाद में बोल लेना उनको समाप्त करने दें। बार–बार आप बीच में उठकर बोलते हैं।

श्री भगराज चौधरी : जहां तक मेरी जानकारी है, यह बोर्ड सरकारी स्तर पर नहीं बनया गया है।

श्री दिग्विजय सिंह : आप इसको बोर्ड कहते हैं क्या ? जो बोर्ड बनाया गया है, वह क्या बोर्ड हैं ? बोर्ड के ऊपर बोर्ड है क्या ? क्या बात कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें, माननीय सदस्य।

श्री भगराज चौधरी : मैं खुद कह रहा हूं न कि मैं इसको स्वीकार नहीं कर रहा हूं। जहां तक मुझे जानकारी है, ऐसा बोर्ड नहीं बनाया गया है। कुछ व्यक्तियों ने प्राइवेटली अपनी स्वयं की रुचि के आधार पर मिलकर और एडवाइजरी बोर्ड को सलाह देने के उद्देश्य से कुछ बातों पर विचार करने के लिए एकाध मीटिंग बुलाई होगी।

श्री दिग्विजय सिंह : आपकी जानकारी में है क्या ? आपकी जानकारी से बनाया हुआ है क्या ? एडवाइजरी बोर्ड को एडवाइज देने के लिए बोर्ड बना हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उनको कहो ना रुकें। मैं तो कह रहा हूं ना, धन्यवाद दे रहा हूं और क्या कहूं।

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जगमाल सिंहजी और दायमाजी ने भी अलवर जिले में अनधिकृत रूप से वन क्षेत्र में खनन कार्य करवाएं जाने के बारे में काफी चिंता व्यक्त की है उनके द्वारा जानकारी मिलने पर मैं जयपुर से एक विजिलेंस स्क्वाड को भेजकर अवैध खनन कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी लेकिन अवैध खनन कार्य करने वाले व्यक्ति इतने सजग हैं, इतने चपल हैं, इतने चतुर हैं कि जब भी इस प्रकार की जानकारी मिली, वहां पर अधिकारी आते हैं तो पहले से ही वे वहां से भाग जाते हैं। पता नहीं उनको कैसे जानकारी मिलती है। इसलिए इसके बारे में नए सिरे से प्रयत्न करके निश्चित तौर सें वहां पर अवैध खनन कार्य चलाया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आपके स्पेसिफिक सवालों का जवाब दे दिया उन्होंने और क्या चाहिये आपको ?

श्री भगराज चौधरी : इसके अलावा पर्यावरण के दृष्टिकोण से माननीय जगमाल-सिंहजी ने नलिनी प्राइवेट लिमिटेड, अलवर, श्रीराम फाइबर्स लिमिटेड, अलवर; इन औद्योगिक इकाइयों के द्वारा वायू प्रदूषण फैलाये जाने का चर्चा में उल्लेख किया। मैं दुबारा अपने प्रदूषण मण्डल के अधिकारियों की टोली वहां भेजकर सभी दृष्टिकोणों से चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे और कोई प्रदूषण हो उसकें बारे में जांच-पड़ताल करवा लूंगा। जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर निर्धारित मानदण्ड के अलावा यदि उससे अधिक प्रदूषण के तत्व पाये गये तो निश्चित रूप से नियमानुसार इसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

इसके अलावा रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य हीरासिंहजी ने एक सबसे बड़ी बात कही कि वनों की जैसी स्थिति

(श्री भगराज चौधरी)

बनती जा रही है उसे देखते हुए वनों के संरक्षण के लिए और वनों के ठीक संवर्द्धन करने के लिए कोई वन नीति बनाने की जरूरत है। मैं समझता हूं इस संबंध में गंभीरता से विचार किया जाएगा और विचार करके जो भी इस संबंध में संभव हो सकता है उसके बारे में कदम उठाये जाएंगे।

इसके अलावा आरा मशीनों का लगे होने, विशेषकर बड़े वन क्षेत्रों के आसपास, की बात कही गयी। नियमानुसार वन क्षेत्र के 10 किलोमीटर की परिधि के अंदर कोई आरा मशीन नहीं लगनी चाहिए, इसलिए जहां कहीं भी आरा मशीन लगने की जानकारी आपको मिल जाती है आप कृपया मुझे लिखित में विशेष रूप से स्थान का नाम, गांव का नाम दीजिए जिससे कि मैं उस पर जानकारी स्वयं करके जांच करवा सकूं। नियमानुसार यदि वे आरा मशीन नहीं चल रही हैं, कानून के खिलाफ चल रही हैं तो उन आरा मशीनों को बंद कराने की कार्यवाही करूंगा।

इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बात माननीय सदस्य ने कही। उनका कहना यह था कि जूली–फ्लोरा पूरे राजस्थान में एक समस्या बन गया है। इसी समस्या को देखते हुए आज से करीबन 9 वर्ष पहले 1991 में हमने प्रावधान किया था कि जूली फ्लोरा और तीन अन्य प्रकार के पेड़ों बबूल, अरडू, शीशम की कटाई काश्तकरों द्वारा यदि की जाती है तो काटने के लिए उनको न तो परमीशन लेनी पड़ेगी और कटाने के पश्चात् राजस्थान की सीमा के अंदर बिना किसी प्रकार का परिवहन पास लिये उनका परिवहन कर सकते हैं, इस प्रकार के आदेश जारी किये हुए हैं। काट भी सकते हैं और ले जा भी सकते हैं। ये सात प्रकार की प्रजाति के पेड़ हैं, चार तो बबूल हैं इजरायली बबूल, देशी बबूल, सबबूल और विलायती बबूल तथा अरडू, शीशम और सफेदा। तीन–चार जिले गंगानगर, हनुमानगढ़ और जोधपुर जिले के ओसियां तहसील और जैसलमेर जिले को छोड़कर शेष राजस्थान के सभी भागों में इन सातों प्रकार की प्रजातियों के पेड़ों को काटने की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है काटने के बाद में कोई भी व्यक्ति बिना परिवहन का पास प्राप्त किये इनका परिवहन राजस्थान की सीमा के अंदर कर सकता है। जब इस प्रकार के पेड़ों का परिवहन किया जा सकता है उसी बात को देखते हुए इनसे अगर कोयला बनाया जाता है तो उसका परिवहन भी राजस्थान की सीमा के अंदर बिना टी.पी. के किया जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था आलरेडी की हुई है। अब सवाल पैदा यह होता है कि जब राजस्थान के अंदर इनका परिवहन फ्री कर दिया बिना टी.पी. के बिना परिवहन पास के काटने की हमने छूट दे रखी है तो फिर जूली फ्लोरा से जो कोयला बनाया

(श्री भगराज चौधरी)

जाता है ऐसे कोयले को बिना परिवहन पास के राजस्थान की सीमा से बाहर भेजने में क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि राजस्थान सीमा के बाहर भेजनें में केवल मात्र एक रुपये की टी.पी. की फीस लगती है, टी.पी. लेने पर केवल मात्र एक रुपया जमा कराना होता है। जहां तक सेल्स टैक्स की वसूली का सवाल है, जो भी ट्रक कोयले से भरा हुआ राजस्थान सीमा के बाहर जाएगा बिल के मार्फत जाएगा। बिल के द्वारा नहीं जाने पर सेल्स–टैक्स के अधिकारी हमारे प्रदेश की चौकी पर उनको पकड़ सकते हैं, जुर्माना कर सकते हैं, सेल्स टैक्स वसूल कर सकते हैं। सेल्स टैक्स की चोरी होती नहीं है ऐसी स्थिति में प्रदेश की सीमा से बाहर भेजने में मेरे खयाल से फिलहाल जो परिवहन पास की अनिवार्यता रखी हुई है उस अनिवार्यता को कहां तक कायम रखा जाना उचित है। मैं इस बारे में अभी घोषणा नहीं करता हूं, इस बारे में कानूनी पहलू को और एग्जामिन करके शीघ्रातिशीघ्र इस बारे में निर्णय करूंगा।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय मंत्रीजी, ट्रक पकड़ा हुआ खड़ा है उसका क्या हुआ ? एक महीना हुआ है, उसके बारे में कुछ बोलो। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : इसके अलावा एक बात और कही कि भीलवाड़ा जिले में ग्राम पंचायत की गोचर भूमि में से पंचायत की परमिशन लेकर किसी एक व्यक्ति को कांट्रेक्ट दिया गया था। करीबन 11 क्विंटल कोयला टेक्टर में भरकर वह व्यक्ति वहां से जाने लगा, तो जब राजस्थान के अंदर कोयले के परिवहन पर किसी प्रकार से टी.पी.लेने की अनिवार्यता नहीं है, छूट दी हुई है ऐसी स्थिति में उस ट्रैक्टर में जो कोयला भरा हुआ था उसके लिए टी.पी. की आवश्यकता की बात करके काश्तकार को रोकना, उस पर जुर्माना करना मैं समझता हूं कि यह सब गलत कार्यवाही की गई है। इसलिए इसके बारे में मैंने अधिकारियों को शीघ्र ही जांच करके आवश्यकतानुसार कार्यवाही करने के आदेश दे दिये हैं। यदि यह पाया गया कि वाकई में गलती की है जैसा कि मुझे लग रहा है, तो निश्चित तौर पर गलती करने वाले कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री दिग्विजय सिंह : मंत्रीजी, आप इस बारे में बात किससे करोगे ? यह जो कोयले की बात है किससे बात करोगे ? यू आर दी गवर्नमैंट।

श्री भगराज चौधरी : मेरी बात सुनिए। मैं कानूनी दृष्टिकोण से इसको एग्जामिन करूंगा। इसमें मेरे मंत्रिमण्डल के सदस्यों से राय लेनी पड़ेगी, आखिर में सरकार की जोइंट रेस्पांसिबिलिटी है, नीतिगत मामला है, कानून के मामले में जानकारी मुझे है... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माहौल में गंभीरता नहीं है। मैं

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

आपसे निवेदन करता हूं कि आप गंभीरता बनाए रखने के लिए आवश्यक रूप से कार्यवाही करें। सदन में मजाक बन रही है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बीच–बीच में उठकर आपत्ति कर रहे हैं, सदन की गंभीरता बनाये रखने के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कृपया गंभीरता बनाये रखने के लिए आप इनके आचरण पर नियंत्रण कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, गंभीरता बनाने से नहीं बनती, गंभीरता जवाब से बनती है। बनाने से नही बनती गंभीरता।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना बिलकुल सही है, आप समझ गये होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए, अनन्नेसेसरी कंट्रोवर्सी पैदा मत करो। आप बिराजें प्लीज।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह सदन है और हमें मर्यादित व्यवहार रखना चाहिए।

श्री भगराज चौधरी : कोयले का राजस्थान से बाहर परिवहन करने के बारे में टी.पी. की अनिवार्यता समाप्त करने अथवा नहीं करने के बारे में गुण–दोष के आधार पर शीघ्र निर्णय किया जाएगा विचार करने के बाद।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मंत्री महोदय, आप मेरी बात का जवाब तो दीजिए कि अदालत के फैसले के बाद आप अपने वनों के अतिक्रमण को नहीं हटा पाये। मेरी बात का जवाब दीजिए।

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने आंधी क्षेत्र में आवंटित खानों का खनन कार्य बंद कराये जाने की चर्चा की। आप जानते हैं, 12 दिसम्बर, 1996 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक फैसला दिया गया था जिसके अनुसार उन सभी क्षेत्रों में जो खनन कार्य पहले चलाये जा रहे थे, चाहे आवंटित खाने ही हों, उन खानों को भी बंद करनें के आदेश दिये थे। उन्हीं आदेशों के अनुसार आंधी क्षेत्र में भी खनन कार्य बंद कर दिया गया है। चूंकि यह सैंक्चूरी का भाग है, सैंक्चुरी का भाग होने के कारण से इसमें किसी प्रकार का दुबारा खनन कार्य किया जाना फिलहाल संभव नहीं हो रहा है। अब तो केवल मात्र एक ही कानूनी बिन्दु है। इस मामले को हमने एडवोकेट जनरल को भेजा था और एडवोकेट जनरल ने यह राय दी थी कि कलेक्टर को धारा 18, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इंक्वायरी करनी होती है। इंक्वायरी के दौरान जो क्षेत्र सैंक्चुरी के अंदर शामिल किया जा रहा है उस क्षेत्र में कौन–कौन लोग रहते हैं, क्या–क्या उनके अधिकार हैं, क्या राइट्स हैं, क्या उनकी प्रापर्टी है, क्या उनकी सम्पदा है इन सब बातों की जांच–पड़ताल करने के बाद में उनका आब्जेक्शन सुनने के बाद में फिर यदि किसी के राइट्स इफैक्ट होते हैं तो या तो वह क्षेत्र जिनके राइट्स इफैक्ट होते हैं उसे उसमें शामिल नहीं करें और

(श्री भगराज चौधरी)

यदि शामिल करना जरूरी समझें तो फिर उनको मुआवजा देने के बारे में भी वे सिफारिश राज्य सरकार को देंगे। मुझे इसमें निवेदन करना यह है कि जिला कलेक्टर, अलवर ने कानूनी पहलू को ध्यान में रखते हुए पूरी जांच नहीं की और केवलमात्र एक इस आधार पर उन्होंने इंक्वायरी करने से अपने आपको रोक दिया कि यह तो पहले से रिजर्व फोरेस्ट है, जब भी रिजर्व फोरेस्ट इसको बनाया गया था उस समय में उस क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों के अधिकारों की सुनवाई हो गई थी इसलिए नये सिरे से सुनवाई किया जाना जरूरी नहीं है जबकि एडवोकेट जनरल की राय के आधार पर...

श्री शैलेन्द्र जोशी : +++ उपाध्यक्ष महोदय।

श्री भगराज चौधरी : जबकि एडवोकेट जनरल की राय यह थी...

श्री शैलेन्द्र जोशी : हां, +++

श्री उपाध्यक्ष : आप भी अपने आप पर नियंत्रण रखिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सदन की गरिमा बनाइये।

श्री भगराज चौधरी : जबकि एडवोकेट जनरल की राय यह थी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं तो व्यवस्था में आपको सहायक हो रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, समाप्त कीजिये कृपा करके।

श्री भगराज चौधरी : जबकि एडवोकेट जनरल की राय के आधार पर इस मामले में...

श्री जगत सिंह दायमा : मैं धरना दूंगा अगर मेरा सवाल नहीं बताया तो।

श्री भगराज चौधरी : जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा कानून के अनुसार सम्पूर्ण कार्यवाही नहीं की गयी इसलिए उनकी राय के आधार पर इस मामले को दुबारा जांच हेतु भेजे जाने की आशा थी। मगर ऐसा करने के बजाय सामने एडीशनल एडवोकेट जनरल की राय यह आ गयी कि इसमें अगर आप दुबारा इन्क्वायरी नहीं भी कराते हैं तब भी इससे मामला चल सकता है। ऐसी स्थिति में, इस मामले पर फिलहाल निर्णय लिया नहीं है।

श्री अमीन खान : उपाध्यक्ष महोदय, क्या हर माननीय सदस्य का जवाब देना जरूरी है ?

श्री उपाध्यक्ष : इनसे पूछो।

श्री अमीन खान : हर एक शब्द का जवाब देना क्या जरूरी है ? हर एक शब्द का जवाब देना, यह कोई बच्चों की किताब है क्या जो मास्टर को जवाब देना है ?

श्री गोवर्द्धन कल्ला : नीतिगत का जवाब दो, बाकी का जरूरी नहीं है। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री भगराज चौधरी : चूरू से आने वाले माननीय राजेन्द्र राठौड़ ने भी एक बात कही थी। उपाध्यक्ष महोदय, यदि सदन के माननीय सदस्यों की और आसन की यह राय हो कि मैं अपनी बात यहीं समाप्त कर दूं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं नहीं, बोलो साहब, आप तो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। (व्यवधान) समाप्त थोड़े ही किया है उन्होंने, वे तो आपको पूछ रहे हैं।

श्री भगराज चौधरी : पर मैं समझता हूं...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्रीजी पर आरोप लगाया था।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने समाप्त किया ही नहीं, आप तसल्ली रखो, बोल रहे हैं वह तो। समाप्त कहां किया उन्होंने ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्रीजी पर आरोप लगाया था।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने समाप्त कहां किया, बात कर रहे हैं वह बोल रहे हैं।

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने वनों की सुरक्षा के लिए, प्रबंध के लिए और वनों के संबर्द्धन के लिए अधिक से अधिक मात्रा में जन सहभागिता लेने के बारे में विचार प्रकट किये थे। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस दिशा में सरकार की ओर से पहले ही पहल कर दी गयी है और राजस्थान के अंदर वन क्षेत्रों की रखवाली के लिए सुरक्षा के लिए, प्रबंध के लिए 2700 ग्राम सुरक्षा प्रबंध कमेटियां बनायी जा चुकी हैं उन 2705 कमेटियों में से करीब 800 कमेटियां ऐसी हैं जो कि वन सुरक्षा और प्रबंध में बहुत ही ज्यादा रुचि ले रही हैं। आपको जानकर यह खुशी होगी कि अभी उदयपुर जिले की झाड़ोली पंचायत समिति में स्थित शानूथेड़ा गांव की वन सुरक्षा प्रबंध कमेटी को इन्दिरा गांधी प्रियदर्शिनी पुरस्कार भारत सरकार के वन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिया गया है जो कि अपने आप में बहुत बड़ा पुरस्कार है।

इसके अलावा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी तय करने के साथ साथ, बढ़ाने के साथ साथ जिले में जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी निगरानी समितियां कायम की जानी चाहिए। मैं आपके सुझाव पर यह घोषणा करता हूं कि प्रत्येक जिले के अंदर वहां के मननीय सदस्यों की प्लस जिला परिषद् के जिला प्रमुख और प्रधानों में से एक व दो जैसा भी उचित समझा जाएगा, उनकी एक निगरानी समिति बनायी जाएगी उनके साथ जिला कलक्टर अथवा जिले के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाएगा। स्थायी स्तर पर जो भी वृक्ष लगाये जाएंगे, जिन प्लाट्स पर लगाये जाएंगे,

(श्री भगराज चौधरी)

इस कमेटी के द्वारा उनसे कराये गये काम के आधार पर निरीक्षण करवाये जाने के बारे में आदेश जारी किये जाएंगे।

जैसा हमने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण वनों का मामला है, पर वनों की रखवाली करने वाले जो हमारे वन कर्मचारी है उनकी दक्षता को बढ़ाने के लिए और ड्यूटी के प्रति ज्यादा समर्पित भाव से कार्य करने की दिशा मे हमने अभी तक उनको कोई वर्दी नहीं दी थी माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि पहली बार हमने इस बार छोटे कर्मचारियों से लगाकर और रेंजर तक के अधिकारियों को सरकार की ओर से वर्दी देने का निर्णय लिया है और इसी चालू वित्तय वर्ष से देना चालू कर दिया जाएगा। (व्यवधान) मैं रेंजर की बात कर रहा हूं, रेंजर तक इसके लिए मैं और निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भयंकर फैले हुए भ्रष्टाचार को देखते हुए...

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कमेटी बनेगी उसमें एम.एल.ए. को भी वर्दी मिलेगी क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। (व्यवधान) रामस्वरूपजी।

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के दोनों ओर बैठे हुए माननीय सदस्यों को मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी जिसकी सरकार राजस्थान में है और जो 15 महीन से बहुत सफलता के साथ में आगे बढ़ रही है, उस पार्टी के द्वारा जब चुनाव लड़े गये थे तो चुनाव घोषणा पत्र में हमने यह अंकित किया था कि बढ़े हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, इस पर अंकुश लगाने के लिए हम प्रभावी कार्यवाही करेंगे। इसके पश्चात् हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी कई बार इस विषय में स्टेटमैंट दिये हैं मेरा स्वयं का मानना है कि अब समय आ गया है कि इस भ्रष्टाचार जैसे राक्षस को मिटाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। इसलिए वन विभाग के अंदर जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं उनकी छंटनी करके उनको अनिवार्य सेवानिवृति देने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। इसकी भी मैं जांच करवा लूंगा। ए.सी.आर. के आधार पर जिन अधिकारियों के, कर्मचारियों के रिकार्ड डाउटफुल पाये जाएंगे, जिनको किसी भी स्थिति में सरकार में और विभाग में रखा जाना उचित नहीं है, ऐसे कर्मचारियों, अधिकारियों की छंटनी कर दी जाएंगी।

अब एक बात जो बहरोड से आने वाले माननीय सदस्य डा. करण सिंहजी ने कही कि उनके वहां पर एक ग्लोबल फैक्ट्री के द्वारा जल प्रदूषण इतना फैलाया जा रहा है कि उसके आस–पास में रहने वाले लोगों का जीना दूभर हो गया है। यह बात सही है। वह मेरे से मिले थे और मैंने तत्काल राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के अधिकारियों को मौके पर जाने के लिए आदेश दिये थे। मगर मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि

(श्री भगराज चौधरी)

मेरे आदेश देने के पश्चात् अधिकारी पहुंचते उससे पहले पहले चलती हुई फैक्ट्री बन्द कर दी गयी। अब यह किस प्रकार से बन्द कर दी गयी, इसका सीधा–साधा आप नतीजा निकाल सकते हैं। यह कमजोरी है। फिर भी हमने इसका पीछा नहीं छोड़ा आखिर में इसको हमने बंद करवाया। पहले हमने बिजली बंद करवायी। बिजली बंद करवाने पर उन्होंने अपना खुद का जनरेटर सैट लगा दिया। पानी की सप्लाई भी हमने कटावा दी, बिजली भी बंद करवा दी उसके बावजूद भी उन्होंने अपने खुद के जनरेटर और पानी बाहर से लाकर फैक्ट्री को चालू रखा। तब फिर हमने अपने प्रदूषण मण्डल के कानून के अन्तर्गत जो भी अधिकार है इस प्रकार की फैक्ट्रियों को बंद कराने के बारे में, उनके अनुसार जिला मजिस्ट्रेट अलवर को आदेश दिये और इस फैक्ट्री को बंद कराया। परन्तु बन्द कराने के पश्चात् दुर्भाग्य से हमें यह जानकारी नहीं मिली कि उस फैक्ट्री के मालिक ने हाई कोर्ट में जाकर, हालांकि मौके पर तो फैक्ट्री बंद हो चुकी थी मगर न्यायालय में यह जाकर कहा कि हमारी फैक्ट्री बंद करने जा रहे हैं। इस तथ्य पर विश्वास करते हुए हाई कोर्ट ने हमारे आदेश पर रोक लगा दी और हम उसमें केविएट लगा नहीं पाये। यह बात सही है अभी तक स्टे आर्डर लगा हुआ है लेकिन निश्चित तौर से इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए हम शीघ्रतिशीघ्र या तो स्टे आर्डर को हटाने की कोशिश करेंगे, जब तक फैसला नहीं हो तब तक और या न्यायालय का यह दिमाग बनता है कि फैसला होने तक स्टे आर्डर को हटाया जाना वाजिब नहीं है तो फिर न्यायालय से निवेदन करके इस रिट का शीघ्र ही फैसला करवाने की कोशिश करेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : नहीं तो आप धारीवाल साहब का बुलडोजर ले जाओ और कर दो साफ।-

श्री भगराज चौधरी : इसके अलावा एक माननीय सदस्य ने और कहा था कि जहां तक एयर पोल्यूशन का सवाल है, इसके बारे में न तो कोई यंत्र है, न कोई कार्यवाही की जाती है। मेरे खयाल से यह बात भी सही नहीं है। ऐसे 7–8 जिले हैं जयपुर, कोटा, अलवर, उदयपुर एवं जोधपुर चित्तौड़गढ़ वगैरह उनमें वायु प्रदूषण का माप करने के बारे में निर्धारित मापदण्ड की सीमा से अधिक है अथवा कम है इसका पता लगाने के लिए हमने सैन्टर्स बना रखे है। और लगातार इनके मार्फत कार्यवाही करायी जाती हैं, जांच करायी जाती है। इसके अलावा चम्बल रिवर, पाचना लेक, फतेहसागर लेक, रामगढ़ लेक, ग्राउंड वाटर मानिटरिंग एट पाली, ग्राउंड वाटर मानिटरिंग एट जोधपुर, माही रिवर, बांसवाड़ा, पुष्कर लेक और उदयपुर इन स्थानों पर जल प्रदूषण के दृष्टिकोण से जो भी तत्व वहां पर छोड़े जाते हैं वे सीमा से अधिक हैं या सीमा के अंदर हैं, इसकी जांच करने के

(श्री भगराज चौधरी)

बारे में बराबर मानिटरिंग करवाई जाती रही है।

इसके अलावा आपने एक बात और कही थी कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के अंदर भी जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण की बराबर जांच–पड़ताल करवाई जाती है। जो कोई भी औद्योगिक इकाई कानून के अंतर्गत बनाये गये नियमों की अवलेहना करे उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से काफी लम्बे समय तक वन एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित विचार माननीय सदस्यों ने रखे...

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि इलेबोरेट जवाब कोई नहीं दे सकता इतना बढ़िया जवाब दिया है तो अब क्या रहा गया है ?

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्रीजी, हमारे जवाब का क्या हुआ ? हमारे प्रश्न का जवाब दिया ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : हर बात का जवाब नहीं दिया जाता।

एक माननीय सदस्य : लिखित में दे दिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : दे दिया न आपकी बात का जवाब।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने आरोप लगाया था कि अदालत का विभाग के पक्ष में फैसला होने के बाद...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय खनिज मंत्रीजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ...यह विभाग नहीं हटा पा रहा है। मेरी बात का जवाब दिलवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : दे दिया, विराजें आप। बहुत हो गया। खतम करें न आप। कोई मतलब नहीं है। आप सब इतने सैटिस्फाइड हैं फिर क्या जवाब मांग रहे हो ? (व्यवधान) इतना हो गया, बहुत हो गया।

श्री भगराज चौधरी : ...मैं अपनी बात समाप्त करते हुए निवेदन करूंगा कि वन एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित जो भी मांग पेश की गयी है उसको स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय खनिज मंत्रीजी। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्या, हर बात का जवाब नहीं दिया जा सकता। इसका अलग से जवाब आ जाएगा। आपका जवाब नहीं मिला तो आप सरकार से बात करके जवाब ले लीजिये। हर चीज का जवाब थोड़े ही दिया जा सकता है ?

श्री रामस्वरूप : हमसे लिस्ट मांग ली है इन्होंनें भ्रष्ट्रों की और कुछ भी नहीं किया आज।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्वयं मंत्री रही हुई हैं, हर चीज का जवाब नहीं दिया जा सकता। आर्डर आर्डर। आर्डर प्लीज, आप विराजिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : मंत्रीजी के स्टैटमैंट के बाद मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं जवाब नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : जगमाल सिंहजी, प्लीज विराजिये। बहुत हो गया। एक घंटा हो गया ज़वाब देते, कितना दे अव ? आप विराजिये। माननीय खनिज मंत्रीजी, आप शुरू कीजिये। आर्डर प्लीज। I will not allow. Sit down please. विराजिये। एक घंटा हो गया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सवाल एक घंटे का और दो घंटे का नहीं है, सवाल यह है कि मैंने आरोप लगाया था मंत्री पर कि विभाग के पक्ष में अलादल का फैसला हो गया।...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विभाग के संबंध में इतना कह दिया जो कोई भी नहीं कह सकता, और कितना चाहिए आपको ? कितना सुनना चाहते हैं आप ? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ...वे जवाब दें इस बात का। (व्यवधान) क्या हुआ वह बताएं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। प्लीज विराजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : इतना हो गया कि विभाग में सब भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट विभाग है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये प्लीज। प्लीज को–आपरेट कीजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उन्होंने सब का जवाब दिया है, मेरी बात का जवाब नहीं दिया।

श्री जगत सिंह दायमा : विभाग ही भ्रष्ट हो फिर किसका जवाब दें ?

श्री उपाध्यक्ष : आप यदि इस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो फिर किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं हो सकते। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उन्होंने दिया ही नहीं जवाब।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय खनिज मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय मंत्री महोदय, क्लिंटन के साथ रणथम्भौर में आपने क्या क्या बात की, वह बताएं। माननीय मंत्री महोदय, अमरीका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ आपकी क्या क्या चर्चा हुई सवाईमाधोपुर बाघ अभ्यारण्य में, यह तो बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये विराजिये।

श्री मदन दिलावर : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप विराजिये। जरूरत नहीं है।

श्री रामस्वरूप : उन्होंने शेर–शेरनी देखे थे वहां पर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आपकी डिमांड ही खतम हो गयी, अब क्यों बोल रहे हो ?

श्री रामस्वरूप : सवाईमाधोपुर गये थे क्लिंटन के साथ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्लिंटन के साथ

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपकी क्या वार्ता हुई, वह तो बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर, विराजिये।

श्रीमती. सुमित्रा सिंह : आपने संरक्षण नहीं किया। (व्यवधान) किस बात के वन मंत्री है।

श्री उपाध्यक्ष : Take it seriously please. अब खतम होने दो, और किसी तरह से उठा लेना आप। प्लीज मेहरबानी करके कोपरेट कीजिये।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने कुछ नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा (राज्य मंत्री, खनिज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 41 खनिज सम्पदा के संबंध में माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखें। राजस्थान का 90 प्रतिशत इलाका ऐसा है कि जहां राजस्थान के भू–गर्भ में कहीं न कहीं, कोई न कोई खनिज छिपा हुआ है। मैं यहां के ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में कहूंगा कि जितनी तरह के मिनरल चाहे वह प्रधान खनिज हो या अप्रधान खनिज हो, जितने राजस्थान के भू–गर्भ में हैं, ऐसा भारतवर्ष के किसी कौने में नहीं है। इस दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है दो तरह से। एक तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह राजस्व विभाग है. स्टेट का और इससे जो आमदनी होती है वह स्टेट के विकास में लगती है। दूसरा महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जहां जहां माइनिंग होती है वहां वहां लेबर एम्प्लायमैंट भी मिलता है, बिजनस भी मिलता है जो खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है। दोनों पहलू महत्वपूर्ण हैं। बहुत से विभाग हैं जो केवल खर्च करते हैं लेकिन खनिज विभाग सम्पदा के दोहन से राजस्व प्राप्त करके देश और देशवासियों के विकास में योगदान करता है। इसलिए स्वाभाविक है कि जो माननीय सदस्य राजस्थान के विभिन्न कोनों से चुनकर आते हैं वे इस पर अपनी चिंता प्रकट करते हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस संबंध में अपने विचार रखें। कई माननीय सदस्यों ने कंस्ट्रक्टिव विचार रखे, कई माननीय सदस्यों ने इसके दोहन में जो कमियां हैं उनके बारे में अपने विचार रखे। कई माननीय सदस्यों ने यहां तक भी कहा कि इस सिस्टम में कहीं कमी है। ये सब बातें सामने आयीं। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि जितने माननीय सदस्य यहां हैं, जिन्होंने अपने विचार रखे हैं उनके विचार में एक बात समान रूप से सामने आती है कि इल्लीगल माइनिंग हो रही है, अवैध खनन हो रहा है और रायल्टी की चोरी हो रही है। किसी ने कहा है कि आपके अलाटमैंट में कहीं न कहीं कमी रहती है कि अमुक व्यक्ति ले जाता है और अमुख व्यक्ति रह जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक खनिज की रायल्टी की चोरी का सवाल है उससे मैं कतई सहमत नहीं हूं। इसलिए सहमत नहीं हूं कि दिन प्रतिदिन जब कि

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

पर्यावरण का प्रकोप हमारे पर है, वन का प्रकोप हमारे पर है, भारत सरकार वन के नाम से खनिजों को बन्द कर रही है, उसके बावजूद भी राजस्व वसूली ज्यादा प्राप्त हुई है। पिछले साल हमने 306 करोड़ दिया तो इस बार 351 करोड़ यानि 45–46 करोड़ का एक्सेस हुआ, जबकि हमारी रायल्टी कुछ विभागों में अभी बाकी है। बजरी के ठेकों में 16 गुना ज्यादा राजस्व बढ़ोतरी हुई है, चेजा पत्थर में दोगुना राजस्व बढ़ोतरी हुई है, इसलिए में नहीं कह सकता कि चोरी है. ठीक है कहीं एम्बेजलमैंट होता होगा लेकिन लार्ज स्केल पर जितनी भी बातें आती हैं वह नहीं है। उसका रीजन यह है कि हम विभाग की तरफ से कोई नाके चलाते हों तब तो ये शिकायतें रह सकती हैं कि अमुक व्यक्ति, अमुक अधिकारी, अमुक नाकेदार मिलीभगत से चोरी करवा रहा है। मगर हमने राजस्व वसूली के लिए दूसरा सिस्टम अपनाया कि एक्सेस रायल्टी का ठेका दे दें। उस एक्सेस रायल्टी ठेके में जो चार्जेज एम्प्लोई पर लगते थे वे नहीं लगते हैं। तो एक्सेस रायल्टी ठेका देने के उपरांत हमने राजस्व वसूली में बढ़ोतरी की। इसके बावजूद भी की है जबकि हमारी 2349 खानें न्यायालयों के आदेश से पर्यावरण के नाम से बंद हो गयीं। जो 2349 खानें बन्द हो गयी थीं उनमें जोइंट सर्वे करवाकर 60–70 प्रतिशत अचीवमैंट हमने किया।

कुछ खानें हमने भारत सरकार से रिलीज करवाई और कुछ खाने हमने स्टेट गवर्नमैंट से, वन विभाग से रिलीज करवाई। इस प्रकार से जो डिसप्यूट के मामले चल रहे थे उसमें हमने काफी कोशिश की है और काफी में कोशिश करने जा रहे हैं।

(20.00 बजे)

जहां तक सवाल है पालिसी का और अलाटमैंट का, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार का कानून बना हुआ है जिसको हम एम.एन.डी.आर. कहते हैं। उसके अंतर्गत प्रधान के तो कानून नियम बनाने का अधिकार भारत सरकार को है और अप्रधान के नियम हम बनाते हैं। उसके अंतर्गत ही अलाटमैंट सिस्टम अलग–अलग तरीके का रखते हैं। अलग–अलग स्थानों पर अलग–अलग सिस्टम है। जोधपुर में हम क्वेरी लाइसेंस देते हैं, बिजौलिया में हम क्वेरी लाइसेंस देते हैं, बालेसर में हम क्वेरी लाइसेंस देते हैं तथा बीच में जो एरिया हे, जैसे बूंदी है, उसमें हम माइन्स लीज देते हैं, कोटा में माइन्स लीज देते हैं। बजरी का ठेका जहां निकलता है वहां एम.एल. नहीं दे सकते, क्वेरी लाइसेंस भी नहीं दे सकते। वहां हमने ठेका दे दिया ताकि बजरी की चोरी नहीं हो और जो ठेकेदार हैं वे नाकाबंदी करके रायल्टी वसूल कर लें। जहां तक रायल्टी का सवाल है उसमें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डैड रेंट की चोरी हो सकती है कि डैड रेंट मालिक देता है लेकिन रायल्टी की

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

(20.01 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

चोरी इसलिए नहीं होती है क्योंकि नाकों की वसूली करने का अधिकार ठेकेदार को है और व स्वयं अपनी व्यवस्था करता है। उससे वे रायल्टी इक्ट्ठी करते है। इस प्रकार से यह कहना कि खान विभाग में रेवेन्यू में कुछ गड़बड़ हो रही है, उससे मैं सहमत नहीं हूं।

हमारे यहां अलग–अलग कुछ पालिसी बनी हुई है। जैसे मार्बल पालिसी, 1994 तथा ग्रेनाइट पालिसी, 1995, उनमें कुछ हम लिबरलाइजेशन करना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी से मेरी बात हुई है, हम चाहते हैं, गरीबों को भी दें, एक व्यक्ति विशेष की उसमें कोई मोनोपोली नहीं रहे। उसमें किसी गरीब आदमी को, एस.सी., एस.टी. के व्यक्ति को, ओ.बी.सी. के व्यक्ति को भी कुछ अलाटमैंट हो। हम जो नई पालिसी बनाने जा रहे हैं, विचार करके उसमें हमारा यह प्रावधान होगा कि एस.सी.एस.टी. के लोग, ओ.बी.सी. के लोग 20 प्रतिशत उसका हिस्सा लें। इसी प्रकार से हमारी ग्रेनाइट पालिसी है। करौली के बहुत से माननीय सदस्य मुझसे मिलते रहते हैं और वास्तव में उनका कहना भी ठीक है...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : महिलाओं के लिए भी उसमें कुछ आरक्षण करोगे कि नहीं ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : महिलाओं के लिए आरक्षण 30 प्रतिशत तो भारत सरकार ने कर दिया है और करने जा रहे हैं। अभी तो इसमें महिलाओं का सवाल ही नहीं उठता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एस.सी.,एस.टी. का ओ.बी.सी. का है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : नहीं, कोई महिला एस.सी. की होगी तो उसको मौका मिलेगा। ओ.बी.सी. की महिला है उसको मौका मिलेगा इसमें।

अब करौली क्षेत्र में 50–50 किलोमीटर एरिया लोगों ने रोक रखा है। एम.एल. के नाम से उसको ले लिया, एक कौने में माइन्स लीज चला रहे हैं, बाकी वेस्ट लैण्ड पड़ी हुई है। ऐसी जातियों को हम देख रहें है, विचार कर रहे हैं। करौली में, भरतपुर में धौलपुर में जो हमारी नीतियां बनी हुई हैं, उन नीतियों में हम कुछ ऐसे प्रावधान डालें जिसमें आम आदमी, गरीब आदमी जो हथौड़ा चलाते हैं या छैनी चलाते हैं, वहां स्टोन मजदूर हो, उसको भी इसमें हिस्सा मिले। इस प्रकार से हम विचार कर रहे हैं और जल्दी ही इसमें लिबरलाइजेशन करके इसको हम पेश करेंगे। जो व्यक्ति वहां रहते हैं, वे इस से वंचित हैं और लोगों ने वहां अपनी मोनोपोली रखी हुई है। उसको तोड़कर उस नीति में परिवर्तन करके हम ऐसे लोगों

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

को जो वहां लेबर हैं, उनको भी छोटी भूमि देंगे। एक हैक्टेयर से लेकर पांच हैक्टेयर तक हम उसमें प्रावधान रखेंगे और 100–100, 70–70 किलोमीटर का प्रावधान इसमें से हटा देंगे।

जहां तक इल्लीगल माइनिंग का सवाल हैं, हमने पिछली दफा यह कई बार सोचा कि एक टास्क फोर्स हम बनाएंगे। कई माननीय सदस्यों ने सड़कों का सवाल भी रखा था। लेकिन वित्तीय संकट आपके सामने है, अलग से एक्ट बनाना, प्रिवेंटिव एक्ट बनाना और उसके लिए फाइनेंस की व्यवस्था करना अभी नामुमकिनसा है। लेकिन हमने इसके बाद में यह सोचा है। खास तौर से हम इस तरह का एक ग्रुप बनाएंगे जिस प्रकार से पिछली दफा मैंने जोधपुर में तजुर्बा किया था कि एडिशनल कलेक्टर की अध्यक्षता में एस.एम.ई.,एम.ई.,डीवाई.एस.पी. की एक कमेटी बना दी एडिशनल कलेक्टर की अध्यक्षता में, जिसमें पुलिस भी इन्वालव होगी, डीवाई.एस.पी. भी होगा, हमारा एम.ई. भी होगा, पी.एच.ई.डी. के कुछ लोग भी होंगे और रेवेन्यू के अधिकारी, एस.डी.एम. भी होगा। वे सारे उस इलाके को देखेंगे कि कहां कहां इल्लीगल माइनिंग खातेदारी लैंड पर हो रही है। उसको काफी हद तक हमने रोक भी दिया है और उसके रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, उसी पैटर्न पर हम टास्क फोर्स बनाएंगे जिस पर कोई खर्चा नहीं आएगा और जहां जिसका माइनिंग क्षेत्र है उसमें ये काम करेंगे। पहले से तो यहां हैं नहीं सलाहकार समितियां, लेकिन हमने यह सोचा है कि संभागीय स्तर पर जहां पर हमारा हैडक्वार्टर है जहां हमारा सिविल माइनिंग इंजीनियर बैठता है उसके स्तर पर एक सलाहकार समिति बना दी जाए। वह सलाहकार समिति तीन महीने में बैठकर उस पूरे इलाके में जाए, एस.एम.ई. हैंडक्वार्टर के अंदर पड़ता है, उसका सारा सर्वेक्षण करें, जांच करें और कहीं कोई त्रुटि हो तो उसके सुझाव भी राज्य सरकार को दे। उन सुझावों को क्रियान्वित करना या नहीं करना यह राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है। इस प्रकार से हम यह कमेटी बना रहे हैं।

मार्बल पालिसी के बारे में मैंने कहा कि मुख्य मंत्रीजी से विचार चल रहा है जल्दी ही पेश करेंगे। सभापति महोदय, 1995 के बाद में राजस्थान में ग्रेनाइट कहीं कहीं देखा जाता है। कहीं भी किसी मार्बल के दुकान पर जाएं, किसी भी शाप पर जाएं तो वहां कहीं न कहीं छोट–मोटा टुकड़ा ग्रेनाइट का मिल पाता है, क्योंकि 1995 की पालिसी में यह तजुर्बा सामने आया कि हम इसमें फेल्योर रहे हैं। फेल्योर इसलिए रहे कि जनरेशन करके प्लाट दे दिये गये और प्लाट भी उस लेवल पर दे दिये गये कि उसमें न तो वह एक्सप्लाशन कर पाये और न वहां मछली लगा पाए। 4–4 करोड़ रुपये

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

का इंवेस्टमैंट वहां पार्टियां नहीं कर पाई और अलाटमैंट कराके पार्टियां पीछे हट गई। उससे क्या हुआ कि ग्रेनाइट पालिसी के अंदर जो काम होना चाहिए था वह नहीं हो पाया और ग्रेनाइट पालिसी हमारी फेल हो गई। भारत सरकार की वजय से हम इसमें हाथ नहीं डाल रहे थे। लेकिन भारत सरकार ने ग्रेनाइट संरक्षण पालिसी अभी जून, 1999 में बनाई है उसके अंतर्गत ही हम इस पालिसी को रिवाइज करेंगे और यह कोशिश करेंगे कि हमारी जालौर, भीनमाल में जो ग्रेनाइट की खानें है वे सक्सैसफुल हो। उसी नीति के अंतर्गत हम उनको लेकर यह कहेंगे, जिस प्रकार से पहले सिस्टम था कि प्रथम आओं, प्रथम पाओं। छोटा है वह छोटा लो, बड़ा है वह बड़ा लो। छोटे प्लाट में भी काम कर सकते हैं, बड़े प्लाट में भी काम कर सकते हैं उस नीति पर हम यहां विचार कर रहे हैं, वह भी हम जल्दी से जल्दी लाना चाहते हैं।

इसी प्रकार से हमारा मांइनिंग को डवलप करने के लिए विचार है, हमारी कोशिश है। वैसे तो राजस्थान में आप जानते हैं कि गैस के भण्डार भी हैं। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य गोवर्द्धनजी कल्ला साहब कह रहे थे कि वहां प्रचुर मात्रा में गैस के भण्डार हैं। आप कहें तो एक घंटा और लगेगा, मैं मेम्बर के हिसाब से माननीय सदस्य जो बोले हैं...(व्यवधान) उसी क्रम से, यह नहीं कि बीच में हो। जिस प्रकार से माननीय- सदस्य एक नम्बर पर बोले, दो नम्बर पर बोले, तीन नम्बर पर बोले, चार नम्बर पर बोले, उसी क्रम में मैं उनकी रिप्लाई देने में सक्षम हूं और दे सकता हूं। और कहें तो उनको लिखकर, उनकी संतुष्टिपूर्वक जवाब भिजवा देंगे।

मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि राजस्थान में खनिज सम्पदा के विकास ऐसा हो जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। कोई भी राजस्व विभाग, यह नहीं चाहता कि उसका कोई काम बंद हो। हमारे विभाग की कोशिश रहती है कि फोरेस्ट विभाग से भारत सरकार से लड़–झगड़कर हमारी खान को चालू रखें जिससे हमारी राजस्व आमदनी भी होती रही, रोजगार भी मिलता रहे क्योंकि यह राजस्थान में एम्प्लायमैंट की बहुत महती आवश्यकता है। आंधी का जहां तक सवाल हैं, आंधी का बहुत महत्वपूर्ण मामला है और हमने कोशिश की है। मुख्य मंत्रीजी ने केबिनेट की सब कमेटी में मामले को सौंप रखा हैं हम भी दुःखी हैं कि हमारी जो रायल्टी है, जो आमदनी हो रही है करोड़ों रुपये की, वह चली जाएगी। हजारों लोग रोजगार पा रहे हैं, वे चले जाएंगे।

हजारों आदमी जो बिजनस कर रहे हैं वे बरबाद हो जाएंगे। यह हमारी सोच से कतई दूर नहीं है, मैंने खासकर यह कह रखा है कि जब तक कि कोई खास दिक्कत

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

न हो, किसी भी हालत में माइन लीज को कैंसिल नहीं करें। उसका रीजन है माननीय सभापति महोदय। माइन लीज को ग्रांट करना एक बात है, लेकिन माइन लीज का कैंसिलेशन होने के बाद में उसको दोबारा अलाटमैंट करना बड़ा दुविधापूर्ण है। पर्यावरण में जाओ, भारत सरकार में जाओं, पोल्यूशन में जाओ, रेवेन्यू विभाग में जाओ, डी.एफ. ओ. के यहां जाओ, इतनी बाधा हो जाती है। जहां तक मेरी कोशिश है जो लीज चल रही है वह कंटीन्यू रहे जिससे राजस्व प्राप्त होता रहे, एम्प्लायमैंट मिलता रहे, यही हमारी मंशा है। मैं इन्हीं शब्दों से सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि कोई वैल्युएबल सुझाव हो तो मुझे इस विधान सभा के दौरान दे दें लिखित में ताकि मैं इस विधान सभा के बाद में जब भी यह पालिसीज में या नीतियों में कोई परिवर्तन होगा तो उसमें समावेश कर सकूं। धन्यवाद। मै आपसे निवेदन करूंगा कि मांग संख्या– 43 खनिज सम्पदा को पारित किया जाए।

मांग संख्या-9 का पारण

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या–9 वन (पर्यावरण सहित) के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,72,84,94,000/– (एक अरब बहत्तर करोड़ चौरासी लाख चौरानवे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-43 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–43 खनिज के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 31,48,00,000/– (इकत्तीस करोड़ अडतालीस लाख) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 11 अप्रैल, 2000 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 20.13 बजे मंगलवार, 11 अप्रेल, 2000 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-283 का विवरण)

परिशिष्ट ''अ''

विधान सभा क्षेत्र नोहर में लगे हुये हैण्डपम्पों की सूची

क्रम सं.	गांव का नाम	कोड नं.	तहसील	कुल लगे हुए हैण्ड पम्प	अवरुद्ध/नकारा हैण्ड पम्प
1	2	3	4	5	6
1.	6 आर.पी.एम.	43	नोहर	3	1
2.	4 आर.पी.एम.	45	नोहर	2	—
3.	17 के.एन.एन.	46	नोहर	2	—
4.	19 जे.एस.एन.	45	नोहर	3	—
5.	2 आर.पी.एम.	78	नोहर	2	—
6.	16 के.एन.एन.	47	नोहर	2	1
7.	26 डी.पी.एन.	119	नोहर	3	—
8.	24 एन.डी.आर.	107	नोहर	2	—
9.	19 एन.आई.आर.	104	नोहर	2	1
10.	22 एन.आई.आर.	106	नोहर	3	1
11.	25 एन.टी.आर.	121	नोहर	1	—
12.	23 एन.टी.आर.	122	नोहर	1	1
13.	16 डी.पी.एन.	136	नोहर	3	2
14.	15 डी.पी.एन.	137	नोहर	1	—
15.	12 डी.पी.एन.	138	नोहर	3	—
16.	11 डी.पी.एन.	139	नोहर	2	1
17.	10 डी.पी.एन.	140	नोहर	2	—
18.	5 जी.जी.एम.	145	नोहर	3	1
19.	11 बारानी	146	नोहर	2	2
20.	7 जी.जी.एम.	147	नोहर	1	—
21.	सुलाना बासदिखनादा	218	नोहर	2	2

1	2	3	4	5	6
22.	उतरादा	215	नोहर	2	1
23.	उतरादा नथवानिया	217	नोहर	2	1
24.	बडबिराना	166	नोहर	2	2
25.	4 जे.एस.एन.	59	नोहर	1	1
26.	15 जे.एस.एन.बी.	59	नोहर	1	1
27.	12 जी.जी.एम.	134	नोहर	1	1
28.	11 जी.जी.एम.	150	नोहर	1	–
29.	19 डी.पी.एन.	161	नोहर	1	–
30.	ललानाबास जैसासरी	219	नोहर	2	–
31	14 बारानी	109	नोहर	1	1
32.	27 एन.टी.आर.	120	नोहर	1	1
33.	ब्राह्मणवासी	171	नोहर	1	1
34.	फोगला	276	रावतसर	1	1
35.	बिसरासर	312	रावतसर	4	2
36.	केलनीया	314	रावतसर	1	1
37.	कलासर	296	रावतसर	1	1
38.	रतनादेसर	297	रावतसर	1	1
39.	नैयासर	299	रावतसर	1	1
40.	कुलचासन	304	रावतसर	1	1
41.	बिंजसार	313	रावतसर	1	1
42.	धनियासर	302	रावतसर	1	1
43.	मालासर	303	रावतसर	2	2
44.	स्वरूपदेसर	305	रावतसर	1	1
45.	पल्लू	307	रावतसर	5	2
46.	लाडम		रावतसर	2	–
47.	नोहर कस्बा		नोहर	22	2
			कुल	104	39

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-285 का विवरण)

क्रम सं.	नाम कैरोसीन थोक विक्रेता	स्थान	(मात्रा के.एल. में) वर्ष				
			95–96	96–97	97–98	98–99	99–2000
1.	मै. विरूम ऑयल स्टोर	जैतारण	913	1473	1479	1914	1767
2.	मै. जयनारायण मोदी	सोजत रोड	368	59	–	–	77
3.	मै. एस. रामरतन	रोहट	–	20	80	65	–
4.	मै. मारवाड ऑयल एजेन्सी,	मारवाड़ ज.	–	–	12	58	–
5.	मै. के.गुमानसिंह एण्ड सन्स,	पाली	–	–	33	48	88
6.	मै. जे.एण्ड मोदी	फालना,	–	–	–	–	67
		योग	1281	1552	1604	2085	1833

उक्त वर्णित कैरोसीन की आवंटित मात्रा का वितरण जैतारण सहसील को रूट प्लानिंग के अनुसार निम्न मूल्य दुकानदारों को वितरण हेतु उपलब्ध कराया गया :-

क्र.सं.	नाम दुकानदार	स्थान
1.	ग्राम सेवा सहकारी समिति,	चावण्डिया(वास्ते अगेवा)
2.	ग्राम सेवा सहकारी समिति,	देवरिया
3.	ग्राम सेवा सहकारी समिति,	लाम्बिया–I
4.	ग्राम सेवा सहकारी समिति,	लाम्बिया–II
5.	अनाराम मगाराम,	लाम्बिया
6.	ग्राम सेवा सहकारी समिति,	दिरोल
7.	प्रतापराम पूनाराम,	विकरलाई
8.	ग्राम सेवा सहकारी समिति,	चावण्डिया
9.	ग्राम सेवा सहकारी समिति,	गरनिया–I
10.	ग्राम सेवा सहकारी समिति,	गरनिया–II
11.	नाथाराम बालूराम,	दुनावास
12.	ओमप्रकाश मदनलाल,	वाजावुडी
13.	मेगाराम हरजुराम,	भासरलाई
14.	ग्राम सेवा सहकारी समिति,	डिगरना
15.	नाथूसिंह आवडदान,	खराडी
16.	श्री शम्भूसिंह मोहब्बत सिंह,	सिनला
17.	ग्राम सेवा सहकारी समिति,	वेडकलां
18.	ग्राम सेवा सहकारी समिति,	टूकडा
19.	ग्राम सेवा सहकारी समिति,	वलाडा
20.	कमलेश भंवरलाल,	वलाडा
21.	ग्राम सेवा सहकारी समिति,	रास–I
22.	ग्राम सेवा सहकारी समिति,	रास–II

क्र.सं.	नाम दुकानदार	स्थान
23.	ओमप्रकाश हीरालाल,	रास
24.	दुर्गाराम प्रभुराम,	रास
25.	ओमप्रकाश हीरालाल,	पालियावास (अस्थाई)
26.	सोभागसिंह जब्बरसिंह,	कुडकी
27.	ग्राम सेवा सहकारी समिति,	फलमाल
28.	मोहनलाल गणेशराम,	खेडा महाराजपुरा
29.	ग्राम सेवा सहकारी समिति,	मोहराई
30.	बुद्धाराम लाबुराम,	मोहराई
31.	ग्राम सेवा सहकारी समिति,	फालका
32.	वालूराम शिवराम,	आकोदया
33.	चुन्नीलाल हजारीराम,	कोटडिया
34.	ग्राम सेवा सहकारी समिति,	बूम्बलिया
35.	नोरतसिंह किशनसिंह,	कठमोर
36.	ग्राम सेवा सहकारी समिति,	केकीन्दडा
37.	मीठालाल शंकरलाल,	धनेरिया
38.	ग्राम सेवा सहकारी समिति,	वलून्दा
39.	प्रेमकुमार मांलीलाल,	वलून्दा
40.	हरिराम पांचूराम,	वलून्दा
41.	ग्राम सेवा सहकारी समिति,	लौटोसी
42.	उदाराम तेजाराम,	रामावास
43.	ग्राम सेवा सहकारी समिति,	निम्बोल
44.	बहादुरसिंह बालाराम,	काणेचा
45.	ग्राम सेवा सहकारी समिति,	आनन्दपुर कालू
46.	भंवरलाल मोडरमल,	आनन्दपुर कालू

क्र.सं.	नाम दुकानदार	स्थान
47.	धर्माराम कूनाराम,	आनन्दपुर कालू
48.	ग्राम सेवा सहकारी समिति,	पाटवा
49.	ग्राम सेवा सहकारी समिति,	पाटवा (वास्ते राजाडण्ड)
50.	ग्राम सेवा सहकारी समिति,	रावडियावास
51.	सत्यनारायण पूनाराम,	अमरपुरा
52.	ग्राम सेवा सहकारी समिति,	धोडावड
53.	ग्राम सेवा सहकारी समिति,	धोडावड (वास्ते पीपलिया)
54.	जगदीश सूरजमल,	मूण्डावा
55.	ग्राम सेवा सहकारी समिति,	कावंलिया
56.	ग्राम सेवा सहकारी समिति,	सेवरिया
57.	पृथ्वीसिंह प्रेमसिंह,	चैनपुरा
58.	ग्राम सेवा सहकारी समिति,	सांगावास
59.	सूजाराम नाथाराम,	झुझण्डा
60.	ग्राम सेवा सहकारी समिति,	निमाज–I
61.	ग्राम सेवा सहकारी समिति,	निमाज–II
62.	भीखाराम भेराराम,	निमाज (अस्थाई)
63.	मोहन लाल हजारीराम	निमाज
64.	भीखाराम भेराराम,	निमाज
65.	मोहनलाल हजारीराम,	निमाज (अस्थाई)
66.	क्रय विक्रय सहकारी समिति,	जैतारण
67.	ढगलाराम पूनाराम,	जैतारण
68.	रमेश गोविन्दजी,	जैतारण
69.	भंवरलाल घीसाराम,	जैतारण
70.	ग्राम सेवा सहकारी समिति,	जैतारण

फर्द मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 26.10.99 को वक्त निरीक्षण विक्रय आयल स्टोर, जैतारण के कैरोसीन स्टॉल एवं रिकार्ड का अचानक जांच करने पर पाया कि स्टॉक रजिस्टर में अंतिम प्रविष्ठि 7.10.99 तक की पाई गई, जिसमें अंतिम स्टाक में 14555 के.एल. दर्ज है। आगे का विवरण रिक्त पड़ा है। इसी प्रकार दूसरे वितरण रजिस्टर में भी 7.10.99 तक की ही प्रविष्ठि पाई गई जिसमें 3 खुदरा विक्रेताओं को वितरण दर्शाया हुआ है। 4180 के.एल. दर्शाया है आगे की प्रविष्टियां पूर्णतया खाली पड़ी है। रसीद बुकों की जांच कर पाया कि 7.10.99 की अंति रसीद कटी हुई है। इस रसीद बुक की शेष रसीदें 3193 से लेकर 3200 क्रमांक तक की रसीदें पूर्णतया खाली छोड़ दी गई है और नई रसीद बुक 8.10.99 से 3201 क्रमांक से प्रारम्भ कर दी गई है। इसमें 24.10.99 को अंकित रसीद 3248 काट दी गई है। स्टोर की जांच करने पर पाया कि दिनांक 3.10.99 का अंतिम स्टॉक 10190 लीटर अंकित किया हुआ है। लाइसेंसधारी से पूछने पर अवगत कराया कि 7520 लीटर कैरोसीन आज दिनांक 26.10.99 को बताया है।

लाइसेंस स्थल का निरीक्षण करने पर पाया कि स्थल पर कैरोसीन डालने व निकालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अभी भी कार्य अधूरा पड़ा है। स्थान पर सुरक्षा के लिए चारदिवारी पर वायरिंग की हुई नहीं है। अग्नि सुरक्षा के लिए पानी की एवं रेत की बाल्टियां भरी हुई नहीं है। पानी के हौज में मात्र एक फीट भरा हुआ है शेष 9 फीट खाली है। कैरोसीन संग्रह का गेज द्वारा माप करने पर पाया कि एक स्टॉक में 20 सेंटीमीटर 973 लीटर दूसरे में 13 सेंटीमीटर 465 लीटर का गेज व मात्रा पाई गई। कुल 7520 लीटर कैरोसीन पाया गया। इस संग्रहण स्थल पर कोई रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है। सारा रिकार्ड घर पर ही रखा जा रहा है। यहां पर सुरक्षा व रिकार्ड मेन्टेन करने के लिए कोई कर्मचारी नहीं रखा जा रहा है। पानी व लाइट का कोई कनेक्शन नहीं है। स्टॉक, वितरण रजिस्टर एवं एक रसीद बुक जब्त की गई।

फर्म मौका उपस्थित मौतविरान के समक्ष लाइसेंसधारी को पढ़ कर सुनाई गई एवं हस्ताक्षर करवाये गये।

ह. मोहनलाल — ह. श्यामनाथ

ह. जितेन्द्र — ह.

ह. — ह. बी.आर.चौधरी — उपखण्ड अधिकारी,

पटवारी,जैतारण — जैतारण (पाली)

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या-289 की सूची)

राजस्थान सरकार

सहायता विभाग

पत्रांक: एफ 1(1)(1)स.आ./सामान्य–1/99 जयपुर, दिनांक 9.1.2000

अधिसूचना

राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन आफ प्रोसिडिंग) एक्ट 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या–21 सन् 1952) की धारा 3 और 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान सरकार एतद्द्वारा राज्य के निम्नलिखित जिलों के आगे अंकित संख्या के ग्रामों को जिनका नाम संलग्न सूची में अंकित हैं, अभावग्रस्त घोषित करती है, एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 से 10 तक के प्रावधान ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 30 सितम्बर, 2000 तक लागू रहेंगे।

क्र.सं.	नाम जिला	घोषित ग्राम की संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	1036
2.	अलवर	144
3.	बांसवाड़ा	1458
4.	बाड़मेर	1889
5.	भीलवाड़ा	848
6.	बीकानेर	614
7.	बूंदी	177
8.	चित्तौडगढ़	177
9.	चूरू	989
10.	दौसा	439

1	2	3
11.	डूंगरपुर	870
12.	गंगानगर	14
13.	हनुमानगढ़	353
14.	जयपुर	2242
15.	जैसलमेर	558
16.	जालौर	704
17.	झुंझुनूं	847
18.	जोधपुर	1058
19.	नागौर	1457
20.	पांली	945
21.	राजसमंद	1004
22.	सवाईमाधोपुर	164
23.	सीकर	999
24.	सिरोही	465
25.	टोंक	759
26.	उदयपुर	2209
	कुल योग	23,406

राज्यपाल की आज्ञा से

(के.के.गुप्ता)

शासन उप सचिव

परिशिष्ट-4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

कृषि उपज मण्डियों द्वारा सड़क निर्माण

290. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या कृषि मंत्री विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वित्त विभाग ने वर्ष 1999 से 2000 में राजस्थान की 123 कृषि उपज मण्डियों के पास अधिशेष बचत को विकास कार्यों में नहीं लगान के निदेश जारी किये हैं ? यदि हां, तो उक्त निदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सभी है कि वित्त विभाग ने कृषि उपज मण्डी के माध्यम् से राज्य में सड़कों के निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार कराये थे ? यदि हां, तो अब तक उक्त प्रस्तावों के तहत कितनी सड़कों का निर्माण पूर्ण हो गया है तथा कितनी पर अभी कार्य चल रहा है और कितनी राशि व्यय होने का अनुमान था ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

आवासन मण्डल द्वारा आवंटित आवासों की बकाया किश्तों पर ब्याज में राहत

291. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार ने आवासन मंडल द्वारा आवंटित मकानों की बकाया किश्तों पर शत–प्रतिशत ब्याज माफ करने का निर्णय किया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या उक्त निमर्ण की पालना में आवासन मंडल ने आदेश जारी कर दिये हैं ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। मण्डल अपनी योजनाओं में निमार्ण कार्य के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेना है जिसका उसे समय पर चुकारा करना पड़ता है। क्योंकि आवंटी द्वारा एक निश्चित राशि समय पर आनी होती है इसके आधार पर राशि वापसी का अनुबन्ध किया जाता है। यह राशि यदि समय पर नहीं चुकाई जाती है तो अन्य संस्थाओं के ऋण लेकर उन्हें पुनः भुगतान किया जाता है जिसका भार मण्डल पर पड़ता है। मण्डल यह राशि आवंटियों से वसूल करता है।

भरतपुर होलसेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार हेतु निर्मित गोदाम में अनियमितता की जांच

292. श्री आर.पी.शर्मा (भरतपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर होलसेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार द्वारा सुपर बाजार स्थित भूमि पर एक गोदाम निर्माण हेतु कार्य सहकारी विभाग द्वारा करवाये जाने की स्वीकृति दी थी ? यदि हां, तो कब तथा क्या उक्त गोदाम के घटिया क्वालिटी के बनाये जाने पर भण्डार ने उक्त का अभी तक कब्जा नहीं लिया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भवन घटिया निर्माण की वजह से पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो भण्डार तथा सहकारिता विभाग ने इस संबंध में क्या–क्या कार्यवाही की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पुनः सही क्वालिटी का भण्डार गोदाम बने उसके लिए कोई योजना प्रस्तावित करती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सहकारी विभाग के आदेश क्रमांक फा.(1)सविरा/स्टोरेज/86/पार्ट–3 दिनांक 26.5.88 के द्वारा भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

जी हां, भण्डार गोदाम का निमार्ण निर्धारित गुणवत्ता का न होने के कारण उसका कब्जा नहीं लिया गया है।

(2) जी हां। गोदाम निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग में लाये जाने के कारण व घटिया निर्माण की वजह से गोदाम के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण ही भण्डार द्वारा निर्माण गोदाम का अधिग्रहण नहीं किया गया। शीर्ष सहकारी बैंक एवं भरतपुर सहकारी उपभोक्ता भण्डार दोनों ही सहकारी संस्था होने के कारण एक वाद पंजीयक, सहकारी समितियां, जयपुर को पंच निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया। पंच निर्णायक ने अपना निर्णय दिनांक 26.5.98 को भरतपुर उपभोक्ता भण्डार के पक्ष में दिया। शीर्ष सहकारी बैंक द्वारा इस पंच निर्णय के विरुद्ध दिनांक 11.8.1998 को सहकारिता न्यायाधिकरण में एक अपील प्रस्तुत की गई, जो विचाराधीन है।

शीर्ष सहकारी बैंक एवं भरतपुर सहकारी उपभोक्त भण्डार द्वारा दिनांक 24.11.1999 को पंजीयक, सहकारी समितियां के साथ हुए विचार–विमर्श में माना गया कि जिस भूमि पर गोदाम का निर्माण हुआ है वह भरतपुर उपभोक्ता भण्डार की है तथा उक्त भूमि शीघ्र ही शीर्ष सहकारी बैंक द्वारा भरतपुर उपभोक्ता भण्डार को सौप दी जायेगी। इसके अतिरिक्त निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की नीलामी की जाकर प्राप्त राशि शीर्ष

(सहकारिता मंत्री)

सहकारी बैंक में जमा करा दी जावेगी। शीर्ष सहकारी बैंक गोदाम निर्माण के लिए उपभोक्ता भण्डार को दिया गया ऋण एवं ब्याज की राशि कुल 1,53,000 रुपये के अपलेखन पर विचार करेगा तथा गुण अवगुण के आधार पर निर्माण लिया जायेगा। शीर्ष सहकारी बैंक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्णय से सहमति व्यक्त की गई है एवं तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है।

(3) वर्तमान में भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(तारांकित प्रश्न संख्या-293)
(स्थगित)

निर्धन वर्ग को राशन कार्ड सुविधा

294. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाल उपभोक्ताओं के राशन कार्ड को चिन्हित करने एवं राशन कार्ड बनाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले उपभोक्ताओं के राशन कार्डो को चिन्हित करने के लिए मोहर लगाने हेतु विभाग द्वारा निर्देश जारी किये जा चुके है। 80 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य पूर्ण करने हेतु कार्यवाही जारी है।

उदयपुरवाटी (झुंझुनूं) की अरावली परियोजना के कार्यो का अंकेक्षण

295. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील उदयपुरवाटी क्षेत्र (झुंझुनूं) में अरावली परियोजना में वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 की अवधि में कितनी–कितनी राशि पौध बनाने/पारा लगाने/पेड़ लगाने/पौधों को पानी पिलाने आदि कार्यो पर व्यय की गई ?

(2) क्या उक्त अवधि में किये गये उक्त कार्यो का अंकेक्षण करवाया जा चुका है ? यदि हां, तो अंकेक्षण में क्या एतराज आयें ?

(3) क्या उक्त कार्या स्थाई मजदूरों द्वारा करवाये गये या दैनिक मजदूरी पर करवाये गये ?

(4) क्या मास्टर रोल पर हाजिरी दर्ज की गई है अथवा ठेके पर कार्य करवाया गया है ?

(5) क्या मास्टर रोलों का सत्यापन कभी किसी उच्च अधिकारी द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा कब कब किया गया ?

उत्तर

(1) जिला झुंझुनू की तहसील उपदयपुर वाटी क्षेत्र में आरावली परियोजना में वर्ष 1998–99 व 1999–2000 की अवधि में कितनी–कितनी राशि पौध बनाने/पारा लगाने/पेड़ लगाने/पौधे को पानी पिलाने आदि कार्यों पर व्यय की गई ?

(2) क्या उक्त अवधि में किये गये उक्त कार्यों का अंकेक्षण करवाया जा चुका है ? यदि हां, तो अंकेक्षण में क्या एतराज आये ?

(3) क्या उक्त कार्य स्थाई मजदूरों द्वारा करवाये गये या दैनिक मजदूरी पर करवाये गये ?

(4) क्या मस्टर रोल पर हाजिरी दर्ज की गई है अथवा ठेके पर कार्य करवाया गया है ?

(5) क्या मस्टर रोलों का सत्यापन कभी किसी उच्च अधिकारी द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वाराप कब–कब किया गया ?

उत्तर

(1) जिला झुंझुनूं की तहसील उदयपुरवाटी क्षेत्र में अरावली परियोजना में वर्ष 1998–99 व 1999–2000 की अवधि में पौध तैयारी पर 3,61,692 रुपये, पारा लगाने पर 3,31,407 रुपये, पेड़ लगाने पर 4,24,619 रुपये एवं पौधों को पानी पिलाने पर 10,29,903 रुपये की धन राशि व्यय हुई है।

(2) जी हां। महालेखाकार राजस्थान जयपुर द्वारा वर्ष 1998–99 का आडिट किया जा चुका हे। आडिट रिपोर्ट में इन करवाये गये कार्यों के संबंध में कोई एतराज नहीं आये हैं। वर्ष 1999–2000 का ऑडिट होना है।

(3) पारा लगाने, पानी पिलवाने, पौधे लगवाने का कार्य विभाग में प्रचलित पीस रेट प्रणाली से करवाये गये है। पौध तैयार का कार्य अधिकतर पीस रेट प्रणाली व आंशिक रूप से कार्य प्रभारित कर्मचारियों से करवाया गया है।

(4) विभाग में प्रचलित पीस रेट प्रणाली से कार्य करवाया गया है। मास्टर रोल पर कोई हाजिरी दर्ज नहीं की गई हैं।

(5) मस्टरोलों का कार्य सम्पादित ही नहीं करवाया गया है। अतः मस्टरोलों के सत्यापन का प्रश्न नहीं उठता।

अजमेर-विजयनगर मार्ग पर निजी बसों के संचालन हेतु जारी परमिट

296. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या अजमेर–विजयनगर मार्ग पर चलने वाली निजी बसों के परमिट जारी कर रखे हैं ? यदि हां, तो किस–किस बस

(श्री सांवर लाल)

कों कौन–कौनसे मार्ग पर ? मय समय सारिणी के सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त वाहनों का समय पर फिटनेस करवाया जाता है ? उक्त बसों का विभिन्न स्थानों का किराया क्या क्या हैं ? किराया सूची की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, इस मार्ग पर 7 निजी बसों को परमिट स्वीकृत हैं। इन सभी बसों को अजमेर से विजय नगर वाली माखपुरा, हटूण्डी राजोसी, भवानी खेड़ा, बाधसुरी, बेगलियावास, फतेहगढ़, लाम्बा, राताकोट, दौलतपुरा, सधाना, सधानामोड़ 27 मिल चौराहा मार्ग स्वीकृत है। बस नम्बर एवं समय सारणी परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां, इन वाहनों का फिटनेस समय पर करवाया जाता है। उक्त बसों के मार्ग की किराया सूची परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है, जिसमें मार्ग पर पड़ने वाले विभिन्न स्थानों का किराया दर्शाया गया है।

परिशिष्ट ''क''

अजमेर-विजयनगर मार्ग पर समय सारिणी एवं बस संख्या

बस संख्या आर.एस.एन. 1239 आर.एस.ई. 2113 आर.एन.ई. 3823 व आर.जे. 21/पी.351 को रोटशन से निम्नांनुसार समय सारिणी स्वीकृत है :-

अजमेर	विजयनगर	विजयनगर	अजमेर
8.30 ए.एम.	1.00 पी.एम.	7.00 ए.एम.	11.30 ए.एम.
1.00 पी.एम.	5.30 पी.एम.	12.30 पी.एम.	5.00 पी.एम.
5.15 पी.एम.	9.45 पी.एम.	7.00 पी.एम.	8.00 ए.एम.

जामोली रात्रि विश्राम में 9 पी.एम.

रवानगी 5.30 ए.एम.

बस संख्या आर.जे. 06 पी 124 आर.एन.ई. 7791 व आर.एन.पी. 1714 को पृथक से निम्नांनुसार समय सारणी स्वीकृत है :

वाहन संख्या	अजमेर	विजयनगर	विजयनगर	अजमेर
आर.जे.6पी.124	6.15 ए.एम.	10.15 पी.एम.	2.30 पी.एम.	6.30 पी.एम.
आर.एन.पी.1714	10.45 ए.एम.	2.45 पी.एम.	5.30 पी.एम.	9.30 पी.एम.
आर.एन.ई.7791	3.30 पी.एम.	7.30 पी.एम.	9.00 ए.एम.	1.00 पी.एम.

परिशिष्ट "ख"

अजमेर से विजयनगर मार्ग की किराया सूची

गांव के नाम	कि.मी.	किराया रु.	गांव के नाम	कि.मी.	किराया रु.
विजयनगर	00	0.00	अजमेर	00	0.00
27 मिल चौ.	02	1.50	हट्ण्डी	15	5.00
साधाना	07	3.00	राजौसी	20	6.00
दौलतपुरा	13	4.50	भवानी खेड़ा	28	9.00
राताकोट	17	6:00	बाधसुरी	35	11.00
लाम्बा	20	6.00	किराप	40	12.50
बंगलियावास	30	9.00	जामोला	45	14.00
कानपुरा	33	11.00	कानपुरा	47	15.50
जामोला	35	11.00	बेगलियावास	50	15.50
किराप	40	12.50	लाम्बा	60	18.50
बाधसुरी	45	14.00	राताकोट	63	20.00
भवानीखेड़ा	52	17.00	दौलतपुरा	67	21.50
राजोसी	60	18.50	साधना	73	23.00
हट्ण्डी	65	20.00	27 मिल चौ.	78	25.00
अजमेर	80	25.00	विजयनगर	80	25.00

बांदीकुई (दौसा) में बजरी खनन से भूमिगत जलस्तर में गिरावट

297. **श्री शैलेन्द्र जोशी** : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में बजरी की खनन किया जा रहा है ? यदि हां, तो कहां–कहां पर ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बजरी का खनन होने से क्षेत्र के कुओं का जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है ?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में खनन कार्य को रोकने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में जहां–जहां खनन किया जा रहा है, संलग्न सूची में विवरण अंकित है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं, बजरी के खनन से कुओं का जलस्तर नहीं गिरता है।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, जयपुर

विधान सभा क्षेत्र बांदीं कुई में चल रहे खनिज बजरी के अधिशुल्क संग्रह ठेकों का विवरण

क्र.स.	नाम क्षेत्र	नाम ठकेदार	वार्षिक ठेका राशि	अवधि
1.	सावा नदी बांदीकुई रोड पर बड़ा गांवा सोपला से मध्य का क्षेत्र तह. बसवा जिला–दौसा	श्री विजेन्द्र सिंह	6,00,720	2.6.98 से 1.6.2000
2.	सावा नदी भौण्डेडा से चोरबाड़ा के मध्य का क्षेत्र तह. बसवा जिला–दौसा	श्री बजरंग सिंह	9,49,388	2.6.98 से 1.6.2000
3.	पलसानिया नदी ग्राम आनन्दपुरा से बांसरी के मध्य का क्षेत्र तहसील बसवा जिला–दौसा	श्री जोहरी लाल	48,119	17.11.98 से 16.11.2000
4.	पलसानिया नदी ग्राम नूरपूर से महूखेडा के मध्य का क्षेत्र	श्री सूरजमल मीणा	4,000	1.4.2000 से 31.3.2001
5.	सावा नदी ग्राम चोरवाडा से राहोटा रलावता से मध्य का क्षेत्र	श्री बाबू लाल गूजर	6,62,000	1.4.2000 से 31.3.2001
6.	सावा नदी रूपवास से ढिगरीया भीम तहसील बसवा जिला दौसा	श्री बलराम सरपंच	27,599	1.6.99 से 31.5.2000

खनि अभियन्ता, जयपुर

ग्राम छारड़ा (दौसा) का हत्या प्रकरण

298. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम छारड़ा, पापड़दा (दौसा) में दिनांक 15 फरवरी 2000 को किसी व्यक्ति की हत्या की गई थी ? यदि हां, तो कब एवं किसकी ? उक्त संबंध में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम के सरपंच द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी ? यदि हां, तो किस–किस के विरुद्ध ? उक्त प्रकरण के मुल्जिमों को अब तक गिरफ्तार नहीं करने के क्या कारण रहे ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के कारण अभियुक्त अभी तक भी स्वछन्द घूम रहे हैं और ग्राम में आतंक फैला रहे हैं ? यदि नहीं, तो अब तक उक्त प्रकारण में किस–किस अधिकारी द्वारा क्या–क्या जांच की गई एवं उसके क्या परिणाम रहे ? पुलिस रोजनामचे की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अब उक्त प्रकरण में मुल्जिमों को गिरफ्तार करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम छारड़ा, पापड़दा में दिनांक 15.2.2000 को किसी भी व्यक्ति की हत्या होना प्रकाश में नहीं आया, बल्कि दिनांक 14.2.2000 को इसी गांव के श्री रामू पुत्र हरलाल मीणा की मृत्यु कुएं में गिर कर डूबने के संबंध में मर्ग सं. 1/2000 थाना नांगल राजावतान जिला दौसा में दर्ज की गई थी। मार्ग की प्रथमं सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि ग्राम पंचायत छारड़ा के सरपंच द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट की गई थी।

(3) जी नही। यह सही नहीं है। अब तक की जांच के इस प्रकरण में मृत्यु अकस्मात् कुएं में गिरने से होना पाया गया है। इस पकरण की जांच श्री घासीराम, सहायक उप–निरीक्षक द्वारा की जा रही है। मृतक का विसरा जांच हेतु एफ.एस.एल. जयपुर भेजा गया है। नतीजा अभी प्राप्त नहीं हुआ है। रोजनामचा आम थाना नांगल राजावतान की दिनांक 14, 15, 16.2.2000 की प्रति परिशिष्ट "ब" संलग्न है।

(4) जी नहीं। इस मामले में अब तक की जांच से किसी संज्ञेय आपराध की घटित होना नहीं पाया गया है।

परिशिष्ट ''अ''

राजस्थान पुलिस

प्रथम नूमना फाइस अचानक या अचानक मौत के संबंध (धारा 174, द.प्र.सं.)

{नियम 349(अ)}

नं. 1/2000 वर्ष थाना नागंल राजावत जिला दौसा राजस्थान

1. नाम पता सूचना देने वाले का नाम	श्री गोपाल पुत्र मूल चन्द ज़ाति मीण 40 साल नि. ढाणी डाबर तन–दोरेड़ा
2. तारीख व समय घटना	14.2.2000 6:15 पी.एम.
3. मृतक का नाम, आयु एवं पता	श्री राम पुत्र हरलाल जाति मीण 18 साल नि. ढाणी डाबर तन छारेडा
4. तारीख एवं समय मौत और कारण मौत जो प्राप्त हुई हो।	कुआं में पडने से 14.2.2000
5. स्थान जहां लाश पड़ी है व (लाने से दूरी, दिल एवं मीठ सं.)	ढाणी डाबर तन छारेड़ा व जानीव पूर्व व फासला 6 कि.मी. थाने से।
6. कार्यवाही की आफिसर इन्चार्ज	174 सी.आर.पी.सी. अमल में लाया हो।
7. तिथि व समय भेजने नमूना	15.2.2000

एसडी धासी राम ए.एस.आई

हस्ताक्षर अधिकारी प्रभारी

सेवामें

श्रीमान् इन्चार्ज साहब,

थाना राजावतान जिला–दौसा।

महोदय,

निवेदन है कि मेरा बड़ा भाई का लड़का रामु मेरे पास रहता था क्योंकि मेरे बड़ा भाई करीबन डेढ़ साल पहले मर चुका था मां छोटीसा को छोड़कर मर गई थी मेरा छोटा भाई रगलाल करीब तीन साल से रेवड़ी के रहा है। करीब तीन महीने पहले रामू रगलाल जयपुर काम करने के लिये चला गया था जिसके बाद रामू घर पर नहीं आया और तीन महीने से बूआ के पास ही रह रहा था। आज मैं छारेडा बाजार गया हुआ था समय करीब 4 बजे मेरी लड़की करीबन 8–9 साल की हैं जिसने कहा कि रामू मर गया और सुनारपुरा से जीप में लेकर आये हैं। मैं घर पर आया तो रामू की लाश मिली और मेरा भाई और बहिन मिले मैंने पूछा तो लाश लाने वालों का नाम मुझे नहीं बताया मरने के बारे में मेरे भाई रंगलाल ने बिजली से चिपक कर मर गया दुबारा पूछने पर बताया कि कुएं में पड़ा मिला हैं। मेरी बहिन ने कोई भी बात ना बतायी मेरा भतीजा के मुख में झाग दिखाई दिये, शरीर पर कोई चोट नहीं मिली। मुहं में से झाग आ रहे थे तो मुझे मेरे भय्या की मौत पर शक हुआ है। कानूनी कार्यवाही की जावे।

प्रार्थी

गोपाल पुत्र मूलचन्द

जाति मीण दारणी

तन छारेड़ा निशानी

एसडी गोपाल का

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट तहरीरी बखत हिन्दी श्री गोपाल पुत्र मूलचन्द जाति मीण उम्र 40 साल निवासी ढाणी डाबर तन छारेड़ा उपस्थित थाना होकर पेश की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई सुन समझ सही मान अपना अंगूठा निशानी की गई मजमून रिपोर्ट से मामला जुर्म धारा 184 सी.आर.पी.सी.मर्ग इंसान का पाया जाता है। अतः मर्ग नं. 1/2000 कायम कर मन ए.एस.आई.धासीराम आईसी थाना नागंल राजातवान मसरूफ जांच हुआ। मर्ग एफ. आई.आर. नियमानुसार जारी की गई।

अंगूठा निशानी गोपाल

एसडी धासीराम

एएसआई आईसी

थाना नागल राजावतान

परिशिष्ट ''ब''

रोजनामचा आज नकल रपट दिनांक 14.2.2000 थाना भगल राजावतान जिला-दौसा

रपट नं.	विवरण	खलासा
298/ 6.15 पी.एस.	इस समय श्री गोपाल पुत्र मूलचन्द जाति मीणा उम्र 40 साल नि. ढाणी डाबरा वाली तन छारेड़ा पीएस नागल राजावतान न उप थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि मेरे भाई हरलाल का लड़का रामू उम्र 18 साल नि. ढाणी डाबल तन छारेड़ा जो अपनी बूआ के पास गांव सुनारपुरा में था आज उसके बिजली से चिपक कर कूएं में गिरने से संदिग्ध हालात में मृत्यु हो गई जिस की लाश ढाणी वाली में है। आदि रिपोर्ट से मामला मर्ग इनसान धारा 174 सी.आर.पी.सी. का पाया जाता है। अतः मर्ग नं. 1/2000 धारा 174 सी.आर.पी.सी. में कायम किया जाकर मन ए.एस.आई इंचार्ज थाना मसरूफ जांच हुआ नकल प्रति एफ.आई.आर. नियमानुसार जारी की गई। एस.डी. फूलचन्द एच. सी. 78 एस.डी. घासीराम	रपट आमदा रिपोर्ट मर्ग नं. 1/2000 धारा 174 सी.आर. पी.सी.
299/ 6.30	इस समय मन ए.एस.आई. धारीसराम एच.सी. श्री अवतार सिंह नं. 95 कानि. श्री बाबू लाल 543 नरसी राम 528 हरिसिंह 215 भूपसिंह 286 चालक कानि. श्री सुजान सिंह नं. 849 मय जीप सरकारी के वास्ते कार्यवाही जांच दर पंचायत नाम मर्ग नं. 1/2000 धारा 174 सी.आर.पी.सी. रवाना घटना स्थल ग्राम छारेडा ढाणी डाबरा रवाना हुआ चार्ज थाना बजुमें एच.एम.थाना किया गया सूचना जरिये क्यू.टी.सी.आर. दौसा की गई रपट लेख है। एस.डी. फूलचन्द एच. सी. 78 एस.डी. घासीराम	रवानगी ए. एस.ओ.ए.सी. 95,एफसी. 543, 528, 215, 286 मय जीप सरकारी।
302/11 पी.एम.	इस समय मन ए.एस.आई घासी राम एच.सी. श्री अवतार सिंह कानि. श्री बाबू लाल 543, भूपसिंह 286 मय चालक मय जीप सरकारी के रपट नं. 299 का गया हुआ वापस आया दर्ज रहे की थाना से रवाना होकर ग्राम छोरड़ा ढाणी डाबरा वाली	वापसी ए.एस. आई एच.सी. 95 मय.जीप सरकारी।

रपट नं.	विवरण	खलासा
	पहुंचा जहां पर मुस्त मर्ग नं. 1/2000 श्री गोपाल मीणा ने बताया की मेरे भाई के लडके रामू की लाश यह है इस पर लाश को देखा व पहचान करवाई परन्तु रात्रि होने से कार्यवाही नहीं हुई लाश पर कानि. श्री हरिसिंह 215 व नरशी राम नं. 28 चालक सुजान सिंह 849 वा कालू सिंह को मामूरा निगरानी कर के वास्त देने इतला व हालात अर्ज वापीस थाना आया अफरान को जरिये क्यूएसटी/वायरलैस व टैलीफोन श्रीमान् डी.एस.पी. सा. दौसा व सीओसा दौसा बताया गया। चार्जथाना बजुमोखुद लिया गया। एस.डी. फूलचन्द एच. सी. 78 एस.डी. घासीराम	
307/ 5.00 ए.एम.	इस समय मन ए.एस.आई. घासीराम एच.सी. श्री अवतारसिंह 9, कानि. बाबूलाल नं. 543 भूपसिंह नं. 286 मय चालक मय जीव सरकारी ने वास्ते कार्यवाही पंचायतनाम व पोस्टमार्टम व जांच हेतु रवाना ग्राम छारड़ा ढाणी डाबरा में. मर्ग नं. 1/2000 हेतु रवाना हुआ चार्ज थाना बजुम्में एच.एम.थाना किया जाकर रपट लेख की जाती है। एस.डी. फूलचंद एच.सी. 78 एस.डी. घासीराम	रवानी ए.एस. आई. ए.एसी. 95 ए.एसी. 543 ए.एसी. 286 मय जपी सरकारी
321/ 11.50 ए.एम.	इस समय ए.एस.आई. श्री घासीराम एच.सी. श्री अवतार सिंह नं. 95 मय एफ सी. श्री बाबूलाल 543, भूपसिंह नं. 286 मय जीप सरकारी मय चालक सुजान सिंह नं. 849 के बहवाले रपट नं. 307 रोज.आम. का गया हुआ वापस आया दर्ज है कि थाना से रवाना होकर ढाणी डाबरा तन छारेड़ा पहुंचा मृतक रामू की लाश को वहां से ले जाकर राजकीय चिकित्सालय दौसा में रखवाई जाकर सी.एम.एच.ओ. दौसा से बोर्ड से संबंधित डाक्टरों को भिजवाने हेतु निदेश किया सी.एम.एच.ओ. साहब दौसा ने निर्देश फरमाया कि बोर्ड गठित कर दिया गया है मृतक को मुर्दाखाना दौसा में लेकर आओं जिस पर मृतक रामू को मय हमराहीयान मय सरकारी जीप के मुर्दाखाना दौसा पहुंचा लाश	वापसी ए. एस. आई. रपट शिकायतन् पी.एम.ओ.

रपट नं.	विवरण	खलासा
	को मुर्दाखाना में रखई जाकर पी.एम.ओ. मेडिकल ज्यूरिष्ट डा. के.के. सोनी को अर्ज हालात निवेदन किये तो मन आई./ओ. को कहा बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है तथा लाश को राजकीय चिकित्सालय नागंल ही ले जाओ कोई पोस्टमार्टम नहीं होगा तथा बोर्ड जिलाधीश महोदय के आदेश से गठित होता है। एस.पी. साहब, एडिशनल एस.पी. साहब के आदेश से मुताबिक नियम कोई बोर्ड गठित नहीं होता हे मन आई.ओ. ने निदेशन किया सी.एम.एच.ओ. साहब श्रीमान् एस.पी. साहब, एडिशनल एस.पी.साहब को रात को ही जरिये वितंत संदेश निवेदन किया जा चुका है लेकिन पी.एस.ओ. साहब नहीं माने जिस पर सी.एम.ओ. साहब को जरिये टेलीफोन निवास पर निवेदन किया गया सी.एम.एच.ओ. साहब ने पी.एम.ओ. के लिए निर्देश फरमाये उसके बावजूद भी मना कर दिया और लिखित में आदेश लाने के लिए कहा तब मन आई.ओ. सी.एम.एच.ओ. साहब के कार्यालय में पहुंचा लिखित में आदेश कराकर पी.एम. ओ. को दिया गया तब मेडीकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम फरमाया जाकर बिसरा मृतक का लेकर आया विसरा एच.एम. थाना को सुपुर्द किया गया। इस तरह पोस्टमार्टम कराने में आये दिन एक्सीडेन्ट संबंधी मामलों में भी काफी कठिनाइयां आती है। समय पर पोस्टमार्टम नहीं होता है। रपट दर्ज है। एस.डी. प्रहलाद 219, एस.डी. घासीराम ए.एस.आई.	
344/ 10.00 ए.एम.	इस समय मन ए.एस.आई. घासीराम मय कानि हरफूल नं. 419 के वास्ते तकमील तफतीश मर्ग नं. 9/99 मौजा लवाण मर्ग नं. 1/2000 मे मौजा सुनारपरा व मु.नं. 16,18,6/2000 में मौजा लवाण व मु.न. 48/2000 में तलाश माल मुल्जिमान हेतु रवाना लवानख गिरधरपुरा ईलाका थाना रवाना हुआ चार्ज थाना श्री फूलचन्द एच.सी. नं. 78 के जुम्मे किया गया रपट लेख है। एस.डी. प्रहलाद 219, एस.डी. घासीराम	रवानगी ए. एस.आई.

रपट नं.	विवरण	खलासा
353/ 5.45 पी.एम.	इस समय ए.एस.आई. श्री घासीराम मय कानि. हरफूल नं. 419 के वास्ते बहवाले रपट नं. 344 रोज.आम.का गया हुआ बाद तकमील तफतीश मु.नं. 6,16,18/2000 मौज लवान से व मर्ग नं. 9/99 व मर्ग नं. 1/2000 में मौजा सनारपुरा व तलाश माल मुल्जिमान मु.नं. 9/2000 व 48/2000 में मौजा गिरधरपुरा, कंवरपर इलाका थाना व लवान से वापस आया माल मल्जिमान की अदम पता रसी रही। हालात मुकदमात जरिये सी.डी.रोशन होंगे रपट दर्ज है। एस.डी. प्रहलाद 219	वापसी ए. एस.आई

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन की कृषि उपज मण्डियों में स्वीकृत सड़क निर्माण

299. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1990 से 2000 तक विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन को कौन–कौनसी कृषि उपज मण्डी में कौन–कौनसी सड़कें स्वीकृत हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी सड़कों का निर्माण पूर्ण करवा दिया गया ? यदि नहीं, तो कौन–कौन सी सड़कें अपूर्ण हैं एवं अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं ? अब उक्त सड़कें कब तक बनवा दी जायेंगी।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के अन्तर्गत वर्ष 1990–2000 तक स्वीकृत सम्पर्क सड़कों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) अपूर्ण सड़कों का विवरण परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या–7 में अंकित है।

परिशिष्ट "अ"

(लम्बाई कि.मी. में./राशि लाखों में)

क्र.सं.	सड़क का नाम	स्वीकृति दिनांक	लम्बाई	राशि	वर्तमान स्थिति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	स.स. बड़कापुरा से क्यार्दा खुर्द	25.4.91	0.700	3.75	कार्य पूर्ण	
2.	स.स. खेड़ली गुजर से चुरारी वाया अटकोली	25.4.91	2.00	5.00	कार्य पूर्ण	
3.	स.स. जटवाड़ा रोड सोमली	10.2.92	1.00	6.00	कार्य पूर्ण	
4.	स.स. बेड़े का धर्मशाला से लहचोड़ा	10.2.92	3.00	15.13	कार्य पूर्ण	
5.	स.स. धुरसी से विजयपुरा	10.2.92	2.00	6.00	कार्य पूर्ण	
6.	स.स. हिण्डौन करौली रोड से जमालपुर	24.12.92	1.00	4.50	कार्य पूर्ण	
7.	स.स. धांवन धोलेटा रोड से फाजलाबाद	24.12.92	1.00	3.00	कार्य पूर्ण	
8.	स.स. धांवन धौलेटा रोड से पोपलखेड़ा	24.12.92	2.00	6.00	सा.नि.वि. द्वारा कार्य पूर्ण	
9.	स.स.माहवीरजी नादौती रोड से कौड़िया गांव	21.12.92	1.20	3.00	कार्य पूर्ण	
10.	स.स.हिण्डौन करोली रोड से गांवड़ा मीणा	26.2.93	2.50	13.75	सा.नि.वि. द्वारा कार्य पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
11.	स.स. वयाना रोड से बनकी	26.2.93	2.00	24.50	कार्य पूर्ण	
12.	स.स. मकनपुर से जहांगीरपुर	26.2.93	2.00	11.00	कार्य पूर्ण	
13.	स.स.शान्तिवीर नगर से होंगोट	26.8.94	3.00	15.00	कार्य पूर्ण	
14.	स.स. हिण्डौन करौली से गुनसार	24.6.98	1.00	16.00	कार्य पूर्ण	मण्डी विकास निधि से निर्मित।
15.	स.स. महू ब्रिज से घौंसला	24.6.98	1.50	10.60	कार्य पूर्ण	मण्डी विकास निधि से निर्मित।
16.	मिसिंग लैंथ सुरोठ से फतेहसिंहपुरा	9.6.98	0.60	1.33	कार्य पूर्ण	
17.	स.स. खरेटा से पूंछड़ो	25.4.91	2.00	5.00	अपूर्ण	मण्डी की आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण उक्त कार्य को विदड्रा कर लिया गया है।
18.	स.स. नक्कस की देवी से फत्तो का पुरा	25.4.91	1.00	3.75	अपूर्ण	राजकीय रास्ता उपलब्ध न होने के कारण मण्डी समिति की अभिशंसा पर कार्य विदड्रा कर दिया गया है। विवादित भाग का हल होने पर कार्य पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

1	2	3	4	5	6	7
19.	स.स. गोपीपुर से मण्डावरा पुलिया	10.2.92	1.00	6.00	अपूर्ण	संवेदक के विरुद्ध 2 एवं 3 सी की कार्यवाही की जा चुकी है। निविदा आमंत्रित कर कार्य पूर्ण करा लिया जावेगा।
20.	स.स. बरगमा रोड से जाटवों की ढाणी	4.4.94	2.00	10.00	अपूर्ण	डब्ल्यू.बी.एम. कार्य पूर्ण हो चुका है डामरीकरण का कार्य इस वर्ष पूर्ण करा लिया जावेगा।
21.	मिसिंग लैंथ स.स. बयाना रोड से	8.10.93	1.00	3.00	अपूर्ण	सी.डी. कार्य व डब्ल्यू. बी.एम.कार्य करने के पश्चात्।
22.	मिसिंग लैंथ सम्पर्क सड़क हिण्डौन करौली रोड से कारवाड़ वाया टोडूपुरा	9.6.98	0.70	6.00	अपूर्ण	मिट्टी का कार्य एवं डब्ल्यू. बी.एम.कार्य पूर्ण करने के पश्चात् ग्रामवासियों द्वारा आगे कार्य नही करने दिया गया।

अम्बेडकर कालोनी (अलवर) में निर्मित सड़क की लेवलिंग में अनियमितता की जांच

300. **श्री रमेश खींची** (कठूमर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अलवर की अम्बेडकर कालोनी का सड़क निर्माण कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या इसकी लेवलिंग में नगर सुधार न्यास द्वारा नियमानुसार कार्य नहीं कराया गया है ? क्या सड़क लेवलिंग का कोई नियम बना हुआ है ? यदि हां, तो नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सड़क के निर्माण में की गई अनियमितता के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। योजना में डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों का निर्माण कार्य माह जुलाई, 1999 से शुरू किया गया था वह अभी प्रगति पर है। उक्त योजना की सड़कों के टाप लेवल निश्चित कर नियमानुसार ही सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस संबंध में कोई नियम नहीं बनाये हुये हैं। किसी भी योजना के लिए सड़कों का लेवल उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियों एवं आसपास की सड़कों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसमें कम से कम व्यय को मध्यनजर रखते हुये मौके की भौगोलिक स्थिति के अनुसार लेवल निर्धारित किये जाते हैं।

(2) जी, नहीं। इस विषय में कोई जांच विचाराधीन नहीं है।

सहकारी भूमि विकास बैंक सीकर में अनियमितताएं

301. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक में हुई अनियमितताओं की शिकायतों की जांच की गयी है ? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अनियमितताओं में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने कोई कार्यवही की है ? यदि हां, तो विवरण सदन की में पर रखें ?

उत्तर

(1) जी, हां। जांच परिणाम की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। वांछित विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट "अ"

सहकारी विभाग राजस्थान, जयपुर

क्रमांक फा. 48(3)सविरा/भूबैंक/जांच धारा 70/95/858–62 दिनांक 26.8.98

जांच परिणाम

{ अन्तर्गत राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70(6) }

सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक लि0, सीकर के प्रशासन द्वारा बैंक में किये गये ऋण वितरण में कतिपयं अनियमतताओं के संबंध में एक वर्ष की अवधि में प्राप्त शिकायतों पर राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत आदेश क्रमांक फा. 48(4)2/सविरा/भूबैंक/सीकर/95 दिनांक 25.4.95 के द्वारा श्री शिवलाल मीणा, तत्कालीन परियोजना निदेशक (मोनेटरिंग) को जांच अधिकारी नियुक्त कर निम्न बिन्दुओं पर जांच करने के निर्देश दिये गये :–

1. बैंक द्वारा ऋण वितरण में पक्षपात करना, मशीनरी ऋण के भुगतान में फर्मो का रजिस्टर न बनाकर मनमर्जी से भुगतान करना एवं अपने नजदीकी रिस्तेदारों की फर्मो को फायदा पहुंचाने हेतु इन फर्मो द्वारा ऋण वितरण की व्यवस्था करना।
2. बैंक के वाहन (जीप) एवं टेलिफोन का बैंक प्रशासन द्वारा दुरुपयोग करना।
3. बैंक की राशि को निजी लाभ के लिए फर्मो को अग्रिम देकर नियमों की अवहेलना करना। एफ.एम.एस. के अन्तर्गत लक्ष्य पूरे हो जाने पर भी निजी स्वार्थ पूर्ति हेतु ट्रेक्टर का ऋण वितरण करना।

अन्य बिन्दू जिसे जांच के बाद में सम्मिलित किया गया वह श्री रिछपाल सिंह, लिपिक को सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा पदोन्नति न देकर रिकार्ड में हेरा–फेरी कर नुकसान पहुंचाया गया।

जांच अधिकारी ने उक्त बिन्दुओं पर जांच पूर्ण कर अपना जांच प्रतिवेदन दिनांक 31.7.95 को इस कार्यालय में प्रस्तुत किया। जांच प्रतिवेदन का गहनता से परीक्षण किया गया एवं जांच प्रतिवेदन में प्रथम दृष्टया ही दोषी पाये गये कर्मचारियों को जांच परिणाम जारी करने से पूर्व सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर देते हुए संबंधित दोषी व्यक्तियों को सुनवाई हेतु 3.8.98 सुनवाई तिथि निश्चित की गई। सुनवाई के पश्चात् शिकायत के जांच प्रतिवेदन में उल्लिखित बिन्दुओं में से निम्न बिन्दुओं में निम्न प्रकार से जांच परिणाम जारी किये जाते हैं :–

बिन्दू सं. (1) : बैंक में ऋण आवेदन पत्रावली प्राप्ति रजिस्टर नियमानुसार संधारित किया जाना आवश्यक है जो कि बैंक में चालू है। वर्ष 1994–95 में दीर्घकालीन ऋण वितरण हेतु

बैंक की विभिन्न शाखाओं में 2324 ऋण पत्रावलियों का इन्द्राज ऋण आवेदन पत्र रजिस्टर में किये जाने का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त 50 ऋण पत्रावलियां बैंक के पत्रावली प्राप्ति रजिस्टर में सचिव बैंक द्वारा मार्क किये जाने के बावजूद भी उक्त ऋण पत्रावलियों का इन्द्राज ऋण शाखा के लिपिक द्वारा ऋण आवेदन पत्र रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है ऋण शाखा इन्चार्ज श्री राजेन्द्र प्रसाद मेहरिया द्वारा अपने स्तर पर ही उक्त ऋण पत्रावलियों को डाले रखा गया एवं 50 ऋण पत्रावलियों को स्वीकृति हेतु भी प्रस्तुत नहीं की गई। जिसके लिए बैंक के कर्मचारी श्री राजेन्द्र प्रसाद मेहरिया दोषी है।

बिन्दु सं. (2) : जांच प्रतिवेदन में दायित्व का स्पष्ट निर्धारण नहीं होने के कारण पुनः जांच के आदेश दिये गये हैं।

बिन्दु सं. (3) : जांच प्रतिवेदन के अनुसार किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई है। अतः बिन्दु ड्रोप किया जाता है।

बिन्दु सं. (4) : श्री रिछपाल सिंह, वरिष्ठतम लिपिक की पदोन्नति के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार दो माह में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाकर उसमें श्री सिंह के नाम पर विचार नहीं करना, श्री रिछपाल सिंह की पदोन्नति के मामले में बैंक रिकार्ड में हेरा–फेरी करना, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में जानबूझकर प्रतिकूल प्रविष्टियां करना, कार्यवाही रजिस्टर के अन्दर अनियमित प्रस्ताव अंकित करना, दिनांक 15.1.88 को पदोन्नति के संबंध में अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा अधिकार प्राप्त कर विभागीय आदेश दिनांक 23.11.83 के विरुद्ध अवैध निर्णय लिये जाने आदि कार्यवाइयां जो कि जानबूझकर बदले की भावना से की गई है, के संबंध में तत्कालीन सचिव श्री रामावतार जैन उत्तरदायी हैं।

उपरोक्त जांच परिणाम आज दिनांक 26.8.98 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया।

आर.के. मीणा

रजिस्ट्रार

परिशिष्ट "अ"

सहकारी विभाग राजस्थान, जयपुर।

जांच परिणाम राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70(6) के अन्तर्गत

श्री जगदीश मीणा पुत्र स्वर्गीय श्री धन्नाराम निवासी शिश्यू, श्री मूलाराम पुत्र श्री भीवाराम मीणा निवासी शिश्यू, श्री लक्ष्मण पुत्र श्री भीवाराम निवासी शिश्यू, श्री जय प्रकाश मीणा पुत्र श्री स्वर्गीय श्री नारराम निवासी शिश्यू एवं श्री सुलतान मीणा पुत्र हनुमानराम मीणा निवासी शिश्यू तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर द्वारा रजिस्ट्रार

सहकारी विभाग राजस्थान जयपुर को दिनांक 8.8.97 को मय शपथ पत्र शिकायत प्रस्तुत करते हुए यह बताया गया कि उन्हें सीकर भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत करने के उपरान्त ऋण राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई एवं ना ही फव्वारा सयंत्र उपलब्ध करवाये गये तथा जब बैंक वाले वसूली के लिए आए तब उन्हें ज्ञात हुआ कि बैंक द्वारा उनके हक में ऋण स्वीकृत किया गया है। श्री जगदीश मीणा ने शिकायत में बताया कि उन्हें बैंक द्वारा डेयरी व फव्वारा यंत्र हेतु स्वीकृत ऋण उपलब्ध नहीं करवाई एवं वापस बैंक में जमा कर ली गई।

उक्त शिकायतों की धारा 70 के अन्तर्गत जांच करने हेतु रजिस्ट्रार महोदय ने आदेश क्रमांक फा.48(4)सविरा/भूबैंक/सीकर/2/ 97 दिनांक 8.8.97 के जरिये परियोजना निदेशक (मोनीटरिंग) को जांच अधिकारी नियुक्त किया तथा जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

श्री रफीक अहमद, परियोजना निदेशक (मोनेटरिंग) ने दिनांक 23 व 24 सितम्बर 1997 को सीकर जाकर उक्त प्रकरणों की धारा 70 के अन्तर्गत जांच रिपोर्ट दिनांक 6.10.97 को विभाग को प्रस्तुत कर दी है।

जांच अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 70 के अन्तर्गत प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अवलोकन एवं परीक्षण के आधार पर इस मामले में धारा 70(6) के अन्तर्गत निम्नानुसार जांच परिणाम जारी किये जाते हैं :–

(1) जगदीश प्रसाद मीणा को स्वीकृत ऋण राशि को वापस बैंक में जमा करवाने के प्रकरण में शाखा सचिव श्री कुशलसिंह भूमि विकास बैंक सीकर दोषी है क्योंकि बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण राशि को वापस जमा करने का अधिकार शाखा सचिव को नहीं है, बल्कि संचालक मण्डल के निर्णय एवं कृषक की असहमति के उपरान्त ही उसे वापस बैंक में जमा करवाया जा सकता था, इसलिए इस मामले में बैंक के शाखा सचिव श्री कुशलसिंह दोषी है तथा इस कृत्य के लिए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है।

(2) मूलाराम पुत्र भीवाराम, लक्ष्मण पुत्र भीवाराम, स्व. नारराम एवं सुलतान पुत्र हनुमानराम मीणा के मामलों में गवाहों के बयान एवं बैंक द्वारा वर्ष 90 से उक्त मामलों में वसूली न करना यह स्पष्ट करता है कि कृषकों को स्वीकृत ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया और ना ही उन्हें फव्वारा यंत्र उपलब्ध करवाये गये, जिसके कारण बैंक द्वारा उक्त कृषकों को स्वीकृत ऋण राशि की वसूली न होने से आर्थिक नुकसान बैंक को रुपये 60,500/– का हुआ है। अतः श्री मूलाराम, श्री लक्ष्मण, श्री सुलतान एवं श्री नारु की ऋण राशि क्रमशः 18,000/– 14,000/–16,000/– एवं 12,500/– रुपये इस प्रकार कुल 60,500/– रुपये के लिए श्री कुशल सिंह शाखा सचिव बैंक एवं

श्री कैलाश चन्द शर्मा सुपरवाइजर जिनके द्वारा फिटिंग रिपोर्ट एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी किया गया है का दायित्व निर्धारित किया जाता है।

(3) सचिव प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक, सीकर इस प्रकरण में बैंक को हुए नुकसान की वसूली सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत सुनिश्चित करने के लिए मामला संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों, जयपुर खण्ड जयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे और बैंक की राशि की वसूली सुनिश्चित करेंगे।

(4) जब तक राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत दायित्व निर्धारण का निर्णय न हो जावे, जब तक संबंधित कृषकों से वसूली की बैंक द्वारा कार्यवाही नहीं की जावे।

(5) सचिव भूमि विकास बैंक सीकर उक्त दोनों कर्मचारियों को निलम्बित कर उनके विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 16 या बैंक के सेवा नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करेंगे।

आर.के. मीणा
रजिस्ट्रार

जांच परिणाम दिनांक 26.8.98 एवं जांच परिणाम दिनांक 3.11.97 का संक्षिप्त विवरण

प्रथम जांच परिणाम की अनुपालना कार्यवाही निम्नानुसार है :–

बैंक कर्मचारी श्री राजेन्द्र महरिया को बैंक द्वारा दिनांक 17.5.95 को राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र दिया गया था श्री महरिया द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन पश्चात् भविष्य में अपने कर्तव्यों का निर्वाह अधिक सचेत होकर करने की चेतावनी के साथ बैंक सचिव द्वारा प्रकरण समाप्त किया जा चुका है।

तत्कालीन सचिव श्री रामावतार जैन के विरुद्ध प्रकरण विभाग स्तर पर सी.सी.ए.रुल्स के कार्यवाही किये जाने हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाए जाने की प्रक्रिया में है।

प्रथम जांच रिपोर्ट के बिन्दु संख्या दो की पुनः जांच करवाई गई है जांच प्रक्रियाधीन है।

दूसरी जाचं के जांच परिणामों में श्री कुशल सिंह शाखा सचिव एवं श्री कैलाश चंद शर्मा सुपरवाइजर बैंक को उत्तरदारी माना गया था।

परन्तु संबंधित द्वारा राज्य सरकार में निगरानी याचिका प्रस्तुत किए जाने पर पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया है। जो प्रक्रियाधीन है।

पोकरण लिफ्ट योजना (जैसलमेर) से पेयजल आपूर्ति

302. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला जैसलमेर के पोकरण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति कलाऊ से होती है ? क्या स्थानीय स्रोत अपर्याप्त हैं ?

(2) क्या स्थायी समाधान हेतु पोकरण पेयजल लिफ्ट योजना का सर्वे हुआ था ?

(3) क्या यह सही है कि पोकरण लिफ्ट का पानी आगामी वर्ष में पहुंचने वाला है ?

(4) उक्त पोकरण पेयजल लिफ्ट योजना को स्वीकृत करने की क्या कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। जिला जैसलमेर के पोकरण क्षेत्र के पोकरण शहर व 27 गांवो में पेयजल आपूर्ति ग्राम कलाऊ (जिला जोधपुर) स्थित नलकूपों से हो रही है। पोकरण में स्थानीय क्षेत्र में भूजल उपलब्ध नहीं है, व 27 गांवो मे स्थानीय पानी विभागीय मानदंडो के अनुसार पीने योग्य नहीं है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं।

(4) जी, नहीं। पोकरण पेयजल लिफ्ट योजना अभी राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मुकदमों का निस्तारण

303. **श्री मोहन लाल चौहान** (परवतसर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत गत पांच वर्षों में कुल कितने मुकदमे बनाये गये ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मुकदमों में से कितनों के चालन न्यायालय में पेश हो चुके हैं तथा कितने मुकदमों के चालान पेश नहीं हुये हैं और अब कब तक पेश कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) राज्य में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत गत पांच वर्षों में कुल 89 मुकदमे बनाये गये है। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त मुकदमों में से 713 के न्यायालयों में चालन पेश हो चुके हैं एवं 100 के चालन पेश नहीं हुए क्योंकि पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा हैं अनुसंधान पूर्ण होने पर अनुसंधान अनुसार चालान पेश किये जायेंगे।

सूची

क्र.सं.	नाम जिला	आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मुकदमे	न्यायालयों में किये गये मुकदमे	अन्तिम रिपोर्ट	अनुसंधान में
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	62	55	0	7
2.	अलवर	18	13	0	5
3.	बाड़मेर	22	20	0	2
4.	बारां	30	30	0	0
5.	बांसवाड़ा	46	36	0	10
6.	भरतपुर	48	48	0	0
7.	भीलवाड़ा	18	9	9	0
8.	बीकानेर	21	21	0	0
9.	बून्दी	12	0	0	12
10.	चित्तौड़गढ़	4	3	0	1
11.	चूरू	14	11	0	3
12.	दौसा	39	37	0	2
13.	धौलपुर	34	31	2	1
14.	डूंगरपुर	3	3	0	0
15.	गंगानगर	25	17	2	6
16.	जयपुर	151	83	53	15
17.	जैसलमेर	1	1	0	0

1	2	3	4	5	6
18.	जालौर	11	7	4	0
19.	झालावाड़	24	17	0	7
20.	झुंझुनूं	23	12	0	11
21.	जौधपुर	13.	9	0	4
22.	कोटा	27	19	1	7
23.	नागौर	36	36	0	0
24.	पाली	38	38	0	0
25.	राजसमन्द	18	17	0	1
26.	सवाईमाधोपुर	5	5	0	0
27.	सीकर	17	10	6	1
28.	सिरोही	17	17	0	0
29.	टोंक	22	15	7	0
30.	उदयपुर	90	89	0	1
31.	हनुमानगढ़	8	4	0	4
32.	करौली	0	0	0	0
	योग	897	713	84	100

वन एवं पर्यावरण कानून के अंतर्गत वन क्षेत्र में अवैध खनन कार्यों पर रोक

304. **श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल** (गंगापुर) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वन एवं पर्यावरण कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खनन क्षेत्र की भूमि वन क्षेत्र में आई है ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) केन्द्र सरकार ने राजस्थान में कितने खनन क्षेत्र को वन भूमि से अलग करके खनन करने की इजाजत दी है ?

(3) क्या उक्त कानून के लागू होने के बाद राजस्थान में खनन पर आधारित उद्योग प्रभावित हुए हैं और बेकारी फैली है ? यदि हां, तो सरकार किस प्रकार उक्त उद्योग को प्रोत्साहन देने की योजना रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि वन एवं पर्यावरण कानून के लागू होने के बाद खनन पट्टाधारियों को तो वन क्षेत्र में काम करने से रोक दिया गया है जबकि जगह–जगह गैर कानूनी तौर से वन क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.12.96 की अनुपालना में खनन पट्टों/खनन लीजों में संभावित 12750 हैक्टेयर वन भूमि प्रभावित हुई है।

(2) केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान में 2025.15 हैक्टेयर वन क्षेत्र में खनन हेतु अन्तिम रुपये स्वीकृति दी गई है।

(3) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.96 की अनुपालना में राजस्थान के वन क्षेत्रों में स्थित 2,345 खनन पट्टों में सम्मिलित वन भूमि पर खनन कार्य बन्द करना पड़ा जिससे आरम्भ में खनन आधारित उद्योगों पर अवश्य ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। किन्तु शनैः शनैः राज्य सरकार के प्रयासों से अधिकांश खानों में खनन कार्य करने की केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त कर ली गई जिससे स्थिति में सुधार हुआ है। कुछ और प्रकरणों में भी खनन कार्य चालू करने बाबत स्वीकृतियां प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(4) जी, नहीं। खनन पट्टाधारियों के संबंध में केन्द्र सरकार से खनन कार्य करने की अनुमति प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे है तथा अनेक खानों में कार्य पुनः आरम्भ हो गया है। वन क्षेत्रों में अवैध खनन की जानकारी होने पर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

नागौर-अजमेर वाया डेगाना मार्ग पर निगम बस सेवा

305. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पथ परिवहन निगम के नागौर आगार से कुल कितनी द्रुतगामी/साधारण बसों का संचालन प्रतिदिन किया जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नागौर से डेगाना होती हुई अजमेर तक कुल कितनी बसों का संचालन प्रतिदिन किया जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार यात्री भार को देखते हुए उक्त मार्ग पर और अधिक बसों का संचालन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी बसें उक्त मार्ग पर और संचालित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त मार्ग पर उक्त आगार द्वारा बसों का संचालन कम कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर आगार द्वारा प्रतिदिन 41 बसों से 73 परिचक्र द्रुतगामी सेवा के रूप में तथा 38 बसों से 77 परिचक्र साधारण सेवा के रूप में संचालित किये जा रहे हैं। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "1")

(2) नागौर से डेगाना होते हुए अजमेर तक 2 बसों से 4 परिचक्रों का प्रतिदिन संचालन किया जा रहा है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

नागौर से प्रस्थान समय	**अजमेर से प्रस्थान समय**
0800	0600
1415	1345

(3) जी, हां। नागौर–अजमेर वाया डेगाना मार्ग पर और अधिक बसों का संचालन करने हेतु 2 अनुज्ञा–पत्र और प्राप्त किये जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही हैं। अनुज्ञा–पत्र स्वीकृत होने पर इस मार्ग पर और अधिक बसों का संचालन प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

(4) जी, नहीं।

परिशिष्ट "1"

नागौर आगार द्वारा संचालित बस सेवाओं का मार्गवार विवरण

क्र.सं.	मार्ग का नाम	सेवाओं की संख्या
द्रुतगामी सेवायें :-		
1.	नागौर—दिल्ली वाया अजमेर	2
2.	नागौर—जयपुर वाया अजमेर	2
3.	नागौर—कोटा वाया अजमेर	4
4.	नागौर—अजमेर	12
5.	नागौर—दिल्ली वाया डीडवाना	7
6.	नागौर—हरिद्वार वाया डीड़वाना	2
7.	नागौर—जयपुर वाया सीकर	1
8.	नागौर—जयपुर वाया बिचून	5
9.	नागौर—जयपुर वाया खाटू	2
10.	नागौर—सीकर	2
11.	नागौर—सुजानगढ़	2
12.	नागौर—डीडवाना	1
13.	नागौर—जोधपुर	10
14.	नागौर—सिरोही वाया जोधपुर	2
15.	नागौर—बीकानेर	4
16.	नागौर—गंगानगर	2
17.	बीकानेर—अजमेर	2
18.	जोधपुर—डीडवाना	1
19.	जोधपुर—बीकानेर	9
20.	नागौर—दिल्ली वाया डेह	1
	योग	73
साधारण सेवायें :-		
1.	नागौर—अजमेर	16
2.	अजमेर—मेड़ता	10
3.	नागौर—मेड़ता	6
4.	नागौर—रिया	2
5.	नागौर—कुचेरा	4
6.	नागौर—अजमेर वाया डेगाना	4
7.	नागौर—डेगाना	2
8.	नागौर—नावां वाया डीडवाना	2
9.	नागौर—कुचामन वाया डीडवाना	2
10.	नागौर—लाडनूं वाया डीडवाना	4
11.	नागौर—सालासर	2
12.	नागौर—सुजानगढ़	2
13.	नागौर—जोधपुर	14
14.	नागौर—बीकानेर	3
15.	नागौर—नोखा	2
16.	नागौर—लाडनूं वाया डेह	2
	योग	77

जिला बाड़मेर में सीमा पर तारबन्दी में आई भूमि का मुआवजा

306. **श्री अमीन खान** (शिव) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीमावर्ती जिलों में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में तारबन्दी की गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सीमा पर रहने वाले स्थानीय किसानों की खातेदारी की भूमि तारबन्दी में आ गई है ?

(3) क्या सरकार ऐसे किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और कितना ?

(4) जिला बाड़मेर के कितने किसानों की कितनी—कितनी भूमि तारबन्दी के अन्दर आई ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) जी, हां। मुआवजा राशि भारत सरकार द्वारा दी जायेगी। इस संबंध में पत्राचार जारी है।

(4) तारबन्दी के अन्दर बाड़मेर जिले में प्रभावित कांश्तकारों की कुल 18158.04 बीघा भूमि आई है।

(क) तारबन्दी में काम आई भूमि

तहसील	बीघा-बिस्वा
1. शिव	179.17
2. रामसर	144.04
3. चौहटन	845.08
	1169.08

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की जीरो रेखा से तारबन्दी के मध्य छूटी भूमि

तहसील	बीघा-बिस्वा
1. शिव	8078.09
2. रामसर	1264.00
3. चौहटन	7646.06
	16988.15

ग्राम पंचायत सिणधरी (बाड़मेर) हेतु कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़क निर्माण की स्वीकृति

307. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ामलानी) : क्या विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि विपणन बोर्ड ने ग्राम पंचायत—मुख्यालय सिणधरी हेतु सड़क निर्माण की (बाड़मेर) स्वीकृति जारी की थी ? यदि हां, तो उसे निरस्त क्यों किया गया ?

(2) क्या सरकार उक्त स्वीकृति पुनः जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सम्पर्क सड़क की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिनांक 26.0998 को जारी की गई थी, किन्तु वित्तीय स्थिति के कारण दिनांक 3.6.99 को निरस्त की गई।

(2) जी, नहीं।

नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा एन.सी.आर.योजना में अवाप्त शुदा भूमि पर भूमाफिया का कब्जा

308. **श्री ज्ञानवेद आहूजा** (रामगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास अलवर द्वारा एन.सी.आर. योजना के अन्तर्गत अवाप्त शुदा मोती डूंगरी की 11 बीघा भूमि आराजी खसरा नं.– 1818,1819, 1820, 1823 एवं 1826 पर भू–माफियाओं का कब्जा है ? यदि हां, तो उक्त जमीन से संबंधित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जमीन पर भू–माफियाओं द्वारा प्लाट काटकर जनता को बेचा जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बिन्दु नं.–1 में वर्णित आराजी खसरा नंम्बर–1818, 1819, 1820, 1823 एवं 1826 मोती डूंगरी पर स्थित नहीं है।

(2) न्यास अलवर को इसकी जानकारी नहीं है।

शांति गृह निर्माण सहकारी समिति, जगतपुरा (जयपुर) द्वारा आवंटित भू-खण्डों का कब्जा प्रकरण

309. **डा. समरजीत सिंह** (भीनमाल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि शांति गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा शिक्षक विहार योजना, जगतपुरा (जयपुर) में आवासीय एवं वाणिज्यिक भू–खण्डों का आवंटन किया गया था ? यदि हां, तो किस–किस खसरा नं. भूमि पर ? विवरण मय नक्शे की प्रति के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समिति द्वारा भू–खण्ड आवंटन हेतु भूमि किस–किस किसान से कब–कब खरीदी गई ? उक्त भूमि का कब्जा किसानों से कब–कब लिया गया ? किसान एवं समिति के मध्य भूमि खरीद के इकरारनामे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना में समिति द्वारा कितने–कितने भू–खण्ड आवंटित किये गये ? आवंटियों की सूची मय नाम, पते के सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि समिति के पदाधिकारियों एवं विभाग की मिलीभगत से भू–खण्डधारियों से पूरी राशि लेकर आज तक भी भू–खण्डों का कब्जा नहीं दिया

(डा. समरजीत सिंह)

गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर पीडित भू–खंडधारियों को कब्जा दिलवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सहकारिता विभाग में शांति गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा भू–खण्ड आवंटन संबंधी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। उक्त गृह निर्माण सहकारी समिति का पंजीयन सहकारिता विभाग द्वारा दिनांक 31.3.1992 को समिति के अवसायन की सम्पूर्ण कार्यवाही की जाकर निरस्त किया जा चुका है।

(2) शांति गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर के अन्तिम अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार समिति द्वारा किसी भी कृषक से भूमि का क्रय किया जाना नहीं बताया गया है।

(3) प्रश्न के भाग–ए के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार चाही गई सूचना शून्य है।

(4) सहकारिता विभाग द्वारा समिति का पंजीयन ही वर्ष 1992 में निरस्त कर दिया गया था। अतः उसके उपरान्त समिति द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही के लिए विभागीय मिलीभगत अथवा विभाग के उत्तरदायित्व का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अतः इस संबंध में सहकारिता विभाग के स्तर पर कोई कार्यवाही वांछित नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र टिब्बी में हैण्ड पम्प तथा डिग्गियों की स्वीकृति

310. **श्री आदराम मेघवाल** (टिब्बी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र टिब्बी में वर्ष 1999 एवं 2000 में मानदण्ड के अनुसार कितने गांवों में हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(२) क्या सरकार वर्ष 2000-2001 में जोरावरपुरा, लाखूनाली, मेहरवाला, लालपुरा लालखां ढ़ाणी, खिनानिया, न्योलखी, चेलासरी, माण के रिया में पेयजल योजना के अन्तर्गत डिग्गियां बनाने की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टिब्बी में वर्ष 1999 एवं 2000 में किसी भी गांव में कोई हैण्ड पम्प स्वीकृत नहीं हुआ है। इस विधान सभा क्षेत्र में कुल 627 गांव हैं, जिनमें से 593 विभिन्न प्रकार की जल योजनाओं से लाभान्वित है शेष 34 गांवों की आबादी 20 से कम है, तथा वहां जन स्वा. अभि. विभाग की कोई योजना नहीं है। लाभान्वित गांवों में से 245 गांव हैण्ड पम्प योजना से वर्ष 1999 से पूर्व से ही लाभान्वित हैं जिनमें कुल 317 हैण्ड पम्प स्थापित हैं। इन सभी गांवों में नोमर्स के अनुसार हैण्ड पम्प उपलब्ध हैं।

(2) (अ) ग्राम जोरावरपुरा की संवर्धन

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

योजना में डिग्गी बनाना प्रस्तावित है।

(ब) ग्राम लखूवाली की संवर्धन योजना विचाराधीन है।

(स) गांव मेहरवाला सेमग्रस्त है, नये हैड वर्क्स हेतु ग्राम पंचायत द्वारा अभी तक आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं करवाई गई है। भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् ही इस पर विचार संभव होगा।

(द) ग्राम लालपुरा, न्योलखी, चेलासरी, माणकेरिया संवर्धन हेतु जर्मन सहायता से स्वीकृत "आपणी योजना" के अंतर्गत सम्मिलित है, जिसका कार्य प्रगति पर है। इस योजना में पाइप द्वारा एक स्थान पर बने हैड वर्क्स से पानी देना प्रस्तावित हैं, में अलग से डिग्गी नहीं बनेगी।

(क) गांव खिनानिया में वर्तमान में मानदण्डों के अनुसार पेयजल वितरण हो रहा है। अतः इस ग्राम हेतु कोई नई डिग्गी बनाया जाना प्रस्तावित नहीं हैं।

(ख) गांव लालखानी की ढाणी में भूतल जलाशय द्वारा ग्राम देईदास से पानी दिया जा रहा है। अतः डिग्गी बनाना प्रस्तावित नहीं है।

राज्य में नीलगाय (रोजड़े) द्वारा फसलों को नुकसान

311. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या रोजड़े फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार फसली नुकसान को बचाने के लिए क्या कदम उठा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या किसान को अभी खातेदारी की जमीन में खेती की रखवाली करने का अधिकार है ? यदि हां, तो रखवाली करने समय रोजड़े द्वारा किसान पर हमला करने पर रोजड़े को किसान मार देता है तो क्या यह कानूनी अपराध होगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। फसली नुकसान को बचाने के लिए रोजड़े को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची—III से हटाकर अनुसूची—V में शामिल करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1992 से ही भारत सरकार को निरन्तर निवेदन किया जाता रहा है।

समयाग्रस्त जिलों के उप वन संरक्षकों क्षेत्रीय वन अधिकारियों को फसल का नुकसान करने वाले रोजड़ों को नष्ट करने की अनुमति देने के लिए अधिकृत किया हुआ है। राजस्व एवं पुलिस विभाग के कुछ अधिकारियों को भी इस हेतु अधिकृत करने के बारे में प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी, हां। रखवाली करते समय रोजड़े द्वारा किसान पर हमला करने पर यदि किसान अपनी आत्म रक्षा के लिए रोजड़े को मार देता है तो वन जीव सुरक्षा अधिनियम की 1972 धारा 11(2) के तहत यह कानूनी अपराध नहीं है।

राज्य में अवैध वाहनों के स्थान पर सरकारी वाहनों का संचालन

312. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) अवैध वाहनों की रोकथाम के लिये सरकार द्वारा वर्ष 1999–2000 में क्या कदम उठाये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अवैध वाहनों से सरकार को वर्ष 1997 से 2000 तक कितनी राजस्व की प्राप्ति हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अवैध वाहनों के स्थान पर सरकारी वाहन चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कुल कितने वाहनों को वर्ष 2000 तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1999–2000 में अवैध वाहनों की रोकथाम हेतु निम्नांकित कदम उठाये गये हैं :–

(क) अवैध संचालन को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसको प्रति माह अवैध वाहनों के संचालन को रोकने हेतु संयुक्त अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया गया है।

(ख) बिना परमिट के यात्री वाहनों से पूर्व में एक दिन का टैक्स व संधारण राशि लेकर वाहनों को छोड़ दिया जाता था। इस संबंध में नियमों में संशोधन कर 10 सीट तक के यात्री वाहनों से एक वर्ष की अवधि के बराबर कर की राशि वसूल किये जाने तथा 10 सीट से अधिक क्षमता के सभी यात्री वाहनों से संविदा वाहनों द्वारा देय एक माह की अवधि के कर के बराबर राशि वसूल किये जाने का प्रावधान किया गया है।

(ग) निजी वाहनों के स्टेण्ड परिवहन निगम के स्टेण्ड के पास नहीं रखने के निर्देश जारी किये गए हैं।

(2) अवैध संचालन को रोकने हेतु चलाये गये अभियानों में वसूल की गई राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	वसूल की गयी राशि (रुपये लाखों में)
1996–97	624.26
1997–98	439.77
1998–99	365.06
1999–2000	515.26
कुल योग	1944.35

(3) जी, नहीं। सरकारी वाहन चलाने का कोई विचार नहीं है। राज्य में राष्ट्रीयकृत मार्ग एवं अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर मंजिली वाहनों के परमिट लेकर राजस्थान राज्य

(यातायात मंत्री)

पथ परिवहन निगम द्वारा बसें चलाये जाने का पूर्व में ही प्रावधान है।

राज्य सरकार सवारियों के ओवरलोडिंग को रोकने के लिए सतत् प्रयत्नशील है इसके लिए समय–समय पर जांच की जाती है। प्रायः जीपों में क्षमता से अधिक सवारियां ले जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है, जिन पर अंकुश लगाने के लिए विभाग द्वारा 12 बैठक तक की क्षमता वाले वाहनों पर क्षमता से अधिक सवारी लेकर पाई जाने पर पूर्व में 30 रुपये प्रति सवारी की दर से प्रशमन राशि के स्थान पर अब वाहन के अन्दर क्षमता से अधिक बैठी पाई गई सवारियों के लिए 150 रुपये प्रति सवारी तथा वाहन के बाहर लटकते हुए छत पर बैठकर यात्रायात करने वाली सवारियों के लिए 300 रुपये प्रति सवारी की दर से प्रशमन राशि वसूल किये जाने का प्रावधान किया गया है। जीपों के अवैध संचालन एवं क्षमता से अधिक सवारियां ले जाने से रोकने के लिए सम्बन्धित थाने के थानाधिकारी एवं याता विभाग के निरीक्षक को जिम्मेदार बनाया गया है।

राजस्थान आवासन मण्डल और आवासन विकास संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमे

313. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल और राजस्थान आवास विकास संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में मुकदमें दर्ज हुये हैं ? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में इस वर्ष सहित कौन–कौन से मुकदमे कब–कब, किन–किन के विरुद्ध दर्ज हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मुकदमों में अब तक क्या–क्या कार्यवाही हुई ? किस–किस का कब–कब चालान हुआ तथा शेष का कब तक चालान होगा और इतने लम्बे समय तक मामले विचाराधीन रहने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। गत पांच वर्षों में इस वर्ष सहित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में राजस्थान आवासन मण्डल/राजस्थान आवासन विकास संस्थान के तीन अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमें दर्ज हुए हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) उक्त सभी तीनों मुकदमे अन्वेषणाधीन हैं। मुकदमों का अन्वेषण पूर्ण होने पर उपलब्ध साक्ष्य मौखिक एवं दस्तावेजी का विवेचन करने के पश्चात् आरोपित अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध निरोधक अधिनियम के तहत आरोप प्रथम दृष्टया साबित होने पर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् न्यायालय में चालान पेश किया जाना संभव होगा।

परिशिष्ट "अ"

गत पांच वर्षो में राजस्थान आवासन मण्डल/ राजस्थान आवास विकास संस्थान के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में पंजीबद्ध अपराधों की सूची

क्र.सं.	अपराध संख्या	विरुद्ध	वर्तमान स्थिति
1.	204/98	श्री दौलत जाखड़, कनिष्ठ अभियंता आवासन मण्डल, मानसरोवर, जयपुर।	अन्वेषणाधीन
2.	48/99	श्री एम. के. जैन, अधि. अभियंता, आवासन मण्डल, जयपुर।	अन्वेषणाधीन
3.	65/99	श्री एच. एम. खण्डेलवाल, हाऊसिंग इन्जिनियर, आवासन मण्डल, भरतपुर।	अन्वेषणाधीन

टोडा से चांदोली (सीकर) सड़क निर्माण की स्वीकृति

314. **श्री मोहन लाल मोदी** (नीमकाथाना) :

क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नाबार्ड के सहयोग से कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़कें स्वीकृत किस आधार पर की जाती है ?

(2) गत वर्ष में व चालू वर्ष में सीकर जिले में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कितनी सड़कें किस–किस विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत की गई सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में टोड़ा से चांदोली सड़क बनाने की मांग की गई थी ? यदि हां, तो उसको स्वीकृत नहीं करने के क्या कारण है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा सम्पर्क सड़कों की स्वीकृति जिनका निर्माण नाबार्ड के सहयोग से कराया जाता है, वे नाबार्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर स्वीकृत की जाती है।

(2) गत वर्ष एवं चालू वर्ष में सीकर जिले में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सड़कों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं।

(3) जी, हां। सड़क के तकमीने तैयार किये जा रहे हैं। धन उपलब्धता की स्थिति अनुसार सड़कों की स्वीकृति की जायेगी।

परिशिष्ट ''अ''

विधान सभा क्षेत्रवार जिला सीकर में स्वीकृत सम्पर्क सड़कें

क्र.सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी)	राशि (लाख रु.)	मद
1	2	3	4	5
	अ. विधान सभा क्षेत्र-श्रीमाधोपुर			
1.	स.स. कल्याणपुरा से ढाबावाली	3.00	25.04	मंडी कोष
2.	स.स. श्रीमाधोपुर से पटवारी का वास	5.29	25.04	मंडी कोष
3.	स.स. मूण्डरू से फूटाला	2.830	22.70	मंडी कोष
4.	स.स. दिवराला से अनन्तपुरा	3.080	44.60	आरआई. मंडी विकास कोष
5.	स.स. सिमारला से गढ़ भोपजी	1.750	16.29	डी.एफ.योजना
6.	स.स. थोई से रामपुरा	1.850	19.83	--यथा--
7.	स.स. कांबट से कालियावास	0.58	7.90	--यथा--
8.	स.स. थोई से रुपपुरा उदलवास	3.500	26.14	--यथा--
9.	स.स. कोटड़ी से सिमारला	4.500	32.98	--यथा--
10.	स.स. थोई से करड़का	3.450	27.20	--यथा--
11.	स.स. अजीतगढ़ से मानगढ़	2.180	15.32	--यथा--
12.	स.स. गढ़ टकनेट से सुरानी	1.900	28.24	--यथा--
13.	स.स. हरदास का बास रोड से मण्डूसिया	0.600	7.11	--यथा--
14.	स.स. मण्डूसिया से मोड़याड़ी	1.080	10.98	--यथा--
15.	स.स. हरदास का बास रोड से हरिपुरा	1.280	13.48	--यथा--
16.	स.स. श्रीमाधोपुर से नांगलभीम	3.000	24.80	--यथा--
17.	स.स. मूण्डरु खजरोली रोड से कोलवा	1.750	14.16	--यथा--

1	2	3	4	5
	ब. विधान सभा क्षेत्र-सीकर			
1.	स.स. सीकर से राधाकिशनपुरा	3.000	18.27	–यथा–
	स. विधान सभा क्षेत्र-लक्ष्मणगढ़			
1.	स.स. सेवद बड़ी से रूल्याणा माली	5.770	44.00	मण्डी कोष
2.	स.स. बगडी से बादूसर	1.00	7.60	मण्डी विकास कोष
3.	स.स. पनलावा से खीवासर	4.780	37.80	–यथा–
4.	स.स. लक्ष्मणगढ़ से दूदवा	6.600	64.40	–यथा–
5.	स.स. लक्ष्मणगढ़ मुकनगढ़ से राजपुरा	5.02	43.21	आर.आई.डी.एफ.
6.	स.स.कुमाल जाटान	3.00	24.10	–यथा–
	द. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर			
1.	स.स. गरिण्डा से अठवास	3.00	22.70	मण्डी विकास कोष
2.	स.स. फतेहपुर बेसवा रोड से जलालसर	2.980	26.18	आर.आई.डी.एफ.
3.	स.स. कल्याणपुरा से सेखीसर	3.800	32.68	–यथा–
4.	स.स. हिरणा	5.00	40.00	–यथा–(नाबार्ड से स्वीकृत होनी है)
5.	स.स. शैरूबारी	2.15	16.96	–यथा–
	य. विधान सभा क्षेत्र धोद			
1.	स.स. बढ़ाढ़र से सांवलोदा पुरोहितान	1.230	11.27	मण्डी कोष
2.	स.स. सियोट छोटी से श्यामपुरा	2.800	20.89	आर.आई.डी.एफ.
3.	स.स. जाचास	3.10	20.88	–यथा–
	र. विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़			
1.	स.स. शिश्यूमियां की ढाणी अजबपुरा	2.250	31.47	मण्डी कोष

1	2	3	4	5
2.	स.स. रानोली से बैद का ढाणी	2.380	38.30	मण्डी विकास कोष
3.	स.स. दूधवा से ठेठ	3.100	25.65	आर.आई.डी.एफ.
4.	स.स. खाटूलामिया रोड़ से गिला का ढाणी	2.00	16.30	–यथा–
5.	स.स. सूलियावास से मूंडियावार्स	2.700	26.40	मण्डी कोष
6.	स.स. लदाना	5.00	32.50	आर.आई.डी.एफ. (नाबार्ड से स्वीकृत होनी है)
	ल. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला			
1.	स.स. खण्डेला से रोयल	0.92	18.31	मण्डी कोष
2.	स.स. श्रीमाधोपुर से रानीपुरा	5.30	45.10	आर.आई.डी.एफ.
3.	स.स. चला उदयपुर वाटी रोड़ से डेरा जोड़ावाली	2.00	15.15	मण्डी विकास कोष
	व. विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना			
1.	स.स. नीमकाथाना से कोटड़ा	5.70	52.68	मण्डी विकास कोष
2.	स.स. सिरोही से अगवाड़ी	1.20	15.15	–यथा–
3.	स.स. भूदोली प्रीतमपुरी रोड़ से झिराना	3.00	22.70	–यथा–
4.	स.स. नीमकाथाना कोटपुतली रोड़ से खादरा	4.00	30.30	–यथा–
5.	स.स. बूजीवाला से दीपावास	4.20	30.30	–यथा–
6.	स.स. जिलो से बिहारीपुर	5.00	38.48	आर.आई.डी.एफ
7.	स.स. टोड़ा से मोकलवास	4.50	33.53	–यथा–
8.	स.स. कोटपुतली रोड से रामसिंहपुरा	4.00	27.70	–यथा–
9.	स.स. पाटन से कोला की नांगल	5.40	49.88	–यथा–

पुष्कर सरोवर (अजमेर) को प्रदूषण मुक्त करने की योजना

315. **श्री रमजान खान (पुष्कर)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पुष्कर सरोवर (अजमेर) को प्रदूषण मुक्त करवाने हेतु क्या कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पर्यावरण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार पुष्कर सरोवर (अजमेर) को प्रदूषण मुक्त कराने हेतु वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं होना बताया गया है।

सचिव, अलवर भूमि विकास बैंक द्वारा अनियमितताएं

316. **श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कपा करेंगे :—

(1) क्या सचिव "अलवर भूमि विकास बैंक, अलवर" द्वारा फव्वारा सैट एवं ट्रैक्टर की पत्रावलियां मंजूर करने में अनियमितता करने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कब व उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या पूर्व में भी उक्त सचिव के विरुद्ध अनियमित कार्य करने संबंधित शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी, हां, इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। सहकारी विभाग को प्राप्त शिकायत दिनांक 1.3.2000 की जांच हेतु खण्डीय संयुक्त रजिस्ट्रार, भरतपुर को पत्र दिनांक 14.3.2000 से निर्देशित किया गया है। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।

(2) जी, हां।

तहसील छीपाबड़ौद एवं छबड़ा में पेयजल आपूर्ति

317. **श्री प्रताप सिंह (छबड़ा)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि छीपाबड़ौद एवं छबड़ा में पेयजल आपूर्ति के लिए नये ट्यूबवैल खोदे गये हैं अथवा अब सरकार ट्यूबवैल खोदने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ?

उत्तर

छबड़ा एवं छीपाबड़ौद नगर में वर्ष 1999 से प्रत्येक नगर में एक—एक नलकूप खोदा गया, इसके अतिरिक्त कोई अन्य नलकूप खोदा जाना शेष नहीं है। छबड़ा नगर का नलकूप पूर्व में चालू किया जा चुका है एवं छीपाबड़ौद का नलकूप भी चालू कर दिया गया है।

शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य (कोटा) में अवैध खनन पर रोक

318. **श्री हेमन्त कुमार** (दीगोद) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में कितनी अवैध पत्थर की खानें कहां कहां, कब–कब से चल रही हैं ?

(2) क्या सरकार अवैध खानों को बन्द कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला बारां में स्थित शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में कोई भी अवैध पत्थर की खानें नहीं चल रही है।

(2) जी, हां। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.96 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा सभी अवैध खानें बन्द करवाई जा चुकी है। इन बंद खानों में से कभी–कभी स्थानीय लोगों को अवैध रूप से पत्थर ले जाते हुए पकड़ा गया है।

विधान सभा क्षेत्र बहरोड में निगम बस सेवा का संचालन

319. **डा. करण सिंह यादव** (बहरोड) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1985 से 1988 तक बहरोड क्षेत्र के सभी मार्गों पर परिवहन निगम की बसें चलती थी ? यदि हां, तो अब उन मार्गों पर निगम की बसें क्यों नहीं चलती ?

(2) क्या बहरोड क्षेत्र की निगम बसें बंद करने से कोटपूतली डिपो लाभ में है ? यदि नहीं, तो बसें बंद क्यों की गई ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त अवधि में कोटपूतली आगार में 77 शिड्यूल बहरोड़ क्षेत्र से जुड़े हुये थे ? यदि हां, तो उन शिड्यूलों में से कितने शिड्यूल बहरोड क्षेत्र में चल रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में बहरोड क्षेत्र में किन–किन बसों को कहां से कहां तक एवं किन–किन शर्तों पर परमिट दे रखें हैं।

(5) क्या यह सही है कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों को परमिट नहीं दिये जाते ? यदि हां, तो बहरोड क्षेत्र में उक्त वाहन किस आधार पर चलते हैं ? क्या इससे सरकार को नुकसान नहीं है ?

उत्तर

(1) जी, हां। बहरोड क्षेत्र के अधिकांश मार्गों पर निजी वाहनों की प्रतिस्पर्धा के कारण निगम वाहनों को प्रर्याप्त यात्री भार उपलब्ध न होने से इन सेवाओं का संचालन लगातार अनार्थिक रहने के कारण बन्द करना पड़ा। (परिशिष्ट "1")

(यातायात मंत्री)

(2) जी, नहीं। बहरोड क्षेत्र की निगम बसें बन्द करने से कोटपूतली आगार लाभ में नहीं है। वर्तमान में भी यह आगार घाटे में चल रहा है।

(3) जी, नहीं। वर्ष 1998 में कोटपूतली आगार को 76 शिड्यूल आवंटित थे जिनमें से केवल 19 शिड्यूल बहरोड क्षेत्र से जुड़े हुए थे। वर्तमान में इस आगार को 80 शिड्यूल आवंटित है जिनमें से 18 शिड्यूल बहरोड क्षेत्र के हैं जिनका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "2")

(4) बहरोड क्षेत्र में अराष्ट्रीयकृत मार्गो के निजी क्षेत्र के मंजिली वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–72 के तहत परमिट स्वीकृत किए गए हैं। निजी बसों की सूची एवं मार्ग का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है। अनुज्ञा–पत्र की शर्तें परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

(5) राष्ट्रीयकृत मार्ग पर निजी वाहनों को परमिट नहीं दिए जाते हैं। यदि कोई वाहन राष्ट्रीयकृत मार्ग पर अवेध रूप से चलता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ (अलवर) में अकाल राहत कार्य

320. **श्री जौहरी लाल** (राजगढ़) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ (अलवर) में अकाल राहत कार्य खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में राहत कार्यो में सड़क, छोटे बांध व जोहड़ बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक कार्य शुरू कराया जावेगा।

(3) क्या राहत कार्यो के माध्यम से शालाओं में चार दीवारी व कमरे बनाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक कार्य शुरू कराने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) अकाल राहत जिला स्तरीय समीक्षा समिति के निर्णय अनुसार विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ (अलवर) में जोहड़, छोटे बांध, तालाबों की खुदाई एवं मरम्मत के कार्यो को कराने की स्वीकृति दिनांक 3.4.2000 से जारी की जा चुकी है।

(3) जी, हां। यदि सामग्री मद की व्यवस्था अन्य विभागों, ग्राम पंचायत अथवा जन सहयोग से हो जाती है तो चार दीवारी एवं कमरे बनाने के कार्य स्वीकृत किये जा सकते हैं।

कृषि उपज मण्डी समिति, डीग (भरतपुर) द्वारा प्रस्तावित सड़क निर्माण

321. **श्री अरूण सिंह** (डीग) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मंडी समिति, डीग (भरतपुर) द्वारा सड़क बनाने के प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो स्वीकृति नहीं होने के क्या कारण है ? प्रस्तावित सड़कों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार किसानों को अधिक सुविधाएं देने की दृष्टि से उक्त क्षेत्र में सम्पर्क सड़कें बनाने की विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। वर्तमान में मण्ड़ी डीग की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने से कोई सड़क प्रस्तावित एवम् विचाराधीन नहीं है।

(2) जी, हां। मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति ठीक होने पर ही क्षेत्र में किसानों को सुविधा प्रदान करने हेतु सड़क निर्माण पर विचार किया जाना सम्भव हो पावेगा।

परित्यक्ता महिलाओं को हाउसिंग बोर्ड के आवास आवंटन के नियम

322. **श्री कय्यूम खान** (मसूदा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) हाउसिंग बोर्ड के आवास के आवंटन में क्या परित्यक्ता महिलाओं को आवास आवंटित करने के कोई नियम हैं ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1981 के पश्चात् पति एवं पत्नी को आवास आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर व कितने व्यक्तियों को ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हाउसिंग बोर्ड के आवास के आवंटन में परित्यक्ता महिलाओं को घर आवंटन करने के अलग से कोई नियम नहीं हैं क्योंकि मण्डल में पंजीकरण हेतु पति–पत्नी को एक इकाई मानकर एक ही आवास आवंटन किये जाने के नियम हैं लेकिन अगर कोई परित्यक्ता महिला स्वतंत्र पंजीकरण करवाती है तो उसे एक इकाई मानकर आवास का आवंटन किया जा सकता है, इसके लिए अलग से नियम बनाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

(2) वर्ष 1981 के पश्चात् मण्डल में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार पति–पत्नी को अलग–अलग पंजीकरण के आधार पर घर आवंटित नहीं किया गया है परन्तु खुली बिक्री योजना में पति अथवा पत्नी को अलग–अलग स्वतंत्र आवास खरीदने में कोई पाबन्दी नहीं है।

शांति गृह निर्माण सहकारी समिति पर सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक

323. **श्री बंशीलाल गहलोत** (राजसमन्द) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि किसी भी सहकारी समिति में अनियमितताएं होने पर सरकार द्वारा प्रशासक की नियुक्ति की जाती है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ? उक्त प्रशासन के क्या–क्या अधिकार एवं कर्त्तव्य निर्धारित किये जाते हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि शांति गृह निर्माण सहकारी समिति पर सरकार द्वारा प्रशासक नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त समिति के पूर्व पदाधिकारियों द्वारा समिति के प्रशासक को शिक्षक विहार व जगतपुरा योजना का कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त अभिलेख प्राप्त करने हेतु प्रशासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार अब उक्त समिति की उक्त योजना के अभिलेख समिति पदाधिकारियों से प्राप्त करने हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक एवं नहीं, तो सरकारी प्रशासक की नियुक्ति का औचित्य क्या है ?

(4) क्या सरकार उक्त समिति की उक्त योजनाओं में भू–खण्डधारियों को न्याय दिलवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। किसी भी सहकारी समिति में अनियमितताएं पाये जाने पर गम्भीर शिकायतें प्राप्त होने पर सहकारी संस्था अधिनियम के अंतर्गत कराई गई जांच में अथवा अंकेक्षण प्रतिवेदन या निरीक्षण रिपोर्ट में यदि वह प्रमाणित होता है कि संस्था की प्रबन्धकारिणी द्वारा संस्था के हितों के विपरीत कार्यवाही की जा रही है अथवा लगातार गलतियां की जा रही हैं या कर्त्तव्य पालना में लापरवाही बरती जाकर पंजीयक, सहकारी समितियों के निर्देशों की अवहेलना की जा रही है, तो ऐसे मामलों में जांच के उपरान्त शिकायतें सही पाये जाने पर संस्था में प्रशासक की नियुक्ति की जा सकती है। सहकारी संस्था अधिनियम के अन्तर्गत प्रशासन की नियुक्ति धारा–36 के अंतर्गत की जाती है। इस प्रकार नियुक्त प्रशासक (रिसीवर) में संबंधित सहकारी समिति की उप विधियों में वर्णित संचालक मण्डल के समस्त अधिकार एवं कर्तव्य निहित होते हैं।

(सहकारिता मंत्री)

वांछित विवरण सदन की पटल पर परिशिष्ट "अ" के अनुसार रख दिया गया है।

(2) जी, नहीं।

(3) समिति में अभी तक प्रशासक की नियुक्ति नहीं की गई है। उक्त शांति गृह निर्माण सहकारी समिति के सदस्यों को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटित कर दिये जाने के उपरान्त समिति को अवसायन में लाया जाकर दिनांक 31.2.92 को समिति का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। समिति का पंजीयन निरस्त कर दिये जाने के उपरान्त अभिलेख प्राप्त किये जाने हेतु कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह जाती है। प्रशासक की नियुक्ति नहीं की गई है।

(4) समिति का पंजीयन क्योंकि निरस्त हो चुका है, अतः विभाग में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार समिति की किसी भी योजना की जानकारी सहकारिता विभाग को नहीं है। समति के पंजीयन निरस्त होने के उपरान्त समिति के नाम पर कोई योजना कहीं प्रस्तुत की गई है तो उसके संबंध में विभाग के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट "1"

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार

41. (अ) प्रबन्धकारिणी समिति को उन अधिकारों के अतिरिक्त जो साधार सभा के लिए विशेष रूप से निर्धारित है, समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संचालन के सम्पूर्ण अधिकार होंगे, किन्तु उनमें से वे अधिकार नहीं होंगे जिन पर साधारण सभा में अथवा इन उपनियमों में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगा हो।

(ब) प्रबन्धकारिणी समिति के मुख्यतः निम्न अधिकार एवं कर्त्तव्य होंगे :–

1. अपने में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं मंत्री व कोषाध्यक्ष का चुनाव करना।
2. सदस्यता भर्ती के आवेदन–पत्रों पर निर्णय लेना।
3. समिति के किसी भी वैतनिक कर्मचारी की नियुक्ति करना, पदमुक्त करना, हटाना, निलम्बित करना या अन्य प्रकार से दण्डित करना व कर्मचारियों को जमानत प्रस्तुत करने के आदेश देना।
4. ऋण, अमानत व अन्य स्त्रोतों में समिति की पूंजी की वार्षिक साधारण सभा द्वारा निश्चित सीमा तक, वृद्धि करना।
5. उपनियम संख्या–4 के अनुसार भूमि प्राप्त करना तथा उस पर भवनों का निर्माण करवाना एवं सदस्यों को निर्मित भवन आवंटित करना। समिति द्वारा रिक्त भू–खण्ड का आवंटन किसी भी स्थित में नहीं किया जावेगा।
6. सदस्यों को हिस्से आवंटित करना।
7. जल वितरण, रोशनी, जल निकास एवं इसी प्रकार के सामुदायिक उपभोग के अन्य कार्यो की सुविधा की व्यवस्था करना एवं योजना के सम्पूर्ण आन्तरिक विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।
8. स्थानीय निकास के तत्सम्बन्धी नियमों के अधीन रहते हुए निर्मित भवनों के परिवर्तन एवं अभिवृद्धि की स्वीकृति प्राप्त करना/सहयोग देना।
9. अधिनियमों, नियमों व इन उपनियमों के अन्तर्गत होने वाली सभाओं की निर्धारित अवधि में व्यवस्था करना एवं वार्षिक साधारण सभा के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट हिसाब का चिटठा 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष का एवं अन्य कागजात, जो सदस्यो का रजिस्ट्रार द्वारा चाहे हों, प्रस्तुत करना।

10. संस्था प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपने सदस्यों की तारीख सूची तैयार करेंगी व प्रतिवर्ष आमसभा में सभी सदस्यों की जानकारी हेतु सदस्यों की सूची प्रकाशित करेगी तथा इसकी एक प्रभावित प्रतिलिपि सम्बन्धित/उप/सहायक, रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगी।

11. ऋणों, अमानतों एवं अन्य प्रकार से प्राप्त पूंजी पर ब्याज दरें तय करना।

12. निर्मित प्रश्नों का विक्रय मूल्य/ किराया नियत करना।

13. समिति की परिसम्पत्तियों को सुरक्षित रखने हेतु प्रबन्ध करना।

14. सदस्यों के त्यागपत्र स्वीकार करना।

15. सदस्यों की हिस्सा राशि एवं ऋण हेतु प्रार्थना–पत्रों पर विचार करना। और ऋणों के लिए प्रस्तुत जमानत को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना।

16. हिस्सा राशि का भुगतान, निर्माण सम्बन्धी रकम, एवं ऋणों पर नियण्त्रण करना एवं वसूली हेतु उचित व्यवस्था करना।

17. देखना कि ऋण का उपयोग उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु हो रहा है, जिसके लिए ऋण स्वीकृत हुआ है।

18. मंत्री के द्वारा किये गए खर्चो के सहित अन्य फुटकर व्यय की नियमानुसार स्वीकृति देना।

19. समिति की धन एवं सम्पत्ति की प्राप्ति, व्यय और सुरक्षा की व्यवस्था करना।

20. यदि समिति भवनों को किराये पर देने का कार्य करती है तो समिति के भवनों के उपभोक्ताओं के लिए नियम बनाना एवं साधारण सभा के अनुमोदन के पश्चात् रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति से उसे लागू करने की व्यवस्था करना।

21. रजिस्ट्रार या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली जांच निरीक्षण व अंकेक्षण से सम्बन्धित रेकार्ड एवं सूचनाएं प्रस्तुत करना तथा तत्सम्बन्धी रिपोर्ट पर कार्यवाही करना।

22. सदस्यों के लिए सामुदायिक सुविधाओं का विकास करना जैसे पार्क, औषधालय, वाचनालय आदि एवं साधारण सभा के अनुमोदन के पश्चात् क्रियान्विति करना।

23. समिति का कार्य संचालन करना एवं उसके लिए अधिनियम, नियम एवं उपनियम के अनुसार व्यवस्था करना।

24. ऐसे अन्य कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा निर्धारित किये गए हों।

25. प्रत्येक सहकारी वर्ष की समाप्ति के 45 दिनों के अन्दर वार्षिक लेखे तैयार करके उन्हें एवं रेकार्ड को रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्ति आडिटर का उक्त अवधि में आडिट हेतु प्रस्तुत करना व आडिट कराना प्रबन्धकारिणी का विशिष्ट दायित्व होगा। ऐसा न करने पर सहकारी अधिनियम की धारा 36 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में ली जा सकेगी।

26. समिति अपना बैंक खाता प्राथमिकता से सहकारी बैंक में खोलेगी।

27. प्रबन्ध कमेटी सामूहिक रूप से तथा उसका प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से इस हेतु उत्तरदायी होगा कि समिति द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जावे जो संस्था के मूल उद्देश्यों के विरुद्ध हो या उप नियमों के विरुद्ध हो।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य

अध्यक्ष

42. अध्यक्ष समिति का मुख्य नियन्त्रकर्त्ता एवं प्रबन्ध अधिकारी होगा। यह समिति की सभी सभाओं की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और दोनों की अनुपस्थिति में ऐसा सदस्य जिसे उपस्थित सदस्यों द्वारा उस सभा की अध्यक्ष के लिए चुना जाय, अध्यक्षता करेगा। वह यह देखेगा कि समिति का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।

उपाध्यक्ष

43. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में या उसके द्वारा लिखित में अधिकार दिए जाने पर उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

मंत्री

44. मंत्री के निम्न अधिकार एवं कर्त्तव्य होंगे:

1. समिति एवं प्रबन्धकारिणी समिति की सभाओं को बुलाना एवं उसमें भाग लेना।
2. सभाओं की कार्यवाही पुस्तिका में लिखकर अथवा लिखवाकर उन पर हस्ताक्षर करना तथा सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर करवाना।
3. अधिनियम नियम एवं उपनियमों के अनुसार संस्था के समस्त रिकार्ड को सही एवं पूर्ण रखना, समस्त रेकार्ड सुरक्षित करने की व्यवस्था करना, रेकार्ड को समिति

के पंजीकृत कार्यालय में ही रखना, समिति द्वारा निर्धारित कार्य दिवासों को निर्धारित समय पर नियमित रूप से कार्यालय खोलना तथा निरीक्षण, जांच, आडिट हेतु रजिस्ट्रार या अन्य प्राधिकृत अधिकारियों के समक्ष रेकार्ड प्रस्तुत करना, नियमित रूप से रोकड़ बही की सत्यता की जांच कर प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करना और सहकारी विभाग के अधिकारियों एवं अन्य प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर अविलम्ब प्रस्तुत करना

4. यदि किसी कारणवश कार्यालय व स्थान परिवर्तन करना आवश्यक हो जावे तो कार्यालय व स्थान परिवर्तन की सूचना समस्त सदस्यों को तथा पंजीकरण अधिकारी को अनिवार्यतः दी जायेगी। इस हेतु मंत्री स्वयं उत्तरदायी होगा।

5. प्रति वर्ष अप्रेल माह में पिछले वर्ष (जो 31 मार्च को समाप्त हुआ) का चिठ्ठा गोश्वारा एवं समिति का वार्षिक प्रतिवेदन एवं कागजात जो रजिस्ट्रार या प्रबन्धारिणी समिति द्वारा निर्धारित किये गए हो, आदि तैयार करना या करवाना।

6. हिस्सा प्रमाण पत्रों पर अध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करवाना।

7. यह देखना है कि समिति की भूमि पर कोई अनाधिकृत कब्जा तो नहीं हो रहा है और यह देखना कि सदस्यों द्वारा गृह निर्माण समिति द्वारा निर्धारित योजना एवं नियमों के अनुसार हो रहा है।

8. समिति के दैनिक कार्यो को देखरेख करना तथा सम्पादित करना/करवाना।

9. ऐसे अन्य कार्य जिसके लिए प्रबन्धकारिणी के अधिकृत किया हो।

कोषाध्यक्ष

समिति की ओर से धनराशि प्राप्त करना रसीद जारी करना, राशि अपने अधिकार में लेना और प्रबन्धकारिणी समिति, मंत्री, अध्यक्ष या अन्य अधिकृत व्यक्ति के निर्देशानुसार व्यय करना। नियमित रूप से रोकड़ बही लिखना व उस पर हस्ताक्षर करना। समय–समय पर अपने व्यय के पास प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निर्धारित सीमा तक धनराशि रखना, शेष राशि अपने क्षेत्र के सहकारी बैंक में जमा कराना।

उप रजिस्ट्रार (हाउसिंग)

सहकारी समिति, राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-363 की प्रति)

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमाक : 6(15)नविवि/3/84 दिनांक 15 अगस्त, 1999

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर।

विषय :– नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि. जयपुर की गोपालपुरा स्थित 512.11 बीधा अवाप्त भूमि को सार्वजनिक हित में एन.ई.आई. को आवंटन के संबंध में।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक 1094 दिनांक 2.12.1998

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि. गोपालपुरा स्थित भूमि खसरा नं. 331, 333, से 355, 355/367, 355/368 का कुल रकवा 215.11 बीधा भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही तत्कालीन नगर सुधार न्यास, जयपुर द्वारा आवासीय योजनाओं के लिये शुरू की गयी थी। यह भूमि दिनांक 20.4.84 को समस्त प्रभारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहीत हो गयी थी। तदुपरान्त राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11.9.84, 12.9.84 तथा 31.5.85 के आदेशों के द्वारा उपरोक्त भूमि का कब्जा न लेने हेतु निर्देश दिये गये थे किन्तु राज्य सरकार के निर्देश दिनांक 31.3.85 से पूर्व हो इसमें से 80 बीघा भूमि का कब्जा लिया जा चुका था शेष भूमि का भौतिक कब्जा एन.ई.आई. के पास ही रहा।

उक्त 215.11 बीधा भूमि चूंकि राज्य सरकार में पूर्णतः निहीत हो चुकी थी। इस अवाप्त शुदा भूमि का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एन.ई.आई. को कोई मुआवजा भुगतान नहीं किया जायेगा क्योंकि भूमि कम्पनी को ही आवंटित को जा रही है। अतः उक्त अवाप्तशुदा भूमि को हार्ट अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र उसकी सहायक गतिविधियां मेडिकल कालेज उच्च्य माध्यमिक विद्यालय तथा आवासीय सुविधा हेतु टोकन राशि पर आवंटन हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है :–

1. प्रस्तावित चिकित्सालय में गरीब मरीजों के लिये 10 प्रतिशत पलंग निःशुल्क चिकित्सा के लिये रखे जायेंगे।

2. जमीन का कोई व्यवसायिक उपयोग नहीं होगा, सिवाय ऐसी सुविधाओं के जो अस्पताल के लिये आवश्यक हों जैसे दवा की दुकान आदि।

3. भवन निर्माण कार्य एक वर्ष में प्रारम्भ करना होगा।

4. उक्त संस्थान की कार्यकारिणी में राज्य सरकार की ओर से दो सदस्य मनोनीत किये जायेंगे।

उपरोक्त अवाप्तशुदा आवंटित की जाने वाली भूमि के साथ दी 5 बीधा 12 बिस्वा भूमि जो अवाप्त नहीं की गयी है वो भी संस्था को उक्त प्रयोग हेतु नियमानुसार स्माप्तरण एवं अन्य शुल्क जमा करवाने पर उपयोग के लिये अनुमति दो जा सकती है। इसके अतिरिक्त जयपुर विकास प्राधिकरण के शहरी भूमि निस्तारण नियम 1974 के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण अन्य आवश्यक शर्तें लगा सकेगा।

उक्त आदेश इस संबंध में पूर्व में जारी सभी आदेशों के अतिक्रमण में जारी किये जाते हैं।

भवदीय,

(बी.डी.गुप्ता)

उप शासन सचित

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : जविप्रा/उपायुक्त/जान/बी–1/संस्था/99/94 दिनांक : 22.1.2000

श्री आर.डी.बिडला
नेशनल इन्जिनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि.,
खातीपुरा रोड, जयपुर।

महोदय,

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक 6/15 नविवि/3/84 दिनांक 15.08.99 के संदर्भ में प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति समिति में अपनी बैठक दिनांक 24.09.99 एवं प्राधिकरण की 42वी बैठक दिनांक 08.12.99 एवं राज्य सरकार के पत्र प.6(15)नविवि/3/84 दिनांक 25.09.99 के क्रमानुसार यह निर्णय लिया गया कि नेशनल इंजीनियरिंग

इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को 213 बीघा 14 विस्बा भूमि तथा उसकी शहरी जमा बन्दी की राशि टोकन मनी पर आवंटित भूमि के लिए आरक्षित दर पर 10 प्रतिशत माना जा कर उस पर ली जावें।

आवंटन की शर्ते निम्न प्रकार होगी :–

1. भूमि का आवंटन 99 वर्ष की लीज पर होगा जिसमें पूर्ण स्वामित्व प्राधिकरण का होगा।

2. जयपुर विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.12.99 के प्रस्ताव संख्या 42.11(2) *"शहरी जमा बन्दी राशि के आधार के संबंध में"* लिये गये निर्णयानुसार वार्षिक शहरी जमा बन्दी आवंटित भूमि का आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से इस क्षेत्र की सुरक्षित दर रुपये 1650 का 10 प्रतिशत माना जाकर प्रति वर्ष के हिसाब से दय होगा। यह प्रथम तीन वर्ष तक 2.5 प्रतिशत दर पर प्रतिवर्ष एवं इसके बाद 5 प्रतिशत दर प्रति वर्ष पर वसूल की जायेगी।

3. वार्षिक शहरी जमाबन्दी की राशि (प्रथम वर्ष की) मांग पत्र के साथ अग्रिम जमा करानी होगी।

4. शहरी जमा बन्दी प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक प्राधिकरण कोष में जमा कराना आवश्यक है अन्यथा इसके उलंधन पर प्राधिकरण को नियमानुसार ब्याज वसूल करने का अधिकार होगा।

5. शहरी जमा बन्दीं प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् परिवर्तित की जा सकती है। किन्तु ऐसी प्रत्येक वृद्धि वर्तमान दर से 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

6. भूखण्ड का निर्माण कार्य आबटन पत्र की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में प्रधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार प्रारम्भ किया जावेगा एवं दो वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लिया जावेगा। भवन मानचित्र अनुमोदन करवाने की प्राधिकरण मांग संख्या की होगी।

7. कर लिया जावेगा एवं उसका मुआवाजा देय नहीं होगा।

8. भूखण्ड केवल हार्ट अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र उसकी सहायक गतिविधियों, मेडिकल कालेज, उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा आवासीय सुविधा बनाने हेतु काम में लिया जावेगा। इस पर किसी प्रकार व्यावसायकि निर्माण की स्वीकृति नही दी जावेगी और न किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक एवं लाभ कमाने की दृष्टि से इसका उपयोग किया जा सकेगा, सिवाय ऐसी सुविधाओं के जो अस्पताल के लिए आवश्यक हो जैसे दवा की दुकान आदि।

9. भूखण्ड एवं इस पर निर्मित भवन किसी भी अन्य को प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना विक्रय बन्धक, दान, शिकमी, एवं अन्य किसी भी रूप से हस्तान्तरित नही किया जावेगा।

10. राजस्थान इम्मर्पूवमेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल आफ अरबन लण्ड) रूल्स 1974 एवं जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 एवं (1982 का 25वां अधिनियम) के तहत राज्य सरकार का प्राधिकरण द्वारा बनाये गये नियमों उप नियमों व समय–समय पर लिये जाने वाले आदेशों/निर्देशों एवं प्राधिकरण के निर्णयों के अधीन समझा जायेगा।

11. भूखण्ड एवं इस पर निर्मित भवन को पुनग्रहित कर लिये जाने पर इसका पुनः आवंटन/विक्रय करने का प्राधिकरण को पूर्ण अधिकार होगा।

12. भूखण्ड का वास्तविक क्षेत्रफल आवंटित भूखण्ड के स्थान पर मानचित्र के अनुसार कम या अधिक हो सकता है। अतः आधिपत्य लेते समय वास्तविक क्षेत्रफल के अनुसार शहरी जमा बन्दी की धन राशि देय होगी।

13. जयपुर के बाहर के चैक स्वीकार नहीं किये जाते है जहां तक स्थानीय तथा जयपुर के बैंकों का प्रश्न है तो भुगतान की अन्तिम तिथि से 3 दिन पूर्व में बैंक में प्रस्तुत करने पर ही भुगतान समय हुआ माना जावेगा।

14. मांग की गयी राशि इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में जमा न कराने पर प्राधिकरण के नियमानुसार ब्याज देय होगा तथा आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

15. संबंधित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी संस्थान की कार्यकारिणी के सदस्य होगे व राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग के अधिकारी भी संस्था के कार्यकारिणी के सदस्य होंगे।

16. संस्थान को राज्य सरकार की सिफारिश पर 5 प्रतिशत एवं प्राधिकरण की सिफारिश पर 3 प्रतिशत रियायती पर पर मरीज भर्ती करने होंगे।

17. प्रस्तावित चिकित्यालय में गरीब मरीजों के लिए 10 प्रतिशत पलंग निःशुल्क चिकित्सा के लिये रखे जावेंगे।

18. भवन निर्माण का कार्य 1 वर्ष में प्रारम्भ करना होगा उक्त संस्थान की कार्यकारिणी में राज्य सरकार की ओर से 2 सदस्य मनोनीत किये जावेंगे।

19. उपरोक्त शर्तो में से किसी 1 या अधिक का उल्लंधन किया गया तो प्राधिकरण को अधिकार होगा कि बिना कोई नोटिस दिये भू–खण्ड अधिगृहित कर ले।

उपरोक्त भू–खण्ड का बनजराना व शहरी जमा बन्दी की धन राशि निम्न प्रकार है:–

	राशि रुपयों में
1. नजराना 1 रुपये टोकनमनी	1.00
2. शहरी जमा बन्दी प्रथम	22,30,227.00

वर्ष हेतु: 213 बीघा 14 बिस्वा यथा 5,40,661 वर्गमीटर हेतु अग्रिम आरक्षित दर 1650 रुपये के 10 प्रतिशत का 2.5 प्रतिशत प्रति मीटर (प्रथम तीन वर्ष तक) व तत्पश्चात 5 प्रतिशत प्रति वर्ग मीटर

3. स्थल मानचित्र राशि	25.00
4. ब्याज दिनांक ...... से	
5. पेलेन्टी 10 प्रतिशत	
कुल देय राशि	22,30,253.00

कुल राशि (अंके बाईस लाख तीस हजार दो सो तरेपन रुपये मात्र)

यदि आपको उक्त नियम शर्तो के आधार पर भूखण्ड आंवटन स्वीकार हो तो कृपया वांछित धन राशि इस आवंटन पर के जारी होने की तिथि से एक माह में (एक मुश्त) प्राधिकरण कोष में जमा करावें।

उक्त वांछित राशि रुपये बाईस लाख तीस हजार दो सौ तरेपन को बैक आफ राजस्थान, जयपुर विकास प्राधिकरण परिसर शाखा में जमा कर मूल रसीद कार्यालय में प्रस्तुत करें।

उपायुक्त
जोन–बी–1 (सांगानेर)
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-365 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान राज्य में वर्ष 1999-2000 में स्वीकृत योजनाओं का विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	ए.आर.पी.मद		एम.एन.पी.मद	
		नम्बर	राशि(लाखों में)	नम्बर	राशि(लाखों में)
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	5	9209.42	148	1607.93
2.	अलवर	744	392.10	449	440.56
3.	बासवाड़ा	56	48.94	33	19.80
4.	बारां	98	65.15	138	112.16
5.	बाड़मेर	129	1073.73	40	148.67
6.	भरतपुर	178	10273.33	165	6659.51
7.	भीलवाड़ा	159	270.89	29	231.93
8.	बीकानेर	1	1.76	46	152.99
9.	बूंदी	47	33.91	160	176.71
10.	चित्तौगढ़	165	93.86	113	164.76
11.	चूरू	1	1.18	18	369.43
12.	दौसा	877	371.00	289	148.45
13.	धौलपुर	337	156.81	51	31.62
14.	डूंगरपुर	15	20.93	10	45.90
15.	श्रीगंगानगर	—	—	170	362.43
16.	हनुमानगढ़	3	56.79	65	67.68
17.	जयपुर	698	390.22	209	111023.68
18.	जैसलमेर	45	540.47	12.	54.69
19.	जालौर	112	951.55	15	1125.18
20.	झालावाड़	138	93.10	95	132.07
21.	झुंझुनूं	478	442.24	387	1073.13
22.	जोधपुर	111	5347.42	10	25859.26
23.	कोटा	149	109.81	108	178.96

1	2	3	4	5	6
24.	करौली	91	95.77	277	260.89
25.	नागौर	132	408.09	169	422.26
26.	पाली	122	3423.39	25	676.42
27.	राजसमंद	126	114.68	20	742.26
28.	सीकर	275	152.13	602	525.01
29.	सिरोही	85	257.07	43	280.41
30.	सवाईमाधोपुर	88	69.32	196	155.50
31.	टौंक	305	280.27	287	415.70
32.	उदयपुर	63	72.37	32	255.78
	योग	5833	34817.70	4411	153921.73

परिशिष्ट "ब"

जिला बाड़मेर व जैसलमेर में स्वीकृत योजनाओं का खण्ड-वार विवरण

क्र.स. जिला	खण्ड का नाम	गांव/ढाणी जिनके लिये योजनाएं स्वीकृत है	
		गावं	ढाणी
1. जैसलमेर	नगर खण्ड	18	29
2. जैसलमेर	जिला खण्ड	3	—
3. जैसलमेर	पोकरण	59	202
4. योग (1 से 3)		80	231
5 बाड़मेर	नगर खण्ड बाड़मेर	2	13
6. बाड़मेर	उत्तर खण्ड बाड़मेर	—	14
7. बाड़मेर	दक्षिण खण्ड बाड़मेर	—	46
8. बाड़मेर	राइजेप बाडमेर	—	24
9. बाड़मेर	बालोतरा	—	7
10. योग (5 से 9)		2	104

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-369 की सूची)

परिशिष्ट ''क''

विधान सभा क्षेत्र घाटोल में सांसद कोटा एवं विधायक कोटा मद में स्वीकृत, खोदे गये एवं लगाये गये हैण्ड पम्पों की सूची

क्र.सं.	पंचायत समिति	ग्राम का नाम	स्वीकृत हैण्डपम्प	खोदे हैण्डपम्प	लगाये हैण्डपम्प
1	2	3	4	5	6
1.	घाटोल	मोटा गांव	1	1	असफल
2.	घाटोल	सलालिडया	1	1	–
3.	घाटोल	कराना	1	1	1
4.	घाटोल	देवजी का ओड़ा	1	1	–
5.	घाटोल	नागल सेल	1	1	–
6.	घाटोल	सिलघीया	1	1	–
7.	घाटोल	जेकला	1	1	1
8.	घाटोल	जेकला	1	1	–
9.	घाटोल	भुवासा	1	1	–
10.	घाटोल	घाटा भीडा	1	1	1
11.	घाटोल	कोटड़ा पाड़ा	1	1	असफल
12.	घाटोल	कानपुरा	1	1	1
13.	घाटोल	डुगरीया	1	1	–
14.	घाटोल	लम्बडी पाड़ा	1	1	–
15.	घाटोल	कन्ठाव	1	1	–
16.	घाटोल	देलवांड़ा	1	1	1
17.	घाटोल	टागटिया	1	1	1
18.	घाटोल	मडेला काला खेद	1	1	–

1	2	3	4	5	6
19.	घाटोल	कुण्डला	1	1	1
20.	घाटोल	कोटा गांव	1	1	असफल
21.	घाटोल	रणईया पांड़ा	1	1	1
22.	पीपलखुट	पीपलखुट	1	1	1
23.	पीपलखुट	हेरपाडा	1	1	1
24.	घाटोल	चन्दुजी का गढा	1	1	1
25.	घाटोल	पाटर	1	1	1
26.	घाटोल	घाटा पाड़ा	1	–	–
27.	घाटोल	डुगरी पाड़ा	1	1	–
28.	घाटोल	बिलवापाडा	1	–	–
29.	घाटोल	बामनपाड़ा	1	1	–
30.	घाटोल	टोडी सिलरोल	1	–	–
31.	घाटोल	कोटा मंगरी	1	–	–
32.	घाटोल	सुवावा बरगोट	1	–	–
33.	घाटोल	कोटेला पाड़ा	1	–	–
34.	घाटोल	कोटेला पाड़ा	1	–	–
35.	घाटोल	सवा का पाड़ा	1	–	–
36.	घाटोल	सिंगपुरा	1	–	–
37.	घाटोल	बडाना	1	–	–
38.	घाटोल	सिंगपुरा	1	–	–
39.	घाटोल	बडाना	1	–	–
40.	घाटोल	बड़ा पाड़ा	1	1	–
41.	घाटोल	निंचला पाड़ा	1	1	–
42.	घाटोल	कुवानिया	1	–	–
43.	घाटोल	देवदा	1	–	–
44.	घाटोल	मकनपुरा	1	–	–

1	2	3	4	5	6
45.	घाटोल	चरना भुडवई	1	–	–
46.	घाटोल	मालनिया	1	–	–
47.	घाटोल	रोड़ा पाड़ा	1	1	–
48.	घाटोल	छोटी पड़ाल	1	1	–
49.	घाटोल	मयोर	1	–	–
50.	घाटोल	चोकडी	1	–	–
51.	घाटोल	भाऊ का गढ़ा	1	–	–
52.	घाटोल	जगपुरा	1	–	–
53.	घाटोल	झाझोर	1	–	–
54.	घाटोल	उदा जी गढा	1	–	–
55.	घाटोल	नेगडिया	1	1	–
56.	खेरडी	खेरडी पाड़ा	1	–	–
57.	खेरडी	सज्जन सिंह का गढा	1	–	–
58.	खेरडी	ढारमा	1	–	–
59.	खेरडी	डुगरा पाड़ा	1	–	–
60.	खेरडी	सादडी खेड़ा	1	–	–
61.	खेरडी	सादडी खेड़ा	1	–	–
62.	खेरडी	बडबडिया	1	–	–
63.	खेरडी	टामटिया	1	–	–
64.	खेरडी	डुगर	1	–	–
65.	खेरडी	बोरपी केरेंग	1	–	–
66.	खेरडी	भुगड़ा	1	–	–
67.	खेरडी	बिजोल काला गोरा	1	–	–
68.	खेरडी	पड़ोली गोर्द्धन	1	–	–
69.	खेरडी	पड़ोली गोर्द्धन	1	–	–
70.	खेरडी	माण्डली बड़ी	1	–	–

1	2	3	4	5	6
71.	खेरडी	महुवाल	1	--	--
72.	पीपलखूंट	छरी	1	--	--
73.	पीपलखूंट	उगमना पाड़ा	1	--	--
74.	पीपलखूंट	बोरवन पाड़ा	1	--	--
75.	पीपलखूंट	बोरा पाड़ा	1	--	--
76.	पीपलखूंट	साग बारी	1	--	--
77.	पीपलखूंट	बिलडिया	1	--	--
78.	पीपलखूंट	हेरा पाड़ा	1	--	--
79.	पीपलखूंट	खोरा पाड़ा	1	--	--
80.	पीपलखूंट	हुकी हरवर	1	--	--
81.	पीपलखूंट	उमीया पाड़ा	1	--	--
82.	पीपलखूंट	पीपलदा	1	--	--
83.	पीपलखूंट	रेणदा	1	--	--
84.	पीपलखूंट	बागखोरा	1	--	--
85.	पीपलखूंट	लाम्बा डाबरा	1	--	--
86.	पीपलखूंट	सोबनिया	1	--	--
87.	पीपलखूंट	सुरपुरा	1	--	--
88.	घाटोल	सिंहपुरा	1	--	--
		योग	86	32	12

कुल स्वीकृत हैण्डपम्प	86
खोदे गये हैण्डपम्प	32
लगाये गये हैण्डपम्प	12
खोदे जाने शेष हैण्डपम्प	54
लगाये जाने शेष हैण्डपम्प	17
असफल हैण्डपम्प	3

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-373 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

क्रम.सं.	योजना का नाम	सम्मिलित ग्राम का नाम	योजना का प्रकार	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत राशि (लाख)	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	जल योजना दूदू	दूदू	पाइप्ड	एक टयूबवैल	2.00	टयूबवैल निर्माण हो चुका है। इन्ही गर्मियों में लाभ मिलना शुरु हो जायेगा।
2.	—यथा— सावरदा	सावरदा	पाइप्ड	—यथा—	2.00	—यथा—
3.	—यथा— कोटजेवर	कोटजेवर	क्षेत्रीय	—यथा—	2.00	इन्हीं गर्मियों में टयूबवैल निर्माण कर चालू हो जाना प्रस्तावित है।
4.	पाइप्ड जलयोजना नरेना	नरेना	पाइप्ड	दो टयूबवैल	2.00	टयूबवैल इन्हीं गर्मितयों में चालू कर दिये जावेंगे।
5.	संवर्धन योजना बिचुन	बिचुन	पाइप्ड	एक टयूबवैल	2.00	एक टयूबवैल मई 99 में बनाकर चालू कर दिया गया था।

1	2	3	4	5	6	7
6.	संवर्धन योजना सीतारामपुरा जावली	1.सीतारामपुरा क्षेत्रीय 2.जावली		एक टयूबवैल	2.00	एक टयूबवैल जून 99 में बना कर चालू कर दिया गया था।
7.	समर आगुमेन्टशन दूदू	दूदू	हैण्डपम्प	15 नग	6.00	15 हैण्डपम्प जून 99 तक लगाकर चालू कर दिये गये थे।
8.	समर आगुमेन्टशन बिचुन	बिचुन	हैण्डपम्प	2 नग	0.80	2 हैण्डपम्प मई 99 तक लगाकर चालू कर दिये गये थे।
9.	हैण्डपम्प निर्माण प्राइमरी हैल्थ सैन्टर तहसील दूदू	1.दूदू–1 2.बोराज–2 3.सापन–1 4.मोजनाबाद–1 5.मटवा–1 6.गागरड–1 7.दातरी–1 8.बिचुन–1 9.लदेरा–1	हैण्डपम्प	10 नग	4.00	वर्ष 99–2000 में सभी हैण्डपम्प लगाकर चालू कर दिये गये है।
10.	हैण्डपम्प का निर्माण कार्य एस.सी.एस.टी. बस्ती तहसील दूदू	1.दूदू–5 2.महला–4	हैण्डपम्प	9 नग	3.60	वर्ष 99–2000 में सभी हैण्डपम्प लगाकर चालू कर दिये गये हैं
11.	हैण्डपम्प का निर्माण कार्य ग्राम बोराज	1.बोराज–3	हैण्डपम्प	3 नग	1.20	–यथा–

1	2	3	4	5	6	7
12. सुरसिंहपुरा से मांजीपुरा तक पाइप लाइन का कार्य	मांजीपुरा	क्षेत्रीय	पाईप लाइन	0.50	पाइप उपलब्ध कर कार्य शुरू कराना प्रस्तावित है।	
13. हैण्डपम्प निर्माण कार्य गुढ़ा बरसल	गुढ़ा बरसल	हैण्डपम्प	1 नग	0.40	इन्ही गर्मियों में हैण्डपम्प लगाकर चालू कर दिया जायेगा।	
14. हैण्डपम्प निर्माण कार्य ग्राम साखून	साखून	हैण्डपम्प	5 नग	2.00	जून 99 में हैण्ड पम्प लगाकर चालू कर दिये गये थे।	

परिशिष्ट "ब"

प्रस्तावित हैण्डपम्प से लाभान्वित ग्राम की सूची

क्रम.सं.	ग्राम का नाम	स्वीकृत हैण्डपम्पों की संख्या
1	2	3
1.	सिरोही कंला	1
2.	छिर्र	1
3.	मटवा	1
4.	नीमली	1
5.	पवालिया	1
6.	बीजोलाव	2
7.	हटंटूपुरा	1
8.	साखुन	4
9.	नयागांव	1
10.	कचनार	1
11.	सावरदा	3
12.	दूदू	5
13.	छरिसला	1
14.	छाप्पया	1
15.	इटाखोई	1
16.	सनोदिया	1
17.	खडियाल	3
18.	बगैत	1
19.	बिचून	3
20.	बासडा	1
21.	गोपालपुरा	1
22.	डगरियावास	3
23.	बोराज	3
24.	महला	2
25.	नासनोता	1
26.	खटवाड	1
27.	अनन्तपुरा	1
28.	अखपुरा	1
29.	महेशपुरा	1
30.	गुढा साइपुरा	1
31.	बासडा	2
32.	मोजमाबाद	2
33.	मंगलवाडा	1
34.	सेवा	4
35.	रसीली	1
36.	धमामा	1
37.	निवाई माधोसिंहपुरा	9
38.	बिहारीपुरा	3
39.	डेड	1
40.	रामपुरा भूतिया	1
41.	झाग	3
42.	नरेना	1
43.	साली	2
44.	सुरी	1
45.	दातरी	2
46.	हरसोली	1
47.	गागरड	1
48.	डरसेवा	1
49.	झराना	1
50.	लोरडी	1
	कुल	88

परिशिष्ट "स"

दूदू विधान सभा क्षेत्र के हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित ग्राम

क्रम.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	जनसंख्या	वर्तमान व्यवस्था	कार्यरत हैण्डपम्पों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	फरियादपुरा	126	572	ग्राम को डोगरा स्थित खुले कुएं से कम मात्रा में पेयजल उपलब्ध हो रहा है।	2
2.	डोगरा	128	286	ग्राम को डोगरा स्थित खुले कुएं से कम मात्रा में पेयजल उपलब्ध हो रहा है।	3
3.	रेटा	124	691	हैण्डपम्प योजना	3
4.	मीरापुरा	130	742	हैण्डपम्प योजना	4
5.	धमाणा	132	1319	ग्राम को ग्राम से स्थित एक खुले कुएं से कम मात्रा में पेयजल उपलब्ध हो रहा है।	4
6.	रसीली	123	796	हैण्डपम्प योजना	5
7.	खटवाड़	106	991	हैण्डपम्प योजना	7
8.	किशनपुरा	142	1080	हैण्डपम्प योजना	6

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-374 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र दूदू के अन्तर्गत पिछले पांच वर्षो में निम्न जल योजनाएं स्वीकृत हुई

क्र.सं.	जलयोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृति राशि	लाभान्वित ग्राम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	जल योजना नरेना	1995	2.08	नरेना	योजना का कार्य पूण हो गया है।
2.	जल योजना साली	1995	3.95	साली	—यथा—
3.	जल योजना अदरवा	1995	0.20	अदरवा	—यथा—
4.	जल योजना मटवा	1995	0.20	मटवा	—यथा—
5.	जल योजना मकाना	1995	0.095	मकाना	—यथा—
6.	जल योजना सेवा	1995	0.30	सेवा	—यथा—
7.	जल योजना बहराना—नासनोता	1995	1.00	1.बहराना 2.नासनोता	—यथा—
8.	जल योजना साखून	1995	1.35	साखून	—यथा—
9.	जल योजना गुढ़ा बरसल	1995	0.75	गुढा बरसल	—यथा—
10.	जल योजना दूदू	1995	1.95	दूदू	—यथा—
11.	जल योजना झाग	1995	4.65	झाग	—यथा—
12.	जल योजना मोजमाबाद	1995	3.00	मोजमाबाद	—यथा—
13.	जल योजना हरसोली	1995	1.00	हरसोली	—यथा—
14.	जल योजना उगरियावास	1995	5.00	उगरियावास	—यथा—
15.	जल योजना साली	1995	3.40	साली	—यथा—

1	2	3	4	5	6
16.	जल. योजना नरेना	1995	1.80	नरेना	योजना का कार्य पूर्ण हो गया है।
17.	जल योजना कन्देवली	1995	0.95	कन्देवली	–यथा–
18.	क्षेत्री जलयोजना दूदू–खुडियाला, मंगलवाड़ा	1996	83.86	1.दूदू 2.सुडियाला 3.सेवा 4.मंगलवाडा	–यथा–
19.	आगुमेन्टेशन जलयोजना मोजमाबाद	1996	9.75	मोजमाबाद	–यथा–
20.	आगुमेन्टेशन जलयोजना दातरी–किला–महत गांव	1996	4.34	1.दातरी 2.किला 3.महत गांव	–यथा–
21.	क्षेत्रीय जलयोंजना बाघपुरा–मातेड़ा	1996	10.20	1.बाघपुरा 2.मातेडा	–यथा–
22.	संवर्धन पम्प एवं टैंक योजना ढाणी बोराज	1996	4.27	ढाणी बोराज	–यथा–
23.	आगुमेन्टेशन जलयोजना नरेना	1996	19.00	नरेना	–यथा–
24.	पाइण्ड जल योजना महला	1997	4.99	महला	विभागीय नोर्मस में नहीं होने के कारण योजना की स्वीकृति डी.आर.डी.ए. द्वारा निरस्त कर दी गई। वर्तमान में ग्रम को पानी दो नलकूप एवं 29 हैण्ड पम्पों द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6
25.	पाइप्ड जल योजना सावरदा	1997	2.90	सावरदा	विभागीय नोर्मस में नहीं होने के कारण योजना की स्वीकृति डी.आर.डी.ए. द्वारा निरस्त कर दी गई। वर्तमान में ग्राम को पानी एक नलकूप एवं 41 हैण्डपम्पों द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।
26.	क्षेत्रीय जलयोजना बहराना—नासनोता	1997.	5.00	1.बहराना 2.नासनोता 3.कापडीया वास कलां 4.कापडीया वास खुर्द 5.बासड़ा 6.सोरढो का बास 7.नया बास	योजना का कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
27.	पी.एण्ड टी. जलयोजना धांधोली	1997	13.54	धांधोली	सोर्स का निर्माण हो चुका है। बिजली कनेक्शन एवं अन्या कार्यों को पूर्ण कर वर्ष 2000—2001 में ग्राम को पेयजल से लाभान्वित करना सम्भावित है।
28.	पी.एण्ड टी. जलयोजना रसीसी	1997	6.74	रसीली	—यथा—
29.	जलयोजना पडासोली	1997	20.08	पडासोली	—यथा—
30.	पी.एण्ड टी.जलयोजना उगरियावास	1997	11.33	उगरियावास	—यथा—

1	2	3	4	5	6
31.	क्षेत्री जल योजना झाग किशनपुरा	1998	36.24	1.झाग 2.किशनपुरा 3.निवासपुरा	वित्तीय वर्ष 2000–2001 में पेयजल से लाभान्वित होना सम्भावति है।
32.	पाइप्ड योजना आकोदा	1998	0.79	आकोदा	योजना का कार्य पूर्ण हो गया है।
33.	32 जिला 32 काम क्षेत्रीय ज.यो. कन्देवली	1998	0.38	कन्देवली	–यथा–
34.	क्षेत्रीय योजना सीतारामपुरा जावली	1999	1.98	1.सीताराम पुरा 2.जावली	योजना के अन्तर्गत ग्राम मोरडा में एक नलकूप बनाकर चालू कर दिया गया है।
35.	विस्तार जलयोजना गाडोला	1999	1.97	गोडोता	योजना का कार्य पूर्ण हो गया है।
36.	विस्तार जलयोजना मूंगीथला	1999	3.40	मूंगीकला	–यथा–
37.	पाइप्ड जलयोजना गाडोला	1998	21.90	आसलपुर	सोर्स का निर्माण हो चुका है सोर्स पर बिजली कनेक्शन भी ले लिया गया हैं। पाइप लाइन का कार्य प्रगति पर है जिसे इसी गर्मियों में पूर्ण कराकर ग्राम को पेयजल उपलब्ध हो जाने की सम्भावना है।
	योग		293.38		

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-378 का विवरण)

परिशिष्ट"अ"

जिला कोटा, बूंदी, बारां एवं झालावाड़ में मंदिरों में हुई चोरी एवं बरामद सामान की सूची

क्र.सं.	मन्दिर का नाम	स्थान	चोरी की सूचना प्राप्त होने की दिनांक	चोरी में गया सामान	माल बराम हुआ/ नहीं हुआ
1	2	3	4	5	6
	कोटा शहर				
1.	नृसिंह भगवान का मंदिर	किशोरपुरा गेट कोटास	17.5.99	घरेलू सामान व छोटी मूर्तियों	नहीं हुआ
2.	चार भुजा मंदिर	रेतवाली	14.1099	लक्ष्मणजी, विष्णुजी, सांवरियाजी की मुर्तियों	बरामद हो गया
3.	छतरी वाल मंदिर	रेतवाली	9.11.99	भोग लगाने वाला सामान,	नहीं हुआ
4.	हनुमानजी का मंदिर	शार्पिंग सेंटर	25.12.98	दान पेटी से 50—60 रुपये	नहीं हुआ
5.	महादेवजी का मंदिर	कोटड़ी भाई मोहल्ला	2.12.99	पार्वती की मूर्ति	नहीं हुआ
6.	जैन मंदिर	नगर निगम कोलोनी छावनी	12.2.2000	500रुपये नगद 3 छत्र चांदी	नहीं हुआ

1	2	3	4	5	6
7.	सत्यानारायणजी का मंदिर	गोरधनपुरा	19.2.2000	चांदी का मुकुट,छत्र, चारण गाय, पीतल की आरती	नहीं हुआ
8.	भैंरूजी का मंदिर	भैंरू गली रामपुरा	11.2.99	दान पेटी मय 1500 रुपये	नहीं हुआ
9.	देवनाराणजी मंदिर	नान्तासोरिया तलाई	17.3.99	दो घंटी बजाने की व एक बाल्टी	नहीं हुआ
10.	देवनाराणजी मंदिर	नान्तासोरिया तलाई	1.12.99	कलश व तिंजोरी में रखे 1000 रुपये	नहीं हुआ
11.	जैन समाज का मंदिर	टीचर्स कालोनी महावीर नगर	29.3.99	भगवान महावीर की मूर्ति	नहीं हुआ
12.	आदिनाथ का मंदिर	महावीर नगर	14.5.99	छत्र चांदी व टेप रिकार्डर	नहीं हुआ
13.	दिगम्बर जैन मंदिर	महावीर नगर विस्तार योजना	28.7.99	5000 रुपये नगद	नहीं हुआ
14.	खड़े गणेशजी मंदिर	महावीर नगर	31.7.99	चांदी का छंत्र व टेप रिकार्डर	बरामद हो गया
15.	दुर्गा माता का मंदिर	विज्ञान नगर	18.7.98	चांदी का मुकुट सोने की नथ, सोने का टोकला एक दान पेटी	बरामद हो गया
16.	संतोषी माता का मंदिर	विज्ञान नगर	5.398	दान पेटी, मूर्ति चांदी	बरामद नहीं हुआ

1	2	3	4	5	6
17.	शिव मंदिर	विज्ञान नगर	3.12.98	दो दान पेटी	बरामद हो गया
18.	चारभुजा मंदिर	रानपुर	26.8.99	दान पेटी के रुपये	नहीं हुआ
19.	दिगम्बर जैन मंदिर	शास्त्रीनगर	29.12.98	छह छत्र चांदी बांदरवाल एक पाडुकशिला, भामंड़ल एक नग	नहीं हुआ
20.	ज्योति मंदिर	दादाबाड़ी	7.7.99	चांदी का छत्र	नहीं हुआ
21.	धोकडे वाले वीर हनुमान मंदिर	दादाबाड़ी	7.10.99	चांदी का छत्र, चांदी के सिक्के नगदी 3500 रुपये व पहनने के कपड़े	नहीं हुआ
22.	ओंकारेश्वर मंदिर	तलवंडी सेक्टर बी	11.2.99	टेप रिकार्डर, दीवर घड़ी चांदी की छत्र, बाल्टी लोहा	बरामद हो गया
	कोटा ग्रामीण				
23.	कृषण भगवान मंदिर	चन्द्रपुरिया	11.1.99	तीन मुकुटचांदी, एक माईक मशीन	नहीं हुआ
24.	पालेश्वर महादेव हाड़ी पाली मंदिर	हरिपुरा	12.2.99	5 कलाकृतियां पत्थर की	बरामद हो गया
25.	हनुमानजी का मंदिर	किशनपुरा	27.2.99	एक माईक सैट व 15000 रुपये	नहीं हुआ

1	2	3	4	5	6
26.	विभिषण का मंदिर	कस्बा कैथूर	8.6.99	करीब 3500 रुपये	नहीं हुआ
27.	गुरूड़जी का मंदिर	गैंता	21.6.99	गरूड़जी की मूर्ति पत्थरकी	नहीं हुआ
28.	राम जानकी का मंदिर	घाटोली	27.6.99	30450 रुपये नगद	नहीं हुआ
29.	दुधिया खेड़ी माताजी का मंदिर	सुकेत	28.8.99	एक छत का पंखा, दो दीवार घंड़ी, रेजगी करीब 50 रुपये	नहीं हुआ नहीं हुआ
30.	माताजी का मंदिर	गोरधपुरा	11.2.99	दान पेटी 1500 रुपये	नहीं हुआ
31.	श्रीकृष्ण भगवान का मंदिर	ईशरपुरा	13.12.99	सोने, चांदी के जेवरात	नहीं हुआ
32.	चारभुजा जी का मंदिर	बंगावदा	12.7.99	दो चांदी के मुकुट 250 ग्रा. दो चांदी की चैन 6 ग्रा. एक मंगलसुत्र 4 ग्रा. सोने का	नहीं हुआ
33.	चारभुजा जी का मंदिर	गोयन्दा	2.1.2000	एक शिवलिंग मूर्ति	नहीं हुआ
34.	माताजी मंदिर	मोड़क गांव	5.1.2000	दो चांदी के छत्र 100 ग्राम	नहीं हुआ
35.	ड़ाढ़ देवी माता जी का मंदिर	ड़ाढ़ देवी	6.1.2000	200 रुपये	नहीं हुआ
36.	महादेव जी मंदिर	डगरपुर	7.1.2000	मूर्ति महादेव जी पार्वती व नाडयातीनों एक ही पत्थर में बनी हुई।	नहीं हुआ

1	2	3	4	5	6
37.	महादेव जी मंदिर	रामगंजमंड़ी	8.1.2000	तिजोरी व टेप	नहीं हुआ
38.	मंदिर पालेश्वर हाड़ी पाली	हरिपुरा	7.2.2000	दो कलाकृतियां पत्थर की	बरामद हो गया
39.	रामचन्द्रजी का मंदिर	छत्रपुरा उर्फ कुम्हारिया	3.3.2000	दो मूर्ति रामचन्द्रजी एक मूति सीताजी संगमरमर की तेरह छोटे बढ़े सालिगराम की पत्थर की मूतियां एक शंख, एक झालरकांसी का पीतल की, लकडी का हत्था एक बजर घंट जंजीर लोहा, एक लोहे का छोटा गुहडा, मूर्ति दीवार का लगा हुआ	बरामद हो गया
40.	हनुमानजी का मंदिर जिला बूंदी	पोलार्ड कलां	9.3.2000	दानपात्र जिसमें 300 रुपये थे	नहीं हुआ
41.	लकड़ेश्वर महादेव	गोबरिया	20.1.99	पार्वती की मूर्ति	नहीं हुआ
42.	बड़ा जैन मंदिर	इन्द्रगढ़	2.9.99	एक चांदी का छत्र व रेजगारी	नहीं हुआ
43.	जैन मंदिर	करवर	30.12.98	विमान की जरी	नहीं हुआ
44.	बालाजी का मंदिर	देई	9.3.99	ढोलक पेटी	नहीं हुआ

1	2	3	4	5	6
45.	देवनारायण मंदिर	उंरासी	19.7.99	गुप्तदान पेटी तोड़कर 108रुपये चोरी	हो गये
46.	ग्वाला का बालाजी	बाछोला	19.7.99	दानपेटी तोडकर 169 रुपये चोरी	हो गये
47.	गणेशजी छतरियां	नैनवा	15.12.99	चांदी का छत्र व नारेल	नहीं हुआ
48.	दरवासा महादेव मंदिर	डाटून्दा का जंगल	15.6.99	चांदी का छत्र, पटान घी का पीपा व नगद रुपये	नहीं हुआ
49.	माताजी मंदिर	गुमानपुरा	15.4.99	दानपेटी का ताला तोडकर नगदी पैसे	नहीं हुआ
50.	हनुमान जी मंदिर	रघुनाथपुरा	14.7.99	250 रुपये नगद	नहीं हुआ
51.	गणेश जी मंदिर	बंरूधन	23.7.99	दानपेटी का ताला तोड़कर नगद 500रुपये	नहीं हुआ
52.	बालाजी मंदिर	रामगंज	2.2.99	दानपेटी का ताला तोड़कर नगद 500रुपये	नहीं हुआ
53.	राधाकिशन मंदिर	लाखेरी	3.1.2000	कानकती चांदी, कड़े सोने के नथ सोने की, टीकंला सोने का मुकुट कुण्डल चांदी के सिंहासन चांदी का मंगलसूत्र सोने का मंगलसूत्र चांदी के दो कंठी सोने की दो तोला, दान पेटी चांदी	नहीं हुआ

1	2	3	4	5	6
54.	महादेव मंदिर	लबान	24.2.99	पार्वती की मूर्ति	बरामद हो गई
55.	शिव मंदिर	बूंदी	27.12.98	दानपेटी मय 5000रुपये	नहीं हुआ
56.	देवनारायण मंदिर	बाईपास बूंदी	22.9.99	दानपेटी से 88 रुपये चोरी	हो गये
57.	रामदेवजी मंदिर	डाबी	28.9.99	कलश सोने का	नहीं हुआ
58.	महादेव जी महाराज मंदिर	अन्धड़ा	9.12.98	एक टेप रिकार्डर मय कैसेट	नहीं हुआ
59.	राजेश्वर महादेव	के.पाटन	28.12.98	दान पेटी	नहीं हुआ
60.	विश्वनाथ महादेव	बूंदी रोड के.पाटन	6.4.99	टेप व माईक	नहीं हुआ
61.	हनुमान जी मंदिर	के.पाटन	16.6.99	टेप, रेड़ियों एवं हारमोनियम	नहीं हुआ
62.	राजराजेश्वर मंदिर	के.पाटन	22.1.2000	दानपेटी व हारमोनियम	नहीं हुआ
63.	महादेवजी मंदिर	देहित	24.2.2000	दान पेटी	नहीं हुआ
64.	गणेशजी का मंदिर	पाटोलियां	24.2.2000	दान पेटी	नहीं हुआ
65.	गंगरावलीजी महाराज	चतरगंज	12.6.99	दान पेटी	नहीं हुआ
	जिला बांरा				

1	2	3	4	5	6
66.	हनुमान मंदिर	बांरा	18.3.99	दान पेटी व माइक मशीन	नहीं हुआ
67.	माताजी मंदिर	बांरा	24.3.99	चांदी का छत्र, 5 मुकुट, कुण्डल, मंगलसुत्र, दानपेटी 400रुपये	नहीं हुआ
68.	हिंगलाज मंदिर	नलका	6.4.99	मुकुट छत्र चांदी के	नहीं हुआ
69.	मंदिर	मण्डोला	5.6.99	छत्र मुकुट चैन चांदी लोकेट	नहीं हुआ
70.	हनुमान मंदिर	बांरा	12.9.92	दानपेटी मय 7–8 हजार रुपये	नहीं हुआ
71.	राधा कृष्ण मंदिर	बांरा	2.1.2000	दान पेटी	नहीं हुआ
72.	हिंगलाज मंदिर	नलगा	13.1.2000	दानपेटी माइक, टेप, 40केसेट	नहीं हुआ
73.	सत्यानारायण मंदिर	कोयला	19.12.99	कलश	नहीं हुआ
74.	सत्यानारायण मंदिर	पालायता	7.1.99	लक्ष्मीजी की मूर्ति	बरामद हो गई
75.	सता बालाजी बैरोड़िया	अन्ता	25.6.99	दानपत्र, एम्पलीफायर, दो घी के डिब्बे, प्रसाद	नहीं हुआ
76.	सीताराम स्थल	अन्ता	3.11.99	तीन छत्र चांदी	नहीं हुआ
77.	गणेश जी मंदिर	चरड़ाना	13.2.99	गणेश जी की मूर्ति	नहीं हुआ

1	2	3	4	5	6
78.	गडगज मंदिर	अटरू	10.1099	दो मूर्तियां	नहीं हुआ
79.	जैन मंदिर	खेड़लीगंज	1.1.2000	एक मूर्ति	बरामद हो गई
80.	शीतला माता मंदिर	चरड़ाना	5.1.2000	एक मूर्ति	नहीं हुआ
81.	महादेव जी का स्थान	चरडाना	27.1.2000	एक मूर्ति शंकर पार्वती	नहीं हुआ
82.	काकोली मंदिर	भवानीपुरा	19.8.99	विष्णुकी मूर्तियां कीमत 10 हजार रुपये	हो गई
83.	माता जी मंदिर	सारथल	29.11.99	एक मूर्ति प्रति माशोर की	नहीं हुआ
84.	भगवान बुध का मंदिर	प्रेम पुरिया	7.1.2000	एक मूर्ति बुद्ध की 50000 रुपये	हो गई
85.	काकोनी मंदिर	गणेशपुरा	4.3.2000	5मूर्तियां प्रतिमा	नहीं हुआ
86.	गणेश जी मंदिर	टाकोड़ा	14.3.2000	एक गणेशजी मूर्ति	नहीं हुआ
87.	माताजी मंदिर	मुसेन माता	22.3.99	10 माह की दानराशि एक टार्च	नहीं हुआ
88.	माता जी मंदिर	मुसेन माता	31.5.99	2000रुपये नगदी एवं 80 ग्राम मुकुट चांदी	नहीं हुआ
	जिला झालावाड़				
89.	हनुमान मंदिर	बूढ़	30.12.98	मंदिर कलश, दो कैट्री सैल	नहीं हुआ

1	2	3	4	5	6
90.	मंदिर लोधान	घाटोली	5.12.98	छत्र, मुकुट, कनकती चांदी की	नहीं हुआ
91.	माता जी मंदिर	भीमगढ़	16.5.99	5 खड़ित मूंर्तिया	हो गई
92.	रातादेवी मंदिर	बाढ़िया रातांदेवी	17.4.99	2 मुकुट, 1छत्र, 5000नगद	नहीं हुआ
93.	चबूतरा कालका देवी	जमलटाड़ी	26.8.99	कालका देवी की मूर्ति	नहीं हुआ
94.	मंदिर रातादेवी	बाढ़िया रातादेवी	25.5.99	दान पेटी से 25000रुपये	नहीं हुआ
95.	शांतिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर	पाटन	12.12.99	एक मूर्ति नंदेश्वर देव अष्ट धातु की व चांदी की पादुका	नहीं हुआ
96.	गायत्री मंदिर	बकानी	21.5.99	चांदी का हार	नहीं हुआ
97.	हनुमान मंदिर	रीछंवा	26.6.99	कलश व आरती का सामान	नहीं हुआ
98.	जैन मंदिर	बकानी	18.7.99	दो दान पेटी, एक चांदी का छत्र 500ग्राम	नहीं हुआ
99.	अन्नपूर्ण माताजी का मंदिर	भिश्रोली	25.6.99	चांदी के पांच छत्र, एक मुकुट एवं रेजगी 42 रुपये तथा 9 रसीदे	हो गई
100.	माताजी मंदिर	तलावली	16.6.99	चांदी का मुकुट व छत्र	नहीं हुआ

1	2	3	4	5	6
101.	जैन मंदिर	इकलैरा	4.1.99	दानपेटी से 2000रुपये	नहीं हुआ
102.	शीतलामाता का खुला चबूतरा	ऊणी	23.12.99	दो मूर्तियां शीतला माता की	हो गई
103.	गणेशजी मंदिर	इकलैरा	25.12.99	एक मूर्ति गणेशजी की	नहीं हुआ
104.	पीपला वाला महाराज मंदिर	दुर्जनपुरा	18.12.99	दानपेटी	नहीं हुआ
105.	केल खोभरा महादेवजी मंदिर	ऊंचावदा	28.12.99	दानपेटी से 400–500 रुपये	नहीं हुआ
106.	ब्राह्मणी माता का मंदिर	खानपुर	17.2.99	300 रुपये नगद	नही हुआ
107.	नृसिंह भगवान का मंदिर	खानपुर	20.8.99	मुकुट व छत्र चांदी के	नहीं हुआ
108.	लक्ष्मी नाराण मंदिर	जोल्या	7.9.99	माइक व डेक मशीन	नहीं हुआ
109.	शीतलीा माताजी का चबूतरा	चन्दालिया	4.1.2000	शीतला माता की मूर्ति पत्थर की	बरामत हो गई
110	माताजी का मंदिर	ललावली	10.2.2000	दानपेटी से 25000 रुपये नगद	नहीं हुआ

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-381 का प्रति)

परिशिष्ट ''क''

प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 199/96 धारा 147, 452, 323 भा.द.स.थानाबौली जिला सवाई माधोपुर।

सेवामें,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, महोदय,

जिला सवाईमाधोपुर।

विषय :–प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार वालों के साथ मारपीट कर घर से निकाल देने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प्रार्थी एवं धूलसिंह चाचा ताऊ के भाई है तथा पूर्वजों के समय की हवेली मकान में सामूहिक अपने अपने हिस्से के मकानों में रहते है यह कि धूलसिंह पुत्र केसरसिंह ग्राम शीशोलाव जमीन जायदाद के बटंवारे को लेकर रंजिश रखता है तथा आँये दिन मारपीट एवं जान से मारने की धमकी, देता रहता है आज दिनांक 7.11.96 को सुबह करीब 8 बजे मैं व मेरे परिवार वाले तथा प्रार्थी के साजी सुरजन पुत्र छोटा मीना व कजोड़ पुत्र धन्ना मीना खेती बाड़ी के बारे में बातचीत कर रहे थे कि अचानक प्रार्थी के कमरे में धूलसिंह पुत्र केसरसिंह, वीरेन्द्र पुत्र धूलसिंह, राजकुमारी पत्नी धूलसिंह, भंवरबाई पुत्री धूलसिंह, जनक दुलारी पुत्री धूलसिंह सभी हाथों में लाठी, डण्डे व सरिये सब्बल लेकर प्रार्थी के कमरे में घुस आये और कहा कि सब यहां से निकलों नहीं तो जान से मार देंगे। इस पर प्रार्थी ने हाथ जोड़कर कहा कि हमको किस कारण से घर से बाहर निकाल रहे हो इस पर धूलसिंह ने कहा कि तुमें अभी बताता हूं और प्रार्थी के साथ सभी ने मारपीट करना शुरू कर दिया तो प्रार्थी की पत्नी व मां ने प्रार्थी को बचाने की कोशिश की तो उनके साथ भी सभी ने मारपीट की तथा हम सभी को धकेल कर घर से

बाहर निकाल दिया और कहा कि यदि मकान में घुसने की कोशिश की तो जान से मार देंगे और अगर थाने पर रिपोर्ट करने गये तो वहां भी जान से मरवा दूंगा। पूरा थाना मेरा है इसलिए भय के कारण प्रार्थी मय परिवार के श्रीमान् के समक्ष उपस्थित हुआ है। धूलसिंह एक प्रभावशाली एवं पहुंच वाला आदमी है प्रार्थी गरीब एवं बेसहारा निसहाय हूं जिसे धूलसिंह ने हत्या करने की सरे आम धमकी दी है जिससे मैं व मेरे परिवारजन अत्यधिक भयभीत है और इसी भय के कारण हम घर नहीं जा सकते है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार की जानमाल की सुरक्षा कर मुलजिमान के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

प्रार्थी एसडी
हनुमान सिंह पुत्र सुरज्ञान सिंह राजपूत
नि. शीशोलाव थाना बौली जिला स.मा.

दिनांक 07.11.96 संलग्न मूल एवं एम.एल.आर नं. 1342, 1343, 1344 नं. 349 दिनांक 07.11.96 प.6(349)II/96 एस.एच.ओ. बौली तुरन्त नियमानुसार कार्यवाही करें व रिपोर्ट 19.11.96 तक भेंजे एसडी. रामबल्ला शर्मा 07.11.96 एस.पीस.

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट तहरीरी हनुमान सिंह पुत्र सुरज्ञान सिंह जाति राजपूत उम्र 32 साल नि. शीशोलाव नेदस्ती कार्यालय पु.अ.सा.स.मा. से लाकरपेशी की जिसकी नकल एफ.आई.आर. रजिस्टार में अक्षर से की गई साथ में एम.एल.आर. नं. 1342, मजरूब धनपति के 5 चोट व श्रीमती प्रेम कवंर एम.एल.आर. नं. 1343 में 3 चोट व मयसद हनुमान की एम.एल.आर. 1344 के 3 चोट आना एम.ओ. जानरल अस्पताल स.मा. ने दर्ज फरमाया है सभी चोट सिम्पल बलन्ट है अतः मजमून रिपोर्ट व एम.एल.आर. से जुर्म धारा 147, 452, 323 ताहि का व कूमें आना पाया जाता है। अतः मु. सं. 199/96 वदपा मजकूर कायम किया जाकर तफतीश सुपुर्द स.उ.नि.किशनलाल के की गई प्रतियां एफ.आई.आर. नियमानुसार जारी की गई।

एसडी. हनुमान सिंह

परिशिष्ट "क-1"

प्रथम सूचना रिपोर्ट नं. 45/95 धारा 452, 342, 323, 394 भादस थाना बौली जिला सवाईमाधोपुर

सेवामें,

श्रीमान् थानेदार साहब

थाना बौली।

विषय : प्रार्थी के साथ मारपीट कर सामान जबरन छीनकर ले जाने के क्रम में।

श्रीमान्जी,

निवेदन है कि ग्राम शीशोलाव का रहने वाला हूं शीशोलाव में भोमियों की मतराज के मंदिर के पास में एक केबिन लगाकर कटिंग करने का कार्य कर अपने बच्चों व परिवार का पेट–पालन करता हूं। आज 16.4.95 को सुबह करीब सात बजे की बात है मैं भरतलाल पुत्र गोरधन मीना नि. शीशोलाव की दाढ़ी बना रहा था कि अचानक मेरे से वोटों की पुरानी रंजिश को लेकर एक गिरोह बनाकर अपने हाथों में लाठी डण्डे लेकर अप्रार्थीगण धूलसिंह पुत्र केसरसिंह राजपूत, जगदीश पुत्र बद्री मीना रेवड़या पुत्र धन्ना मीना, बाबू पुत्र बद्री मीना नि. शीशोलाव मेरे को मां बहिन की फोस गालियां देते हुये मेरी केबिन के अंदर घुस गये और मेरे साथ मारपीट करने लग गये मेरे को घसीट कर नीचे पटक दिया व उसी वक्त धूलसिंह भूतपूर्व सरपंच मेरे को केबिन के अंदर से बंद कर दिया व कहा कि साले को खतम कर दो जो होगा सो देखा जायेगा फिर इन सभी लोगों ने मेरे को लाठियों व डण्डों से मारना पीटना शुरू कर दिया जिसमें मेरे हाथ पीठ गले व सिर में चोटें आई हैं बाबू मेरे हाथ से मेरी घड़ी एच.एम.टी. क्वार्स की जबरन मेरी तोड़कर अपनी जेब में रख ली जगदीश ने मेरी दुकान से कैंची उठाकर मेरे गले पर वार किया जिससे जिसको मैंने मेरी दाहिने हाथ से बचाया तो कैंची को मेरे हाथ में चोट आई व कैंची को भी ले गया धूलसिंह ने मेरे कानों से सोने की मुरकी जबरन तोड़कर अपने पास में रख ली जिसका वजन आधा तोला उसी समय मेरे गांव के भरतलाल पुत्र गोरधन, रामपुल पुत्र छोटू, कजोड़ पुत्र धन्ना, केलाश

सिंह पुत्र किशन सिंह राजपूत ने बचाया वरना ये लोग मुझे जाने से खतम कर देते फिर भी कहते रहे व धमकी देते चले गये कि मेरा नाम धूलसिंह है साले को पेट्रोल डालकर खतम कर दूंगा। मेरे पास ऊंची सिफारश है दो दिन के अंदर गांव छोड़कर चले जाना मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता प्रार्थी को अब भी इन लोगों ने अपनी जान का पूरा–पूरा खतरा है बना हुआ है धन्धे बिना परेशान हूं मेरा व मेरे परिवार का गुजर–बसर इसी धन्धे से करता हूं। अतः रिपोर्ट पेश कर अर्ज है कि अप्रार्थीगण के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर मेरी दुकान के बिल का ताला खुलाने के कृपा करें।

प्रार्थी एसडी.

रामलाल सैन पुत्र प्रभूलाल नाई
नि. शीशोलाव थाना बौली
दिनाक 16.4.95 रामफूल मीना

कार्यवाही पुलिस

उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट रामलाल पुत्र प्रभूलाल नाई उम्र 30 वर्ष पेशा नाई की दुकान नि. शीशोलाव ने उपस्थित थाना होकर मय रामफूल पुत्र छोटूलाल मीना नि. शीशोलाव के होकर पेश की रिपोर्ट तहरीरी रामफूल पुत्र छोटू द्वारा लिखित तलाई मजरूब की चोटों का मुआयना नजरी किया गया तो दाहिने हाथ में खून आलूदा चोट है। दोनों कानों पर खरोंचनुमा चोट है दोनों कान, लाल हो रहे है गले पर खरोंजनुका खून नजर ओज डोसे निशान है पीठ पर 3–4 जगह नीलगू निशानात है बाये हाथ के पंजो पर सोजन आ रही है पैर बायें पर नीलगू निशान है एफ.आई.आर.व मजरूब की चोटों व नजरी निरीक्षण से मामला अपराध धारा 452, 342, 323, 394 ताहि के वकू में आना पाया जाता है अतः मु.सं. 45/95 जुर्म सदर कायम कर अनुसंधान प्रारम्भ किया जाता है मजरूब का मेडीकल मुआयना पृथक से करवाया जायेगा नकल एफ.आई.आर. हू ब हू की जाकर प्रति एफ.आई.आर. जारी की गई प्रति एफ.आई.आर. फरियादी को निशुल्क दी गई।

एसडी. रामलाल

परिशिष्ट ''क-2''

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-57/93 धारा 147, 323, 452, 379 भादस. थाना बौली जिला सवाईमाधोपुर।

श्रीमान थानाअधिकारी पुलिस
थाना बौली।

विषयः– मकान पर आकर मारपींट व झगड़ा करने बाबत।

मान्यवर,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि 2.5.93 करीब 3.10 पी.एम. पर धूलसिंह, दुर्गा महेश सिंह जीलालपुरा वाला महावीर सिंह बागडोली वाला व अन्य 4 व्यक्ति ने मेरे मकान पर आकर दरवाजा खाट खटाया तो मैं सो रहा था जब मैंने जाकर दरवाजा खोला तो वे सब अंदर आ गये तथा कमरे की अंदर से चिटकनी बंद कर ली आते ही धूमसिंह ने कहा कि डाक्टर तुम्हारी यहां बैठने की कुर्सी भी नहीं है डा. साहब लोग आये है तथा फिर सब लोग बैठ गये धूलसिंह ने कहा कि कल अस्पताल में जो घटना हुई उसके बारे में तू कुछ भी नहीं बोला तथा स्टाफ का साथ भी नहीं दिया यह अच्छी बात नहीं है तथा देवेन्द्र सिंह व दुर्गा महेश ने कहा कि तूने सन् 1991 नवम्बर में मेरे विरुद्ध एम.एल.आर. बनाई थी उसका तुझे मजा चखाऊंगा तथा धूलसिंह दुर्गामहेश सिंह व देवेन्द्र सिंह ने मुझे लातों, घूसों से मुंह पर पीठ पर मारा तथा चोर कर मेरा चश्मा भी साथ ले गये तब इनसे बचकर मैं मकान के पिछले गेट से भागकर डा. विक्रमपाल सिंह के यहां गया तब तक यह सब लोग भाग कर जा चुके थे अतः सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पेश है।

एसडी देवेन्द्र कुमार माथुर
डा. देवेन्द्रकुमार माथुर सी.एएस
उ.प्रा.स्वा.केन्द्र बौली।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट तहरीरी देवेन्द्र कुमार माथुर पुत्र रंग बिहारी माथुर आयु 34 साल नि. खिरनी हाल एम.ओ.एच.सी. बौली ने हाजिर थाना आकर पेश की जिसकी नकल एफ.आई.आर. शब्द व शब्द की जाकर पढ़कर सुनाई सुनकर सही, मानी मुआयना जबात किया गया तो बाई आखं के ऊपर ललाट पर चोट खून आलूदा व

बाई आंख के अंदर ललाईनुमा चोट व दाहिने हाथ की कलाई पर खरोचनुमा चोट व बाई आंख के नीचे चोट निलंन पीठ में दर्द होना बताते है मजमून रिपोर्ट व मुआयना जिस्म जबांत से देखने से मामला अपराध धारा 147, 323, 452, 379 ताहि का घटित होना पाया जाता है लिहाजा अभिलेख सं. 57/93 वदपा मजकूर कायम कर मन एसएचओ नारायण तिवारी प्रो.माशरूप तप.आर. प्रतियां नियमानुसार जारी की गई।

एसडी. देवेन्द्र कुमार माथुर।

परिशिष्ट "क-3"

प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 75/98 धारा 420, 323 व 2 एएसी/एसटी एक्ट थाना बौली जिला सवाईमाधोपुर।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय,
सवाईमाधोपुर।

विषय :– प्रार्थीगण के साथ मारपीट धोखादड़ी करने व ढेड चमार कहकर बेइज्जत करने के क्रम में।

श्रीमानजी,

सेवा में निवेदन है कि प्रार्थी ग्राम कोलाडा थाना बौली के निवासी है तथा जाति से रेगर है एवं अनु.जाति का सदस्य है तथा चयनित परिवार का सदस्य है प्रार्थीगण सन् 1994 में मैं इन्द्र आवास योजना में ग्राम पंचायत कोलाड़ा में एक–एक मकान आवंटित कराने के लिये ग्राम पंचायत कोलाड़ा के पूर्व सरपंच धूलसिंह को अपना आवेदन पत्र दिया था तथा धूलसिंहजी ने प्रार्थीगण से कहा कि तुम मुझे 2000 रुपये, 2000 रुपये दे दो मैं तुझे इस योजना ते तहत मकान बनवाकर दिलवा दूंगा प्रार्थीगण ने भी धूलसिंह के विश्वास में आकर 2000 रुपये, 2000 रुपये धूलसिंह को दे दिये तथा प्रार्थीगण इस विश्वास में रहे कि जब भी मकान बनेंगे हमें आवंटित हो जावेगा इसके बाद ग्राम पंचायत के चुनाव होने पर धूलसिंह का सरपंच चुनाव हार गये प्रार्थीगण ने धूलसिंह से हमारे रुपये व मकान में बार में पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी फाइल जमा हो चुकी है तुझे जल्दी ही मकान आवंटित हो जावेगा प्रार्थीगण उनके आश्वासन में रहे। कल दिनांक 18.4.98 को सुबह 11.12 बजे प्रार्थीगण ग्राम पंचायत में अपनी इन्द्रा निवास योजना के अन्तर्गत आवंटित मकानात के बारे में जानकारी करने गया तो ग्राम पंचायत के सैकेट्री ने प्रार्थीगण को

बताया कि तुम्हारी इस योजना में कोई फाइल ही जमा नहीं हुई है तुम्हारे साथ धूलसिंह जी ने धोखा–धड़ी की है। प्रार्थी दूसरे दिन उनके पास गये तथा इनसे हमारे पैसे वापस मांगे तो धूलसिंह पूर्व सरपंच ने हमारे साथ धक्का मुक्की की तथा कह कि साले ढेड चमार भाग जाओं यहां से वरना जान से खतम कर दूंगा तथा मुझ से दुबारा पैसे मत मांगना नहीं तो ढेड चमारों को गांव से निकाल दूंगा तथा गांव में रहना मुश्किल कर दूंगा। हमें ढेड चमार कहा तथा जूता उतारकर मारने की उतारू हो गया। प्रार्थीगण उनके आंतक व भयभीत हो यह वाक़ा मौजूद गवाहान रामसहाय पुत्र घांसी रेगर कोलाड़ा कमलेश पुत्र कजोड मीना नि. शीशोलाव गोविन्द नारायण पुत्र कुन्दनमल महाजन नि. शीशोलाव व अन्य कई व्यक्तियों ने देखा है तथा हमें बचाया है। धूलसिंह पूर्व सरपंच ने गांव में आंतक फैला रखा है तथा उन्होंने प्रार्थीगण को यह भी धमकी दी है कि यदि तुमने थाने में मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई तो जिन्दा नहीं छोडूंगा प्रार्थीगण उनके भय से थाने में नहीं जा सके अतः रिपोर्ट पेशकर निवेदन है कि मुलजिम धूलसिंह पूर्व सरपंच ग्राम कोलाड़ा के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें तथा हमें हमारे रुपये वापस दिलवाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण पोखरमली पुत्र रामनाथ रेगर, कजोड़ पुत्र सुवा रेगर नि. कोलाड़ा, थाना बौली, प्रभू पुत्र घांसी रेगर नि. कोलाडा थाना बौली 20.4.98 एसडी पोखरलाल पुत्र कजोड, निशानी प्रभु एस.एच.ओ. बौली अभियाग पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही करवायें। एसडी. अशोक नरूका अ.पु.अ. स.मा. 20.4.98

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट टाइप शुदा कजोड़ पुत्र सुवा जाति रेगर उम्र 22 साल नि. कोलाड़ा थाना बौली ने कार्यालय अ.पु.अ.सा.स.मा. से बदस्ती लाकर पेश की जिसकी नकल एफ.आई.आर. रजिस्टर में अक्षर शः की गई मजमून रिपोर्ट से मामला जुर्म धाना 420, 323 ताहि व 3 एसटीएससी का वकू में आना पाया जाता है अतः अभियोग सं. 75/98 वदफा उपरोक्त में कायम किया जाकर वास्ते अनुसंधान हेतु एफ.आई.आर. आजाद सिंह पु.उ.अ.स.मा. के पास भिजवाई जायेगी। प्रतियां एफ.आई.आर. नियमानुसार जारी हुई एक प्रति एफ.आई.आर. मुत्तगीस को निशुल्क दी गई।

एसडी. कजोड़

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-382 की सूची)

परिशिष्ट "क"

दिनांक 1.1.1999 से 29.2.2000 तक दर्ज प्रकरण विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

(भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य अधिनियमों के तहत दर्ज प्रकरण)

क्र.स.	नाम थाना	डकैती	लूट	हत्या	नकबजनी	पशु चोरी	अन्य चोरी	बलवा	बलात्कार	अन्य भादस	आर्म्स एक्ट	एक्साइज एक्ट	ईसी एक्ट	जुआ एक्ट	एनडीपीएस एक्ट	फोरस्ट एक्ट	एक्सप्लोन जिव एक्ट	एससी एसटी एक्ट	अन्य एक्ट	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	बड़ी सादड़ी	—	8	2	22	3	39	32	2	284	—	13	—	3	—	19	—	6	1	434
2.	भदसोड़ा	—	4	4	33	2	43	29	—	292	2	10	—	—	3	4	—	3	11	440
3.	डूंगला	1	1	—	21	1	22	20	2	200	1	9	—	—	1	6	1	5	6	297
4.	निकूम	—	1	1	11	3	23	14	1	106	—	—	—	5	—	9	1	4	9	188
5.	धमोत्तर	—	2	3	13	—	9	13	8	95	—	13	—	1	3	15	—	4	3	182
6.	जाखम	—	1	3	7	2	2	12	1	104	—	6	—	—	—	4	—	2	—	144
7.	रठाजनां	—	2	2	9	—	16	21	—	129	—	11	—	1	2	11	—	7	5	216
	योग	1	19	15	116	11	154	141	14	1210	3	62	—	10	9	68	2	31	35	1901

परिशिष्ट ''ख''

दिनांक 1.1.1999 से फरवरी, 2000 तक गिरफ्तार किये गये (चालान) अभियुक्तों की संख्या : विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी, चित्तौडगढ़।

क्र.स.	नाम थाना	डकैती	लूट	हत्या	नकबजनी	पशु चोरी	अन्य चोरी	बलवा	बलात्कार	अन्य भादस	आर्म्स एक्ट	एक्साइज एक्ट	ईसी एक्ट	जुआ एक्ट	एनडीपीएस एक्ट	फोरस्ट एक्ट	एक्सप्लोजिव एक्ट	एससी एसटी एक्ट	अन्य एक्ट	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	बडी सादडी	—	4	8	5	2	18	64	2	386	—	15	—	9	—	27	—	3	1	544
2.	भदसोडा	—	10	5	8	—	32	85	—	387	1	10	—	—	8	7	—	3	11	567
3.	डूंगला	—	1	—	25	—	17	106	2	389	3	8	1	—	3	9	1	3	6	574
4.	निकूम	—	—	—	1	—	6	46	1	108	—	—	—	15	—	13	2	6	4	202
5.	धमोत्तर	—	—	3	2	—	—	75	9	162	—	13	—	5	3	18	—	—	6	296
6.	जाखम	—	2	4	3	1	1	38	1	87	—	6	—	—	—	2	—	—	—	145
7.	रठाजनां	—	3	5	2	—	6	59	—	182	—	11	—	—	3	12	—	6	8	297
योग		1	20	25	46	3	80	473	15	1701	4	63	1	29	17	88	3	21	36	2625

परिशिष्ट "ग"

जनवरी, 1999 से फरवरी, 2000 तक निम्नांकित प्रकरणों में गिरफ्तार नहीं हुए अभियुक्तों के संबंध में तालिका जिला चित्तौड़गढ़

क्र.स.	नाम थाना	नकबजनी	चौरी	लूट	हत्या	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	बड़ी सादड़ी	18	17	3	—	38
2.	भदसोडा	23	29	—	1	53
3.	डूंगला	12	9	—	—	21
4.	निकूम	7	17	—	—	24
5.	धमोत्तर	7	6	1	—	14
6.	जाखम	4	2	—	1	7
7.	रठाजना	7	8	—	—	15
	योग	78	88	4	2	175

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-383 की सूची)

परिशिष्ट "क"

जिला धौलपुर के सरमथुरा क्षेत्र में खान मालिकों एवं मजदूरों की सुरक्षा हेतु स्थापित आर.ए.सी. की चौकियां का विवरण

क्र.सं.	थाना क्षेत्र	स्थान पोस्ट
1.	सरमथुरा	बरौली
2.	सरमथुरा	मदनपुर
3.	सरमथुरा	नादनपुर
4.	सरमथुरा	पार्वती बांध
5.	सरमथुरा	धोबी की तिबरिया
6.	सरमथुरा	हरीपुरा
7.	सरमथुरा	दुर्गसी
8.	सरमथुरा	गोलारी
9.	सरमथुरा	थाना सरमथुरा
10.	सरमथुरा	कम्पनी हैड क्वाटर सरमथुरा

परिशिष्ट "ख"

धौलपुर जिले में एक जनवरी 1999 से फरवरी 2000 तक राहजनी, लूट, चोरी, अनुसूसचित जाति एवं जनजाति अत्याचार के कुल दर्ज अभियोगों की सूची

क्र.सं.	शीर्षक	कुल दर्ज अपराध
1.	राहजनी	4
2.	लूट	35
3.	चोरी	314
4.	अनुसूचित जाति/जनजाति पर अत्याचार	218

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-385 की विवरण)

परिशिष्ट ''क''

भीलवाडा जिले में वर्ष 1990-91 से 1999-2000 की अवधि में वृक्षारोपण पर रेंजवार व्यय

क्र.सं.	नाम रेंज	वर्ष 1990-91 से 1999-2000 तक वृक्षारोपण का व्यय (लाखों में)
1	2	3
1.	भीलवाड़ा	278.49
2.	शाहपुरा	193.04
3.	जहाजपुर	284.93
4.	मांडलगढ़	267.07
5.	आसींद	155.62
6.	गुलाबपुरा	226.75
	योग	1375.92

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या-393 की सूची)

कार्यालय जिला कलेक्टर (सहायता) बाड़मेर ऐसे तालाब/नाडियों की सूची जिनमें बरसाती पानी एक–एक साल रहता है

क्र.सं.	तहसील	नाडी का नाम जो अकाल राहत के तहत स्वीकृत हुई है
1	2	3
1.	बाड़मेर	भाडखा गांवाई नाडी
2.	बाड़मेर	रोहिली गांवाई नाडी
3.	बाड़मेर	उत्तरलाई नाडी
4.	बाड़मेर	गांवाई नाडी जालीपा
5.	बाड़मेर	गांवाई नाडी बिशाल
6.	बाड़मेर	गांवाई नाडी भादरेस
7.	बाड़मेर	जसदेर नाडी बाड़मेर अगौर
8.	बाड़मेर	गांवाई नाडी राणीगांव
9.	बाड़मेर	गांवाई नाडी महाबार
10.	बाड़मेर	करडाली नाडी सरणू
11.	बाड़मेर	लाम्बोलानाडी एणपा
12.	बाड़मेर	जालकी नाडी सणपा
13.	गुड़ाढ़ामालानी	गांवाई नाडी बृठजेतमालोत
14.	गुड़ाढ़ामालानी	गांवाई तालाब डण्डाली
15.	गुड़ाढ़ामालानी	गांवाई तालाब भूकाभगतसिंह
16.	गुड़ाढ़ामालानी	बाडानाडा खारामहेचा
17.	गुड़ाढ़ामालानी	गांवाई तालाब पायलाकलां
18.	गुड़ाढ़ामालानी	गांवाई तालाब पायलाखूर्द
19.	गुड़ाढ़ामालानी	गांवाई तालाब सड़ा
20.	गुड़ाढ़ामालानी	डाबड नाडी एडसिणधरी
21.	गुड़ाढ़ामालानी	ब्रिलासर नाडी कमठाई
22.	गुड़ाढ़ामालानी	निम्बालीनाडी निम्बलकोट
23.	चौहटन	गांवाई नाडी रूगपुरा
24.	बोयतू	धोलपालिया नाडी लापला

1	2	3
25.	बोयतू	बापनाडी बान्दरा
26.	बोयतू	गडेली नाडी बान्दरा
27.	बोयतू	हरखाली नाडी हरखाली
28.	बोयतू	गवाई नाडी झाक
29.	बोयतू	काकराली नाडी जसोडो की बेरी
30.	बोयतू	रामलाली नाडी के सुम्बला हरचंद
31.	बोयतू	ढोकाली नाडी बायतु चिमरनजी
32.	बोयतू	करमानी नाडी जाजवा
33.	बोयतू	पाउण्डरी नाडी उतरणी
34.	बोयतू	रिधृसर नाडी रिधृसर
35.	बोयतू	गांवाई तालाब नौसर
36.	बोयतू	भीम्बर नाडी नौसर
37.	रामसर	गांवाई नाडी रामसर
38.	रामसर	गांवाई नाडी झेलून
39.	रामसर	गांवाई नाडी बागलेसर (कंटलकापार)
40.	रामसर	गांवाई नाडी देरासर
41.	रामसर	गवाई नाडी सिहारी
42.	रामसर	गांवाई नाडी मापुरी
43.	रामसर	भीलोकापार नाडी गागरिया
44.	सिवाना	गांवाई तालाब राखी
45.	सिवाना	गांवाई तालाब मोतीसरा
46.	सिवाना	गांवाई तालाब सरबडी बारणन
47.	सिवाना	गांवाई तालाब खण्डप
48.	सिवाना	गांवाई तालाब रातडी
49.	सिवाना	गांवाई तालाब कमो का बाडा
50.	सिवाना	गांवाई तालाब रामपुरा
51.	सिवाना	गांवाई तालाब कुशीप
52.	सिवाना	गांवाई तालाब थापन
53.	सिवाना	गांवाई तालाब होतरडा रानी देशीनगर
54.	सिवाना	गांवाई तालाब अर्थण्डी

1	2	3
55.	सिवाना	गांवाई तालाब सेवाली
56.	सिवाना	गांवाई तालाब छियाला
57.	सिवाना	गांवाई तालाब गोलिया चौधरियान
58.	सिवाना	गांवाई तालाब सेला
59.	सिवाना	गांवाई तालाब कुण्डल
60.	सिवाना	गांवाई तालाब काठाडी
61.	सिवाना	सिंगल नाडी मोकलसर
62.	शिव	मानसरोवर तालाब शिव
63.	शिव	हरसारी नाडी
64.	शिव	झापलोकला नाडी
65.	शिव	गूंगासर नाडी गूंगा
66.	शिव	भीयाड नाडी
67.	शिव	देदाई नाडी कोटडर
68.	शिव	राणासर नाडी
69.	शिव	देताणी नाडी
70.	शिव	ओम्बडी नाडी मुगेरिया
71.	शिव	देवका नाडी
72.	शिव	वालेबा नाडी
73.	शिव	निम्क्ला नाडी
74.	शिव	सामलोर नाडी
75.	पचपदरा	नेवाई तालाब
76.	पचपदरा	मोलण तालाब सोढ़टा तिरसिंगडीप
77.	पचपदरा	कुम्हारिया तालाब संभरा
78.	पचपदरा	भूरकी नाडी जसोल
79.	पचपदरा	गांवाई तालाब सिनली
80.	पचपदरा	नागाणा तालाब
81.	पचपदरा	वरिया तालाब
82.	पचपदरा	ढंढ तालाब
83.	पचपदरा	बामसीन तालाब
84.	पचपदरा	अमृतिया तालाब

1	2	3
85.	पचपदरा	कोड़का तालाब
86.	पचपदरा	बांकियावास तालाब
87.	पचपदरा	मोहनपुरा तालाब
88.	पचपदरा	ईकराणी तालाब
89.	पचपदरा	गांवाई तालाब कालूडी
90.	पचपदरा	सिमालिया तालाब
91.	पचपदरा	गांवाई तालाब कांकराला
92.	पचपदरा	गांवाई तालाब खारवा
93.	पचपदरा	गांवाई तालाब सिमरखिया
94.	पचपदरा	कितपाला तालाब
95.	पचपदरा	गांवाई तालाब उमरलाई
96.	पचपदरा	घडोई नाडी
97.	पचपदरा	जैतमाल तालाब
98.	पचपदरा	रोडवा खुर्द तालाब
99.	पचपदरा	रणियादेशीपुरा तालाब
100.	पचपदरा	गांवाई तालाब गंगावास
101.	पचपदरा	कुमती नाडी
102.	पचपदरा	मोतीसरी नाडी
103.	पचपदरा	गांवाई तालाब मंडली
104.	पचपदरा	करनीसर तालाब
105.	पचपदरा	गांवाई तालाब पिंडारण
106.	पचपदरा	कुरजां नाडी थोब
107.	पचपदरा	डोडलाई नाडी
108.	पचपदरा	पालापुरा नाडी
109.	पचपदरा	धोडानाडी तालाब
110.	पचपदरा	गांवाई तालाब नेवरी
111.	पचपदरा	हाडली नाडी
112.	पचपदरा	गांवाई तालाब ग्वालनाडा
113.	पचपदरा	जास्ती तालाब गंगावास
114.	पचपदरा	गांवाई तालाब पाटोदी

1	2	3
115.	पचपदरा	गांवाई तालाब रिछोली
116.	पचपदरा	वनाली नाडी कालूडी
117.	पचपदरा	नारी नाडी सिनली
118.	पचपदरा	गांवाई तालाब अर्जुनसर
119.	पचपदरा	गांवाई तालाब पचपदरा
120.	पचपदरा	चिराढाणी
121.	पचपदरा	गांवाई तालाब मूलकीढाणी
122.	पचपदरा	गांवाई तालाब सराना
123.	पचपदरा	रातडी नाडी
124.	पचपदरा	गांवाई तालाब चिलानाडी
125.	पचपदरा	मांडपुरा तालाब
126.	पचपदरा	अरावा चौहान तालाब
127.	पचपदरा	मामाजी तालाब कोरणा
128.	पचपदरा	बवलाई तालाब
129.	पचपदरा	घडोई नाडी कोरणा
130.	पचपदरा	गांवाई तालाब गोपड़ी

जिला कलेक्टर (सहायता)
बाड़मेर

परिशिष्ट "ख"

एक वर्ष या अधिक समय तक पानी ठहराव वाले तालाबों की सूची

जिला जैसलमेर

अ तहसील जैसलमेर

1. नाडी जसेरी ग्राम डेढा
2. उदनीसर तालाब निबिया
3. गड़सीसर तालाब जैसलमेर
4. नाडी जेठवाई
5. मोकला (भादासर तालाब मोकला)
6. नाडी खीया
7. नाडी मंधा
8. नाडी मोहनगढ़
9. तालाब गजरूपसागर जैसलमेर
10. तालाब नेहड़ाई
11. तालाब सांखला
12. तालाब सदराऊ
13. तालाब बडोड़ागांव

ब तहसील पोकरण

1. बोदरडी नाडी राजमथाई
2. गांवाई नाडी नानणयाई (मोडरडी)
3. जानकी तालाब लंवा
4. बिठड़ी नाडी सरदारसिंह की ढाणी
5. जुनोड़ी नाडी खेतोलाई

जिला जैसलमेर

6. गांवाई नाड़ी ओढाणिया
7. कपूरडी नाडी ऊजला
8. गांवाई नाडी जैमला
9. भणियाणा तालाब
10. गोमट तालाब
11. एका तालाब
12. रामसरोवर तालाब रामदेवरा
13. रामदेवसर तालाब पोकरण
14. बोदलाई तालाब, नाथूसर
15. नाथूसर तालाब नाथूसर
16. हेमोलाई तालाब, धूड़सर
17. कपूरडी तालाब धूड़सर
18. नाडी बारट का गांव

स तहसील फतेहगढ़

1. तालाब सांगड
2. फूंलासर तालाब देवीकोट
3. नाडी मण्डाई
4. तालाब डांगरी
5. देगराय तालाब रासला/सार्वता
6. तालाब मूलाणा
7. तालाब बीजोता
8. तालाब कोडा
9. तालाब सुमलीयाई

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या-395 का विवरण)

परिशिष्ट "1"

उदयपुर से फतेहनगर मार्ग होकर संचालित निगम बस सेवाओं का मार्गवार एवं माहवार प्राप्त हुये औसत यात्रीभार का विवरण

क्र.सं.	मार्ग का नाम	औसत यात्रीभार प्रतिशत					
		सितम्बर 1999	अक्टूबर 1999	नवम्बर 1999	दिसम्बर 1999	जनवरी 2000	फरवरी 2000
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उदयपुर –गिलूण्ड	43	42	48	46	43	43
2	उदयपुर–कुरज	48	48	55	48	46	51
3	उदयपुर–कोटड़ी	33	36	39	43	39	43
4	उदयपुर–काबरा	36	33	35	35	35	38

परिशिष्ट-17

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गयीं)

{श्री जीतमल (बागीदोरा)}

विषय : बांसवाड़ा के कड़ाना बांध की डूब में आयी भूमि के काश्तकारों को मुआवजा

महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत राजस्व मंत्री महोदय का निम्नांकित विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

कड़ाना बांध जिला बांसवाड़ा के डूब क्षेत्र में काश्तकारों की अत्यधिक जमीन बांध का निर्माण करते समय आ गई थी। कड़ाना बांध के डूब क्षेत्र में कई प्राचीन मंदिर भी आ गये थे। कड़ाना बांध के निर्माण के फलस्वरूप आदिवासी क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में काश्तकार भूमिहीन हो गये। वर्ष 1977 में कड़ाना बांध के डूब क्षेत्र में आए मंदिरों की मुआवजा राशि सरकार द्वारा देवस्थान विभाग को दे दी गई।

मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से राजस्व मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि कड़ाना बांध के डूब क्षेत्र में आए मंदिर देवस्थान विभाग के नियंत्रणाधीन थे, अथवा देवस्थान विभाग द्वारा उनकी पूजा–अर्चना पर किसी प्रकार का कभी भी क्या कोई व्यय किया गया ? इस संबंध में विस्तृत जानकारी चाहता हूं, साथ ही डूब क्षेत्र में आए काश्त की भूमि पर हजारों की तादाद में आदिवासी काश्तकार भूमिहीन हो गये और उन्हें आज 23 वर्ष की लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी उन्हें भूमि का मुआवजा प्राप्त नहीं हो सका, इसके क्या कारण रहे ? इस संबंध में विस्तृत जांच आवश्यक है।

आदिवासी क्षेत्र के मंदिरों के संचालन के लिये ग्राम पंचायतों में विभिन्न समितियां बनी हुई है। मेरा यह सुझाव हे कि जो कड़ाना बांध के डूब क्षेत्र में मंदिर आए हैं, उनकी मुआवजा राशि इन समितियों को इस आशय के साथ सौंपी जाएगी कि पंचायतों में नये मंदिरों का निर्माण हो और काश्तकारों को अविलम्ब स्वीकृत मुआवजा राशि दिलाई जाय। जिससे उन आदिवासी काश्तकारों को न्याय प्राप्त हो सके।

{श्री मांगी लाल गरासिया (गोगुन्दा)}

विषय : गोगुन्दा के चिकित्सालयों में व्याप्त अव्यवस्था

महोदय, विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा जनजाति बाहूल्य क्षेत्र है, जहां पर पहाड़ी क्षेत्र होने वजह से चिकित्सा विभाग के अधिकांश चिकित्सक उपस्थित नहीं रहते हैं जिसकी वहज से कई मौतें भी हो जाती हैं।

पी.एच.सी. भानपुरा, पदराड़ा, पडावली कलां, गोगुन्दा आदि अस्पतालों में डाक्टरों का ठहराव नहीं रहता है जिसके कारण वहां की जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

यही हाल सब हैल्थ सेंटर बिकरनी, झोडोली, बगडुन्दा, चित्रावास, रावछ, उखलियात का है जहां पर ए.एन.एम. नहीं रहने की वजह से प्रसव के दौरान महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

महोदय, मेरा आग्रह है कि पूरे क्षेत्र विभाग के अधिकारियों को सक्रिय करें ताकि चिकित्सा का लाभ उचित समय पर मिल सके एवं वहां की जनता को लाभ मिल सकें।

धन्यवाद।

{श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ीसादड़ी)}

विषय : बड़ी सादड़ी में नये बाध एवं तालाबों का निर्माण

महोदय, यह कि विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी तीन पंचायत समितियों में फैली हुई है। यह सम्पूर्ण क्षेत्र कृषि की दृष्टि से बहुत ही उपजाऊ है लेकिन वर्षा की कमी के कारण भूमि सोना उगल सकती पर उगल नहीं पाती क्योंकि वर्षा की कमी के कारण तालाब एवं बांध पूरी तरह से भरते नहीं। इस समस्या का हल कुछ ही राशि खर्च कर पूरा किया जा सकता है। इस क्षेत्र में सीतामाता का विशाल जंगल स्थित है इसमें कई नाले वर्ष भर बहते है पर इनके पानी का बहाव जाखम नदी की और होता हुआ गुजरात होकर समुद्र में चला जाता है। इस पानी के नालों का बहाव कुछ राशि खर्च कर बड़ी सादड़ी डुंगला की ओर आसानी से किया जा सकता है। यदि यह कार्य किया जावे तो बड़ी सादड़ी एवं डुंगला के सभी बांधों में पर्याप्त पानी भरा जा सकता है साथ ही कुछ नये बांध एवं तालाब भी बनाये जा सकते है। जैसे पिण्ड बांध डुंगला के पास भानाखेड़ी तालाब।

अतः इस कार्य का पूर्ण सर्वे कर कार्य की स्वीकृति हेतु ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

{श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली)}

विषय : पाली नगर परिषद द्वारा बाढ़ पीड़ितों हेतु बसाई गयी आवासी योजना

मान्यवर, उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से निवेदन है कि सन् 1979 में आई भीषण बाद से पाली शहर में कई मकान ढ़ह गये थे एवं कई बस्तियों जो नीचले इलाकों में बसी थी जलमग्न हो गई थी। राज्य सरकार के आदेशानुसार जिला कलक्टर, पाली ने जिल व्यक्तियों के मकान बाढ़ में ढ़ह गये उनके हेतु आनन्द नगर, प्रताप नगर, एवं सोजत रोड आवासीय योजना बसा उन्हें भूखण्ड आवंटित किये। पुनर्वास योजनान्तर्गत बसाये गये व्यक्ति अत्यन्त निर्धन वर्ग के होने के कारण निर्धारित समयावधि में भूखण्ड की राशि जमा नहीं करा सके, फलस्वरूप उन्हें विक्रय–पत्र देने में कठिनाई आने पर नगर–परिषद पाली के निवेदन पर सन् 1989 में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर आवंटियों से मूल राशि पर ब्याज एवं शास्ति में नहीं लेने की नियमों में शिथिलता दी गई।

उक्त शिथिलता प्राप्त होने की जानकारी अधिकांश आवंटियों को नहीं मिली एवं जिनकी मिली उसमें से अनेकों आवंटी इतेन गरीब थे, कि वे निर्धारित अवधि में मूल राशि जमा कराने में असमर्थ रहे।

पाली नगर परिषद द्वारा स्वायत्त शासन विभाग से उक्त शिथिलता की अवधि बढ़ाने हेतु निवेदन करने पर दिनांक 22.3.99 को विभाग ने यह शर्त लगाते हुए शिथिलता प्रदान की कि–यह छूट उन लोगों को ही देय हैं जो पूर्व में सूचना के अभाव में राशि जमा नहीं करा सके। अधिकांश आवंटियों ने बताया कि परिषद द्वारा राशि जमा कराये जाने हेतु मांग–पत्र उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। चूंकि नगर–परिषद की पत्रावलियों में इनको नोटिस दिये जाने का हवाला है इस कारण यह प्रकरण अभी तक लंबित है। जिन लोगों को ये भूखण्ड आवंटित किये गये थे वे अत्यन्त निर्धन वर्ग के हैं एवं मौके पर इनका कब्जा भी है। अतः जनहित एवं गरीब वर्ग के हित में आपसे निवेदन है कि स्वायत्त शासन विभाग के आदेश

क्रमांक 674 दिनांक 22.3.99 में लगाई गई शर्त यह शर्त कि पूर्व में जानकारी या सूचित लोगों को यह छूट देय नहीं होगी हटाने का श्रम करें।

साथ ही प्रताप नगर आवासीय योजना में कार्नर वाले आवंटियों को 25 X 50 वर्ग फीट माप के फुट पर निर्माण करवा लिया। उप नगर नियोजक जोधपुर द्वारा उक्त योजना का जो मानचित्र स्वीकृत किया गया। उसमें कोर्नर वाले भूखडों का माप 30 X 50 वर्ग फीट ही दर्शाया गया। परिषद द्वारा 8 आवंटियों से तत्कालीन प्रचलित बाजार पर 13/— रुपये प्रति वर्ग की दर से राशि वसूल कर 30 X 50 वर्ग फीट पर भवन निर्माण की स्वीकृति भी जारी की गई। चूंकि कार्नर वाले सभी आवंटियों ने 5 X 50 वर्ग फीट अतिरिक्त भूमि पर पक्के मकान बना दिये। अतः नगर—परिषद पाली द्वारा 7.9.96 को लिये गये प्रस्तावनुसार तत्कालीन प्रचलित बाजार दर 13/— रुपये प्रति वर्ग गज की दर से राशि वसूल कर अतिरिक्त भूमि का भी विक्रय विलेख जारी करने की स्वीकृति प्रदान करावे। धन्यवाद,

———

{श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़)}

विषय : रामगढ़ की ग्रामीण सड़कों की मरम्मत

मान्यवर, विनम्र निवेदन है कि मेरे क्षेत्र रामगढ़ जिला अलवर की सभी ग्रामीण सड़के राजगढ़ अलवर, रामगढ़ गोविन्दगढ़, नो गांवा मु.पुर मुबारिकपुर रघुनाथगढ़ गोविन्दगढ़ से सीकारी, बरबाड़ा, मालपुर इत्यादि सड़के बिल्कुल खराब एवं जीणशीर्ण हो चुकी है रामगढ़ वैसे भी बाढ़ग्रस्त एरिया हैं बार—बार बाढ़ के कारण सारी सड़के पूर्णतया खराब हो चुकी है। माननीय आपके माध्यम से प्रक्रिया 295 में इन सड़कों को पूर्णतया नवींनीकरण या मरम्मत करने के बारे निवेदन करता हूं।

———

{श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)}

विषय : चूरू में वर्ष 1999-2000 में सड़कों के निर्माण व रखरखाव पर हुए व्यय की जांच।

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र चूरू में पिछले वित्तीय वर्ष 1999–2000 में सड़क के निर्माण व रख–रखाव में जितना भी व्यय हुआ मात्र कागजों में हुआ।

चूरू जिला मुख्यालय को तारानगर, सरदारशहर व राजगढ़ जोड़ने वाली सड़कों में गहरे–गहरे खड्डे है तथा चूरू से राजगढ़ जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 का हिस्सा है, में तो सड़क मरम्मत के नाम पर झूठे बिल बनाकर सरकारी राशि विभागीय अधिकारियों ने हड़प ली है। मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को पत्र लिखकर जांच करवाने का आग्रह भी कर चुका हूं। चूरू विधान सभा क्षेत्र की सम्पर्क सड़क बुटीया, राणासर, धांधु खण्डवा, रानासर, लादडीया, देपालसर, सहनाली मरम्मत नहीं होने से गहरे खड्डे पड़ जाने से वाहन आवागमन पिछले 7–8 माह में बंद पड़ा है।

इसके अलावा वर्ष 1998–99 में सम्पर्क सड़क ढ़ाणी डीसंपुरा सम्पर्क सड़क हनुमानगढ़, जिसको प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति निकल जाने के पश्चात निविदाएं आमंत्रित कर नियमानुसार कार्य आदेश जारी करने पश्चात् निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया।

दुर्भाग्य को बात यह भी है कि चूरू विधान सभा क्षेत्र में सांसद विकास कोष विधायक विकास कोष व आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य बजट होते हुए भी पूरा नहीं किया गया।

मेरा सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से अनुरोध है कि कृपया अगर नई सड़कों की स्वीकृत करना संभव न हो तो कम से क़म पुरानी सड़कों के रख–रखाव हेतु आवश्यक कार्य प्रारम्भ करवाये व सड़कों के निर्माण व रखरखाव पर जो सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है उसको उच्च स्तरीय जांच करवाये व सांसद कोष, विधायक कोष व अन्य योजनाओं में स्वीकृत सड़कों का निर्माण अविलम्ब करवाने के आदेश देवें।

{श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी)}

विषय : देसूरी विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत

महोदय, पाली जिले के देसूरी विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का पूर्णतया अभाव है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में देसूरी तहसील कार्यालय व हाइवे केनपुरा से देसूरी वाया रानी स्टेशन–नोडोल, जितपुरा से सादड़ी वाया नाडोल, मुण्डारा से सिन्दरली वाया मोरखा, की सड़कें पूर्व डम्मर की सड़कें आपके विभाग द्वारा बनाई थी वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई जगह–जगह खड्ढ़े पड़ गये है उन पर वाहन या साइकिल चलना मुश्किल हो गया है। अतः इस वर्ष इन सड़कों पर डामरीकरण कराने की कृपा करावें। मेरे क्षेत्र के गांव खेरवा से टेवाली वाया सापुनी व खारड़ा से किशनपुरा, नादाना भाटान से बिजोवा वाया भगवानपुरा नवागुडा से खुनी का गुडाढ़ा वाया बालराई, किरवा से नादान भाटावां वाया खटुकड़ा, बिजोवा से राडियावास वाया गुडाढ़ा महाराम, माण्डल से रानीगांव वाया पुनाडिया, बूसी से जवाली वाया इटन्दरा मेडतियान जो मेटल सड़कें बनाई है वह पुनः क्षतिग्रस्त हो गई है कंक्रीट पुनः बाहर आ चुकी है वहां पर पशु या वाहन भी चलना मुश्किल है। अतः इस वित्त बजट में उपरोक्त सड़कों को डामरीकरण से पुनः जोड़ा जावे। गावं खौड़ से चांगवा, चांचोडी से खौड़ वाया खटुकड़ा, दादाई से नाडोंल वाया विरमपुरा माताजी, मुठाना से सादड़ी मादा से सादड़ी, चाचोडी से सालतिया वाया नादाना जोधान जवाली से देवली वाया ढ़ारिया, टेवाली से हिरनकुटी वाया पादरली तुर्कान, आना से काणा, दुदापुरा से गुडा मांगलियावास वाया छोंडा, आना से बाया सोलवियान वाया पाटिया गुडा, ढालोप से गुडा पृथ्वीराज पुरा वाया करणवा, गिराली से दादाई वाया उनेरथल सालरिया से विगरला वाया आकडावास, सोड़ावास से गुन्डोज, डिंगाई से गुडाविच्छु वाया गुडा सोतिगरा गुडा, खौड से डिगांई वाया सवाईपुरा, हनुमानजी पुलली नाडी से खटुकडा वाया कल्याणपुरा, नादान जोधन से किशनपुरा वाया गुडा महात्म दादाई से किशनपुरा वाया विगंरला।

{डा. रतन लाल जाट (गंगापुर)}

विषय : गंगापुर कस्बे में रसोई गैस एजेन्सी की आवश्यकता

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम–295 के तहत विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के गंगापुर कस्बे में गैस एजेन्सी नहीं होने से जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता रहा है। गंगापुर एक बड़ा कस्बा है। जिसकी आबादी लगभग 20 हजार से ज्यादा है। यह कस्बा तहसील मुख्यालय है, एस.डी.एम. मुख्यालय है। यहां पर ए.सी.जे.एम. कोर्ट भी है इस कस्बा नगर पालिका क्षेत्र में भी आता है।

मान्यवर उपरोक्त सभी परिस्थितियों के होते हुए, इस बड़े शहर में एक भी गैस एजेन्सी स्वीकृत नहीं हैं, जिसको अत्यन्त आवश्यकता है जो पिछले काफी अर्से से महसूस की जा रही है। इस बारे में मैंने सरकार तथा विभाग का बार–बार ध्यान आकर्षित किया है। परन्तु बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक इस शहर हेतु एक भी गैस एजेन्सी स्वीकृत नहीं हो पाई है।

अतः इस सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में उचित कार्यवाही कर गैस–एजेन्सी स्वीकार करने की अनुमति प्रदान करे। ताकि इस जन समस्या का समाधान तत्काल किया जा सके। धन्यवाद।

{श्री शिवनारायण नागर (बारां)}

विषय : बारां व अटरू में परवन नदी पर बना पुल डूब जाने से उत्पन्न स्थिति

महोदय, विधान सभा क्षेत्र बारां एवं अटरू में राज्य उच्च मार्ग–19 बारां झालावाड़ रोड पर ग्राम ब्यावर खुर्द के पास "भैरू जी की रपट" पर उच्च स्तरीय सेत का निर्माण नहीं

होने की वजह से जनता को लगभग 6 माह तक आवागमन की परेशानी उठानी पड़ी है। परवन नदी पर तुलसा लिफ्ट सिंचाई योजना बनने से ग्राम डाबरी के पास एनीकट बनाकर पानी रोक दिया गया। जिससे यह पुलिया लगभग फुट पानी से डूबी रहती है।

बांरा झालावाड को जोड़ने वाली यही एक मात्र सड़क है। जो कि परवन नदी की रपट के डूब जाने से बसों, टेक्टरों एवं जीवों का सारा आवागमन 5 माह बिलकुल बन्द रहता है।

अतः आप क्षेत्र की जनता को हो रही परेशानी को मध्यनजर रखते हुए अविलम्ब इस पुल हेतु राशि स्वीकृत कराकर जनता को राहत पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

{श्रीमती पूनम गोयल (लाड़पुरा)}

विषय : सार्वजनिक स्थानों व विज्ञापनों में फिल्मों, पोस्टरों व चित्रों की बढ़ती अश्लीलता

महोदय, सम्पूर्ण राजस्थान में अश्लील फिल्मों, अश्लील फिल्मों के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर और अश्लील हिन्दी व अंग्रेजी फिल्मों के अश्लील चित्रों व स्लोगनों के साथ अखबरों में विज्ञापनों की पिछले काफी समय से बाढ़ सी आयी हुई है।

पहले श्रीमान् यह बीमारी सिर्फ जयपुर शहर या कोटा आदि बड़े शहरों तक ही सीमित थी अब आप राजस्थान के किसी छोटे से छोटे कस्बे में जहां पर पिक्चर हांल है वहां पर आपको अश्लील फिलमें, और अश्लील पोस्टर लगे हुए मिल जायेंगे। इस कारण वहां से गुजने वाली महिलाएं शर्म से अपना सिर नीचे कर लेती हैं और असामाजिक तत्वों को उन पर फिकरे कसने का मौका मिलता है, इसका सभी महिला संगठन समय–समय पर विरोध करते है, अभी पिछले दिनों महिला दिव्स पर जयपुर में पिक्चर हालों और सार्वजनिक स्थानों पर महिला संगठनों ने ऐसे पोस्टर फाड़े हैं। परन्तु क्या प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

हमारी राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष एक महिला है, उसके बावजूद इस तरह की महिलाओं को आपमानित करने वालो पोस्टर व विज्ञापन शहर में लगते हैं और लगातार अखबारों में छपते हैं, उन को रोकने का कोई काम नहीं हो रहा है। मेरी गृह मंत्रीजी से मांग है कि इसके लिए जिलाधीश और तहसीलदार को व्यक्तिशः जिम्मेदार ठहराकर इन पोस्टरों को तुरन्त हटवाया जाय, पोस्टर लगाने वाले वितरकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया जाय।

मैं इस सदन के माध्यम से जयपुर से प्रकाशित सभी बड़े अखबारों से तथा राजस्थान के अन्य सभी अखबारों से सभी माननीय सदस्यों की ओर से अपील करूंगी कि वे इस प्रकार की अश्लील फिल्मों के विज्ञापन और अश्लील चित्र तथा स्लोगन वाले विज्ञापनों के प्रकाशन पर रोक लगायें ताकि समाज में अश्लीलता की प्रवृत्ति पर रोक लगे। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगी कि ऐसे अखबारों को जो इस प्रकार के अश्लील विज्ञापन प्रकाशित करते है, को सरकारी विज्ञापन देने पर रोक लगायी जाय।

एक मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि वे केन्द्र सरकार से वार्ता करके सेन्सर बोर्ड को भी निर्देश दिलाने का श्रम करें कि वे फिल्मों के नामों में जो अश्लीलता आ गयी है, उसको रुकवाया जाय और ऐसे गन्दे नामों वाली फिल्मों को सेन्सर प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाय। यदि केन्द्र सरकार इस पर कोई कार्यवाही नहीं करती है तो भी जिला प्रशासन अपने स्तर पर इस तरह के नामों की फिल्मों का प्रदर्शन रुकवा सकता है। अंग्रेजी फिल्मों को नामों का हिन्दीकरण करते समय भी उसमें अश्लीलता डाल दी जाती है।

अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी गृह मंत्रीजी और सम्पूर्ण सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि महिलाओं को बेइज्जत करने का जो एक षडयंत्र सम्पूर्ण राजस्थान में चल रहा है, उसे रुकवाया जाय।